राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9)		सप्तम् विधान सभा के नवें सत्र का सातवां दिवस		(संख्या 5

1)		2)

बुधवार

दिनांक 17 अक्टूबर, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री राजबहादुर।

भरतपुर के किले, नहर व घाटों का संधारण

140. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर के ऐतिहासिक किले व उसके चारों ओर नहर व उसके घाटों आदि की मरम्मत कराने हेतु जुलाई, 1980 से अब तक राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की ओर से अलग-अलग क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

(2) मरम्मत हेतु वर्ष 1980-81 में नहर का पानी खाली कराया गया तो उस पर कितना व्यय हुआ ? इस वर्ष 1984 में पानी खाली कराया गया तो कितना व्यय हुआ, और खाली होने पर मरम्मत या जीर्णोद्धार पर कितना कार्य हुआ इस समय नहर एवं उसके घाटों और किले की दीवारों की क्या अवस्था है ?

(3) क्या नहर में जमी हुई मिट्टी एव मलवा को साफ करने की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो इस दिशा में राज्य सरकार की ठोस तरीके से किले नहर एवं घाटों आदि के जीर्णोद्धार की कोई निश्चित योजना है अथवा नहीं ? क्या इस हेतु कोई सम्बद्ध कार्य निश्चित किया गया है।

राज्य मन्त्री, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व (श्री बुलाकी दास कल्ला) : (1) भरतपुर किले की दीवार तथा नहर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित घोषित है। राज्य सरकार वर्ष 1980 से प्रयत्नशील रही है कि भारत सरकार इसकी मरम्मत करायें। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने मरम्मत से पूर्व राज्य सरकार से नहर का पानी निकाले जाने हेतु निवेदन किया था। अतः राज्य कि सिंचाई विभाग द्वारा इसका पानी निकालने का कार्य किया गया था परन्तु भारत सरकार द्वारा मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इस बारे में भारत सरकार से पत्र व्यवहार

(राज्य मन्त्री कला, संस्कृति एवं पुरातत्व)

चलता रहा और अन्त में दिनांक 4 व 5 अप्रेल, 1983 को भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वार्ता के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि किले की दीवार की मरम्मत का कार्य भारत सरकार स्वयं करेगी तथा नहर की दीवार की मरम्मत तथा पुर्ननिर्माण का खर्चा तो भारत सरकार देगी परन्तु यह कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा। भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 1983 को इस हेतु रु. 94.94 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की परन्तु वर्ष 1983-84 में इसके विपरीत कोई राशि उपलब्ध (रिलीज) नहीं की गयी। यद्यपि मोटवाल से संबंधित कार्यो हेतु राज्य सरकार द्वारा टैण्डर आदि मांग लिये गये थे। राज्य सरकार ने नहर से पानी निकालने का कार्य वर्ष 1983-84 में ही प्रारम्भ कर दिया था तथा यह कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। इस कार्य पर राज्य सरकार ने सितम्बर, 1984 तक रु0 3,28,138/- का खर्चा किया है। मोटवाल के कार्य को, जो लगभग 600 मीटर लम्बा है, किये जाने हेतु 0 मीटर से लेकर 300 मीटर तक का कार्य 3.5.1984 को आवंटित कर दिया गया है तथा 300 से लेकर 600 मीटर का कार्य 30.7.1984 को आवंटित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 25 मीटर की लम्बाई में नहर की दीवार का निर्माण कार्य एवं करीब 150 मीटर की लम्बाई में दीवार की नींव खुदाई का कार्य पूर्व में ही कराया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा किले की दीवार की मरम्मत से संबंधित निम्न कार्य अब तक किया गया है।

आर. आर. स्टोन मैसनरी 200 क्यूबिक मीटर।

पॉइंटिंग (अन्दाजन) 3000 वर्ग मीटर अभी घाटों आदि का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

(2) वर्ष 1980-81 में नहर का पानी खाली करने पर 4.57 लाख का खर्च हुआ था। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में सितम्बर, 1984 तक नहर का पानी खाली करने पर रु. 3,28,138/–का व्यय हुआ है। भारत सरकार द्वारा मरम्मत पर जो खर्चा किया गया है उसकी सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अब तक आवंटित कार्य पर 0 मीटर से लेकर 300 मीटर तक कार्य पर रु. 17.50 लाख और 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक आवंटित कार्य पर रु. 23.55 लाख का खर्चा आयेगा। घाटों तथा किले की दीवार की अवस्था अभी जीर्ण-शीर्ण सी ही है।

(3) जी नहीं। जो अनुमान नहर तथा मोटवाल की मरम्मत आदि के लिए तैयार किये गये हैं उनमें नहर के इनलेट पार्ट से ही डिसील्टींग किये जाने का प्रावधान है।

घाटों की मरम्मत, सड़क आदि के कार्य को छोड़कर शेष कार्य जो राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है यह योजना के अनुसार वर्ष 1985-86 तक समाप्त हो सकेगा।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, 4 वर्ष का लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका जब सरकार बनी थी। इसकी घोषणा हुई थी प्रोटेक्टेड मोनुमेंट की तरफ से सन् 76 में आज भी आपने लिखा है, एडमिट किया है कि किले की और घाटों की अवस्था क्या है। आपके शब्द हैं कि दीवारों की अवस्था अभी जीर्ण-शीर्ण है। इस वर्ष ही 150 फुट लम्बा एक पत्थर दीवार का गिर गया और उसके ऊपर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने रु. 4.57 लाख खर्च किया है पानी निकालने पर 80-81 में और करीब 8 लाख पानी पर खर्च किया था इसलिए कि किले की मरम्मत का, दीवार का, घाट का काम शुरू हो जाय लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। बरसात आयी फिर पानी भर गया। तो जो आपने खर्चा किया 3.5 लाख वह भी बेकार हो गया। 8 लाख पानी निकालने पर किया गया उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सफाई भी हो जाती तो भी शायद काम शुरू हो जाता। वह भी नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जिम्मेदारी को, केन्द्र सरकार के साथ रह करके, केन्द्र सरकार ने 94.94 लाख का ग्रान्ट दिया है....

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सन् 1980-81 में सिंचाई विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नहर के पानी की निकासी के काम के लिए किले की मरम्मत के लिये और मोटवाल की मरम्मत के लिये भारत सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाना था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 94.94 लाख की राशि जो हमको स्वीकृत की गयी है उसकी पहली किश्त भी हमारे पास नहीं आयी है। उसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अभी इसी बजट सत्र में 5.20 लाख रुपये........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न एक ही है। जब रुपये ही प्राप्त नहीं हुए तो पानी खाली करने से क्या फायदा। पानी तो हर साल भर जाता होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मोटवाल की मरम्मत के लिये उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम पैसा आपको दे देंगे और आप नहर का पानी खाली करवाइये और इस कारण से खाली करवाया गया। अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि जहां पानी खाली किया गया है वहां पर किसी भी प्रकार से पानी आने नहीं दिया जाय। ऐसी व्यवस्था की गयी है और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूँगा कि 5.20 लाख रुपये की राशि हमारे पूरे विभाग को ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिये और भूमि अवाप्ति के लिये बजट के अनुसार स्वीकृत की गई है। इसके बावजूद हमने भरतपुर के लिये पूरे राजस्थान में जहाँ 266 संरक्षित स्मारक हैं उनके लिये 3.28 लाख रुपये की राशि खर्च की। इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि पुरातत्व विभाग ने इस बारे में पर्याप्त ध्यान दिया है। जैसे ही हमको केन्द्र सरकार से जो राशि मिलनी है मिलेगी इस कार्य को आरंभ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री महाराम चौधरी ।

श्री राजबहादुर : सिर्फ एक प्रश्न करूँगा । मैं जानना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को रोकने के लिये भी कोई कार्यवाही की जायेगी या आगे भी इसी तरह से रखेंगे ? जब तक पानी खाली नहीं होगा तब तक इसकी मरम्मत शुरू नहीं कर सकेंगे और जो दीवार कमजोर है उसको गिरने से रोका जाय । ऐसी व्यवस्था या अन्य कोई व्यवस्था की गयी है या बराबर इसी तरह पैसा खर्च होता रहेगा और 94 लाख जो मिला है आपको....

श्री बुलाकी दास कल्ला : नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसकी एक भी किश्त प्राप्त नहीं हुई है और जहां पानी खाली कर दिया गया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पानी को अस्थाई रूप में रोकने का प्रबंध कर दिया गया है और इसमें प्रतिदिन जो शहर की ड्रेनेज का पानी आ रहा है उसके लिये भी नगरपालिका ने नालियों का निर्माण अलग से शुरू कर रखा है । 4 सेंटीमीटर पानी प्रतिदिन इस नहर में आकर गिरता है उसको काफी हद तक कम किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय । एक दिक्कत है, अध्यक्ष महोदय, कि पानी तो खाली कर दिया है, दीवार जो है वह पानी के प्रेसर से रुकती है । यह पानी खाली करने से दीवारें और ज्यादा गिरती चली जा रही हैं । तो ये काम साइमल्टेनियसली चल रहा है और दूसरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न था....

श्री यदुनाथ सिंह : इसका महत्व पुरातत्व का नहीं है । इसका महत्व भरतपुर में कड़वा पानी है और मोटवाल जो है जहां कुएं बने हुए हैं, कुओं का वाटर लेवल को ऊंचा रखने का काम और उनमें पानी प्रदान करने का काम भी यहां से करते हैं और आज सारा टैप वाटर पर आपका भरतपुर डिपेंडेंट है क्योंकि न तो वहां हैंड पम्प लग सकता है, सब पानी कड़वा हो चुका है इस नहर की वजह से तो इस महत्व को देखते हुए क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहेगी कि पी. एच. ई. डी. इसकी देख-भाल करे लगातार । क्योंकि पी.एच.ई. डी. के पास फण्ड भी होते हैं । क्योंकि अगर टैप पानी एक दिन के लिए भी बन्द हो गया....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस का उसी से महत्व है । तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री अध्यक्ष : जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन अलग प्रश्न है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, नहर को खाली करने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

के बाद हमने नहर की 25 मीटर की लम्बाई में दीवार की नींव की खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसका भुगतान अभी तक केन्द्र सरकार से नहीं हुआ है फिर भी इस काम को करवा रहे हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा किले की मरम्मत के लिए 2200 क्यूबिक मीटर का काम कर लिया है, अंदाजन तीन हजार वर्ग मीटर अन्य कार्य कर लिया है। काम चल रहा है जिसको और गति देने की आवश्यकता है जिसको हम देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री महाराम चौधरी।

जिला नागौर में डेयरी विकास

141. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या राज्य मन्त्री, दुग्ध विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नागौर में डेयरी की विपुल सम्भावनायें देखते हुए यहां वर्तमान डेयरी की क्षमता बढ़ाने तथा डेयरी का नया प्लाण्ट लगाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या वहां लगे दुग्ध अवशीतन संयंत्रों की संख्या बढ़ाने का भी सरकार का विचार है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी नहीं (2) जी नहीं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मैं जानता था और यही उम्मीद मन्त्री महोदय से मुझे थी। आज मुझे बता दें, अवशीतन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का काम तो नहीं किया लेकिन बंद करने का किया........

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या चीज कम करने का ?

श्री महाराम चौधरी : अवशीतन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना और संयंत्र लगाना, यह तो आपने नहीं किया लेकिन ऐसे कितने अवशीलन संयंत्रों के बंद करने का काम किया, और क्यों किया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कम करने का प्रश्न पूछा है जबकि इनका मूल प्रश्न संयंत्रों के लगाने के सम्बन्ध में था। असलियत यह है कि नागौर में 10 हजार लीटर की कैपेसिटी का चिलिंग प्लाण्ट है और मेड़ता सिटी में 20 हजार लीटर की कैपेसिटी का चिलिंग प्लान्ट है। मेड़ता सिटी में 83–84 में 875 लीटर दूध हमारे पास आ रहा है। लास्ट ईयर 82–83 में 909 लीटर दूध आया था और 81–82 में 828 लीटर दूध हमारे पास आया। जहां 20 हजार की कैपेसिटी हो वहां 800–900 लीटर दूध आये, और आप फरमा रहे हैं कि उसकी क्षमता बढ़ायें। जो है वही नहीं चला पा रहे हैं तो कहां से आगे बढ़ाने की बात की जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी : क्षमता बढ़ाने का और दूध उत्पादन करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल सकता है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि मंत्री महोदय को न तो यह मालूम है कि भैंस का दूध सींगों से निकलता है या थनों से निकलता है, न इस मामले के अन्दर इनके अधिकारियों को लगाव है। वे न कोई प्रयत्न करते है। अगर वह कोशिश करें....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : क्षमता बढ़ा सकते हैं। किसानों से लगाव नहीं है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को तकनीकी जानकारी तो है लेकिन वास्तव में व्यावहारिक जानकारी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, नागौर के तो बैल प्रसिद्ध हैं बैल तो न दूध के काम का है, न वह सांड ही है। दोनों ही नहीं हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा, नागौर के बैल प्रसिद्ध हैं। मैं कहता हूँ नागौर के सांड प्रसिद्ध हैं। सांडों को आप उपयोग में लीजिए आप भी प्रसिद्ध हो जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जैसे हट्टे सांड है, मुसीबत यही है।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मेड़ता का जो चिलिंग प्लाण्ट बंद किया गया है इसका कारण क्या यह है कि अधिकारियों की लापरवाही से चिलिंग संयंत्र में दूध नहीं आ रहा है ? जो दूध तय किया गया है उसमें से आधा अजमेर डेयरी को भेज दिया जाता है। यदि 70 किलो मीटर की परिधि के अन्दर मेड़ता के आसपास ही इसके दूध को बनाये रखकर यह कार्य किया जाय तो मेड़ता का संयंत्र चल सकता है। यह केवल इनकी लापरवाही की वजह से बंद किया गया है। मैं चाहूंगा, इसकी पूर्ण जांच करवाई जाय। इसमें कम से कम 4 हजार लीटर दूध आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री रामनारायण डूडी : उसको केवल वहां कलेक्ट करने और प्लान्ट में भेजने की जरूरत है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य जो बिलाड़ा से आये हैं, ने सुझाव दिया है, मेरे पास वहां के प्रधान, सरपंच साहबान पधारे थे। हमने अजमेर के साथ उसको कनेक्ट कर रखा है। अजमेर चूंकि नजदीक पड़ता है और हमें आर्थिक दृष्टि से भी सही पड़ता है इसलिए हमने मेड़ता के चिलिंग प्लाण्ट को बंद करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन जब उन्होंने मुझ से वादा किया कि हर हालत में चार हजार लीटर दूध इकट्ठा करवाकर देंगे तो मैंने आदेश कर दिये हैं कि मेड़ता के अन्दर प्लाण्ट चालू रहे। पहले मैं देखता था कि 20 हजार की कैपेसिटी पर 800 लीटर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दूध आया जिससे हमारा खर्चा ही नहीं निकले तो उसको चलाने से कोई लाभ नहीं। लेकिन अब पंचायत समिति के प्रधान के कहे अनुसार, उनके किये गये वायदे के अनुसार वहां के विधायक साहबान के कहने के अनुसार हमने निर्णय लिया है।

जहां तक अधिकारियों की बात है, हर एक काम में उनको घसीटना मैं वाजिब नहीं समझता। तीन साल के फिगर मैंने दिये हैं, कन्टीन्यूअसली दूध की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में मैंने आप से निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरू-लाल मीणा।

श्री केसरिया जी ऋषभदेव मन्दिर, उदयपुर

142. श्री भैरूलाल मीणा : (उदयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री केसरिया जी ऋषभदेव (उदयपुर) मन्दिर की वार्षिक आय दस लाख से भी अधिक है? यदि हां, तो यह राशि किस-किस मद में खर्च होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऋषभ-देव जी मन्दिर की आमदनी कम होने के कारण मन्दिर पर कार्यरत कर्मचारियों को अत्यल्प वेतन मिलता है? यदि हां, तो किस श्रेणी के कर्मचारी को क्या क्या वेतन दिया जाता है और किस मद से? क्या वे देवस्थान विभाग के कर्मचारी नहीं हैं? नियमानुसार क्या वेतन ग्राह्य है? वहां कार्यरत देवस्थान विभाग के स्टाफ को क्या वेतन मिलता है?

(3) सरकार महंगाई के इस कठिन दौर में इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन दिलाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राज्य सरकार ने इस मंदिर के कर्मचारियों को दिनांक 1.4.84 से अधिक वेतन देना स्वीकार कर लिया है।

[विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें]

श्री भैरूलाल मीणा : अधिक वेतन किस तरह का? थोड़ा विवरण बता दिया जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हर मन्दिर की अलग अलग आमदनी होती है, अलग अलग बजट होता है, इस ऋषभ-देव मन्दिर की जो आमदनी है, और जो खर्चा है, अभी पिछले दिनों हड़ताल हुई थी, उस समय भी यह प्रस्ताव आया था।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अभी भी कर्मचारियों की जो यूनियन है वह हम से मिली थी और उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे थे। हमने उन से कहा कि आपके सामने बजट है कि इतनी आमदनी है और इतना खर्चा है। वह खर्चा, रख रखाव का खर्चा. कर्मचारियों का वेतन और 10 प्रतिशत आगे के लिए रखना बचत के रूप में। इस प्रकार इस बजट को आप संतुलित कर लो, फिर किस प्रकार आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाय उसके लिए निर्णय हो जाय, तो हम इसका भी निर्णय कर देंगे। यह हमने सिद्धान्ततः तय कर लिया। चूंकि मन्दिर के अन्दर काफी काम है, काफी इन्कम है इसको देखते हुए इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाय। हमने वह 1.4.84 से बढ़ा दिया। जैसे ही सुझाव आयेगा वैसे ही राज्य सरकार उस बजट को मंजूर कर लेगी।

श्री भैरूंलाल मीणा : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया वहां के कर्मचारियों का संघ बना हुआ है, उनके प्रतिनिधियों से पूछकर, वहां की इन्कम को देखते हुए उनकी वेतन शृंखला निर्धारित की जाय। मैं वहां का अध्यक्ष हूँ। मेरे को पूछा नहीं। किस तरह से बढ़ायें, क्या बढ़ायें, यह मुझे मालूम नहीं है। मन्त्री महोदय आश्वासन दें। अगर प्रस्ताव आपके पास आ गया है तो यह समझा जायेगा कि वह श्रमिकों से बिना पूछे आया है। यदि उसमें संशोधन करना है तो श्रमिकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उस पर विचार किया जाय। हम भी जानते हैं, जितनी आमदनी है उसके हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। जहां तक मैंने देखा, मिनीमम वेजेज देने के बाद भी बचत होती है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि देवस्थान में काम करने वाले इस मन्दिर के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण आमदनी के आधार पर होता है या सरकार की नीति के अनुसार कि काम करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज मिलनी चाहिए। क्या इससे देवस्थान विभाग वंचित है। इसका फैसला मिनिमम वेजेज या आमदनी के आधार पर होगा ?

श्री अध्यक्ष : रूपलाल।

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋषभदेव मन्दिर मेरे ही क्षेत्र में है। वहां के कर्मचारी अंग्रेजों के वक्त से आज तक दुखी हैं, और वहां पर बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। सारे के सारे आदिवासी हैं। उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार इस महंगाई के कठिन दौर में इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन दिलाने की दशा में है क्या ? मेहरबानी करके, उनको नियमानुसार वेतन मिलना चाहिए। उनको आगे जाकर पेंशन भी दी जाय। काफी कर्मचारी आज पेंशन के नजदीक आ चुके है इसलिए आप इस पर ज्यादा ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह भी बतायें, क्या यह सच हैं कि उनमें से लगभग 40 पर्सेन्ट कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मासिक तनख्वाह 100–120 रुपये के लगभग है। क्या यह भी सच है कि पिछले तीन सालों से आप लगातार जवाब देते आ रहे हैं कि हम इसको बढ़ा रहे हैं? तो, इन तीन सालों में कब कब बढ़ोतरी की ?

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने वेतन देने के लिए फरमाया है कि इन्कम के आधार पर होगी। मैं, मन्त्री महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि वहां सराय की जितनी भी दुकानें हैं वह कुछ लोग मुफ्त में लेकर फायदा उठा रहे हैं। वह किराये पर दें तो आपकी इन्कम में बढ़ोतरी होगी। इसके ऊपर सराय में कमरे हैं। कुछ लोगों ने अपने उपयोग में ले रखे हैं, जिससे मन्दिर की इन्कम नहीं होती है और आप पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, जैसे कि जोशी जी ने बात रखी है कि मिनिमम वेजेज देने का सरकार का कर्त्तव्य है इन्कम नहीं होगी तब भी क्या, जैसी आपकी मंशा है, उनकी मिनिमम वेजेज दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

श्री भैरूंलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि वहां की इन्कम के मुताबिक उनको तनख्वाह देनी चाहिए, ताल-मेल बिठाकर। इन्होंने 3 कर्मचारी राज्य सरकार के वहां पर बैठा रखे हैं, उनको देवस्थान विभाग के फण्ड से पैसा दिया जाता है, जिनकी तनख्वाह वहां के प्रभारी अधिकारी से भी ज्यादा है। प्रभारी अधिकारी की तनख्वाह 500) रुपये और उनकी है 620) रुपये जो वरिष्ठ लिपिक की है, वह तो उनसे ज्यादा पैसा पाते हैं और नीचे के कर्मचारी हैं जिनकी 70 रुपये है वह अलग है लेकिन यहां भी एक क्लर्क की तनख्वाह ज्यादा है आफिसर की तनख्वाह कम है और वह भी देवस्थान विभाग के फण्ड से पैसा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिनिमम वेजेज का सवाल है वह इसलिये लागू नहीं होता है क्योंकि वहां मन्दिरों में काम करने वाले बहुत से लोगों के पास कोई ऐसा काम नहीं है जो 8-8 घन्टे का हो, 10-10 घन्टे का हो या जो कुछ भी पीरियड है। इसलिये हमने मन्दिर की आमदनी की बात की है। हर जगह जैसी मन्दिर की आमद और पुरानी जो परम्परायें हैं, हम उनके ट्रस्टी हैं, एक तरह से देख-माल करने वाले लोग हैं देवस्थान के, इसलिये पुरानी जैसी परम्परायें हैं आज भी यदि हम उनको किसी जगह बदलना चाहें तो धार्मिक दृष्टिकोण से बदल नहीं सकते। जो उनकी परम्परायें हैं, भोग का उनका जो तरीका है जैसे ऋषभदेवजी के मन्दिर में केसर का ही भोग लगता है। चाहे केसर आज कितनी ही मंहगी हो हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते और वह उनका धार्मिक दृष्टिकोण है और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

धार्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक परम्परायें यदि हम लुप्त कर दें तो, मन्दिर के प्रति लोगों के मन में क्या भावनायें रहेंगी यह माननीय सदस्य अपने आप समझ सकते हैं। उसके लिये कुछ नहीं कर सकते। गत दिनों जब मैं उदयपुर दौरे पर गया था, क्योंकि यह विवाद कई वर्षों से विधान सभा में चल रहा है, खुद ऋषभदेव जी के मन्दिर में गया था तब ऋषभदेव जी के मन्दिर में मैंने उन लोगों के काम को देखा कि वह किस प्रकार का काम करते हैं, उनकी क्या-क्या जिम्मेवारियां हैं। जैसा माननीय सदस्य ने यहां कहा, माननीय सदस्य अध्यक्ष हैं, उनकी यूनियन के, ये उस समय थे नहीं, पर इनके पदाधिकारी थे उनसे मैंने बैठकर विस्तृत चर्चा की और भी जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ भी मैं चर्चा कर लूंगा। इस बात के लिये मेरा मन तैयार है कि मन्दिर की इन्कम हो रही है और इन्कम होने के बावजूद तनख्वाह सही तौर पर नहीं मिल पाये तो यह न्याय नहीं है उनके साथ।

इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि 1–4–1984 से उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय इन्कम को देखते हुए। यह तो मैंने उनसे एक बात कही है और इस बात के लिये मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाय। जो भी प्रस्ताव आपस में बैठकर कर सकें बैठकर कर लेंगे, आफिसर्स से भी पूछ लेंगे। जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना चाहते हैं क्योंकि यह प्रश्न कई बार विधान सभा में आ चुका है, पेन्डिग है, मेरी स्वयं की भी इच्छा है कि इसका जल्दी निपटारा हो जाय, इसलिये मैं जल्दी इसको निपटाना चाहता हूं और माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी ही इसका फैसला करेंगे और जब भी इसका फैसला करेंगे उस समय उनको भी बुलाकर विश्वास में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सवा चार साल हो गये यह आश्वासन सुनते-सुनते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इनके 70 रुपये और 50 रुपये बढ़ायें.... तो क्या गारन्टी है इस बात की कि सातवीं विधान सभा समाप्त होने के पहले उनको पैसा मिल जायेगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अगला प्रश्न।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह धार्मिक भावना का प्रश्न नहीं है। यह

(श्री सी. पी. जोशी)

देवस्थान विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाय।

श्री सी.पी. जोशी : केसर का भोग लगने की बात कही, उसका पैसा भी केलकुलेट कर लीजिये। 50 रुपये और 70 रुपये तनख्वाह मिले इसके लिये कोई न कोई नीति तो बनानी पड़ेगी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूंलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 8–8 घन्टे, 10–10 घन्टे काम नहीं करते, वे वहां पर 24 घन्टों काम करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूंलाल मीणा : 24 घन्टे काम करना पड़ता है, चार-चार घन्टे की ड्यूटी देते हैं, मन्दिर में ही रहना पड़ता है। इस लिए मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या मिनिमम वेजेज उनको मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री वंशी लाल पटवा।

भीलवाड़ा जिले की कृषि भूमि पर बने भवनों का नियमितीकरण

143. **श्री वन्शीलाल पटवा**(भीलवाड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर व जिले में सन् 1980 से लेकर आज तक कृषि भूमि पर बने मकानों व भू-खण्डों के नियमितीकरण हेतु कुल कितने मामले प्रस्तुत किये गये ?

(2) इनमें से कितने प्रकरण निपटाये गये व कितने किन-किन कारणों से निरस्त किये गये तथा कितने पेन्डिंग हैं और उनका कब तक निपटारा कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, राजस्व (**श्री जयकृष्ण शर्मा**) : (1) 3599 मामले प्रस्तुत हुये हैं।

(2) उक्त में से कुल 3125 मामले निपटाये गये। 896 मामले निम्न कारणों से निरस्त किये गये हैं :—

(1) भू-खण्डों की भूमि अवाप्ति में होने के कारण –835

(2) नगर नियोजन विभाग की राय विपरीत होने के कारण 20

(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42–ए के उल्लंघन के कारण 8

(4) प्रार्थी के पास एक से अधिक भू-खण्ड होने के कारण 31

(12)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(5) प्रार्थी का भूमि पर कब्जा न होने के कारण 2

कुल 896

474 मामले विचाराधीन हैं जिनका निपटारा यथा शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 474 मामले इन्होंने पेन्डिग बताये हैं, इनके सन्दर्भ में सप्लीमेन्ट्री यह है 474 में से क्रमशः 211 से लेकर 220 और इसी तरह से 225से275 यह फाइलें क्रमशः मदनलाल पिता नन्दलाल आदि-आदि की है। इस तरह से इन्होंने 31 मई को प्रस्तुत कर दीं और प्रस्तुत करने के बाद वहां के, उग्रसेन सांखला करके भूमि रूपान्तरण अधिकारी हैं जिन्होंने रजिस्टर में कांट-फांस करके 280 क्रमांक का फैसला अपने सालेजी का था उनका तो उन्होंने रेगुलराइज कर दिया और इनसे पेनल्टी मांग रहे है। मेरा इस सन्दर्भ में मंत्री महोदय से निवेदन है कि रजिस्टर में कांट-फांस की उसकी फोटो प्रति मेरे पास है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि क्या आप उसकी जांच करायेंगे और जिसने कांट-फांस करके, फर्जी कार्यवाही करके प्रेक्टिस फैलाई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

राजस्व मंत्री, (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका तो उत्तर दे दिया लेकिन वह किसी स्पेसिफिक केस के बारे में जानना चाहते हैं जिनका नाम भी उन्होंने दिया है। यदि वह स्पेसिफिक प्रश्न पूछते, तो उसका उत्तर उसी प्रकार से देता, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी केस की, किसी प्रकार की शिकायत आप बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि फोटोस्टेट कापी भी है। वह जानकारी हमें उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से जांच करवायेंगे और जिस व्यक्ति ने फाल्ट किया है, गलत कार्यवाही की है, उसको पनिश करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री बन्शीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम प्रश्न, उन्होंने यह कहा है कि स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है लेकिन जो 474 मामले पेन्डिग इन्होंने बताये है, उन्हीं में से पूछा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बन्शीलाल पटवा : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने करप्ट प्रेक्टिस फैलाई है, इस तरह से रजिस्टर में कांट-फांस की है, लाखों रुपये का घोटाला किया है, क्या उसकी जांच करायेंगे और पुलिस में देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आप बतायें, पुलिस में देने की होगी तो पुलिस में देंगे और हमारे स्तर पर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इन्क्वायरी करानी होगी तो वह करायेंगे इसमें क्या दिक्कत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप विषय से हट गये हैं।

श्री वन्शीलाल पटवा : पुलिस कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्पष्ट उत्तर आ गया। कृपया बैठ जायें। श्री गोपाल पचेरवाल ।

कापरेन व केशोरायपाटन नहर से सिंचाई

144. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि कापरेन व केशोरायपाटन नहर से टेल के गांव पापड़ी, बड़ाखेड़ा, सवाड़ा गुवाटा, लवान, चौतरा का खेड़ा, प्रतापगढ़ तथा नीमोटा वालाथा आदि में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन गांवों की भूमि की सिंचाई हेतु विभाग द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाया जा रहा है।

(2) क्या यह सही है कि चौतरा का खेड़ा, झावराना, ढिगंसी बौरदा काछीपाना के किसानों को माइनर टूट जाने के कारण सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों और उनके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

मंत्री सिंचित क्षेत्रीय विकास (श्री चन्दन मल बैद : (1) जी हां, पानी दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब जी हां और जी नहीं में दिया है। मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में जो 144939 एकड़ सिंचित क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि माइनर द्वारा सिंचाई की जाती है। जिन माइनरों का मैंने जिक्र किया है गांव पापड़ी, बड़ा खेड़ा, सवाड़ा गुवाटा, लवान, चौतरा का खेड़ा, प्रतापगढ़ तथा नीमोटा वालाथा आदि इनमें माइनर धरती पर ही नहीं है और हर साल इसके लिये हम आन्दोलन करते हैं और उसमें पिछले साल जो आन्दोलन हुआ उसमें तो सभी पार्टियों के, जिसमें जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, श्री भंवरलाल शर्मा हैं उन्होंने भी उसमें भाग लिया। उनके नेतृत्व में आन्दोलन हुआ, तो उन्होंने आन्दोलन किस बात के लिये किया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माइनरों का मैंने जिक्र किया है वह धरती पर ही नहीं तो आप पानी कहां से दे रहे हैं जबकि माइनर धरती पर ही नहीं है....

(14)

श्री चन्दनमल बैद : कौनसी माइनर नहीं है ? मैंने यह नहीं कहा, यह माइनर है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं पानी दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूं माइनर नहीं है । जब माइनर नहीं है, तो पानी कहां से दे रहे है आप ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कापरेन ब्रान्च की जो अन्य ब्रान्चेज है, ये माइनर जो हैं, उनसे इन गांवों की जमीन को पानी दिया जा रहा है । इन्होंने इसके लिए पूछा मैंने इसका जवाब दे दिया । आपने प्रश्न के भाग (2) में पूछा है उसका मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि कापरेन ब्रान्च से उपकुलिका निकलती है उस उपकुलिका से एक बरेनी माइनर–I निकलती है उस बरेनी माइनर से बोरदा माइनर निकलती है उस बोरदा माइनर की क्षमता केवल तीन क्यूसेक की है उसका कमाण्ड एरिया 367 एकड़ है । उस 367 एकड़ में से 1982-83 में 214 एकड़ में सिंचाई हुई व 83–84 में 217 एकड़ में सिंचाई हुई । चम्बल नहरों की रबी की सिंचाई क्षमता 58 परसेन्ट है और जो बोरदा माइनर के कमाण्ड में सिंचाई हुई है उसकी क्षमता जो निकलती है वह भी 58 पर्सेन्ट ही है । तो जब 58% की क्षमता से नहर बनी हुई है और उससे आज 58 पर्सेन्ट सिंचाई हो रही है, तो मेरा यह कहना तो वाजिब है कि उससे सिंचाई हो रही है । अब मैं यह कब कह रहा हूं कि उससे सेन्ट पर्सेन्ट सिंचाई हो रही है । जब उस नहर की क्षमता ही 58 परसेन्ट है तो 58 पर्सेन्ट की बोरदा माइनर से सिंचाई हो रही है । तो मैं अगर कह रहा हूं कि पानी दिया जा रहा है तो मैं क्या गलत बात कह रहा हूं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरदा आपने जिक्र किया उसके बारे में, मैं निवेदन करता हूं, आप बोरदा माइनर के लिये जो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, बोरदा माइनर के बीच में कोई पैदावार नहीं है, जो आप पानी दे रहे हैं । है ही नहीं बोरदा माइनर वहां धरती पर, आप कैसे कह रहे है कि पानी दे रहे हैं । आप मेरे साथ मौका देख लें चलकर ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह होना चाहिये कि कुछ भूमि है उसमें पानी नहीं लगता है इसलिए नई नहर या उपशाखा नहर इस तरह की निर्माण की जाय ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं....

श्री अध्यक्ष : ये तो कह रहे हैं कि जितना पानी दे रहे हैं उतनी की बात है....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप कह रहे हैं बोरदा माइनर नहीं है, यह नक्शा मैंने आज तो नहीं बनाया । यह नक्शा सारे चम्बल सिस्टम का है इसमें बोरदा माइनर है संयोग से मैं नक्शा ले आया, लाने की जरूरत नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने अच्छा किया। आपने एक ही बुद्धि का काम किया कि है मेरे प्रश्न के उत्तर में आप नक्शा लाये। मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, नक्शा कब का है और वह माइनर कब बनी और आज की स्थिति में है कि नहीं, यह बताइये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : नहर तो है ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बैठ जांय।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, जो नाम मैंने इसमें लिखे हैं और मैंने पूछा है बड़ा खेड़ा, सवाड़ा, गुवाटा, लवान, चौतरा का खेड़ा, प्रतापगढ़ तथा नोमोटा वालाथा यह सारे नाम लिये। अध्यक्ष महोदय, हमारे बून्दी जिले के प्रभारी मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं, आप पूरे जिले से वाकिफ हैं, पानी को लेकर आन्दोलन होता है और आपको जानकारी है, आपके जिले का सवाल है। आप ही बता दीजिये कि इन क्षेत्रों में पानी देते हैं या नहीं, हर साल आंदोलन होता है। आपने स्वयं पिछली बार कलेक्टर से कह करके वहां इजाजत दिलवाई थी, आश्वासन दिया कि पानी देंगे और पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं बोरदा वहां है। काछीपाना भावराना, ढिगसी माइनर धरती पर है ही नहीं। नक्शा जो बना है, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त बनी होगी, आज की तारीख की बात कर रहा हूं। नक्शा आपका कब बना ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने यह पूछा है कि कापरेन व केशोरायपाटन नहरों से इन गांवों में सिंचाई का पानी दिया जाता है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केशोरायपाटन और कापरेन की जो नहरें हैं उनसे पिछले साल जो सिंचाई हुई है। पाटन ब्रान्च के सी.सी.ए है 13090 और रबी में 82–83 में सिंचाई हुई 89457 एकड़ में, 83–84 में हुई 9700 एकड़ में यानि 75 परसेन्ट सिंचाई हुई जबकि 58 परसेन्ट होनी चाहिये थी अब उसके बाद मैं कापरेन की बात कर रहा हूं। कापरेन की सीसीए है, 10230.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : रेलेवेन्ट है मेरे लिये और उनके लिये। सिंचाई हुई 82-83 में 7459 एकड़ में और 83–84 में हुई है 7830 एकड़ में यह 76 पर्सेन्ट आती है उस क्षेत्र में, जबकि होनी चाहिये थी 58 पर्सेन्ट। अब इस दूसरी ब्रान्च से आपने पूछा है। इन गांवों की जमीन की सिंचाई होती है कि नहीं, मैं कहता हूं, पानी दिया जा रहा है, सिंचाई होती है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मेरा सवाल है जब माइनर नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो फिर सिंचाई आप कहां से कर रहे हैं। कुछ छिड़काव से कर रहे हैं, आपके पास कोई विशेष यन्त्र है, आप कह रहे हैं माइनर नहीं है....

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कापरेन में और पाटन ब्रान्च में....

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने जो निवेदन किया आपको, आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : यह जो कापरेन और पाटन ब्रांच के फिगर मैंने 82–83 के, 83–84 के दिये हैं और उससे पहले भी सिंचाई होती रही है, क्या

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिये। ऐसा है कि जो आपकी समस्या है उसको स्पष्ट तरीके से अपने प्रश्न में उल्लिखित करना चाहिये था। माइनर के या नहर के वहां नहीं होने से वहां सिंचाई नहीं होती है तो एक अलग प्रश्न है। उसमें यह होगा कि कमाण्ड एरिया में है या नहीं है, इसमें भी यहां पर नहरें बनाई गई है या नहीं है, यदि आप उसमें पूछें कि कितनी सिंचाई हुई, इन गांवों में हुई कि नहीं, तो दोनों आप सही हो सकते हैं। एक गांव का लम्बा चौड़ा क्षेत्र होता है, उसमें कुछ में पानी लगता है। ये कहते हैं पानी दिया है आप दूसरे हिस्से के बारे में सोच सकते हैं कि पानी नहीं दिया, दोनों बातें सही हैं। इसलिए जो क्वश्चन किया है उसको आप स्पष्ट तौर से अंकित करते हैं, तो उसी तरह से जवाब आ सकता है, नहीं तो आप कह रहे हैं पानी नहीं दिया। इनके भी आंकड़े गलत नहीं हो सकते। आपकी बात भी सही हो सकती है कि पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि कई हिस्सों में नहीं मिल रहा होगा। तो मुख्य समस्या क्या है किस तरह से नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है....

श्री गोपाल पचेरवाल : एक मिनट

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, फिर आन्दोलन किस बात का होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी समस्या हर एक प्रश्न में रहती है। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री छीतरलाल आर्य : इनके टेल फीडर मेरे इलाके में हैं इसकी वजह से मेरी समस्या है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जांय।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मन्त्री महोदय जो फरमा रहे हैं कि कापरेन केशोरायपाटन ब्रान्च से जो माइनर निकले हुए हैं उन गांवों का मैंने निवेदन किया है और अध्यक्ष महोदय, ये गांव टेल के हैं मेरे क्षेत्र के अन्तिम गांव हैं। ये बिल्कुल नीचे हैं जंगली इलाका है, टेल पर बसे हुए हैं। इन गांवों में माइनर बनी हुई थी, आज की तारीख में माइनर बनी हुई नहीं है और अध्यक्ष महोदय, हर साल आन्दोलन करना पड़ता है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सारे गांव हैं टेल के, इनके माइनर टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत नहीं करवाई जाती, उनको ठीक नहीं कराया जाता। इसलिए उन गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इनके अधिकारी पटवारी खाली इन्द्राज़ करते हैं और किसानों से जबरदस्ती करते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था मन्त्री महोदय आप स्वयं जावें।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट रूप से आपने अभी सदन के समक्ष बात रखी उसी तरीके से प्रश्न में लिख देते।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने गांवों का जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष : गांवों का रकबा लम्बा चौड़ा होता है, कहीं पानी लगता है कहीं नहीं लगता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इतना आश्वासन चाहूंगा कि जो माइनर टूटे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय को अपनी समस्या भेज दीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपके द्वारा पहुंचाने से मेरी बात का वजन रहेगा, अध्यक्ष महोदय, वरना सुनेंगे नहीं मन्त्री महोदय। मैं आश्वासन चाहता हूं कि मैंने माइनर का इसमें जिक्र किया है क्या टूटे हुए हैं इसकी वास्तविक जानकारी करके आप इनकी मरम्मत करायेंगे?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, हर साल जो रिवाइन्स में हमारी माइनर हैं उनकी मरम्मत कराई जाती है और स्पेसिफिकली मैंने बोरदा माइनर का नाम लिया है, बोरदा माइनर तीन क्यूसेक की है, हर साल टूट जाती हैं और पानी छोड़ने से पहले हर साल उनकी मरम्मत कराई जाती है।

श्री अध्यक्ष : इस साल आप और मरम्मत करा दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : मरम्मत करा दी गई है इस साल, पानी छोड़ दिया है और पानी मिल रहा है, मरम्मत कराई जा चुकी है यह मैंने पता लगा लिया है। अब सैंकड़ों माइनर्स हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बता सकता हूं कि किसकी क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राम किशोर मीणा, सुश्री पुष्पा जैन।

आनन्दपुर साहब, मुकेरिया, थीन, विद्युत परियोजनाओं में राज्य की भागीदारी

145. **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आनन्दपुर साहब, मुकेरिया, थीन आदि विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की भागीरदारी की स्थिति स्पष्ट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण भागीदारी विवादास्पद बन गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की भागीदारी का निर्णय करने हेतु न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को मामला सौंपने हेतु सहमति दे दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) इन विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान अपनी भागीदारी का निम्न प्रकार हक मानता है :–

क्र.	परियोजना का नाम	कुल क्षमता.	राजस्थान के हिस्से की मांग
1.	आनन्दपुर साहिब	134 मैगावाट	20%
2.	थीन डेम	600 मैगावाट	52.6%
3.	यू.बी.डी.सी. द्वितीय चरण	45 मैगावाट	52.6%
4.	शाहपुर कांडी	94 मैगावाट	52.6%
5.	मुकेरियान	207 मैगावाट	58.5%

ये परियोजनायें रावी, व्यास व सतलज नदियों के जल पर आधारित हैं जिनमें राजस्थान का हिस्सा है, परन्तु पंजाब का मत भिन्न है ।

(2) जी नहीं, सरकार इस मामले में सदैव पूर्ण रूपेण जागरूक व प्रयत्नशील रही है । राजस्थान सरकार ने इन परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर प्रयास किये हैं और किये जा रहे हैं । सैद्धान्तिक तौर पर प्रारम्भ से ही राज्य इन नदियों के पानी के उपयोग की भागीदारी को सभी समझौतों, बैठकों, एवं चर्चाओं में शामिल रहा है किन्तु जब से पंजाब ने इन परियोजनाओं पर विशेष प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के प्रयास किया है तब से राजस्थान में अपनी हिस्सेदारी के लिये बैठकों में पुरजोर ढंग से रखता है और बराबर इस बात का तकाजा करता है । राज्य सरकार द्वारा थीन बांध व अन्य परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से के मामलों को दिसम्बर, 1963 में व्यास कन्ट्रोल बोर्ड की छठी बैठक में जुलाई 1965 में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तथा जनवरी, 1979 में प्रधान मन्त्री के समक्ष रखा, वर्ष 1979 में प्रधान मन्त्री द्वारा संबंधित राज्यों को अपने अपने दावे अटार्नी जनरल आफ इन्डिया को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । राज्य सरकार ने अपना पक्ष अटार्नी जनरलों के समक्ष रखा परन्तु इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं हो सका । राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में भी हिस्सेदारी से संबंधित मसलों को बी. बी. एम. सी. ने इस मामले को भारत सरकार

(श्रीमती कमला)

को निर्णय हेतु अपनी 92 वीं बैठक जनवरी, 81 में प्रस्ताव के रूप में भेजा। राज्य के मुख्य मन्त्रीजी द्वारा भी भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्री तथा योजना मन्त्री भारत सरकार को जुलाई, 81 व सितम्बर, 81 में पत्र भेजकर इन योजनाओं में राजस्थान की भागीदारी निश्चित कराने हेतु लिखा व पुनः तकाजा किया। राज्य के मुख्य सचिव ने जुलाई, 1982 में भारत सरकार के कैबीनेट सचिव, भारत सरकार को इन योजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी के संबंध में एक प्रतिवेदन भेजा। केबीनेट सचिव, भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1983 में इस विषय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें राजस्थान के उच्च अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा और उसे पुनः दोहराया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप ही अब पंजाब राजस्थान के हिस्से के मामले को भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को राय हेतु भेजने को सहमत हुआ है।

(3) जी हां। राज्य के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि रावी व्यास और सतलज की नदियों से जो बिजली बनती है यह बिजली राजस्थान को मिल रही है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

(श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रोजेक्ट्स निर्मित हुए हैं उनमें राजस्थान की भागीदारी क़ायम की हुई है। जो हिस्सा कायम किया हुआ है उसके आधार पर राजस्थान को बिजली मिल रही है।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय मन्त्री महोदया जब यह कह रही है कि हमारा हिस्सा कायम किया हुआ है, तो क्या वजूहात हैं जिसके कारण हमें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास से फैसला लेने की जरूरत पड़ी है और आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को सहमति भी दे दी है ?

श्री अध्यक्ष : यह 1979 का मामला है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) **:** नहीं साहब, यह तो अभी का है।

श्री अध्यक्ष : यह 1979 की बात है, 1979 में क्या हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो आलरेडी क्लेम किया हुआ है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इन सभी परियोजनाओं के संबंध में राजस्थान का किस प्रकार का हक है वह राजस्थान प्रतिपादित करता रहा है कितना कितना क्लैम राजस्थान का बनता है उसके लिये राज्य सरकार तकाजा करती रही है। यह किन आधारों पर हुआ है उसको सारा हाऊस जानता है। इसके बारे में बहुत बार चर्चायें विस्तृत तौरः पर और बारीकी से इस हाऊस में हुई हैं। विपक्ष के नेता, जो बैठे हुए हैं, भी विपक्ष के नेता की हैसियत से और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की हैसियत से

(श्रीमती कमला)

इन सभी बारीकियों से पूर्णतया परिचित हैं। इसमें पंजाब सीधी बात करना नहीं चाहता था, उसके लिये कोई रास्ता नहीं निकला और पंजाब किसी तरह राजी नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया तो जो निर्णय लिया गया है वह तो कम से कम एक कदम आगे है और उसको इस एग्रीमेन्ट में शामिल किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज राय देगा वह मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की राय जब आयेगी तो उसके तहत हमें विश्वास है, हमें अहसास है कि जो ऐतिहासिक और प्रशासनिक सारा बैक ग्राउन्ड है, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में पानी यूटिलाइजेशन की जो ट्रीटी हुई है, उसके बाद में पंजाब और राजस्थान के बीच में बातचीत हुई, कारेसपान्डेन्स हुई, बैठकें हुई और उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जब राय आयेगी तो हमें पूरी आशा है कि उसमें राजस्थान का क्लैम माना जाना चाहिये।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय मन्त्री महोदया, जब क्लैम माना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने का सवाल कहां है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : उसके बाद में तो मेरा लिंक टूट जायेगा।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न है उसके पहले भाग में राजस्थान को रावी, व्यास, सतलज नदियों से विद्युत परियोजनायें हैं उसमें राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से को मांगा है। उसके अन्दर है जो अलग अलग परियोजनायें हैं उसमें हमारा कितना हिस्सा मांगा है? क्योंकि अध्यक्ष महोदय, अभी 10-5-84 को घटना घटी है, जो समझौता हुआ है, उसमें किस आधार पर हमें बिजली मिलेगी? अब तक तो चाहे भाखरा हो, चाहे नांगल हो उसमें हमें विद्युत के हिस्से का पता था लेकिन यह मई, 1984 को जो समझौता हुआ है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो समझौता हुआ है मुख्य मन्त्रियों के बीच में उसमें जो टर्म्स आफ रैफरेन्स है उसमे यह मामला विवादास्पद हो गया है कि इन परियोजनाओं के अन्दर कोई राजस्थान का हिस्सा है या नहीं है। पहले हमारा जितना प्रतिशत था, अब यह जो समझौता हुआ है उसमें यह सभी मामला विवादास्पद हो गया है। अब यह भी पता नहीं है कि इसमें राजस्थान का कोई हिस्सा है या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो टर्म्स एण्ड रैफरेन्स हैं, उनको पढ़ना चाहूंगा।

"Are the States of Haryana and Rajasthan entitled to a share in the power generated in the Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project,

श्री राम किशोर मीणा)

U. B. D. C. Stage II and Shahpur Kandi Hydel Scheme."

अब इसी में दूसरा है इसमें "If they are, what would be the share of each State."

तो, अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के तहत या जो समझौता हुआ उसके तहत क्या कोई राजस्थान का क्लेम हिस्से का बना है या हमारा क्लेम खत्म हो जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर पेरवी की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस बात से सदन पूरी तरह से परिचित है कि पंजाब इस बात के अन्दर डिस्प्यूट करता है, वह तो कहता है कि आपका इसमें हिस्सा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। क्योंकि इन्डस बेसिन वेली में जो तीन नदियां हैं उनमें जो भी योजना बनेगी उसमें राजस्थान पार्टनर है। यह जो इन्डिविजुअल स्कीम बनाई गई है इसमें पंजाब कहता है कि हमने इन्डिविजुअल स्कीम बनायी है उसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है, हमने कहा है कि इन्डिविजुअल स्कीम जो बनाई गई है वह कन्जम्पशन के लिए नहीं बनाई गयी है, यह तो इरीगेशन और पावर के लिये बनाई गयी है। इसलिए इसमें डेफिनैटली हमारा हिस्सा बनता है, हमारा क्लेम है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो····

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया जब स्वयं यह मानती हैं कि हमारा क्लेम अच्छा बनेगा....

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमारा क्लेम अच्छा बनेगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा क्लेम जरूर बनेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार यह मानती है कि हमारा हिस्सा विवादास्पद है।

श्रीमती कमला : मानिये या मत मानिये it is a fact which has been disputed for so many years, and the Government has been agitating for it.

सुश्री पुष्पा जैन : Is that your opinion ? जब यह ओपीनियन है तो फिर कैसे मान लिया जाय कि हमारा हिस्सा है।

श्रीमती कमला : आपके सामने भैरों सिंह जी बैठे हैं उनको पता है।

सुश्री पुष्पा जैन : सवाल भैरोंसिंह जी का नहीं है, मेरे प्रश्न का है।

श्रीमती कमला : जो फैक्ट है it is a disputed case.

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदया, मेरे सवाल की बात है आप उसका जवाब दें।

श्रीमती कमला : यही जवाब दे रही हूं, यह सच है ।

(व्यवधान)

इतना एजिटेट होने की क्या बात है । सीधी सच्ची बात है पंजाब मान नहीं रहा है और हम हर बार बराबर मांग कर रहे हैं । हमने भारत सरकार से पंजाब सरकार पर दबाव डलवाया है, हमने सब कुछ किया पर पंजाब नहीं मानता है ।

सुश्री पुष्पा जैन : पंजाब नहीं मानता है तो हमने कैसे मान लिया है कि हमारा हिस्सा है या नही है ।

श्रीमती कमला : हम तो मानते हैं कि हमारा हक है, हमारा हिस्सा बनता है जब हायर ग्राथोरिटीज या किसी एजेन्सीज को ग्रारबीट्रेशन में केस दिया हुआ है तो नैचुरली पोइन्टेडली फैसला दिया जायेगा । वह नही मानते हैं तो उनको मानना पड़ेगा । वह किस तरह से मना कर सकते हैं । कोई फेयर जजमेन्ट होगा उसको मानना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि जो एग्रीमेन्ट हुग्रा है या उसके ग्रतिरिक्त जो इन्डिपेन्डेन्ट योजनायें बनायी गयी हैं जिसके लिये सुप्रीम कोर्ट में गये है क्या उसमें ग्रापने पंजाब सरकार का इस ग्राधार पर विरोध किया है कि जब तक इन परियोजनाग्रों के हिस्से का फैसला नही हो जाता है, क्योंकि पंजाब उसको डिनाई करता है, तब तक पंजाब सरकार को कोर्ट इस बात के लिये रेस्ट्रेन कर दे कि वह इन नदियों पर किसी प्रकार की नई योजनायें नही बनायें ?

श्रीमती कमला : इसी सिलसिले में जो एग्रीमेंट लिखा गया है कि इसकी सुप्रिम कोर्ट से ग्रोपीनियन लेने के लिए भारत सरकार इसकी व्यवस्था करे क्योंकि ग्रापने जो प्रस्ताव दिया है पहले समय में भी ग्रौर ग्रभी इस सरकार के समय में भी काफी चर्चा हुई है ग्रौर हाइएस्ट लीगल ग्रथारिटी से इस बारे में राय भी ली गयी है ग्रौर उसमें यह उचित समझा गया कि यह रास्ता हमारे लिए ज्यादा मददगार होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ग्राया । मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा सा है । यह एग्रीमेन्ट करने के बजाय क्या राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि हम न्यायालय के पास जाकर, न्यायालय से पंजाब सरकार के खिलाफ, जो परियोजना निर्माण कर रही है उनके खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करते ?

श्रीमती कमला : यह तो मैंने ग्रभी जवाब दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जवाब दिया ?

श्रीमती कमला : हमने इस प्रस्ताव को हमारी स्टेट के हक में ज्यादा उपयोगी ग्रौर प्रभावी मानकर इसको ग्रपनाया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं समझा नहीं। आप समझ गये हों तो बता दीजिए ? मैं तो नहीं समझा। मेरा क्वेश्चन सीधा सा है कि यह जो हमने एग्रीमेंट किया और दूसरा एग्रीमेन्ट नहीं कर रहे हैं और प्रश्न यह उठा कि पंजाब सरकार आनन्दपुर साहिब या मुकेरियान का निर्माण कर रही है और रावी, व्यास और सतलज आदि नदियों के पानी का उपयोग किया जायेगा और हमारी भी उस पानी के अन्दर पार्टनरशिप है और जब तक पार्टनरशिप का डिसीजन नहीं हो तब तक इस प्रकार के स्टे आर्डर इश्यु करें जिससे पंजाब सरकार इस प्रकार के कार्यों का निर्माण बन्द करे।

श्रीमती कमला : यही तो मैंने निवेदन किया कि इसी मुद्दे पर सारा कन्सन्ट्रेशन होकर हाइएस्ट लीगल अथारिटी से राय ली जाकर उस कोर्स को नहीं अपनाकर इसको अपनाना स्टेट के हक में ज्यादा अच्छा समझा गया इसलिए यह किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आपको यह ओपीनियन मिली है कि पंजाब सरकार के खिलाफ हम स्टे आवंटन नहीं कर सकते ?

श्रीमती कमला : यह तो जब कोर्ट में हम केस ले जाते तब की बात थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओपीनियन मिली है क्या आपको ऐसी ?

श्रीमती कमला : डेफीनेट ओपीनियन मैं आपको यहां पर नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास अभी रिकार्ड मौजूद नहीं है और क्या क्या प्रोसीजर हुआ, किस ढंग से उसमें क्या ओपीनियन आई और क्या फाइनल डिसीजन आया यह मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मैं हाउस में यही निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने सारे आस्पेक्ट्स को कन्सीडर करके, सारी शर्तें जो भी हो सकती है उन सब को कन्सीडर करने के बाद स्टेट के इन्ट्रेस्ट में ज्यादा उपयोगी मानकर इस एग्रीमेन्ट को किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि गत बजट सत्र में सिंचाई मन्त्री श्री परसराम जी मदेरणा ने इसी सदन के अन्दर सरकार की तरफ से वक्तव्य देते हुए बताया था कि जब तक आनन्दपुर साहिब में हमारे हिस्से का निर्णय नहीं होता उस समय तक आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल तथा नांगल डेम से पानी नहीं लिया जा सकता। अगर लेने की स्थिति पैदा की जायेगी तो हमने कानूनी स्थिति का अध्ययन करा लिया है और हम किसी भी कोर्ट से स्टे आर्डर ला सकते हैं।

श्रीमती कमला : उस स्टेटमेन्ट का अभी मुझे ध्यान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, किस को कहें। वह तो अभी है नहीं। वह तो जान बूझकर आये नहीं। मैं यह जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय क्या यह बता सकती हैं कि यह एग्रीमेन्ट करने से पहले किसी एडवोकेट से आपने ओपीनियन ली थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा बिजली में जो क्लेम बना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ है वह इस एग्रीमेन्ट के कारण नेगोसियेबल नहीं बनता ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी कोई स्टेट गर्वमेन्ट कहीं एग्रीमेन्ट करती है, कोई अपना डाकुमेन्ट तैयार करती है तो बिना कानूनी सलाह के तो कोई भी नहीं करती। कानूनी सलाह के बिना कोई स्टेट गवर्नमेन्ट कहीं भी कोई एग्रीमेन्ट नहीं लिखती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीमेन्ट लिखने का सवाल नहीं है। एग्रीमेन्ट कमरे में बना, एग्रीमेन्ट बना हुआ होता है और कमरे में जाकर दस्तखत कर दिये और वापस बाहर आ गये।

श्रीमती कमला : बना हुआ नहीं रहता। ऐसी बात नहीं है। पहले एग्रीमेन्ट का ड्राफ्ट बनता है। उस पर पूरी कौंसिल चर्चा करती है। जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री हैं वह इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में सारी बारीकियों को देखकर जो स्टेट के इन्ट्रेस्ट में बैस्ट लेंग्वेज, बैस्ट वर्डस हो सकते हैं उसको तैयार करके एग्रीमेन्ट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कमला जी नहीं थी वरना इन्दिरा जी की हिम्मत नहीं होती कि राजस्थान से एग्रीमेन्ट करा लेती। इनको तो इस एग्रीमेन्ट के पहले कोई नेगोसियेशन की कहीं जानकारी नहीं है। जिस समय एग्रीमेन्ट हो गया तब जाकर इनको जानकारी दी गयी है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के समय यदि मुख्य मन्त्री जी उपस्थित होते जिन्होंने एग्रीमेन्ट साइन किया है तो ज्यादा उपयुक्त होता। वह कह रही हैं वह सिन्सीयरली कह रही हैं, मैं नहीं कहता कि वह कोई तथ्य छिपा रही है लेकिन वास्तविकता मुख्य मन्त्री जी को मालुम है। मुख्य मन्त्री जी को ऐसे इम्पोर्टेंट मसले के समय उपस्थित रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से किसी भी विभाग का प्रश्न हो तो चाहे मन्त्री हो, चाहे उपमन्त्री हो पूर्णरूप से उत्तर देने में सक्षम होते हैं। आपने यह कहा है कि मेरे पास पुरानी सूचना है। आपने कुछ प्रश्न पूछा जिसका संबंध इस प्रश्न से नहीं था। उसके बारे में कहा कि सदन में ऐसा मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो रेलेवेन्ट है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय रोपड़ के मामले में जवाब दिया तो विद्युत मन्त्री को जवाब देना था और कमला जी ने उत्तर दिया। जब आनन्दपुर साहिब के बारे में सदन में चर्चा हुई उस समय जवाब दिया मुख्य मन्त्री जी ने और परसराम जी ने दिया........

श्री अध्यक्ष : एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग विषय के। आपके दल की ओर से भी उपस्थित माननीय सदस्य विद्युत विषय पर एक्सपर्ट हैं वह बोलते हैं........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप समझते हैं कि बिजली के मामले में कमला जी एक्सपर्ट नहीं हैं ?

श्रीमती कमला : पावर प्राजेक्ट का इतना डिस्प्यूट नहीं था जितना यह कि रोपड़ से पानी दिया जाये या नहीं, और किया जाये या नहीं किया जाय, कितना क्युसेक्स रिलीज़ किया जाये, It was basically a water problem and not Power problem. पावर का तो डिस्प्यूट कहीं कुछ नहीं था। उन्होंने थर्मल प्राजेक्ट तैयार कर लिया और अनआथोराइज्ड कर लिया, लेकिन जो डिस्प्यूट था वह यह था कि पानी रिलीज करें या नहीं। इसलिए परसराम जी ने उसका जवाब दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक प्रश्न आता है कि उन्होंने प्राजेक्ट खड़ा कर लिया, इंजिन लगा लिया, मशीनरी लगा ली, वह कुछ भी करें क्योंकि धरती उनकी है, लगा लिया, लेकिन अगर हम पानी रिलीज नहीं करें तो बिजली पैदा नहीं होगी। पानी रिलीज करने का प्रश्न जब आया तो यदि हम आनन्दपुर साहिब से पानी रिलीज नहीं करते तो पंजाब सरकार, आप कह रहें हैं मानती नहीं, वह पंजाब सरकार अपने आप मान लेती।

श्रीमती कमला : यही तो झगड़ा पड़ा हुआ है जिसके कारण इतनी सारी बातें हुई। क्लेम्स और काउन्टर क्लेम्स चले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल वक्तव्य दे रहे हैं इस एग्रीमेन्ट के बारे में। रोपड़ वाले मामले में ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचार कब करेंगे ? अगर वक्तव्य दिलाया जाये तो पीछा अभी छोड़ें।

श्री अध्यक्ष : अभी तो आप पीछा छोड़ ही दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वक्तव्य दिला दें। इस पर डिबेट होनी चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया था कि यह मसला कोई हमारी पार्टी या दूसरी पार्टी का नहीं है। यह मसला पूरे राजस्थान का है। राजस्थान की विधान सभा में कान्ट्रेक्ट को नहीं रखा जाये। यह सरकार तय कर रही है कि हम कागज दिखाकर अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेंगे........

श्री अध्यक्ष : विचार करूंगा आपसे भी बात करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल भी बात हो गयी थी। मैंने कहा था कि आज स्टेटमेन्ट दिलायें।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा। कार्यसूची दोनों दिनों की काफी लम्बी है। क्योंकि कल आपने दो मुद्दे उठाये उसमें फाइनेन्स कमीशन वाला आज आ गया है। कितना समय बचता है और सरकार इस स्थिति में है या नहीं है, मैं चैम्बर में जाते ही इस पर विचार करूंगा। आपकी राय जानूंगा और उनकी भी जानूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे आप बता दीजिए कि इस पर वक्तव्य आयेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो प्रश्नकाल है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसे एग्रीमेन्ट को हाउस की टेबल पर गवर्नमेन्ट क्यों नहीं रखती। जितने एग्रीमेन्ट किये हैं हाउस की टेबल पर रखे जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया अलग अलग माननीय नेताओं से बात करके बताऊंगा।

श्रीमती कमला : एग्रीमेन्ट की कापी तो हाउस की टेबल पर रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यही समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े एग्रीमेन्ट किये जाते हैं जिनका राजस्थान की पापुलेशन से संबंध है, प्रासपेरिटी से संबंध है कल भी पूछा था........

श्री अध्यक्ष : मुझे क्षमा करे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने कहा था कल तो नहीं हो सकता, परसों होगा।

(12.00 मध्यान्ह)

अध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत क्या हो गई गवर्नमेंट को ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे बात करूंगा, उनसे बात करूंगा।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ....

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रश्न संख्या 146। कोयले का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : 146 ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 7।

श्री अध्यक्ष : 7 नहीं आयेगा। 146।

राज्य को कोयले का आवंटन

146. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) एवं **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवंटित कोयले के कोटा की मात्रा कम कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से और क्या ?

(2) पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार को कुल कितना वैगन हार्ड एवं सोफ्ट कोयला आवंटन हुआ तथा कितना उठाया ? कृपया वर्ष 1984-85 के सितम्बर माह सहित वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इस वर्ष कम कोयला आवंटन होने का क्या कारण है तथा अब तक कुल कितना कोयला उठा लिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण उपभोक्ताओं

(श्री दाऊदयाल जोशी)

को अनावश्यक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(5) जनता को कोयला उचित दाम एवं पर्याप्त मात्रा में मिल सके इस हेतु क्या राज्य सरकार शीघ्र कोई उचित व्यवस्था करेगी ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद (श्री घांसी राम यादव) : (1) जी हां । कोयले का उत्पादन कम होने के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित कोटे की मात्रा माह जनवरी, 1984 से 3300 वैगन प्रति वर्ष से घटाकर 1800 वैगन प्रतिवर्ष कर दी गई हैं ।

(2) मानचित्र संलग्न है ।

(3) इस वर्ष भारत सरकार द्वारा कोयले का उत्पादन कम होने के कारण रेल्वे वैगनों की सीलिंग लिमिट 3300 वैगन से 1800 वैगन कर दी गई है। अब तक कुल 375 वैगन सोफ्ट कोक व 37 वैगन हार्ड कोक उठा लिया गया है । कुल 13 रेक प्रोग्राम स्वीकृत है जिसमें 2 रेक प्राप्त हो गई हैं व 11 रेक आने शेष हैं ।

(4) यह सही नहीं है, राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हितों के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक है और जनहित को दृष्टिगत रखते हुये ही केन्द्र सरकार, रेल्वे बोर्ड, भारत कुकिंग कोल लि. कलकत्ता से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये है । इस वर्ष राज्य सरकार के अथक प्रयासों से रेल्वे बोर्ड द्वारा राज्य को 13 रेक चालू वर्ष के लिये सोफ्ट कोक दिया जाना स्वीकृत किया गया है ।

(5) राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक मात्रा में और उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराने के लिए निजी सप्लायर्स के अलावा नेशनल कन्जूमर्स कोआपरेटिव फैडरेशन, नई दिल्ली की जयपुर शाखा को भी राज्य में कोयला लाने के लिये अधिकृत किया गया है । चूंकि यह भारत सरकार का सहकारी संस्थान है व इसके पास पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक साधन उपलब्ध हैं, अतः यह आशानुकूल कोयला लाने में समर्थ सिद्ध होंगे ।

(मानचित्र के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, कृपया यह बतायें, जब से आपने यह नई पद्धति अपनाई हैण्डलिंग एजेन्टों से, निजी स्वार्थ के कारण, यह कोयला घटता चला गया । सन् 1980 में राज्य सरकार ने कोयले के उत्पादन की कमी के कारण यह कटौती नहीं की, बल्कि इसलिये कटौती की कि आम आदमियों को कोयला मुहैय्या न हो, मंहगे भाव से बेचा जाये, इसलिये सन् 1980 में आवंटित 3300 वैगन के अगेंस्ट आपके हैण्डलिंग एजेन्टों ने वैगन उठाये 533, सन् 1980 में 3300 की बजाये उठाये 562, सन् 1982 में 3300 की बजाये उठाये 614 । इसलिए सन् 1983 में भारत सरकार ने अब आवंटन कम कर दिया । 3300 वैगन की जगह केवल 75

(28)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वैगन कोयला उन्होंने उठाया। इसी प्रकार से हार्ड कोक जो आपको 1200 वैगन मिलता था सन् 1980 में केवल 19 वैगन उठाये, सन् 1981 में 19 वैगन उठाये, सन् 1982 में 40 वैगन उठाये और सन् 1983 में 186 वैगन उठाये और सन् 1984 में अब तक 1200 की बजाये केवल 75 वैगन उठाये। माननीय मंत्री कृपा करके यह बतायें, क्या यह कोयला ठीक प्रकार से नहीं उठाने के पीछे कोई योजनाबद्ध षडयन्त्र आपका या आपके मंत्रीमण्डल का था जिससे आम आदमी को यह कोयला सस्ती दर पर मुहैय्या न हो सके।

दूसरा मेरा प्रश्न है, यह तो हैण्डलिंग एजेन्टों ने नहीं उठाया, क्या रसद विभाग ने इस बात की सूचना इन हैण्डलिंग एजेन्टों को दी थी कि वे राज्य में कहीं भी कोयला बेच दें? कोयला लिया और राज्य के भिन्न भिन्न कोनों में मनमाने भाव से और मनमाने तरीके से साफ्ट और हार्ड कोक दोनों कोयला इसी प्रकार से बेचा गया।

तीसरा मेरा प्रश्न है, आप कह रहे हैं हमने इन एजेन्टों से बातचीत की। क्या यह सही नहीं है कि लघु उद्योग निगम ने यह कोयला सीधा खानों से मंगाने के लिये आपके यहां प्रार्थना पत्र दिया हुआ है उसको न देकर आपने मन चाहे एजेन्टों को कोयला उठाने की आज्ञा दी है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि यह कोयला इसलिए कम किया गया है क्योंकि हम पिछले कई सालों से निरन्तर कम मंगा रहे हैं, यह बात गलत है, यह कारण नहीं है। भारत सरकार ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घासीराम यादव : चूंकि साफ्ट कोक नेचरल कोक नहीं है, यह जलाकर बनाया जाता है, इसलिए सारे ही प्रदेशों में इसका उत्पादन कम हो रहा है तो सारे ही प्रदेशों में करीब करीब आधा कर दिया। मेरे पास लिस्ट है, मैं लेकर नहीं आया लेकिन माननीय सदस्य यदि चाहें तो दिखा सकता हूं सारे भारतवर्ष में, जो हमारे पास सूचना आयी है, उत्तर प्रदेश, गुजरात हरियाणा इन सब का आधा कर दिया, कम कर दिया गया है, सब का कम कर दिया। इसका मतलब जो कोटा देते हैं वह रेल्वे के जो वैगन देते हैं उससे जुड़ा हुआ है। मान लो मिलता है तो लेंगे, नही तो लेंगे। 1800 वैगन कोयले का मामला थोड़े ही है, यह तो रेल्वे का है, 1800 वैगन कोयला मिले, उत्पादन हो तो मिले। इसलिये उन्होंने कहा, बराबर ऐसा होता है। हर राज्य को कोयला मिलता नही है वैगन मंजूर कर लेते है इसलिए उन्होंने सोफट कोक जानबूझकर के पिछले साल से सारे भारतवर्ष में आधा कर दिया, हमारा भी 1800 वैगन कर दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जिस दिन से हैण्डलिंग एजेन्टों की स्थिति बनाई हैण्डलिंग एजेन्टों को काम दिया, दो साल तक पर्याप्त कोयला लाये किन्तु 1982 और 83 में एक चौथाई हिस्सा ही पहुंचा पाये हैं। इसलिए उन हैण्डलिंग एजेन्टों को आपने यह भी छूट दे दी थी रसद अधिकारी को इतला करने के बिना ही वे कहीं भी बेच सकते है, ओपन मार्केट में उन्होंने वेचा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हैण्डलिंग एजेन्टों की जो नियुक्ति आपने की थी वे जो कोयला थोड़ा बहुत लाये, आपको आवंटन किया था वह तो लाये नहीं, थोड़ा बहुत लाये और जिला रसद अधिकारी अनुमति के बगैर मनमाने ढंग से चाहे जहां बेचा और कन्ज़्यूमर देखते रहे ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि रसद विभाग की इस विफलता की वजह से उद्योग विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि उद्योगों को डाइरेक्ट कोयला भेजा जाये, जिससे जो कन्ज़ूमर, खाना बनाने वाले लोग हैं, उनको महंगा कोयला मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है । एक तरफ वे लुट रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरी तरफ आप उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं । गैस, वह भी नहीं....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर न हों, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : खाना बनाने के लिए कोयला मिलता नहीं है, बड़ी असुविधा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय आपको स्मरण होगा, पिछली बार सेशन में आधे घंटे की चर्चा हुई थी, आपने बात की थी । क्या यह सच है कि सन् 82 के पहले 6 ऐसी फर्मे हैं जयपुर की जिनको यह कोयला उठाने के लिये आपने अनुज्ञा पत्र जारी किया ? उसके बाद सन् 83 में केवल 3300 वैगन के अगेंस्ट में 75 वैगन और उधर आपका हार्ड कोक 1200 वैगन के अगेंस्ट केवल 75 वैगन उन्होंने उठाया है, उनके नहीं उठाने के कारण से कम हुआ है ?, नहीं तो यह बतायें कि उत्पादन पिछले चार सालों में हिन्दुस्तान में क्या था ? क्या एक साल में उत्पादन इतना कम हो गया जिसका कारण उत्पादन कह रहे हैं उत्पादन क्या था और इस साल क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही थी, पिछले साल कुछ हैण्डलिंग एजेन्ट कोयला लाये नहीं और पिछले साल कम आया । यह बात तो सही है कि वे लाये नहीं और फिर बाद में उनको मिला नहीं । अब

(श्री घासीराम यादव)

अक्टूबर आ गया, दिसम्बर तक कोटा नहीं आता है तो रेल्वे वाले कहते हैं कि यह कोटा तो मिलता नहीं है। इसलिये जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बिना रसद अधिकारी की अनुमति के उन्होंने अच्छी दर पर वह कोयला बेचा था। साफ्ट कोक पर हमेशा कमीशन रहा है। कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है कि जो साफ्ट कोक लाये हों और बिना दर पर बेचा हो। फिर भी हम उनको बराबर लिख रहे हैं और उनका कहना है कि साफ्ट कोक तो नहीं है हम दूसरा कोयला भेज सकते हैं। इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि दूसरे कोयले पर पहले दरें नहीं लगाई थीं वह दरें लागू कर दें। इसके अलावा....

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, दस महीने गुजर गए हैं। पहले तो हमारा कोटा ही कट गया। दस महीने निकल जाने के बाद जितना कोयला मिलना चाहिए था, नहीं आ पाया है। 13 वैगन आने थे उसके बजाय दो वैगन मंगाये है। यह की यह स्थिति आप इस साल भी बनाने वाले हैं। जिसके कारण से कन्जूमर को कितनी तकलीफ हो रही है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसको दुगुने भाव देने पड़ रहे हैं। सौ रुपये में भी एक क्विण्टल कोयला नही मिल रहा है।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। मैं सदन को एक बात कहना चाहता हूं कि कोयले के बारे में माननीय सदस्य जो सवाल करते हैं उसकी गहराई में जावें। यहां पिछले सालों में भी कम कोयला आया था। मैंने भी पूछा था कि कम कोयला आया तो भाव क्या हैं। भाव वही 66) रुपये के करीब हैं। इसका कारण यह है कि वे रोड से ले आते हैं और लाकर के कम्पीटिशन में 66)रु. के भाव में ही बेचते हैं।

(व्यवधान)

इसके अलाव जो उन्होंने कहा है, अभी गुजरे पांच सालों में भी कोयला कम आया है। पहले सन् 1980 में भी 38 वैगन ही आए थे 1981 में 40 वैगन आए थे। तो आते ही कम हैं। अब की दफा उनको हटा करके हमने प्रयत्न किया है। हमारे आफिसर्स गए हैं। कलकत्ता में जो पूजा का उत्सव चल रहा था उस वक्त में भी उनसे मीटिंग करके यह कहा गया है कि 36 वैगन का और कोटा देंगे और दिसम्बर तक कोटा पूरा कर देंगे। इस साल पिछले साल से कहीं ज्यादा कोयला आएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया समय की बचत करें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोयला मिल नहीं रहा है....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 155 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। छः सौ रुपये उनको कर्ज दिया है और छः सौ रुपया राज्य सरकार ने अनुदान दिया है फिर भी 1500 रु. की कुर्की कर रहे हैं। गरीब लोगों की कुर्कियां हो रही हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। अन्य किसी माध्यम से उठायें। मैं उसमें व्यवस्था दे दूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, उसका तो अब समय ही नहीं है। आप राज्य सरकार से केवल उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बी सूची है, माननीय सदस्य समय न लें।

श्री मोहनलाल मोदी : उन बुनकरों को कर्ज मुक्त करना चाहती है या नहीं राज्य सरकार? वह हाथ करघे वापस ले लें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों लोग इसमे तबाह हो रहे हैं। यह जनता पार्टी के शासन के वक्त का मामला है।....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम गंगवाड़ा. तहसील बोंली का विद्युतीकरण

172. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर की तहसील बोंली के ग्राम गंगवाड़ा के सन् 1983 में विद्युतीकृत करने हेतु घोषित किया गया था? यदि हां, तो अगस्त, 1984 तक उक्त ग्राम में कितने मकानों को तथा कितने कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिया गया है? कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तारीख 17-11-83 को मकानों में कनेक्शन के संदर्भ में डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करा दिये गये थे? यदि हां, तो अगस्त, 1984 तक कुल कितने लोगों का पैसा जमा हो गया था और अब तक कनेक्शन नहीं देने का क्या कारण रहा?

(3) क्या यह भी सही है कि उपभोक्ताओं के नाम मीटर्स भी दे दिये गये हैं? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) ग्राम गंगवाड़ा तहसील बोंली जिला सवाईमाधोपुर को मार्च 82 में विद्युतिकृत घोषित किया गया था।

× × × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ऊर्जा मंत्री)

अगस्त 84 तक 5 कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया है जिनकी नामवार सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। ग्राम गंगवाड़ा में कोई भी घरेलू कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(2) दिनांक 17-11-83 तक 15 तथा अगस्त, 84 तक 17 आवेदकों ने डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करा दिये थे। दिनांक 30-5-84 को इनमें से 14 आवेदकों के "एल" फार्म प्राप्त हो गये हैं, जिनके कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही उन्हें कनेक्शन दे दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। आवेदन कर्ताओं के नाम से मीटर्स नहीं दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट '4' देखें।)

ग्राम डागला की विद्युत लाइन

173. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डागला तहसील जैतारण (पाली) की विद्युत लाइन गत एक वर्ष से गिरी हुई पड़ी है जिससे किसानों को भारी परेशानी हुई है ? यदि हां, तो वह कब तक खड़ी कर दी जायेगी ?

(2) अब तक उक्त स्थिति में रखने के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी या की जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम मोहराई से डागला तक की 11 के.वी. लाइन (लगभग 2.5 किमी.) माह जुलाई, 83 में अतिवृष्टि के कारण गिर गई थी। ग्राम डागला में कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का प्रश्न ही नहीं उठता। लाइन का कार्य प्रगति पर है एवं दिनांक 20.10.84 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) प्राकृतिक कारणों से लाइन गिर जाने के कारण कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। उक्त लाइन का रास्ता नदी में से होकर जाता है एवं साधारणतः खराब ही रहता है। ग्राम डागला में कोई भी कनेक्शन नहीं होने के कारण इस कार्य को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई।

जिला नागौर में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति।

174. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में किस-किस स्थान पर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रियाशील हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) 30 अगस्त, 1984 तक निर्वाचन क्षेत्र नागौर के उक्त विद्यालयों में किस-किस में अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त थे

(श्री महाराम चौधरी)

और क्यों ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) 30 अगस्त, 1984 को निर्वाचन क्षेत्र नागौर के विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । यह पद सेवा निवृति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के कारण रिक्त थे ।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें ।)

मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों के ग्रामों का विद्युतीकरण

175. **श्री भैरूंसिह गुर्जर** (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान कितने कुओं, उद्योगों व घरों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ? कृपया ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन पंचायत समितियों में इस दौरान अनुसूचित जाति की कितनी वस्तियों में एवं किन किन ग्रामों को रोड लाइट व मोहल्लों में बिजली देकर लाभान्वित किया गया ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में माह अप्रेल, 80 से सितम्बर 84 के दौरान ग्राम वार दिये गये कुओं, उद्योगों व घरेलू विद्युत कनेक्शन्स की संख्या दर्शाते हुए सूची "अ" संलग्न है ।

(2) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त पंचायत समितियों में विद्युतिकृत अनुसूचित जाति की वस्तियों का ग्रामवार विवरण तथा इनमें रोड लाइट के लिये दिये गये कनेक्शन्स की सूची "ब" संलग्न है ।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ठ '6' देखें)

जिला झालावाड़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

176. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) **श्री अनंग कुमार जैन** (झालावाड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में सन् 1980 से सितम्बर, 1984 तक कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया तथा कितने ग्रामों

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

को विद्युतीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) उपरोक्त अवधि में कितनी हरिजन बस्तियों तथा अनुसूचित जाति के ग्रामों में बिजली प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाई गई ? कृपया बस्तियों तथा ग्रामों की नामजद सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) जिले में किन-किन तहसीलों में किन-किन ग्रामों के किसानों को कुओं पर कनेक्शन दिये गये तथा ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और क्यों ?

(4) अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कितने कुओं पर कनेक्शन दिये गये ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में अप्रेल 1980 से 11 सितम्बर 1984 तक कुल 286 नये ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जिनमें से 112 ग्रामों को विद्युतिकृत किया जा चुका है । स्वीकृत ग्रामों की पंचायत समितिवार संख्या बताते हुये सूची परिशिष्ठ "अ" संलग्न है । विद्युतिकृत ग्रामों की सूची "ब" भी संलग्न है ।

(2) झालावाड़ जिले में अप्रेल 1980 से 11 सितम्बर 1984 तक 103 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई गई । ग्रामवार बस्तियों की संख्या दर्शाते हुये सूची "स" संलग्न है ।

(3) अप्रेल 1980 से 11 सितम्बर 1984 तक कुल 1931 कृषि कनेक्शन निम्नानुसार दिये गये हैं :—

क्रमांक	नाम तहसील	संख्या
1.	खानपुर	289
2.	झालरा पाटन	495
3.	अकलेरा	185
4.	पचपहाड़	361
5.	पिड़ावा	530
6.	गंगधार	71
	योग	1931

इस जिले में दिनांक 1.4.1984 को कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्र 3399 थे, जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्न है :—

क्रमांक	पंचायत समिति	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या
1.	खानपुर	533
2.	झालरापाटन	1041
3.	बकानी	225
4.	मनोहरथाना	119
5.	पिड़ावा	1049
6.	डग	432
	योग	3399

(श्री ऊर्जा मंत्री)

उपलब्ध वित्तीय साधनों को एवम् विद्युत उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये मण्डल के फेज प्रोग्राम के तहत ही कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं। अतः सीमित संख्या में कनेक्शन दिये जाने के कारण आवेदन पत्र विचाराधीन रहना स्वाभाविक है।

(4) अप्रेल 1980 से 11 सितम्बर 1984 तक कुल 130 अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कुओं के कनेक्शन दिये गये।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ठ '7' देखें)

पाठ्यक्रम समितियां

177. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों अथवा विषयों के वर्गों अथवा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम समितियों की नियुक्ति की जाती है ?

(2) यदि हां, तो इन समितियों की सदस्यता की क्या पात्रता है और उनको नियुक्त किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बोर्ड में वर्तमान में कार्यरत पाठ्यक्रम समितियों की नियुक्तियों में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी पाठ्यक्रम समितियां कार्यरत हैं, उनकी नियुक्ति कब की गई थी और प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पाठ्यक्रम समितियों को सदस्यता की पात्रता हेतु बोर्ड विनियम 3 एवं 3 (अ) अध्याय-6 तथा विनियम 2 अध्याय-5 के प्रावधानुसार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हाँ, वर्तमान पाठ्यक्रम समितियों की नियुक्तियों में उक्त प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है। वर्तमान में कार्यरत 28 पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों का बोर्ड की बैठक दिनांक 28 व 29 जुलाई 1982 के निर्णय संख्या 2 (1 से 5) के अन्तर्गत निर्वाचन हुआ है। तदनुसार 28 पाठ्यक्रम समितियों के सदस्यों की सूची सलंग्न है।

(विवरण एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ '8' देखें।)

मार्च 1984 में आयोजित परीक्षा कार्यों के सन्दर्भ में अध्यापकों को भुगतान

178. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा), **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा मार्च, 1984 में आयोजित परीक्षाओं पर हुए खर्चे, जैसे प्रश्नोपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिकाऐ जांचने, वीक्षण कार्य आदि का भुगतान अध्यापकों को अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1985 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों का परीक्षा शुल्क प्राप्त होने पर इन अध्यापकों को भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इससे शिक्षकों में असन्तोष व्याप्त होता है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सन् 1984 की परीक्षाओं के सुपरवाइजर इन चीफ, अमुवित निरीक्षण, उड़न दस्ते तथा प्रायोजिक परीक्षकों के प्राप्त विलों का भुगतान कर दिया गया है तथा वीक्षण कार्य के विलों का भुगतान आधे से अधिक केन्द्रों का कर दिया गया है । शेष केन्द्रों के प्राप्त विलों का भुगतान जो नियमानुसार सही है, अक्टूबर माह में कर दिया जावेगा । उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण तथा उत्तर पुस्तिका जांचने के विलों का भुगतान अभी नहीं किया गया है । इन विलों का भुगतान बोर्ड नियमानुसार पूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने पर किया जाता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) शिक्षकों में उक्त कारण से असन्तोष व्याप्त होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि परीक्षाओं के लिये अनुदेश पत्र में ही इस बात का उल्लेख है कि इनके पारिश्रमिक विलों का भुगतान पूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने पर दिसम्बर माह के अन्त तक किया जायेगा ।

तहसील थानागाजी में कन्या विद्यालय

179. **श्री धूणी लाल गुप्ता** (थानागाजी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील थानागाजी में कितने कन्या विद्यालय क्रियाशील हैं तथा इस तहसील में सन् 1984-85 सत्र में कितने कन्या स्कूल खोलने का विचार है ?

(2) क्या इन सभी विद्यालयों में अध्यापिकायें ही पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कन्या विद्यालयों में महिलाएं अध्यापिकायें ही रखने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) तहसील थानागाजी में निम्न कन्या विद्यालय है :-

(श्री शिक्षा मन्त्री)

1. राजकीय वालिका माध्यमिक विद्यालय, थानागाजी।
2. राजकीय वालिक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़।
3. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, अजयपुरा।
4. राजकीय वालिका प्राथमिक विद्यालय, थानागाजी।

सन् 1984-85 में नये विद्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है।

(2) राजकीय वालिका माध्यमिक विद्यालय, थानागाजी में दो अध्यापक महिला नहीं है। शेष सभी वालिका विद्यालयों में अध्यापिकायें ही पदस्थापित है।

(3) कन्या विद्यालयों में जहां तक सम्भव हो महिला अध्यापिकायें ही पदस्थापित किये जाने की राज्य सरकार की नीति है।

कस्तूरबा नारी शाला, अजमेर दुःखान्तिका

180. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर स्थित कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय में गत दिनांक 20.7.1984 को घटित दुःखान्तिका का उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु जांच कराई गई थी? यदि हां, तो यह जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या उसने जांच कर रिर्पोट प्रस्तुत कर दी? कृपया जांच रिर्पोट सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार के विद्यालयों के भवनों के निरीक्षण की रीति के अनुसार इस विद्यालय के निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था और इसने शिक्षा सत्र 1981–82 से 1984-85 तक के लिए कब-कब इस विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया और उसके क्या परिणाम रहे? कृपया निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) इस दुःखान्तिका के बाद से अब तक सरकार द्वारा इस विद्यालय के संचालकों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई और अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी, हां अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा दिनांक 20-7-84 तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिनांक 24-7-84 को कस्तूरबा नारी शाला, अजमेर में दिनांक 20-7-84 को घटित दुखान्तिका की जांच की गयी। जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) निरीक्षण की नीति के अनुसार वरिष्ठ उप बाल जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) एवं अलवर जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर का उत्तरदायित्व था। वर्ष 81-82 से 84-85 की अवधि में संस्था का निरीक्षण दिनांक 25-11-83 को दिया गया। प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) दुर्घटना के पश्चात् संस्था के संचालकों के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की गयी :–

(श्री शिक्षा मन्त्री)

1. दिनांक 21-7-85 से संस्था की मान्यता समाप्त कर दी गयी परन्तु विधालय में कार्यरत अध्यापकगणों में संस्था एवं विभाग के विरुद्ध दीवानी दावा 144|84 दिनांक 11-9-84 को प्रस्तुत किया सुनवायी की आगामी तिथि 2-11-84 निश्चित है।

2. संस्था के संचालकों के विरुद्ध अभियोग सं. 150 धारा 304 88 एफ. आई. आर. दर्ज की जाकर अनुसन्धा कार्यवाही की जा रही है।

3. अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी श्री ईश्वर थारोनी एवं श्री रामचन्द्र मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है।

4. राज्य सरकार जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(जांच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

उदयपुर-प्रतापगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग

181. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभ नगर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर-प्रतापगढ़ चलने वाली निजी बसों को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने की कितने किलोमीटर की छूट दे रखी है ?

(2) सरकारी नीति में राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी बसें चलाने की अनुमति कितने किलोमीटर की है ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर चलने वाली निजी बसों को राष्ट्रीयकृत मार्ग के 4-5 किलोमीटर के भाग पर चलने की छूट दी हुई है।

(2) 10 किलोमीटर के लिए।

बिलाड़ा व जैतारण में सुपर डीलक्स एवं द्रुतगामी बसों के स्टोपेज

182. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जोधपुर से जयपुर, जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली व दिल्ली से जोधपुर जाने वाली सुपर डीलक्स बसों व द्रुतगामी बसों का स्टोपेज बिलाड़ा-जैतारण नहीं रखा गया है, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इन स्थानों पर इनके ठहरने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि बिलाड़ा व जैतारण रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है व बसें ही एक मात्र आने जाने का साधन हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल जोधपुर-देहली डीलक्स सेवाओं का स्टोपेज बिलाड़ा व जैतारण पर नहीं रखा गया हैं क्योंकि इन स्थानों के लिये तथा इन स्थानों से सीधे यात्री इन सेवाओं को उपलब्ध नहीं होते हैं। जयपुर जोधपुर के बीच संचालित डीलक्स सेवाओं हेतु जैतारण स्टोपेज इसलिये नहीं रखा गया है क्योंकि जैतारण से जयपुर के लिये एवं जयपुर से जैतारण के लिये इन सेवाओं को सीधे यात्री उपलब्ध नहीं हैं। इन मार्गों पर संचालित सभी द्रुतगामी सेवाओं का स्टोपेज बिलाड़ा एवं जैतारण में रखा हुआ है।

(2) जी हां। उपलब्ध यात्री भार के अनुसार बिलाड़ा व जैतारण होते हुये पर्याप्त सेवाओं का संचालन किया जा रहा हैं।

भोज्याडंड में बस स्टेण्ड की व्यवस्था

183. **श्री राम कंवार बैरवा** (फागी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम का जयपुर आगार पश्चिम नारायण सिंह सर्किल से जयपुर से तितरिया के लिए बस सेवायें संचालित करता है ?

(2) क्या यह सही है कि चन्दलाई से आगे ग्राम भोज्याडंड में निगम का बस स्टेण्ड नहीं होने से यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है ?

(3) क्या राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए ग्राम भोज्याडंड में बस स्टेण्ड कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निगम का बस स्टेण्ड नहीं है।

(3) जी नहीं। ग्राम भोज्याडंड चन्दालाई से तितरिया के मध्य मुख्य सड़क से करीब डेढ कि. मी. अन्दर की ओर स्थित है तथा ग्रामवासी मुख्य सड़क पर आकर बसों में बैठते है। मार्ग के बीच में स्थित स्टेण्ड पर बस स्टेण्ड निर्माण कराने की कोई योजना वर्तमान में निगम के विचाराधीन नहीं है। निगम द्वारा स्थानीय नगर पालिका मण्डलों, ग्राम पंचायतों को ऐसे स्थानों पर यात्री प्रतीक्षालय व अन्य वांछित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रसंग किया हुआ है। शिवदानसपुरा से तितरिया तक का भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस मार्ग पर निजी बस सेवा भी संचालित है।

जयपुर-हमीरपुर सीधी बस सेवा

184. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि निगम की जयपुर से तहसील हमीरपुर के ग्राम टोडा-रायसिंह तक सीधी बस सेवा नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर से हमीरपुर सीधी बस सेवा हेतु संसद सदस्य, जिला प्रमुख, टौंक एवं नागरियों द्वारा सर-कार को पत्र लिखे गये है? यदि हां, तो बस सेवा कब तक चालू कर दी जावेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। निगम द्वारा जयपुर से टोडारायसिंह वाया डिग्गी मालपुरा राष्ट्रीय-कृत मार्ग पर बस सेवायें संचालित की जा रही है। जयपुर से डिग्गी सिरकना हमीर-पुर टोडारायसिंह मार्ग का सिरकना से हमीरपुर टोडारायसिंह तक का भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस पर निजी वाहने संचालित हैं। अतः जयपुर से हमीरपुर सीधी बस सेवा का संचालन वर्तमान में संभव नहीं है।

जिला टौंक में अनुसूचित जाति/जन जाति के विकलांग छात्रों को छात्रवृति

• **186. श्री महावीर प्रसाद** (टौंक): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिले में अनु. जाति अनु. जनजाति एवं विकलांग छात्रों को प्रत्येक को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) गत वर्ष एवं इस वर्ष किस-किस स्कूल अथवा कॉलिज के ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृति नही दी गई और क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल विकलांग छात्रों में से कुछ एक को छोड़ कर (प्रावधान की कमी के कारण) शेष टोंक जिले के सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्रवृति स्वीकृत की गई है।

(2) गत वर्ष केवल छोटी कक्षाओं के 140 विकलांग विद्यार्थियो के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा तथा महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी अनुसूचित जाति / जन जाति एवं विकलांग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति स्वीकृत करदी गई थी। इस वर्ष की छात्रवृतियां स्वीकृत करने की प्रक्रिया चालू है। अतः सूचना देना सम्भव नहीं है।

जिला टौंक में कृषि कूप ऋण पुनर्भरण योजना

187. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री महावीर प्रसाद)

(1) टौंक जिले में कृषि कूप ऋण पर ब्याज की पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से अब तक किस-किस ग्राम के किस-किस व्यक्ति की पुनर्भरण राशि जमा कराई गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह राशि उन व्यक्तियों के खाते में जमा नहीं हुई है एवं उन्हें पूरी राशि जमा कराने के लिए विभिन्न बैंकों से नोटिसेज प्राप्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में कृषि कूप पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 80-81 में कोई पुनर्भरण राशि जमा नहीं कराई गई। शेष वर्षों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। टौंक जिले में इस योजना के अन्तर्गत केवल भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये गये हैं जिन्होंने सूचित किया है कि वर्ष 80-81 से अब तक जिन व्यक्तियों के ब्याज का पुनर्भरण किया गया है उनकी राशि उनके खातों में जमा हो गई है। अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट '10' देखें।)

सवाई माधोपुर नगर परिषद् क्षेत्र में आवासन मण्डल की योजना

188. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद क्षेत्र सवाई माधोपुर में आवासन मण्डल द्वारा मकान बनाने की योजना बना कर हुडको को भेजी गई है ? यदि हां, तो भवन कौनसी भूमि पर बनाये जायेंगे ?

(2) क्या मकान बनाने का कार्य आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कार्य कब से चालू किया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि 149 बीघा 10 बिस्वा जमीन आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो क्या उसका मुआवजा मालिकों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि मुआवजे का मामला सरकार द्वारा तय कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सारी जमीन का कुल कितना मुआवजा देना पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना हुडको को भेज दी गई। मकान आलनपुर के पास भूमि पर बनाना प्रस्तावित है।

(आवासन मंत्री)

(2) जी हां शीघ्र कार्य शुरू करने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी हां। भूमि का मुआवजा मालिकों को अभी नहीं दिया गया है क्योंकि मुआवजा तय नहीं हुआ है।

(4) मुआवजे का मामला तय नहीं किया गया है, इसलिए कुल मुआवजे की राशि नहीं बताई जा सकती है।

जिला टौंक में अनुसूचित जाति जन जाति के लाभान्वित व्यक्ति

189. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के निर्देशानुसार टौंक जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कोई सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो कृपया तहसीलवार सूची संख्या सदन के पटल पर रखें ?

(2) इन सूची में से कितने व्यक्तियों एवं परिवारों को वर्ष 1980 से अब तक किस-किस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ?

(3) दुकान आवंटन किन-किन व्यक्तियों को किस-किस नगरपालिका क्षेत्र में की गई एवं उनका आवंटन का आधार क्या था ? कृपया प्रत्येक नगरपालिका में आवंटियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसीलवार सूची बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस प्रश्न का सम्बन्ध समाज कल्याण विभाग से नहीं है।

कोटा की आवासन योजनाओं में गन्दे पानी की निकासी

190. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि कोटा आवासन मण्डल की कालोनीज का गटर का पानी हिन्दू एवं मुसलमानों के धार्मिक स्थान क्रमशः गोदावरी धाम एवं अधरशिला में जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने का क्या उपाय किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों धर्मों के व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है ? क्या इससे मण्डल एवं धर्म प्रेमियों में तनाव है ? मण्डल से गटर के पानी को धार्मिक स्थानों पर जाने से रोकने की मांग कब से की जा रही है ?

(3) मण्डल ने क्या प्रभावी कदम उठाये और स्थायी हल कब तक कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) दादाबाडी विस्तार योजना पर कुछ निकास सैप्टीटैंक के उपचार के पश्चात्

(आवासन मंत्री)

एक पुराने नाले में छोडा गया जो कि गोदावरी धाम जाता है। इसके अलावा नगर विकास न्यास का गंदा पानी भी वहां जाता है। इन विभागों से मिलकर इस समस्या का निराकरण जिलाधीश के माध्यम से किया जावेगा।

(2) इसको रोकने की व्यवस्था के बाद विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इसका स्थाई हल निकालने की जल्दी ही व्यवस्था की जा रही है।

टाटगढ़ [अजमेर] के कर्नल टाड के ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा

191. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या कला एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर जिले के टाटगढ़ कस्बे में स्थित कर्नल टाड के आवासीय स्थल, बंगले व उसके साथ लगी जमीन के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए उसे सुरक्षित रखने की मांग एक ज्ञापन द्वारा वहां के निवासियों द्वारा राज्य सरकार को की गई ?

(2) क्या यह सही है कि कर्नल टाड की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाने की मांग भी इस ज्ञापन में की गई है ? कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस बारे में सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट मंगाई गई है।

(ज्ञापन की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ठ '11' देखें।)

प्रदेश में उपभोक्ता आन्दोलन

192. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में उपभोक्ता आन्दोलन गतिशील है ? यदि हाँ, तो यह किन संस्थाओं द्वारा कब से चलाया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार इन संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु किसी प्रकार मदद करती है ? यदि हां, तो किस तरीके से ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) राजस्थान राज्य में उपभोक्ता आन्दोलन यद्यपि वर्तमान में गतिशील नहीं

(खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री)

हैं, किन्तु उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कानून बनाने, वर्तमान कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन करने, आदि का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसके निर्णयोपरान्त उपभोक्ता आन्दोलन के गतिशील होने पर ही इसमें सम्मिलित संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु शासकीय सहायता के तरीके का निर्धारण हो सकेगा। पूर्व में राजस्थान प्रदेश कन्जूमर कौन्सिल की स्थापना हेतु केवल एक बार 25,000) रुपये का अनुदान दिनांक 24.3.77 को दिया गया था।

केन्द्र द्वारा राज्य को उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटन

193. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1984 से सितम्बर 84 तक केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता को नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु किस-किस वस्तु का कितना-कितना आवंटन किया गया एवं राज्य सरकार ने कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित कोटे को उठाया ?

(2) राज्य के किस-किस जिले में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या वस्तु कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गयी है एवं कितना-कितना माल उठाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपभोक्ता संघ एवं समितियों द्वारा समय पर एवं पूरा माल नहीं उठाया जाता जिससे उपभोक्ता को ऊंची कीमत पर माल खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने समय पर एवं पूरी मात्रा में माल उठाने हेतु कब-कब क्या-क्या प्रयत्न किये ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को चीनी, नियन्त्रित मूल्य का कपड़ा तथा आयातित खाद्य तेल को मिलों व राजकीय व्यापार निगम से प्राप्त कर जिलों में उपलब्ध कराने हेतु राजकीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आयातित खाद्य तेल को प्राप्त करने व 16 जिलों को उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को भी अधिकृत किया गया है। उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर इन संस्थाओं द्वारा आवंटित कोटे को उठाने का भरसक प्रयास किये जाते हैं। आवंटित कोटे के इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त करने की दिशा में की जाने वाली कार्यवाही का राज्य स्तर पर निरन्तर रूप से समीक्षा की जाती है एवं उठाव में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु चीनी मिलों, राजकीय व्यापार निगम तथा केन्द्र सरकार से निरन्तर रूप से राज्य सरकार द्वारा पत्राचार एवं व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क कर उन कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास किया गया है। अधिक

(खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री)

मूल्य पर मिलों से प्राप्त होने वाली चीनी के मामलों में चीनी निगम के माध्यम से प्राप्त होने वाली पुनर्भरण राशि को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम से बार-बार पत्राचार एवं विगगत स्तर पर सम्पर्क कर प्रयास किये गये है। 1 अगस्त, 1983 तक के लेखों के आधार पर माह मई, 84 में भारतीय खाद्य निगम से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को रुपये एक करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं एवं सितम्बर, 1983 से दिसम्बर, 1983 के लेखों के आधार पर रुपये 96.56 लाख भी भारतीय खाद्य निगम से उपलब्ध कराने के निरन्तर प्रयास चालू हैं। उक्त वस्तुओं के उठाव व वितरण के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारियों से निरन्तर रूप से जानकारी कर आवंटित कोटे को पूरी मात्रा में उठाव के भी राज्य सरकार द्वारा बराबर भरसक प्रयत्न किये गये हैं व किये जा रहे हैं।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ठ '12' देखें।)

अन्ता उपखण्ड में नहरों एवं ड्रेन्स निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

194. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के अन्ता उप-खण्ड में कितनी नहरें व ड्रेन्स ऐसी हैं जिनका निर्माण हो गया है किन्तु किसानों को कृषि भूमि का मुआवजा अभी तक भी नहीं दिया गया है ? कृपया ऐसे किसानों की नाम सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) मुआवजा न देने का क्या कारण है ? क्या यह सच है कि विभाग द्वारा इससे सम्बन्धित अधिकारी को समय-समय पर पत्रादि न भेजना भी एक कारण रहा है ? यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के अन्ता उपखण्ड में एक नहर व 78 ड्रेन्स ऐसी हैं जिनका भूमि का मुआवजा कृषकों को नहीं चुकाया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' 'ब' पर संलग्न है।

(2) मुआवजा चुकाने में देरी के कारण :—

1. रिक्वीजीशन को भिजवाने के उपरान्त राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अवार्ड्स जारी करने तक की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है।

2. पर्याप्त बजट का प्रावधान न होना। मुआवजे के चुकारें हेतु पत्रादि समय पर ही भेजे जाते हैं अतः अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ठ '13' देखें।)

करवाला ड्रेन में आई भूमि का मुआवजा

195. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल क्षेत्र के केशोरायपाटन सब डिविजन के अन्तर्गत करवाला मुख्य ड्रेन जोन नं. 16 कब बनी थी ?

(2) क्या किसानों को इस ड्रेन में काम में ली गई भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) करवाला मुख्य ड्रेन जोन नं. 16 सन् 1974-75 में बनी थी।

(2) इस ड्रेन में 120 बीघा 6 बिसवा भूमि अवाप्त की गई थी जिसमें से 102 बीघा 5 बिसवा भूमि के मुआवजे की रकम का भुगतान किया जा चुका है। शेष 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि का मुआवजा चुकाना बाकी है जिसकी कार्यवाही जारी है।

तहसील अटरू के ग्राम मोतीपुरा में ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण

196. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अटरू के ग्राम मोतीपुरा के माधोलाल पुत्र श्री हीरालाल मीना द्वारा मोतीपुरा की चरागाह भूमि के ग्राम रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा इसका निरीक्षण किया जाकर चरागाह भूमि पर से एवं ग्राम रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने बाबत प्रार्थना-पत्र एस. डी. ओ., छबड़ा, तहसीलदार, अटरू को 1-9-84 को, जिलाधीश, कोटा को कोटा उप-सरपंच के साथ दस्ती प्रार्थना-पत्र 21-9-84 को भेजा गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि 15-9-84 को ग्राम पंचायत, चरडाना द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, कोटा को भेजा गया था ?

(4) यदि हां, तो अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया ? सरकार अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। तहसीलदार अटरू एवं इस कार्यालय में भी सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना तहसील अटरू का ग्राम मोतीपुरा की चरागाह भूमि का ग्राम रास्ता पर से अतिक्रमण हटाने बाबत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

(3) जी हां।

(राजस्व मंत्री)

(4) तहसील अटरू के ग्राम मोतीपुरा के श्री मावोलाल पुत्र श्री हीरालाल का मोतिपुरा की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। अत: अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

खोरामीणा के ग्राम कूकस की कृषि भूमि का आवंटन

197. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आमेर तहसील में खोरामीणा के ग्राम कूकस के खसरा नं. 108 में 2 बीघा 5 बिसवा व खसरा नं. 102 में 2 बीघा 15 बिसवा भूमि 26-6-81 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवंटन 3 वर्ष का होने से 28-6-83 को समाप्त हो गया है व समाप्ति से पूर्व ही प्रार्थी ने बार-बार सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन पेश किये हैं ? यदि हां, तो प्रार्थी को पुन: उसका आवंटन किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नं. 108 व 102 पर एक व्यक्ति सरदार करनेल सिंह ने अवैध कब्जा कर रखा है और अधिकारी करनेल सिंह को वेदखल करके उक्त आवंटी को कब्जा नहीं दिला रहे हैं ? अब कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक नहीं होने से अभी तक आगे के आवंटन हेतु निर्णय नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। नाजायज काविज के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवंटो को कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं होता क्योंकि उसकी भी मियाद समाप्त हो गई है।

ग्राम सरणाऊ (सांचौर) की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे

198. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सरणाऊ तहसील सांचौर जिला जालोर की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे किये हुये हैं ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर कबसे कुल कितने व्यक्तियों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों के गोचर जमीन पर नाजायज कब्जे कब तक हटवा दिये जायेंगे ?

(५८)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मांकड़ एवं ग्राम पुर तहसील सांचौर को गोचर जमीन पर नाजायज कब्जे कई लोगों द्वारा किये हुये हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों के कब से नाजायज कब्जे किये हुए हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उनके गोचर जमीन पर किये गये नाजायज कब्जे कब तक हटवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। सूची (परिशिष्ट 'अ') सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नाजायज कब्जे शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। सूची (परिशिष्ठ 'ब' एवं 'स') सदन के पटल पर रख दी गई है। नाजायज कब्जे शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट '14' देखें)

बांसवाड़ा नगर के निकटस्थ कृषि भूमि का आबादी में रूपान्तरण

199. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अगस्त, 1984 तक बांसवाड़ा शहर से लगाने वाली जमीनों को घोषित नीति के अनुसार कृषि भूमि को आबादी भूमि में रूपांतरित करवाने के कितने मामले जिलाधीश, बांसवाड़ा के कार्यालय में दर्ज हुए? इनमें कितने मामलों का निपटारा किया गया तथा कितने विचाराधीन हैं? विचाराधीन मामलों का निपटारा कब तक हो जायेगा?

(2) प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम के तहत बांसवाडा शहर में कृषि भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने के कितने मामले निपटाये गये?

उत्तर

(1) अगस्त, 84 बांसवाड़ा शहर में लगने वाली कृषि भूमि के रूपान्तरण के 109 मामले जिलाधीश बांसवाड़ा के कार्यालय में दर्ज हुए। इनमें से 19 मामलों का निपटारा किया जा चुका है एवं 90 मामले विचाराधीन है। विचाराधीन मामलों का यथाशीघ्र निपटारा कर दिया जायेगा।

(2) कोई मामल नहीं निपटाया गया।

तहसील दीगोद (कोटा) में विचाराधीन मामले

200. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील में लैण्ड रेवेन्यू की धारा 91 के तहत कितने मामले कब-कब से विचाराधीन है? सम्पूर्ण

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तहसील का रकबा व अतिक्रमियों के नाम मय वल्दियत सहित ग्रामवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1983-84 एवं माह जुलाई, 1984 तक किस-किस अधिकारी द्वारा कौन-कौन सी तारीखों में धारा 91 के तहत किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन पर अवैध कब्जों के कारण क्या-क्या सजाएं दी गई व जुर्माने किए गए ? कृपया उक्त सजायाफ्ता लोगों की सूची सजा व जुर्माने की राशि की सूची सहित ग्रामवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील में लेण्डरेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत वर्ष 1983 में 2 मामले तथा 1984 के 54 मामले इस प्रकार कुल 56 मामले विचाराधीन है। विवरण संलग्न है।

(2) वर्ष 83-84 एवं माह जुलाई. 1984 तक जिस-जिस अधिकारी द्वारा जिन तारीखों में धारा 91 के तहत जिन-जिन व्यक्तियों के जमीन पर अवैध कब्जा पाये जाने के कारण उनको दी गई सजाओं का विवरण की ग्रामवार सूची संलग्न है।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ '15' देखें।)

बारां (कोटा) के न्यायालयों में कृषि भूमि के रहन सम्बन्धी विचाराधीन मामले

201. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां, जिला कोटा के न्यायालयों में कृषि भूमि के रहन सम्बन्धी कितने मामले कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(1) नियमानुसार यह मामले कितने समय में निपटा दिये जाने चाहिएं ?

उत्तर

(1) बारां जिला कोटा में स्थित न्यायालय क्रमश: उपजिलाधीश के यहा वर्ष 1981 का एक, 1982 के दो, 1983 के 13 वर्ष 1984 का एक एवं सहायक जिलाधीश (प्रथम) के यहां वर्ष 1981 का एक एवं 1984 का एक तथा सहायक जिलाधीश (द्वितीय) के यहां वर्ष 1982 के दो, 1983 के 19 एवम् 1984 के पांच मामले इस प्रकार वर्तमान में कुल 36 मामले कृषि भूमि के रहन सम्बन्धी विचाराधीन है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ये समस्त प्रकरण नियमित रूप से तारीख पेशियों पर चल रहे हैं तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निर्णित करने की कार्यवाही की जा रही है। इन सभी प्रकरणों को शीघ्र ही निर्णित कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ '16' देखें।)

ग्राम मावली (उदयपुर) में अवैध निर्माण

202. **श्री धाराराम फुलवारिया** (सिवाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मावली जिला उदयपुर में मावली उदयपुर रोड पर स्थित आराजी नं. 1601 में अवैध निर्माण को विध्वंस करने के आदेश जिलाधीश, उदयपुर ने दिनांक 1-10-81 को तहसीलदार मावली को दिये थे ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(1) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, उदयपुर के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, मावली ने दिनांक 14-9-83 को अवैध निर्माण विध्वंस करने का प्रस्ताव पारित किया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव पारित करने में दो वर्ष का विलम्ब किन कारणों से हुआ और इसके लिए कौन दोषी है ? कृपया पारित प्रस्ताव की प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करना प्रस्तावित है व कब तक अवैध निर्माण को हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलाधीश द्वारा पत्र दिनांक 1-10-81 में निर्देश दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा इस विषयक न्यायिक कार्यवाही की जाकर दिनांक 14-9-83 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था न्यायिक कार्यवाही में हुए विलम्ब के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आदेश दिनांक 14-9-83 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) तहसीलदार मावली के आदेश 14-9-83 के विरुद्ध पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील कर रखी है जो विचाराधीन है।

(आदेशों की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ठ 17 देखें।)

टोडारायसिंह बीसलपुर की खानों के पट्टे

203. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह बीसलपुर पहाड पर छटी पट्टी पत्थर व चेजा पत्थर आदि निकलता है ?

(2) क्या इस पहाड पर वन विभाग का भी मालिकाना हक है ?

(3) विभाग द्वारा वहां 1981 से अब तक कितने खानों के पट्टे किन-किन को दिये गये है ? क्या उन मालिकों को वर्ष 1984-85 के पट्टे भी दिये हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन को, किन-किन को नहीं और क्यों ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(खनिज मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह पहाड आरक्षित वन क्षेत्र में गिरता है।

(3) टोडारायसिंह वीसलपुर पहाड में काफी पूर्व से खनन कार्य किया जा रहा है एवम् रेन्ट-कम-रायल्टी के पट्टे दिये गये हैं, जिनका समय समय पर नवीनीकरण किया गया है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों को देखते हुए वर्ष 1984-85 में किसी भी पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है तथा इस क्षेत्र को वन विभाग से मुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

नोखा (बीकानेर) की पहाड़ी पर मिनी सीमेन्ट प्लान्ट

204. **श्री सुरजाराम टांक** (नोखा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नोखा बीकानेर के पास तारुडा श्री बालाजी के आसपास एक पहाड़ी है, जहां पर क्रेशर मशीन लगाने का पत्थर व मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु उपयुक्त पत्थर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की अनुमति देने की मन्शा रखती है ?

उत्तर

नोखा (बीकानेर के पास) श्री बालाजी के पश्चिम में दावा तथा सिलवा ग्राम क्षेत्रों में पाये जाने वाला लाईम स्टोन सीमेन्ट बनाने के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, परन्तु इस पर क्रेशर लगाया जा सकता है। साफूंडा के निकट उपलब्ध लाईम स्टोन के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लाईम स्टोन भण्डार के कुछ भाग सीमेन्ट बनाने के काम के लिए उपयुक्त हो सकता है।

यदि मिनी सीमेन्ट प्लान्ट हेतु लाईम स्टोन के खनन पट्टे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

डग कस्बे में नायब तहसील

205. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ जिले की तहसील गंगधार का क्षेत्र बड़ा होने के कारण तहसीलदार को कार्य सम्भालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार डग कस्बे में नायब तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) गंगधार तहसील में कितने पटवार सर्किल हैं तथा उनमें कितने-कितने ग्राम लगते हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) तहसील गंगधार में कुल 47 पटवार सर्किल हैं जिसके ग्राम निम्न प्रकार हैं : गंगधार-3 ढाबला-4 देवगढ़-5ग राडियाभाला-4 खांकरिया-4, रोभाना-3, गेताखेड़ी-3, केलुखेडी-4, गराडियाईसर-4, सुनारी-10, पारा पोपली-6, कुण्डला-5, रनायरा-4, रायनगवाडी-4 विसनिया-4, पाढल्या-6, पडाथली-6,तलाथली-4, भाटखेडी-5, उम्हेल-1, बेरेखेड़ा-31 कीटिया-7, वडिया वीरजी-3, कुमटिया-6, पाड़ा-2 मगली-2, कल्लनारा-3, रामपुरिया-3 डग-1, तिखाई-4, उदयपुर-3, छान-3, जगदीशपुरा-3, रतनपुरा-5, डोबड़ा-3, मन्दिरपुरा दुधालिया-4, क्यासरा-5, सांरगखेड़ा-5, भतरिया-3, ढाबला-4 हरनायद-3, केलिवी-3, पीपल्या-खुर्द-4, उमरिया-4, ढोडी-5, लुहारिया-5, कुल ग्राम-191

डा. अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति, ब्यावर

206. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डा. अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति, ब्यावर द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि 11 बीघा एवं 9 बिस्वा को आबादी में परिवर्तन कराने हेतु अतिरिक्त जिलाधीश (भू-रूपान्तरण), अजमेर के पास रूपान्तरण शुल्क जमा कराया जा चुका है? यदि हां, तो यह रूपान्तरण कब व कितना जमा कराया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि भूमि को अभी तक आबादी में परिवर्तन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो गरीब अनुसूचित जाति के लोगों की इस समिति की कृषि भूमि को अब कब तक आबादी में परिवर्तित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । डा. अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति ब्यावर के द्वारा दिनांक 15.4.82 को रूपान्तरण शुल्क की राशि के 34,843.20 रुपये दिनांक 14.4.82 को जमा करवाये हैं ।

(2) जी हां । यह गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीकृत नहीं है अतः सपरिवर्तन नियमों के अन्तर्गत संभव नहीं है ।

आहोर कस्बे में भूमि रूपान्तरण की दरें

207. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर के आहोर कस्बे में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में कृषि भूमि के आबादी में रूपान्तरण की क्या-क्या दरें किस-किस क्षेत्र के भू-खण्डों हेतु निर्धारित थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, आहोर एवं वाकरा रोड जिला जालौर द्वारा आहोर कस्बे के मुख्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रोड के किनारे स्थित करीब एक सौ बीघा कृषि भूमि का आबादी में रूपान्तरण कराया गया था ? यदि हां, तो उस रूपान्तरण हेतु किस दर से रूपान्तरण शुल्क वसूल किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कृषि भूमि के स्थित होने के क्षेत्र में लागू दरों से कम दर पर यह रूपान्तरण किया गया और पूरा रूपान्तरण शुल्क जमा होने के पूर्व ही रूपान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये ?

(4) यदि हां, तो इस क्षेत्र में लागू दरें क्या थी तथा किस दर से यह रूपान्तरण किया गया और कुल रूपान्तरण शुल्क कितना बनता था और उसमें से कितना वसूल हुआ है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) राज्य सरकार इसमें अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला जालौर के आहोर कस्बे में कृषि भूमि की रूपान्तरण की दरें निम्न थी :—

वर्ष 1981-82 (1) रियायती दरें 4.50 रूपया प्रतिवर्ग गज ।

(2) सामान्य दरें 7.00 रूपया प्रति वर्ग गज ।

(2) दिनांक 13.9.82 से कस्बा आहोर को ग्राम पंचायत घोषित करने के कारण उपरोक्त दरें लागू नहीं रही ।

(2) जी नहीं । राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी समिति आहोर की 40 बीघा 16 बिस्वा भूमि का रूपान्तरकरण रियायती दर से अवश्य किया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) रूपान्तरण शुल्क नियमानुसार 3,97,793.98 रुपया बनता था और 3,97,823.99 रुपया जमा करवाया गया है ।

(5) आवश्यकता नहीं है ।

कुशलगढ़ क्षेत्र में शराब की दुकानें

208. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में शराब की कितनी दुकानें हैं और कहां-कहां ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ खास में देशी शराब की दुकानें अधिकारियों की जानकारी में आम चौराहों पर चल रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) क्या सरकार उक्त दुकानें बन्द कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(आबकारी मन्त्री)

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र जिसमें राजस्व तहसीलें कुशलगढ़ व बागीदोरा है, में देशी मदिरा की तीन व भारत निर्मित विदेशी मदिरा की एक दुकान है :—

	वि.म.	दे.म.	योग
1. कुशलगढ़	1	1	2
2. बागीदोरा	–	1	1
3. गढ़ी	–	1	1
	1	3	4

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर शहर में डिनेचर स्प्रिट के वितरण की व्यवस्था

209. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में डिनेचर स्प्रिट किस आधार पर आबकारी विभाग उपभोक्ता को कितनी मात्रा में देता है ?

(2) क्या यह सही है कि डिनेचर स्प्रिट सर्किल इन्सपेक्टर आबकारी विभाग सादे प्रार्थना-पत्र पर 3 लीटर जारी लिखता है ? क्या इसका कोई रेकार्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो गत 4 वर्ष में विभाग द्वारा कितना स्प्रिट जारी किया गया ?

(3) क्या जयपुर शहर के अलावा राजस्थान में परमिट व्यवस्था पर उपभोक्ता को डिनेचर स्प्रिट दिया जाता है ? यदि हां, तो कहां कहां ? यदि नहीं, तो यह दोहरी नीति क्यों ?

(4) क्या आबकारी एक्ट में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता 3 लीटर डिनेचर स्प्रिट बिना विभाग की अनुमति से कहीं से भी डीलर से प्राप्त कर सकेगा ? यदि हां, तो यह व्यवस्था जयपुर में क्यों नहीं है ? क्या विभाग को पिछले 4 वर्षों में इस संबंध में कई शिकायतें उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या विभाग 3 लीटर डिनेचर स्प्रिट बिना अनुमति से डीलर से प्राप्त करने हेतु आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में डिनेचर्ड स्प्रिट उपभोक्ताओं को उनकी जरुरत को देखते हुए आबकारी विभाग नियमानुसार उपलब्ध कराता है । तीन लीटर से अधिक एक बार में मांग पर उपभोक्ता को नियम अन्तर्गत अधिकतम 18 लीटर तक परिपत्र देकर उपलब्ध कराता है । तीन लीटर तक आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर डीलर द्वारा उपभोक्ता को दे दिया जाता है ।

(वित्त मन्त्री)

(2) जी हां, तीन लीटर डिनेचर स्प्रिट तक की अनुमति इन्सपेक्टर आबकारी विभाग द्वारा वैयक्तिक प्रार्थना पत्र पर दी जाती है। जी हां, इनका रेकार्ड रखा जाता है। गत वर्षों में 67668 लीटर स्प्रीट जारी किया गया।

(3) राजस्थान में सभी जगह नियमानुसार परमिट व्यवस्था पर उपभोक्ता को डिनेचर्ड स्प्रिट दिये जाने की व्यवस्था है ताकि इसके दुरुपयोग की संभावना कम रहे अन्य स्थानों पर 3 लीटर से अधिक मांग होने पर 18 ली. तक के लिए परमिट नियमानुसार दिए जाते हैं। तीन लीटर तक देने के लिए जयपुर शहर में ही निरीक्षक की अनुमति की व्यवस्था की हुई है। क्योंकि अधिक खपत व अधिक खुदरा विक्रेता होने के कारण यह व्यवस्था केवल जयपुर शहर के लिए की गई है।

(4) जी हां। जयपुर शहर में उपभोक्ता आबकारी निरीक्षक की अनुमति के आधार पर क्रय कर सकता है क्योंकि विकृत प्रासव की खुली बिक्री जहरीली शराब बनाने में योगदान देती है एवं शराब दुखान्तिकाओं की संभावना रहती है। जयपुर में पूर्व में भी ऐसी दुखान्तिका हुई है। अतः इस प्रकार के विकृत प्रासव के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिसम्बर, 80 से ही उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की ओर से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई न कोई प्रतिवेदन ही प्राप्त हुए हैं।

(5) जयपुर शहर के लिए ही यह स्थानीय व्यवस्था है, जो जनहित में की गई है। यदि उपभोक्ताओं एवं खुदरा डिलर्स की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए तो उन पर विचार कर लिया जाएगा।

जयपुर शहर में विदेशी मदिरा के अनुज्ञा-पत्र

210. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में विदेशी मदिरा के वर्ष 1982-83 के एक अनुज्ञाधारी श्री मुमताज खां एण्ड पार्टी ही में राज्य सरकार का करीब पचास लाख रुपया गारन्टी का बकाया है और उसकी वसूली नहीं हो पा रही है तथा पार्टी लापता बताई जा रही है? यदि हां, तो यह बकाया कब से है और इसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही अभी तक की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुज्ञा-पत्रधारी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत करीब तीस विचाराधीन प्रकरणों में पार्टी स्वयं की ओर से प्रार्थना-पत्र देने पर उनको कम्पाउन्ड किया गया था? यदि हां, तो इन प्रकरणों में कम्पाउन्ड के प्रार्थना-पत्र कब-कब प्राप्त हुये और उन्हें कब-कब कम्पाउन्ड किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पार्टी से विदेशी मदिरा की अनुज्ञा-पत्र जारी करने से पूर्व जमानत भी नहीं ली गई? यदि हां, तो क्यों नहीं ली गई और यदि नहीं, तो

(श्री कैलाश मेघवाल)

जमानत किसने कब दी और उसकी हैसियत का प्रमाणीकरण किसने किया ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नगर में विदेशी मदिरा के वर्ष 1982-83 के अनुज्ञाधारी श्री मुमताज खां एण्ड पार्टी में इस पार्टी की जप्त शुदा शराब की नीलामी से प्राप्त राशि रुपये 77,845.72 पैसे वसूल होने के बाद अब रुपये 51,10,913.53 पैसे गारन्टी राशि का बकाया है। बकाया राशि की वसूली हेतु पार्टी एवं पार्टी की चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच जारी है एवं इसके पश्चात् भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(2) अनुज्ञाधारी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लघन के 26 विचाराधीन प्रकरणों में पार्टी की ओर से प्रार्थना-पत्र देने पर सहायक लोक अभियोजक की सम्मति के अनुसार उन्हें नियमानुसार कम्पाउड किया गया कम्पाउड के प्रार्थना-पत्र जब-जब प्राप्त हुए और उन्हें जब-जब कम्पाउन्ड किया इसकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां। 15-5-82 से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एकांकी विशेषाधिकारी की नई पद्धति लागू की गई। चूंकि दुकानें नहीं उठ रही थी, और दुकानों को 15 5-82 से चालू करवाना भी आवश्यक था ऐसी स्थिति में राज्य हित में दुकानें चालू करवादी गई तथा यह कहा गया कि मोतबिर जमानतें बाद में यथा शीघ्र ले ली जाय। अधिकांश अनुज्ञाधारियों ने मोतबिर पेश कर दी परन्तु मुमताज खां एण्ड पार्टी ने मोतबिर जमानत पेश नही की। काफी औपचारिक प्रयास के पश्चात् भी जब इस पार्टी ने जमानत पेश नहीं की तो विभाग ने इनका अनुज्ञा-पत्र निरस्त कर दिया। इसके विरुद्ध अनुज्ञाधारी ने न्यायालय अपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट प्रथम जयपुर एवं न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। इसके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में रिविजन याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। दुकानों को पुन: नीलामी की कार्यवाही की गई दुकानें नीलामी में नहीं उठीं इस कारण गंगानगर शुगर मिल्स ने कुछ दुकाने चलाई। जमानत किसी ने नहीं दी थी इसलिए हैसियत के प्रमाण पत्र का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

उर्दू एवं सिंधी भाषी अध्यापकों की नियुक्ति

211. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भाषाई अल्प संख्यक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अजमेर नगर में विद्यालय खोला गया था ? यदि हां, तो क्या अल्प भाषाई सिन्धी और उर्दू के ही

(श्री भगवानदास शास्त्री)

छात्र, छात्राएं वहां प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय में सिंधी भाषा और उर्दू भाषी भाषाओं के अध्यापकों के स्थान पर हिन्दी भाषी अध्यापकों की नियुक्ति के कारण प्रशिक्षणार्थियों को सही प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई आती है ? यदि हां, तो कब तक उर्दू, सिंधी भाषी अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह विद्यालय सिन्धी, उर्दू, गुजराती एवं पंजाबी के छात्रों के प्रशिक्षणार्थ खोला गया है परन्तु गुजराती एवं पंजाबी भाषा के छात्र उपलब्ध न होने के कारण सिंधी व उर्दू के छात्र छात्रा ही ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

(2) जी नहीं । सिंधी एवं उर्दू भाषा ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है । इन दोनों भाषाओं के अध्यापन हेतु अलग-अलग अपनी भाषाओं के अध्यापक (स्कूली शिक्षा) नियुक्त हैं और सिंधी विषय को सिंधी के माध्यम एवं उर्दू को उर्दू माध्यम से अध्यापन कराया जाता है । इसी प्रकार इन्हें केवल उक्त विषयों की परीक्षा भी अपनी-अपनी भाषा में देने की छूट है । अतः छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आती है ।

पर्यटन निगम द्वारा विज्ञापन पर खर्च

212. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) :
श्री रामकिशोर मीना (सिकराय) :

क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल, 1981 से अब तक निगम का विज्ञापन पर किस-किस वर्ष में कितना-कितना व्यय हुआ ?

(2) यह विज्ञापन किस रूप में किस प्रक्रिया से किया गया और उसके लिये किस-किस व्यक्ति अथवा संस्था को कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया ?

(3) इन विज्ञापन से निगम को किस प्रकार से कितना लाभ हुआ है ?

उत्तर

(1) एक अप्रैल, 1981 से अगस्त, 1984 तक निगम द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार मद में वर्षवार निम्नानुसार व्यय हुआ है :-

वर्ष	व्यय (लाख रु. में)
1981-82	6.29
1982-83	3.91
1983-84	4.52
1984-85 (अगस्त तक)	1.28

(2) विज्ञापन मुख्य रूप से निविदा, रिक्तियां, स्टेशनरी, स्टोर सामान क्रय, वाहन किराये पर लेने हेतु एवं प्रचार हेतु दिए जाते हैं । विज्ञापन के लिए समस्त दैनिक समाचार पत्रों का एक रोस्टर बना रखा है एवं उसी के अनुसार विज्ञापन दिए जाते हैं । प्रचार हेतु विज्ञापन दैनिक पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं

(पर्यटन राज्य मन्त्री)

अन्य पत्रिकाओं में भी दिए जाते हैं। विज्ञापन मद के अन्तर्गत जिन-जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को जितनी-जितनी राशि का भुगतान किया गया है, उसकी सूची संलग्न है।

(3) विज्ञापन से प्रत्यक्ष रूप से लाभ न होकर अप्रत्यक्ष रूप से ही लाभ होता है। निविदा विज्ञापनों से जहां एक ओर वस्तु की अच्छी किस्म तथा तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध होती है वहीं दूसरी ओर रिक्तियों के विज्ञापन से कुशल एवं योग्य प्रत्याशियों का चयन करना संभव होता है। प्रचार विज्ञापनों से एक ओर पर्यटकों का राजस्थान में तथा निगम की इकाइयों में आगमन बढ़ा है वहीं दूसरी ओर निगम की आय में भी वृद्धि हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

करुणा मूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति

213. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री योगेन्द्र-कुमार वर्मा, प्रयोगशाला सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जवाजा (अजमेर) के दिनांक 17 जुलाई, 1977 को हुये आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी श्रीमती गीतादेवी को करुणामूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), अजमेर के यहां विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इस प्रकरण का निस्तारण आज तक क्यों नहीं किया गया है और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इसकी नियुक्ति का प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर के यहां विचाराधीन है।

(2) श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा, प्रयोगशाला सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जवाजा (अजमेर) की दिनांक 17-7-1977 को आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नि श्रीमती गीतादेवी को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर के कार्यालय आदेश सं. विशिअ अज तथ्य-1/एच-21/4/877 दिनांक 12-10-77 द्वारा नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जवाजा (अजमेर) में नियुक्ति दी गई थी, तथा आदेश में कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही यह नियुक्ति देय माने जाने का उल्लेख था। चूंकि श्रीमती गीतादेवी नियुक्ति आदेश के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि लेकर उपस्थित नहीं हुई। अतः आदेश में अंकित 15 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण आदेश स्वतः ही निरस्त हो गये।

पुनः इनके द्वारा दिनांक 2-1-84 को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर को नियुक्ति हेतु आवेदन दिया, जिस पर जिला

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री)

शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर ने निदेशालय को लिखा, जिस पर निदेशालय ने श्रीमती गीतादेवी को नियुक्ति हेतु निर्देशित किया है, तथा जिला शिक्षा अधिकारी(छात्र) अजमेर ने अपने पत्रांक दिनांक 1-10-84 द्वारा नियुक्ति हेतु सूचनाए चाही है।

जिला बांसवाड़ा के पिछड़े इलाके में यातायात व्यवस्था

214. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा के पिछड़े इलाके में समुचित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

(2) क्या इस जिले में राज्य पथ परिवहन निगम की ओर बसे चलाई जायेंगी तथा अतिरिक्त डिपो भी स्थापित किया जावेगा ?

(3) इस जिले के कौन-कौन से रूट्स को निगम की बसों के लिये अधिकृत किया जा रहा है ?

(4) क्या बांसवाड़ा-खादू, बांसवाड़ा-कुशलगढ़, बांसवाड़ा-भूखिया (आनन्दपुरी), बांसवाड़ा-घाटोल रूट्स पर निगम अपनी बसें चलाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में समुचित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिले की परिवहन योजना तैयार की जा चुकी है जिसमें सात नये मार्ग खोले जाने के प्रस्ताव है। इनमें से चार मार्ग खोले जा चुके है एवं तीन मार्ग खोले जाने हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान मार्गो पर स्थानीय जनता व जन प्रतिनिधियों की मांग पर मार्गों पर बसों के स्कोप में समय समय पर वृद्धि की जाती है। उपरोक्त सात मार्गों की सूची संलग्न है। बांसवाडा जिले के राष्ट्रीकृत मार्गो पर परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध यदि भार के अनुसार पर्याप्त सेवायें संचालित की जा रही है।

(2) बांसवाडा जिले के निम्न मार्गो के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रकाशन मोटर गाडी अधिनियम की धारा 68-म के अन्तर्गत किया हुआ है जो वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है :—

1. बांसवाडा–दानपुर
2. बांसवाडा–नरवाली
3. बांसवाडा–धरियावाद
4. बांसवाडा–प्रतापगढ
5. बांसवाड़ा–वान्सी

राज्य सरकार द्वारा इन मार्गो की योजना का अनुमोदन कर मोटर गाडी अधिनियम की धारा 68-घ (3) के अन्तर्गत इनका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करने के पश्चात ही इन मार्गो पर बस सेवाओं का

(60)

(यातायात मन्त्री)

संचालन संभव हो सकेगा। वर्तमान में बांसवाडा में निगम का स्वयं का आगार स्थापित है जो वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। अतः बांसवाडा में अतिरिक्त डिपो स्थापित किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) वर्तमान में बांसवाडा जिले के और नये मार्गों पर निगम की बसें चलाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) बांसवाडा खादू, राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है यह निजी वाहन स्वामियों का मार्ग है। बांसवाड़ा कुशलगढ वाया अन्देयर तथा वाया सजयगढ होते हुए राष्ट्रीयकृत मार्ग के जिन पर क्रमशः 3 एवं 11 दैनिक परिचक्रों का संचालन निर्धारित है। बांसवाडा:मूखिया (आनन्दपुरी) मार्ग भी राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस मार्ग पर अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राप्त कर वाहन संचालन की योजना है। अनुज्ञापन प्राप्त होते ही वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। बांसवाडा-घाटोल प्रतापगढ मार्ग की योजना मोटर गाडी अधिनियम की धारा 68-ग के अन्तर्गत प्रकाशित की हुई है जिसका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात ही इस मार्ग पर वाहन संचालन संभव होगा। वर्तमान में जयपुर बांसवाडा वाया प्रतापगढ़-घाटोल, चितौड़गढ़ बांसवाडा वाया घाटोल, कोटा बांसवाडा वाया नीमच, प्रतापगढ-घाटोल एवं झालावाड़-बांसवाडा मार्गों की 10 सेवायें घाटोल होकर बांसवाडा तक संचालित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट '20' देखें।)

तहसील बोंली (सवाई माधोपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

215. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर की तहसील बोंली के ग्राम पलसावटा और पंचायत समिति, सपोटरा के ग्राम किराडी का 1983 में विद्युतीकरण किया जाना 20 सूत्र की क्रियान्वयन रिपोर्ट में बताया गया है? यदि हां, तो अगस्त, 1984 तक उक्त ग्रामों में कितने कनेक्शन्स मकानों तथा कुओं पर दिये गये?

(2) उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण के बाद अगस्त, 1984 तक प्रत्येक माह उपभोग के संदर्भ में ग्रामवार कितनी विद्युत राशि जमा कराई गई?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बोंली के ग्राम गंगाडा को 30.3.82 एवं पलसावट को 15-1-81 तथा पंचायत समिति सपोटरा के ग्राम किराड़ी को माह मार्च, 1984 में विद्युतिकृत किया गया है। ग्राम गंगाडा में 5 कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं एवं ग्राम पलसावट तथा किराड़ी में किसी भी श्रेणी में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) ग्राम पलसावट एवं किराड़ी में किसी भी श्रेणी का कनेक्शन नहीं है । अतः इन ग्रामों में उपभोक्ताओं से विद्युत उपभोग की कोई राशि प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । ग्राम गंगवाडा में ,उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्येक माह जमा कराई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

अक्टूबर,83	128:80 रु.
नवम्बर,83	24.60 रु.
दिसम्बर,83	42.00 रु.
जनवरी,84	102.50 रु.
फरवरी,84	158.80 रु.
मार्च,84	1213.40 रु.
अप्रैल,84	66.80 रु.
मई,84	67.00 रु.
जून 84	23.45 रु.
जुलाई;84	45.00 रु.
अगस्त,84	76.00 रु.

ग्राम आनन्दपुर कालू (पाली) से लाम्बीया तक की विद्युत योजना

216. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण (पाली) से जो विद्युत लाइन ग्राम लाम्बीया (त. जैतारण, जिला पाली) गई हुई है वह नदी-नदी गई हुई है जिससे प्रति वर्ष वह लाइन गिर जाती है और बोर्ड व किसानों को भारी नुकसान होता है ?

(2) यदि हां, तो क्या कालू तहसील जैतारण (पाली) से लाम्बीया को विद्युत-लाइन सड़क सड़क होती हुई खेंचने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह लाइन कब तक खड़ी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि आनन्दपुर कालू से लाम्बीया जाने वाली विद्युत लाईन नदी में से होकर जा रही है । गत वर्षो में यह लाईन अतिवृष्टि के कारण गिरी थी एवं उसे तत्काल ठीक कर दिया गया था । लाईन के तत्काल ठीक कर दिये जाने से किसानों को नुकसान होने की आशंका प्रतीत नहीं होती है ।

(2) जी हां, इस लाईन के रख-रखाव में दिक्कत आने के कारण इस लाईन को सड़क सड़क होते हुए खींचने की योजना विचाराधीन है । इसमें पांच किलो मीटर 11 के. वी. लाईन डालनी पड़ेगी जिसके तखमीने बनाए जा रहे हैं । तखमीनों की जांच के पश्चात इस लाईन के कार्य को हाथ में लेने पर विचार किया जावेगा ।

थानागाजी (अलवर) क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण

217. **श्री घूणीलाल गुप्ता**(थानागाजी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी में अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और कितनों का

(श्री घूरालाल गुप्ता)

शेष है ? सरकार इस वित्तीय वर्ष में और किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) ग्राम मालूताना और द्वारापुर, जिनकी जनसंख्या काफी है, को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

(3) इन निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं ? क्या जिले के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां कुओं को कम कनेक्शन मिले हैं ? कुल कनेक्शन्स में से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने व्यक्तियों के हैं ? इन जाति के व्यक्तियों के कुओं पर विद्युत देने के सम्बन्ध में भविष्य के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी में कुल 221 ग्राम हैं, जिनमें से 52 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 169 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है। वर्ष 1984-85 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में 12 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है जिनकी सूची 'अ' संलग्न है।

(2) ग्राम द्वारापुर को दिनांक 19-5-1984 को विद्युतिकृत किया जा चुका है तथा ग्राम मालूताना को चालू वित्तीय वर्ष में विद्युतिकृत किये जाने का प्रावधान है।

(3) इस क्षेत्र के 750 कुओं को अब तक ऊर्जीकृत किया जा चुका है, जिसमें से अनुसूचित जाति व जन जाति के 275 व्यक्तियों के कुओं पर दिये गये कनेक्शन भी सम्मिलित हैं। क्षेत्र के ग्रामों की विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इस वर्ष नवम्बर 1984 तक क्षेत्र के 50 और कुओं को ऊर्जीकृत किये जाने की योजना है। अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वरीयता दी जाती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर उन्हें कनेक्शन प्रदान कर दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ '21' देखें।)

इटावा कस्बे की खसरा नं. 704 पर दुकानों का नियमन

218, **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के इटावा कस्बे की खसरा नं. 704 पर छोटे-छोटे दुकानदार वर्षों से दुकानें लगाये हुए हैं ? क्या उनके नियमानुसार प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी उक्त जमीन को उनके नाम अभी तक नियमन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त जमीन को उन गरीब व्यक्तियों के नाम शीघ्र नियमन किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल कमाण्ड के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय अतिक्रमित भूमि जिस पर दुकानें बनी हुई हैं ऐसे मामलों को नियमन किये जाने का राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 में कोई प्रावधान नहीं हैं।

(2) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री महावीरप्रसाद जैन व श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से-अस्पतालों में नकली व अवधिपार दवाइयों का उपयोग।

(2) सुश्री पुष्पा जैन, सर्व श्री रघुवीर सिंह कौशल, घनश्याम तिवाड़ी, जीतमल जैन, गोपाल पचेरवाल, रामकिशोर मीणा, चुन्नीलाल व रंगजी मीणा सदस्य विधान सभा की ओर से - राज्य कर्मचारियों को बोनस व महंगाई भत्ते की चढी हुई किश्त का भुगतान न करना।

(3) श्री कमलेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से - पुलिस थाना लाडनूं में बलात्कार की एक रिपोर्ट की जांच में गड़बड़ी।

(4) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से - निदेशालय, अल्प बचत एवं लाटरी में वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को हटाना।

(5) श्री हाजी चांद खां, सदस्य विधान सभा की ओर से - कामां व पहाड़ी क्षेत्र में पूर्व घोषित सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में न लेने से असंतोष।

(6) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य विधान सभा की ओर से-भवानी मण्डी कस्बे के अस्पताल के डाक्टर द्वारा मरीजों से रिश्वत लेना।

(7) श्री समर्थलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से - सीकर रेल्वे स्टेशन के पास मीणा जाति की बेवा की जमीन पर जबरन कब्जा।

(8) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से - पीपलदा क्षेत्र के बागली, बालया और जटवाड़ा पंचायतों के गांवों के किसानों की भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कब्जा।

(9) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से - मांडलगढ तहसील में कानून व्यवस्था का बिगड़ना व पुलिस थानों में असत्य मुकदमें बनाना।

(10) श्री मेघराज तावड़ व श्री राजबहादुर, सदस्य विधान सभा की ओर से-

(श्री अध्यक्ष)

शाहपुरा के प्रधान द्वारा वनेधन व ग्राम के तीन खटीक जाति के परिवारों की भेड़ें लूटने पर भी कार्यवाही न किया जाना।

(11) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से - दुर्गा प्रोपर्टी तथा हमीर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जमीनों के फर्जी पट्टे।

(12) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से - रीको टेलीविजन फैक्ट्री को निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति को दिये जाने की कार्यवाही किया जाना।

(13) श्री भंवरलाल शर्मा व श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से- एक व्यक्ति द्वारा उसके घर पर आक्रमण कर सामान लूटने की सूचना थानेदार राजाखेड़ा को दिए जाने पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना।

(14) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से-राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ द्वारा आन्दोलन।

(15) श्री उम्मेदसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से-किशनगढ़, तहसीलदार द्वारा गलत प्रमाण पत्र देकर सरकारी भूमि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बेचान करने में सहयोग।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। माननीय सदस्यों को दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आप तो इनको रिजेक्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने यही किया है, आप सुन नहीं रहे हैं।

(16) श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से-भीनासर ग्राम में चारागाह की भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जा। इस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है।

निम्न स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है :--

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से- ग्राम पंचायत काल्याखेड़ा का मुख्यालय बदला जाना।

सरकार ने जानकारी दी है कि मुख्यालय बदलने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है व दोनों पक्षों को सुना जा रहा है।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से-कोटा जिले के बेरोजगार युवकों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण न दिया जाना।

सरकार ने जानकारी दी है कि नीति अनुसार कोटा जिले में 44 आवेदकों में से 16 को ऋण दे दिया गया है। 15 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, शेष 13 की शर्तों की पूर्ति न होने से अस्वीकृत किये गये हैं।

(3) श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री हरीश शर्मा व श्री गुलाबचन्द कटारिया,

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य विधान सभा की ओर से-विधायक श्री छीतरमल आर्य की गिरफ्तारी।

सरकार ने जानकारी दी है कि जमानत न देने पर श्री आर्य को न्यायिक दण्डनायक अटरू के समक्ष पेश किया और दण्डनायक के आदेश से दिनांक 23-10-84 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

(4) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से-राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अभियंताओं द्वारा आन्दोलन।

सरकार ने जानकारी दी है कि हड़ताल की विधिवत सूचना प्राप्त नहीं हुई है और उनकी न्यायोचित मांगें स्वीकार कर ली गई हैं व असंतोष नहीं दिखाई देता।

(5) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य विधान सभा की ओर से- डग कस्बे में हरिजन महिला की घर पर गुण्डों द्वारा पिटाई।

सरकार ने सूचना दी है कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान प्रस्तुत किया जा रहा है।

(6) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से - राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकानों पर अवधिपार दवाइयों की बिक्री।

सरकार ने जानकारी दी है कि 2 मामले ध्यान में आये हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है। देख रेख के लिए सुपरवाईजर लगे हुए हैं।

(7) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के एक कर्मचारी को 14 माह से वेतन न मिलना।

सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मामला व्यक्तिगत प्रतीत हुआ है और सबजूडिश भी है।

अतः इन स्थगन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य दो दो मिनट बोल सकते हैं।

(8) श्री नाथूसिंह व श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से-बाजरे की सरकार द्वारा खरीद न किया जाना।

सरकार ने जानकारी दी है कि बाजरे की अभी बाजार में आवक कम है फिर भी भारतीय खाद्य निगम को क्रय करने के लिए लिखा जा रहा है।

अतः इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य इस पर अकाल की बहस के समय बोल सकते हैं।

(9) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से- भीलवाड़ा टेक्सटाईल मिल्स में तालाबन्दी।

सरकार ने जानकारी दी है कि श्रमिकों व मिल मालिकों के बीच वार्ता हो रही है। सरकार ने तालाबन्दी पर पाबन्दी लगाई थी वह दिनांक 25-1-84 से एक वर्ष के लिए वैध है। सरकार इस विषय पर दिनांक 18-10-84 को एक वक्तव्य देगी।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य जानते हैं कि आज की कार्यसूची काफी लम्बी है और यह सत्र भी बहुत ही कम दिनों का था इसलिए माननीय सदस्यों ने जैसा कि सदैव करते हैं कई तरह के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे। इसमें खास तौर से स्थगन प्रस्तावों पर जितनी सूचना मंगवाई जा सकती थी, मंगवाई गई और यद्यपि हमारी परम्परा पूर्व में यही रही है कि एक दिन में एक ही वक्तव्य दिया जाता है, लेकिन माननीय सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और विषयों के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक वक्तव्य दिलाये जा सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है लेकिन फिर भी बहुत से माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हैं। आज और कल जितने भी प्रस्ताव स्थगन प्रस्तावों के रूप में प्राप्त हुए हैं उनको यदि किसी में बहुत ही आवश्यक मैंने समझा है तो उनको सरकार की जानकारी के लिए भेजा है अन्यथा सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजते हुए उनको अस्वीकार कर दिया है और मैंने माननीय सदस्यों को यह सुविधा दी है कि उसके संबंध में दो दो मिनट बोल सकें। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि एक ही प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं और आम तौर से आसन की ओर से छूट रहती है कि अगर एक से अधिक हों तो अपने विचार व्यक्त करते रहें सदन के समक्ष। लेकिन मैं आज समय के अभाव के कारण सहयोग चाहूंगा और बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक होगी इसलिए एक विषय पर एक ही माननीय सदस्य बोलने का कष्ट करें।

कल भी मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि कई स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास गये हैं उनमें काफी स्थगन प्रस्तावों के बारे में सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है लेकिन कई के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो कल मैंने निवेदन किया था कि जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष आ जाय तो इनको अस्वीकार करने के लिए कल भी निवेदन किया था आज भी फिर दोहराता हूं, लेकिन उसके लिए यहां पर यह बात नहीं कही जाएगी कि मेरा फलां दिन का स्थगन प्रस्ताव है उसको आप अस्वीकार कर दें। जो माननीय सदस्य मुझसे सम्पर्क करेंगे उनके स्थगन प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए ऐसा भी निर्णय दूंगा ताकि कल उन पर किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत चर्चा हो सके। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि आज समय का बहुत अभाव है इसलिए माननीय सदस्यों का जैसा सहयोग हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहे, और समय की बचत मैं इसलिए करना चाहता हूं कि इस छोटे से सत्र में अधिक से अधिक विषय सदन के समक्ष रचनात्मक रूप से आ सकें किसी न किसी रूप में यही इसके पीछे मेरी भावना है। इसलिए मेरी भावनाओं को समझते हुए सहयोग करेंगे। जो माननीय सदस्यों को कठिनाई है वह यहां न कह कर आप मुझसे अलग से कहें तो मेरी यह पूरी कोशिश होगी कि वह विषय किसी न किसी तरह आ जायं और समय को हम बचायें। अब जिनको मैंने सरकार से जानकारी प्राप्त होने के बाद अथवा मेरे, विवेक से अस्वीकार कर दिया है, उनके

(श्री अध्यक्ष)

बारे में माननीय सदस्यों को अवसर देता हूं जिनका नाम मैं पुकारूंगा और जैसा कि मैंने निवेदन किया एक विषय पर एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे तो यह व्यवस्था लागू की जाती है इसमें सर्व प्रथम मैं.........

(व्यवधान)

अब आप तय कर लीजिए, पहले कौन बोलेगा। अनुमति देना तो आसान है लेकिन बैठाने में थोड़ी कठिनाई होती है। नहीं, यह व्यवस्था मैं शुरु में नहीं दूंगा, आप तय कर लें।

श्री महावीर प्रसाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आपने व्यवस्था दी उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सार्वजनिक मुद्दे हैं जिनमें सरकार को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, आलरैडी डिसीजन ले लिया होगा, उसकी जानकारी दें जैसे सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न है, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का प्रश्न है, सरकार का रीएक्शन क्या है, बता दें तो बहुत बड़ी प्रोब्लम खत्म हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : इसकी तो उनको छूट होगी। यदि माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी है और अगर वह प्रसंग आता है सदन के समक्ष तो कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने हमको जो छूट दी है वह माननीय वित्त मन्त्री जी समझ रहे हैं कि उनको छूट नहीं है बोलने की।

श्री अध्यक्ष : दोनों पक्षों को है। श्री महावीर प्रसाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : वित्त मन्त्रीजी बहुत सुस्त हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव ऐसे विषय पर दिया है जो लोगों के जन-जीवन के साथ सम्बन्ध रखता है। अस्पताल में घटिया और निम्न स्तर की दवा मिलती है उसके बारे में एक प्रस्ताव मैंने पहले भेजा वह विचाराधीन है। आज मैं जो विषय रख रहा हूं वह यह है कि महिलाओं की पेशाब की जांच होती है और उसके लिए जो दवा है, लगभग साढे चार लाख की दवा उदयपुर सी. एम. एच. ओ. ने खरीदी है उसकी एक्सपाइरी डेट नवम्बर, 81 है। उसके बाद अभी फिर वहां पर करीब साढ़े चार लाख की दवा खरीदी गई। यह नाजुक विषय उनकी दवा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी नसबन्दी की जाती है, डिलीवरी करवाई जाती है। उनका प्रश्न पेशाब के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह लोकप्रिय सरकार किस प्रकार नकली दवा से उनका जीवन खतरे में डाल रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि इस दवा को तुरन्त सील

(श्री महावीर प्रसाद)

किया जाय और उनको रोका जाय, नहीं तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लोगों के जीवन के साथ नुकसान हो सकता है इतना ही निवेदन है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कृपया दो मिनिट। अंबार लगा हुआ है.........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। राजकीय कर्मचारियों को बोनस महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं कौन माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय अभी बाहर चले गये, वह सूचना लेने गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला विषय पुलिस थाना लाडनूं में बलात्कार की घटना, श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभ नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडनूं थाने में 5-8-84 को श्री रूधाराम ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, 376 में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन वहां के थानेदार ने पता नहीं किस हिसाब से 376 को घटा कर 354 ही रखा। उस पर क्या हुआ कि लड़की के पिता ने एस. पी. को रिपोर्ट की। एस. पी. को रिपोर्ट करने के बाद भी वहां कार्यवाही नहीं हुई तो अजमेर डी. आई. जी. के पास गये। अजमेर डी. आई. जी. ने मौके की जांच की, बयान लिये और थानेदार अब्दुल रज्जाक को सस्पेण्ड करके लाइन में लगा दिया। वहां तक कार्यवाही चलती रही। उसके बाद दो महिने निकले हैं। उसमें एक नयी चाल चली जा रही है। उसमें 164 का बयान अभी कराया है लड़की से। एस. पी., नागौर ने इन्ट्रेस्ट लेकर लड़की को पुलिस लाईन में सात दिन रख कर 164 का बयान तैयार कराया है ताकि अब्दुल रज्जाक को वापस उस जगह पहुंचाया जा सके और इस केस को 354 का बना सकें। एस. पी. के यह अधीन है किन्तु कार्यवाही नहीं कर के अब्दुल रज्जाक को वापस वहां भेजने की कार्यवाही, कोशिश की जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब तक इस केस पर पूरी तरह से जांच नहीं हो, डी. आई. जी. के हिसाब से थानेदार अब्दुल रज्जाक को लाडनूं में नहीं रखा जाये और जब तक उस के ऊपर निर्णय न हो इसको 354 का कैस नहीं बनाना चाहिये। लेकिन लोकल डी. आई. जी. ने इस पर यह लिखा है कि क्योंकि यह लड़की सात दिन से पुलिस लाइन में अब्दुल रज्जाक के कब्जे में है इसलिये 164 के बयान नहीं लिये जायें। यहां तक होता तो ठीक है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमको यह आशंका है कि वे कहीं न कहीं इस कार्यवाही को बदलवायेंगे। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा। माननीय शर्मा के तीन तरह के स्थगन प्रस्ताव हैं। कुछ में जानकारी प्राप्त हो गई है। इसलिये तीनों पर एक साथ बोल जायें।........

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : इतना ही निवेदन करूंगा यह छोटी सी शीशी है 84·00 रुपये की है........

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : 5 लाख की शीशियां मेडिकल विभाग द्वारा खरीदी गयी हैं। भगवान न करे आपको भी डाइबिटीज हो जाये। इसको चैक करने के लिये यह स्थगन प्रस्ताव है। यह 84·00 रुपये की है। शीशी एक्सपायरी डेट की है। यह लूट है।........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें। आपस में बातें न करें।........

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक को भी नहीं बोलने दूंगा.......

I am not able to speak. No body will disturb. Now, I am ready.

श्री अध्यक्ष : आपको सब विषय पर इजाजत दे रहा हूं........

श्री हरीश शर्मा : डिस्टर्ब करते हैं। मैं यह देख रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्प बचत लाटरी विभाग में घोटाला जानबूझ कर किया जा रहा है। वहां पर नियुक्त दैनिक कर्मचारी हैं उनको नियमानुसार स्थायी करना चाहिये परन्तु आर्डर निकलते हैं, नौकरी से हटा रहे हैं और रिश्वत देते हैं तो उनको वापिस ले रहे हैं। यही नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको कहते हैं, जगह नहीं है। थोड़े दिन बाद विज्ञापन निकलता है। विभाग में क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थान रिक्त हैं। उनको नियुक्त कर रहे हैं और उन लोगों को निकाल रहे हैं। उन्हीं लोगों को दो-तीन दिन बाद लिया जा रहा है। क्या वित्त मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिश्वत मांग रहे हैं। यह खुले आम हो रहा है। यह लाटरी खोली जा रही है। यही नहीं, 14 तारीख इन्टरव्यू की तारीख तय हो गयी थी, बीस हजार रुपये दे दिया तारीख बढ़ा दी। वित्त मन्त्री जी क्या जांच करेंगे कि तारीख क्यों बढ़ा दी ? आखिर यह नाटक क्यों ?

एक बात प्रमाणित करके बता दूंगा। इसके पीछे चेन है, कड़ी है, स्टेप बाई स्टेप, कदम से कदम मिला कर यह हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नियमों का पालन करते हुए जिन्होंने 240 दिन पूरे कर लिये हैं, उनको तत्काल स्थायी किया जाये और नयी भर्ती को रोका जाये। गलत लोगों को लगा रहे हैं। उन लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कालिया खेड़ी के बारे में जवाब दिया है। लालपुरा

(श्री हरीश शर्मा)

पंचायत समिति में ग्राम पंचायत कालिया खेड़ी बहुत पुराना गांव है। पंचायत का निर्माण हुआ था तब से ही यहां ग्राम पंचायत थी लेकिन राजनैतिक कपट के कारण, जानबूझ कर क्योंकि सरपंच गोपालपुरा का था वहां से पंचायत हटाने की कार्यवाही की गयी। सारी पंचायत के पंच, पंचायत के निवासी तैयार हैं कि यह पंचायत यहीं रहेगी लेकिन जनभावना की हत्या कर के यह किया गया है। जवाब दिया गया है कि यह स्थगित कर दिया गया है।

ऐसा ही राजस्थान वित्त निगम का मामला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दिया है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा जो जनरल मैनेजर है वह ×× करता है। जो भी फाइल जाती है चाहे किसी की हो उसको बिना देखे ही रिजेक्ट कर देता है। कोटा, झालावाड़, बूंदी के लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास लाइसेन्स हैं, वे दुखी हैं। दुर्भाग्य से एक ड्राइवर टेरीलीन के कपड़े पहिन कर चला गया। उन्होंने कहा टेरीलीन के कपड़े पहिने हुए ड्राइवर कैसे हो सकता है। क्या एक ड्राइवर टेरीलीन के कपड़े नहीं पहिन सकता? क्या वह ड्राइवर नहीं हो सकता? राजीव गांधी पायलट था, यह सारी दुनियां जानती है। यह गलत है। यह बहुत खराब बात है। ऐसे सभ्य और भोले आदमियों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। जो रिश्वत देता है, लेता है उसको मैं पकड़ाता हूं। जब से मैं एम. एल. ए. बना हूं मैंने यह नहीं होने दिया है। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। मैं झुकने वाला नहीं हूं। इस प्रकार की जांच की गयी तो मेरा कुछ नही बिगड़ेगा। जो रिश्वत खोर है, बेईमान हैं उनको पकड़ो।

अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी बात है। हमारे माननीय सदस्य श्री छीतरमल आर्य हैं। कितनी यह ज्यादती है........

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आगे और आ रहा है। उस वक्त आप चाहें तो एक-आध मिनट बोल सकते हैं। इस पर अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे।........

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है। श्री छीतरमल आर्य का कितना साधारण-सा मामला है।

अध्यक्ष महोदय, कितनी गम्भीर बात है, मेरी बात को काट दें, मैं बैठ जाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जमाने में अगर काम करवाना है सरकार से तो दो में से एक चीज होनी चाहिए, एक तो जेब में रुपया हो या ×× तो काम होता है, नहीं तो होता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है और हाथ जोड़ें तो भी कोई नहीं सुनता है। उनसे कहा था यह वाजिब काम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिलाधीश के पास एक किसान को हाथ जोड़े खड़े देखा था, उनसे उसने कहा था कि माई-बाप मर जाऊँगा, गरीब आदमी हूं। कोई सुनता ही नहीं है। रुपया लेकर जावो,

×× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरीश शर्मा)

× × तो फट काम करते हैं। फिर चाहे जमीन किसी की भी हो। अध्यक्ष महोदय, गांव वाले तहसीलदार के पास गये कि रास्ता दिया जाय, यह रास्ता ठीक नहीं है इसको बन्द कर दिया जाय लेकिन वे नही माने। आखिर यह सब क्यों नहीं होता। क्या न्याय के प्रति लड़ना, आवाज उठाना सदस्य का कार्य नहीं है। तो यह सब क्या है? सरकार, राजस्व मंत्रीजी यहीं पर हैं अगर उनमें जरा सी नैतिकता है तो जांच करवाकर तहसीलदार को निलम्बित करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां। सड़कों के बारे में।

श्री चाव खाँ (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी ही दुःखी आत्मा के साथ आज सदन में अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे निर्माण मंत्री श्री चेतराम मीणा ने जब अपना 12 तारीख को वक्तव्य दिया सड़कों के मामले में, उस समय मुझे भी जानकारी हुई और मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को जानकारी मिली। मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्रीजी तशरीफ लेकर आये। उस वक्त हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपना चार्ज हाथ में लिया था। सबसे पहले अपना दौरा पहाड़ी कामां का किया। उनके साथ हमारे निर्माण मंत्रीजी भी मौजूद थे। कामां के लोगों ने खास तौर पर वहां के तीर्थ स्थानों के बारे में अपनी बात इनके सामने रखी। उस समय आप लोगों ने हमें विश्वास दिलाया और भरतपुर में उसके साथ जो मीटिंग हुई उसमें भी यह विश्वास दिलाया कि वहां पर जो तीर्थ स्थान हैं उनके लिए अवश्य सड़कें दी जायेंगी। हमें यह आशा थी कि कामां क्षेत्र में चाहे दूसरी जगह सड़कें न भी दी जायें लेकिन·······

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : ·······सदन में कोई नहीं बोल पायेगा आज, मुझे आप सदन से बाहर निकाल दें, कोई नहीं बोल पायेगा। × × मुझे यहां आकर के What is this × ×। मेरा गला एक्सीडेन्ट में खराब हो गया, लेकिन मैं लड़ने में कमजोर नहीं हूं। × × मैं नहीं बोलने दूंगा किसी को। जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे रोकते हो, मेरा नाम नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं होने देंगे आगे।

श्री हरीश शर्मा : तो फिर यह क्यों कर रहे हैं।

श्री चाव खां : लेकिन जब देखा गया कि जो भी सड़कें कामां क्षेत्र की बना दी गयीं। 36 किलोमीटर सड़कें हैं, इसमें बताया गया है कि इन्होंने जिस पर 36 लाख के करीब खर्च किया जा रहा है, हमारे कामां क्षेत्र में दी गयी हैं। मैं सदन को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि तीन सड़कें गोपालगढ़ तक ही दी गई हैं। गोपालगढ़ एक छोटा

× × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चाव खां)

कस्बा है, वहां से गोपालगढ़ से सेकड़ी, गोपालगढ़ से लाडमसा, गोपालगढ़ से जोतूला जो तीन सड़कें दी गयी हैं, वे मेरे क्षेत्र में नहीं आती। उनसे मुझे कोई लगाव नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं मांगता। आप मुझे न भी दें, तो मुझे दुःख नहीं लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि जो मेरे भाई, मेरी माता-बहिन कलकत्ता, बम्बई और दूसरे दूर-दराज से आती हैं। लम्बे लेट-लेट कर उन तीर्थ स्थानों पर पहुंचते हैं, वहां पर सड़कें नहीं देना, या तो इनका धर्म नहीं है या मैं मुसलमान नहीं हूं। मैं जब उनकी दशा को देखता हूं, उन लोगों के काफले लाखों की तादाद में आते हैं, उनके वहां पर कैम्प लगाये जाते हैं, वहां पर झंडे लहराते हैं तो मुझे अरफात का मैदान जहां पर मैं हज करने गया था, याद आ जाता है। वहां की बात आपको क्या बताऊं, एक हजरात इस्लाम और इब्राहिम इस्लाम को जिस वक्त अल्ला ताला का हुक्म हुआ कि आप यहां से फलां मुल्क में निकल जावो तो बीबी हाजरा और इब्राहिम इस्लाम, जो उस वक्त छोटे से बच्चे थे, को छोड़ कर चले जाते हैं। छोड़ कर चले जाने के बाद, वहां पर दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ है मरवा, जहां पर पानी का कोई निशान नहीं, गांव का कोई निशान नहीं वह बेचारी पानी की तलाश में उन पहाड़ों पर जाती है। पहाड़ों पर जाने के बाद जब उसको बच्चा याद आता है, उसे कोई जानवर नहीं ले जाये उठाकर, इसलिए वहां जाती है। वह सात बार जाती है सात बार लौट कर आती है। आज अगर आप वहां पर देखें, पहाड़ों के ऊपर सड़कें बना दी गयी है, सड़कें ही नहीं बल्कि उन पहाड़ों को काट भी दिया है। इतना वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जो अदम-कुण्डी जो कामां से सात किलो-मीटर दूर है जहां पर एक सेन्टर पंचायत का भी मिलता है। वहां पर हजारों, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, आज इस सरकार को चलते हुए 35-36 साल हो गए लेकिन इस सरकार ने उस तीर्थ स्थान के लिए एक सात मील का टुकड़ा बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया।

इसके अलावा गंगोरा से अंजलि जो एक मन्दिर है वहां पर लोग हजारों, लाखों की तादाद में जाते हैं जो वहां से 5-6 किलो-मीटर दूर है, उसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कोई सड़क न दी जाए लेकिन मेरे तीर्थ स्थानों के लिए और कलकत्ता, बम्बई, चारों तरफ मुल्कों से जो लोग आते हैं उनके लिए सड़कें दी जाय। वरना मैं आपके सामने यह दावा करता हूं, कसम खाता हूं कि मुझे सत्ता से लड़ना पड़े, चाहे अपनी जान खोनी पड़े, लेकिन सड़कें सरकार से लेकर ही रहूंगा। आप वहां की हालत को देखें, कितनी बार कामां में गये है। जब मैं वहां गया तो लोगों ने मुझे यह कहा, मैंने कसम खायी थी, मैंने वायदा किया था कि अगर मैं जिन्दा रहूंगा, सरकार कोई भी बने या नहीं बने लेकिन आपके तीर्थ स्थानों के लिए मुझे खून भी बहाना पड़े पसीने की जगह तो बहाऊंगा। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि आप

(श्री चाव खां)

वहां की जानकारी कीजिए। सरकार के जो कानून हैं उसके मुताबिक आपको 10 किलोमीटर की सड़क देनी होगी। जहां पर तीन सेन्टर हों, तीन पंचायतें जुड़ जाती हों, दो तीर्थ स्थान हों वहां केवल 11 किलोमीटर सड़क बनानी हैं। काम पास हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। गोपालगढ़ से मुझे धोखा देने के लिए वहां तीन सड़कें तो बना दी जाती हैं, मंत्री महोदय मुराद खां के कहने से वहां पर तीन सड़कें बना दी जाती हैं। हाजीजी को ×× बनावो, इनको सड़क मत दो। मेरे क्षेत्र का नाम ले लिया और कामां में बना दी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ता हूं, मैंने आपकी हमेशा इज्जत की है। मुझे विश्वास है कि मेरे दोनों तीर्थ स्थानों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर। भवानी मण्डी कस्बे के अस्पताल के डॉक्टर और मरीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी कस्बे के अस्पताल की भयंकर खस्ता हालत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां न तो लेडी डॉक्टर और न डॉक्टर उपस्थित रहते हैं, आये दिन वहां दवाइयां बेची जाती हैं। अभी दो मरीजों को वहां के डॉक्टरों ने दवाइयां बेचीं। ग्लूकोज की बोतल 50 रुपये में बेची। आये दिन मरीजों को इस तरह से परेशान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। कई बार अधिकारियों से निवेदन करते हैं, शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जिले के अन्य अस्पतालों की भी यही स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के हास्पिटल की जांच करें, वहां के डाक्टर समय पर उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं? एक ही समय पर एक ही साथ छुट्टी क्यों लेते हैं? मरीजों की इस प्रकार की स्थिति है उनको कोई सम्भालता है नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव डग कस्बे में 14 सितम्बर को हरिजन मोहल्ले में घर में घुसकर........

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। ठीक है।

श्री बालचन्द आर्यवीर: हरिजन मोहल्ले में घर में घुस कर निर्ममतापूर्वक मारा है। थानेदार को संरक्षण दिया है। इनके कार्यकर्ता लोगों ने घर में घुसकर हरिजन महिला को मारा, वह गर्भवती थी। हरिजन थानेदार के पास गये तो 10 से 5 बजे तक

×× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

बैठे रहे लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। जब वे झालावाड़ के लिए रवाना हुए तब जबरदस्ती बस से उतारकर उनकी रिपोर्ट लिखी। मैंने एस. पी. को फोन करके कहा कि इस प्रकार से क्या हो रहा है। थानेदार ने गुंडों को फरार कर दिया। गुंडों को बाद में योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया जैसी आपके पास रिपोर्ट आयी है। तीन गुंडे अभी भी फरार हैं और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बहुत दुहाई देती है कि हम हरिजनों की रक्षा करते है। लेकिन यह ×× क्या रक्षा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुयी है। हरिजनों और गरीबों में भयंकर आतंक फैला हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो गुंडे फरार हैं उनको गिरफ्तार करें और उनकी सुरक्षा नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल। सीकर रेल्वे स्टेशन के पास किसी बेवा की जमीन पर कब्जा।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कास्ट और ट्राइब के बारे में वैसे तो जिस प्रकार की सनसनीखेज बातें अखबारों में रोज पढ़ने को मिलती है, इसी प्रकार की एक घटना सीकर के अन्दर हुयी है। उसमें छोटू मीना की बेवा जिसके केवल 2 बच्चे ही हैं, एक बच्ची है और कोई सहारा नहीं है, उसके पास सीकर में मकान है और करीब 10 बीघा की जमीन है। 10 बीघा जमीन पर और उसके मकान पर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है और विवाद के फलस्वरूप जमीन के लिए वह रेवेन्यू बोर्ड से जीत गयी और मकान वह हाई कोर्ट तक से जीत गयी। वह उसमें रह रही थी, जमीन को बो रही थी कि तुरन्त ही 8-10-84 को श्री जगन-सिंह, भूतपूर्व एम. एल. ए. ने मकान और जमीन पर कब्जा कर लिया और यह किया कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक ने। जब कब्जा किया तो उसने विरोध किया। उसके तुरन्त बाद रात के 11 बजे पुलिस के 20-25 जवान और थानेदार की सहायता से घर में जो 20-30 हजार का सामान था उसको बाहर ही नहीं फेंका बल्कि उस सामान को पास के कुए में डाल दिया गया और दूसरी जो जमीन थी उसको दूसरे दिन जोता गया। उसके बाद पुलिस ने यहां तक किया कि सवेरे वह आयी और उसके तुरन्त बाद ही वहां के आसपास के जो रिश्तेदार आये थे उन सभी रिश्तेदारों को जो 15-20 के करीब औरत और मर्द दोनों ही उसमें शामिल थे, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 8.10 को लिया और आज 10 दिन हो गये है वे सब पुलिस की हिरासत में हैं और वह बेवा भी पुलिस के अन्दर ही हिरासत में है और कांग्रेस के प्रभावशाली लोग उस पर कब्जा करके बैठ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना के बारे में सरकार से तुरन्त वक्तव्य

×× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री समर्थ लाल)

दिलाना चाहिए। उसके बाल बच्चे परेशान हैं। उसके जितने भी पशु हैं उनको मकान से खोल दिया गया है। वे जंगल में घूम रहे हैं। इस प्रकार से लाखों रुपये की सम्पत्ति को जबर्दस्ती कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक ने कब्जा कर लिया। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार को आज नहीं तो कल वक्तव्य देना चाहिए। आपकी इसमें व्यवस्था हो कि कल वक्तव्य होगा, नहीं, तो मैं कल आपके सामने धरने पर बैठूंगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर निर्णय आज कल में निश्चित रूप से होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य–पीपल्दा क्षेत्र के पास लियो, जटवाड़ा में वन भूमि पर कब्जा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र सब ओर से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ काली सिंध, चम्बल, सूखनी और बाण गंगा इन नदियों से घिरा हुआ है। इन नदियों से बार-बार पानी आने से अधिक उत्पादन की जो कृषि योग्य भूमि थी उसका कटाव हो गया है और उसके कारण बड़ी बड़ी कंदरायें स्थापित हो गयी हैं। इस क्षेत्र के किसानों के हित में कटाव रोकने के लिए, पठार स्थिरीकरण और कन्दरा सुधार परियोजना के अन्तर्गत काम कराया था। मेड़बंदी का काम कुछ तो कृषि से संबंधित कार्य था और कुछ वानिकी से संबंधित कार्य था। प्लान्टेशन आदि लगाने का काम हुआ था, अध्यक्ष महोदय, राजा महाराजाओं ने कटाव को रोकने के लिए, कंदरायें नहीं बढ़े इसके लिए मेड़बंदी का काम कराया था। इसलिए इसका काम इस इलाके में दो तीन साल से चल रहा था और प्लान्टेशन किया हुआ है। उस प्लान्टेशन को करने में किसी किसान का खेत आता था, ऐसे खेत जिस पर वर्षों से उसका कब्जा था, 20-30 साल से उसका कब्जा था, उनके पास उसके पट्टे है, उनके खातेदारी अधिकार हैं लेकिन वन विभाग के कर्मचारी मनमानी करके उनको परेशान करते हैं। विशेष तौर से बागली, पालूपा और जटवाड़ा पंचायत समिति के जो गांव है वहां पर किसानों को परेशान कर रहे हैं। उनके खेत में जबर माडिया बांधते हैं, तार लगाते हैं, वे लोग कहते हैं कि हमारे खेत है, यह मत करो। श्रीमान् वह इलाका नोन-कमाण्ड है, किसान के पास छोटी छोटी काश्त है। किसान के पास बहुत कम बीघा जमीन है। उस छोटी-छोटी जमीन पर किसान काश्त करता है। सारी जमीन को वन विभाग के कर्मचारी यह कहकर ले रहे हैं कि यह हमारी जमीन है। किसान वर्षों से काबिज हैं। हमने मेड़बंदी कर रखी है। इस जमीन को समतल कर रखा है, इस जमीन पर हमारे कुए हैं। क्यों कर इसको वन विभाग में लेते हैं। वहां के भोले भाले किसान कुछ कहते हैं तो कोई सुनता नहीं हैं। कहते हैं कि आदेश लाओ। वन मन्त्री जी यहां विराज रहे हैं, पहले भी कई बार विधान सभा में इसको रखा है। किस बात का आदेश चाहते हो। खातेदारी का अधिकार है, पट्टा है लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के कर्म-

(श्री हीरालाल आर्य)

चारी परेशान करते हैं, जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं·······

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में·······

श्री हीरालाल आर्य : नाजायज रूप से उनको परेशान किया जाता है। इस तरह के कई मामले उस क्षेत्र में चल रहे हैं जिससे उस क्षेत्र के किसानों में भारी भय है। उनके जो पशु हैं उनको भी जबरन पकड़ लेते हैं कि हमारा प्लान्टेशन है इसमें यह आ गया है जबकि कोई नुकसान भी नहीं करता है।·······

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। समाप्त करें पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : उनसे मनमाना पैसा वसूल करते हैं और उसकी रसीद नहीं देते हैं, यह शिकायत की है, थोड़े दिन पहले देलोदा·······

श्री अध्यक्ष : विस्तार में न जायें।

श्री हीरालाल आर्य : गांव में वन विभाग के कर्मचारियों ने बुरी तरह से आतंक फैला रखा है। मैने बार बार निवेदन किया·······

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने रख दी। पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं। यह उद्देश्य नहीं था। केवल समस्या को आप सदन के समक्ष दो मिनिट के समय में रख दें। काफी समय हो गया है। नयी बात हो तो उदाहरण देंगे, किस दिन क्या हुआ, किस महिने में कहां शिकायत की,

श्री हीरालाल आर्य : अब संक्षेप में ही·······

श्री अध्यक्ष : अब तो समय हो गया····

श्री हीरालाल आर्य : आधा ही आया है।

श्री अध्यक्ष : मेरी तो समझ में आ गया। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

(1.00 म. प.)

समस्या आ चुकी, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य।·······

श्री हीरालाल आर्य : इस सेक्शन को आप पढ़ेंगे·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायं। कृपया, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : जो काम बन्द किया वह तो बोला ही नहीं·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसका आधा ही पार्ट आया है अभी।

श्री अध्यक्ष : समस्या आ चुकी है, माननीय सदस्य। ऑर्डर-ऑर्डर आपकी जो समस्या है उसे रख दी। नयी बात अब आप उदाहरण देंगे.......

श्री हीरालाल आर्य : मैं उदाहरण नहीं दूंगा.......

श्री अध्यक्ष : किस खसरा नं. पर किस अधिकारी ने यह किया।

(व्यवधान)

ऑर्डर माननीय सदस्य.......

श्री हीरालाल आर्य : इसको मैं कंक्लूड करूंगा, अध्यक्ष महोदय, अनुमति प्रदान करें, कृपया.......

श्री अध्यक्ष : कंक्लूड करना, प्रारम्भ करना, भूमिका बांधना सब दो मिनट में होना चाहिये।

श्री हीरालाल आर्य : भूमिका नहीं बांधूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां तो कह दीजिये संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य : ये जो पठार और कन्दरा सुधार के काम चल रहे थे इनको पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया है। इसलिये विधान सभा सत्र में ही मैंने एक ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के माध्यम से.......

श्री अध्यक्ष : किसी और माध्यम से लायें। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह आपने सामने रख दिया है।

श्री हीरालाल आर्य : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य, बैठ जांय।

अंकित न हो

श्री हीरालाल आर्य : ××

माननीय सदस्य बैठ जांय। कृपया बैठ जायं। कोई चर्चा नहीं होगी। ऑर्डर.......

श्री हीरालाल आर्य : ××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जांय।

श्री बंशीलाल पटवा।

मांडलगढ़ क्षेत्र में कानून और व्यवस्था का बिगड़ना।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में कानून और व्यवस्था टूटती चली जा रही है.......

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लेंगे।

श्री बंशीलाल पटवा : दो मिनट में कह दूंगा। मन्त्रीजी गड़बड़ कर रहे हैं, उधर फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा।

×× माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बंशी लाल पटवा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में कानून और व्यवस्था टूटती जा रही है विशेष रूप से मांडलगढ़ में हालात ज्यादा खराब हैं। पिछले दिनों दीगोद में भूमि विवाद के सवाल को लेकर के भाजपा के कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमें बनाये गये। उनका चालान पेश कर रहे थे उसके बारे में भाजपा के कार्यकर्त्ताओं ने यह मांग की कि ये चालान जो आप पेश कर रहे हैं इसकी पुनः तफतीश कर ली जाय। इसके लिये मैंने भी आग्रह किया लेकिन उस बात को नहीं मान करके वहां पर 12 व्यक्तियों को जो भाजपा के कार्यकर्त्ता हैं और सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त मांडलगढ़ में किसी का बैल चोरी हो गया, किसी की मवेशी चोर ले गये उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गांव के व्यक्तियों ने भाजपा के सरपंच के साथ शिकायत की कि इसका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो। उस समय ए. एस. पी. थे मामला सुन लिया गया, बात सुन ली गयी लेकिन उसके बाद भी भाजपा के 35 कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ जो इस तरह से झूठे मुकदमे बनाये थे उनके खिलाफ इस्तगासे कोर्ट में पेश कर दिये गये। इसके अतिरिक्त और भी राजनैतिक कारणों के आधार पर प्रजुडिस होकर फिर गांव में भाजपा के सरपंच और प्रमुख कार्यकर्त्ताओं पर इस तरह के मुकदमें बनाये गये। वहां के डी. एस. पी. और वहां के जो एस.डी.ओ. हैं वे अनुभवहीन हैं। उनकी अनुभवहीनता का परिणाम पिछले दिनों जब मोहर्रम निकले थे, सूझ-बूझ से काम लिया जाता तो वहां पर चार दिन मोहर्रम नहीं पड़ा रहता। मांडलगढ़ में इस तरह की दयनीय स्थिति है। वहां हिन्दू और मुसलमानों के बीच मे विवाद नहीं था, सरकार के और मुसलमानों के बीच में विवाद था और सूझ-बूझ से काम नहीं लेने के कारण चार दिन तक मोहर्रम पड़ा रहा। वहां के डी. एस. पी. को हत्याओं के मुकदमों की तफतीश दी गयी लेकिन आज तक फाइलें पड़ी हुई हैं। इस तरह से मांडलगढ़ में आतंकपूर्ण स्थिति को जन्म मिल चुका है। जहां मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह का तनाव हो और पुलिस और इन अफसरों की हालात यह हो और जो जुल्मी अफसर है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है सरकार की ओर से, तो मैं कहता हूं कि जिले और राजस्थान की हालत अब नहीं बदल सकती। ज्यादतियां और बढ़ेंगी। तो मेरा यह अनुरोध है कि मुख्यमंत्री इस यथार्थता का अंदाज लगाकर वहां तनावपूर्ण स्थिति पैदा नहीं करें। भाजपा वहां पर है, यथार्थता के आधार पर संजीदगी से यदि काम करना चाहते हैं और राजनैतिक प्रज्युडिसेज के आधार पर यदि भाजपा के कार्यकर्त्ताओं को दबाया गया और वहां पर उन पर झूठे मुकदमें दर्ज कराये गये और इसी तरह जुल्म किया जाता रहा तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आन्दोलन करेगी। इसलिए आपके माध्यम से यह कहना है कि सरकार बाज आये, मुख्यमंत्री विशेष रूप से अंधेरे में न रहें, यथार्थता का पता लगायें, नहीं तो स्वयं के क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्त्ताओं से मुकाबला करना पड़ेगा मेरा इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष : खटीक जाति के परिवारों की भेड़ें लूटने के संबंध में। श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था मैं यही चाहता था कि आप गवर्नमेंट से जवाब दिलाते। यह एक ऐसा मामला है, अध्यक्ष महोदय, कि शाहपुरा पंचायत समिति के प्रधान श्री सम्पत·······

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, किसी का नाम नहीं लेंगे। आप पद से सम्बोधित कर सकते हैं, माननीय सदस्य। पदाधिकारी हैं, तो पद से संबोधित कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, विडम्बना इस बात की है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री जिस जिले से आते हैं वहां कानून और व्यवस्था किस तरह से बिगड़ती है, माननीय पटवाजी ने सदन के सामने रखी है। घटना इस प्रकार से है, अध्यक्ष महोदय, कि 7 अक्टूबर को जब पंचायत राज्य सम्मेलन हुआ था तो प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी ने उनके प्रधान को सम्मानित करवाया प्रधान मंत्री के द्वारा और सम्मानित होकर के वापस जब गांव गये, 9 तारीख को जब अपनी पंचायत समिति की जीप में दस-पंद्रह लोग, प्रधान के तीन पुत्र और उनके 10 ऐसे अपराधी गैंग के लोग, 15 आदमी दूसरे, ये सब बैठ करके कनेन कला गांव में गये। अध्यक्ष महोदय, और वहां दिन दहाड़े हथियारों से लैस होकर गए और 5-6 सौ माधुव, मोहन और किशन खटीक की भेड़ें जबर्दस्ती लूट करके वहां से ले आये। अध्यक्ष महोदय, इतना होने के बाद भी क्योंकि वहां पर इनको वहां के मुख्य मन्त्री का प्रश्रय प्राप्त है, क्योंकि वे उनकी कार में बैठ करके घूमते हैं प्रधान और वहां के मुख्य मन्त्री जी हैं माननीय श्री देवेन्द्र जी भी, उनकी कार में प्रधान का पुत्र घूमता है, मैं यह कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में·······

एक माननीय सदस्य : देवेन्द्र सिंह गृह राज्य मन्त्री नहीं हैं·······

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह से घटना हो और कानून और व्यवस्था की बात करे यह सरकार और आज पंचायत समिति का प्रधान जो डकैती करने में पंचायत समिति की जीप को यूटिलाईज करते हैं। यहां के मुख्य मन्त्री और राज्य मन्त्री उनके साथ हैं उनको बचाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है। आज तक उनके खिलाफ डकैती का केस दर्ज करना चाहिये था वह केस दर्ज नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, और यही नहीं वहां के जो डी. एस. पी. हैं वह कार्यवाही करना चाहता हैं लेकिन आपका हाथ बराबर मुख्य मन्त्री और राज्य मन्त्री के सम्पर्क में है।

(व्यवधान)

और उसका तबादला कराने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री मेघराज तावड़)

मैं आपसे कहना चाहता हूं यही गत वर्ष इसी सरपंच ने इसी प्रधान ने 1981 में 5 गुर्जर की हत्या की थी। लास्ट सेशन में यहां इस सदन में........

श्री अध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यही व्यक्ति है जिनके खिलाफ आज चार-पांच गबन के केसेज चल रहे हैं लाखों रुपये के घोटाले के, गबन के केसेज चल रहे हैं। आज यही प्रधान कहते हैं कि मुख्य मन्त्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राज्य मन्त्री देवेन्द्र सिंह जी और कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये उनकी मुट्ठी में है ×× अध्यक्ष महोदय, आज इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है और आज, अध्यक्ष महोदय, रियायत दे रहे हैं। वहां के दूसरे लोगों को कौन यह कहे। इसके पहले पांचों के सम्बन्ध में 302 का केस दर्ज किया गया था। शाहपुरा के बाजार में लक्ष्मण सिंह, थानेदार को दिन दहाड़े बाजार में पीटा था क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज किया था तो, अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सांसद गिरधारी लाल व्यास को भी पीटा गया था, इन्ही की गैंग के द्वारा इन्होंने पिटवाया था, मैं तो कहना चाहता हूं, यहां के राजस्थान के यह मुख्य मन्त्री, मुख्य मंत्री नहीं है वरन् ×× मैं साफ आरोप लगाना चाहता हूं, अगर मुख्य मन्त्री जी में दम है तो खुले आम सदन में बयान दें, और इन डकैतों को ×× प्रधान को बर्खास्त करें, अगर तुम में हिम्मत है तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह कर के यही चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी वोट बटोरने के नाम से जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करें। क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वोट दिलाने में दो महिने पहले वहां मुख्य मंत्री जी को भोजन दिया था गांव में। मुख्य मन्त्री जी को एक प्रोग्राम में जब इनको भोज दिया था जिसमें 15 हजार लोगों ने भोजन किया। उसमें मुख्य मंत्री जी शामिल थे, एक-एक सरपंच से दो-दो बोरी लेकर, एक-एक हजार रुपये कैश मांगा गया, इस तरह लूट कर पैसा वसूल किया गया, और आज वह कहते हैं कि मेरे गबन का पैसा और जितने भी गबन के केस चल रहे हैं........

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : वह कहते हैं कि वह गबन के केस अक्टूबर के महीने में राज्य-सरकार उठा लेगी। मैं सदन में कहता हूं अगर इस तरह की बात नहीं है तो बतायें कि राज्य सरकार उनके खिलाफ गबन के केस, डकैती डालने के केस उठाना चाहती है या नहीं? नहीं उठाना चाहती है, तो यहां सदन में घोषणा करें, अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री पूरे राजस्थान का मुख्य मन्त्री है ×× आज इस तरह की गैंग को प्रश्रय राजनैतिक प्रश्रय देने से ही राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं चाहूंगा........

×× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : कि मुख्य मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में सदन में स्पष्टीकरण दें, सदन को विश्वास दिलायें कि डकैतों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । वह आज भी डकैती करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं यही कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी उपक्रम "रीको" एक जाना माना उपक्रम है जो काफी दिनों से काम कर रहा है । 1976 में इसकी स्थापना हुई थी । 1976 से लेकर आज तक टी. वी. सैट्स का निर्माण करता है—हवामहल, डीलक्स, गुंजन, शृंगार, सरगम, विकास, अलंकार, तरंग व चिकारा आदि, जिन्होंने काफी लोकप्रियता प्राप्त की है । यह रंगीन टेलीविजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं । जो डिमाण्ड है उसके आधार पर काम कर रहे हैं । यह उपक्रम 1976 में जरूर नुकसान में गया था लेकिन उसके बाद, कहें तो संख्या भी गिना दूं, इन्होंने काफी मात्रा में टी. वी. सैट्स का उत्पादन किया, विक्रय किया । हर साल लाभ दिया, इस साल भी लाभ दे रहे हैं । लेकिन कुछ लोग इस उद्योग को संयुक्त सैक्टर में देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है । ऑल इण्डिया आधार पर पॉलिसी के अनुसार निजी क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाना तो है लेकिन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में देने को नहीं है, यह प्रक्रिया हमने कहीं भी नहीं देखी है । पिछले दिनों कुछ उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र से श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा सरकारी क्षेत्र में लिया गया है । इस उद्योग में 100 पुरुष और 40 महिलायें काम कर रही हैं । उस उद्योग को, जो कि लाभ में जा रहा है कुछ लोग संयुक्त क्षेत्र में देने का कुचक्र कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस रीको के चार-पांच उपक्रम और हैं । वह लॉस में चल रहे हैं लेकिन उनको इससे निकाले जाने की कोशिश नहीं की गयी । अरावली है, इसके अलावा भी हैं । इस तरह से 4-5 लॉस में जा रहे हैं । उन उपक्रमों को तो हटाने की कोशिश नहीं की जा रही । जो लाभ में है उस उपक्रम को प्राइवेट सैक्टर-टेलीविस्टा कम्पनी है दिल्ली की, को देने की कोशिश की जा रही है । श्री लूथरा उसके संस्थापक हैं । हमारे यहां के जो अध्यक्ष हैं कल उन्होंने होटल मानसिंह में दावत दी है । वह इसको उनको सुपुर्द करना चाह रहे हैं । एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं मिस्टर उदावत, वह भी इस सारे षडयंत्र में शामिल हैं । मैं कहना चाहती हूं, सरकार को आगाह करना चाहती हूं । वह लाभ की फैक्ट्री हैं । उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 60 व्यक्ति काम कर रहे हैं । उनका भविष्य अंधकार में है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार की जो योजना है यह इसको फेल करने की कोशिश है। मैकेनिकल इंजीनियर, वह किसी के रिश्तेदार हैं। मैं किसी के प्राइवेट जीवन में नहीं जाना चाहती।

(व्यवधान)

मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम हो तो आप बोल लीजिए।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें, न किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में कहें। माननीय सदस्या, समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निवेदन है कि जो इसकी देखभाल में लगे हुए हैं वे इसको संयुक्त क्षेत्र में देकर और उसमें अपनी भागीदारी लेकर इस उद्योग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह गलत तरीका है। राजस्थान में उद्योग पनपें, उद्योगों का विकास हो, यह बात थी। निरन्तर यह कहा जा रहा है कि हम नहीं दे रहे, स्पष्टीकरण आ रहे हैं। इसकी मैंने यह फाईल इकट्ठी कर रखी है। अखबारों में निरन्तर आ रहा है लेकिन कल शाम को होटल मानसिंह में बैठकर समझौता किया गया है। मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूं, वित्त मन्त्री जी को कहना चाहूंगी, इस तरह से जो लोग लूटने बैठे हैं, जो इसे निजी सैक्टर में डालने की बात कर रहे हैं आप उसको रोकें। आपको घाटा होगा तो आप अगले साल के बजट में कहोगे, पैसा ही नहीं है। मैं मेरी बात समाप्त करती हूँ। सरकार से आग्रह करती हूं, वित्त मन्त्री जी यहां बैठे हैं, संयुक्त जिम्मेदारी है आपकी भी, कि इस उपक्रम को संयुक्त क्षेत्र या निजी क्षेत्र में जाने से रोकें, न जाने दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व यहां कई माननीय सदस्यों ने....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी सिलसिले में वे लोग नीचे जुलूस लेकर आये हैं। मैं उन से मिलने जा रही हूँ। फिर मैं कोशिश करूंगी कि इनमें से कोई उन से मिले और आश्वस्त करें कि बात क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने आज प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी बात रखी है उसी क्रम में मैं भी....

श्री अध्यक्ष : क्रम में कोई बात नहीं। विचारणीय विषय देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने जैसा कुछ नहीं है। यह तो स्थगन प्रस्ताव आया है। अलग अलग हैं-सभी। आप तो, जैसे चर्चा चल रही हो कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थिति ऐसी ही हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका कारण यह है कि आज जगह जगह इस प्रकार के संरक्षण प्राप्त लोग खड़े हो गये हैं जिनका पिछले दिनों नागपुर में सम्मेलन भी हो गया था। यह लोग जगह जगह उपस्थित हैं। उसी के कारण यह स्थिति पैदा होती है। ऐसी एक घटना का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

राजाखेड़ा गांव में दिनांक 5-10-84 को सायंकाल 5 बजे रामसुजान एवं कुछ लोग श्री ओमप्रकाश राजोरिया, जिनकी कुछ समय पहले राजनीतिक काण्ड के अन्दर हत्या कर दी गयी थी, के मकान में गये। उनके मकान में जाकर उनके पुत्र के साथ, पत्नी के साथ व परिवार के जो भी सदस्य थे उस समय उनके साथ मारपीट की। जाने वाले अपराधी बंदूक, छुरा व लाठियों से सज्जित थे। वह उनका सारा सामान निकालकर ले गये। थोड़ी देर बाद दुबारा गये। जिन कमरों में से सामान निकाला था उनमें से कुछ कमरों में अपना सामान रख दिया। कुछ लोग उनके साथ थे, उनको उस मकान में छोड़कर कब्जा कर लिया। अब हुआ क्या कि यह सज्जन रिपोर्ट कराने गये थाने पर कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। हमारा सामान डाकू चुरा कर ले गये हैं, लूट कर ले गये हैं और हमारे मकान में कब्जा जमाये बैठे हैं। पुलिस ने पहले तो यह कहा कि हम आपकी रिपोर्ट तब लिखेंगे जब आप अपनी चोटों का मेडिकल कराकर लाओगे। मेडिकल कराने गये तो कहा यह मामला पुलिस का है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ तो हम मेडिकल करेंगे। खैर, किसी प्रकार इनका मेडिकल हुआ। मेडिकल रिपोर्ट लेकर थाने गये। एफ. आई. आर. लिख ली गयी। इसके आगे जो बात हुई वह बड़ी लज्जास्पद है, दुखद है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह रिपोर्ट दर्ज हुई धारा 452,323, 379 और 448 में, जिनमें मकान में जबरन घुसकर अपराध करना, डाका डालना-इन धाराओं में केस दर्ज हुआ है....

श्री अध्यक्ष : मुल्जिमों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मुल्जिलों के नाम हैं-राम सुजान, एक विनोद है, एक राकेश है, एक कमल सिंह है। अब आपने नाम पूछ लिया तो मैं यह और बता दूं, कमल सिंह जो है × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। मैंने यह नहीं पूछा। एक्सपंज।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो खुद नहीं चाहता था।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं....

बैठ जायं। आसन पैरों पर है।

ऐसा है कि माननीय सदस्यों को यह सुविधा आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए

× × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं दी जाती। जो तथ्य हों, जिस तरह से जो वाकयात हुये हों वह सदन के समक्ष आ जायं। उसका उपयोग कि इसमें उसका षड़यन्त्र है, उसके पीछे हाथ है, तो उसमें तो समस्या मेरे लिये खड़ी हो जाती है कि मैं दूसरे पक्ष को भी अवसर दूं। नियमानुसार मान-हानिकारक मामले हैं, आरोपित होने वाले हैं, अपमानजनक हैं, तो उसमें तो फिर व्यवस्था और तरह की होती है। इसलिये क्योंकि मैंने नाम पूछ लिये हैं, आपसे पूछ लिया है तो फिर यह बता दीजिये कि उनके पिता का नाम क्या है, जाति क्या है? एक्यूज्ड कहीं राजोरिया तो नहीं है?

श्री भंवरलाल शर्मा : नही साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कहीं राजोरिया ही हो?

श्री भंवरलाल शर्मा : कम्पलेनेन्ट तो राजोरिया ही होगा साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। कहीं भाई-बन्धुओं में झगड़ा हो, यह भी हो सकता है?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, कोई झगड़ा नहीं है साहब।

श्री अध्यक्ष : अब ऐसा है कि उसके अन्दर मान हानिकारक बात कहते हैं या आरोपित करने वाली बात कहते हैं, तो इस माध्यम का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर तो सदन के जो साधारण नियम हैं इस सभा के उन्हीं के अनुसार फिर कार्यवाही होती है। उसकी जांच-पड़ताल होती है।

(व्यवधान)

ऐसा है कि सदन के समक्ष रखकर कुछ न्याय प्राप्त किया जा सके वह बात तो और है। लेकिन जो विवादग्रस्त मामले होते हैं, तो उनमें प्रक्रिया जरा लम्बी हो जाती है। उसमें माध्यम भी दूसरा हो जाता है अपनी बात....

श्री भंवरलाल शर्मा : आई विथड्रा।

श्री अध्यक्ष : जो अन्याय किसी के साथ हुआ है, उसको न्याय मिल सके इसके लिये यह सदन है....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एफ. आई. आर. 168/84 दर्ज कराई गई और पुलिस से कहा कि भाई इन लोगों को हमारे मकान से निकालो और हमारा सामान हमें वापस दिलाओ, तो पुलिस मौके पर गई इनके कहने पर और पुलिस ने जाकर क्या किया कि पुलिस ने जिस एफ. आई. आर. के हवाले से फर्दजब्ती लिस्ट बनाई और फर्द जब्ती में जो सामान बच गया था राजोरिया परिवार का चारपाई वगैराह जिसको गुण्डे और लुटेरे ले जा नहीं सके उसको फर्ज जब्ती लिस्ट बनाकर जब्त कर लिया गया और जब्त कर थाने पर ले आई। कौन से सामान को, उस सामान को जो राजोरिया परिवार का बच गया था और ले जाकर उनसे कहा कि बाकी सामान पर भी कब्जा कर लो, आपसे यह रह गया था, अध्यक्ष महोदय, यह मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक कह रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : फर्ज जब्ती सामान हैं चारपाई, बरतन, कपड़े जो गैर सिले मुकदमा नम्बर 168/84 अन्डर सैक्शन 147, 145, 142, 323, 379, 448 यह जो मैं अर्ज कर कहा हूं, इनके रेकार्ड की है, मुकदमा नम्बर 168/84 के तहत ही यह सामान जब्त कर लिया और जब्त किया सामान भी चारपाई, रजाई, बक्स लोहे का, लालटेन करीब....

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बी चौड़ी फर्द लिस्ट होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत बड़ी सूची है। यह सारा सामान इस सबूत के लिये ले गये कि कभी लगे कि आपके मकान में आये थे और इसे लूटा गया था। इसको भी कहीं अदालत से प्रमाणित करना पड़ेगा, तो यह सामान उस समय आपके मकान पर उस वक्त मौजूद था इसलिए वह सामान उठाकर ले गये, इसके पीछे कौन है, अब चूंकि आपने मना कर दिया आप मुझे इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि यह क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। आपने मना कर दिया है इसलिये मैं नहीं कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आपने तो सही तथ्य सामने रख दिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे राजाखेड़ा का हाल है और राजाखेड़ा के विधायक कौन हैं? आप जानते है मैं बताना नहीं चाहूंगा एक संकट और खड़ा हो जायेगा।

(व्यवधान)

तो, ऐसी स्थिति में जहां इतने बड़े प्रभावित लोग रहते हों, उनके निवास स्थान पर, उनके क्षेत्र के थाने की पुलिस इस तरह की हरकत करे, उनकी सुरक्षा करने के लिये यह करे कि उनके बचे हुये सामान को निकाल कर उस पर मुलजिमों का कब्जा करा दे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। पता नहीं घर जायेंगे, तो कब्जा किसका मिलेगा। इस तरह से फिर क्या हुआ इनको फिर प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहित भी हुये और जो खेत है राजोरिया जी का उसमें बाजरा वगैरह खड़ा था, उसकी 10 तारीख को जाकर फसल काट ली। जब पुलिस का इतना संरक्षण होगा तब इस प्रकार की स्थिति होगी, सभी कुछ होगा, तो किस प्रकार से नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहेगा और विशेषकर विरोधी लोग हैं, विरोध पक्ष में जो बैठे हैं।

(व्यवधान)

राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करने के कारण ऐसा आचरण लोगों का होगा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर चिन्तन और चिन्ता का विषय है आप तो बड़े संवेदनशील हैं जब मैं यहां बात कह रहा था तब आपकी बातों से लगा कि बड़ा अन्याय हुआ है और मैं समझता हूं कि कुछ व्यवस्था आप करायेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ द्वारा आन्दोलन।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के 100 के करीब कार्यकर्ता श्रमिक आज धरने पर बैठे हैं, पिछले एक महीने से वह आन्दोलित हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। 27 सितम्बर को उन्होंने रीजनल कार्यालयों में धरने दिये हैं, 9-10 अक्टूबर को सर्किल आफिसेज पर भूख-हड़ताल 72 घन्टे उन्होंने की, 15 अक्टूबर को आम-सभायें की और आज वे धरने पर बैठे हैं, 20 अक्टूबर को उन्होंने सामूहिक अवकाश लेने का निश्चय किया है। 6 सूत्रीय मांग-पत्र वह राज्य सरकार को दे चुके हैं। मैं नहीं चाहता हूं उन मांगों को रखना लेकिन मैं केवल एक मांग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले समय जब विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी जिसमें 50 हजार श्रमिक इन्वाल्व हैं उनकी 57 दिन की तनख्वाह आज तक सरकार के पास पड़ी है। राजस्थान के मुख्य-मंत्री श्रीमान् शिवचरणजी माथुर ने बुलाया। वार्ता की और वार्ता करने के बाद उनको निश्चित रूप से इस प्रकार का आश्वासन दिया, उस आश्वासन को हाई कोर्ट में ले गये, कोर्ट ने कहा कि केवल इस पर नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है, लिगली भी इस बात के लिये जिम्मेदार हैं। राजस्थान के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब जब हड़तालें हुई हैं "नो वर्क नो पे" जरूर है, लेकिन हड़ताल के दिनों को अवकाश में या उपार्जित अवकाश में समायोजन हो जाता है। राजस्थान के इतिहास में केवल एक ही हड़ताल 57 दिन की हुई थी। 2 महिने की तनख्वाह, 50 हजार कर्मचारियों की राज्य-सरकार के यहां पड़ी है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बिजली बोर्ड के लोगों से कहना चाहता हूं, राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, बिजली बोर्ड कहता है, किसी तरह की समस्या नहीं है। राज्य सरकार जो इस प्रकार का कुचक्र चला रही है उनके बच्चों को, उनके परिवारों को सब वह मुहैया नहीं करा रही है। राजस्थान में विद्युत व्यवस्था कैसी है इससे आप परिचित हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार का असहयोग, सरकारी वर्ताव श्रमिकों से चल रहा है। किसान के सामने, मजदूर के सामने विद्युत की समस्या लगातार खड़ी है और मैं चाहता हूं कि यह आन्दोलन न बढ़े, उनकी जो वाजिब 6 मांगें हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। केवल एक मांग की चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं, ऐसी वाजिब मांग है, जिसका पुराना इतिहास राजस्थान में है। राज्य सरकार ने आन्दोलन का समय उपार्जित अवकाश में समायोजित किया है। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उचित मांग है, इसकी परम्परायें हैं, इस प्रकार के निर्णय पहले भी रहे हैं, राज्य-सरकार हठ न करें, 57 दिन की तनख्वाह उपार्जित अवकाश में समायोजित करें और बाकी 5 मांगों के विषय में उनसे बात करें, बुलावें, ताकि राजस्थान के विद्युत श्रमिक, कर्मचारी आन्दोलन के पथ पर नहीं जायं। यही मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठ जायं। आपका भी आ रहा है।

श्री उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री छीतरलाल आर्य की गिरफ्तारी— इसमें 2-3 माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं। समयाभाव है........

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी का सवाल है। एक-एक मिनट सभी बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

दोनों को 5-5 मिनट। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य छीतरलाल आर्य 10 अक्टूबर को गिरफ्तार हो गये। उनका कसूर क्या था कि उनके क्षेत्र के गांव मोतीपुरा के लोगों ने आकर उनसे शिकायत की कि........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो अनुमति दी बड़ी उदारता दिखाई, सरकार बिल्कुल उपेक्षा कर रही है। यह उपेक्षा हमारी नहीं है, सदन की उपेक्षा है। अब गृह सम्बन्धी मामले यहां उठाये जा रहे हैं, यह नहीं कि गृह मंत्रीजी और मुख्यमंत्रीजी उनके साथ राज्य मंत्रीजी भी हैं, दोनों में से किसी एक को तो उपस्थित रहना चाहिये। हम जो कुछ कह रहे हैं आप विश्वास रखकर चलिये कि प्रोसीडिंग तो वे पढ़ने वाले हैं नहीं। सरकार इतना परिश्रम करें कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने यहां कहा है उनकी प्रोसीडिंग मंगवायेंगे, पढ़ेंगे, यह बात तो होगी नहीं। तो इतनी उपेक्षा तो नहीं होनी चाहिये और इसलिये मैं चाहूंगा कि........

श्री अध्यक्ष : वरिष्ठ मन्त्रीजी बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वरिष्ठ मन्त्री जी तो हैं। जहां तक नियमों की पूर्ति का सवाल है कोई मिनिस्टर यहां बैठा है, तो उसके कारण से नियमों की पूर्ति तो हो जायेगी, लेकिन जो बात कहना चाहते हैं, भावना व्यक्त कर रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, उनके बारे में सरकार उपेक्षा करके चले यह उचित नहीं है। अब वैसे वित्त मन्त्रीजी बैठे हैं लेकिन वह भी यह महसूस करेंगे अगर गृह सम्बन्धी मामला हो, सिंचाई सम्बन्धी मामला हो, बिजली सम्बन्धी मामला हो, तो सभी प्रश्नों के उत्तर वे नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में कम से कम मुख्य मन्त्रीजी नहीं बैठे, राज्य मन्त्रीजी को तो बैठना चाहिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : जरूरी काम आ गया होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक सदस्य का मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधान सभा में एक दिन नहीं आये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारे के सारे नोट्स आम को पहुंच जाते हैं सम्बन्धित मन्त्री होता है उसके पास, उसकी नॉलिज में आ जाता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नोट्स कैसे पहुंचते हैं कैसे नहीं पहुंचते हैं । नोट्स तो बिजनेस लिस्ट जो जाती है वही चली जाती है, इस पर ये-ये मेम्बर बोले हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो बहस के मुद्दे होते हैं........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बहस के मुद्दे, आज मान लीजिये एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी का मसला है । आप बोलेंगे नहीं, दूसरे चेतरामजी बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं, तो ऐसे मामलों में जानकारी किसको दें । माननीय सदस्य बैठे हैं किसको जानकारी दें हम हाऊस में ? सुन लेंगे, हम भी बैठे हैं वो सुन लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो सरकार की ओर से उत्तर........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर नहीं, ऐसे मामलो में तो सरकार को....

श्री अध्यक्ष : उत्तर प्राप्त हो गया माननीय सदस्य । मन्त्री महोदय को यह सूचना भी नहीं कि अध्यक्ष आज बैठक से पहले यह व्यवस्था देगा और बैठक में दो-दो तीन-तीन मिनट के लिए माननीय सदस्य को अवसर दिया जायगा । वैसे मन्त्रियों को उपस्थित रहना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रहा हूं । आपने इतना आदेश दे दिया है इस पर भी उनके ऊपर कुछ लगे तब, सबके सब बैठे हैं बाहर ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मोरली कर्तव्यों का पालना करना चाहिये मन्त्री महोदय को ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपकी बात नहीं मानेंगे तो जनता की बात क्या मानेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी गिरफ्तारी का कारण यह था कि इनके क्षेत्र के गांव मोतीपुरा के लोग इनके पास आये और उन्होंने शिकायत की कि एक व्यक्ति ने आम रास्ता पर काश्त कर ली है इसलिये लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है । विधायक महोदय गांव के लोगों को लेकर जिलाधीश के पास आये । जिलाधीश को सारी स्थिति बतलाई, जिलाधीश ने तहसीलदार के नाम आदेश दिया--मौके पर जाकर जमीन नापकर आम रास्ता खाली करवाया जाय जो पटवारी के नक्शे में दर्ज है । विधायक महोदय, ग्रामवासियों को लेकर जिलाधीश के आदेश के

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

साथ तहसीलदार से मिले और जब तहसीलदार को कहा कि आप चलकर मौका देख लीजिये तो वह बोला कि मेरे पास साधन नहीं है। विधायक महोदय एक जीप किराये पर करके दो सौ रुपये में और तहसीलदार को जीप में बिठाकर मौके पर ले गये। तहसीलदार पटवारी कानूनगो को ले गया, वहां की स्थिति देखकर बिना जमीन नापे तहसीलदार वहां से वापस चला आया। विधायक महोदय दूसरे दिन गये, तीसरे दिन गये, तब तीन बजे बारां जाने के लिए बिना छुट्टी के, कोई सरकारी काम नहीं था, रेल्वे स्टेशन पर पहुंच गये और तब चौथे दिन विधायक महोदय ग्रामवासियों को लेकर पहुंचे और उनसे कहा कि हम आपको मौके पर ले गये। हम जीप लेकर आये थे, जिलाधीश के आदेश हैं। आपके पास पटवारी, कानूनगो नापने के लिये हैं। आप रास्ता खाली क्यों नहीं करवाते तो उन्होंने कहा यह मेरी इच्छा है। जब मैं खाली कराऊंगा। जब उन्होंने कहा कि यह आपकी इच्छा नहीं है यह जिलाधीश का आदेश हैं तो उनसे कहा गेट आउट। और तब उन्होंने कहा मैं गेट आउट नहीं हो सकता। मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनभावनाओं को व्यक्त करने आया हूं। तहसीलदारजी कुर्सी पर से उठकर थाने में गये और यह का यही वर्णन उन्होंने थानेदार को किया कि यह स्थिति हुई हैं, थानेदार ने कहा कि इस पर कोई मुकदमा नहीं बनता है यह तो आप आपस में समझ जाइए। इतने में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के वहां गये। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आज पुलिस में और वहां की सारी जनता में चर्चा है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की मिली भगत है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने एक एफ.आई.आर. तैयार करवाई। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने इस ढंग से लिखवाई कि उन पर मुकदमा बन सके और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखवाई गई उस रिपोर्ट को तहसीलदार ने थाने में जाकर दिया। यह वही थानेदार बदमिजाज है, अध्यक्ष महोदय, जो एस. डी. ओ. आता है उसके लिए कुर्सी नहीं छोड़ता। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या एस.डी.ओ. से आपने उस तहसीलदार की रिपोर्ट ली, क्या जिलाधीश से उसकी रिपोर्ट ली, क्या वहां के पुलिस ऑफिसर से यह जानकारी ली कि इस एक व्यक्ति के कारण उस पूरे क्षेत्र में कितना आतंक है। आज पटवारीजी को बुलाकर यह कहा जाता है, अध्यक्ष महोदय, तुम रजिस्ट्री के केसेज लाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करूंगा। वहां की एक एक गांव की जनता परेशान है। जिसके पास पैसा है उसका काम करवाते हैं। जिलाधीश का आदेश हो या अदालत का आदेश हो, वह तहसीलदार सुनने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 14 अक्टूबर को मैं छबड़ा जाकर विधायक महोदय से मिलकर आया हूं। 14 तारीख को यह काम तहसीलदार ने नहीं किया। पुलिस ने जाकर वह आम रास्ता जो नक्शे में है, जिस पर जिलाधीश के आदेश हैं, पुलिस ने जाकर वह आम रास्ता खाली करवाया है जिससे गांव के लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। कितना बड़ा कसूर किया विधायक ने कि

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जनता की मांग को लेकर एक जनप्रतिनिधि तहसील में जाय और एक तहसीलदार उसे गेटआउट कह दें, झूंठा मुकदमा बनाये और उसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यदि अधिकारियों की यही प्रवृति रही और उनका मोरल डाउन नहीं हो इसलिए सरकार उनको इस प्रकार से प्रश्रय देती रही तो जनप्रतिनिधियों का क्या हाल होगा ? अध्यक्ष महोदय, आज उस क्षेत्र में चारों तरफ इस बात पर बहुत बड़ा रोष है। मोतीपुरा के लोग प्रदर्शन कर आये हैं अब उस तहसील के लोग प्रदर्शन करने को तैयार हैं। विधायक अपनी जमानत नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि यदि एक विधायक का इस जनतन्त्र में यह अधिकार नहीं हो कि वह जनता की वाजिब मांग को लेकर जिस पर जिलाधीश के आदेश हैं, तहसील में नहीं जा सकता और तहसीलदार की यह औकात कि वह विधायक से गेट आउट कह दे। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं वहां की सारी जनता उन मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की मिली भगत के कारण आतंकित है। मैं स्वयं सरकारी अधिकारियों से मिलकर आया हूं सब एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि कसूर इस तहसीलदार का है, विधायक का कसूर नहीं है, पर चूंकि उनकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, एक मैं आपसे और निवेदन करूं जब तहसील की यह घटना बताते हैं, उस तहसील में घटना के बाद विधायक महोदय थाने में आये और डी. वाई. एस. पी. वहां मौजूद थे, कहा कि तहसीलदारजी मेरे खिलाफ कुछ कह गये हों तो मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हो क्या ? उन्होंने कहा कि आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है, आप जाइये। तब तहसीलदारजी उस वक्त वहीं पर थे। फिर जब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आये तब यह बात आफ्टर थॉट है, इस प्रकार की रिपोर्ट लिखी गई। अध्यक्ष महोदय, क्या एक जन-प्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं रहा अब, क्या एक तहसीलदार की यह औकात हो जायगी कि वह कहे 'गेट आउट'। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हम विधायकों का संरक्षण करने वाले आप अधिकारी हैं, क्या विधायक का यह कसूर है, क्या आप इसकी ठीक तरह से जांच करवायेंगे। तह-सीलदार ने रिपोर्ट लिखवाई, है कि कालर पकड़ लिया और मुक्का तान लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी वहां पर कर्मचारियों से मिलकर आया हूं जिनके नाम गवाहियों में लिखाए गये है वह कह रहे हैं हमको आतं-कित किया जा रहा है। एक तहसीलदार की प्रतिष्ठा का सवाल है और इसलिये अधि-कारी हम पर दबाव डाल रहे है कि आप गवाही दो। पुलिस स्वयं भौंचक्की है वहां की। वह कहती है कि हम क्या करें क्या न करें। तथ्य कुछ हैं, गवाही कुछ आ रही है, कागजों में कुछ और है। ऐसी स्थिति में आप विचार कीजिये कि श्री छीतरलाल आर्य, माननीय विधायक ने कौनसा कसूर किया था जो आम रास्ता खुलवाने के लिये वहां

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

तहसीलदार से पांच बार निवेदन करने गये। जब यहां से इन्क्वायरी हुई, अध्यक्ष महोदय तहसीलदार बिना छुट्टी के वहां से गायब है। छुट्टी लेकर नहीं आया है। मैं वहां अधिकारियों से मिलकर आया हूं, बिना छुट्टी के गायब हो गया। कई कई दिनों तक बिना छुट्टी के गायब रहते हैं क्या तहसीलदार को इस प्रकार से मनमानी करने की इजाजत दी जा सकती है, अध्यक्ष महोदय। क्या यह एक विधायक का अधिकार नहीं रहा कि····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक विधायक के साथ ज्यादती हो रही है तो आपका भी कर्त्तव्य बनता है क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। इसलिये आप सरकार को इस बात के लिये बाध्य करें कि जिस माननीय सदस्य के साथ तहसीलदार ने ज्यादती की है उसके खिलाफ में कार्यवाही की जाय और उस तहसीलदार को सख्त से सख्त सजा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, यह तहसीलदार कितना भ्रष्ट है इस की जांच की जानी चाहिये और उसके आधार पर उसको सजा दी जानी चाहिये। जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है उसके लिये भी मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि वह उस विधायक को ससम्मान रिहा करें और तहसीलदार के खिलाफ में सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी। राजस्थान विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं की हड़ताल के बारे में।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, गुलाबचन्दजी की जगह पर मैं बोलूंगा।

(व्यवधान)

वह नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। कृपया शान्त रहें। बैठ जाइये माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक हैं और आप ही हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप ही हमारे संरक्षक हैं। एक विधायक के ऊपर ज्यादती हो रही है। आप ही उसके लिये व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि यह विषय आपके सामने एक स्थगन प्रस्ताव के

(श्री अध्यक्ष)

माध्यम से आया है। जहां तक माननीय सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकार और उसकी मर्यादाओं का सवाल है इस प्रश्न को अन्य माध्यम से भी सदन में लाया जा सकता है। इस विषय पर लम्बी चर्चा नहीं होनी चाहिये, इस पर लम्बी चर्चा होना उपयुक्त नहीं होगा माननीय सदस्यों के अलग अलग लीडर्स से मैं इस संबंध में बातचीत करूंगा और उसके बाद में क्या नतीजा निकलता है और जो स्थिति बनती है उस तरीके से उस पर अपन विचार कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत: किस तरीके से।

श्री अध्यक्ष : अब यह सवाल आज ही सदन में उठाया गया है, आज ही डिबेट में आया है। आज से करीब 12-13 दिन पहले आप इसको विशेषाधिकार के प्रश्न के माध्यम से उठा सकते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सात दिन हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उसका गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर को गिरफ्तार किया जाय और वह भी बिल्कुल ही अनावश्यक रूप में।

श्री अध्यक्ष : यही तो बात है। अनावश्यक रूप वाली यह बात है कि पहले दिन सूचना जब आई हमारे पास उसके बाद हमें यह सूचना मिली कि माननीय सदस्य किसी जमानत और व्यक्तिगत बौण्ड पर छूटने को तैयार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसको किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कोई गुनाह किया हो तो जमानत दें।

श्री अध्यक्ष : तो फिर किसी अन्य तरीके से देख लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तरीके तो बहुत हैं लेकिन समय नहीं है। तरीके तो हम सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमें इसमें कोई कार्यवाही करनी होगी तो हम कर लेंगे, पर इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी। अब इसमें अपन बैठकर विचार कर लेंगे और देख लेंगे कि कितना गम्भीर मामला है, उसके माध्यम क्या हो सकते हैं और किस माध्यम से हमें कार्यवाही करनी है। इसके लिये मैंने एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे दिया था और इसके अन्दर चूंकि एक माननीय सदस्य इनवोल्वड हैं और इस पर ज्यादा चर्चा नही होनी चाहिये, आप तो खुद परिचित हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो फिर आप, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कीजिये कि गवर्नमेंन्ट को बुलवा लें और....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया ना कि मैं अन्दर अपने चैम्बर में जाऊंगा तो सभी दलों के नेताओं को बुला लूंगा, गवर्नमेंट को बुलवा लूंगा, आपको भी बुलवा लूंगा। अलग-अलग पक्ष के नेता लोगों से बात करूंगा तब आपको भी बुलवा लूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरा लाल आर्य। विद्युत मण्डल के

(श्री अध्यक्ष)

के अभियन्ताओं के आन्दोलन के बारे में। आपने एक स्थगन प्रस्ताव दिया और उसमें सरकार की ओर से जानकारी चाही गयी उसमें सरकार की तरफ से जानकारी आ गयी हैं। अब आपमें से एक सदस्य बोल लें श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां एक ओर विद्युत का संकट है और विद्युत में पिछड़ा हुआ है वहां दूसरी ओर राज्य सरकार और उसके सम्बन्धित मन्त्री उनकी जायज मांगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ तो विद्युत मण्डल के कर्मचारी, श्रमिक और दूसरी तरफ विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं ने आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह जवाब दिया है कि कोई आन्दोलन ही नहीं है और सारा मामला शान्ति पूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार 21 अभियन्ता पद यात्रा करके मुख्य मन्त्री जी से सात तारीख को मिले और उन्होंने 11 तारीख को मूख हड़ताल करने का नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी विद्युत मण्डल उनकी जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उनकी जायज मांग है कि वेतनमान में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाय। राज्य सरकार ने जो घोषणायें कर दी हैं, तो केवल घोषणायें कर देने से कोई हल नहीं होता। वहां पर लिखित में कोई निर्णय नहीं हुआ है और सही निर्णय इसलिये नहीं हुआ कि उनकी यूनियनों के जो पदाधिकारी हैं उनके अध्यक्ष और मन्त्री, श्री सीताराम से उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिये थी वह नहीं की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके वेतन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाय।

दूसरा यह है कि एक उप खण्ड में पांच हजार से लेकर नौ हजार कनेक्शन्स होते हैं एक इन्जीनियर के पास। आज की तारीख में कोई नये कार्यालय खण्ड स्तर पर नहीं खुले हैं तो उप खण्ड स्तर पर तो खुलने का सवाल ही कहां है। वहां पर एक इन्जीनियर के पास 20-20 हजार कनैक्शन्स हैं और यही कारण है कि स्टाफ की कमी और दूसरी दिक्कतों से पावर में शार्टेज होता है, पावर की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज गांवों में बिजली ठीक तरह से नहीं मिल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी जो जायज मांगें है सरकार उनको नहीं मान रही है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाये और आज ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अभियन्ताओं से बैठकर बातचीत करें और उन्हें राहत देने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल। उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकान पर अवधि पार दवाइयों की बिक्री।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में 12 अक्टूबर को एक स्थगन प्रस्ताव दिया और उसके पूर्व मैंने, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को भी एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने यह

(श्री गोपाल पचेरवाल)

चाहा था कि राजस्थान की उपभोक्ता संघ द्वारा जो दुकानें संचालित हैं जयपुर में उनमें अवधि पार दवाइयों और फर्जी दवाइयों की बिक्री की जाती है और इस तरह से जनता के जान-माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्य मन्त्रीजी ने मेरे पत्र का जवाब दिया कि इस सम्बन्ध में अनियमिततायें पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको यह पत्र लिखा था 21-7-84 को और उनका जवाब मेरे पास आया 27-7-84 को। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में एक प्रश्न के दौरान सहकारिता मन्त्री जी द्वारा उत्तर इस सदन में दिया गया था। उसके अन्दर उन्होंने खण्ड दो में माना है कि सन् 1980 से अब तक दो मामले हमारे सामने आये, और सम्बन्धित विक्रेता हरकचन्द जैन और सुरेशचन्द्र ओझा को राजस्थान सहकारी मन्त्रीजी ने यह कहा कि उनको चेतावनी दे दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने 19 मार्च के प्रश्न काल में कहा था। इसमें इन्होंने यह भी कहा था कि श्री हरकचन्द जैन के सहायकों को वहां पर पद से हटा दिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से फर्जी दवायें लोगों को देना कितना गम्भीर मामला है। जयपुर की जनता के साथ गम्भीर रूप से खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से जयपुर की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई फर्जी दवा से मर जाता है तो उसके लिये माननीय मन्त्री महोदय सिर्फ चेतावनी ही देते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस दवा विक्रेता को वहां पर सुपरवाइजर बना दिया गया था, लेकिन यह दो मामले जब सामने आये और उसमें हरकचन्द को दोषी पाया गया तो उस समय के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री एन. एस. चौहान ने इसको इस पद से हटा दिया था। तो उसके लिये वह न्यायालय में चले गये। जब न्यायालय में हरकचन्द जैन का केस चल रहा था और 15-2-84 को जब बहस हो रही थी तो उसी दिन 15-2-84 को इन्होंने न्यायालय से केस वापिस लेने के लिये एप्लीकेशन दी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 16-2-84 को मन्त्री महोदय के सामने यह मामला जब आया तो मन्त्री महोदय ने यह फैसला दिया। मुझे, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की मन्त्री महोदय ने कार्यवाही की। अध्यक्ष महोदय, मानवीय दृष्टि से यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मन्त्री महोदय ने उस सुपरवाइजर हरकचन्द जैन को जिसको कि तत्कालीन महाप्रबन्धक ने दोषी पाये जाने पर हटा दिया था उसको मन्त्री महोदय ने सिर्फ चेतावनी देकर ही बात खत्म कर दी। तो, अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति अवधिपार की दवाइयां बेचे और इस तरह की कार्यवाही करे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुख्य मुद्दा यह है कि अवधिपार दवाइयां बेची उसका आपने उदाहरण दे दिया। इसमें आप मुख्य मुद्दे को छोड़कर, मूल विषय से हटकर, अवधिपार की दवाइयों के अलावा व्यक्ति विशेष की तरफ आ गये। इसमें आपने एक उदाहरण दे दिया। अब उस केस के अन्दर

(श्री अध्यक्ष)

विस्तार से क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या अपील हुई, मन्त्री महोदय ने क्या कर दिया और सरकार ने क्या कर दिया यह इसके दायरे में नहीं आता है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अपराध हुआ है। मन्त्रीजी उसको संरक्षण दे रहे हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह से जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मन्त्री महोदय उसके खिलाफ में कार्यवाही नहीं करके संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आपने कह दिया है। इसमें प्रश्न का उत्तर देने की बात होनी चाहिये क्योंकि इसमें तो सिर्फ फर्जी दवाई देने व अवधिपार दवाई देने की समस्या की ओर ही ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि····

श्री अध्यक्ष : अब एक केस को लेकर इसमें आप इतनी गहराई में जावें यह उचित नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा था कि इसमें कर्मचारियों का दोष नहीं है। इसमें माननीय मंत्री महोदय का दोष है। उस अपराध में श्री ओर म गोटेवाला सहकारिता मंत्री भी सम्मिलित हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर यह विषय से हट रहें हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : ....उपभोक्ता भण्डार से फर्जी दवाइयां दी जा रही हैं इसलिए बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने जो व्यक्ति अपराधी है उसको संरक्षण दिया है....

श्री अध्यक्ष : आरोप लगा रहे हैं इसके माने यह हुए कि उनको उत्तर देने का इसमें अधिकार होगा। यह अल्प माध्यम से....

श्री गोपाल पचेरवाल : दिलायें, अध्यक्ष महोदय। मेरे पास उपभोक्ता भण्डार के सारे मामले हैं, सारे सबूत हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके पास सारे मामले होंगे लेकिन इनको अन्य तरीकों से उठाना चाहिए था। यह अल्पकाल का माध्यम उससे भी अल्पकाल की यह आपको सुविधा दी है। यह मसला है अवधिपार दवाइयों का इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सके इसके लिए था और आपने कह दिया और एक आध सबूत भी दे दिये....

श्री गोपाल पचेरवाल : सबूत पूरे बताना चाहता था आपको । मंत्री जी का जो कृत्य है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । मंत्रियों के कृत्यों के लिए भी बहुत से अन्य माध्यम हैं....

श्री गोपाल पचेरवाल : ....ऐसे अपराधी आदमी के लिए है। देखिये कितना भ्रष्टाचार है ....

श्री अध्यक्ष : यह विषय फिर लम्बा हो जायेगा। माननीय सदस्य कृपया....

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर....

श्री गोपाल पचेरवाल : ....इसलिए मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी स्वयं इसमें इन-वाल्ड हैं और अवधि पार दवाइयां बिकवा रहे हैं। यह जनता के साथ अन्याय है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : ....मैं जानता हूं आप सुनना चाहते हैं कि मैं श्री श्रीराम गोटे-वाला पर आरोप लगाऊं। मैं जानता हूं आपकी भावनाओं को तो गोटेवाला के लिए मेरे पास अभी आरोप हैं....

श्री अध्यक्ष : ....इस पर चर्चा समाप्त हुई माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर....

आरोप वाला मामला इसमें नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर....

इसमें बिना विवाद के मामले हैं वह अधिकतर सदन की सुविधा के लिए और सदस्यों की सुविधा के लिए, जनहित की दृष्टि से सदन के समक्ष रखने के लिए थोड़ा समय दिया जाता है। विवादग्रस्त मामले आप लाते हैं तो चर्चा का विषय बनते हैं। फिर अन्य माध्यम उपलब्ध हैं उनका आपको उपयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है आपको लेकिन उसके लिए अलग-अलग माध्यम हैं और अलग-अलग समय निश्चित है।

श्री कैलाश मेघवाल—

औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर अजमेर के एक कर्मचारी को 14 माह से वेतन नहीं मिलने के विषय में।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह सबजुडिस है।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है। धन्यवाद। ....तभी तो यह सदन अच्छी तरह से चलता है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कभी-कभी तो अकल आती है।

श्री अध्यक्ष :सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

-सुश्री पुष्पा जैन : कर्मचारी के बोनस और मंहगाई भत्ते संबंधी था....

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अकाल जैसे सवाल के बारे में एक प्रस्ताव दिया था जिसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब राजस्थान में अकाल है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन इसमें एक माननीय सदस्य को मैं दूंगा, पांच मिनट का समय इसके बारे में ऐसा है माननीय सदस्य कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था मैंने दे दी थी। यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप मुझसे मिलें। मैं उस पर व्यवस्था देने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट का समय। कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है उनके नाम हैं सुश्री पुष्पा, श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री जीतमल जैन, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री रामकिशोर मीना श्री चुन्नीलाल, श्री रंगजी मीणा राज्य कर्मचारियों को बोनस और मंहगाई भत्ते की चढ़ी हुई किश्तों का भुगतान। 5 मिनट का समय। कृपया समय का ध्यान रखें।

सुश्री पुष्पा जैन : 5 मिनट नहीं। हम तो दो-दो मिनट ही लेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं। दो दो मिनट नहीं। एक ही माननीय सदस्या को फिर मैं अवसर दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, दीवाली करीब आ रही है। राजस्थान में हर वर्ग को यह अधिकार है कि वह दीवाली मनाये, उसके बच्चे दीवाली मनायें। उसके पास कम से कम इतने सुख-साधन हों कि वह इन त्यौहारों को मना सके। पिछले कई वर्षों से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की दशा जरजर होती जा रही है। उनको बोनस नहीं मिल रहा है, बढ़ती हुई मंहगाई में उन को मंहगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और वह बार बार आन्दोलन भी करते हैं और कई तरह से राज्य सरकार को अपनी बात कहने के लिए अवसर भी तलाश करते हैं लेकिन राज्य सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार ने अपने सारे कर्मचारियों को बोनस दिया है। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को दिया, पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ को छोड़कर उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को बोनस दिया लेकिन मांग करने पर उन्होंने पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ के कर्मचारियों को भी बोनस दिया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं यू. पी. ने भी अपने कर्मचारियों को बोनस दिया। बिहार, मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, पंजाब, जम्मु कश्मीर, महाराष्ट्र और केरल इन सारे राज्यों ने राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया है फिर समझ में नहीं आता कि राजस्थान के कर्मचारी क्या काम नहीं करते या इनमें ऐसी कौनसी खामी है? राज्य सरकार और सारे वर्ग का समय-समय पर मंहगाई भत्ता बढ़ाती है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाती है। यहां तक कि पिछले विधान सभा सत्र में हम विधायकों की भी तनख्वाह बढ़ाई गयी और कई तरह की सुविधायें प्रदान की गयी। तो ऐसी क्या बात है, जिस रथ में आप बैठे हैं उस रथ के जो

(सुश्री पुष्पा जैन)

चलाने वाले हैं उन चलाने वालों को आपने इतना भी काबिल नही समझा कि उनको भी सुख सुविधायें दें। उनकी भी अपनी समस्यायें हैं, उनके भी अपने बच्चे हैं। आखिर कहां से पूरी करेंगे इस जमाने में अपनी आवश्यकताओं को।

अध्यक्ष महोदय, मंहगाई भत्ता पिछले लम्बे समय से नहीं दिया गया है। प्राइस इन्डेक्स आज कहां चला जा रहा है। चीजें आसमान को छू रही हैं। उनके दाम इतने बढ़ रहे हैं, रिटेल प्राइस इन्डेक्स बढ़ रहा है और होलसेल प्राइस इन्डेक्स भी बढ़ रहा है। जनवरी, फरवरी, अप्रेल और मई में प्राइस इन्डेक्स बढ़ा और उस बढ़े हुए प्राइस इन्डेक्स के अनुसार मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें नही मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यदि मंहगाई बढ़ेगी तो राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता भी दिया जायेगा। मंहगाई तो बढ़ी लेकिन राज्य सरकार ने अपने कमिटमेन्ट को पूरा नहीं किया। उन्हें मंहगाई भत्ता अभी तक नही दिया। अध्यक्ष महोदय, जब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भुगतान कर दिया, अन्य सभी राज्यों ने भुगतान किया है तो राजस्थान में ऐसी कौनसी कमी है, मन्त्री महोदय बतायें जिसके कारण कि राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता और बोनस नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इनकी छोटी-छोटी मांगे हैं। कर्मचारी संघ के नियमों को प्रकाशित किया जाये, मंहगाई भत्ते की नकद किश्तों का भुगतान किया जाये, वेतनमानों में विसंगतियों को दूर किया जाये यह ऐसी मांगे नहीं हैं कि जिनके लिए राज्य सरकार को कोई बहुत बड़ी ताकत की आवश्यकता है। महज अगर आप उनको तसल्ली से सुन लें, उनकी समस्याओं को समझ लें तो मैं समझती हूं कि ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो सके। तो मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि राज्य कर्मचारियों की इन समस्याओं को सुलझाया जाये और बहुत अच्छा हो यदि दीपावली के पहले उनको बोनस भी दिया जाये, मंहगाई भत्ता भी दिया जाये ताकि उनकी दीवाली भी खुबसूरत हो सके। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है कि यह मसला सारे कर्मचारियों का है। आपने आदेश दिया दो-दो मिनट में सब माननीय सदस्य बोलें और आपके आदेश की अवहेलना नहीं की। मैं इस प्रश्न पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं उनको भी अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन-चार हैं।

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट का समय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो इतने होशियार हैं कि एक ही मिनट में आपका आदेश मान लेते हैं।

श्री धनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं........

श्री अध्यक्ष : बिना मांगे दिया है।

श्री मेघराज तावड़ : जी हां, इसलिए ही धन्यवाद दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान की सरकार घोषणाओं पर घोषणायें करती जा रहा है लेकिन कोई भी घोषणा को पारित या क्रियान्वित नहीं करती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हमेशा ही घोषणाओं का तांता बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी उसमें मुख्य मन्त्री जी के प्रयासों से और उनके आश्वासन पर हड़ताल तोड़ी गयी थी लेकिन आज तक उनके ऊपर से कैसेज को वापिस नहीं उठाया जबकि उन्होंने वादा किया था कि किसी तरह से भी इनको तंग नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जब केन्द्रीय सरकार ने बोनस और मंहगाई भत्ता देने की घोषणा कर दी लेकिन हमारे यहां की सरकार ने जो पहले राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी एक होकर पूरे राज्य के कर्मचारियों ने, उस समय राजस्थान की सरकार ने यह घोषणा की थी कि उनका भी केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता बढ़ेगा, उनको भी मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। उनको बोनस भी दिया जायेगा लेकिन राजस्थान की सरकार उन तीन-चार लाख कर्मचारियों को अभी भी उनकी घोषणा के अनुसार मंहगाई भत्ता और बोनस नहीं देकर क्या वह उनको आन्दोलित करना चाहती है ?

(2.00 म. प.)

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कर्मचारियों को आन्दोलित होने के लिये प्रेरित न करे। आज मंहगाई के समय में, बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता और बोनस केन्द्र की तरह दिया जाये यही मैं अर्ज करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, केन्द्र सरकार ने पिछली बार 15 दिन का और इस बार 18 दिन का बोनस सभी कर्मचारियों को दिया है। वैसे कर्मचारियों की मांग है कि 8.33 प्रतिशत बोनस हमको मिलना चाहिये लेकिन कर्मचारियों से राज्य सरकार का अनुबन्ध हुआ है कि जो भी केन्द्रीय सरकार मंहगाई भत्ते की किश्त देगी और बोनस जिस रूप में केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलेगा उसी प्रकार से राज्य कर्मचारियों को दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो बोनस है अधिकांश राज्य सरकारों ने उसका पेमेंट कर दिया है और दिवाली के पहले उनका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पेमेन्ट हो चुका है लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अभी तक पेमेन्ट नहीं किया। तीन चार बार संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे बात हो रही है। कर्मचारी यूनियन ने और मांगें साथ में रखी हैं लेकिन राज्य सरकार यह चाहती है कि चुनाव के टाइम में उनसे इस बात की गारंटी लेकर कि वे कांग्रेस को वोट देंगे, यह कह कर उनको एक धोखे के रूप में देने की बात चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई भत्ते की चार किश्तों का भुगतान करने की केन्द्रीय सरकार ने घोषणा कर दी और राज्य सरकार ने इस प्रकार का समझौता कर रखा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। केन्द्र सरकार ने दे दिया, अन्य प्रान्तों ने दे दिया लेकिन राजस्थान की सरकार ने चार किश्तों के बारे में कोई एलान नहीं किया। कर्मचारियों का हक है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे जो वित्त मन्त्री हैं उन्होंने बजट के समय कहा था कि कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता और इन सब कामों के लिये बजट के अन्दर प्रावधान कर रहा हूं इसके बाद आज तक उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। जब वे वित्त मन्त्री से मिलने जाते हैं, वित्त मन्त्री एक ही बात कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है मुख्य मन्त्री से मिलो। जब मुख्य मन्त्री के पास जाते हैं तो ये यह कहते हैं कि वित्त मन्त्री जी कागज आगे नहीं चलाते·······

(म. प. 2–03)

(श्री राम नारायण चौधरी,
सभापति, पीठासीन)

इस प्रकार से सारा मामला, राजनीति से जानबूझकर दबा कर बैठे हुए हैं माननीय मन्त्री महोदय। सभापति महोदय, इस के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति है। अन्य राज्यों की सरकारें तो अनिवार्य जमा का काम खत्म कर चुकी हैं। महंगाई की जो किश्तें मिलती हैं उनका नकद भुगतान कर देती है लेकिन दुर्भाग्य की बात है राजस्थान की सरकार जब भी महंगाई भत्ते की किश्तें देती है तो पहले से अगाऊ, चार किश्तें अगर देती है तो दो या तीन किश्तें अनिवार्य जमा में काट लेती है और एक किश्त का भुगतान करती है। इसलिये राज्य सरकार चाहती है कि लम्बे समय तक 12 महीने तक, एक वर्ष, दो वर्ष के बाद महंगाई भत्ते की किश्त दें और पीछे के भुगतान की सारी की सारी रकम अनिवार्य जमा में जमा कर ली जाये। इस प्रकार कर्मचारियों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। सभापति महोदय, यह किसलिये किया जाता है? वित्त मन्त्री जी राजस्थान सरकार की स्थिति को दीवालियेपन की ओर ले जा रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं होने के कारण कर्मचारियों का गला घोंट रही है, कर्मचारियों के साथ ज्यादती कर रही है और इस के लिये हमारे वित्त मन्त्रीजी और राजस्थान के मुख्य मन्त्री जिम्मेदार हैं। आज तक जितनी घोषणायें इन्होंने की हैं, जितने आज तक इन्होंने हस्ताक्षर कराये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं उतने ही वापिस लिये हैं उन सब के साथ दगाबाजी की है कर्मचारियों के साथ, चाहे बिजली कर्मचारियों का मामला हो, चाहे सचिवालय कर्मचारियों का मामला हो, चाहे अभियन्ताओं का मामला हो। जितने भी राज्य सरकार ने समझौते किये हैं उनके अन्दर दगाबाजी की है और कर्मचारियों के साथ समझौता करके सरकार समझौते से मुकरी है। सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जितने फैसले न्यायालय में चैलेन्ज किये गये न्यायालय ने स्ट्रिक्चर पास किये हैं। विद्युत कर्मचारियों के मामले में किया है, अन्य कर्मचारियों के मामले में किया है कि राज्य सरकार जान-बूझ कर समझौता करके अपने वायदे से मुकर जाती है। सभापति महोदय, अगर कोई पानीदार सरकार होती तो इस बात को समझती लेकिन जिनमें पानी न हो, जो सरकार वादा करके मुकर जाती है इस प्रकार की सरकार के सामने कर्मचारी कब तक रोना रोयें। कर्मचारी संघ ने मांग की है, ये आन्दोलन भी कर रहे हैं। अगर कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन होगा, महंगाई भत्ता नहीं मिला, राजस्थान के वित्त मन्त्री और राजस्थान के मुख्य मन्त्री और राजस्थान की सरकार जो कर्मचारियों के प्रति बेवफा है, वादा करके मुकर जाते हैं, यह सरकार उसके लिये जिम्मेदार है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 18 दिन का बोनस जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिला है और अन्य राज्य सरकारों ने दिया है, सरकार इसका भुगतान करे और इसके साथ साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि चार किश्तें जो महंगाई भत्ते की बढ़ गई हैं उन चार किश्तों का भुगतान किया जाये और उनको अनिवार्य जमा में जमा न किया जाये। इसके साथ ही राज्य सरकार केन्द्र सरकार के समान जो अन्य सुविधायें मिलने वाली हैं उनकी तुरन्त घोषणा करे। चुनाव तक टालने की कोशिश न करे, चुनाव के टाइम तक घोषणा करेंगे तो उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि 12 महीने का भुगतान है वह अनिवार्य जमा में जमा कर लिया जायेगा और फिर कुछ नहीं बचेगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिये मैं मांग करता हूं कर्मचारियों की मांगें पूरी की जायें। वित्त मन्त्रीजी आपने राजस्थान का तो दिवाला निकाल दिया लेकिन कर्मचारियों का गला क्यों काट रहे हो। उनके बाल बच्चे हैं, उनका गला काटने की कोशिश मत करो। सारा पैसा आपने समाप्त कर दिया लेकिन उसका दण्ड गरीब कर्मचारियों को देना चाहते हैं। सरकार अपनी विफलताओं का सारा दण्ड कर्मचारियों को देना चाहती है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि दण्ड स्वयं सरकार भुगते और कर्मचारियों का भुगतान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार तुरन्त बोनस का और महंगाई भत्ते की चार किश्तों का तुरन्त भुगतान करे। धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका है। विधान सभा के द्वार पर कर्मचारी दस्तक दे रहे हैं। उनके

(श्री दाऊदयाल जोशी)

शामियाने सही बात को लेकर विधान सभा के दरवाजे पर लगे हुए हैं । रोज नारे लगाते हैं कि हमारे हक का पैसा दिया जाये । दुर्भाग्य है कि यह सरकार भेद-भाव पूर्ण नीति अपनाकर कर्मचारियों के साथ भेदभाव की बात करके उनका हक नहीं देना चाहती है । जब नगरपालिका के कर्मचारी आन्दोलन करते हैं तो यह सरकार कहती है कि आप आन्दोलन कर रहे हो, राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर तो देखो ! राज्य सरकार के कर्मचारी जब आन्दोलन करते हैं तो केन्द्रीय सरकार की बात की जाती है । केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और नगरपालिका, तीनों के कर्मचारी एक ही नगर में निवास करते हैं । उनमें कहीं भी भेद-भावपूर्ण नीति नहीं होनी चाहिये । केन्द्रीय कर्मचारियों की कोई डिमाण्ड आती है तो कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती है जब राज्य सरकार के कर्मचारियों की कोई डिमाण्ड की बात की जाती है तो कहा जाता है कि नगर पालिका के कर्मचारियों की तरफ देखो उनको कितना सा मिलता है आपको तो बहुत अधिक मिलता है । मेरा निवेदन है कि जायज मांगों को भी सरकार नहीं माने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है । मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न किया था, ग्रोस रेट के आधार पर कौनसा दिया जाना चाहिये ? केन्द्रीय कर्मचारी आन्दोलन करते हैं । कोटा, उदयपुर, बीकानेर में जहां की आबादी पांच लाख से क्रास कर चुकी है । सरकार ने यह स्वयं स्वीकार किया है इस सत्र में कि कोटा की आबादी 5 लाख के लगभग हो गई लेकिन चूंकि 'बी' श्रेणी का नगर घोषित नहीं होने के कारण इस प्रकार का भत्ता नहीं दिया जा सकता । जब सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि कोटा की आबादी पांच लाख को क्रास कर चुकी है कोटा की बढ़ती हुयी आबादी को देखते हुए बिना आन्दोलन किये हुए सरकार को कर देना चाहिये लेकिन सरकार अपनी बात मानने के लिये तैयार नहीं है । सरकार तो जब तक सरकार की खोपड़ी में डण्डा नहीं पड़े तब तक कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है । पिछली बार भी आन्दोलन चला था, भयंकर आन्दोलन किया । ऐसा न हो कि सरकार की लापरवाही के कारण यह राजस्थान फिर फूंक दिया जाये । कहीं ऐसा न हो कि आन्दोलन में जकड़ कर सारा राज कार्य ठप्प हो जाये । राजस्थान के राज्य कर्मचारियों की जायज मांगों पर जो बात की गई है, जब अन्य राज्यों ने बोनस दे दिया....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

स्वयं अपनी प्रेरणा से, स्वयं अपनी इच्छा से राज्य सरकार को कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता दे दिया जाना चाहिये था । यह जो मांग की है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को गम्भीरता से लेंगे और समय रहते हुए राज्य कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार करेंगे ।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहती हूं।

श्री महावीर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, यह कर्मचारियों को बोनस और मंहगाई भत्ता देने का मामला है। यह कह दीजिए कि हम इन्कार नहीं कर रहे हैं। यह सिद्धान्तः हमने स्वीकार किया है कि आपको केन्द्र के अनुसार बोनस देंगे और मंहगाई भत्ता देंगे। माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान में हमने देखा है कि गंगानगर शुगर मिल में केवल बोनस ही नहीं राज्य कर्मचारियों ने मिल कर और बड़े 2 अधिकारियों ने मिल कर वहां पर 15 प्रतिशत अनुग्रह राशि ली है। एक तरफ गंगानगर शुगर मिल घाटे में जा रही है, वहां पर अनुग्रह राशि दी जा रही है। दूसरी तरफ राज्य कर्मचारियों का हक है वह नहीं देना चाहते हैं। आखिर मजबूर होने पर देंगे। जब राज्य कर्मचारी सड़कों पर आएगा, जब राज्य कर्मचारी इनके प्रशासन को ठप्प करेगा तब बोनस देंगे, तब मंहगाई भत्ता देंगे। क्या कारण है। यह मंहगाई का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। सिद्धान्तः स्वीकार किया हुआ है। यह हमने माना है कि हम देंगे। यहां के मुख्य मन्त्री ने माना है लेकिन यहां के मुख्य मन्त्री की तो यह आदत बनी हुई है कि जहां पर जायें वहीं पर ये आश्वासन दे आते हैं। जहां पर जायें वहां पर ये घोषणायें कर आते हैं। चाहे राज्य कोष में इनके पास पैसा हो या नहीं हो, राज्य कोष में इनका बजट अलाऊ करता हो या नहीं करता हो लेकिन टी वी पर और रेडियो और अखबारों में इनका नाम आए उसका इनको बड़ा शौक है। बीसलपुर की घोषणा कर आते हैं। कभी यहां विधान सभा में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें कह देंगे कि हमको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन वहां पर टी वी पर कहते हैं कि हमने बीसलपुर बांध की स्वीकृति दे दी है। बीसलपुर बांध का काम शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने राज्य कर्मचारियों के बीच में कहा है कि हम बोनस भी देंगे, मंहगाई भत्ता भी देंगे और जिस बात को इन्होंने मान लिया उसी बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर सारे राजस्थान का आन्दोलन है। समय रहते यदि ये नहीं चेते और इन्होंने मंहगाई भत्ता और बोनस समय पर नहीं दिया तो वे सड़कों पर आयेंगे। आपको निकलने नहीं देंगे। आपका निकलना मुश्किल कर देंगे और मुझे लगता यही है कि आप मानेंगे तभी जब सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आएगा, आपका निकलना मुश्किल कर देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि केवल इन बातों से आप बोनस और मंहगाई भत्ता देने वाले हैं। मैं इसी माध्यम से राज्य कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में नहीं आ कर अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़ें, संघर्ष करें, तभी यह आपकी मांगों को स्वीकार करेंगे। इतना ही कह कर आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे ही तो अनुमति मांग रही हूं।

श्री सभापति : नहीं, मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी आपने ही तो हां की थी।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी आपने ही तो हां की थी कि इनके बाद आप बोल लेना।

श्री सभापति : नहीं की थी मैडम। श्री रामकिशोर मीणा। श्री चुन्नीलालजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री रामकिशोर जी की जगह इनको टाइम दे दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, एक तरह से परम्परा पड़ गई है कि पहले तो मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन करें और मांगें सिद्धान्तः सरकार मान ले फिर उन मांगों की पूर्ति के लिए आन्दोलन करें और सरकार डेट दे दे कि अमुक तारीख तक मान लेंगे तो उस तारीख तक नही माने तो फिर आन्दोलन करें। तो राज्य कर्मचारियों को बाध्य किया जा रहा है कि वह सड़कों पर आयें, विधान सभा के सामने आयें, आन्दोलित हों। मैं आगाह करना चाहती हूं सरकार को कि वह अपना यह रवैया छोड़े। वेतन निर्धारण के लिए कहें तो आन्दोलन, फिक्सेशन के लिए कहें तो आन्दोलन के लिए बाध्य किया जाता है। अतरिम राहत के लिए कहें तो बाध्य किया जा रहा है। मैं नहीं समझ पाती हूं कि सरकार इस तरह से क्यों बाध्य करती है। सरकार के काम में क्षति होती है। वह तो क्षति करना नही चाहते, दोनों हाथों से काम करना चाहते हैं। जो बोनस के लिए आपने सिद्धान्तः बातें मानी थीं उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह तो उनका वेतन में, अर्जित अंग है वेतन का, उसके लिए उनको भटकाने की क्या जरूरत थी। जब केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी देने की, तब आप यह चाहते हैं कि राज्य कर्मचारी आन्दोलित हों तब आप घोषणा करेंगे। मैं समझती हूं कि इस प्रकार से कर्मचारियों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने उस सिद्धान्त को माना है कि हम यह देंगे तो सही समय पर उनको दे दिया जाना चाहिए था। अभी तक नहीं दिया गया है, यह बहुत गलत तरीका है। मैं फिर आगाह करती हूं सरकार को कि कामकाज को ठप्प नहीं करें। ऐसा नही हो कि परीक्षायें पुलिस के माध्यम से करवानी पड़ें, अन्य विभागों में कर्मचारी फिर 57 दिन तक हड़ताल करें या अन्य विभागों के कर्मचारी, राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल करें, आन्दोलित हों, भूख हड़ताल करें, प्रदर्शन करें। सरकार अविलम्ब भुगतान करे, यह मैं मांग करती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार कुछ बोलेगी या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): सरकार मौन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मन्त्री जी बैठे हैं, आप सब की पंचायत मत करिये। वह बैठे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पंचायत इसलिए कर रहा हूं कि बोलना जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बोलना जरूरी नहीं है लेकिन वित्त मन्त्रीजी बैठे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह कह रहे थे कि जीरो आवर के अन्दर यहां पर कई मुद्दे उठते हैं और आप बोलने की इजाजत देते हैं। वित्त मन्त्री जी अगर चाहते हैं कि वह कुछ बात करेंगे तो वह बात और है लेकिन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आप मुख्यमन्त्री तो नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमन्त्री का प्रश्न नहीं है। आपने कहा कि सरकार कोई जवाब दे!

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो वित्त मन्त्री जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : जीरो आवर का जवाब यहां पर नहीं देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी की कुर्सी पर आकर, सड़क पर जाकर यह इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री मैं ही हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कोई इम्प्रेशन नहीं देना चाहता हूं। आप भी इस कुर्सी पर आए थे और उधर बैठ गए। कई कुर्सी पर आते हैं और कई चले जाते हैं। मैंने यह इम्प्रेशन नहीं दिया है और मैं इनकी कुर्सी पर भी कभी नहीं बैठता हूं। हमेशा जगह रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उधर बैठें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको बोलने दीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक महंगाई भत्ते की किश्तों का ताल्लुक है उस पर विचार चल रहा है। बोनस के बारे में कोई विचार नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, सिद्धान्तः जो बात स्वीकार कर ली इन्होंने, या तो महंगाई पर कन्ट्रोल करिये। 1980 का चुनाव जीत कर कहते हैं कि हम मूल्यों को नीचे लायेंगे। चार सालों में, 57 महीनों में यह लगातार 221 पोइन्ट वृद्धि हो गई है। आपने सिद्धान्तः स्वीकार किया है, राज्य सरकार की विधान सभा में इस प्रकार की सहमति है, फिर क्या विचार कर रहे हैं आप। क्या आपने सिद्धान्त नहीं माना, वह सिद्धान्तः क्या गलत है? यह मान लिया है आपने। बोनस की चर्चा आप कर रहे थे, महंगाई बढ़ा दी आपने लगातार। चार इस प्रकार की किश्तें

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्वीकार हुई हैं केन्द्र में। सिद्धान्तः आपने स्वीकार कर लिया है। आज ऐसे कौन से कारण हैं, विचार करने का कौनसा बिन्दु आ गया है। क्या विचार यह कर रहे हैं कि चुनाव आयेंगे तब राज्य कर्मचारी लगातार आपके चरणों में आ कर के खड़ा होगा तब इस तरह की बात करेंगे। क्या इस पर विचार कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या विचार कर रहे हैं आप। राजस्थान के चार लाख कर्मचारियों का सवाल है। उनका मौलिक मुद्दा है। आपने सिद्धान्तः स्वीकारा है उसके पश्चात् कौन सा विचार करने का कारण है यह समझ में नहीं आया। आप वित्त मन्त्री महोदय बैठे हैं, बतायें कि विचार के बिन्दु क्या हैं? किन बिन्दुओं पर विचार कर रहे हैं, किस कारण से विचार कर रहे हैं। क्या सिद्धान्त को आप गड्डे में डालना चाहते हैं, गलत कहना चाहते हैं। जो बात आप पहले स्वीकार कर चुके हैं उसको आज मना करना चाहते हैं। यह विचार का मुद्दा है? विचार का क्या मुद्दा है, वित्त मन्त्री बतायें तो सही। चार लाख कर्मचारियों का सवाल है। समय इतना कम था इस कारण से आज यह रिजेक्ट हो गया और आज यह सवाल यहां पर खड़ा हो गया और आप कहते हैं कि विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा कि महंगाई भत्ते की किश्तें देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो निर्धारित मापदण्ड तय किये हैं, प्राइज इंडेक्स के सम्बन्ध में, उन मापदण्डों को पूरा करने के बाद क्या महंगाई भत्ता राज्य सरकार रोक सकती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इस सम्बन्ध में अभी कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पोलिसी का प्रश्न है। सिद्धान्त....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस हाऊस में इस सरकार ने घोषणा की है कि प्राइज इंडेक्स....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वक्त आप मुझे जवाब देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकते। पहले से आप इस बात को रखते और इसका जवाब मांगते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया हुआ था........

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय यह तो जीरो आवर चल रहा है और सरकार को आपने कोई नोटिस दिया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है । एडजोर्नमेंट मोशन में लिखा हुआ है ।

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ माननीय सदस्यों को चर्चा के लिए दो दो मिनिट का समय दिया था और जैसा कि सरकार ने कहा है कि इस सम्बन्ध में वह कुछ नहीं कहना चाहेगी तो सरकार को बाध्य तो नहीं किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डिक्लेयर्ड पोलिसी है........

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई । सदन की मेज पर........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चर्चा समाप्त नहीं होगी, सभापति महोदय । चार लाख कर्मचारियों का मामला है । यहां वित्त मन्त्रीजी जवाब नहीं देंगे इससे काम नहीं चलेगा । सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती ।

श्री सभापति : सरकार ने जवाब दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जवाब नहीं दिया है । सरकार यह कहे कि सरकार ने आज तक यह घोषणा की कि आठ बिन्दुओं की वृद्धि के साथ की महंगाई भत्ते की किश्तों में वृद्धि होगी, उस बात पर सरकार टिकी हुई है या नहीं टिकी हुई है और यदि सरकार टिकी हुई है तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं दे रही है । आपको चाहिए कि सरकार कुछ बोले तो सही । सरकार यह कहे कि हम विचार कर रहे हैं तो किस बात पर विचार कर रहे हैं । इन्होंने जो कहा मैं तो उसी का विश्लेषण चाहता हूं । महंगाई भत्ता देना है इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं या महंगाई भत्ते के लिए जो आपने मापदण्ड निर्धारित किए प्राइज इंडेक्स का कोई बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, इतना तो जवाब दीजिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डिक्लेयर्ड पोलिसी है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, हम उठायें क्या वहां जाकर अगर नहीं उठा जाता । अगर किसी मन्त्री के पैर टूट गए तो इसका इन्तजाम क्या हमें करना पड़ेगा ।

श्री मेघराज तावड़ : नेता महोदय, सरकार तो गूंगी है, आसन कैसे आशा करे कि वह बोल पायेगी, उसकी जुबान ही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, यह कर्मचारियों का

(श्री कैलाश मेघवाल)

मामला है इस पर पहले फैसला होना चाहिए ताकि कर्मचारियों में असंतोष न हो। ये राज्य सरकार के आवश्यक अंग हैं जिनके आधार पर प्रशासन की कई तरह की सफलताएं निर्भर करती हैं। अगर कर्मचारी आन्दोलित हैं, असंतुष्ट हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनको ठीक करे और वो ठीक तभी किये जा सकते हैं जबकि उनकी मांगों पर केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार ही समय-समय पर जो बोनस और दूसरे लाभ-

(म. प. 2.21 बजे)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

देने हैं उनको सब को लागू किया जाए तभी यह प्रशासनिक ढांचा ठीक ढंग से चलेगा और जैसा कि इस प्रशासनिक ढांचे के सबसे ऊपर पिरामिड के रूप में मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी विराजे हुए हैं। मैं जानता हूं कि पिरामिड बालू की दिवार की तरह है. यह प्रशासनिक ढांचा ठीक प्रकार से चले इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राज्य कर्मचारियों के हितों के बारे में जो स्टेटमेंट देना है, जो विचार करना है उसके बारे में सदन को विश्वास में लेने के लिए आप आदेश दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह बात मालुम ही है कि यह प्रस्ताव आज आया था। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को साधारणतया सरकार से जानकारी के लिए भेजा जाता है। उनकी तरफ से जानकारी प्राप्त हो जाय तो उस पर अध्यक्ष की ओर से व्यवस्था होती है कि इसमें कोई वक्तव्य दिलाया जाय या कुछ स्पष्टीकरण के तौर पर सरकार से पूछा जाय। इस तरह की व्यवस्था होती है। क्योंकि यह बहुत ही अल्प काल का सेशन था और जैसा कि मैंने आज प्रातः ही निवेदन किया कि मैंने माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए इस तरह के सभी प्रस्ताव आये थे उनको सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया और माननीय सदस्यों को अपने पक्ष को सदन के सम्मुख रखना है....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि जो सिद्धांततः स्वीकार किया है उसको स्वीकार करें। हम यहां पर 3 करोड़ राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पूछ रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों ने यह बात सामने रख दी मंत्री महोदय ने कह दिया कि इस पर विचार हो रहा है, इतनी बात तो उन्होंने कही है। अब इतनी सूचना पर, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई सरकार वक्तव्य दें इसके लिये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको जागरूक रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि ऐसे मुद्दे पर सरकार तत्काल कोई वक्तव्य दे ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एकदम खड़े होकर कह दिया कि बोनस नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे उन्होंने कैसे कहा कि बोनस नहीं देंगे। जो नीति....

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि नियमों में ढील देकर जनता की सुविधा के लिए, सदस्यों की सुविधा के लिये ज्यादा से ज्यादा जो जनोपयोगी विषय हैं उन पर चर्चा हो सके। अन्य माध्यमों से यह जनता तक बात पहुंचती है तो उस उद्देश्य की मैं समझता हूं पूर्ति हो जाती है। समय का आज अभाव है इसलिए मा. सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा समाप्त की जाय। नियमों में ढील देकर मैंने माननीय सदस्यों को अनुमति दी इस पर चर्चा करने की, कुछ समय भी दिया इसके लिए....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो बड़ी कृपा की कि इस संबंध में बोलने की अनुमति दी। निवेदन यह है कि आपने स्वयं स्वीकार किया है और सरकार भी शायद मन में मानती है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : यहां तो महत्वपूर्ण विषय ही आते हैं महत्वहीन तो आते ही नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने महत्वपूर्ण विषय कह कर और महत्व बढ़ा दिया ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार उत्तर दे सकती है। मैं चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि सरकार आज उत्तर नहीं दे सके तो कल प्रातःकाल उत्तर दे दे।

श्री अध्यक्ष : आपने यह जो बात कही है मैं इस पर विचार करूंगा। संभव होगा तो, कार्य सलाहकार समिति में जितने भी विषय लिये थे उनके लिये समय निश्चित कर दिया है अध्यक्ष ने विचार करके व्यवस्था कर दी है और वर्तमान परिस्थितियों में उचित पाया गया कि सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जाय। इस पर समय की भी कुछ छूट रखी। अब वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक छूट करना....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार के वक्तव्य को एडजस्ट कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं विचार करूंगा। सदन के पूरे कार्य को सम्पादन करना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो आप बहुत चतुर हैं सारे कार्य को सम्पादन कर सकते हैं। इसमें तो कोई बात नहीं है, सरकार वक्तव्य दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : सरकार से पूछना पड़ेगा। जो कार्यक्रम है उससे हट कर करना चाहते हैं तो सरकार की राय लेना जरूरी होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं इतने समय पूर्व केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ते की चारों किश्तें दे दीं। क्या रेस्पांसिव सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं होता कि They should come prepared before the house. यह समझ में नहीं आई बात। यह सच है कि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आज स्थगन प्रस्ताव आये हैं, रेस्पांसिव सरकार बैठी है, 4 लाख कर्मचारियों का सवाल है। इतने दिन पूर्व केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ता दे दिया, बोनस दे दिया। यह निश्चित रूप से प्रश्न आयेगा, सवाल आयेगा, बड़ा इम्पारटेंट प्रश्न है, राज्य सरकार को अपने स्तर पर तैयारी करके आना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल वक्तव्य दें, राज्य सरकार कोई बात तो कहे और नहीं कहती है तो साढ़े चार लाख कर्मचारियों का सवाल है वह इतना इम्पारटेंट सवाल है जो सिद्धांततः स्वीकार कर लिया उस पर मन्त्री महोदय का जवाब है कि विचार कर रहे हैं। विचार करने का बिन्दु कहां है ? आपने फण्डामेंटली स्वीकार कर लिया कि जैसे ही महंगाई 8 पाइन्ट बढ़ेगी महंगाई भत्ता देंगे। फिर क्या विचार कर रहे हैं आखिर सरकार यह तो बताये। इतना समय हो जाता है उसके बारे में उनका विचार क्या है, कब दे रहे हैं कल या परसों या चुनाव की राह देख रहे हैं ताकि राज्य कर्मचारियों को इसके लिए बाध्य किया जाय। यह तो बड़ा सिम्पल सवाल है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार से आप....

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : 55 साल से 58 साल करके कर्मचारियों को अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी गिफ्ट सरकार ने दी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्य के वित्त मन्त्री हैं वित्त की दृष्टि से एक मैंने आपसे निवेदन किया, राज्य सरकार कुछ बोले तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के पास और कोई बात न होने की वजह से माननीय सदस्य इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी उनकी तरफ आकर्षित हों।

(व्यवधान)

सुनिये, मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठा कर सरकारी कर्मचारियों की सेवा आयु 55 साल से 58 साल की है यह उनके लिए कम अचीवमेंट नहीं है। इससे उनमें बहुत बड़ा सन्तोष है और महंगाई भत्ता सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोनस और दूसरी बात उठा कर सरकारी कर्मचारियों में अपने प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न तो सरकारी कर्मचारी प्रभावित होते हैं, न होने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिये मैं समझता हूं कि इससे बड़ा क्या अचीवमेंट हो सकता है।

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

पहले माननीय भैरोंसिंहजी ने तो नहीं किया था। यह तो इस सरकार ने किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं। नियमों का पालन करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य को पता नहीं है कि 55 से 58 साल करने का श्रेय आप नहीं ले सकते। यह वेरी कमीशन, जिस समय पे-कमीशन अपाइन्ट किया गया उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह बात भी थी, कर्मचारियों से समझौता करके रखा था कि 55 से 58 की आयु आप वेरी कमीशन की रिपोर्ट उठा कर देख लें। वेरी कमीशन ने सिफारिश की है कि 55 से 58 कर दी जाय और आपने 3 वर्ष बाद इसे लागू किया और इसलिए लागू किया कि आपके कई लोग रिश्तेदार रिटायर होने वाले थे, उनको बचाने के लिये यह किया।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के वर्तमान नेता महोदय को ढाई साल शासन करने का अवसर मिला........

श्री अध्यक्ष : कमीशन बिठाये थे........

श्री रामनारायण चौधरी : भिश्ती को एक दिन का शासन मिला था उसने चमड़े का सिक्का चलाया और माननीय भैरोंसिंह जी ढाई साल शासन में रहे उन्होंने कौनसा सिक्का चलाया........

(व्यवधान)

ढाई साल के शासन में क्या उस सरकार की उपलब्धि रही ?........

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।........

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन।)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

वित्त मन्त्री जी सदन की मेज पर एक अधिसूचना रखेंगे।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सदन के पटल पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, वित्त (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4 (23) वित्त/ग्रुप-4/82-6 दिनांक 22 अगस्त, 1984 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का पांचवा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री भैरोंसिह शेखावत।

श्री भैरोंसिह शेखावत (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति 1984-85 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

1. एम्पोरियम संगठन, राजस्थान लघु उद्योग निगम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का पंचम प्रतिवेदन।

2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 अध्याय-2, भाग-4, (ख) (1) (2) (3) तथा भाग 6 (क) व (ख) वाणिज्यिक से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का छठा प्रतिवेदन।

याचिका का उपस्थापन

ग्राम पंचायत बगड़ी में सब सैक्टर के स्थान पर डिस्पेन्सरी

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

याचिका का उपस्थापन

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत बगड़ी में सब-सेन्टर के स्थान पर डिस्पेन्सरी खोलने सम्बन्धी 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

जीरा रायड़ा प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

(तारांकित प्रश्न 22 दिनांक 18 अक्टूबर, 1984)

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। श्री महाराम चौधरी। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसानों के प्रति जो एक व्यवहार हुआ और उनको लूटा गया, उसकी बात को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात आपकी नजर में आई है। पिछले विधान सभा सत्र में राज्य सरकार ने अपना एक वक्तव्य दिया था कि यह सरक्यूलर हमारा गलत निकल गया है। इसका गलत इन्टरप्रिटेशन किया गया है। तो मैं उस पर

(श्री महाराम चौधरी)

तिवज्जोह दिलाने हेतु थोड़ा-सा यही निवेदन करना चाहता हूं.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अध्यक्ष को कहीं कोट न करें इस चर्चा में।........

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह भ्रम हो गया था। प्रोसिडिंग पेज नं. 439 दिनांक 13 सितम्बर 1982, पर चन्दनमलजी बैद ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि यह भ्रम हो गया था इसके लिये दिनांक 23-4-1984 को सक्यूर्लर निकाला। इसका मतलब यह था, किसान स्टेट के अन्दर अगर सैल करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किसान स्टेट के बाहर माल ले जायेगा तो टैक्स लगेगा। यह गलती उनकी हो गयी। उसके बाहर जब रिप्रजेन्टेशन आया, लोगों ने मुझे कहा तो मैंने कमिश्नर को फोन किया। उसके बाद कमिश्नर ने 2 जून, 1982 को यह आदेश निकाला कि किसान पर यह टैक्स लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में डिटेल में नहीं जाना चाहता। यह सरक्यूलर गलत निकालने वाले उच्च अधिकारी थे और विशेष कर डिप्टी कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर, जो आचार्य तुलसी के प्रवचन मानवता का महत्व बताने वाले....

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति पर, जिसका इस सदन के कार्यकलाप से सम्बन्ध नहीं हो, का कृपया नाम न लें।........

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों ने अपने आफिस में बैठ कर के किसानों को लूटने की एक योजना बनायी उस योजना के अन्तर्गत जब किसानों ने विरोध किया तब उस सर्कूलर को उन्होंने विथड्रा किया। उस सरक्यूलर को वापिस विथड्रा किया गया और विथड्रा करने के बाद जब विधान सभा में यह बात खुल कर सामने आयी तो यह आश्वासन दिया गया कि हम अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने यह गलती की, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं और जो अधिकारी किसान वर्ग से सम्बन्ध रखते थे, और जो अधिकारी रूरल एरिया के हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ में जानबूझ कर षडयन्त्र करके उन अधिकारियों को सस्पेण्ड किया। अध्यक्ष महोदय, उनको सस्पेण्ड किये करीब पांच महीने हो गये हैं। उनको कोई किसी तरह का आरोप-पत्र भी नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, उनमें ऐसे अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में सरकार की तवज्जोह दिलायी थी कि यह काम गलत हो रहा है, किस तरह से वसूली करें। इसलिये उन पर नाराज होकर के उनको सस्पेण्ड कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उन अधिकारियों के उस पीरियड में टूर प्रोग्राम तत्काल केन्सिल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, टूर प्रोग्राम केन्सिल कर दिया और उनको चैकिंग के लिये जाने ही नहीं दिया तो फिर ये अधिकारी किस तरह से दोषी हुए और किस लिये उनको सस्पेण्ड किया

(श्री महाराम चौधरी)

गया ? अध्यक्ष महोदय, उनमें ऐसे भी करीब तीन महीने, चार महीने के जिस पीरियड के लिये यह लागू रहा, उस पीरियड में एक अधिकारी ऐसा है जो सिर्फ 6 दिन वहां पर ड्यूटी पर रहा, और वह 6 दिन भी ऐसे थे जिसमें उसको अपनी बच्ची की शादी के लिये तैयारी करने के लिये जाना था। इसके अन्दर घोटाला करने का उसका कहीं नामों निशान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, उनमें ऐसे अधिकारी जिन को चौकी पर तैनात नहीं किया गया था। चौकी पर तो पुलिस, आर. टी. ओ.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्य माननीय सदस्य भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे इसलिये कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने दोष किया, जिस विभाग ने दोष किया उन अधिकारियों के द्वारा ही यह जांच करा कर ऐसे निर्दोष अधिकारियों को सस्पेण्ड कर दिया। इसलिये मेरा इस आधा घण्टा की चर्चा के मार्फत यही निवेदन है कि यह जो जांच की गई है उस जांच को आप इसी जगह पर स्थगित कर के, उनको बहाल किया जावे और किसी ऐसी निष्पक्ष एजेन्सी से, जो गैर-अधिकारियों की हो जांच कराई जाकर उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाये जिन अधिकारियों ने यह दोष किया है। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ। माननीय सदस्य।........

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, यह रायड़ा और जीरा के संबंध में पहले भी इस सदन में आपके सम्मुख यह बात पेश हुई थी कि और किसानों पर टैक्स लगा कर काफी लम्बा चौड़ा घोटाला किया गया है। इसलिये मैं इसको तीन भागों में बांटता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधित किया गया है वह पूर्णतया: स्पष्ट है, जिसमें किसानों पर टैक्स लगाया गया है। किसानों पर टैक्स लगने के कारण उनको कोई फायदा नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मदेरणा साहब, मन्त्री महोदय यहां बिराजे हुए हैं, उनके पास उस इलाके के काश्तकार आये थे उन्होंने उनसे निवेदन भी किया था। माननीय मदेरणाजी घोरीमाना मुख्य मन्त्रीजी के साथ गये थे, विधायक महोदय भी गये थे। वहां पर बताया कि जो कुछ भी संशोधन हुआ है उससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। मदेरणा जी अभी इस सदन में बिराजे हुए हैं, वे तो कर्त्तव्यनिष्ठ, मेहनती, रहमदिल मन्त्री हैं। अपनी आत्मा को झकझोर कर किसानों की तकलीफ को महसूस करके एक शब्द भी कह दीजिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में.......

श्री अध्यक्ष : इसमें मुख्य प्रश्न यह आता है कि इन अधिकारियों को किस कारण से, किस दोष में निलम्बित किया गया है। यदि ऊपर के आदेश की पालना में ऐसा हुआ है तो एक अलग स्थिति है और उस आदेश की पालना में नहीं किया है तो दूसरी स्थिति है। विचाराधीन विषय है, किस कारण से किस दोष से निलम्बित किया गया इसके बारे में आप कहें। मुख्य मसला यह आता है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं उस अंश को छोड़ता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 30-3-82 को बिल पास हो गया था उसके बाद में इनको आदेश दिया था, टेलिफोनिक आदेश दिया था दिनांक 16-4-82 को कि वह यहां पर लोगों से टैक्स वसूल करें। यह साफ आदेश दिया था। 16-4-82 को सी. टी. ओ. सिरोही ने आदेश दिया कि काश्तकारों से टैक्स वसूल करो। और श्री मदनलाल जैन, डिप्टी कमिश्नर ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17-4-82 को टैक्स लगाना प्रारम्भ कर दिया और उसी के सन्दर्भ में उन्होंने एक पत्र भेजा कि आपके टेलिफोनिक आदेश के अनुसार हमने पालना शुरू कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30-4-82 को श्री मोहन सिंह ने हाई कोर्ट, जोधपुर में रिट की उसमें यह कहा कि किसानों से जो टैक्स वसूल किया जा रहा है वह नाजायज है। उसके बाद सी. टी. ओ. सिरोही ने एक पत्र दिनांक 1-5-82 को कमिश्नर को लिखा कि लिखित आदेश भेजें क्योंकि श्री सिंह हाई कोर्ट चले गए हैं। कमिश्नर ने दिनांक 23-4-82 को एक सर्क्यूलर भेजा था जो 3-5-82 को सी.टी.ओ., सिरोही को मिला। दिनांक 11-5-82 को हाई कोर्ट में वकील से बात हुई जिसने बताया कि काश्तकारों पर टैक्स नहीं लग सकता।

दिनांक 13-5-82 को सी. टी. ओ., सिरोही ने डिप्टी कमिश्नर, हैड क्वार्टर को डी. ओ. लैटर लिखा कि टैक्स गलत लिया जा रहा है अतः पुनर्विचार किया जावे व टैक्स विथड्रा कर लिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, टेलिफोनिक इन्स्ट्रक्शन और दिये हैं कि कर वसूल किया जाये, इस सन्दर्भ में दिनांक 23-5-82 का सर्क्यूलर इसलिए नहीं पढ़ना चाहूंगा कि वह तो बिल की कापी है जब हाई कोर्ट में पेश हुआ है, सुनवाई हो रही थी तो एडवोकेट ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि, सरकार ने जो संशोधन किया है कि किसानों से टैक्स वसूल किया जा रहा है वह गलत है लिहाजा सरकार को लिखा जाये। और अध्यक्ष महोदय, संबंधित सी. टी. ओ. ने एक पत्र दिनांक 13 मई, 1982 को लिखा जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। दिनांक 13-5-82 को जो सेल्स टैक्स आफिसर ने पत्र लिखा उसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूंगा।

"श्रीमान जिलाधीश एवं दण्डनायक, जालौर के मार्फत आपके पत्र क्रमांक एफ-16 (44) टैक्स/सी सी टी/75/3129 दिनांक

(श्री राम रघुनाथ चौधरी) ..

6-5-1982 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई जिसके अनुसार राज्य से बाहर जाने वाले जीरे पर क्रय कर की दर 4 प्रतिशत से वसूली करने के निर्देश हैं।

कृपया इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर मार्गदर्शन प्रदान फरमावें :—

(1) जीरा दो तरह का है-प्रथम खाद्य जीरा व दूसरा घोड़ा जीरा (इसबगोल) निर्देशानुसार जीरे पर क्रय कर 4 प्रतिशत से वसूल करना है। कृपया यह भी निर्देश प्रदान फरमावें कि क्या घोड़ा जीरा (इसबगोल) पर भी क्रय कर की दर 4 प्रतिशत रहेगी।

(2) काश्तकार जीरा, रायड़ा वे राह नहीं खरीद कर अपने खेती में पैदा करते हैं और विक्रय के लिए राजस्थान से बाहर (ऊंझा) गुजरात मण्डी ले जाते हैं। कृपया यह मार्गदर्शन फरमावें कि काश्तकारों द्वारा स्वयं की भूमि पर पैदा की गई कृषि अन्य उपजों जैसे जीरा, रायड़ा, घोड़ा जीरा, सौंप पर क्रय कर वसूल करना है अथवा बिक्री कर अथवा नहीं ? यदि क्रय वसूल करना है तो उसकी दर क्या रहेगी ?

(3) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 22 (ए) (4) के विलोपन होने के फलस्वरूप तथा धारा 10 ए में सिर्फ केजुअल कोमोडिटीज पर ही कर वसूली का प्रावधान होने से काश्तकारों से कर किस धारा/नियम में वसूल किया जावे व आदेश पारित किया जावे क्योंकि कृषक कर चुकाने के साथ ही उसका आदेश रिन्यू व अपील के लिये चाहते हैं।

दिनांक 11-5-82 को श्री सुमेरसिंह जी भण्डारी, विभागीय सलाहकार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से

(व्यवधान)

में से मोहनसिंह बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी सिरोही की याचिका में विचार विमर्श के दौरान श्रीमान् भण्डारी साहब ने वस्तु स्थिति पर कानूनी तौर पर प्रकाश डालते हुये बताया कि चूंकि काश्तकार व्यवसायी की परिभाषा में नहीं आता है और न ही खरीद बिक्री, वितरण-सप्लाई करता है तथा धारा 3 में पंजीयन योग्य नहीं है और न ही उसका कराधान हेतु उत्तरदायित्व स्थापित होता है, अतः धारा 2 (टी) के तहत कोई कर जांच चौकियों पर नियमानुसार वसूल नहीं किया जा सकता। धारा 2 (ओ) पंजीकृत व्यापारी कर अधिनियम की धारा 10 में कर निर्धारण करते वक्त कर योग्य बिक्री निश्चित करने का तरीका है। यह कोई चार्जिंग सैक्शन नहीं हैं। चार्जिंग के सैक्शन तो धारा 3 ही है जिसमें व्यवसायी से निश्चित सीमा से अधिक व्यापार नहीं होने पर कराधान का दायित्व निर्धारित होता है। परन्तु चूंकि कृषक क्रेता-विक्रेता, वितरक, सप्लाई करने वाला इत्यादि किसी भी श्रेणी में नहीं आता हैं अतः उस पर धारा 3 में कराधान का दायित्व नहीं बनता है।"

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

उन्होंने आगे इसमें लिखा है :—

"महोदय, परिपत्र संख्या 9 दिनांक 23-4-1982 के अवलोकन के पश्चात् श्रीमान भन्डारी साहब द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमति व्यक्त करता हूं । गवर्नमेंट एडवोकेट ने जो राय दी उससे सहमत हूं ।" उन्होंने निवेदन किया सरकार से कि जो कर किसानों से वसूल कर रहें है वह गलत है । इसलिए आप कृपया स्पष्टीकरण भेजकर हमें यह आदेश दीजिए कि जो किसानों से टैक्स वसूल किया जा रहा है वह न किया जाय लेकिन उसके बाद भी माननीय सरकार मौन रहीं । उसके बाद मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि 21-5-82 को एक सी. टी. ओ. साहब ने एक और चिट्ठी लिखी........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । जैसा मैंने निवेदन किया मुख्य मुद्दा यह है कि....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जब तक यह नहीं पढ़ूंगा तो यह साबित कैसे होगा ।

श्री अध्यक्ष : 30 मार्च को नया कानून पास हुआ तो उसका स्पष्टीकरण करते हुए अप्रैल महीने में उन्होंने काश्तकार जो जीरा रायडा बाहर ले जाते है उसके ऊपर टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी । उसके स्पष्टीकरण आप पढ़ रहे हैं । 23.4. को कमिश्नर ने कह दिया कि नहीं यह लगेगा । इसके पश्चात यह सब पत्र व्यवहार हुआ । कानूनी राय मांगी । 2.6 को उसको वापस लिया गया और यह कह दिया कि उसके दरमियान में जो कार्यवाही हुयी उसमें कुछ सस्पेंड हो गये । तो मुख्य मुद्दा उसमें यह बनता है कि उनको किस आधार पर किया गया । उन्होंने उसके अनुपालन में कार्य किया है तो ऊपर वाले का दोष है । उन्होंने पढ़कर या कुछ उसकी पालना नहीं की । मुख्य सवाल इसमें यह है । यह व्याख्या तो हमारे पास भी हैं यह सब पत्रावली होगी, आपके पास भी है अन्यत्र भी मिल सकती है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा था आप तो, माननीय, बहुत जानकारी रखते है, हमारे से सर्वोच्च पद पर बिराजने वाले है परन्तु मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा था, जिस सी. टी. ओ, सिरोही को निलम्बित किया गया है उसको निलम्बित इसलिए किया गया है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, उसको देखभाल नहीं की और जांच नहीं की । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था इस पत्र से भी कि उन्होंने समय समय पर सरकार को अवगत कराया अपने पत्र लिख कर कि आप जो कार्यवाही कर रहे हैं इसमें भ्राति है । आपने यह जो आदेश भेजे हैं यह स्पष्ट नहीं हैं । इतना करने के बाद भी उनको निलम्बित किया गया । अगर मैं इन पत्रों को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने प्रश्न में जो जानकारी चाही थी मुझे उस प्रश्न में जानकारी उन्होंने दी यही जैसा मैंने यह पूछा कि क्या आपको उन्होंने पत्र लिखा ? जवाब पहुंचा नहीं । एक का उत्तर नहीं दिया । इसलिए मैं इन पत्रों को आप तक पहुंचाना चाहता था । मुझे लगता नहीं कि सरकार हां भरने वाली है ? उन सी. टी.

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

ओ. ने बार बार यह पत्र लिख कर सरकार को आगाह किया। जो कुछ कर रहे है सही नहीं है। कृपया वह स्पष्ट करें। लेकिन आप जब समझ गये तो मैं यह मानकर चलता हूं कि मन्त्री महोदय भी इस बात को समझ गये होंगे।

जब किसी बड़े तौर से पत्र का उत्तर नहीं में दे दिया तो मैं जब तक इन पत्रों को आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे लगता है कि सरकार हां भरने वाली है नहीं कि इन सी. टी. ओ. महोदय ने बराबर सरकार का यह पत्र लिखकर आगाह किया कि जो कुछ आप कर रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है कृपया आप स्पष्टीकरण कीजिए। लेकिन माननीय, चूंकि आप इस बात को समझ गये है और आप तक बात पहुंच गयी है तो मैं मानवर चाहता हूं कि मन्त्री महोदय भी इस बात को समझ गये होंगे। इसके लिए मैं आगे चलता हूं। मन्त्री महोदय, इसके बाद वहां के एक संबंधित विधायक ने पत्र लिखा कमिश्नर महोदय को उन्होंने यह लिखा कि काश्तकार से 8 प्रतिशत कर वसूल किया जा रहा है जबकि व्यापारियों से 4 प्रतिशत ही किया जा रहा है। वह पत्र भी इनके कार्यालय में मिल जायेगा। जिसकी इस रिकार्ड में हमें कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन उस पत्र की जो रिप्लाई दी है–डिप्टी कमीश्नर ने माननीय वह मैं बताना चाहूंगा उसमें उन्होंने कहा कि 8 प्रतिशत वसूल न करके 4 प्रतिशत ही वसूली किया जाय। आप मुझे बतायें कि 4 प्रतिशत का व्यापारी से वसूल करने का तो प्रावधान है वह तो सीधा एक्ट में भी और बिल में है तो यह 4 प्रतिशत और दूसरा और किससे वसूल करने के लिए लिख रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि उनकी मंशा क्या है वह आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है माननीय, कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे माल पर जांच के पश्चात् धारा 22 (क) के अधीन शास्ति आरोपित ही अधिक उचित रहता है। यद्यपि इस धारा के अन्तर्गत तसदीक माल के मूल्य के 20 प्रतिशत तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है किन्तु राज्य सरकार शास्ति आक्षेप में एक रुपता को दृष्टि में रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें विभिन्न प्रकार के तिलहन, अनाज, दाल जीरा एवं धनिया बाहर जाता है उस पर धारा 21 (ए)/71 के अधीन शास्ति उस माल के मूल्य के 4 प्रतिशत के बराबर ही लगायी जाय।

माननीय यह स्पष्ट है कि व्यापारी से पहले लिया जाता था और एक्ट के तहत स्पष्ट हैं तो फिर उन्होंने कौनसा स्पष्टीकरण भेजा यह साफ। उन्होंने। जैसा टेलीफोन पर जो बात कही उस बात में इन्होंने डायरेक्टली और इन्डायरेक्टली। इसमें लिखा है कि 4 प्रतिशत इनसे लिया जाये। उसके बाद माननीय इतना निवेदन और करूंगा कि उसने लिखा कि यह आप जो लगा रहे हो. तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण और भेजा और भेजकर यह कहा कि इन पर कर तो लगाया जा सकता है लेकिन जुर्माना जरूर कर दो और किसान को किसान मत मानो। किसान को यह मानकर चलो कि यह व्यापारी था। तो इन परिस्थितियों में उस सैल्स टैक्स ऑफिसर ने और दूसरे आफिसर्स ने काम किये। उनके ऊपर के अधिकारी डिप्टी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कमिश्नर से लेकर नीचे के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार को फैलाया किसानों को लूटा और अमेरिका के वाटरगेट कांड जैसा छोटा वाटरगेट कांड राजस्थान में पैदा कर दिया। इसके साथ मैं अब और निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि आपने यह जानकारी चाही थी कि इन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है मूल प्रश्न यह है। इसके संबंध में मैं कुछ आप से निवेदन करूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वाटरगेट कांड में तो निक्सन गये थे। इसमें कौन होगा? किसका नम्बर है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सी. टी. ओ. सिरोही को 13-4-82 को एक पत्र मिला। पत्र क्या दिया, आप बताइये कोई ईमानदारी से अगर जांच करता है दौड़ धूप करता है सरकार की आमदनी बढ़ाता है तो यह तो सुना है कि उसको मैडल मिलते है इनाम मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन माननीय यह कहीं नहीं सुना कि जो दौड़ धूप करके सरकार की आमदनी बढ़ाये और ईमानदारी से काम करे उसको इस तरह के आदेश मिलें, मैं यह आदेश आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। माननीय, इसमें लिखा है—

Whenever I have tried to contact you on telephone I have found that you are mostly on tour. Now strike is over and work has piled up for last number of days.

You are, therefore, requested not to proceed on tour till end of this month.

एक तरफ तो टैक्स लगाकर सरकार कहती है कि आप टैक्स उगाओ और प्रबन्ध करो। गलत या सही यह दूसरी बात है, यह वह पहले आ चुका है। दूसरी तरफ लिखती है कि तुम टूर नहीं करके हैड क्वार्टर पर रहो। खुद जिस अधिकारी ने यह आदेश निकाले हैं। वह टूर पर सब चौकी पर मौजूद रहे ताकि उसका डायरेक्ट लिंक वहां नाकेदारों और उन लोगों से रहे। यह भ्रष्टाचार की संज्ञा में नहीं आता है तो और क्या आता है? माननीय इसके साथ ही आपको बताऊ, उन्होंने एक आदेश और निकाला वह एक ए. सी. टी. ओ. भी मेघराज लेंगे। उनको आदेश निकालकर भेजा है। इसी तरह का एक दूसरा आदेश निकाला है कि आप उस सड़क पर चलने वाले वाहन, उस नाके से निकलने वाली किसी भी ट्रक को चैक नहीं करेंगे और यह आदेश निकाला है 3-4-82 को, आदेश संख्या 67 मुझे आप बताइये तो लगाया नाके को और ए. सी. टी. ओ. को आदेश उसको दे दिया कि निकलने वाले किसी ट्रक को चैक नहीं करो। अगर आप इस आदेश को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वह तो सिर्फ एक भ्रष्ट व्यक्ति है जिसको पैसा खाना हो या लालच हो या, जिसका स्वार्थ हो वही व्यक्ति कह सकता है वहां के अधिकारी से कि ट्रक को

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

तुम चैक मत करो जैसा आता है वैसे ही जाने दो निकलने दो।

इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा और बड़े अजीब आदेश है इन आदेशों को सुनाये बगैर, माननीय लगता है की जिन लोगो का सस्पेंड किया है वे ईमानदार हैं या जिसको जिस लोगो ने ससपेंड किया है वह ईमानदार है या वह भ्रष्ट है? यह आप देखिये इन्होंने एक तार भेजा है। लिखा है डिप्टी कमीश्नर ने You directed not to visit Abu check-post till further orders. वहां के सी. टी. ओ सिरोही चूंकि चैक पोस्ट पर चैक करने के लिए जाता है जहां से ट्रक निकलते हैं तो वहां पर उन्होंने लिखकर भेज दिया कि तुम्हें उमको लिख दिया कि चैक पोस्ट चैक करने की जरूरत नहीं। यह तो तार में लिखा है डिप्टी कमीश्नर ने। माननीय 14-10-81 को इसके बाद उन्होंने एक आदेश और निकाला माननीय, यहां से एडीशनल कमीश्नर साहब ने लिखा है कि Your orders asking the C.T.O. Sirohi not to visit the Check-post Abu Road till further orders confirmed. यह उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि यह चैक पोस्ट पर नहीं जायेंगे। इसके साथ में एक और बहुत मजेदार चिट्ठी, माननीय, आपकी सेवा में पेश करना चाहूंगा लिखा है Deputy Comissioner (Adm) has aksed you: यह उन्होंने सी. टी. ओ. को लिखा है सर not to inspect Checkepost Abu Road for two months and the confirmation of the order of the Dy. Commissioner was done vide this office letter No. so&so dated 20-10-81 You are, therefore, asked to abide by whatever instructions the Dy. Commissioner (Adm), Jodhpur gives you with regard to the working of the Checkpost Abu Road. Any disobedience on your part will be seriously viewed. इसके साथ ही माननीय एक बहुत ही सुन्दर पत्र और लिखा। वह यह लिखा है—सी. टी. ओ. सिरोही को लिखा है—

(3.00 म. प.)

I am in receipt of your D.O. letter No. 81-82/dated 7th December, 1981. The Headquarters view your complaining attitude without most displeasure. For this you had been cautioned earlier also but it appears that you have not paid any heed to that. You have no right to comment adversely on the working of your Deputy Commissioner. चाहे कितने ही भ्रष्ट हों He has a superior discreption and you are to obey his directions. You are again advised to behave properly and to mind your own business.

अब ओपन बिजनेस में ये है माननीय कि चैक पोस्ट पर जाओ मत ट्रकों को चेक करो मत।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सर दो मिनट।

मैं, माननीय यह इसलिए कह रहा था कि जिन लोगों को निलम्बित किया है उन लोगों को निलंबित इस कारण से किया कि तुमने ट्रकें चेक नहीं की, तुम चेक पोस्ट पर जाकर चेक नहीं करते। यहां से इतनी ट्रकें निकलती रहीं और उन्होंने चोरियां की और तुमने किसानों से जितने भी जायज और नाजायज कर इकट्ठा करना था वह तुमने हमारे टेलिफोन के आदेश से पूरे नहीं किये, यह उसमें लगाया लेकिन उनको कोई चार्ज शीट नहीं दी इसलिए हम करेक्टली यह नहीं कह सकते कि वह चार्ज शीट में क्या एलिगेशन लगायेंगे लेकिन जो कुछ समझ में आता है बनता है वह यही बात बनती है। इसके लिये मैं आपसे बहुत थोड़े में यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय, कि इन्होंने कुल 7 आदमियों को निलंबित किया माननीय, 7 आदमियों को निलंबित किया। उसके लिये, माननीय वित्तमंत्री महोदय विराजमान हैं उन्होंने पिछली विधान सभा में, माननीय, यह कहा था कि 13 लोग जो हैं वे इस जांच में दोषी पाये गये हैं। उन 13 लोंगो में जो उनका मोनीटर है वह है श्री पी. सी. सिंघी, आर. ए. एस.। उनको इन्होंने सबसे बड़ा और गम्भीर आरोपी पाया। बाकी सब लोंगो को तो निलम्बित कर दिया और फिर लिखा है कि इन लोगों को चैक पोस्ट पर नहीं लगाया जायगा। माननीय, इन्होंने यहां आदेश निकाले मंत्री महोदय ने तो ठीक ही किया लेकिन इनके दफ्तर से जब आदेश निकले तो ये डिप्टी कमिश्नर रैंक के आर. ए. एस. ऑफिसर तो नाके पर ही लगने से रहे। अब अगर चैक पोस्ट पर ले जाने की व्यवस्था है कि आइन्दा से अगर आर.ए.एस. आफिसर को चैक पोस्ट पर लगायेंगे तो बात दूसरी है। बाकी लोंगो को निलंबित करके इनको कौन सा तोहफा दिया, यह समझ में नहीं आता लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना भ्रष्टाचार पनपा है वह इसी अधिकारी कि छत्रछाया में पनपा क्योंकि यह 29 दिन तो टूयूर करते है और फिर वापस आकर डायरी में दस्तखत करके कह देते मैं तो दफ्तर में था, कहीं गया ही नहीं। अब इन्होंने निलंबित किया 7 आदमियों को। 7 आदमियों को निलंबित किया। पहले आदमी तो हैं सी. टी. ओ, सिरोही। जिनके लिए मैंने बताया आपको कि उनको आदेश थे कि आप चैक पोस्ट पर नहीं जायंगे, उनको आदेश थे कि आप जीप यूज नहीं कर सकते। उनकी जीप को लेकर........

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति न करें। आप नाम पद दीजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पुनरावृत्ति नही कर रहा हूं। उनको तो निलंबित किया है इन कारणों से जब कि उनके साथ इस तरह के हालात थे, इस तरह के आदेश थे। दूसरे व्यक्ति जिनको निलम्बित किया गया है ए.सी.टी.ओ. चैकपोस्ट, आबू रोड श्री मूल सिंह। इनके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान्, कि ये एक ऐसे चैक पोस्ट पर थे जिससे पहले दो चैक पोस्ट आती है, बाद में तीन चैक पोस्ट आती हैं. यह बीच की चैक पोस्ट पर थे। और अगर आप यह चाहते है, सत्यता चाहते हैं आप देखेंगे कि जितने ट्रक पहले चैक पोस्ट से दूसरे पर निकले हैं उतने

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

ही उनके गुटके तीसरे, चौथे और पांचवें से भी निकले हैं। मुझे आप बतायें, अगर पहले और दूसरे चैक पोस्ट से अगर 10 ट्रक निकले हैं तो उनके यहां ग्यारह नहीं हो सकते, और 10 आगे निकले और 10 पीछे से निकले तो वे दोषी कैसे हो गये लेकिन चूंकि उनको निलम्बित करना था इसलिये उनको कर दिया इस बिना पर कि आपने ट्रकों को चैक नहीं किया और आपका प्रशासन ठीक नहीं था। इसके बाद में निवेदन करना चाहूंगा सर, कि ए. सी. टी. ओ. चैक पोस्ट मोकमपुर, सांचोर में आता है और सांचोर और मोकमपुर को आप भली प्रकार से जानते हैं, सर। वहां के ए. सी. टी. ओ. रामरतन, जिनको 16-6-82 को वहां लगाया ने 16-6-82 को ज्वाइन किया जालौर से। 18-6-82 को उनके घर में कोई बच्चे की शादी होने के कारण छुट्टी पर चले गये। 23-6-82 तक छुट्टी पर रहे। 24-6-82 को वापस आकर ज्वाइन किया और 25-6-82 सांयकाल यानी 26-6-82 को फिर छुट्टी पर चले गये जिसको वापस लौटकर 7 तारिख को आये। सरकार ने जो ये मामला बनाया है, ये माननीय, बनाया है, 1-4-82 अप्रैल से लेकर 30-6-82 तक कि जितने घपले या भ्रष्टाचार, जो भी हुआ या जो कर वसूल जायज या नाजायज किया गया वह 1-4-82 से 30-6-82 तक किया। और माननीय, यह ए. सी. टी. ओ. 7 जुलाई तक छुट्टी पर रहे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 7 जुलाई तक इन्होंने कुल मिलाकर के उस चैक पोस्ट पर चार दिन काम किया। अगर वहां सोना बरसता था और इनको पैसे खाने का....

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग व्यक्तियों की पैरवी नहीं होगी, माननीय, सदस्य। समय हो चुका है। मंत्री महोदय उत्तर देंगे अब।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जो आदमी वहां चार दिन रहा उसको क्यों कर निलम्बित किया गया और क्या भ्रष्टाचार किया ? जिन्होंने किया उनको छोड़ क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : विस्तार से सब बात कह दी, कोई नयी बात हो तो फरमाइये। यह नहीं कि यह सब पुस्तकें वापस पढ़ने लग जायं।

बोलिए। ऑर्डर प्लीज।

श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, अभी जीरा रायड़ा के बारे में राम रघुनाथजी ने सभी पत्रों का हवाला दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमने जो प्रश्न पूछे। उसके जवाब में जो उत्तर मिला है उस उत्तर में सारे तथ्यों को छिपाया गया है। तो ये जो उत्तर दिया है इसका गलत देने का क्या औचित्य है?

(श्री हेमाराम चौधरी)

जिसमें इन्होंने कहा है कि विधान सभा के अन्दर इस तरह की कोई बात कही नहीं गई कि गलत सर्कुलर निकला और जिसकी वजह से किसानों से टैक्स वसूल हुआ। इसको इन्होंने मना किया है कि जी नहीं। तो इस तरह ये जवाब विभाग के अधिकारी तैयार करके ले आये और वही जवाब यहाँ पर विधान सभा के अन्दर मन्त्री जी ने पेश कर दिया तो मेरा कहने का निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय कि इस विभाग के अन्दर जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वही आदेश गलत निकालते हैं और वही उसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं और वही इसमें अपनी ओर से चाहे उसको दोषी ठहरा देते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ये जो जांच हुई है ये किसी और स्तर के अधिकारी से कोई जांच होती, या अन्य किसी विभाग से तो कोई मामला सामने आ सकता था। लेकिन ये तो जो स्वयं गलत आदेश जारी कर और जिसकी वजह से किसानों की लाखों का पैसा है वह लूटा गया है और फिर वही अधिकारी दूसरे अधिकारियों पर दोष मढ़ करके और अपने आपको बचाने की कोशिश करें। यह कैसी बात है, अध्यक्ष महोदय? गलत कोई करे खवि दूर, कूटी जे पाड़े वाली बात हो गई अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सिरोही के सी. टी. ओ. हैं उन्होंने ही तो सबसे पहला पत्र 13-5 को दूसरा 21-5 को लिखा इस मामले में....

श्री अध्यक्ष : वह आ गये हैं। इस पर चर्चा न करें। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने वह बातें कह दी हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : वह बात कह दी है, पर मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि ये टैक्स है ये बाद में विधान सभा में यह कह-कर पीछे हट गये कि हमने टैक्स लगाया नहीं और हमारे अधिकारियों ने इसका गलत इन्टरप्रिटेशन ले लिया और गलत सर्कुलर निकाल दिया। ये तो वित्त मंत्री जी ने खुद विधान सभा के अन्दर माना है। 13-9 को जो स्टेटमेंट दिया अभी रामरघुनाथ जी ने जो पढ़ करके सुनाया। गलती इनकी और फिर सजा आप किसी और को देना चाहें तो मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रहा था कि ये मामला टैक्स किसानों पर लगता है या नहीं लगता है, इनके विभाग ने, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ने ये मामला अगर सबसे पहले की तरह सामने लेने की कोशिश की या इसको समझने की कोशिश की तो वह सी. टी. ओ. सिरोही ने की। सबसे पहला पत्र है वह सी. टी. ओ. सिरोही ने 13-5 को लिखा तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि ये मामला सी. टी. ओ. सिरोही ने उजागर किया कि ये टैक्स किसानों पर है नहीं और आप बारबार हमारे को आदेश दे रहे हो कि आप किसानों से टैक्स वसूलो। और आप इसका जो इन्टरप्रिटेशन है उसको गलत ले रहे हैं और इस तरह का जवाब वे वापस व्याख्या करके भेजते रहे। अध्यक्ष महोदय, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वे उनसे इस मामले को लेकर के नाराज हो गये। उन्होंने कहा कि नीचे के स्तर का अधिकारी हमारे कानून की ये व्याख्या करे और हमारे को समझावे और हमारे को लिखे कि आपने जो ये सर्कुलर निकाला है यह गलत है और इसकी मन्शा यह नहीं है. इसलिये ये लोग उससे नाराज हो गये।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य अब नयी बात तो कोई है नहीं। मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिये उनसे आप एकाध क्वेरी कर लेना। मंत्री महोदय....

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय, नई बात नहीं है। दो-तीन मिनट से किसी समस्या का हल नहीं होगा। मंत्री जी का उत्तर आने दीजिये। ऑर्डर-ऑर्डर, बैठ जायं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस टैक्स के मामले में....

एक माननीय सदस्य : इस मामले में कहीं गड़बड़ी तो है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर प्लीज़। मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं। मुद्दे की बात सुन लो। उसके बाद होगा तो मैं और अवसर दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : जो लूट हुई उसकी हम ज्यादा जानकारी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह कोई आम चर्चा का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

मंत्री जी को पहले सुनूंगा मैं, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज, बैठ जायं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : किसानों का पैसा वापस लौटायें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मंत्री जी।

मंत्री जी, मैं एक ही बात का स्पष्टीकरण चाहता था, यह बात सही है कि पहले तो विभाग बराबर यह कोशिश कर रहा था कि यह वसूली किसानों से होनी चाहिए यह बात सामने आई है।

दूसरा यह है ए. सी. टी. ओ. ने सी. टी. ओ. ने फिर लिखा कि नहीं साहब, यह तो टैक्स लग नहीं सकता तो कहा कि नहीं यह लगेगा। उसके बाद में शायद उनके ध्यान में आया कि यह तो कानून के अनुसार लग नहीं सकता इसलिए 2.6 को यह कर दिया कि यह किसानों पर नहीं लग सकता।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : बड़े क्लरीफिकेशन किया।

श्री अध्यक्ष : 2-6-1 और इसका मुख्य मुद्दा यह है क्योंकि यह सस्पेंशन की बात है। तो यह जो अधिकारी है उन पर जो वह पहले वाला गलत आदेश था उसकी पालना नहीं करने का दोष है या उन्होंने पालना कर दी या उनका कसूर क्या है इसके बारे में आप थोड़ा बता दें तो स्थिति काफी स्पष्ट हो जायेगी। किस कारण से सस्पेण्ड किया है उनको ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : सैक्शन 2(T) में अमैण्डमैण्ट किया गया है।

श्री अध्यक्ष : है साहब ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : फाइनेन्स बिल के तहत यह....

श्री अध्यक्ष : आपने अन्तिम रूप से यह कर दिया, 2.6 को आपने यह कर दिया कि किसानों से नहीं लिया जायेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : किसानों से नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इनका दोष क्या है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो 2(T) है, उसमें टर्न ओवर की जो डैफिनेशन है उसमें यह था कि टर्न ओवर डीलर का होता है इसलिए अगर कोई डीलर वहां पर ले जाता है तो डीलर से टैक्स लिया जायेगा फिर उसके बाद....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, बैठ जायं। माननीय सदस्य। कृपया।

(व्यवधान)

इसमें यह टर्न ओवर वगैरह वाली बात हमारे ध्यान में समय-समय पर लाई गयी है। टर्न ओवर वाली बात, उसकी डैफिनेशन, यह भी नीचे वालों ने कह दिया। ऊपर वालों का तो स्पष्ट आदेश यह है कि वसूल किया जाय। टर्न ओवर वाली बात का तो यह है कि टर्न ओवर जो इतना बिजनैस करता हो, बेचता हो, उसका आता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उसी पर तो लिया जायेगा। इन्होंने इसकी गलत इन्टरप्रिटेशन करके एक तो सारे ट्रक छोड़ना शुरू कर दिया चाहे वह व्यापारी का हो, चाहे वह एग्रीकल्चरिस्ट का हो कहीं एन्ट्री ही नहीं है। मैंने जो जांच करवाई, श्रीमन्, खुद कमिश्नर को जांच करने के लिए भेजा कि ऊंभा मण्डी में कितने ट्रक माल कहां कहां से गया। अगर वह एग्रीकल्चरिस्ट का माल था तो भी एन्ट्री होकर तो जाना ही चाहिए था चाहे टैक्स वसूल किया गया है या....

श्री अध्यक्ष : उसमें आपका यह इतना भारी सैल्स टैक्स पहले तो था व्यापारी 4 पर्सेन्ट और किसानों पर रखा था 8 पर्सेन्ट। जब आठ से चार हुई तो उसको पैनल्टी पर वसूल करने का था। जहां तक जीरा जाने का सवाल है, यह प्रश्न चौदह या पन्द्रह अप्रैल से लगाकर 23 अप्रैल को आपने रखा स्पष्टीकरण किया, उसके बाद में 20 जून तक का सवाल है। जीरा तो भाव पर जाता है, भाव के अनुसार जाता आता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : विधान सभा में जो चर्चाएं हुई उसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया इस सारे, इसमें दो एलीगेशंस थे। एक तो यह कि करोड़ों रुपयों का माल बगैर टैक्स चुकाये बाहर चला गया। दूसरा यह कि काश्तकारों से भी इसका टैक्स वसूल किया गया। यह स्पष्टीकरण कर दिया गया कि यह टैक्स

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

काश्तकारों से वसूल नहीं होगा और अगर वसूल कर लिया गया है तो उसको वापस कर दिया जायेगा। एक चीज यह है। दूसरी यह है कि जो ट्रक बाहर गये उन ट्रकों को बाहर भेजने के लिए विदाउट एन्ट्री जिन लोगों ने बाहर भेजा उनमें, कमिश्नर ने इन्क्वायरी की उसमें यह सही पाया गया कि बहुत सारे ट्रक ऊंभा मण्डी में गये हैं।

श्री अध्यक्ष : एक्सेसिव टैक्स है तो स्मगलिंग का भी कारण कुछ यह बनता है कि अगर कस्टम ड्यूटी बहुत हैवी है तो फिर रास्ते दूसरे ले लेते है। यह सिर्फ डेढ़ महीने का सवाल था।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह इसके इन्टरप्रिटेशन की वजह से नहीं है। लेकिन जो डिसग्रॉनेस्टी हुई, उस डिसग्रॉनेस्टी की वजह से 59 एम्पलाईज के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है जैसा आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को सस्पैण्ड नहीं किया। मैं अर्ज करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर को भी सस्पैण्ड करने का इरादा है क्योंकि उसका भी इन्वॉल्वमेण्ट पाया जाता है।

(व्यवधान)

वह चूंकि कड़क आफिसर........

श्री अध्यक्ष : मूल कारण, आपके विभाग का यह दोष कि उन्होंने इन्टरप्रिटेशन कर दिया, उसकी व्याख्या, स्पष्टीकरण करके 8 पर्सेन्ट ड्यूटी लगा दी। उसी के कारण यह सब गड़बड़ियां होती है।....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो कुछ भी मेरे पास फैक्ट्स आए हैं........

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जिस सेल्स टैक्स ऑफिसर ने सरकार के नोटिस में यह बात लाई है कि यह इन्टरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हैं, आप किसानों के अहित की बात कर रहे हैं उसी ऑफिसर को इसी वजह पर से सस्पैण्ड किया गया है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : पहले तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि........

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में माना है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर, सिरोही ने हमको पत्र भेजा है, हमारे तक पत्र पहुंचा है। पहुंचने के बाद स्पष्टीकरण, जवाब कुछ नहीं भेजा। चुप रहे विभाग वाले। इससे बात स्पष्ट है कि सारी गलतियां उनकी हैं, बेईमानी उनकी थी।

श्री अध्यक्ष : यह बात तो निर्विवाद है कि आपके डिपार्टमेण्ट का जो सर्कुलर था वह बिलकुल गलत था।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अगर इसकी वजह से है तब तो अपने आप........

श्री अध्यक्ष : और डेढ़ महीने तक यह गलत रहा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरा निवेदन तो करना यह है, मेरे पास जो चार्ज शीट बनकर आई हुई है और जिस चार्ज शीट के ऊपर जाकर सस्पेण्ड. किया गया है वह मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुना दूं, तो आपको जानकारी हो जावेगी।

राज्य सरकार ने जिन ऑफिसरों को निलम्बित किया है उनका सीधा उत्तरदायित्व था। उपायुक्त प्रशासन, जोधपुर पर सीधा उत्तरदायित्व न होने से उनको निलम्बित नहीं किया गया यद्यपि उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।"

निलम्बित किये गये अधिकारियों को बिना किसी ठोस आरोप के आधार पर निलम्बित नहीं किया गया. और न ही विभाग ने किसी के विरुद्ध बिना किसी ठोस आरोप के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

श्री शिवराम शिविर, वाणिज्यक कर अधिकारी, सिरोही इस अवधि में वाणिज्यक कर अधिकारी, सिरोही के पद पर-पद-स्थापित थे। इनके नियंत्रण में चैक पोस्ट्स आबू रोड, मण्डार, मण्डार-डी व माखपुरा चैक पोस्टें थी जिन पर विशेष तौर से जीरा रायड़ा का मामला उठाया गया था। श्री शिवराम ने अब यह स्पेसिफिक चार्ज है, अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया एवं जांच चौकियों पर अनियमित कार्यवाही को रोकने के लिए प्रयास नहीं किये। श्री शिविर ने सहायक जिलाधीश, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीनमाल मुख्यालय सांचोर द्वारा दिनांक 30.5.82 को रात्री की वीलासन कांटे पर रात्रि को 11.45 P.M पर जब ट्रक नम्बर जी. टी. एक्स 8317 को माखुपुरा चैक पोस्ट से आते हुए पकड़ा एवं बिना कर शास्ति व एस. टी. उक्त चैक पोस्ट पर दिये, पाया एवं ट्रक पकड़े जाने के उपरान्त अनियमित ढंग से ट्रक के मूवमेंण्ट रजिस्टर में इन्द्राज करना एवं फर्जी एस. टी. 18 की शंकरदान तत्कालीन सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, से माखुपुरा से तैयार किये जाने की सूचना अपने पत्र दिनांक 4.6.82 द्वारा उक्त श्री शिविर, वाणिज्य कर अधिकारी को दी तो इन विस्तृत प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, जो पत्रावलियां पढ़ी हैं उनमें यह आता है कि सिरोही सी. टी. ओ. है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरा अर्ज करना यह है....

श्री अध्यक्ष : इस ने ही पहले यह प्रोटेस्ट किया है कि यह कर कानून से लग नहीं सकता। 14-15 या 16 अप्रैल को जब से आदेश आये हैं। फिर भी उसका अनुपालन करवा या उनके ऊपर कई तरह की बंदिशें डाली गयीं। आखिर में, उसने जो प्रश्न उठाया है, वह ठीक निकला है और विभाग ने उसको निरस्त किया है। पहले तो विभाग इस तरह से था कि सब

(श्री अध्यक्ष)

तरह से तामील करवाकर मंगवायी है कि इस आदेश की पालना हो।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं एक बात अर्ज करूं। पहली चीज तो यह है कि सस्पैन्शन जो किया जाता है प्राइमाफेसी इविडेंस पर किया जाता है। सस्पैन्शन पनिशमेण्ट नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बाधा नहीं डालें।

(व्यवधान)

इसमें, मंत्री महोदय, इतनी सी बात ध्यान में........

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सी. टी. ओ. सिरोही ने एन्टी इवेजन ऑफिसर को चिट्ठी लिखी, सरकार को लिखा........

चोरी चोरी बिना चैकिंग के ट्रक चले गये हैं, मेरे को चैकिंग पावर दिये जायं मैं सरकार की 50 पर्सेन्ट रेवेन्यू बढ़ाऊंगा और उसके बाद उनके अधिकारियों ने कहा कि तुम चुपचाप बैठे रहो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उन अधिकारियों को कहीं ओर लगाओ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर.... ऐसा है गलती तो हुई ऊपर से इन्टरप्रटेशन की और इस पर सब भार जा रहा है नीचे वालों पर, एक दफा यह इन्टरप्रिटेशन उसकी पालना, फिर उसकी पालना नहीं करना फिर उसको विथड्रा करना तो इसमें होता यह है कि जब ऊपर से गलती हो तो नीचे वालों पर भार शिफ्ट होनी ही नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा निवेदन करना यह है कि जब स्पेसिफिक चीजें आती हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं और इस सदन को निवेदन यह करना चाहता हूं कि कानून के अन्दर और डिसिप्लनरी एक्शन्स के तहत में सस्पेन्शन इज नो पनिशमेन्ट। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर, माननीय सदस्य बाधा न पहुंचायें । मंत्रीजी कह रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि स्पेसिफिक बात जो सामने ग्राती है उसके ऊपर ग्रॉफिसर्स को चार्जशीट करके उसका जवाब मांगने का मौका मिलता है । यह जो चार्जशीट ग्रब जो सबमिट हुई है डी. ग्रो. पी. में वह चार्जशीट उस ग्रफिसर के पास जायेगी, उसका जवाब ग्रायेगा डिसिप्लनरी कमेटी को, डिसिप्लनरी कमेटी एक्शन ग्रॉफिसर को फिर उसका रिप्लाई देखकर के उसमें एक्शन लेने का ग्राएगा....

श्री ग्रध्यक्ष : मुख्य मुद्दा ग्राप समझें कि गलती ऊपर वालों की है ग्रौर नीचे से....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : ग्राप तो ईमानदारी रखियेगा....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर, माननीय सदस्य । नीचे के ग्रधिकारियों ने बार बार इस बात को दोहराया है कि यह टैक्स लग नहीं सकता ऊपर वालों ने कठोरता से पालन करा कर, उनको यह ग्राशंका थी कि ग्रमुक ग्रधिकारी पालना नहीं करवा रहा होगा उसके ऊपर तरह तरह के ग्रादेश यहां पर पड़े जो ग्रामतौर से प्रशासनिक दृष्टि से....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टैक्स नहीं लगेगा...

श्री ग्रध्यक्ष : उसके बाद में जब यह हो गया कि यह तो विथड्रा करना पड़ेगा ग्रौर जब यह प्रश्न उठ गया कि इस तरह से वसूल कर रहे हैं ग्राप, तो यह तो उन्हीं के ऊपर ही वापिस हो गया ऐसा होता है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्रगर कोई व्यापारी ट्रक करके, इतने ट्रक गये हैं जिनके नम्बर्स भी मेरे पास हैं जो उन चैक पोस्टों से निकल गये, ऊंझा मण्डी पहुंच गये, ऊंझा मण्डी के कागजातों में उनका इन्द्राज है ग्रौर इधर से क्रास चैकिंग करने पर....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर ।

(व्यवधान)

इसमें मंत्री महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं एक मिनट में ।

श्री ग्रध्यक्ष : एक मिनट इसमें ऐसा होता है । ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर...

(व्यवधान)

ऐसा होता है कि भाव के ग्रनुसार माल का निर्यात होता है ऊंझा में ग्रगर भाव ग्रच्छा है ट्रकें ज्यादा चली जायेंगी, भाव कम है, यदि इधर 8 पर्सेन्ट टैक्स लग गया तो 8 पर्सेन्ट वहां फ़ायदा हो गया है । फिर लोग इवेड करने की करते हैं....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो सारा ही माल ऊंझा ही जाता है ।

(130)

श्री अध्यक्ष : आपके तो चैक पोस्ट हैं कहीं पर और लोग उसे कहीं से निकाल कर ले जायेंगे इस तरह की स्थिति बन जाती। यह है.... कृपया

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ठीक है बगैर चैक पोस्ट के भी चले जाते हैं, कुछ चैक पोस्ट पर जाते हैं, और चैक पोस्ट पर एन्ट्री नहीं होकर के बाद में पकड़े जाते हैं, इन चैक पोस्टों से माल निकला जो ये चीजें होती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट आप बैठ जायं।

इसमें दो प्रश्न हैं—एक प्रश्न तो यह है कि सरकार की नीतियों के विरोध में सरकारी विभाग ने आदेश निकाले। यह तो एडमिशन है सरकार का इस हाउस के फ्लोर पर भी एडमिशन है, विभाग की पत्रावलियों पर भी एडमिशन है। माननीय सदस्य और यह सदन यह जानकारी करना चाहता है कि सरकार की नीति का गलत इन्टरप्रेटेशन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तो आपने क्या एक्शन लिया पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आता है कि उस गलत इन्टरप्रिटेशन के कारण जिन लोगों ने एक्शन लिया वह आज अधिकारी उस चक्कर में आ गये। अगर वह गलत इन्टरप्रेटेशन के कारण से, अब मैं उन पत्रावलियों का रेफेरेन्स नहीं देना चाहता जो माननीय सदस्य डेगाना से आने वालों ने दिया है और बाकी अन्य माननीय सदस्यों ने दिया है उन पत्रावलियों के रेफरेन्स से साफ है कि ये ऑफिसर्स काम नहीं करना चाहते थे, यह तो इन ऑफिसर्स ने ही सरकार को बताया है कि आपने गलत इन्टरप्रेटेशन किया है और यदि उसके कारण से हमने काश्तकारों से टैक्स वसूल कर लिया तो यह नीति के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा, हमें नहीं करना। मैं, अब आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा सस्पेंस क्रियेट हो जाय, या इस प्रकार का ससपेन्स हो जाय कि सरकार गैर कानूनी ढंग से किसी के ऊपर टैक्स लगा रही है, यदि किसी अधिकारी ने काश्तकारों से लगान वसूल नहीं किया तो वाजिब था, उसने गलत काम नहीं किया। अगर आप कोई कानून का गलत इन्टरप्रेटेशन लेते हैं और उस कानून के गलत इन्टरप्रेटेशन का नीचे के अधिकारी विरोध कर रहे हैं, टेलीग्राम दे रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, चिट्ठियाँ भेज रहे हैं और उसके बाद में भी आपका विभाग किसी तरह से सचेत नहीं होता तो क्या वह अधिकारी टैक्स वसूल कर लेते और विधान सभा में यह मामला आता कि इन्होंने टैक्स वसूल कर लिया किसानों से जैसे आज आप कह रहे हैं कि जो वसूल कर लिया है वह तो वापिस दे देंगे। यह तो आपने कहा। यह जो आपने कहा, वह आपके विधान सभा के कारण से कहा, आपने अपनी मर्जी से नहीं कहा। इसी सदन में जब आपकी खिंचाई हुई और उसके कारण से मजबूर होकर आपको यह कहना पड़ा।

मैं आज वही पूछना चाहता हूं कि आपके गलत इन्टरप्रिटेशन करने वाले सरकारी अधिकारी तो बच गये जिनके कारण से किसान तबाह हुये वह बच गये, जिनके कारण से गलत इन्टरप्रेटेशन को लागू नहीं किया वे सरकारी अफसर फंस गये। और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब आप कहते हैं जीरा रायड़ा ऊंझा मंडी में इतने ट्रक चले गये, वहां यह भाव थे और यह नहीं थे। ऊंझा मण्डी में तो हमेशा जाते हैं। आप कम्परेटिव स्टेटमेंट देख लीजिये, हर साल ऊंझा मण्डी में जीरा जाता है, बिना टैक्स के जीरा जाता है आज नई बात कौनसी हो गई, वहां की यदि आप फीगर्स लें, आपने कभी यह बताया कि ये इतने व्यापारी डीलर थे और इतने काश्तकार नहीं थे क्या ऊंझा मण्डी में इस प्रकार का रिकार्ड आपको मिला है कि वहां पर व्यापारियों की एन्ट्री है और काश्तकारों की एन्ट्री नहीं है। आपने तो चतुराई यह की थी, आपने आदेश यह निकाला था कि काश्तकार व्यापारी के नाम से ले जाता है इसलिए काश्तकार को इजाजत नहीं दी जाय वास्तविकता यह थी। इस वास्तविकता के लिये इन्होंने टैक्स इम्पोज किया था और इसी टैक्स इम्पोज करने के कारण सारी गड़बड़ हो गई।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे कर्मचारियों को फंसाने की आदत तो सरकार की बनी है। यह विधान सभा में पहले भी सरकार से मांग की थी कि सरकार की घोषणा का गलत इन्टरप्रिटेशन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाय। उनके खिलाफ यदि जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक छोटे ए. सी. टी. ओ. इन्सपेक्टर्स इनको मारने से क्या नतीजा निकलेगा? अब रहा करप्शन का सवाल। करप्शन कहां नहीं है। इस विभाग में तो क्या, कोई विभाग है जिसमें करप्शन नहीं है। कोई विभाग आप बता दें, जहां पर करप्शन नहीं होता हो और क्या करप्शन के मामले आपके पास नहीं आते हैं? ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं सेल्स टैक्स की चोरी हो गई, आज सेल्स टैक्स की चोरी हो गई या नहीं। अगर हो गई तो इसकी जांच कौन कर रहा है, अध्यक्ष महोदय? इसकी जांच वे कर रहे हैं जिन्होंने गलत आदेश निकाले। जांच की बुनियाद उन्होंने डाली है जिन्होंने गलत आदेश निकाले हैं। चतुराई यह की गई कि हमारे बचने का सबसे बढ़िया तरीका एक है कि छोटे अधिकारियों पर चार्ज लगा दो इतने ट्रक निकल गये ऊंझा मण्डी में इतने ट्रक जमा हो गये। यह चार्ज लगाकर अपने बचाव करने की कोशिश की है। उसमें छोटे-छोटे कर्मचारियों को मार दिया। मैं चाहूंगा कि सरकार वास्तव में यदि न्याय करना चाहती है, तो जिन्होंने शुरू से लेकर अन्त तक गलत ऑर्डर निकाला, गलत ऑर्डर को लागू कराया उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाय और जो करप्शन के मामले में कोई आते हैं, तो हम किसी की वकालत नहीं करते; लेकिन आपके गलत ऑर्डर को इन्टरप्रेट करने में जहां छोटे कर्मचारियों ने गलती कर दी वहां तो सजा का भुगतान कर गया और बड़े ने कर दी वह आज उनकी जांच कर रहे हैं। वह जांच कौन कर रहे हैं? जांच वो ही कर रहे हैं जिन्होंने गलत आदेश दिये। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि न्याय कहां है। इसलिये मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें और आप चाहें तो चन्दन-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मल जी वैद्य ने इस सदन के अन्दर जो बातें कही हैं उन बातों के आधार पर तो यह जांच ही शुरू नहीं हुई है। जांच ही नहीं हुई, जांच कौन कर रहा है। किसी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सीज से आपने जांच कराई ? जो अधिकारी गलत आदेश देते हैं वही जांच कर रहे हैं, वह अपने को फंसाने की कोशिश करेंगे क्या ? वह तो मातहत को मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए यदि कुछ करना भी है, तो कोई इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी हैं, लेकिन इन्क्वायरी की बुनियाद यह होगी, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार की नीति का, विधान सभा में की गई घोषणा का उसमें जो गलत नोटिफिकेशन्स निकाले, उन गलत नोटिफिकेशन्स निकालने वाले अधिकारियों को दोषी ठहराया जाय, और उनको दण्ड दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां सदन में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने जिस समय कोशिश की थी सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उस समय यदि आप हमारी मदद करते तो बोलने के लिये खड़े हो जाते आज आप इनको आधे घन्टे से समझा रहे हैं पर समझ ही नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो वक्तव्य उस समय दिया गया था, मैं आपका ध्यान उस पर आकर्षित करता हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कहा जाता है कि साहब ऐसा उन्होंने मान लिया था कि उन्होंने गलत कहा है, जो वक्तव्य है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जो व्यापारी अपना माल राज्य के बाहर ले जाते थे उनकी जांच के लिये यह संशोधन किया गया था। संशोधन में काश्तकारों पर कर लगाने का विचार राज्य सरकार का नहीं था। विभाग के कुछ चैक पोस्टों पर नवीन संशोधन को समझने की भूल····

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा अर्ज करना यह है कि यह समझने की भूल जो कुछ भी की है वह इन अधिकारियों ने की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने नहीं की।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी और क्योंकि

(श्री अध्यक्ष)

विभाग ने तो यह स्टेण्ड कर लिया था कि इसमें वसूली गलती से कुछ हो गई है और इतना ही कुल टैक्स लगा था तो इस विधान सभा के सदस्यों ने सुझाव दिया था कि कितना लगा कितना नहीं लगा था और कितना माल गया है यह तो आप ऊंझा से मालूम कर लीजिये और अब चूंकि ऊंझा से ज्यादा माल आ गया है इसलिए यह मुझे लगता है अब यह मार जो है, नीचे अधिकारियों पर डाला जा रहा है, बात यह है बहुत विस्तार में चर्चा हुई थी।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जो भी चार्जशीट फ्रेम की गई है और जो एविडेन्स सामने आई है उसको आप स्वयं देख लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप जो करेंगे मन्त्री महोदय, उससे सब सन्तुष्ट हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसको मैं मानता हूं कि····

श्री अध्यक्ष : किस व्यक्ति को चार्जशीट दी गई, और किस व्यक्ति का क्या दोष है इसमें हमारी रुचि नहीं है। सवाल इसमें यह है कि....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो सरकार के हित में कहता है उसको आप डिमोरेलाइज करना चाहते हैं, उसको आप सस्पैंड कर उसके खिलाफ एन्क्वायरी करना चाहते हैं, यह कौनसा न्याय है। उसको आप रेग्यूरलराई करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण डूडी : चार्ज शीट तो उन्हीं लोगों ने तैयार की जिन्होंने इनको सस्पेण्ड कर रखा है और इन्टरप्रिटेशन गलत किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री महाराम चौधरी : सरकार की भूल नहीं होती तो किसानों को पैसा वापिस देने का वायदा कैसे किया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक डिप्टी कमिश्नर का ताल्लुक है वहां तक भी उसके खिलाफ डिसीप्लीन एक्शन की कार्यवाही इसमें करना निश्चित कर लिया गया है और सिर्फ उनका सस्पेन्शन नहीं हुआ बाकि उसके नीचे अधिकारी थे उनको सबको सस्पेन्शन कर दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ओरिजनल सक्युलर पढ़कर सुना देता हूं जो मन्त्री जी कह रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : यह सुना दिया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी बात मैं निवेदन करता हूं अगर मान लीजिए साहब कि जैसे आप समझते हैं कि कमिश्नर ने कोई एन्क्वायरी करने में गलती की है या ज्यादती की है तो और कोई इन्डिपेण्डेन्ट ऑफिसर से एन्क्वायरी करवा लेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ठीक है साहब

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, सभी पक्ष आ गये हैं, जितने मुद्दे थे सभी मुद्दे सामने आ गये हैं, मन्त्री महोदय देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ : आप दूसरे ऑफिसर से जांच करा दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : जब तक जांच नहीं हो जावे तब तक उनको बहाल कीजिए, जांच के बाद में उनको सस्पैण्ड कीजिए।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस विभाग के सबसे ऊंचे जो अधिकारी हैं वो फाइनेन्स सेक्रेट्री हैं, मैं फाइनेन्स सेक्रेट्री से इसकी जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :····पहले जिन्होंने गलत आदेश दिये उनको सस्पेण्ड किया जाय और फिर जांच शुरू की जाय।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

बैठ जायं माननीय सदस्य—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। काफी बातें कर चुके, सब बातें आ चुकी हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत स्पष्ट है, जो आदमी वहां पर रहा नहीं है और स्थानान्तरण होने के बावजूद उसको निलम्बित किस बात पर कर दिया····

(व्यवधान)

आप मुझे बताइये, ईमानदार आदमी का यह तगमा है क्या, यह तो डिमोरेलाइजेशन आफ ड्यूटी है।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को सन् 1984-85 से लागू नहीं किये जाने से राज्य सरकार को हुई वित्तीय हानि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायें। बैठ जायं, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को सन् 84–85 से लागू नहीं किये जाने से राज्य सरकार को हुई वित्तीय हानि से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया जायगा। समय का अभाव है इसलिए इस विषय पर सरकार की ओर से जो कुछ भी कहा जायगा उसको मिला करके आधे घण्टे का समय दिया जाता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आधे घण्टे में मन्त्रीजी समझेंगे नहीं, आप आधे घण्टे से समझा रहे हैं तो समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं समझ गये हैं बहुत पहले ही समझे हुए थे। क्योंकि प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों ने दिया है इसलिए एक या दो माननीय सदस्य जिनको विषय की जानकारी है····

श्री भैरोंसिह शेखावत : इम्पॉर्टेन्ट विषय है।

श्री अध्यक्ष : इम्पॉर्टेन्ट सभी हैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आधे घण्टे में कुछ मों पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसलिए एक-दो माननीय सदस्य बात कह दें इधर से या उधर से जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले मन्त्रीजी को उत्तर देने दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जानकारी बढ़ जायेगी, इससे चर्चा व्यापक हो जायेगी। जो माननीय सदस्य पहले बोलना चाहें इसकी जानकारी हो वास्तव में····

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक सदस्य बोलकर ध्यानाकर्षण कर दे फिर मन्त्रीजी जवाब दें उससे सन्तुष्ट हो जायेंगे तो नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मन्त्रीजी के उत्तर के बाद में बोलने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा है कि आप ही बोल लीजिये पहले।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं पहले मन्त्रीजी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक, दो, तीन बोल लें, तीस मिनट का समय होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : घनश्याम जी ध्यानाकर्षण करिये।

श्री अध्यक्ष : चालीस मिनट की सीमा है जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें, मन्त्री जी के लिये दस मिनट का समय सुरक्षित कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बोल लेंगे दो मिनट में, लिखा हुआ है उनका ।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रोसीजर तो ठीक है, एक माननीय सदस्य ध्याना-कर्षण करना चाहते हैं तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : बाद में मन्त्रीजी को सुनकर भाषण देना चाहते हैं, कोई स्पष्टीकरण चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है, नियमों के अन्दर ऐसा ही प्रावधान है लेकिन आप कह रहे हैं कर दें, फिर मन्त्रीजी बोलना चाहेंगे तो बोल सकेंगे, फिर वापिस भाषण नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाषण नहीं होंगे, संक्षेप में प्रश्न पूछे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप की भी परिभाषा नहीं है इसलिए यदि कोई बोलेंगे····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले मन्त्रीजी बोल जायं, पहले ये ध्यानाकर्षण कर दें ।

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट का समय है, चार बजकर 23 मिनट है, मैं इधर वाली की घड़ी देख रहा हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल का बजट पेश करने के लिये जब माननीय मन्त्री महोदय आये तो आठवें वित्त आयोग की आशा लगाकर आये थे कि आठवां वित्त आयोग जब आयेगा उस समय राजस्थान में यह हो जायेगा और क्या हो जायेगा । माननीय मन्त्री महोदय जिस समय आ रहे थे हाथ में लेकर उस समय उनके पैर लड़खड़ा रहे थे । मैंने सोचा, अध्यक्ष महोदय, कि शायद मन्त्री महोदय को कोई बीमारी है और बीमारी के कारण उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं लेकिन वास्तव में यह था कि राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर, राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को जिस प्रकार से माननीय मन्त्री महोदय ने लड़खड़ाया है उसका उदाहरण आठवें वित्त आयोग के अन्दर प्रस्तुत होता है । अध्यक्ष महोदय, इस वित्त आयोग ने राजस्थान पर चारों ओर से वार किया और एक किया केन्द्रीय सरकार ने । उसके बाद सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, यह कि अन्तरिम रिपोर्ट में····

श्री अध्यक्ष : इसमें वित्त आयोग चर्चा का विषय नहीं है माननीय सदस्य, वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं ।

(व्यवधान)

वित्त आयोग पर नहीं, राजस्थान को क्या करना है इतने तक सीमित है । वित्त आयोग पर चर्चा नहीं कर सकते । यह विपक्ष के नेता महोदय ने कल आश्वासन दिया था ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रस्ताव दिया है उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त जो भी बात हम बोलेंगे, उसका न तो सरकार उत्तर देगी और न रेस्पान्सिबल है। माननीय सदस्य भाषण अतिरिक्त बातों को लेकर के ज्यादा करना चाह रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है माननीय सदस्य उसको पढ़ें और सरकार उसका उत्तर दे, उसके बाद में एडीशनल बातें कोई इनके उत्तर के बाद पैदा हो तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। लेकिन इनका मूल प्रस्ताव तो कुछ है और बोल कुछ रहे हैं। यह तो बिल्कुल असंगत बात होगी। आप पढ़वाइये कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है।

श्री अध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की व्याख्या कर दीजिए संक्षेप में।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उस पर कुछ बोलें नहीं, यह तो असंगत होगा।

श्री अध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात कर दीजिये संक्षेप में।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़वा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वह इनके पास होगा नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह आपके दफ्तर से ले लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो हस्ताक्षर करते हैं तो उनको लेकर आना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है साहब।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान निम्न ध्यानाकर्षण की सूचना पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को सन् 1984-85 से लागू नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार को अप्रमित वित्तीय हानि हुई है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसी प्रसंग में जब बजट पेश किया गया था, बजट में वित्त मन्त्री महोदय ने

(3.42 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी,
सभापति, पीठासीन)

उस बजट में वित्त मन्त्री महोदय ने सारा का सारा घाटा जो छोड़ा था या बजट में जिन जिन योजनाओं की घोषणा की थी वह यह मान कर की गई थी कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से जो पैसा मिलेगा उससे हम कार्यवाही कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस वित्त आयोग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की सिफारिशों के कारण से जो पहला नुकसान राज्य को हुआ है वह तो यह हुआ है, सभापति महोदय, कि प्रदेश को सिर्फ दो साल के लिए घाटा वाला प्रदेश माना गया और उसके आगे उसको बचत वाला प्रदेश मान कर ट्रीट किया गया है और इस प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना की बात तो मैं बाद में करूंगा, इस सिफारिशों के कारण से राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना की × × × हत्या हो गई है।

सभापति महोदय, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इन सिफारिशों से अपन को हुआ है वह यह है कि वित्त आयोग की सिफारिशें पांच साल के लिए होती हैं और पांच साल की सिफारिशों में राजस्थान को 45 से 50 करोड़ राजस्थान सरकार को मिलता इस कारण से इस साल की हमारी योजना जो वास्तव में मन्त्री महोदय ने 430 करोड़ की बताई थी और जो अब 378 करोड़ की थी उससे पचास करोड़ रुपया और कम होगा। माननीय सभापति महोदय, तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि इस आयोग की सिफारिशों के कारण से छठी पंचवर्षीय योजना जो जनता पार्टी के राज के टाइम पर, माननीय शेखावत साहब जब मुख्य मन्त्री थे, तो 1745 करोड़ रुपये की तय की गई थी लेकिन पहाड़ियाजी जब मुख्य मन्त्री आए तो आते ही उन्होंने कहा कि अब हमको जनादेश प्राप्त हो गया है, हम इसका आकार बढ़ा रहे हैं जो 2025 करोड़ रुपये का कर रहे हैं। सभापति महोदय, वह योजना जो है वह सिकुड़ कर अब 1729 करोड़ रुपये की बची है जो छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 300 करोड़ रुपया कम हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुई, अंतरिम रिपोर्ट में भी राजस्थान का नाम नहीं था इस बात के लिए राजस्थान को सहायता दी जाय। अन्य स्टेटों के नाम थे। अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद में अंतरिम रिपोर्ट फाईनल रिपोर्ट में मर्ज हुई जिसके बीच में राज्य सरकार को समय मिला और, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इनमें थोड़ा बहुत भी वह हो और इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो तो ऐसे मन्त्री को इस मन्त्रीमण्डल में बैठ कर यह कलम से लिखने का कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति ने अंतरिम रिपोर्ट आने के पहले बजट की सारी आशायें आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर लगा कर राजस्थान की विधान सभा को और राजस्थान की तीन करोड़ चालीस लाख लोगों को गुमराह किया, वह वित्त मन्त्री आज यहां बैठने के लायक नहीं है, उस वित्त मन्त्री ने अंतरिम रिपोर्ट आने के पश्चात् यहां आकर नहीं कहा, केन्द्रीय सरकार के पास गए, गए तो इनकी चली नहीं और जब इनसे पूछा तो इन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया। वह जवाब सीधा यह कहता है कि केन्द्रीय सरकार जो है वह राज्यों के आर्थिक अधिकारों का हनन करना चाहती है। राज्यों की आर्थिक सहायता पर चोट करना चाहती है और माननीय मन्त्री

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महोदय ने एक इण्टरव्यू में कहा कि हमको इसलिए मिला क्योंकि पश्चिम बंगाल को देना पड़ता। बड़े शर्म की बात है इस बात के लिए कि पश्चिम बंगाल को देना पड़ता इसलिए राजस्थान का पैसा काट दिया। अपनी गलती छुपाने के लिए, अपने कारनामें पर पर्दा डालने के लिए राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को जिस प्रकार से अर्जित किया उसके लिए अपना दोष न मान करके पश्चिम बंगाल को × × बनाने की बात कह कर माननीय मन्त्री महोदय उससे बचाने की कोशिश की है। लेकिन, सभापति महोदय, मामला दूसरा ही है। मामला, सभापति महोदय, कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान में इस साल का जो बजट पेश किया गया, माननीय मुख्य मन्त्री जी आ गए हैं, 2018.93 करोड़ रुपये की आय आंकी गई है। माननीय सभापति महोदय, उस आय में से 827 करोड़ रुपया इस प्रकार के हैं जो कर्जो से, राज्य कर्मचारियों के प्रावधायी विभाग में, बीमा से और देनदारों से जो आय होने वाली है 827 करोड़ रुपये राज्य सरकार को आय होने वाली है। चाहे इसमें 190 करोड़ रुपया अकाल राहत व अन्य प्राकृतिक विपदाओं के लिए जो केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है उसको अगर घटा दिया जावे तो राज्य की इस साल की कुल वार्षिक आय 1007 करोड़ होगी। सभापति महोदय, इसके विपरीत अगर हम देखें तो खर्च का अनुमान भी 2014.38 रुपये का लगाया गया है। 800 करोड़ रुपया कर्जो के भुगतान में और 168 रुपया राज्य कर्मचारियों के पेंशन और वेतन के भुगतान में इनको खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में 222 करोड़ रुपया जो अपूरित घाटा छोड़ा गया था उस 222 करोड़ के घाटे के लिए कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार से और आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से जो हमको पैसा मिलेगा उसमें से हम 222 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो 222 करोड़ की जो इनकी बात थी उस 222 करोड़ की बात को वित्त आयोग ने बिलकुल मानने से मना कर दिया और इनको सिर्फ दो साल के लिए घाटे वाला प्रदेश माना है और आगे आने वाले तीन सालों के लिए आय वाला प्रदेश मान कर, कमी वाले राज्यों को जो सहायता मिलने वाली थी, वित्त आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने मान कर हमारे पर एक वह भी चोट की है। इस प्रकार से यह 222 करोड़ रुपये का यह सुनहरा सपना यहां पर वित्त मन्त्री ने अपूरित छोड़ा था और कहा था कि केन्द्रीय सरकार से पैसा मिलेगा उससे 222 करोड़ रुपये की पूर्ति करेंगे, वह सारा का सारा पैसा इसमें चला गया। इस प्रकार, सभापति महोदय, कुल 994 करोड़ रुपया हमारे पास बचता है। 994 करोड़ इस साल खर्च करने के लिए और उसमें 378 करोड़ रुपये की, इन्होंने योजना बनाई है, 378 करोड़ रुपये की योजना बनी है उसमें 222 करोड़ रुपया वह था जो केन्द्र से मिलने वाला था। वह 222 करोड़ रुपया आप घटा दो तो 156 करोड़ रुपये की योजना जो इस साल की छठी पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल है उसके

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(140)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए 156 करोड़ रुपया चाहिए जब कि इस योजना में, जो पहले योजना है चार साल की, इन योजनाओं में लगातार काम चलते आ रहे हैं, उसके लिए हमको 280 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो, सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस साल की जो हमारी 378 करोड़ रुपये की योजना थी जो अब 430 करोड़ रुपये की इन्होंने बताई थी वास्तव में 378 करोड़ की थी। उस 378 करोड़ में से 222 करोड़ रुपये थे वे केन्द्रीय सरकार के वित्त आयोग की सिफारिशें मानने पर थे जो कुल मिला कर राजस्थान के पास 172 करोड़ रुपये की योजना बची है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, वित्त आयोग की सिफारिशों में दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें दो हजार करोड़ रुपये खर्च के वित्त आयोग ने इनके कम कर दिये हैं और 400 करोड़ रुपये जो इन्होंने अपनी आय आंकी थी उस आय में 400 करोड़ रुपये बढ़ा कर बताए हैं, इस प्रकार से 2400 करोड़ रुपये का और नुकसान राजस्थान को हुआ है। इस कारण से छठी पंचवर्षीय योजना का जो आकार था 300 करोड़ का वह कम हुआ है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2400 करोड़ रुपये की कमी होगी। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार इतनी ×× इस प्रदेश की जनता के साथ नहीं कर सकती ×× यह राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री बैठे हैं जो कह रहे थे कि हम इनका स्ट्रक्चर डवलप कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में राजस्थान की बहबूदी करेंगे। इन्होंने सारी योजनाओं को पलीता लगा दिया। आज राजस्थान की सरकार दिवालिया बन गई है और इसका प्रमाण यह है कि जब एक पत्रकार ने माननीय वित्त मन्त्रीजी से पूछा कि आप लोगों को तनख्वाह कैसे चुकायोगे तो इन्होंने कहा कि पुराने जो जैक पड़े हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको बेच कर के सारा काम करेंगे। एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप क्या काम करते हो तो बोला बर्तन बेचा करता हूं। तो बर्तनों की दुकान कहां पर करते हो तो बोला अभी तो घर में जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको ही बेच कर काम चला रहा हूं। राजस्थान सरकार की आज हालत यह है। इस वित्त आयोग के सामने अपना केस प्रस्तुत नहीं कर सके, वित्त आयोग को केस प्रस्तुत नहीं कर सके, 50 करोड़ रुपया गया और इसके अलावा, सभापति महोदय, एक पॉइन्ट और है, 283 करोड़ रुपयों का जो ऋण इनको मिला था उसको ये पूर्ण अवधि ऋण में बदलवाना चाहते थे उसको आठवें वित्त आयोग ने अस्वीकार कर दिया। 1979 तक के जो कर्जे थे उनको तो नियमित रूप से ऋण मान लिया गया है और 1979 के बाद के जितने कर्जे हैं उनकी अदायगी करनी पड़ेगी। तो कर्जों की अदायगी, योजना में कटौती और इस साल का पैसा नहीं मिलने के कारण से कुल मिला कर राजस्थान को दिवालियापन की स्थिति में पहुंचा दिया है। इसका उदाहरण है, सभापति महोदय, आज जो स्कूलें खोल रहे हैं, आगे जो कार्यवाही कर रहे हैं, अभी तक जितनी स्कूलें खोली हैं

×× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनमें अध्यापक नहीं दिये हैं । आज जो स्कूलें खोल रहे हैं, आधा सैशन चला गया, आधा सैशन जाने के बाद में स्कूलें खोल रहे हैं । केवल घोषणायें कर रहे हैं, स्कूलों में अध्यापक भेजने के लिए इनके पास पैसा नहीं है । कुल मिला कर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने या वित्त आयोग के सामने राजस्थान की बातों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया । राजस्थान का केस प्रस्तुत नहीं कर सके, इस कारण से इन्होंने राजस्थान के सब विकास कामों को ठप्प कर दिया । आगे आने वाले सालों में राजस्थान में विकास का काम नहीं हो सकता । राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में तीन सौ करोड़ की कमी हुई और सातवीं पंचवर्षीय योजना की इन्होने× × ×कर दी है । राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय में थोडा बहुत साहस हो, मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं में दम हो तो राजस्थान की विधान सभा में खड़े होकर कहा था कि वित्त आएगा तो हम काम कर लेंगे, इन घोषणाओं की क्रियान्विति करने में असफल रहे हैं । और, सभापति महोदय, वित्त आयोग का भी दोष नहीं है....

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर बहुत हो गया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : .... केन्द्रीय सरकार ने भेदभाव बर्ता है और राजस्थान को आर्थिक हानि पहुंचाई है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय श्री भैरोंसिह जी, नेता प्रतिपक्ष ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, इस संबंध में चर्चा करने से पूर्व मैं इस सदन का ध्यान सन् 1984-85 के बजट भाषण के पृष्ठ 20 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लिखा है :

'वर्ष 1983-84 का घाटा 31 करोड़ रुपये का अनुमानित है । इस वर्ष के 26,07 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक घाटे को जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1983-84 के अन्त के 57.07 करोड़ रुपये का समग्र घाटा अनुमानित है । इस घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार 47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायेगी । इस प्रकार वर्ष 1983-84 के अन्त में 10.07 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा रहने का अनुमान है ।

एक स्थिति तो यह है विधान सभा में दूसरे कन्कलुडिंग पैराग्राफ में माननीय मंत्री महोदय ने लिखा है:

'माननीय सदस्यों को यह विदित है कि आठवें वित्त आयोग ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । हमने आठवें वित्त आयोग के समक्ष अपने दृष्टिकोण को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया है । हमें आशा है कि राहत व्यय के वित्त पोषण के संबंध

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में वित्त आयोग सम्पूर्ण राशि को अनुदान के रूप में देने के हमारे आग्रह पर उचित निर्णय लेगा। हमने आयोग से यह अनुरोध किया है कि हमारे अनुत्पादक ऋणों को अपलेखित कर दिया जाए तथा अर्द्ध उत्पादक ऋणों की अदायगी अवधि बढ़ा दी जावे मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के चुकाने के कारण जो व्यय भार बढ़ता है उसके संबंध में भी उचित वित्तीय व्यवस्था प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया है जिससे कि राज्य के लिए छोड़े गये राजस्व अधिशेष में कमी नहीं आने पाये। मुझे आशा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हमें केन्द्रीय करों के अंश में और अधिक हिस्सा प्राप्त हो सकेगा तथा ऋण भार में आवश्यक राहत भी हमें दी जायेगी। अतः मैं उपरोक्त 175.52 करोड़ रुपये के घाटे को अपूरित ही छोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय, यदि इस भाषण की लाइट में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों का अध्ययन किया जाये तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि अगले वर्षों में राजस्थान का विकास अवरूद्ध होगा और वह किस प्रकार अवरूद्ध होगा उसके, सभापति महोदय, मैं इस सदन में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमारी यह योजना 2025 करोड़ रुपये की प्रस्तावित है। 2025 करोड़ रुपये में 1005 करोड़ रुपये तो हमने 3 वर्षों में खर्च कर दिये। 1983-84 की योजना 387 करोड़ रुपये की भी नहीं है और 1984-85 की योजना 387 करोड़ रुपये की बनी और इसी योजना में 50 करोड़ रुपये वित्त कमीशन की सिफारिश से हमको मिलेंगे, इस बात का हमने प्रावधान रखा है। वित्त मंत्री जी यह अवश्य कहते हैं कि 387 करोड़ रुपये में से 50 करोड़ रुपये नहीं हैं बल्कि 430 करोड़ की जो प्रस्तावित योजना थी उसमें 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था जो कि वित्त कमीशन की सिफारिश से मिलेंगे, वह हमें नहीं मिले। दोनों बातें भी यदि मान लें तो पिछले 1983-84 की 387 करोड़ की योजना और 430 करोड़ रुपये में से यदि 50 करोड़ रुपये निकालें तो 380 करोड़ रुपये की 1984-85 की योजना इसका मतलब सारी योजना कुल मिलाकर 1770 करोड़ रुपये की हो गयी। 1770 करोड़ रुपये की योजना, पंचवर्षीय योजना, किस के मुकाबले में हुई, 2025 करोड़ रुपये के। अब 2025 करोड़ रुपये के मुकाबले में होती है इसका मतलब हमारी योजना का आकार 300 करोड़ रुपये घट गया। अब 300 करोड़ रुपये केवल घटते तो समझ में आता है लेकिन जब से यह योजना आरम्भ हुई उस समय से लेकर प्राइस एक्सकलेशन का यदि हम हिसाब लगायें और उस परसेन्टेज से जिस समय योजना बनी उस परसेन्टेज से इस योजना का वास्तविक आकार देखना चाहें तो, सभापति महोदय, 2025 करोड़ रुपये की योजना केवल 1170 करोड़ रुपये की रहती है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो राजस्थान को यह हुआ कि अन्य राज्यों की योजना बढ़ गयी। एनुअल प्लान भी यदि देखें तो सब में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और यदि पंचवर्षीय योजना की भी हिसाव लगायें तो सर्व में वृद्धि हो रही है, लेकिन राजस्थान पहला राज्य है जिस राज्य में एनुअल प्लान घटा है। पहला प्लान था 416 करोड़ रुपये का। उसकी जगह 380 करोड़ रुपयें का प्लान हुआ तो एक वर्ष के अन्दर इतनी कमी आई। दूसरे राज्यों में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस राज्य में इतनी कमी हुई। इसका असर, समापति महोदय, पूरी पंचवर्षीय योजना पर पड़ा और नतीजा यह निकला कि हमारी 2025 करोड़ रुपये की योजना की वह 1100 करोड़ रुपये की योजना रह गयी। इससे आप अन्दाजा लगा लें कि राजस्थान का विकास कितना और किस प्रकार से होगा।

समापति महोदय, इसी सदन को इस वात की जानकारी है कि राजस्थान में सन् 1982-83 के अन्दर बहुत बड़ा ओवर ड्राफ्ट रह गया था। उस ओवरड्राफ्ट के संबंध में उस समय के वित्त मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, वर्तमान वर्ष में करीब 340 करोड़ रुपये का घाटा तथा इतना ही ओवर ड्राफ्ट रहने का अनुमान है। ओवर ड्राफ्ट की यह राशि न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए ही वल्कि देश के सारे प्रदेशों के लिए उच्चतम राशि है। यह अपने आप में यह दर्शाता है कि हमारा प्रदेश कितनी भयंकर वित्तीय स्थिति में फंसा हुआ है। अब ऐसी हालत में यह हमारे लिए चिन्ता का विषय ही नहीं है बल्कि भारत सरकार भी इस पर चिन्तित है। अब यह 340 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है। इस 340 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट के भुगतान के लिए अगले वर्ष माननीय श्री बृजसुन्दर जी शर्मा ने इसी सदन में बताया कि हम इसको मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट करा रहे हैं। अभी इसको मीडियम टर्म लोन में कन्वेर्ट करा रहे हैं, कुछ सालों के बाद में यह लांग टर्म में कन्वर्ट हो जायेगा और उन्होंने सन् 1984-85 के बजट भाषण में यह अपेक्षा की है कि इसका किसी न किसी प्रकार से अपलेखन हो जायेगा और अपलेखन का आर्ग्यूमेंट यह दिया है कि एडवान्स प्लान असिस्टेन्स दिया है वह अनुत्पादक कार्यों के लिए दिया है इसलिए एडवान्स प्लान असिस्टेन्स यह ग्रान्ट में शुमार कर लिया जायेगा और यह प्लान रिसोर्सेस में शामिल नहीं की जायेगी।

अब तीसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हुई कि एडवान्स प्लान असिस्टेन्स जिसको प्लान के अन्दर भारत सरकार ने शुमार कर लिया, हमारे प्लान की साइज और छोटी हो गयी। हमने कहीं सड़कों पर खर्चा कर दिया या कहीं लोगों को राहत देने के लिए काम चालू किये उस पर खर्च कर दिया। उसमें कुछ भारत सरकार से ग्रान्ट मिला करती थी उस ग्रान्ट से हम इसको मीट करते थे और कभी भी फाइनेंस कमीशन आता था वह इस एडवान्स प्लान असिस्टेन्स को प्लान में शामिल नहीं करता था। यह एक नयी चीज हुई कि एडवान्स प्लान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

असिस्टेन्स को प्लान में शामिल कर लिया गया। प्लान के खर्चे में शामिल कर लिया गया और उसके कारण से राजस्थान की प्लान की साइज जो मैं बता रहा हूं उससे भी काफी छोटी हो गयी। यह तीसरा नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें परमानेंट डैट्स में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए वह रिलीफ भी इस वित्त कमीशन से बिलकुल नहीं हुआ। अब वित्त कमीशन ने दुर्भाग्य से राजस्थान को जैसा अभी तिवाड़ी जी ने कहा कि इस राजस्थान को दो साल को छोड़कर रेवेन्यु में सरप्लस स्टेट माना है। अब यह सरप्लस स्टेट माना किस आधार पर यह मेरी समझ में नहीं आता। राजस्थान सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उन आंकड़ों को ईमानदारी से यदि कोई अध्ययन करे तो कभी भी कोई स्वीकार नहीं करेगा कि यह राजस्थान 1984-85 या 1985-86 को छोड़कर रेवेन्यु में सरप्लस स्टेट हो जायेगा। मैंने वित्त कमिशन की पूरी रिपोर्ट देखी है और उसमें आंकड़ों का आधार जो पेरामीटर तय किया है घाटे वाले उस घाटे वाले राज्य के जो पेरमीटर तय किये हैं उन पेरामीटर्स में यदि सही प्रकार से अध्ययन किया जाये तो राजस्थान की सरकार 1984-85 या 85-86 के बाद में भी घाटे वाला राज्य रहने वाला है। उस घाटे वाले राज्य की श्रेणी में राजस्थान को शुमार नहीं करके राजस्थान के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय वित्त कमीशन ने किया है।

अब सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार पर सन् 1984-85 को यह मसला यदि लागू कर दिया जाता तो 1984-85 में राजस्थान की सरकार को 52 करोड़ रुपये की और सहायता मिलती। क्योंकि इसको लागू कर रहे हैं अगले वर्ष से इसलिए राजस्थान को 52 करोड़ रुपये की सहायता नहीं मिलेगी और 52 करोड़ में, सभापति महोदय, आर्टिकल 275 के अन्तर्गत जो हमारी ग्रान्ट आती है वह लगभग 74 करोड़ रुपये के करीब आती है 34 करोड़ की इनको ग्रान्ट नहीं मिलेगी। 8 करोड़ रुपये का अपग्रेडेशन अनुदान नहीं मिलेगा, 2 करोड़ रुपये विशेष समस्या अनुदान के नहीं मिलेंगे और 8 करोड़ रुपये मार्जिन मनी का अनुदान हमें नहीं मिलेगा।

(4.00 म. प.)

जिस वित्त आयोग ने मार्जिन मनी का प्रावधान पहले वाले कमीशन से डिफरेन्ट किया है और अब डिफरेन्ट किया है, जिसमें इन्होंने सिफारिश की है। यदि 84-85 से इन सिफारिशों को लागू कर दिया जाये तो इस मार्जिन मनी के खाते में हमें 8 करोड़ रुपये का और अनुदान मिल जायेगा यानि कुल 52 करोड़ का अनुदान राजस्थान को मिलना चाहिये था 1984-85 में वह अनुदान नहीं मिला। इससे आप अन्दाजा लगाइये जहां 176 करोड़ रुपये का पहले से घाटा है और जहां पुराने वाला घाटा 47 करोड़ का है, 47 करोड़ में से आपने कहा है 10 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिल जायेगा वह भारत सरकार से मिला नहीं, 17 करोड़

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह हो गया। कुल 222 करोड़ का जहां घाटा होता है उस 222 करोड़ रुपये के घाटे वाले राज्य में यदि 52 करोड़ रुपया और नहीं दिया जाये तो इसका नतीजा क्या निकलेगा इसका सदन अपने आप ही अनुमान लगा ले। सभापति महोदय, इसके आधार पर एक और निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इण्टरिम रिपोर्ट दी थी, उस इण्टरीम रिपोर्ट में 494 करोड़ रुपये 9 राज्यों को अनुदान देने की रिफारिश की थी। उन 9 राज्यों में राजस्थान नहीं आता है। उस समय राजस्थान सरकार ने रिप्रजेन्टेशन किया कि हम भी घाटे वाले राज्य हैं हमें भी घाटे वाले राज्यों में शुमार किया जाये। एक वर्ष के लिये उन्हें शुमार कर लिया लेकिन फाइनल रिपोर्ट में राजस्थान रह गया और फाइनल रिपोर्ट में जब राजस्थान रह गया तो तीन वर्षों के लिये रह गया। उसका नतीजा, सभापति महोदय, यह हुआ कि केन्द्र को 644 करोड़ रुपया जो फाइनल रिपोर्ट में इस मद के नीचे देना था, डैफिशिट स्टेट्स को हैल्प करने के मद में, उसमें 640 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा और पहले वाला 394 करोड़ रुपया इन्टरिम रिपोर्ट के अनुसार रखा। भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपया बचा लिया। सभापति महोदय, यह 150 करोड़ रुपया, नहीं 144 करोड़ रुपया, बचाया यह 144 करोड़ रुपया राजस्थान जैसे राज्य जिसका रेवेन्यू डैफिसिट का बजट रहता है। जिस घाटे के कारण सब प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है, उसमें यदि राजस्थान सरकार को घाटे में रखना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल है। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा इस सदन को, जैसा मैंने कल निवेदन किया था, वित्त आयोग की रिपोर्ट के ऊपर विचार करके आलोचना प्रत्यालोचन से बचकर हम राजस्थान को वित्तीय संकट से निकालने के लिये यदि किसी प्रश्न पर एक मत हो सकते हैं तो इस प्रश्न पर एकमत हो सकते हैं कि भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश को सन् 84 से लागू न कर, बकाया के संबंध में राजस्थान को सरप्लस राज्य मानकर, राजस्थान के साथ घोर अन्याय किया है और इस अन्याय के अन्दर एडवांस असिस्टेन्स प्लान के खर्चे में शामिल कर के राजस्थान के विकास को अवरूद्ध किया है। हम इन तीनों प्रश्न के ऊपर सरकार के साथ हैं सरकार की हिम्मत चाहिये विधान सभा में कोई प्रस्ताव रखे और हम सब उसको पारित करने के लिये तैयार हैं ताकि भारत सरकार को दबाया जा सके। वित्त कमीशन की सिफारिशें 84-85 से लागू करें, अगर नहीं करते हैं तो इस रिकमन्डेशन को करने से राजस्थान को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति करें। हम सरकार के साथ हैं। सरकार हमारा सहयोग लेना चाहे, इस सदन में प्रस्ताव रखें और उस प्रस्ताव पर हम साथ देना चाहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें कुछ करने वाली नहीं है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, तिवाड़ी जी ने कहा कि हमने जो रेवेन्यू फोरकास्ट की थी उस फोरकास्ट में जो खर्चा बताया, खर्चा कम कर दिया और उसके साथ जो रेवेन्यू बताई उस रेवेन्यू को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बढ़ा चढ़ाकर फाइनेंस कमीशन ने स्वीकार कर ली जिसका नतीजा यह हुआ कि दो हजार करोड़ रुपया का खर्चा कम कर दिया और 400 करोड़ रुपया हमारी आय बढ़ाकर बता दी। कुल 2400 करोड़ रुपया का अन्तर इस वित्त कमीशन के कारण हुआ। जब 2400 करोड़ का खर्चा कहां से कटा है, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं रोड़ एण्ड बिल्डिंग में 253 करोड़ का खर्चा कम किया, इरीगेशन में 105 करोड़ का खर्चा कम किया, बिल्डिंग में 30 करोड़ का खर्चा कम किया. एज्यूकेशन में 126 करोड़ का खर्चा कम किया, मेडिकल में 82 करोड़ रुपये का खर्चा कम किया और प्लान को कमिटेड एक्सपेन्डीचर में न मानकर नान प्लान में कन्वर्ट करने के सम्बन्ध में 516 करोड़ का खर्चा कम किया और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में होने वाले खर्चे में 139 करोड़ रुपये का खर्चा कम किया। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात, सभापति महोदय, यह है कि फाइनेंस कमीशन यह एज्यूम करके चला है, जिस दिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी प्राइस एस्कलेशन नहीं होगा और प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में कोई ज्योतिषी भी नहीं कह सकता कि प्राइसेस में स्टेबेलिटी आयेगी। लेकिन वित्त कमीशन ने कहा 1984-85 से लेकर 5 वर्षों तक प्राइस स्टैबेलिटी रहेगी और प्राइस एक्सकलेशन के कारण खर्चा भी यदि कोई मद में दिखाया गया है उसको किस प्रकार से कम किया जायेगा। सभापति महोदय, न तो बैंक ओवर ड्राफ्ट का री-शैड्यूलिंग किया। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के लिये जैसे वित्त कमीशन तैयार बैठा हो कि राजस्थान सरकार के ऊपर ऐसी चोट मारना चाहिये कि राजस्थान सरकार को दण्ड मिले। भारत सरकार ने आपकी राजस्थान सरकार को दण्ड नहीं दिया, यह सरकार तो दो तीन महीने दण्ड भोगेगी, आने वाली सरकार इस दण्ड भोगने की स्थिति में आ जायेगी। इस लिए मैं कह रहा हूं आज जो दण्ड दिया जा रहा है वह शिवचरण माथुर या बृजसुन्दर शर्मा को नहीं दिया जा रहा है राजस्थान की 3 करोड़ 40 लाख जनता को दण्ड दिया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज तक की जो परम्परायें रही हैं एडवांस प्लान असिस्टेंस का प्लान के खाते में शामिल नहीं किया, मुख्य मंत्रीजी माफ करना, आपकी सरकार की कमजोरी है एडवांस प्लान असिस्टेंस के खर्चे को प्लान के खर्चों में उसको शामिल कर लिया, यह आपकी कमजोरी है, नहीं तो आप ओवर ड्राफ्ट में मीडियम टर्मलोन थे, न तो उनको लोंग टर्मलोन में कन्वर्ट करा सके और न ही आप स्माल सैविंग के लोन को रीशैड्यूल करा सके। रिजल्ट यह निकला है अगले पांच वर्षों में, मेरे ख्याल से यह पांच वर्ष हैं, 1988 के अन्दर आपको ओवर ड्राफ्ट का पूरा चुकारा करना पड़ेगा और 88 तक ही आपको स्माल सेविंग का पूरा क्रेडिट चुकाना पड़ेगा, तो राजस्थान की सरकार तो केवल कर्जा चुकाने के अन्दर रहेगी। राजस्थान सरकार आगे कुछ कर नहीं सकती। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार ने तो अपनी कमजोरी दिखाई लेकिन इस कमजोरी का नुकसान जनता को न मिले। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको एक मत होकर एक प्रस्ताव पास करना चाहिये, कम से कम तीन प्रश्नों के ऊपर भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि एक तो 84-85 से वित्त कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाये दूसरा एडवांस प्लान असिस्टेंस दी है उसको प्लान के खर्चों में शामिल न किया जाये और तीसरा ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में जो बात कही है ओवर ड्राफ्ट को रीशिड्यूल किया है, और चौथी बात यह कहना चाहता हूं कि जो हमने खर्चे का हिसाब दिया है या रेवेन्यू का हिसाब दिया है उसमें भारत सरकार ने फेर बदल किया है उस फेर बदल का कोई आधार नहीं है। उसमें हमने जो फिगर्स दी हैं उसमें मामूली फेर बदल हो सकता है लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार ने किया होगा उन्होंने कटौती कर ली वह कटौती किसी प्रकार से वाजिब नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज मैं जो बातें कह रहा हूं वह वित्त मंत्रीजी ने इतवारी पत्रिका में एक भेंट वार्ता में यह सब बातें स्वीकार की हैं। उस भेंट वार्ता का मैं पूरा उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन राजस्थान की हालत क्या होगी वह हालत मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उसमें आपसे एक सवाल पूछा गया, मेरे हिसाब से, यह प्रश्न पत्रकार का है, 45 से 50 करोड़ रुपया और जरूर मिल जाना चाहिये तो आपका मत है कि राजस्थान के लिये वित्त कमीशन की सिफारिशें इसी साल से लागू कर दी जायेंगी। आप कहते हैं मेरे हिसाब से 45 से 50 करोड़ रुपया अगर मिल जाता है तो हमारा यह साल आसानी से गुजर जायेगा अगर नहीं मिलता है तो संकट में हो जायेगा संकट में तो हूं। फिर प्रश्न पूछा है और केन्द्र से कोई मदद नहीं मिली तो लुटिया डूबती नजर आती है, तो वित्त मन्त्रीजी कह रहे हैं। अब आपको लुटिया डूबती हुई नजर आ रही हैं और आपने हां भर दी कि लुटिया आपकी डूब गई....

श्री सभापति : यह तो अखबार की बात है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अखबार की बात है यह डिनाई थोड़े ही करेंगे। सभापति महोदय, यह तो इनका जवाब है। अखबार में कहो या जनता को भाषण में कहो, आखिर मंत्री की जुबान जुबान होती है आखिर ऐसे नहीं कोई चट जाये। चाटने वाले वित्त मंत्रीजी नहीं हैं। कोई फाइनेन्स को चाटने वाली बात दूसरी है, बात को नहीं चाटेंगे। सभापति महोदय, फिर इनसे पूछा गया सवाल आया तो संकट आपको नजर आता है। तो दूसरा सवाल इसके साथ और था।

हमारा सवाल यह है कि ऐसी हालत में सरकार का रोजमर्रा का काम भी कैसे चलेगा।

आपका जवाब है, वह तो हो जाएगा। जितना भी फालतू जंक पड़ा है, उसे बेच देंगे। बिना बात फालतू सामानों से जगह और रुकी रहती है। जगह भी खाली हो जाएगी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और पैसा भी आएगा। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में संपत्ति पर लोगों ने पांच पांच रुपए महावार पर कब्जा कर रखा है। कई जगह तहसीलों के दफ्तर और अन्य सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि जर्जर हालत में हैं। उन सबको बेचने से अच्छे पैसे आ जायेंगे। फिजूल प्रापर्टी को बेच कर एक करोड़ रुपए का रिवाल्विंग फंड बनाने की योजना है जिससे नये असेट्स खड़े करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, घाटा था वह कितना बढ़ा है। राजस्थान की सरकार की लुटिया डूब गई, वित्त मंत्रीजी ने स्वीकार किया। राजस्थान की सरकार पीपे बेचेगी, जंक जो पड़ा है उसको बेचेगी और पीपे बेच कर राजस्थान सरकार अपने खर्चे चलायेगी। इस हालत में इस राज्य को पहुंचा दिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कौन जिम्मेदार है? अब वित्त मंत्रीजी ने कहा कि हमको पैसा क्यों नहीं मिला। इन्हीं वित्त मंत्रीजी ने जैसा घनश्यामजी तिवाड़ी ने कहा, लेकिन वह अखबार के वर्डिंग में सुना देता हूं।

'असल बात क्या है आपको पैसा नहीं मिला।'

इन्होंने कहा असल बात क्या है, आपको बताऊं कि पश्चिमी बंगाल को देना पड़ता है।

पश्चिमी बंगाल को देना पड़ता इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को पैसा नहीं दिया। अब मेरी समझ में नहीं आता—सभापति महोदय, कि पश्चिमी बंगाल को यदि भारत सरकार दण्ड दे तो कतई वाजिब कैसे है। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि पश्चिमी बंगाल के साथ में कोई सौतेला व्यवहार किया जावे। लेकिन अन्दरूनी बात तो वित्त मंत्रीजी को मालुम है। और उन्होंने....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : पश्चिमी बंगाल को नहीं देना इसका मतलब है कि पश्चिमी बंगाल भारत से बाहर है। आप अपनी सरकारों को तो दो और पश्चिमी बंगाल को नहीं दो, इसका क्या मतलब है?

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अब इस हालत में विचार करें तो बंगाल को पैसा देना पड़ता इसलिए राजस्थान को पैसा नहीं मिला यह बात राजस्थान के वित्त मंत्रीजी स्वीकार करें पब्लिकली, इसका मतलब है कि सरकार की नीयत में क्या है....

(व्यवधान)

क्या बोल रहे हैं आप?

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : सब को देना पड़ता, वेस्ट बंगाल को ही क्या सब को देना पड़ता।

(149)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है कि वेस्ट बंगाल को देना पड़ता इसलिए....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप जो अखबार में पढ़ रहे हो। मेरा विचार यह है कि वेस्ट बंगाल ही नहीं सब को देना पड़ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा है आपने।

श्री मेघराज तावड़ : अखबार में यह नहीं है।

श्री सभापति : इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अखबार की बातें बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको असली बात बता देता हूं। इस अखबार वाले ने जिसने इंटरव्यू लिया है उसने दुर्भाग्य से टेप रिकार्ड कर लिया। अच्छा हो, सभापति महोदय, टेपरिकार्ड मंगा कर सुन लिया जावे तो वित्त मंत्रीजी का जंक भी सामने आ जायेगा और वित्त मंत्रीजी ने जो बातें कही हैं कि लुटिया डूब गई वह भी सामने आ जायेगी और वित्त मंत्रीजी ने जो कहा है कि बंगाल को देना पड़ता इसलिए राजस्थान को नहीं दिया, यह बात भी सामने आ जाएगी। इसलिए, सभापति महोदय, आप चाहें तो आप अपने कमरे में सुन लें। कोई दिक्कत नहीं है। यह वित्त मंत्रीजी बैठे हैं और आप सुन लें। हमें संतोष हो जाएगा कि वित्त मंत्रीजी ने क्या कहा है। और सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने इसका कभी खण्डन नहीं किया। खण्डन कब किया कि जब पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री ने इस आधार को लेकर वहां प्रेस कांफ्रेंस की। तो जब प्रेस कांफ्रेंस की तो आपने वक्तव्य दे दिया और वक्तव्य देकर लम्बा चौड़ा फालतू जिसका लेना देना नहीं, इस प्रसंग में उस वक्तव्य में आप कहते हैं वित्त मंत्री ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अशोक मित्रा ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट

(4.13 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

को आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? अशोक मित्रा इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सन् 1984-85 से इसको लागू किया जावे। उन्होंने कभी भी यह ओछापन नहीं दिखाया कि राजस्थान में इसको लागू नहीं किया जावे और केवल बंगाल में ही इसको लागू किया जावे। उन्होंने सारे हिन्दुस्तान के लिए मांग की कि हिन्दुस्तान में इसको लागू किया जावे। आपने इस बात को स्वीकार किया है कि लागू करना चाहिए 84-85 में आपने इसी वक्तव्य में यह बात कही है कि यह बहुत अनहोनी है, यह संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है। यह सब बातें आपने इस इण्टरव्यू में कही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है, 84-85 में इसको लागू किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति है आज तक इस प्रकार की परम्परा रही है तो इस सम्बन्ध में आपने क्या किया ? इस सम्बन्ध में भी आप जानकारी देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री के तथ्यों की पुष्टि किये बिना पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने एक ऐसा वक्तव्य जारी कर दिया जिसने भ्रामक स्थिति पैदा कर दी । आप इसको चैलेंज कर रहे हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हां, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि हम सुप्रिम कोर्ट में जायेंगे और आज भी मेरी डेफिनेट ओपीनियन है कि सुप्रिम कोर्ट में इस विषय पर कुछ नहीं हो सकता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो सुप्रिम कोर्ट की बात ही नहीं की ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मित्रा ने कहा है कि हम सुप्रिम कोर्ट में जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि बंगाल को नहीं देना था इसलिए हमें, राजस्थान को नहीं मिल रहा है । यह बात सही है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बंगाल को ही नहीं, सब को ही देना पड़ता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे वक्तव्य सुनाना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, आपको भी समझाने में एक घण्टा लगा, मुझे भी पांच सात मिनट लगेंगे । अध्यक्ष महोदय, चलिये कोई बात नहीं । मई रेवेन्यू आमदनी का व्ययक होता है, दस मिनट तक उनमें से कुछ ढूंढते रहे, कुछ मिला नहीं । आप बोलते हैं तो आपको उम्मीद है कि 1984-85 के वर्ष से ही आपके लिए सिफारिश लागू मान ली जाएगी । लेकिन प्रणव मुकर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि घाटे में चलने वाली सरकारों के लिए वे कुछ नहीं कर सकेंगे । एक असल बात क्या है, आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल को देना पड़ता है । यह है वक्तव्य ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : पश्चिम बंगाल ही नहीं औरों को भी देना पडता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : औरों को देना पड़ता यह आपने नहीं कहा है पश्चिम बंगाल को देना पड़ता और अगर औरों को देना पड़ता तो आपको पश्चिम बंगाल का ही नाम क्यों याद आया । आप सीधा जवाब देते सब को देना पड़ता है । सब को देना पड़ता इसलिए हमको नहीं दिया ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह पश्चिम बंगाल वाले प्रेस कांफ्रेंस क्यों करते अगर आप सब के लिए कहते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पश्चिम बंगाल-का नाम ही क्यों याद आया, बिहार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का नाम क्यों याद नहीं आया ? आप पंजाब का नाम ले सकते थे, आप हरियाणा का नाम ले सकते थे । अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समय पूरा हो रहा है । जल्दी करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन फोटो छपवाए । तीन तो इधर और एक उधर । अलग-अलग फोटो छपवाये हैं । इसमें चार पोज देखेंगे और चार पोज में सरकार की लुटिया डुबो दी, राजस्थान की योजना को खत्म कर दिया और भारत सरकार के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भारत सरकार से हम कुछ कहें तो शायद भारत सरकार हमारा केस इसलिए स्वीकार नहीं करे कि हमने उनकी अन्दरूनी बात बता दी । आज भारत सरकार हमसे नाराज है कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने हमारी अन्दर की बात बता दी इसलिए हम एक पैसा नहीं देंगे । मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि ऐसी हालत में थोड़ा विचार करना पड़ेगा राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में, राजस्थान की योजना के बारे में, राजस्थान की योजना में जो कटौती हुई है और भविष्य में जो छोटी योजना बनने वाली है उसके बारे में, और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पुरजोर शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि हम कोई राजनैतिक मसला नहीं बनाना चाहते, कोई इसका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहते हैं । हम चाहते हैं राजस्थान की बहबूदी और हम चाहते हैं राजस्थान की बहबूदी के लिए आवश्यक धन और आवश्यक धन के लिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारों पर भारत सरकार ने जो कुठाराघात किया है वह कुठाराघात नहीं हो । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस समय मदेरणा साहब भी बैठे हैं । रोपड़ के मामले में जैसे तीर चलाए थे और जो तीर चलाए उसी प्रकार के तीर वित्तीय मामलों में यदि वित्त मंत्रीजी चलाने की हिम्मत दिखायेंगे तो हम उनके साथ हैं । नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान को डुबोने का सारा श्रेय वित्त मंत्रीजी को है, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को है । भगवान की कृपा से यदि आप जल्दी छोड़ देते वित्त कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले भारत सरकार शायद इस बात का फैसला करने के अन्दर कहीं संकोच करती । अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार भी यह मान कर चलती है कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं ये नोमीनेटेड हैं; यह हमारे नोमीनेटेड सूबेदार हैं । इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, ये अपने केस को ठीक प्रकार से रख नहीं सकते । ऐसे नोमीनेटेड, मनोनीत सूबेदारों से जो विधान सभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित नहीं हैं, उनके पीछे जन शक्ति नहीं है इसलिए इनको जो कुछ दिया जा सके देओ, ये कुछ बोल नहीं सकते । इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी, यदि राजस्थान का हित आपके सामने सर्वोपरी होता, जैसा आप हमेशा भाषण दिया करते हैं तो राजस्थान के साथ यह जो जो वित्तीय समस्या खड़ी हुई है, राजस्थान को जिस अंधेरे में भोंका गया, राजस्थान को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस मूख का शिकार बनाया गया है, राजस्थान की योजनाओं पर कुठाराघात हुआ है, आप उसी समय त्यागपत्र देकर घर बैठ जाते तो राजस्थान का ही भला नहीं करते भारत सरकार के हाथों को हाथ पकड़ करके और राज्यों के साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय को रोकते। लेकिन कुर्सी के प्यारे जो बने हुए हैं उसके सामने राजस्थान का हित नहीं है। मैं आज भी कहता हूं आप इतिहास को बनायेंगे। आप राजस्थान के हित के अन्दर ऐसी कार्यवाही करके चले जाओगे जिस कार्यवाही को लेकर राजस्थान की जनता इस भारत सरकार के ऊपर दबाव डाले। अच्छा हो आप त्याग पत्र दे दो और यदि आपकी ज्यादा इच्छा हो इस कुर्सी पर बैठे रहने की तो बृजसुन्दरजी का सेक्रीफाइज कर दें। एक को तो×××बनायें ताकि राजस्थान की किसी प्रकार से बचत हो। और ज्यादा अच्छा होगा दोनों का सेक्रीफाइज हो जावे। अध्यक्ष महोदय, यदि इस रूप के अन्दर वित्त आयोग की सिफारिशें राजस्थान में लागू की गई और राजस्थान की सरकार ने बड़ा माईल्ड प्रोटेस्ट किया, मुख्य मंत्री तो कह गए कि मैं प्रधान मंत्री से मिलूंगा और प्रधान मंत्री ने कह दिया कि प्रणव मुकर्जी से मिलो और प्रणव मुकर्जी ने कह दिया कि हम इस पर कोई विचार नहीं कर सकते। वित्त मंत्रीजी को प्रधान मंत्री का दर्शन करने का ही मौका नहीं मिला। दरवाजे से ही वापस आ गए, इनसे तो कोई विचार विमर्श ही नहीं हुआ। जहां इस प्रकार की कमजोर सरकार है, राजस्थान का हित नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है कि इस कमजोर सरकार के दो प्रतिनिधि मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्रीजी इस वित्त आयोग की सिफारिशों से राजस्थान में जो हानि हुई है उसका ठीक प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं कर सके, ठीक प्रकार से अपना केस नहीं रख सके. इसकी सजा के लिए यह दोनों राजस्थान को मुक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य इस पर लम्बी चर्चा हो गयी। माननीय सदस्य, जितने माननीय सदस्यों ने दिया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव····आर्डर प्लीज

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुद्दा पोलिटिकल भाषण होने के बाद····हम टैक्नीकल चीजें बता सकते हैं········

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ जायेगा, आर्डर प्लीज, सदन के नेता महोदय कुछ कहना चाहेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुकूल राजस्थान को जो वित्तीय प्रावधान किया गया उस को लेकर–

× × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब टाइम क्या हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : फोर ट्वेन्टी ।

श्री अध्यक्ष : फोर ट्वेन्टी पर समाप्त हुआ था आपका भाषण ।

श्री शिव चरण माथुर : उस दृष्टि को लेकर यहां पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया । जहां तक राजस्थान के हितों का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहीं कि इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को चिन्ता हो सकती है और मैं यह बात भी नहीं कहता कि यह चिन्ता केवल हमें ही है विपक्ष में बैठने वालों को भी उतनी ही चिन्ता है जितनी कि हमें है लेकिन यह कहना कि चिन्ता केवल उन्हें है और जो हम यहां बैठे हुए हैं उन्हें चिन्ता नहीं है और राजस्थान के हितों को बिल्कुल तिलांजली देकर राजस्थान को डुबोना चाहते हैं मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता । मैं कहना चाहता हूं अपनी बात के पहले कि इस सरकार ने राजस्थान के हितों का जहां पर भी प्रश्न आया बहुत हिम्मत के साथ, और साहस से अपनी बात को भारत सरकार के सामने कहा है और मैं तथ्यों के आधार पर बतलाऊंगा कि इस जगह पर मैं आज बैठा हूं इस जगह पर श्री शेखावत बैठे थे उस समय सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट उनके सामने आ गई थी और 1978 का वह वर्ष जो कि जनता पार्टी का सबसे ऊंचा समय था, उसके बाद तो डेक्लाइन शुरू हो गया लेकिन जो सबसे पहले कली खुलने वाली बात थी उसके पहले जब सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आपके वक्त में आई थी उस समय की जो स्थिति थी, मैं यह नहीं कहता कि आपने कोशिश नहीं की होगी । आपने राजस्थान के पक्ष को रखने में खूब कोशिश की होगी लेकिन सारे देश के सन्दर्भ में जो निर्णय सातवें वित्त आयोग ने दिया, उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए और जो हमने कोशिश की और उसके बाद आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई, उसका तुलनात्मक थोड़ा सा विवरण आपको देना चाहता हूं । डिटेल में भी यदि आप अध्ययन करेंगे तो बहुत साफ मालुम पड़ जाएगा कि कोई अहित राजस्थान का नहीं किया, लेकिन एक देश के सन्दर्भ में जो निर्णय सातवें वित्त आयोग ने लिया वह भी ठीक था और आज के सन्दर्भ में हमारी कोशिश के बावजूद जो भी आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की भारत सरकार को और भारत ने ओवर-आल सिच्यूएशन के अन्दर जो कुछ निर्णय लिया वह भी कोई गलत नहीं था, यह बात मैं बताना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो बातें कही गई हैं । एक तो यह कहा गया कि पहली बार राजस्थान के अन्दर अकाल, बाढ़ जैसी दैवी विपत्तियों पर जो भी एडवान्स प्लान से खर्चा होता है उसको प्लान का पार्ट मान लेने की पहली बार परम्परा राजस्थान में मेरे समय में हुई । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट से ही पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें इसका जिक्र किया गया है, सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसके चेप्टर 11 में से आपके सामने सूचित करना

(श्री शिवचरण माथुर)

चाहता हूं। चैप्टर 11 के पैरा 5 में लिखा है, सातवें वित्त कमीशन ने लिखा है--

The Seventh Finance Commission distinguished between droughts on the one hand and floods, cyclones on the other, and suggested different pattern of central assistance for these two categories of natural calamities. For expenditure on droughts, the 7th Finance Commission recommended that the State concerned should contribute from its Plan, the contribution being subject to assessment by the Central teams of the High Level Committee on Relief. Such contribution is, however, not to exceed 5% of the annual plan outlay, and is to be treated as an addition to the plan outlay of the State in that year.

यह सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का उद्धरण दिया है और यह परंपरा इस वक्त से चालू है। सेन्ट्रल टीम आती है, हमारी ड्राट कंडीशन को देखती है और देखने के बाद राज्य सरकार की ऐसी पोजीशन नहीं होती तो भारत सरकार मनी एडवान्स करती है और उस एडवान्स को प्लान असिस्टेंस में स्वीकार किया जाता है जो कि 5 प्र. श. हमारे प्लान का पार्ट बनती है। वही परंपरा मैं समझता हूं कि आज भी कायम है और वही परंपरा पहले कायम थी।

जहां तक यह कहा गया है कि राजस्थान की हमारी जो योजना है, जो चालू योजना है, उसका आकार हमने बनाया था 2025 करोड़ का वह घट कर, सिकुड़ कर कम हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं, पहले तीन साल हमारे प्लान पर 1005.15 करोड़ रुपये खर्च किये, 83-84 में 387 करोड़ का प्रावधान रखा, 84-85 में 430 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है और मैं कहना चाहता हूं कि 430 करोड़ हमने विधान सभा के सामने कहा है वही हमारा प्लान मानते हैं चाहे भारत सरकार 387 करोड़ माने हमारा प्लान निश्चित रूप से 430 करोड़ का है और इसी स्टेण्ड को हमने भारत सरकार के सामने रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर, जो हमारे यहां वाद-विवाद के नियम हैं उसमें अगर कोई माननीय सदस्य और सदन के नेता बोल रहे हों तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इससे भाषण का प्रवाह समाप्त हो जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस तरह कुल मिला कर 1822.15 करोड़ का खर्चा होगा और इसमें प्लान पीरियड में अकाल और दूसरे कामों पर 297 करोड़ खर्च हुए। कुल मिला कर 2119.15 खर्चा पूरी पंचवर्षीय योजना में होगा जो हमारे प्लान के आकार से, 2025 करोड़ रुपये के आकार से कहीं अधिक है और वह तो अभी हमारी योजना चालू है और मेरा ऐसा

(श्री शिवचरण माथुर)

ख्याल है कि हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है और जो परियोजना हमने हाथ में ली है तो संभवत ईयर के एण्ड में यह रकम कुछ ज्यादा ही बैठेगी, हमारे प्लान के आकार से कहीं पर कम नहीं बैठेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कहना कि राजस्थान सरकार ने अपने प्लान के आकार को घटा कर के इसको बिल्कुल सिकुड़ा दिया है। मैं एक बात और निवेदन करूं कि ड्रोट पीरियड में भी हमने जो काम चलाए, भारत सरकार की जो सेन्ट्रल टीम यहां आती है उन्होंने लिख कर दिया है कि अकाल के वक्त में जो काम सरकार ने हाथ में लिए वे इतने परमानेंट असेट्स के रूप में डवलप हुए हैं राजस्थान में जिससे आगे आने वाले समय में एड्यूरिंग बेनिफिट इस स्टेट को मिलने वाला है यह भारत सरकार की टीम ने यहां पर जो अपने तौर पर विजिट करती है, इस बात को स्वीकार किया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अकाल राहत के वक्त में शायद विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य भी इसको स्वीकार करेंगे कि हमने बिना किसी भेद-भाव के इनके विधान सभा क्षेत्र में भी उतने ही काम कराये हैं जितने हमारे अपने सदस्यों के क्षेत्र में कराये हैं। यह वे भी स्वयं जानते हैं शायद यहां सदन में स्वीकार नहीं करें यह मैंने कई विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से सुना है कि साहब काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। सिंचाई के काम भी अच्छे हुए हैं। स्कूल भी अच्छे बने हैं, तालाब भी अच्छे बने हैं। अब मैं उदाहरण देकर आपके सामने एक्सपोज नहीं करूं लेकिन कई माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं तो यह बात तो आप भी स्वीकार करेंगे कि जो काम अकाल राहत के समय में हुए वे काम परमानेंट असेट्स के रूप में डवलप हुए हैं और उसमें चाहे बड़ी या मध्यम दर्जे के या छोटे तालाबों को आप ले लीजिए जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है हमारी इन ड्रोट रिलीफ वर्क्स में पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं आपके क्षेत्र में जो छोटे तालाबों का निर्माण हुआ वह मैं समझता हूं कि हमने अकाल से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता पैदा की है। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है। हमने प्लान में जो कुछ भी आधार बनाया था उस पर हमने पैसा खर्च किया है....

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है कि आप बीच बीच में बोल रहे हैं हमारे सदस्य कभी भी विरोधी पक्ष के नेता बोलते हैं तो हमारे सदस्य कभी नहीं बोलते।

एक माननीय सदस्य : आदत से लाचार हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आपस में बातें नहीं करें। माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सातवें और आठवें वित्त आयोग से जो राजस्थान को मिला, सातवें वित्त आयोग में जब

(श्री शिवचरण माथुर)

भैरोंसिंह जी मुख्यमंत्री थे और आठवें वित्त आयोग में तो कांग्रेस की सरकार यहां पर है इसमें कुल मिला कर 902.81 करोड़ रुपये का सेंट्रल डिवोल्यूशन के तौर पर सातवें वित्त आयोग में मिला उसमें सेन्ट्रल टेक्सेज में हमारा शेयर बना 883.52 करोड़ का, उसके मुकाबले में आठवें वित्त कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान का शेयर होगा 1538.18 करोड़।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

अध्यक्ष महोदय, आपके वक्त में कभी कोई गेप ग्रान्ट राजस्थान को नहीं मिली थी क्योंकि उस समय जब आप मुख्य मन्त्री थे, जब सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आयी थी तब तो पूरे पांच साल राजस्थान को रेवेन्यु सरप्लस स्टेट माना था। आज दो साल रेवेन्यु डेफिसिट स्टेट मान लिया जाता है और तीन साल रेवेन्यु सरप्लस मान लिया जाता है तो आपको एतराज होता है परन्तु आपके समय में पूरे पांच साल में राजस्थान को पूरा रेवेन्यु सरप्लस स्टेट मान कर एक पैसा ग्रान्ट का राजस्थान को नहीं मिला था और इस आड़ में हम को 42.63 करोड़ रुपया ग्रान्ट का मिला क्योंकि दो साल हम को रेवेन्यु डेफिसिट स्टेट माना गया। और आपके वक्त में........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुदान मिल गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय....

श्री शिवचरण माथुर : पूरे पांच साल राजस्थान को रेवेन्यु सरप्लस स्टेट माना गया। एक पैसा आपको गेप ग्रान्ट के तौर पर नहीं मिला। उसके मुकाबले में हम को अगर हमारे प्रयत्नों से दो साल रेवेन्यु डेफिसिट मान कर ग्रान्ट दी जाती है तो इसमें राजस्थान को कहां नुकसान हुआ है, मैं समझ नहीं पाता हूं। अध्यक्ष महोदय, अपग्रेडेशन आफ स्टेण्डर्ड आफ एडमिनिस्ट्रेशन में, सातवें वित्त आयोग के वक्त में जब आप मुख्य मन्त्री थे उस समय 19.29 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मिली थी। हम को इस समय 53.48 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मिली है। इस प्रकार हमको 34.19 करोड़ रुपया अधिक मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको कह सकता हूं। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में हमारे प्रयत्नों से जो उपलब्धी हुई है वह यह है कि जो मार्जिन मनी दैवी प्रकोप से मुकाबला करने के लिये सरकार को मिलती है उसमें पहले सातवें वित्त आयोग के समय पूरी की पूरी रकम हमारे खर्चे में दी जाती थी और उसमें सेण्ट्रल टीम का दखल था। जब अकाल पड़ जाता था, सेन्ट्रल टीम यहां पर आती थी। वह मौके पर जाकर और मौका देख कर जो काम स्वीकृत करती थी उसी को हमें लेना पड़ता था। हम अपनी तरफ से खर्च नहीं कर सकते थे। लेकिन अब की बार, सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद

(श्री शिवचरण माथुर)

जो राजस्थान को उपलब्धि हुई है उसमें हमको 41.11 करोड़ रुपया केवल ग्रान्ट के रूप में राजस्थान को मिलेगा। 41.11 करोड़ उस समय एक पैसा सेन्ट्रल ग्रान्ट का नहीं था। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ग्रान्ट है यह और यह भी प्रावधान रखा गया है कि एक साल अगर दैवी प्रकोप नहीं होता है, अकाल नहीं हुआ, बाढ़ नहीं आती तो वह रुपया लेप्स नहीं होगा। वह रुपया हम को अगले साल में खर्च करने के लिये मिल जायेगा। यानि 41.11 करोड़ रुपये को हम पूरे पांच साल में भारत सरकार की ग्रान्ट मान कर खर्च कर सकते हैं। इसको उपलब्धि नहीं माना जाये तो क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर जैसा मैंने निवेदन किया है, सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को 902.81 करोड़ रुपया और आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को 1676.17 करोड़ रुपया मिलेगा। यानि 773.36 करोड़ रुपया अधिक मिलेगा जो 85.66 प्रतिशत अधिक है। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो पैसा राजस्थान को मिला है उससे अब की बार जो पैसा मिला है वह 85.66 पर्सेन्ट ज्यादा है जबकि सातवें फाइनेन्स कमीशन और छठे फाइनेन्स कमीशन से जो पैसा राजस्थान को मिला है। उसके बाद सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मिला है उसमें केवल 7 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सातवें वित्त आयोग और आठवें वित्त आयोग में 85.66 पर्सेन्ट अधिक हम को मिला है और उसके बाद भी यह कहा जाता है कि हमने राजस्थान के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। अब यह ठीक बात है कि जो अन्तरिम रिपोर्ट आई है उस अन्तरिम रिपोर्ट में राजस्थान को रेवेन्यु सरप्लस स्टेट मान कर हमें कोई असिस्टेंस नहीं दी गई। हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार को लिखा कि आपने किस आधार पर हमारी स्टेट को रेवेन्यु सरप्लस मान लिया है। और उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आयी। दो बार मैं वित्त आयोग के अध्यक्ष जी से मिला, मेम्बर्स से मिला। वित्त मन्त्री जी से मिला और प्रधान मन्त्री जी से मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि जब फाइनल रिपोर्ट आई तो फाइनल रिपोर्ट में राजस्थान को पहले दो साल रेवेन्यु डेफिसिट माना गया और बाद के तीन साल के लिए हम को उन्होंने रेवेन्यु सरप्लस माना और पहले दो साल के लिए रेवेन्यु डेफिसिट माना। इसके लिये प्रावधान रखा गया। यह बात जरूर है कि इसको हम ने फिर प्रोटेस्ट किया है कि जो फाइनल रिपोर्ट इसके पहले साल में लागू नहीं की 1984-85 में लागू नहीं की इससे राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त मन्त्रीजी का जो एक्सप्लेनेटरी नोट है उसको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हमें इसको स्वीकार करना चाहिये। भारत के वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा था कि यह जो वित्त आयोग नया बना है उसको अपनी रिपोर्ट सब्मिट करनी थी

(श्री शिवचरण माथुर)

दिसम्बर, 1983 में लेकिन उन्होंने और समय इसके लिए चाहा और आठवें वित्त आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास 14 नवम्बर, 1983 को पेश की और समय मांगा और गवर्नमेंट ने इस मेमोरेण्डम को 9-12-1983 को हाऊस के सामने प्रस्तुत किया। उसकी मियाद बढ़ा दी गयी 30-4-1984 तक आयोग की और फाइनल रिपोर्ट 30-4-1984 को भारत सरकार को मिली जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में 24 जुलाई, 1984 को पेश की। आपको मालूम है कान्स्टीट्यूशन का प्रावधान है कि आर्टिकल 280 (1) के अन्दर यह रिपोर्ट केवल पार्लियामेन्ट को प्रजेन्ट की जाती है। यह रिकमण्डेटरी रिपोर्ट वित्त आयोग की होती है। भारत सरकार इस रिपोर्ट को माने, संशोधित रूप में माने, यह उनके विवेक की बात है। लेकिन यह कोई मेण्डेटरी रिपोर्ट नहीं है। वित्त आयोग की रिपोर्ट को मानना जरूरी नहीं है। केवल यह बात जरूर है कि आर्टिकल 280 (1) के अनुसार इसको पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है जो कि 24 जुलाई, 1983 को पार्लियामेंट के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस समय वित्त मंत्रीजी ने जो बात कही थी उसमें यह बात सामने रखी थी, हम उम्मीद करते थे कि यह वित्त आयोग की रिपोर्ट समय पर आ जायेगी। समय पर आने पर हम सब स्टेट्स को इन्डीकेट कर सकेंगे कि उनकी स्टेट के प्लान का आकार क्या होना चाहिये, सेन्ट्रल असिस्टेन्स का प्रतिशत कितना होगा लेकिन क्योंकि वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रजेन्ट होने में देरी हो गई और इस बीच सारी स्टेट्स ने अपने अपने बजट बना लिये थे और बजट बन जाने के कारण से फिर उसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल मिड-टर्म में जुलाई महीने में डिस्टर्ब करना उचित नहीं था, इसके कई बुरे प्रभाव पड़ सकते थे, इसलिये हमने पहले साल की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और उसको अगले साल से स्वीकार करते हैं। यह बात वित्त मंत्री जी ने कही। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इससे कोई नुकसान हो सकता था लेकिन हम ने उसके बाद भी भारत सरकार को कहा कि राजस्थान को जिस स्थिति में आपने रखा है उस पर पुन: विचार करें। राजस्थान की विशेष परिस्थिति है और उसको देखते हुए आपको सोचना चाहिये कि वैसी परिस्थिति दूसरे प्रदेशों में नहीं होती है। यहां आये दिन अकाल पड़ता रहता है। अकाल का विशेष प्रावधान वित्त आयोग की रिपोर्ट में रखा गया है। पहली बार वित्त आयोग ने स्पेशल असिस्टेन्स के तौर पर ऐसे अलाटमेन्ट देने की बात कही है लेकिन उससे राजस्थान को लाभ नहीं मिलता है। यह बात भी जहां तक कही है। मैं समझता हूं कि इस रूप में नहीं लेकिन और कई दूसरे तरीकों से भारत सरकार राजस्थान सरकार को विशेष परिस्थिति में मदद देने को अब भी तैयार है और हमें विश्वास करना चाहिये कि जो राजस्थान की स्थितियां हैं, राजस्थान का जो प्लान है, राजस्थान की जो कमियां हैं, राजस्थान में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की जो कमी है, उसको दूर करने के लिये

(श्री शिवचरण माथुर)

दूसरे प्रदेशों के मुकाबले भारत सरकार आज भी उसी प्रकार सहानुभूति रखती है जैसी कि उन्होंने हमेशा रखी है। अगर राजस्थान सरकार को विशेष रूप से राजस्थान कैनाल के लिये विशेष 40 करोड़ का अनुदान नहीं मिलता तो शायद हमारा जो 162.50 करोड़ का प्रावधान था, छठी पंचवर्षीय योजना में, उसमें हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते थे लेकिन वह पैसा मिला और उसी का परिणाम हैं कि राजस्थान कैनाल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मैं निश्चित रूप से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल का काम और तेज करने के लिये भारत सरकार हम को समय पर निश्चित रूप से और सहायता देगी। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इस पर हमें पूरा भरोसा है। आज केन्द्र की जितनी भी स्थिति मजबूत हमारे देश में होती हैं, यह निश्चित बात है कि राज्य सरकारें भी उतनी ही मजबूत होंगी। हम यह कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के अन्दर इतना प्रभावशाली नेतृत्व इन्दिरा गांधी और कांग्रेस सरकार का होते हुए, आज हम लोग आश्वस्त हैं, राजस्थान के भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं और राजस्थान में आने वाले 5 सालों के अन्दर में जो योजना हमने रखी है, सातवीं पंचवर्षीय योजना इस बात को दर्शाती है कि जो रुपया और जो पैसा हम पूरी छः पंच-वर्षीय योजना में खर्च नहीं कर पाये थे उससे ज्यादा बड़ा आकार हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का होगा। अध्यक्ष महोदय, 2 लाख 98 हजार करोड़ रुपये का हमने इन योजनाओं में खर्चा किया, पहली से लगाकर छठी पंचवर्षीय योजना तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना बनायी गयी उसमें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है, वह इस बात को दर्शाता है कि हम लोग राजस्थान के और देश के भविष्य के बारे में बहुत लम्बी दृष्टि से सोचते हैं। हमारे दिमाग में यह भी है और भारत सरकार के दिमाग में भी है कि भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के आधार पर कहां इस देश का विकास होना है। इसलिए एक मजबूत केन्द्र के हम समर्थक हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का हित केन्द्रीय सरकार के हाथ में सुरक्षित है, इन्दिरा गांधी और कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है, इसमें कहीं भी कोई शक की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि ड्रोट रिलिफ हमको कुछ नहीं मिली। इसमें अगर आप देखेंगे—सातवें वित्त कमीशन की रिपोर्ट को तो आपको मालूम होगा कि ड्रोट रिलिफ जिसका एक हिस्सा राइट ऑफ करने में और एक हिस्सा रिशिड्यूलिंग, दोनों हिस्सों को मिलाकर सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को एकोमोडेशन दिया है 137.98 करोड़ रुपये का, उसके मुकाबले में फाइनेन्स कमीशन ने जो राजस्थान को एकोमोडेशन दिया है, उस रकम को कुछ राइट ऑफ करने में और कुछ रकम को रिशिड्यूल्ड करने में 239.41 करोड़ रुपये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राइट ऑफ करने का ब्रेक-अप बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : राइट ऑफ रि-शिड्यूलिंग का ब्रेक-अप चाहते हैं आप ?

श्री शिवचरण माथुर : यह है मेरे पास। 97.85 करोड़ रुपये, यह तो टू बी रिटर्न ऑफ उसका दूसरा राइट ऑफ किया जायेगा और आगे 141.56 टू बी रिसीव्ड। ये दोनों मिलाकर 239.41 करोड़ रुपये होते हैं। जो कि पोजेटिव तरीके से राजस्थान को इसका ज्यादा लाभ मिला है। हम यह कह सकते हैं, हमारी आज भी भारत सरकार से प्रार्थना है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देख कर ही वह रीशिड्यूलिंग के बारे में फिर से सोचे। हमने यह भी कहा है कि ओवर ड्राफ्ट का जो अमाउन्ट है, ओवर ड्राफ्ट हमारे कारण से नहीं होता है, ओवर ड्राफ्ट दो तीन ऐसे कारणों से होता है जो कि हमारे हाथ की बात नहीं होती है। ऐसे अकाल पड़ जाते हैं निश्चित रूप से उसके लिए इन्तजाम करना पड़ता है, डी. ए. और दूसरे अन्य परिणाम भी देने पड़ते हैं उससे भी ओवर ड्राफ्ट होता है। इन दोनों में हमने आज ही भारत सरकार को कहा है लेकिन चूंकि भारत सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं। मैं समझता हूं हमको भी कितना इसमें एकोमोडेट कर पायेंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह निश्चित बात है कि ड्रोट रिलिफ में हमको आठवें वित्त आयोग में 101.43 करोड़ रुपये का ज्यादा एकोमेडेशन मिला है यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

एक बात मैंने आपसे और बतायी कि अबकी बार इसमें जो मार्जिन मनी है उसमें निश्चित रूप में 9.01 करोड़ रुपये का हमको हर साल अधिक उपयोग करने का अधिकार मिला है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपसे और कहूं, एनेक्सचर-ए में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ पर्सेन्टेज अलग अलग स्टेट का बनता है। जो एडीशनल बर्डन इन्क्रीज का है इसमें राजस्थान को 74.10 पर्सेन्ट का बर्डन पड़ा है, गुजरात को 47.03 पर्सेंट का पड़ा है, हरियाणा को 38.69 पर्सेन्ट का पड़ा, कर्नाटक को 70.42 पर्सेन्ट का बर्डन पड़ा, केरल को 64.32 पर्सेन्ट का बर्डन पड़ा, महाराष्ट्र को 52.70 पर्सेन्ट का, पंजाब को 45.67 पर्सेन्ट, तमिलनाडु को 65.48 पर्सेन्ट का पड़ा और वेस्ट बंगाल को जो विरोधी पक्ष की सरकार है उसको हमारे से ज्यादा पड़ा, उसको 79.36 पर्सेन्ट बना हमारे को 74.10 पर्सेन्ट मिला और वेस्ट बंगाल का 79.36 बढ़ा है तो यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को किसी भी प्रकार से इस डिवोल्यूशन में कमी रही है। हमने दूसरे स्टेट का उदाहरण दिया उसके मुकाबले में इस मामले में हम काफी अच्छे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो विशेष योजना में आज राजस्थान की हमारे सामने है और जो हमारे प्लान की प्रगति है उसको देखते हुए भारत सरकार निश्चित रूप से हमारी मदद करेगी। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में, विश्वास दिलाना चाहता हूं इस सदन को कि हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना का जो अन्तिम वर्ष है उसमें जो हमने लक्ष्य

(श्री शिवचरण माथुर)

निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। यह बात सही है कि फिजिकल टर्म में कुछ फर्क पड़ सकता है। एस्केलेशन के प्रावधान की आपने बात कही कि एस्केलेशन का प्रावधान इसमें क्यों नहीं रखा गया है। एस्केलेशन का प्रावधान कुछ तो रहता है, हर प्लान में कुछ तो रहता है लेकिन फिर भी जितनी मंहगाई बढ़ी है उसमें प्रावधान सम्भवतः नहीं हो। लेकिन हम निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि हमारे अपने साधनों को टेप करके, कुछ अपने फिजूल खर्च को रोकें, अगर वित्त मंत्रीजी ने कई बातें कही होंगी तो उसका मूल आधार यही रहा है कि हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे, उस पैसों को हम योजनाबद्ध तरीके से खर्च कर सकें जिससे कि हम अपने टारगेट पूरे कर सकें। अन्त में यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमने अपने केस को प्रेजेन्ट करते वक्त, वित्त आयोग के सामने जो हमने अपना केस प्रेजेन्ट किया है वित्त आयोग के चेयरमैन ने यह कहा कि आपका केस बहुत साउन्ड है हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इसमें कुछ अपनी सीमाओं को देखते हुए उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर भी राजस्थान को कोई घाटा नहीं हुआ है और एक व्यापक देश हित में जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ उसको हमने स्वीकार किया है और हमारी कोशिश यही है कि आगे आने वाले वर्षों में राजस्थान की विशेष परिस्थितियों में हम भारत सरकार से और अधिक सहायता की मांग करें तो निश्चित रूप से हमको मिलेगी। इसलिए सरकार ने राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा है और अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सूझ-बूझ के साथ एक निश्चित ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया है। यही मुझे अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब कौन बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्रीजी नहीं बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मुख्य मंत्री जी ने कह दिया उसके पश्चात्.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जानकारी तो हम कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है। आपने इस प्रश्न को उठाया था एक अल्प अवधि के माध्यम से। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न तो हो सकता है.......

श्री अध्यक्ष : सब कुछ हो सकता है लेकिन, अब समय नहीं है इसलिए कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, अगला विषय लें ले....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन क्लेरिफिकेशन कर दें। अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

महोदय, खुद क्लेरिफिकेशन करवा दें, दो-तीन हैं, ज्यादा नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अब ऐसा है कि इस पर कोई मतदान नहीं होगा, विपक्ष के नेता महोदय बहुत हो गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, और तो कुछ नहीं है। इन्होंने पहले वाले वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनता सरकार की प्रति प्रस रित की है····

श्री अध्यक्ष : जनता सरकार, कौन सी सरकार। यह विवाद समाप्त ही नहीं होने वाला है। यह विवाद चलते रहेंगे········

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसी बात नहीं है········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज।

जब तक हमारे यहाँ जनतन्त्रवादी शासन प्रणाली है तब तक यह प्रश्न जनता पार्टी ने क्या किया था········

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि छठे वित्त आयोग और सातवें वित्त आयोग में कितना अन्तर रहा कितना और रहा मैं यह बताना चाहता हूं········

श्री अध्यक्ष : यह नया विषय हो जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वित्त मंत्री को बुलवाओ आप।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। हमारी परम्परा यही रही है। फिर आपको माननीय सदस्य कह देंगे कि नेता ने बोल दिया, हम भी बोलेंगे। यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मन्त्री बोलते हैं जब आप कहते हैं कि मुख्य मन्त्रीजी बोलेंगे। और जब मुख्य मन्त्रीजी बोल लिये हैं, तो किसी व्यक्ति के बोलने की आवश्यकता नहीं है और आप मुख्य मंत्रीजी से चाहते हैं तो········

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने आज साबित कर दिया कि वित्त मंत्रीजी ज्यादा योग्य हैं इसमें तो कोई शक नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री संसदीय कार्य) : हमारे वित्त मंत्रीजी तो बोलते हैं और आप तो वित्त मंत्रीजी को बोलने ही नहीं देते है।

(व्यवधान)

××× जब भी खड़ा होता है आप कह देते हैं कि बैठ जावो।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया। ऑर्डर ऑर्डर। शान्त रहें। कृपया ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे वित्त मंत्री इतने योग्य थे कि अब इनको कांग्रेस में सहायता के लिए कि वे राय दें, वे उधर गये हैं, इनकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए योग्यता की बात तो इन्होंने मान ली। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि अगली योजना 3 लाख 20 हजार रुपये की........

श्री अध्यक्ष : वह भारत की योजना है, पूरे सम्पूर्ण भारत राष्ट्र की योजना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं राष्ट्र की नहीं है, राजस्थान की है 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूरे देश का बताया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार के आंकड़े बता दिये तो इसमें राजस्थान का क्या हित हो गया, भारत सरकार के........

एक माननीय सदस्य : उसी हित को राजस्थान का हित कहेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह कह रहा था, जो छठी पंचवर्षीय योजना में जो खर्चा हुआ है, नेशनल प्लान की मैं बात कह रहा था, जिसके प्रपोर्शण में राजस्थान की योजना बनेगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। समय समाप्त होने जा रहा है इसलिए आज की कार्य सूची में जो कार्य है वह सम्पादित हो तब तक के लिए सदन की अनुमति से इस बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

शासकीय वक्तव्य

थाना राजसमन्द के अन्तर्गत कालू बीरमा भील एवं उसके पुत्रों की हत्या

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से स्थगन प्रस्ताव में वर्णित दुखद घटनाओं के सम्बन्ध में इसकी पृष्ठभूमि से सदन को अवगत कराना आवश्यक है। ग्राम बोरज, तहसील राजनगर, जिला उदयपुर में कालू पुत्र नाथू भील के स्वसुर नंगा भील ने वर्ष 1947 में अपनी भूमि सर्वश्री गणेशराम, परसराम, चैनाराम ब्राह्मण व भैरूलाल महाजन को बेच दी थी। कालू भील इस विक्रय की हुई भूमि पर वापिस कब्जा करना चाहता था और इसी प्रयास में उसने व उसके परिवार के सदस्यों ने क्रेताओं से कई बार झगड़ा किया। जिसके सम्बन्ध में थाना राजनगर ने मुकदमा संख्या 142/82, 192/82, 193/82, 138/83 व 155/83, दर्ज हुए और सभी में उसके व उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध चालान किया गया। कालू भील

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की प्रवृत्तियों से तंग आकर क्रेताओं ने भूमि श्री शैलासिंह व भगवतसिंह राजपूत निवासी गांव खरडिया को बेच दी तत्पश्चात कालू भील व लड़के बिरमा आदि लोगों ने क्रेता श्री शैलसिंह के साथ दिनांक 26. 6. 84 को झगड़ा किया और उस पर बन्दूक चलायी, जिससे उसके चोट आयी और अस्पताल में इलाज हुआ। इस पर अभियोग संख्या : 113/84 धारा 307/84 भा. दं. सं. में दर्ज हुआ। इस मुकदमें में 4 मुलजिमान कालू भील, उसकी पत्नी बरदी, उसका लड़का बिरमा व देवा भील नामजद हुए, जिसमें से मुलजिम देवा व मुलजिमा बरदी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में रखा गया। अन्य दो मुलजिमान कालू भील व उसका लड़का बिरमा गिरफ्तारी से बचने के लिये छिपते रहे।

कालू भील की पुत्री श्रीमती केसी जो गांव आमलोई में रहती थी, ने पुलिस में कोई सीधी रिपोर्ट न कर एक इस्तगासा दिनांक 5-7-84 को अपर मुख्य न्यायाधीश राजसमन्द व न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 12-7-84 को थाने में प्राप्त हुआ, जिस पर धारा 156 (3) जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अभियोग संख्या 123/84 धारा 147, 427, 435, 436, 452, 379 व 323 भा दं. सं. के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस्तगासे में आरोप यह था कि दिनांक 3. 7. 84. को प्रातः 8.00 बजे 20 व्यक्तियों ने साबल, गोलियां एवं लकड़ियों से बाड़े की दिवार कुए के बाढाण को गिरा दिया तथा घर में आग लगा दी। इस्तगासा में 20 मुलजिमानों को नामजद किया गया था अन्वेषण में 15 व्यक्ति ही अभियुक्त पाये गये, जिनमें से 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस्तगासा में नामजद मुलजिमानों में पुलिस कर्मी सर्वश्री मानसिंह, एल. सी. व भगवत सिंह, ए. एस. आई. जो अन्य अभियुक्तों के गांव खरड़िया के ही निवासी हैं के नाम शामिल थे। घटना के समय वे ड्यूटी पर उपस्थित बताये गये, अभी अनुसंधान जारी है।

दिनांक 26. 6. 84 को श्री शैल सिंह पर बन्दूक चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा संख्या 113/84 के अन्तर्गत फरार मुलजिम कालू भील व उसके लड़के बिरमा की तलाश में जब एस. एच. ओ. राजसमन्द दिनांक 22. 7. 84 को ग्राम भाटोली गये तब वहां श्री छोगा भील ने रिपोर्ट की कि उसके स्वसुर कालू पुत्र नाथू भील को जिस पार्टी ने उस पर मुकदमें कर रखें हैं, वे एक जीप गाड़ी में आये और कालू पुत्र भील के घर की छत फोड़कर कालू पुत्र नाथू व उसके लड़के बिरमा, जो वहां छिपे हुए थे, को गाड़ी में डाल कर ले गये। इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या : 136/48 अन्तर्गत धारा 457, 364, 452 व 323 भारतीय दं. सं. दर्ज किया गया। इस रिपोर्ट में किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नामजद नहीं किया गया। अनुसंधान के अनुसार दिनांक 17. 7. 84 को कालू भील व उसके लड़के बिरमा को कालू पुत्र रत्ता भील के निवास से जबरदस्ती निकाल कर लकड़ियों से मार-पीट की और हाथों को रस्सियों से बांध कर जीप में डालकर विवादग्रस्त जमीन पर ले गये। कालू भील को लकड़ियों से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

गोद कर मार दिया गया और बाद में उसके लड़के बिरमा का गला रस्सियों से दबा कर उसे भी मार दिया गया तथा दोनों मृतकों की लाशों को गड्ढे में दबा दिया। दूसरे दिन दोनों लाशों को गड्ढे से निकाल कर केरोसिन तेल डाल कर जला दिया व अध-जली राख एवं हड्डियां कुए में डाल दी तथा कुछ बची हुई राख, कोयला, व हड्डियों को गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ दी। इस अभियोग में पाये गये 11 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है व अभियोग में धारा 302 व 201 भा. दं. सं. जोड़ दी गई।

इस प्रकार पुलिस द्वारा हर मामले में समय पर तत्परता से तफतीश की जाकर मुलजिमानों को नामजद कर अधिकांश मुलजिमानों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी भी स्तर पर न तो किसी को बचाने का और न मामले को किसी भी प्रकार से रफा-दफा करने का कोई भी प्रयास किया गया है। अभी अनुसंधान व बचे हुए मुलजिमानों को गिरफ्तार करने का कार्य जारी है।

श्री अध्यक्ष : तथ्य तो सब सामने आ गये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभी तथ्य नहीं आये हैं। इसलिए मैं दो चार मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें वक्तव्य तो दे दिया अब कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बता सकते हैं। भाषण नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : यह बात तो मैं जानता हूं। पहली बात तो आपको जो रिपोर्ट मिली है वह गलत है ?

श्री अध्यक्ष : गलत सही वह तो सरकार के पास जो सूचनायें है मंत्री महोदय ने अपने सामने पेश कर दी हैं।

श्री मेघराज तावड़ : वही कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना वहां के अधिकारियों से मंत्री महोदय को मिलती है, कन्टीन्यूअसली इस केस के सम्पर्क में रहा हूं। मेरा इलाका नहीं है लेकिन मैंने जिस तरह से खोज-बीन की है, उसके आधार पर मैं इसके सारे तथ्य जानता हूं जो कि इनकी रिपोर्ट में नहीं है। पहला प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिस दिन 2 तारीख को उसकी फसल को नष्ट किया उसके कुए को नष्ट किया, बिल्कुल फसल नहीं रहने दी जितनी बीघा जमीन थी उसमें सब में। दूसरे दिन उन अभियुक्तों ने उसका पक्का मकान जो कि 6 कमरों का था उसको गिराया यह पुलिस को जानकारी नहीं थी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह कैसी जो कोली की पुत्री है इसने जब इस्तगासा कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट में जाने के बाद आपके पास आया तो आपने उसके लिए क्या कार्यवाही की ? कोई कार्यवाही नहीं की। 18 तारीख को कैसी को जबरदस्ती पकड़कर घासलेट डालकर उसको जलाया। कोई मानसिंह जो डी. वाई. एस.

(श्री मेघराज तावड़)

पी. का पेशकार है, शैल सिंह सब लेकर गया और उससे चाकू के बल पर लिखवाया था कि लिखो कि मैंने जो इस्तगासा किया है वह झूंठी रिपोर्ट है, मेरे नाम से किसी ने झूंठा इस्तगासा दिया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब किसी ने इस्तगासा किया इसके ऊपर पुलिस ने कब कार्यवाही की ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय मैं 12 तारीख को गया। केसी मेरे सामने आयी और सारे तथ्य रखे तो मैंने एस. पी. और क्लेक्टर से जाकर मिलाया और कहा कि यह तथ्य है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अगर उस समय कार्यवाही हो जाती तो मर्डर नहीं होता। दूसरा यह जो जितने मुलजिम गये थे क्या मंत्री महोदय बतायेंगे आप, बाटोली गांव है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें।

श्री मेघराज तावड़ : छोगा कालू भील के घर से कालू और बिरमा को पकड़ कर लाये क्या उसके सामने पिटाई करने का मामला नहीं लाये।

श्री अध्यक्ष : इतने विस्तार में तो जा नहीं सकते हैं। मुख्य मुद्दा 302 में केस दर्ज हो गया है। कुछ मुल्जिमों को पकड़ लिया है, अनुसंधान जारी है। फिर क्या बात है ? आप कुछ कहेंगे श्री कमलेन्द्र सिंह जी ?

श्री मेघराज तावड़ : मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने जब सीमा बांध दी है।

मैं यह चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो कन्विंस्ड है कि रस्सी से मारा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, तलवार से काटकर टुकड़े किये गये हैं और पुलिस ने हथियार बरामद नहीं किये हैं और न ही करना चाहती है. एक। वे नहीं चाहते हैं कि अपराध साबित हो। मैं तो कह नही सकता मेरे पास एक सबूत है। गवाह है लेकिन पूरा एरिया भयभीत है, वहां तक ही नहीं मारवाड़ तक के लोग इसमें शामिल हैं। यह पूरा गैंग बना हुआ है एक भील के लिए। कोई भी कोर्ट में गवाही देने को तैयार नहीं है। इतने भयभीत हैं, उसमें राजपूत और ब्राम्हण भी शामिल हैं लेकिन डर के मारे कोई बयान नहीं दे सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने मुल्जिमों को पकड़ना था, दो केस में एक तो मर्डर में वह नहीं पकड़े गये हैं और दूसरा जो मकान जलाने का है, उसमें भी सारे मुलजिमों को नहीं पकड़ा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि आज तक कितने लोगों को पकड़ लिये। क्या हमारे आन्दोलन करने के बाद पकड़े गये या पहले, नहीं पकड़ा गया है उनको पकड़ा जाय। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, आज तीन महीने पूरे होने जा रहे हैं लेकिन पुलिस-इस केस को जितना लोंग रन किया है इस केस को

(5.00 म. प.)

(श्री मेघराज तावड़)

जब तीन महीने कम्प्लीट होने जा रहे हैं। यदि चालान पेश नहीं किया गया तो हाजिर मुजरिम है तीन महीने के अन्दर उसकी अपने आप जमानत हो जायेगी तो केस रफा-दफा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बचे हुए मुजरिमों को कब तक गिरफ्तार कर लेंगे और इस केस में जो मुजरिम अभी हैं उनका चालान कितने दिनों में कर देंगे? अध्यक्ष महोदय, एक मुझे शंका है, वहाँ कुछ राजनैतिक संरक्षण भी उन लोगों को प्राप्त है। इसके कारण भी आज तक चालान पेश नहीं हुआ पुलिस खुद इन्ट्रेस्टेड है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं है, वह इस केस को और बिगाड़ेगी और मुजरिमों को फायदा दिलायेगी। तो आप बतायें कि कब चालान पेश करायेंगे, हथियार बरामद करने की कार्रवाई करेंगे, जो बाकी मुजरिम हैं और जिन लोगों ने मकान गिराया उन लोगों को अभी पूरी तरह से गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी फसल नष्ट की, चल और अचल सम्पत्ति बिल्कुल नष्ट कर दी, अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार ने उनकी जो फसल नष्ट की उसका मुआवजा दिलायेंगे उन मुलजिमों से, 2.5 लाख रुपये के करीब नुकसान हुआ है उसको दिलाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बाते नहीं करे माननीय सदस्य।

श्री कमलेन्द्र सिंह : प्रथम एफ. आई. आर. जो दर्ज हुआ था उसमें दो कांस्टेबल्स के नाम थे उनके किस तरह से आपने नाम निकाल दिये हैं? क्या यह सही नहीं है कि वे कांस्टेबल्स इस जमीन को खरीदने में शरीक हैं। वे भी पार्टनर हैं इस जमीन को खरीदने में। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कह दिया कि सन् 47 में कालू भील ने यह जमीन बेच दी........

श्री अध्यक्ष : अधिक विस्तार में न जायें। ये जो......

श्री कमलेन्द्र सिंह : सही तथ्य तो ये हैं।

श्री अध्यक्ष : ये जो मामला है उसके अन्दर जैसा माननीय सदस्य मेघराज तावड़ ने कहा कि गवाहों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे कोई मुद्दे हों तो बतायें ताकि सरकार से आश्वासन ले सकें कि इसके बारे में न्याय होगा।

श्री कमलेन्द्र सिंह : सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने जो फर्माया है कि सन् 47 में जमीन बेच दी गयी है, एक्चुअली वह जमीन तो केवल 300 रुपये में गिरवी रख दी गयी थी। अध्यक्ष महोदय, कालू भील ने दरखास्त लगा रखी थी एस. डी. ओ. कोर्ट में कि मेरी गिरवी की जमीन का मैं पैसा देने को तैयार हूं और वह छोड़ने

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

को तैयार नहीं हैं और उसके 25 मुकदमें इसी तरह के थे जो रेवेन्यू उसके खाता खारिज करने के, और गिरवी रखने के और साहूकारी ऋण से मुक्ति दिलाने के। सब तरह के कालू भील ने ये मुकदमें लगा रखे थे और उसकी वजह से ये सब झगड़े हुए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप को बताना चाहता हूँ कि········

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये बताना चाहते हैं कि प्रीविलेज था ? मेरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । जिन्होंने प्रस्ताव दिया है। माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी कृपया ऑर्डर-ऑर्डर प्लीज। व्यर्थ में समय बर्बाद न करें।........

(व्यवधान)

आप अगर उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं समाप्त करता हूं। ऑर्डर-ऑर्डर....

(व्यवधान)

कोई भी प्रश्न आ जाय बाकी सदस्य पूछना चाहें जिन्होंने पूछा है उनको अवसर दे दिया, ऑर्डर प्लीज, बैठ जायं। मंत्री महोदय। माननीय सदस्य मैं अवसर नहीं दूँगा........

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्य ने दिया है····इलाका किसी का हो, यहाँ पर इलाके से चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है। अगर समय होता तो मैं आपको इसकी इजाजत दे देता। मंत्री महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : दो प्रश्न हैं मैं चर्चा········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, मैं इजाजत नहीं दूँगा। कृपया इस डिबेट को लम्बा न करें। ऑर्डर प्लीज। मंत्री जी········

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह घटना 17 तारीख को हुई है, एफ. आई. आर. 22 तारीख को दर्ज हुई है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, अंकित न हो,

श्री सी. पी. जोशी : × × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। ऑर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूँगा········

श्री नानालाल (राजसमन्द) : दो ही शब्द कहना चाहता हूं। बहुत बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि ये घटना मेरे क्षेत्र में घटी और मेरे क्षेत्र में आजकल प्रशासन इतना ढीला है········

श्री अध्यक्ष : भूमिका न बांधे। आप इस अपराध के मामले में कहना चाहें तो....

× × × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नानालाल : वास्तविक स्थिति ये है कि ये घटना सुनियोजित ढंग से की गयी और इसमें जो कुछ प्रशासन द्वारा ढिलाई की गयी उसके कारण वहां का सारा वातावरण बिगड़ गया है इसलिये माननीय मंत्री इस पर अगर अपना कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री सी. पी. जोशी : घटना हुई है 17 तारीख को और एफ. आई. आर. दर्ज हुई है 22 तारीख को। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि घटना हुई 17 तारीख को वहां एडिसनल एस.पी., D.S.P. और सारे कंम्युनिकेशन्स के साधन है, कोई इतना इंटीरियर इलाका नहीं है, 17 तारीख की घटना की एफ. आई. आर. 22 तारीख को कैसे दर्ज हुई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि जैसा वल्लभनगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा शुरुआत झगड़े की जमीन से हुई और इस जमीन को लेकर के लिटिगेशन भी चल रहा है, मुकदमेबाजी भी चल रही है और इसमें बहुत सारे केसेज भी दर्ज हुए, फौजदारी के भी दर्ज हुए, रेवेन्यु केसेज भी दर्ज हुए मैं उसको डिनाई नहीं करता, जो मेरे पास रेकार्ड है। क्या सही है क्या गलत है। जो रिकार्ड मेरे पास है वह है चार सौ रुपये की रजिस्ट्री का, जमीन गिरवी थी, उसमें क्या लिखा, क्या नहीं लिखाया वह एक तफतीश का मामला है क्योंकि रेवेन्यु रिकार्ड, फौजदारी का मामला है, इसलिये उसके लिये मेरा यहां कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। उससे केस के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं उसके अन्दर, रेवेन्यु वाले मेरिट्स के अन्दर अभी जाना पसन्द नहीं करूंगा...

श्री अध्यक्ष : ज्यादा मेरिट में आप जायं नहीं। जो प्रश्न पूछे गये हैं उनके बारे में आप कह दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब, श्रीमन, इसके अन्दर पहला केस जो था जिसमें कि मैंने स्वीकार किया, मैंने माना है इस चीज को मैंने तो कहीं मुलजिमों को बचाने की चेष्टा या कहीं ऐसी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, यह झूठा केस है, मैंने माना है। अब पहले वाले केस के अन्दर 15 आदमी अभियुक्त पाये गये 13 गिरफ्तार हो गये इसके अन्दर, दो आदमी रह गये हैं। उनकी भी तलाश जारी है। उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर सकेंगे नंबर एक। दूसरे वाले केस के अन्दर भी, श्रीमन्, हमने 11 में से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है कतल केस के अन्दर भी। तो जहां तक अभियुक्तों को पकड़ने का सवाल है गिरफ्तार करने का सवाल है इसमें मुस्तैदी से कार्य किया गया है। इसके अन्दर कहीं कोई गफलत नहीं बरती गयी है.......

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इसमें एक सवाल आया कि एक तो हैं गवाहों को वरगला सकते हैं उनको डरा धमका रहे हैं, ढील दी जा रही है उसका परिणाम ये होगा कि तीन महीने तक अगर जो गिरफ्तार मुजरिम हैं वे जुडिशियल लॉक अप में रह जाते हैं और दूसरों को पकड़ते नहीं हैं साथ

(श्री अध्यक्ष)

में यह नत्थी होती है तो उनको जमानत पर छूटने में.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब जो एक मोटे मुद्दे का, प्रश्न रह जाता है, श्रीमन् दो प्रश्न रह जाते हैं यहां पर........

श्री अध्यक्ष : पूरे सबूत एकत्र नहीं करना ये बातें कही हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जीप को सीज किया, मोटर साइकल को सीज किया, ट्रैक्टर को सीज किया जिस जीप में ले गये, जीप खराब हुई तो मोटर साइकल में ले गये, फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया वे सबूत, अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से तो कोई गफलत नहीं है। जीप सीज करी, मोटर साइकल सीज करी, ट्रैक्टर सीज किया तो इसके अन्दर हमारी नीयत साफ.......

(व्यवधान)

आप बीच में न बोलें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिये मैं उत्तर दे दूँगा........

श्री अध्यक्ष : नहीं उतने सवाल पूछने की इजाजत नहीं दूँगा। तीन महीने तक चालान पेश नहीं होने से जमानत पर छूट जायेंगे, यह सवाल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। अगर कत्ल केस के मुजरिम जो जेल के अन्दर है और 90 दिन के अन्दर जैसा कानून है, अगर चालान पेश नहीं किया गया तो उनकी बेल हो जायेगी। अदालत उनको डिस्चार्ज कर दे, बेल आउट कर देगी उनको इसके लिये मैंने एन्शयोर किया है। जब यह बात मेरी नॉलेज में आयी तो मैंने इसके भी आदेश दिये हैं कि विदिन चार-पाँच डेज में चालान हर हालत के अन्दर पेश हो जायगा यह मैं यहाँ पर आपकी मार्फत आश्वासन दे रहा हूँ, नंबर एक। हमारे पास टाइम है 28 तारीख तक का और वह जो मियाद है वह पूरी होने जा रही है उस मियाद से पहले ही चालान दे दिया जायेगा, ये मैं आपको यहां आश्वासन दे रहा हूं। आपने कहा....

श्री अध्यक्ष : जो गिरफ्तारी में नहीं आये हैं उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेण्डर डिक्लेयर करो,

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो, अध्यक्ष महोदय, सब कार्यवाही होगी। मुल्जिम जो रह जाते हैं बाकी, उनकी गिरफ्तारी के बाद सप्लीमैण्ट्री चालान पेश हो सकता है यह तो क्रिमिनल एक्ट में प्रॉसीजर है। उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेण्डर करके उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। यह सब सवेरे ही तैयार किया है, श्रीमन्। आदेश दे दिये हैं।

एक सवाल नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि जब घटना 17 तारीख को हुई तो 22 तारीख को कैसे रिपोर्ट हुई। अध्यक्ष महोदय, मैंने बयान में बहुत विस्तार से कहा है तफतीश

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के दौरान 307 का एक केस और था इस कालू मील के खिलाफ, एक पर्टिक्यूलर नाम दिया हुआ है। उस गांव के अन्दर जब तफतीश करने पहुंचे तो पुलिस को वहां एक आदमी ने बताया कि आप जिसकी तफतीश करने आये हैं उसको तो 17 तारीख को फलां फलां आदमी जीप में उठाकर ले गया। भय का इतना वातावरण था, इतना आतंक था कि कोई डर के मारे आगे रिपोर्ट करने नहीं जा रहा था। पुलिस को सूचना दी उन्होंने तो पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा कायम करके फर्दर कार्यवाही की। पुलिस का कोई भी, किसी भी किस्म का ऐसा कुछ होता तो पुलिस क्यों मुकदमा कायम करती। फिर एक बात और कही, अध्यक्ष महोदय, कि उन गवाहों को डराया, धमकाया जा रहा है। 17 लोगों के बयान धारा 161 के अन्दर पुलिस द्वारा ले लिये गये हैं। 17 लोगों के लिए गये हैं। मेरे पास तमाम लिस्ट है आप चाहें तो पढ़कर सुना दूं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। मैंने खुद कागज देखे, गरीब के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जायेगा, यही मैं आपके मार्फत यहां आश्वासन देना चाहता हूं।

जहां तक आर्थिक सहायता देने का सवाल है, घाटा तो हो गया, नुकसान हो गया। बाकी अदालत कोशिश करेगी लेकिन हमारे देश की प्रधान मंत्री जी ने भी चार हजार रुपए अपने कोष से और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 हजार रुपए दिये हैं हालांकि यह कुछ भी नहीं है, नौ हजार रुपए कीमत नहीं है। इसके अन्दर जिन लोगों ने किया उन लोगों को क्या सजा मिलेगी, उन पर अदालत क्या करने जा रही है वह अलग है लेकिन सरकार ने अपनी ओर से जो सहायता दे सकती थी इसके अन्दर वह आर्थिक सहायता भी दे दी है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा समाप्त हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : पुलिस के दो कान्स्टेबल इन्वॉल्व्ड हैं उनका क्या होगा ? उन्होंने जमीन खरीदी है उनका क्या होगा उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहला जो केस है.........

श्री अध्यक्ष : केस नहीं, पूछा यह है कि दो कान्स्टेबल एक्यूज्ड हैं उनके बारे में क्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी अनुसंधान जारी है। अभी तक की जो तफतीश है, सदन से मैं छुपाना नहीं चाहता, उनका मौके पर पाया जाना नहीं पाया गया। लेकिन अभी तफतीश जारी है। मैंने आज कहा है। एडिशनल एस. पी. को यहां बुलाया हुआ है। उनको कहा है, इस प्वॉइंट को फिर से देखो। क्योंकि इनके परिवार जनों ने, खुद ने जमीन खरीदी है, कहीं यह तो मौके पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद थे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने खुद ही कहा है इस बात को।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय की जो पाबंदी है उसके कारण जो बात मैं कहना चाहता था वह आई नहीं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इस परिवार के बारे में। ऐसा षड़यंत्र था कि इस परिवार का एक बच्चा नहीं रहे। यह षडयंत्र था। आज भी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि रजिस्ट्री 83 में हुई। मैं इसका सबूत भी बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह है वह, जिसकी उम्र 60 साल के करीब है। आंखें फोड़ दी गयीं। उसकी आंखों की रोशनी चली गयी पुलिस की मौजूदगी में, इस पर बम फेंकने का केस दर्ज किया है, अध्यक्ष महोदय, बम का केस आज भी चल रहा है। केस नम्बर भी आपको बताऊं। पुलिस ने कितनी ज्यादती की है। मैं चाहता हूं········

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। इस केस में कहां है यह ?

श्री मेघराज तावड़ : यह सारे लोगों को परेशान करने के लिए·······

श्री अध्यक्ष : कत्ल का मामला उठाया है आपने बाल बच्चों का।

श्री मेघराज तावड़ : कत्ल के साथ, अध्यक्ष महोदय, इस परिवार का कत्ल क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष : लम्बा चौड़ा प्रश्न है। माननीय सदस्य, अन्य किसी तरीके से उठायें।

श्री मेघराज तावड़ : उसकी दास्तान मेरे पास है। मैं सदन में रखना चाहता हूं। आप इसे सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय, कि वास्तव में किस तरह·······

(व्यवधान)

मैं इसे सदन के पटल पर रखने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराज जायं। श्री राजबहादुर जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था········।

शासकीय संकल्प

संविधान के तिरेपनवें संशोधन का अनुसमर्थन

विधि मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं–

"कि यह सदन भारत के संविधान के उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के पर-न्तुक के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और जो

(विधि मंत्री)

"संविधान (तिरेपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, द्वारा किया जाने के लिए प्रस्थापित है।"

इसमें यह है कि वहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन.......

एक माननीय सदस्य : पढ़ा होगा न।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : रिजर्वेशन को स्वीकार करते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं था रिजर्वेशन। सब का इकट्ठा था। उसमें अब यह मिजोरम और दूसरी जगह........

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्न यह है कि संविधान (53 वां) संशोधन विधेयक, 1984 अनुसमर्थन से सम्बन्धित संकल्प को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

संसद के सदनों द्वारा यथा पारित सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 का अंगीकरण

संसद द्वारा यथा पारित सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 को अंगीकृत करने सम्बन्धी सरकारी संकल्प पर विचार।

संकल्प प्रस्तुत करेंगे मंत्री महोदय।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा द्वारा पारित संकल्प से, राजस्थान राज्य में कृषि भूमि से सम्बन्धित सम्पदा शुल्क, संसद द्वारा यथा पारित सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) के द्वारा अभी विनियमित होता है, और यतः इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि इस राज्य में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में, सम्पदा शुल्क के उद्ग्रहण पर सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 लागू नहीं रहे और इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 53) द्वारा किये गये आवश्यक संशोधनों को अंगीकृत कर लिया जाना चाहिए।

अतः संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि संसद के सदनों द्वारा यथापारित सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 53) को अंगीकृत कर लिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इसका इफैक्ट यह है कि पार्लियामेण्ट ने यह लॉ अमैण्ड कर दिया

(विधि मंत्री)

है ये पहले एग्रीकल्चर लैण्ड सम्पदा शुल्क में आती थी अब यह एग्रीकल्चर लैण्ड इस से मुक्त कर दी गयी है।

व्यवस्था का प्रश्न

संविधान संशोधन विधेयक के अंगीकरण से पूर्व सम्बन्धित अनुच्छेद व उसमें किये गये संशोधन का परिचालन

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पॉइंट ऑफ ऑर्डर। है क्या अमेण्डमेण्ट ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एग्रीकल्चर लैण्ड को एस्टेट डयूटी से मुक्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 में पार्लियामेण्ट ने 1984 के अमेण्डिंग एक्ट से कुछ संशोधन किये हैं। जब कभी अमेण्डिंग एक्ट पर विचार करते हैं तो यह जरूरी होता है कि क्या तो अमेण्डट ला रहे हैं, किस मेन सैक्शन में अमेण्डमेण्ट होगा, उस मेन सैक्शन की लैंग्वेज हाउस के सामने रखी जाती है। आपने, क्या क्या अमैण्डमेण्ट हो रहा है वह तो रख दिया। अब, मेन सैक्शन क्या है उसको पढ़ने से इसका मालूम होगा। वह तो सामने है नहीं, हम क्या उस पर विचार करें।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो पार्ट लगाया गया है वह अमैण्डमेण्ट 7 है। जो अमैण्डमेण्ट एस्टेट ड्यूटी एक्ट में पार्लियामेन्ट द्वारा किये गये हैं वह इसके साथ अटैच्ड हैं। उसमें जहां जहां भी, जो स्टेट्स चाहती हैं कि इसमें एग्रीकल्चर लैण्ड को एस्टेट ड्यूटी से मुक्त रखा जाय वहीं इसको पास किया गया है। इसीलिए हमने कहा है और यतः इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि इस राज्य में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में, सम्पदा-शुल्क के उद्ग्रहण पर सम्पदा शुल्क, एस्टेट ड्यूटी के रियलाइजेशन पर सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 लागू नहीं रहे Estate Duty Act will not apply on agricultural land.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह तो इसमें जो सैक्शन 5 (बी) है उसके बारे में कह रहे हैं–

"Section 5B—Notwithstanding anything contained in section 5, this Act shall cease to apply to the levey of estate duty in respect of agricultural land".

लेकिन अमैण्डमेण्ट सैक्शन 34 जो है उसमें वर्ड कहीं "and" ओमिट किया है कहीं कुछ एक्सप्रेशन्स किया गया है यह क्या है। यह सैक्शन क्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो कान्स्टीट्यूशनल है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह तो पार्लियामेन्ट ने जो एक्ट पास किया है उसमें हम कुछ घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं। जो उन्होंने आशय दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ड्यूटी नहीं लेंगे और कुछ नहीं है।

संसद के सदनों द्वारा यथा पारित सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 का अंगीकरण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 को अंगीकार करने से सम्बन्धित संकल्प स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या 34

प्राकृतिक आपदाओं से राहत

अनुपूरक अनुदानों की मांगें वर्ष 1984-85 (प्रथम संकलन) दूसरी जो अतिरेक मांगें हैं इन दोनों का प्रस्तुतीकरण साथ ही हो जाय। अनुपूरक मांगें और अतिरेक मांगें दोनों प्रस्तुत कर दी जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,11,000/–तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : अतिरेक मांगें।

अतिरेक अनुदान की मांगें वर्ष 1977-78

मांग संख्या 20 आवास

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,77,262/– तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एप्रोप्रियेशन बिल।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें एक मांग पर कटौती प्रस्ताव आये हैं। प्राकृतिक आपदाओं से राहत।

श्री महाराम चौधरी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा नाम भी है ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम भी आ जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महाराम जी को पहले बोलने का अवसर दें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल भी प्रस्तुत कर दिया जाय तो सभी माननीय सदस्य बोलना शुरू कर देंगे, डिमान्ड्स को क्यों लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है । पहले मांगें पारित कर ली जायं ।

(व्यवधान)

जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने चाहा है कि पहले मांगों पर मतदान करा लिया जाय तत्पश्चात् जब विनियोग विधेयक प्रस्तुत किये जायं उस समय माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया जाय । इसी के अनुसार मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत की जाती हैं ।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं 34
प्राकृतिक आपदाओं से राहत का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,11,000/ रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मुखबन्द
शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,000/– रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5, प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,01,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष

(श्री अध्यक्ष)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,000/— रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000/—रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग 8—राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,86,000/—रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 80,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 82,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्रीकर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,25,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,98,000/ रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,49,000/- तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–27 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,80,000/- तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–24- शिक्षा कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,00,000 तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–29 नगर आयोजन एवं

(श्री अध्यक्ष)

प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय 24,06,000/– रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,27,000/- रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,66,000/- रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,63,000/–रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,90,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,35,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,27,88,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,26,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,32,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,68,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,89,39,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक अनुदान की मांगें वर्ष 1977-78 पर मतदान एवं पारण

अतिरेक मांगों के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य मांगों के पास होने के पहले चर्चा में हिस्सा लेना नहीं चाहते।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्यों नहीं लेना चाहते।

श्री अध्यक्ष : यही तो बात कर रहे थे, वो की वो बात है, मैं अब दोहरा रहा हूं जो पहले हुई थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय निर्धारित हो चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने समय में होगी।

श्री अध्यक्ष : आप पहले उपस्थित नहीं थी। पहले यहां यह मसला है कि जितनी भी मांगें हैं उनको पहले पारित किया जाय उसके पश्चात् सभी मेम्बर्स जब ये विनियोग विधेयक दोनों आयेंगे उस वक्त चर्चायें होंगी। मुखबन्द का प्रयोग करके अतिरेक मांगे उसी के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। अब अतिरेक मांगों पर मुख बन्द का प्रयोग किया जाता है।

अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास का पारण

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,77,262,000/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 10-स्टाम्प के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,41,004/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 14-खजाना पेन्शन आदि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,49,248/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,40,532/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 17-जेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,87,622/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 19–सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,39,71,403/-रुपये की राशि और प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 45,38,695/-रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न संख्या यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 22 कार्यात्मक भवन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,89,064 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 36– कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,23,386 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 42–ग्राम और लघु उद्योग के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,23,07,680 रुपये तक राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 45–सिंच.ई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,20,808 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 47–नगर आयोजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,98,617 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन, राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1984

विनियोग विधेयक संख्या 6 प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान किया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक 1984 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक बात है कि मन्त्री महोदय से उत्तर दिलायेंगे दोनों ही विधेयकों पर इसलिए पहले द्वितीय वाचन है इसको भी पूरा कर लें।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। अब विनियोग संख्या 5 भी प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान विनियोग (सं. 5) विधेयक, 1984

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 5 विधेयक) 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रस्ताव कीजिये अगला प्रस्ताव इसी के सम्बन्ध में है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान)

अब पारित करने के लिये भी प्रस्ताव कर दें। दोनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव को लाने दीजिये मैं बाद में अनुमति दूंगा। ऑर्डर प्लीज---

राजस्थान विनियोग (सं. 6) एवं (संख्या 5) विधेयक, 1984 का पारण

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक 1984 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : दूसरे के संबंध में भी········

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1984 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, इस मार्च के अन्दर हमने विधान सभा के अन्दर बजट पास किया था और उस बजट के अनुसार इन्होंने किस तरह से खर्चा किया, किस काम में लिया और हम पिछले दो दिनों से यहां चर्चा सुन रहे हैं और कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरे यहां एक इंच भी सड़क नहीं बनी, कोई कह

(श्री महाराम चौधरी)

रहा है मेरे यहां एक फुट ही सड़क नहीं बनी और अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत अफसोस है कि अगले पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, अगले पैसे के सदुपयोग का कोई अता-पता नहीं है और इसका तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा तो मुझे कोई चिन्ता नहीं। मुझे तो चिन्ता इस बात की है कि इस राजस्थान के अन्दर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर और पश्चिमी राजस्थान में भी फलोदी निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर इस तरह भयंकर अकाल पड़ा है, अध्यक्ष महोदय, कि यदि किसी आदमी को असली अकाल की छाया और असली अकाल का रूप देखना है, उसकी भयंकरता देखनी है. वहां के खेतों की हालत देखनी है, वहां के किसानों का मुंह उतरा हुआ देखना है तो फलोदी में जाकर यदि कोई देखे तो वास्तव में मालुम पड़ जायेगा कि भीलवाड़ा में कितना अकाल है, डूंगरगढ़ में कितना अकाल है........

श्रीमती उजला अरोड़ा : और वहां के प्रतिनिधि का तो बोलो।

श्री महाराम चौधरी :....और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि अकाल की वास्तविक स्थिति, वास्तविक खराबी और लोगों के हालात खराब हुए हैं उसकी तो सरकार ने कतई ध्यान नहीं रखा है। सरकार ने इन पिछले दिनों या तो समारोह करने के अन्दर या आने वाले चुनावों की तैयारी करने के मामले में और उसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी कमी को भी नहीं छिपाना चाहता हूं विपक्ष के लोगों ने भी इस मामले के अन्दर भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने विपक्ष मज़बूत कैसे हो, उसमें कितनी एकता हो इस सम्बन्ध में ध्यान दिया लेकिन वहां पर पश्चिमी राजस्थान के जिले जो कि अकाल से ग्रसित हैं, उनकी हालत खराब है और उनके लिए न तो, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई अग्रिम गिरदावरी कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया और न कोई अग्रिम राहत कार्य शुरू कराये इस तरह के न तो प्रपोजल बनाये और मंत्री महोदय केवल यह कहेंगे कि हमने तो अभी तक गिरदावरी नहीं कराई है, क्या क्या काम कराने हैं, किस तरह के काम कराने हैं उस संबंध में भी इन्होंने कोई सोचा समझा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास में कोई रूपरेखा ही नहीं भेजी है।

(5.56 म.प.)

(श्री हरीसिंह, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, इस सब की भयंकरता को देखते हुए सरकार को अग्रिम गिरदावरियां कराके सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के पास अपना कोई ऐसा स्टेटमेन्ट तैयार कराकर भेजना चाहिए था। इससे इस राजस्थान सरकार को कुछ राहत मिलती और अकाल राहत के कार्य करने में सरकार को मदद मिलती, प्राकृतिक आपदा जो भगवान ने हमारे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में डाल दी है उससे हम निपटते। सभापति महोदय, अकाल की परिस्थितियों का

(श्री महाराम चौधरी)

सामना करने के लिए हमारा जो पिछला अनुभव है यह तो हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य ऐसा समझें कि यहां की भौगोलिक स्थिति, यहां की बसावट इस तरह की है कि पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है उस सब को यदि देखें तो राजस्थान के अन्दर कहीं तो रेगिस्तान है, कहीं मटियाली जमीन है,कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कही बाढ़ आने जैसी नौबत है। इस तरह की राजस्थान की बसावट है और इसके अन्दर हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं और 37 साल हो गए और इन 37 सालों में मैं यह समझता हूं कि 30 साल कोई न कोई क्षेत्र में आधे से ज्यादा गांवों में अकाल पड़ता रहा है और इस अकाल की भयंकरता को देखते हुए और हमारे इस राजस्थान के जो कर्णधार बने हुए है और अपने आप पर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने आपको प्रजातंत्र की सरकार बनाना मानते हैं उन्होंने इस तरफ कतई काम कराने की तरफ ध्यान नही दिया और सिर्फ जब अकाल चारों तरफ से हो गया या और त्राहि-त्राहि मचने लग जाती है तब पीछे मुड़कर देखते हैं कि अकाल ने चारों तरफ से घेर लिया है और यह बौखलाने लग गए, घबराने लग जाते हैं। इस तरह से कोई काम यह नहीं शुरू करा सकते है और आगे का अनुभव हमें यह बताता है कि जब कभी हमारे यहां अकाल पड़ा तो अकाल समाप्त होकर जून के एण्ड में या जुलाई की फर्स्ट वीक में यह लोग जाकर थोड़ा बहुत काम कराने की स्थिति बनाते हैं। सभापति महोदय, इस साल बहुत से गांवों की तो हालत ऐसी थी -- पिछले सालों में भी अकाल पड़े हैं लेकिन कहीं-कहीं एक बरसात हो गयी, कहीं थोड़ी बरसात हो गयी और हमारे यहां कुछ घास भी हुई और चारा भी हुआ, गायों को चरने की सुविधा भी मिली लेकिन इस साल का अकाल तो इस तरह का अकाल है कि पूरे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से लेकर सितम्बर के एण्ड तक चिड़पड़ाहट जैसा बूंदाबांदी की जैसी हालत रही। इसलिए न तो किसान अपनी बुवाई शुरू कर सके और न बुवाई की गयी और जो एकमात्र पश्चिमी राजस्थान के गावों में जो थोड़ा बहुत पीने के पानी के साधन हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह अकाल की भयंकरता है और अध्यक्ष महोदय, ने मुझे छूट दी है और अध्यक्ष महोदय ने मुझे यहां तक कहा है कि फलोदी की बात को नहीं, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन आंखों से मैं समझ गया। वहां की स्थिति की मुझे पूरी तरह जानकारी है और वहां के लोग बहुत दुखियारे हैं इसलिए उनकी बात कहे बिना मुझ से नहीं रहा जाता है। तो सभापति महोदय, मन्त्री महोदय जवाब दें तो उस समय में उनसे यह चाहता हूं कि वह किस तरह से अकाल राहत का कार्य शुरू करायेंगे, रोजगार कितने आदमियों को दिलायेंगे और सबसे भयंकर जो समस्या है वह समस्या है पीने के पानी की। इस साल तालावों में पानी नहीं आया और मैं तो कहता हूं कि आपके दूसरे

(श्री महाराम चौधरी)

डिपार्टमेन्ट्स हैं जैसे पी. एच. ई. डी. यह पीने के पानी की व्यवस्था करता है और हमेशा से व्यवस्था करने में तो कहते हैं और कागजों में भी लिखते हैं कि अभावग्रस्त और समस्याग्रस्त गांवों को हम प्राथमिकता देंगे लेकिन, सभापति महोदय, आज तक भी इन्होंने जब भी हमारे गांव अकालग्रस्त हुए, समस्याग्रस्त हुये और भयंकर से भयंकर समस्याग्रस्त रहे उन गांवों के अन्दर उन्होंने प्राथमिकता से समस्या का निवारण कुछ नहीं किया और आज हालत ऐसी हैं कि मैं मेरे क्षेत्र के कुछ गांवों को बता सकता हूं कि वहां आज पीने के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। मैंने पिछले दिनों जिलाधीश महोदय से बात की। मैंने उनको कहा कि अरे आप कुछ नहीं करो तो इनको पानी के लिए टैंकर भेजो या पी. एच. ई. डी. से सहायता दो क्योंकि लोग बैल ऊंट वगैरह थे, चारा पानी नहीं होने की वजह से आस-पास के क्षेत्र में चले गये थे, इसलिए वह अपने बैलों से या ऊंटों से पानी निकालें तो कैसे निकालें और पी. एच. ई. डी. की स्कीम हैं उनकी भी हालत ऐसी हैं, सभापति महोदय, कि हमारे क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक गांव पचास पचास किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और वहीं टूटी फूटी पेयजल की व्यवस्था की है तो वह ऐसी है कि पांच से दस प्रतिशत लोगों को आपकी पी. एच. ई. डी. की स्कीम से पानी यदि मिल जाये तो आप कहें जैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। 75 और 80 प्रतिशत जो जनसंख्या है, पचास पचास किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, न तो आपकी पी. एच. ई. डी. की स्कीम पर आ सकते हैं और न उनको पानी ही मिलता है और कहीं भूले भटके से कहीं चले भी जाते हैं तो इतने में पानी खतम हो जाता है। तो सभापति महोदय, मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि जिन एजेन्सियों से अकाल राहत कार्य कराने का विचार रखते हैं पी. डब्लू. डी. समझ लें, वन विभाग समझ लें तो कम से कम इन विभागों को आज ही सतर्क कीजिए और उनसे कहिये कि आप किस तरह के परमानेन्ट काम करवाना चाहते हैं। सभापति महोदय, वन विभाग की तो हालत यह है कि जिस साल में अच्छी बरसात होती है उन दिनों में तो यह पौधे वगैरह भेजने की करते नहीं हैं और जिस साल में बरसात नहीं होती है उस साल इन पौधों को उन गांवों के अन्दर भेजते हैं।

(6.00 सायं)

दूसरा यह भी मेरा निवेदन है कि जिन एजेन्सियों से पी. डब्ल्यू, डी, समझ लीजिये, वन विभाग समझ लीजिये, भू संरक्षण समझ लीजिये, जिस किसी भी एजेन्सी में काम कराने चाहते हैं तो अकाल राहत से जो सहायता मिलती है उसकी तरफ उनका कोई लगाव नहीं है। कतई शर्म नहीं आती है कि अकाल राहत कार्यों के निमित जो पैसा आता है उस पैसे का दुरुपयोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और उसमें भी शर्म कतई महसूस नहीं करते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है इसके अन्दर सरकार को सचेत होकर एडवांस में प्रोग्राम बनाना चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभी

(श्री महाराम चौधरी)

तो गिरदावरी शुरू नहीं हुई है इनको मालूम भी नहीं है राजस्थान के अन्दर कौन से जिलें में कितने गांव अकाल से प्रभावित हैं और अकाल कितना भयंकर है। एक और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान की बसावट और आपके बीकानेर, डूंगरगढ़, भरतपुर जैसे क्षेत्र में बहुत फर्क है। हमारे यहां गांव बहुत दूर दूर तक बसे हुए हैं और आपके यहां अकाल और हमारे यहां अकाल में रात दिन का फर्क है। इसलिये आपके इलाके में स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी भयंकर स्थिति हमारे यहां है। हमारे क्षेत्र में जैसलमेर बाड़मेर नागौर, वहां इस चीज को जिस तरह अकाल घोषित कराने के लिये प्रयत्न करते हैं उसी तरह से दूसरा पश्चिमी राजस्थान के गांवों के लिये कराने के लिये। यह कोई "कम्पीटीशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई शफाखाना नहीं है कोई स्कूल नहीं है अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खुलवाने की कोशिश करें। इसलिये जो गांव वास्तव में अकाल ग्रस्त नहीं हैं जिन पर अकाल की भयंकर छाया नहीं है वहां के लोगों को इतनी दिक्कत नहीं है। उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित कराने की कोशिश मत करिये। जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान के जो गांव हैं उन गांवों के अन्दर भयंकरता है उसको देखकर उन गांवों में अकाल राहत कार्य करायें। सभापति महोदय, पिछले सालों के अन्दर........

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : लास्ट में। पिछले सालों के अन्दर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर, जैसलमेर के अन्दर कार्य हुए। उन कार्यों में, मैं समझता हूं कलेक्टर से वहां से मालूम करिये, लाखों रुपया भू-संरक्षण का जोधपुर में खा गये और उसका काम नहीं किया। सभापति महोदय, अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अकाल सहायता के अन्दर जो काम कराये जायं उन कामों को महत्व दिया जाये जो काम बहुत ही महत्व के हैं जैसे नाडी हैं, तालाब हैं, हमारे कांकड़ नाडिया है, हल नाडिया हैं। सभापति महोदय, हल नाडिया, कांकड़ नाडिया का इधर इतना महत्व नहीं समझते, इसलिये मैं बताना चाहता हूं हम कांकड़ नाडिया उसको कहते हैं जंगल के अन्दर एक नदी है उस नदी में पांच छः महीने पानी रहता है और आसपास के जानवर पानी पीते हैं 6 महीने के लिये वह उपयोगी होता है, हल नाडिया उस को कहते हैं जब खेत के अन्दर बुवाई करते हैं उस वक्त बैलों को पानी पिलाने के लिये उस नाडे से पानी पिलाते हैं जिससे बैलों को दूर ले जाकर पानी नहीं पिलाना पड़ता और हल जुताई के अन्दर देरी न हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रैडीशनल पूर्वजों के बनाये हुए तालाबों की मरम्मत नहीं करायेंगे तो न तो जल स्तर ऊँचा आयेगा और न पानी की सुविधा होगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पूर्वजों की परम्परा से जो तालाब बने हुए हैं, नाडिया बनी हुई हैं उनकी मरम्मत करवा दें तो बड़ा भारी अहसान होगा, वे मानेंगे इन तालाबों की

(श्री महाराम चौधरी)

मरम्मत हो गई, इससे हमारे को सुविधा होगी। जमीन का जल स्तर बढ़ेगा और आपको लाख लाख दुआयें देंगे। सभापति महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की भीषणता को महसूस करते हुए सरकार का परम कर्त्तव्य है कि अकाल सहायता के काम तुरन्त शुरू कराये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : राजस्थान में भयंकर अकाल है। इस पक्ष वालों को बोलने दीजिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपको अवसर दूंगा। कृपया बातें नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति बनी हुई है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। अब सवाल यह उठता है जब अकाल की स्थिति बन गई है तो उसके लिये राज्य सरकार कितनी चिन्तित है इस क्षेत्र के लोगों के लिये, उस क्षेत्र को पैसा देने के लिये? सभापति महोदय, जैसा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे अभी तो गिरदावरी रिपोर्ट आपके पास पहुंची नहीं है, उसका प्रयास कर रहे हैं कि समय पर आपके पास गिरदावरी की रिपोर्ट पहुंच जाये। इन बातों का मंत्री महोदय, उत्तर देंगे तो उसके अन्दर कहेंगे अभी तक तो गिरदावरी रिपोर्ट मिली नहीं है। गिरदावरी रिपोर्ट आयेगी उसके बाद हम विचार करके निर्णय लेंगे तब तक हमारे दो तीन महीने निकाल देंगे और दो तीन महीने अकाल की स्थिति में निकले तो हमारे लिये जीना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये जैसा पूर्व में होता था पहले उसके लिये सर्वेक्षण करा लीजिये उसका आपको पता लग जायेगा। कहां कहां किस पाकेट के अन्दर कितना अकाल की स्थिति बनी हुई है। अगर आप उसी क्रम से चले जैसे पूर्व में करते आ रहे हैं गिरदावरी रिपोर्ट आयेगी उसके बाद उस पर आप विचार करेंगे फिर निर्णय लेंगे तो उस क्षेत्र के साथ बड़ा अन्याय होगा और जो राज्य सरकार चाहती है कि अकाल के क्षेत्र के लोगों को हम बचायें, उनको कुछ मजदूरी दें, पानी की व्यवस्था करें, घास चारे की व्यवस्था करें। अगर समय पर व्यवस्था नहीं होगी तो जो भी मदद करना चाहते हैं उससे भी फायदा होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन हमारे लिये पानी की समस्या है जो रेन फाल का पर्सेन्टेज है पश्चिमी राजस्थान का उससे एक चौथाई वर्षा हुई नहीं है। मैं मेरे जिले बीकानेर के लिये बात करूंगा, सभापति महोदय, कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां इस वर्ष एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। अब आप सोचिये और कोई साधन नहीं, कूए हैं जिनके अन्दर बिल्कुल खारा जहर पानी है, आदमी वह पानी पी नहीं सकता। उनके जो ट्रेडीशनल सोर्स हैं कुण्ड उनके अन्दर पानी है नहीं, तालावों के अन्दर पानी एक बूंद आया नहीं और पानी जब गांव के अन्दर

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं होगा तो गांव के निवासी कैसे बस पायेंगे। सभापति महोदय, पानी के लिये जैसे ही हम जिलाधीश या राज्य सरकार से कहते हैं कि पानी की आप व्यवस्था कीजिये, तब यह कहते हैं जैसे मन्जूरी मिलेगी, फेमिन डिक्लेयर होगा तब हम व्यवस्था करेंगे। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं पानी एक आवश्यक दैनिक आवश्यकता है। पानी के बगैर कोई रह नहीं सकता यह कभी विचार नहीं किया गया है। अब उन टिब्बों-वाले, क्षेत्र में जहां कोई पक्की सड़क वगैरा नहीं है जहां और कोई साधन नहीं है, वहां के स्थानीय लोग कहीं से पानी ला नहीं सकते हैं, 50,50 मील तक कोई पानी का स्त्रोत नहीं है। अगर आपके पास 78 टैंकर्स हैं तो वे सिविल हैं। दूसरा अगर चार बाई चार के टैंकर्स हैं तो वे भी आपके खराब रहते हैं, रिपेयर होती नहीं है। हमें यही कहा जाता है कि राज्य सरकार को लिखा है इसकी रिपेयर हो जायेगी और रिपेयर हो जाने के बाद शीघ्र पेयजल की व्यवस्था कर देंगे। सभापति महोदय, कभी भी हमारे यहां सुचारु रूप से पेयजल की व्यवस्था नहीं होती। तो राज्य सरकार से मेरा यही कहना है आपके माध्यम से कि पानी के लिये आप चार बाई चार के टैंकर्स बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों के लिये व्यवस्था करें ताकि वहां पूर्णरूप से पानी की व्यवस्था हो सके। हमारी कोलायत तहसील के अन्दर दो हजार विस्थापित परिवार पहुंच गये हैं उनके लिये कहीं भी कोई पानी का साधन नहीं है। उनको टिबों में अलाटमेंट तो कर दिया, जगह बता दी, अब न तो पीछे से कुछ लाये हैं, न साधन है, न कुआं है, न कुंड है, वे किस प्रकार से पानी कहां से लायेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिये उनको आपने अलाटमेंट कर दिया। दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकते। जगह छोड़ नहीं सकते। इन दो हजार विस्थापितों के लिए भी व्यवस्था कीजिए। पुनर्वास विभाग की मदद लेनी हो तो उनसे आप मदद लीजिए परन्तु उनके लिए शीघ्र व्यवस्था करें।

दूसरा मैं सुझाव देना चाहता हूं कि फेमिन के अन्दर आपने जो तालावों की तलैयों की खुदाई होती थी उसको आपने डिस्करैज किया है। पूर्व में यह होता था कि जो भी हमारे पुराने तालाब हैं बड़े बड़े वह वहां के स्थानीय लोगों ने खोद कर तैयार किए। अब आपको मिट्टी निकलवानी है थोड़ी बहुत। वह जो हमारा ट्रेडीशनल सोर्स है उसको आप खत्म किए जा रहे हैं। वह मिट्टी से भरे जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटि खत्म होती जा रही है। उनके लिए आप कृपया यह कर दें तो उसके बाद में उनको टैंकर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर साल खर्चा कराते हैं उसकी बचत होगी और हमें कम से कम यह तसल्ली हो जाएगी कि हमारे पास जो भी तालाब हैं उनकी केपेसिटि किसी की चार महीने, किसी की छः महीने की, किसी की आठ महीने है, वह भरे रहेंगे। कहीं माइग्रेट करना नहीं पड़ेगा, जगह छोड़नी नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, बारिश नहीं होने से आज बीकानेर जिले में घास चारे की बहुत

(श्री देवीसिंह भाटी)

बड़ी समस्या खड़ी हुई है । दूसरी जगह भी कहीं बारिश हुई नहीं है, नजदीक में कहां अपने पशुओं को ले जावें । सभापति महोदय, एक तरफ जैसा हमारा रास्ता था कि फैमिन की स्थिति में हम अपना पशु धन पंजाब की ओर से ले जाते थे । अब पंजाब में इस प्रकार की आतंकवादी स्थिति है कि वहां लोगों ने जाना कतई पसन्द नहीं किया । पहले ही उनको सामने दिखाई देता है कि हो सकता है कि किसी को भी उस आतंकवाद के चपेट में आकर पशुधन के पीछे अपनी जान नहीं देनी पड़े । इसलिए इस वर्ष एक भी पशु-पालक अपना पशुधन लेकर पंजाब की ओर नहीं गया । तो पंजाब की ओर नहीं जाने से उन्हें वहीं रहना पड़ रहा है और घास चारा कुछ है नहीं । दूसरी तरफ आपके वन विभाग ने जो भी पाश्चर डवलप कर रखे हैं, वह भी नवम्बर से पहले उनको खोलते नहीं और वह भी जाकर फरवरी में बन्द कर देते हैं । उसके अन्दर दिक्कत यह आती है कि आज बारिश तो है नहीं, उसके पोकेट में वह पाश्चर हैं, उनकी फेंसिंग की हुई है । वहां भी घास नहीं है । तो घास के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, आप घास कहां से लायेंगे, क्योंकि मैंने जानकारी की है, आपके पास कहीं भी स्टाक है नहीं । इसके लिए, आप सोचिये कि घास कहां से मंगायेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे और कैसे पशु-धन बचायेंगे ? उसके लिए अभी से सोच कर निर्णय कीजिए और कहीं से, चाहे पंजाब से लाना पड़े या अन्य कहीं से लाना पड़े, घास चारे के डिपो की अभी से व्यवस्था कीजिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं बोलूंगा थोड़ा । बीकानेर जिला पूरे के बारे में कहूंगा । सभापति महोदय, तो यही मेरा निवेदन है कि कोलायत तहसील का जो सीमा क्षेत्र में जहां कि घास काफी है परन्तु वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, परन्तु जो भी घास है हम अपने तरीके से पानी ले जाते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं । चाहे ऊंट गाड़ी से ले जावें परन्तु सीमा क्षेत्र के अन्दर मंत्री महोदय वहां घास को बाहर के लोग आकर काट रहे हैं । राजस्व क्षेत्र है, राजकीय भूमि है उसके अन्दर जो सेवन घास खड़ी हुई है सीमा क्षेत्र में काट काट कर ले जा रहे हैं । उनको कृपया रुकवाने की कोशिश करें, और उसके लिए आप आदेश दिलवायें ।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि उस क्षेत्र के अन्दर जैसा कि मैंने पूर्व में कहा बारिश है नहीं । खेतों में इस दफे खरीफ की फ़सल एक परसेंट भी नहीं हुई । खेतों में कुछ हो नहीं रहा है । पशुओं का उन्हें खर्चा चलाना पड़ता है और जो गरीब हैं बिल्कुल जिन के पास एक पशु भी नहीं है, उसके लिए मजदूरी के अलावा और कोई अन्य साधन नहीं है । तो जब तक आप फैमिन डिक्लेयर नहीं करेंगे, फैमिन रिलीफ वर्क आप चालू नहीं करवायेंगे तो उनका भी जीवन यापन होना बड़ा मुश्किल है । उनके लिए कहीं जाने की जगह नहीं है । इसलिए कम से कम वह दूसरी जगह भटकें नहीं, भूखे नहीं मरें इसके लिए शीघ्र आप फैमिन डिक्लेयर कीजिए और उनको मजदूरी के लिए साधन दीजिए । अब मजदूरी के लिए आप अपनी एजेंसी के अ,

(श्री देवीसिंह भाटी)

पी. डब्ल्यू. डी. से आप काम चालू करवाते हैं। अब हमारे जो दूर दराज के गांव हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां कि पक्की सड़कें नहीं हैं, आने जाने के साधन नहीं हैं, सभापति महोदय, हम लगातार इन पिछले दो तीन सालों से देख रहे हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. वाले कतई वहां इंट्रेस्ट नहीं लेते। नजदीक नजदीक जहां भी सड़क की साइट है वहां तो काम चालू करवा देते हैं और दूर दराज के काम मंजूर हुए हैं उसके उपरान्त भी काम चालू करवाते नहीं हैं। और उसके लिए बहाना ले लेते हैं कि मजदूर मिलते नहीं। मजदूर आते नहीं हैं। जब आप काम चालू करवायेंगे, फैमिन की स्थिति है तो मजदूर क्यों नहीं आयेंगे। इसलिए आप पी. डब्ल्यू. डी. के अण्डर में ही अलग से एक फैमिन का सेल खोलिये जो सिर्फ यही कार्य करवायेगा। क्योंकि वह जो अपना काम विभाग का करते हैं उसके साथ ही आप फैमिन का भी काम उन्हीं को दे देते हैं जिससे वह कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके लिए भी आप सोचें।

दूसरा मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से मंत्री महोदय को राजस्थान नहर के अन्दर सेकिंड स्टेज में जैसा कि सन् 82 के अन्दर आपने किया था कि नहरी क्षेत्र के अन्दर आपने यह कह दिया कि वहां रिलीफ वर्क नहीं खुलेंगे क्योंकि यह तो केनाल एरिया है। जब कि मेरे पास प्रश्नों के उत्तर आये पड़े हैं और मौके पर भी आप देखिये, वहां एक चैनल निकाल दी है, जैसे मैन केनाल है राजस्थान की या किसी एक ब्रांच के अन्दर पानी गया हुआ है। बाकी कहीं भी आस पास कोई इर्रीगेशन नहीं हो रहा है। इर्रीगेशन जहां हो रहा है वहां आप रिलीफ वर्क नहीं खोलें परन्तु जहां इर्रीगेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक नहरी क्षेत्र क्योंकि इर्रीगेशन वालों ने उसको कमाण्ड घोषित कर दिया। अपनी तरफ से परन्तु मौके पर पानी नहीं लग रहा है। इसलिए आप सोचें। उस वक्त भी हमने कहा था, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने भी कहा था तब उस वक्त फैमिन मिनिस्टर श्री प्रभाकरजी थे, उन्होंने इस बात को माना था। स्पीकर साहब ने उनको सलाह दी जब जाकर लेटर स्टेज पर आपने उसको घोषित किया और वहां वर्क चालू करवाये। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां सिंचाई नहीं होती हो, सिर्फ नहरी क्षेत्र मान कर आप यह फैमिन रिलीफ वर्क नहीं खोलें यह बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी आप सोचें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जब तक आप फैमिन डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वसूलियां आपकी चालू रहेंगी। एक तरफ तो उसके पास खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं, घास चारा नहीं और दूसरी तरफ आप पिछले सालों की वसूलियां एक साथ लेना चाहते हैं। जैसा कि कल चर्चा हो रही थी कि आपके सहकारी विभाग वाले जा जा कर जबरदस्ती उनसे वसूलियां कर रहे हैं। और भी वसूलियां एक साथ वसूल करना चाहते हैं। वसूली हो नहीं सकती तो बगैर मतलब की यह जिद मत करो। आप कम से

(श्री देवीसिंह भाटी)

कम यह तो यहां विधान सभा के फ्लोर पर आप घोषणा कर ही दीजिए कि जब तक हमारे पास गिरदावरियों की रिपोर्ट आती है, फैमिन के लिए डिक्लेरेशन करेंगे उस समय तक वसूलियां स्थगित रखी जायेंगी। तो जब तक आप वसूलियां स्थगित नहीं करोगे, वसूली तो आपकी होनी नहीं है परन्तु यह जरूर हो जाएगा कि आपकी भागा दौड़ी रहेगी और उधर वसूली का एक पैसा भी आपको आना नहीं है।

दूसरा मेरा एक निवेदन है, सभापति महोदय, कि हमारे क्षेत्र में डेयरी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज भी बीकानेर के अन्दर सवा दो लाख, ढाई लाख लीटर दूध रोजना संकलित होता है। और डेयरी का कार्य होने से आज वहां हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। पशुपालकों की भी स्थिति सुधरी है जहां-जहां दूध आता है, दूध के केन्द्र हैं। परन्तु आज जो गायें वहां खड़ी हैं, घास चारा है नहीं, सूखा है पिछले साल का है, परन्तु उसके साथ आप बीज के ऊपर जो सब्सीडी देते हैं कम से कम उसकी घोषणा कीजिए। जो अगर सस्ता बीज उन्हें मिलेगा तो निश्चित तौर से वह गायें भी बच जायेंगी और दूध भी बराबर आता रहेगा, पशुपालकों को भी फायदा हो जाएगा। अगर आप यह सब्सीडी शीघ्र नहीं देंगे तो निश्चित तोर पर यह राठी नस्ल की गायें खत्म हो जानी हैं। क्योंकि मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि हमें माइग्रेट करने के लिए कोई जगह है नहीं। पंजाब में हम जा नहीं सकते और अन्य कोई साधन है नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि डेयरी के लिए भी आप शीघ्र सब्सीडी देने की घोषणा करें।

आखिर में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां बारिश नहीं हुई है और आप पेय जल के लिए, कुओं की पिवाई के लिए जो अनुदान देते हैं, पिवाई चालू करवाते हैं उसके अन्दर हमारे क्षेत्र के अन्दर कम गहरे कुए हैं, आपने शायद सीमा बांध रखी है कि सौ फिट से कम गहरे कुएं हों तो उसके अन्दर पिवाई मंजूर नहीं की जाएगी। जब कि उस क्षेत्र के अन्दर जो कि बेरे कहलाते हैं और बहुत ऊंचा पानी है सिर्फ वही आते हैं। ज्यादा गहरे कुए वहां हैं नहीं। इसलिए आप वहां से, जिला प्रशासन से रिपोर्ट लेकर ऐसे जो पोकेट्स हैं उनके अन्दर भी आप पिवाई के लिए जिद्द नहीं करें और उसके लिए मन्जूरी के आदेश दें और विचार करें। आखिर में, सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि अकाल की बड़ी विकट स्थिति है और उसके लिए सरकार कोई गिरदावरी का या अन्य कोई बहाना नहीं ढूंढे और शीघ्रातिशीघ्र जैसे भी हो आप इस महीने में घोषणा कीजिए, काम चालू करवाइए, पानी की व्यवस्था कीजिए वर्ना यह क्षेत्र उजड़ जाना है पशुधन जो तैयार हुआ है हमारे राज्य में राठी गायें, भेड़ें, बकरी, ऊंट हैं इन सब की हालत यह हो जानी है कि आज जो संख्या बढ़ी है, 77 में जो सेंसस हुआ फिर 82 में हुआ जो दूनी हो गयी वह अगर आपने समय पर व्यवस्था नहीं की तो यह आधी भी नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

रहेगी इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र फेमिन की घोषणा करें।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जिन्होंने मेहनत की, जो बोलना चाह रहे थे, जिन्होंने दिया है जिन्होंने मेहनत की है उनको अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : आपको अवसर देंगे। आपके बाद में अवसर देंगे आपको।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर विशेषकर पश्चिम राजस्थान में इस साल भयंकर जो अकाल की स्थिति पैदा हो गई है उससे निपटने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान में अकाल के कारण आज लोगों को मजदूरी का कोई साधन नहीं है और पशुओं के लिये चारे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात तो है ही लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण बात जो है वह पीने के पानी की है। सभापति महोदय, अगर आदमी को वहां पर मजदूरी नहीं मिले तो मजबूरी के लिए बाहर जाने की कोशिश करेगा परिवार में से एक आध आदमी जिस परिवार में ज्यादा सदस्य है, जा भी सकता है लेकिन मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं होगी तो मवेशी मर जायेगी या मवेशी को लेकर बाहर इधर उधर कहीं जा सकता है लेकिन पीने के पानी का मामला मैं समझता हूं सबसे गंभीर मामला है सरकार को इस अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए सबसे पहले पीने के पानी की तरफ ध्यान देना जरूरी है। उसके लिये विशेष व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। अभी आज के दिन बाड़मेर जिले में स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि इस साल जिन-जिन गांवों में बारिश बिल्कुल नहीं हुई या बहुत मामूली हुई उनमें पीने का पानी आज भी कही उपलब्ध नहीं है। जहां 1–2 बार बारिश हो जाती है वहां जो टांके होते हैं उनमें पानी आ जाने से कुछ महीने पीने के काम में लेते हैं लेकिन जिन गांवों में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई या बहुत मामूली हुई वहां के टांके इस साल खाली पड़े हैं और आज के दिन स्थिति यह है कि एक लोटा पानी पीने को अगर जरूरत पड़े तो नहीं मिल रहा है। मैं थोड़े दिन पहले गांवों का दौरा करने गया था तो वहां पर मुझे भी गांवों में पीने के लिए पानी नहीं मिला यह बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि इन गांवों में मीठे पानी का कोई कुआ नहीं है, जो कुएं हैं वे खारे पानी के हैं, हमारे पास गाड़ी थी इसलिए हमें तो दूसरे गांव में 15–20 कि.मी. दूर पानी मिल गया लेकिन उस गांव में यही स्थिति है जैसा अभी माननीय सदस्य इस बात को मान नहीं रहे हैं इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वे वहां पर पधारें। एक बार उस इलाके का दौरा करें। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, उनके पीने के पानी की व्यवस्था मैं करूंगा, वे चिन्ता न करें कि हम को पानी नहीं मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद : आपकी ही व्यवस्था नहीं हुई आप क्या करेंगे। वैसे वहां यही स्थिति है।

श्री हेमाराम चौधरी : तो जब ऐसी स्थिति है तो इसके लिये हम को समय रहते कदम उठाने की जरूरत है। यदि इस समय कदम नहीं उठाये गये तो आने वाले समय में न जाने क्या स्थिति पैदा होगी। मैं बहुत पहले ही यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने समय रहते पीने के पानी के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की तो लोग पानी के अभाव में प्यासे मर जाएंगें, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांवों में खारा पानी के कूवे भी सूख गये हैं उनमें भी पानी बहुत कम मिल रहा है। नहीं तो लोग खारे पानी पीकर के जीते। थोड़ा बहुत खारा उसमें मीठा जो उपलब्ध होता या उसको मिलाकर अपना काम चलाते थे लेकिन कई गांव के अन्दर जो खारे पानी के कुए थे वे भी सूख गये हैं उनमें भी पानी नहीं मिल रहा है इसलिए, सभापति महोदय, सभी गांवों में यह स्थिति नहीं है कई गांवों में समस्या नहीं है लेकिन कई गांवों में विकट स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करें। लेकिन उन गांवों में जिनमें वास्तव में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है, इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है या नहीं यह आप सरकारी एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट मांग सकते हैं और वास्तव में ऐसी स्थिति है तो उन गांवों में बहुत जल्दी टैंकर्स के जरिये पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। खास कर के पिछले अकालों में टैंकर्स से पानी की व्यवस्था की गई थी लेकिन वह व्यवस्था पूरी तरह हो नहीं पाती है। एक मनुष्य को पीने के पानी की जितनी जरूरत होती है उससे बहुत कम मात्रा में पानी उनको मिल पाता है और वह भी सभी लोगों को नहीं मिल पाता है इसलिये उन से पूरी व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिन गांवों में अकाल है पीने का पानी नहीं है उन गांवों के लिये जो पेय जल की जो योजनाएं हैं और भारत सरकार ने उन योजनाओं को मंजूरी दे रखी है ए. आर. पी. में स्वीकृत है उन योजनाओं को इस साल प्राथमिकता से हाथ में लिया जाय और किसी भी तरीके से उन योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करवा दें तो एक तो अकाल के समय में पीने के पानी की समस्या हल होगी और एक हमेशा के लिये यह समस्या हल हो जावेगी। इसलिये, सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में पंचायत समिति सिणधरी है उस के जो गांव हैं वहां बिल्कुल ही खारे पानी के कुएँ थे वे भी सूख गये हैं और उन सभी गांवों का मैं नाम लूं तो समय लगेगा लेकिन वहां पर पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में कहीं पर पीने के पानी का स्रोत नहीं है। दूसरी जगह से पीने का पानी लाना पड़ेगा उसके लिये बहुत लंबी पाइप लाइन की आवश्यकता होती है। तो सभापति महोदय, अभी जो गांव हैं जहां से पीने के पानी के लिये जाते है उसमें विभाग की कोशिश रहती है कि जिस गांव में मीठे पानी का स्रोत है वहां कुआं बना दिया जाय या मौजूदा कुएं पर मशीन या बिजली लगा कर गांव को पानी उपलब्ध करवा दिया

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाय । मेरा निवेदन यह है कि जिस गांव में मीठे पानी का स्रोत है । वहां तो ज्यादा समस्या नहीं है । तो सबसे ज्यादा....

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक) : वास्तव में आप के क्षेत्र में पानी की समस्या बड़ी जटिल और कठिन है । स्रोत मिलता ही नहीं है । फिर लावें कहां से ? राजस्थान केनाल से ही एक मात्र इसका समाधान है । जहां जहां ट्यूब वैल खोदते हैं, उनमें पानी बहुत कम निकलता है या निकलता है तो साल भर बाद ओवरड्राफिटंग हो जाता है । यह प्राबलम बाड़मेर में सारे इलाके में नहीं है लेकिन उस इलाके में है जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपका सुझाव बिल्कुल सही है । इसके लिये राजस्थान नहर को बाड़मेर के एन्ड तक ले जाना चाहिये परंतु सिर्फ पेयजल के लिये, सिंचाई के लिये यह क्षेत्र कतई कामयाब नही है । बीकानेर जिले से लेकर बाड़मेर तक ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो पेयजल की ही बात कर रहा हूं क्योंकि आप तो राजस्थान की मुख्य नहर है उसको ही पेयजल में इस्तेमाल करते हैं । मैं तो केवल पेयजल की बात कर रहा हूं । सिंचाई की बात नहीं कर रहा हूं । पेयजल को जब तक केनाल से नहीं लायेंगे तब तक इनके क्षेत्र में स्थाई समाधान होना पासिबल नहीं लगता ।

श्री महाराम चौधरी : राजस्थान केनाल से....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य विराजें ।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था........

श्री परसराम मदेरणा : यहां कोई भी योजना पेयजल की, उसमें श्रमिक आपके आ जायेंगे आपके निर्वाचन क्षेत्र से....नागौर नहीं मैं बाड़मेर का प्रारम्भ कर दूं, फलोदी का प्रारम्भ कर दूं, क्या वहां पर आप श्रमिक जुटा पायेंगे ?....

श्री महाराम चौधरी : फलोदी के लिये, बाड़मेर के लिये मैं नहीं कह सकता हूं । जितनी मेरी क्षमता होगी फलोदी, नागौर के लिये पीने के पानी की समस्या निवारण के लिये यदि आप राजस्थान कैनाल से पानी लाते हैं तो उसमें जो शारीरिक मेहनत लगेगी जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हम मुफ्त में मजदूरी करने के लिये तैयार हैं........

श्री परसराम मदेरणा : नागौर का मामल सरकार के विचाराधीन है ।........

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मदेरणा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पीने के पानी के लिये आप अलग से नहर लाओ तो हम चाहे जो बजट आपका पास कर देंगे । मेहरबानी करके आप अपने कर

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

कमलों से यह कर जाओ। राजस्थान के लिये बहुत जरूरी है। हम लोग प्यासे मर रहे हैं। सदियों से खारा पानी पी रहे हैं। भगवान की कृपा से यह विभाग आपके पास है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई योग्य व्यक्ति हम को मिलेगा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : विभाग मेरे पास है। भगवान की कृपा से आप चाहे जितना बजट देने को तैयार हैं·······

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): हां तैयार हैं।·······

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। बजट नहीं मिल सकता। बजट की कुछ सीमाएं होती हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो चर्चा की है, उसमें क्या डिवोल्यूशन होता है, कितने फण्डस् आते हैं, क्या प्लान बनता है·······ऐसे ही थोड़े कर सकते हैं·······

श्री महाराम चौधरी : अन्य विकास का पैसा इस में लगा दीजिये।····

श्री सभापति : कृपया विराजें। श्री हेमाराम।····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडित जी कह रहे हैं जाते जाते कर जाओ। फिर मौका नहीं मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जाते जाते इसलिये नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि शायद ये····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : लोक सभा में चले जाओगे····

श्री परसराम मदेरणा : लोकसभा में कुछ भेजने वाले हैं और कुछ लोकसभा से बाहर रखने वाले हैं। परन्तु यह सब जनता के ऊपर निर्भर है। पार्टी क्या सोचती है वह मेरा क्या उपयोग करेगी यह पार्टी पर है। परन्तु मैं एक बात निवेदन कर दूं कि अभी तक आर. सी. पी. का जो खर्चा हुआ है। शायद मेरे ख्याल से 600 करोड़ या 525 करोड़ रुपया है। पांच लिफ्ट योजनाएं हैं। मैंने एक सर्किल आफिसर लगा कर सर्वे कराया है साल भर से वह सर्किल आफिसर सर्वे कर रहा है इसका जो एस्टीमेट आया है वह कुल मिला कर 3300 करोड़ रुपया होता है। इसका मतलब है राजस्थान नहर इससे कि आज जो खर्चा हुआ है या हो रहा राजस्थान कैनाल का एस्टीमेट 1000 करोड़ का है उससे थ्री टाइम्स ज्यादा खर्चा हो गया। इसलिये आप क्या पास करोगे। जो आगे की योजना है सातवीं पंचवर्षीय योजना उस पूरी योजना का आउट ले है उससे भी यह ज्यादा है। तीन टाइम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या हैण्ड पम्प का कह रहे हैं।····

श्री परसराम मदेरणा : हैण्ड पम्प के बारे में तो आप फास्ट मास्टर हैं। यह तो लिफ्ट से ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने की बात कह रहा हूं।····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट इर्रीगेशन के बारे में आप सब लोगों में भ्रान्ति पैदा कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार लिफ्ट इर्रीगेशन कर रही है, लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था कर रही है। वह बात यूं ही है।

श्री परसराम मदेरणा : वह लिफ्ट इर्रीगेशन सिंचाई के लिये जो क्षेत्र बिल्कुल नजदीक हैं आप जानते हैं। रिपोर्ट आपके पास थी। आपने 500 करोड़ रुपया रिजर्व रखा था ड्रिंकिंग वाटर के लिये परन्तु लिफ्ट पर आपने पोत फेर दिया। वह लिफ्ट इर्रीगेशन सिंचाई के लिये अलग में है। मैं लिफ्ट ड्रिंकिंग वाटर के लिये कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका एस्टीमेट तीन हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है।

श्री परसराम मदेरणा : यह एस्टीमेट है। तीन हजार करोड़ से ज्यादा या कम भी होगा। चूंकि बजट की बात कह रहे हैं। आप तीन हजार करोड़ का आंकड़ा देखकर यह कहेंगे कि ख्वाब के अन्दर हैं और इस पर ध्यान नहीं देना चाहिये यह बात नहीं है। वह तो एस्टीमेट है तो है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एस्टीमेट तीन हजार करोड़ का है लेकिन इर्रीगेशन के ऊपर ड्रिन्किंग परपज के लिये जो सर्वे कराया है उस पर तीन हजार करोड़ का खर्च होगा। आपका जो प्लान है पांच साल का वह तीन हजार करोड़ का होना नहीं चाहिये इसलिये लिफ्ट इर्रीगेशन की बात आप अब तक हवा में ही कर रहे हैं। यह हवा में है वास्तविकता में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी हवा फैलायी है मैंने।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कि लिफ्ट इर्रीगेशन जनता शासन ने बंद कर दिया और हमने मन्जूर कर दी।....

श्री परसराम मदेरणा : पांच लिफ्ट की स्वीकृति दी गई है। 4-5 नवम्बर को इसका उद्घाटन होने वाला है। प्रावधान भी कर दिया है। वह प्रारंभ होने वाली है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इलेक्शन के पहले आप उद्घाटन करोगे। पैसा नहीं है यह भी सही है। आप पत्थर भी लगाओगे........

श्री परसराम मदेरणा : आपको यह पता होना चाहिये कि पीने के पानी की एक योजना जोधपुर शहर और इन रूट विलेजेज को पानी मिलेगा इसका तो 31 मार्च को शिलान्यास हो चुका है और काम भी प्रारम्भ हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिलान्यास तो आप पहले भी कर गये थे और पत्थर भी पड़े हैं।........

श्री परसराम मदेरणा : पहले तो सब पत्थर आप डाले थे।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक आप कोई दूसरा इन्तजाम नहीं कर पाते हैं तब तक आप आर्टिफिशल रेन कराइये। आप इसको ट्राई

(श्री देवीदत्त तिवाड़ी)

नहीं करते हैं। बाड़मेर जिले में कम से कम तीन, चार महीने तक कच्चे बादल निकलते हैं। इनके ऊपर ठण्डी चीज फेंक कर अच्छी वर्षा आप करा सकते हैं। इससे कुछ समय के लिये आप बच सकते हैं। तब तक दूसरी व्यवस्था करियेगा। आप इसके लिए इनाम भी नहीं निकालते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर, आपने तो भाषण शुरू कर दिया है। श्री हेमाराम अपना भाषण शुरू करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : यह सुझाव आप पहले दे चुके हैं। कृत्रिम वर्षा का सुझाव आपने दिया है। मैंने विभाग के वैज्ञानिकों को परामर्श दिया है कि यह सुझाव अच्छा है। इस तकनीक को मालूम करना चाहिये। विज्ञान की खोज का इस्तेमाल बाड़मेर में हो जाये तो बहुत बढ़िया है।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये आप एक ऐसा इनाम निकालिये कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको एक लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा तो कोई व्यक्ति यह प्रयास कर सकता है। गुजरात प्राविन्स ने आर्टिफिशियल रेन्स करवायी है, यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायत समिति सिणदरी के गांव जिनमें पीने का पानी नहीं है, मंत्री महोदय बता रहे थे कि राजस्थान नहर से ही इसका स्थायी हल हो सकता है। सभापति महोदय, इसमें बहुत समय लगेगा। इसके लिये मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों के लिये भारत सरकार ने ए. आर. पी. के अन्तर्गत योजनाओं की मन्जूरी दे दी है और उस काम को यदि चालू किया जाये तो उन गांवों में पीने के पानी का समाधान हो सकता है। लेकिन सभापति महोदय, इन योजनाओं को ए. आर. पी में स्वीकृति होने के बाद दुबारा एक टेक्नीकल सेंक्शन की आवश्यकता पड़ती है और वह टेक्निकल सेंक्शन प्राप्त करने के पूर्व उसकी फिर से दुबारा योजना बनानी पड़ती है और दुबारा सर्वे करना पड़ता है। इस तरह से इसकी दुबारा योजना बनाना और टेक्नीकल सेंक्शन लेना इसमें विभाग अपना सारा समय लगा देता है और साल भर बिता देता है। साल भर बिता देगा तो जो योजना मन्जूर हुई उसका जो लाभ जल्दी मिल सकता है वह नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, इसलिये मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो ए. आर. पी. की पंचायत समिति सिणदरी की योजना है, बिगेउरा और दूसरा जोगासरा गांव है। ये दोनों पंचायत समिति से बाहर हैं लेकिन इन सोर्सेज से....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : इन दोनों स्रोतों से पंचायत समिति सिणदरी के बहुत से

(श्री हेमाराम चौधरी)

गांवों में जिनमें पीने का पानी नहीं है, योजना बन चुकी है। भारत सरकार से मन्जूर हो चुकी है लेकिन तकनीकी स्वीकृति या दुबारा योजना बनाने के अभाव में काम रुका हुआ पड़ा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन योजनाओं को प्राथमिकता दें। मैं जब से विधायक बना हूं तब से मैंने इन योजनाओं की हमेशा पैरवी की है लेकिन यह योजनाएं जहां थीं वहां की वहां ठप्प पड़ी हैं। जिन गांवों में कुओं पर बिजली लग गई है और उसमें मशीन लग गयी है उन गांवों में मैं गम्भीर समस्या नहीं मानता हूं। समस्या इतनी है कि पानी उनको निकाल कर पीना पड़ता था और निकाला हुआ पानी उनको पीने के लिए मिल जाता है तो वह समस्या इतनी गम्भीर नहीं है जितनी कि 50-50, 60-60 किलोमीटर में नजदीक में कहीं पीने का मीठा पानी नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं आप स्वयं बाड़मेर में दौरे पर पधारे थे तब चबआ, रावतसर, आप पधारे थे....

श्री सभापति : कृपया विराजें। समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें, केवल....

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट में।

सभापति महोदय, इनको अगर आप शीघ्र प्रारम्भ कर देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन योजनाओं को दो-तीन महीनों में पूरा किया जा सकता है जबकि भारत सरकार से इसकी मन्जूरी हो गयी है। दो-तीन महीनों में यदि आप इन योजनाओं को करवा देते हैं तो यहां पर जो सबसे बड़ी पीने के पानी की समस्या है वह हल हो सकती है। मैं तो यह कहता हूं कि आप चाहे तो अकाल राहत के कार्य मत करायें, चाहे आप चारे की कोई व्यवस्था मत करें, चाहें आप अकाल के नाम से जितना पैसा आप खर्च करना चाहें, खर्च कर सकते हैं। ये गांव सारे अकाल के अन्दर हैं। आज भी वहां पर बिल्कुल ही नामोनिशान नहीं है, एक दाना भी नहीं पका है। यदि आप पीने के पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो मैं समझता हूं सब आराम हो जाता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि लोगों की एक ही मांग है और कोई मांग ही नहीं है। चाहे आप स्कूल कितने ही खोल दें, चाहे आप सड़क कितनी ही बना दें, चाहे आप बिजली कितनी ही लगा दें उनकी यह मांग ही नहीं है, उनकी एक ही मांग है कि हमारे यहां पानी का क्या कर रहे हो। जब भी जाता हूं यही पूछते हैं कि पानी का क्या हुआ। अब उनको हमेशा इस तरह कहते कहते चार साल, साढ़े चार साल तो निकाल दिये, सभापति महोदय। अब थोड़ा समय बचा है, अतः इस तरफ मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान दे दें तो लोगों की समस्याएं हल हो जायेंगी और उसका लाभ हमारे को भी मिलेगा। सभापति महोदय, इन लोगों की समस्या जब तक हल नहीं होगी उसका नुकसान,

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, हमारे को ही भुगतान पड़ेगा यह, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजे । डॉ. उजला अरोड़ा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, पीने के पानी की चर्चा बराबर की जा रही है मैं इस बात पर कुछ प्रकाश डालूंगी । सन् 1981 में जब मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर बने तब से लेकर अब तक कहीं पानी की व्यवस्था की गई या नहीं की गई, लेकिन आते ही एक चीज की व्यवस्था कर दी गई । जहां पानी नहीं पहुंचा वहां शराब पहुंचा दी गई, और कहा कि बाजार से पीओ और पीकर के मर जाओ । जहां कड़वा पानी है वह शायद इतना दुःखदायी नहीं होगा, जितनी कि शराब शरीर के लिए, समाज के लिए घातक हो सकती है और समाज की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाली हो सकती है । मैं समझती हूं सरकार ने जिस समय घोषणा की थी कि शराब खोलने के बाद विकास के कार्यों के ढेर लग जायेंगे । जितने मेरे सामने ये बन्धु बैठे हैं, माननीय सदस्य, उस समय इन्होने यह कहा था कि हमारे क्षेत्रों का विकास हो जायेगा, शराब खोलने से । आज सारे के सारे दुखी हैं । मुझे नहीं लगता कि इनके क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं । शराब की आय से क्या किया ? एक पाप कमाया, कोई काम नहीं किया, लोगों की सेहत बिगाड़ी, कोई काम नहीं किया । मैं कहना चाहूंगी मेरे यहां बाढ़ में 100 बन्धें टूटे । जो जयपुर ग्रामीण की बात है कि पांच बन्धों के लिए अभी तक थोड़ा बहुत पैसा सैंक्शन किया है. वह भी पूरे बंधे बांधे नहीं हैं गांव के कुए सूख गये हैं । आज जमवारामगढ़ इलाके के क्षेत्र के लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं । जो जलदाय योजना वहां गई, उसके कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । मैं कहना चाहूंगी, खेद की बात है कि सरकार एक ओर तो पैसा लगाना चाहती है और दूसरी ओर गलत योजना बनाती है । जो सही योजना बनायी जानी चाहिए, वह नहीं बनायी जाती । अकाल के लिए गिरदावरी अगर सितम्बर में हो जाती तो जयपुर जिले को कुछ पैसा मिल जाता । लेकिन वहां तमाम क्षेत्र, अकाल क्षेत्र, मैं समझती हूं 70 प्रतिशत मेरे क्षेत्र में अकाल है । सरकार की ओर से गिरदावरी करने के लिए अभी घोषित नहीं किया गया । पूरे राजस्थान का यही हाल है । इस पर मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि 1981 की बाढ़ में जो काम किए जाने थे, सरकार ने कहा कि 45 करोड़ का नुकसान हुआ है, 45 करोड़ में से 4½ करोड़ रुपया केवल स्वीकृत किया गया है और यह कहा गया कि बाढ़ के काम में खर्च किया जायेगा । जयपुर के चारों तरफ के छः मुख्य रास्ते हैं, तीन बाईपास हैं, नौ के नौ कट गये थे । पांच बड़े नाले हैं, सात छोटे नाले हैं, इन पर कोई काम नहीं किया गया और यह कहा गया, बाढ़ प्रोजेक्ट बने, बाढ़ प्रोजेक्ट बन गया । उससे पहले एक करोड़ रुपया जे. डी.

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ए. को दिया गया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यह उनकी पुस्तक है, जे. डी. ए. की, उन्होंने क्या लिखा है कि बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु रुपये एक करोड़ का प्रावधान रखा गया था किन्तु इन कार्यों को जयपुर में बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट में सम्मिलित किए जाने के कारण मामला सरकार के विचाराधीन रहा। यह रुपया उपयोग नहीं किया जा सका और पैसा वापिस लौटा दिया गया या कहां गया ईश्वर जाने। लेकिन जयपुर में बाढ़ पर कोई कार्य नहीं हुआ पांच नाले और सात नाले बारह नाले मुंह फाड़े खड़े हुए हैं हमारे सामने। यह तो इस साल बरसात नहीं आई बरसात आ जाती तो जयपुर का शेष भागों से संबंध विच्छेद हो जाता। नागतलाई का नाला जिसने कि 40 बस्तियों को तबाह किया, जिसने कि नीचे जाकर पूरी घाटी को तबाह किया और आगे जाकर नायला के पुल को बहा ले गई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। नागतलाई वाला नाला मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। उस पर जो पैसा तय किया गया, योजना में तय किया वह नहीं लगाया गया। मुझे दुःख है कि इन्होंने पी. एच. ई. डी. से प्लान बनवाया और वह पैसा उस पर नहीं लगा। और आज जब बरसात आ जायेगी फिर सब इधर का क्षेत्र डूब जायेगा। यहां तक कि एक धार्मिक स्थान है नाहरसिंह जी की पुलिया, छोटा सा काम उस पर होना था। नाहरसिंह की पुलिया को जो बाढ़ प्रोजेक्टर बना है उसमें शामिल नहीं किया गया था। जो ढूंढ नदी अलवर से आने वाली शाहपुरा को तबाह करती हुई नायला की तरफ होती हुई सांगानेर और चाकसू को तबाह कर गई, उसको बाढ़ प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया। ये कर क्या रहे हैं बैठ करके। मैं पूछना चाहती हूं इनसे कि जो अपने बिल्कुल गलता के पीछे वाला नाला है, उसको बाढ़ प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया इसके लिए मैंने चिट्ठियां भी लिख लिख कर दी, मैं दिखला कर लायी, मैंने माननीय श्री शिवचरण माथुर साहब से कहा तो मुझसे कहा कि मैं मेरे छोटे भाई छैल बिहारी को आपके साथ भेज देता हूं, आप दिखला दो बाढ़ प्रोजेक्ट में शामिल हो जायेगा। मैं खुद ले भी गयी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया न शामिल किया। आज भी हमारे सामने, जयपुर के सामने विभीषिका खड़ी हुई है। मान्यवर सभापति महोदय, 45 करोड़ का नुकसान हुआ और 4 करोड़ 50 लाख स्वीकृत लेकिन काम नहीं हुआ एक करोड़ का भी। जो थोड़े बहुत काम हुए हैं, वो कहां हुए, प्रभावशाली लोगों के मकानों के सामने वाली फुटपाथ पर कोटा स्टोन के चौके लगे हुए हैं बाढ़ के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। आज भी जयपुर के सामने एक आशंका एक भय व्याप्त है और जो लोग बाढ़ से ग्रसित हुए इनके लिए कहा गया, बाढ़ वरदान साबित होगी आपके लिए। उनको आंशिक और पूर्ण क्षति ग्रस्तता का पैसा 100/- रुपया, 50 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपया जो दिया जाना था, जयपुर जिले में एक पैसा भी नहीं दिया गया। वह 18 लाख रुपया जिलाधीश महोदय के यहां चला गया, उसको वापिस ले लिया गया, खत्म कर दिया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोगों से जो मौत से खेल रहे हैं उनके मुंह से पैसा छीन करके वापिस सरकार ले लें। पक्के घरों को दिया नहीं गया था, जो छोटे कच्चे घर थे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और मुझे तो इसी विधान सभा में उत्तर दिया गया था कि ये जो पैसा है जो हम वाद में क्षतिग्रस्त

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं बात पूरी कर लूं....

श्री सभापति : हाँ एक मिनट में पूरी कर लीजिए. पूरी करिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो उसको हम क्या करेंगे कि जिनको आवासीय योजना में मुरलीपुरा, विद्याधर नगर ले जायेंगे उनको जो जमीन दी जायेगी कभी किसी काम में, उसमें समायोजन इस पैसे का कर लेंगे। इसी विधान सभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन वो भी समायोजित नहीं किये गये। मंत्री महोदय उत्तर देते वक्त अगर बता दें कि किसी मुरलीपुरा, विद्याधर नगर की योजना में जो बाढ़ में लोग बह रहे थे उनको जो 100 रुपया, 300 रुपया था उनके मकान के पैसे जमा करते वक्त काट दिया हो तो मैं इस सरकार को बधाई दे दूंगी आज ही। उनको खाना बांटा गया था, कपड़ा बांटा गया और उनको आंशिकपूर्ण क्षतिग्रस्तता का पैसा दिया गया और जयपुर को एक विभीषिका में छोड़ दिया गया। मान्यवर, मुरलीपुरा–विद्याधर नगर में जो घर दिये हैं आवासीय योजना में, जो बाहर से लोगों को शिफ्ट किया गया उनकी हालत तो आपको मालुम है, घर चू रहे हैं, छत चू रही है, किसी दिन वो मकान भी बैंठ जायेगा। उनकी नींव ही नहीं है, उनकी दीवार में अंगुली डालकर, आप चलें मेरे साथ एक दिन, तो देखें, यह सरकार क्या काम कर रही है, देखें तो रेत हाथ में आ जायेगी। उसमें मिट्टी भर दी गई, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, बाढ़ में कोई काम नहीं किया गया। मैं कहना चाहूंगी, बाढ़ के पैसे का दुरुपयोग किया गया। 26 करोड़ रुपया जयपुर से ले लिया यह कह कर के कि हम काम करेंगे। जयपुर में एक भी मकान का नक्शा पास नहीं किया।

कृषि भूमि का पैसा पड़ा हुआ है 26 करोड़ से बढ़कर कितना ब्याज मिलता होगा कल भी मेरे पास आदमी आकर मिले हैं मकान बेच आये जिनके पुराने बने हुए थे या तो पैसा दे दो नहीं तो मकान तोड़ेंगे। कृषि भूमि के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। एक भी नक्शा पास नहीं करके जयपुर की जनता को भटकाया जा रहा है। इसी तरह से 6-6 बार कच्ची बस्तियों से पैसा लिया है 27 कच्ची बस्तियों से पैसा ले लिया है उनको मकान नहीं दे रहे हैं। ऋषि नगर, गालव नगर में जो पूर्व की योजना थी जनता पार्टी की सरकार को उसमें आवंटन तो मजबूरी में करना पड़ा लेकिन बिजली आज तक नहीं दी गयी। 4 लाख रुपया बिजली विभाग लेकर बैठा है, वहां लोग अंधकार में बैठे हैं। मालविया नगर में बिजली नहीं है क्या कर रहे हैं। झोटवाड़ा से चोमू रोड़ तक मुरलीपुरा और विद्याधर नगर का जो एरिया है वहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं काट रहे है, छीन रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, बिजली नहीं है। सरकार यह कहकर आयी थी कि हम सुरक्षा करेंगे आप सब की। थाने में 10–10 मौतें हो गयी। पत्रकारों की पिटाई हुई, हद हो गयी है। शर्म आनी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहिए। 10 मर्डर थानों में हो गये नागरिकों की पिटाई थाने में की जाती है। कैसी है ये सरकार.......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कैसी सरकार है, जो चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ब्रोडगेज लानी चाहिये थी। बम्बई से दिल्ली तक कोई यातायात का साधन नहीं है। जितने हमारे अधिकारीगण जिनको कि सुविधा मिली हुई है रेलवे की और आप लोग जब भी जाते है कितनी जगह रेल बदलनी पड़ती है आपके पास रेल्वे का कोटा नहीं है। शर्म आनी चाहिए। चुने हुए कितने दिन हो गये। यातायात के लिये सरकार ब्रोडगेज से हमारे जयपुर को नहीं जोड़ सकी। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां पर ब्रॉडगेज से जुडी हुई नहीं हो केवल जयपुर को छोड़कर। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जो जैसा का जैसा है उसको चलाना चाह रहे हैं। जयपुर के रामगढ़ में पानी नहीं आया तो प्रेशर के बगैर पानी नहीं देंगे। एकएक बूंद के लिए तरसा रहे हैं। मैंने दो हजार मटके फोड़े। शर्म आनी चाहिए औरतों के साथ और जिनके घरों में पीने को पानी नहीं है आप वादा कर चुके हैं कि पानी देंगे और उनको पानी नहीं दे रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही बात नहीं पूरे जयपुर शहर में कितने नलकूप खोदे जाने की बात थी आपका उत्तर है कि नलकूप नही खोदे गये पूरे, आज विधान सभा में उत्तर दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि आपकी योजना थी नलकूप खोदने की तो क्यों नहीं खोद रहे हैं जब आपने कहा कि कुओं पर मशीनें लगाकर के पानी देंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जल के स्रोत हैं उनमें पानी नहीं दे सके, पीने को पानी नहीं दे सकते, रहने को मकान नहीं दे सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लोगों के खाने की, पहनने का कपड़ा और घर की चीजों की महंगाई बेशुमार बढ़ा दी है। इस तरह से योजनाएं लेकर चल रहे हैं, आप? और ये आये हैं कहते है पैसा और दे दो हम अब उसका सदुपयोग कर लेंगे। इस तरह से इनको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। पैसा इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। ये उनका फिर दुरुपयोग करेंगे और मैं आगाह करना चाहती हूं आपको कि थोड़ा सा समय और रहा है काम नहीं किया तो जनता आपको माफ नहीं करेगी सड़कों पर आपसे निपटेगी।

श्री सभापति : श्री सूर्य कुमार जैन।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : सभापति महोदय, आज हम राजस्थान की विधान सभा में बैठकर विनियोग विधेयक संख्या (5) और (6) सन् 1984 पर विचार कर रहे हैं।

बजट सत्र के बाद राजस्थान की वित्तीय स्थिति और जो अधिकार वर्तमान

(श्री सूर्यकुमार जैन)

सरकार को बजट के माध्यम से इसी विधान सभा ने दिये उनके उपयोग के बारे में चर्चा करने का मौका आज इस विनियोग विधेयक के माध्यम से इस विधान सभा को मिला है।

एक चुनौती भरा समय सारे देश के सामने है और राजस्थान और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे अपने आप अलग हो नहीं सकते अलग किया नहीं जा सकता। राजस्थान के सामने, राजस्थान की जनता के सामने भी, राजस्थान की सरकार के सामने भी वे सभी चुनौतियां हैं जो आज देश के सामने हैं। उन चुनौतियों की गम्भीरता इस बात से बढ़ जाती है कि हमारी राजस्थान की वित्तीय स्थितियां जिस प्रकार की हैं वह सब के सामने हैं–सुदृढ नहीं है। और सुदृढता के साथ एक अभाव और है कुछ चुनौतियां समय-समय पर आपदायें, प्राकृतिक आपदायें बाढ़ के माध्यम से, कभी अकाल के बहाने से राज्य सरकार को मिलती रही है। आज भी वे चुनौतियां राज्य सरकार के सामने हैं। सभापति महोदय, स्थिति की गम्भीरता यह विचार करते समय और बढ़ जाती है कि विपक्ष एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से अपने कुछ राजनैतिक मकसदों को पूरा करने के लिए आगामी लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखकर जनमत को गुमराह करने की दृष्टि से जनता का मनोबल गिराने में पूर्ण रूप से सक्रिय है। तो एक ओर जहां जनमत को बनाये रखना, जनमत के सामने वास्तविकता को लाना, सच्चाई को लाना आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार का काम है। वहीं एक जिम्मा यह भी है कि जो विपदायें, जो आपदायें, जो अभाव राजस्थान के सामने हैं हम उनका भी मुकाबला करें। यह बहुत खुशी की बात है कि अब जो कुछ भी बजट सत्र के बाद हमारी सरकार का कार्यकाल रहा है उसको कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से चाहे हम आंकड़ों के माध्यम से बात करें चाहें हम एक समग्र रूप से सोच कर राजस्थान के हित में सोच विचार करें तो निश्चित रूप से इस नतीजे पर आयेंगे कि राजस्थान की सरकार ने इस चुनौती भरे समय में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छी तरह से काम किया है।

किन्तु प्रश्न यह है, सभापति महोदय, कि जो काम किया उस काम को अनकिया साबित किये जाने की कोशिश एक तरफ है तो दूसरी तरफ जनता के सामने, उस जनता के सामने जिसने हमारे राजनैतिक जीवन में सबसे पवित्र प्रजातंत्र में बात हुआ करती है चुनावों के वक्त हर राजनैतिक दल अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी नीति के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार जनता को वचन देता है। उन वचनों को निभाने का प्रश्न हुआ करता है। मैंने पिछले बजट सत्र के समय विधान सभा से निवेदन किया था कि हमें फक्र है कि कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही के नाते जो चुनाव में वायदे हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने किये थे, उनको पूरा करने की दृष्टि से, उनको पूरा करने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया है। बिल्कुल सही है। वह उद्देश्य, सभापति

(श्री सूर्यकुमार जैन)

महोदय, आने वाले समय के लिए, जो वित्तीय अधिकार हम प्राप्त करने जा रहे हैं। उन वित्तीय अधिकार के अनुसार हम इस प्रकार के उपयोग करते रहे ताकि जनता को गुमराह करने का जो विपक्ष का षडयंत्र है उनको हम नाकाम कर सकें और जनता के सामने एक सही तस्वीर लोकसभा के चुनावों के समय पेश कर सकें। यह सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान की सरकार के सामने है।

एक बहुत ही प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी सरकार ने पिछले कुछ अर्से में, पिछले कुछ वर्षों से काम करके एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है। आज राजस्थान के पास में, राजस्थान की सरकार के पास में प्रत्येक विभाग की योजना है कई योजनायें बन चुकी है, लम्बी अवधि की योजना है, उसको केवल पूरा किया जाना है और जब पूरा किया जाना है तो जो विपत्तियां कभी कभी आती हैं बाढ़, अकाल के माध्यम से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और जनमत को यह दिखा सकते हैं कि हमारी विषम आर्थिक स्थिति होते हुए भी हम उन कार्यों की तरफ पूरी तरह से जागरूक हैं जिनको एक मानवीय दृष्टिकोण से विचार करके ही किया जाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, अभी अकाल की जो चर्चा चली दुर्भाग्यवश मेरा विधान सभा क्षेत्र भी अकाल की भीषण चपेट में है। मुझे कहते हुए बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि जहां धरती को दुर्भाग्य के रूप में रेगिस्तान मिला है लेकिन उस रेगिस्तान को कहीं न कहीं बीच में कई एक ऐसा स्थान मिलता है जो पानी का होता है, यह रेगिस्तान का सौभाग्य है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि बूंदी जिले के दूसरे भागों मे अच्छी वर्षा के बावजूद प्रकृति ने मेरे विधान सभा क्षेत्र पर कृपा नहीं की और वहां पर वर्षा बहुत कम हुयी। आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां केवल 8 इंच बारिश हुई है। केवल आठ इंच बारिश हुयी है जबकि औसत वहां का 28 इंच का है। कुओं का पानी पाताल को जा चुका हैं। चारे का भयंकर अभाव है। रोजगार की तलाश में लोग बाग भटकना शुरू हो गये हैं। निश्चित रूप से वह क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के उन क्षेत्र के मुकाबले में हैं। सभापति महोदय, गिरदावरी की रिपोर्ट आ चुकी है। हिंडोली का कुछ क्षेत्र भी इसी प्रकार प्रभावित है। वहां की जनता भी इसी प्रकार के अभाव से ग्रस्त है। वहां भी अकाल राहत कार्य का आरम्भ करना नितांत आवश्यक है।

जैसा कि मैंने निवेदन किया, सभापति महोदय, चूंकि हम जनमत के प्रति वचनबद्ध हैं तो हमें निश्चित रूप से इन प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और जहां पर रोजगार, पानी और चारे की समस्या है, वहां पर सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हमें हल करना पड़ेगा। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी जितना ध्यान दे सकते हैं दें। अकाल राहत कार्य शुरू होने चाहिए, टैस्ट वर्क शुरू कर देने चाहिये।

(श्री सूर्यकुमार जैन)

मैं इस संदर्भ में एक बात जो विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभागों की एक सालाना योजना तैयार हो चुकी हैं, यह खुशी की बात है कि हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक मास्टर प्लान हर डिस्ट्रिक्ट का तैयार कर लिया है। मैं समझता हूं कि शायद देश में हमारा राज्य पहला है जिसने सबसे पहले हर जिले का मास्टर प्लान पी. डब्ल्यू. डी. का तैयार किया है। जिन क्षेत्रों में अकाल है उन क्षेत्रों में मास्टर प्लान के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात और निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात का कि उन्होंने जिन आर्थिक विषमताओं के समय जनता के मनोबल को बनाये रखा, अपनी

(7.00 रात्रि)

स्थिति को सुदृढ़ किये जाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है और विकास के कार्यों में गति दी है वह निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है, बधाई की पात्र हैं। अगर विरोधी पक्ष एक राजनैतिक मतलब को लेकर आगामी चुनाव की बातों को सोचकर विकास की बातों को, प्रगति की बातों को, नकारना चाहता है, तो ये इतिहास साक्षी रहेगा। विरोधी पक्ष इस बात के लिये सबसे सर्वोच्च स्थान जो राजस्थान की विधान सभा है उसमें असत्य भाषण और निराधार बात को प्रस्तुत करने की हिम्मत कर सकते हैं इसका इतिहास साक्षी रहेगा। आपने मुझे वक्त दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिला बाड़मेर और जैसलमेर में अकाल का हमेशा एक तरह का डर है। हम इस बात को भी अच्छी तरह से महसूस करते है और संतुष्ट भी हैं कि जो आजादी से पहले इन जिलों की हालात बहुत नाजुक दौर से गुजरती थी और इन्सानों को पीने के पानी के लिये पशुओं से भी ज्यादा अपमानित होकर के घूमना पड़ता था आज वह हमारे जिले में सरकार की नीतियों के आधार पर हालात वो नहीं हैं। मैं इस बात से भी संतुष्ट हूं सभापति महोदय, कि पिछले चार सालों में हमारे क्षेत्र में जहां 15-15 मील से बाहर के इन्सान को पीने के पानी के लिये भटकना पड़ता था वह पी. एच. ई. डी. विभाग ने करीब सौ ऐसे गांवों को कवर किया है जिन गांवों में रेगुलर पानी जाता है। और एक बहुत नवीन बात देखता हूं जो सरकार ने अच्छा काम किया। अकाल राहत कार्यों में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के अधिकारियों की सिवाय शिकायत के ज्यादा बात नहीं सुनी, लेकिन अधिकारियों ने भयंकर गर्मी में, भयंकर तूफान जैसी हवाओं के अन्दर भी जहां रेगिस्तान के बड़े-

(श्री अमीन खां)

बड़े धोरों में, ऊंट का भी निकलना मुश्किल था वहां सड़कों का भी जाल बिछाया है और ग्रामीण सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हैं। लेकिन कुदरत की जो आफत है उसमें हम सरकार का दोष नहीं समझते हैं। कुदरत हमें बराबर सता रही है। बाड़मेर जिले के अन्दर इस बार भी शिव तहसील के 95 गांवों में से 85 गांव अकाल में हैं उनमें से 20-25 गांव ऐसे हैं जो लगातार छठी बार अकाल में जाकर शामिल हुए, 7-8 गांव ऐसे हैं जिसमें इस साल नवां अकाल है। जहां नवां अकाल पड़ता हो वहां इन्सान के साथ क्या बीतती होगी? जिस इन्सान का मात्र धन्धा खरीफ की फसल की खेती का और भेड़, बकरी, ऊंट, गाय पर गुजारा करने का है। जिन्हें कोई दूसरा धन्धा नहीं, न व्यापार है, न जिनका धन्धा है, न नौकरी पेशा का जिनका धन्धा है, न कोई आसपास में किसी प्रकार का उद्योग है उन आदमियों का जीना वास्तव में सरकार को महसूस करना चाहिये कि मुश्किल है। गिरदावरी की रिपोर्ट अक्टूबर महीने की आखिरी 31 तारीख तक पटवारी को पूरी कर देनी पड़ती है, नवम्बर के आखिर तक कलेक्टर रेवेन्यू बोर्ड को भेजता है और बोर्ड जाकर दिसम्बर में राज्य सरकार के पास भेजता है। इस रुटीन की कार्यवाही से अगर सरकार ऐसे इन्सानों को बचाने का कार्य सोचेगी तो जनवरी से पहले अकाल घोषित नही हो सकते। मैं, सभापति महोदय, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन गांवों में कतई बुवाई भी नहीं हुई या जिनकी बुवाई हुई तो बाद में बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी वहां पटवारी जीन्सवार क्या तैयार करेगा? ऐसे गांवों की सूची कलक्टर से इमर्जेन्सी तौर पर मंगायी जाकर उन गांवों को तो आज भी अकाल घोषित कर देना चाहिये और अकाल घोषित करने के बाद सरकार को ऐसे गांव जहां नवां अकाल पड़ा है, जहां छठा अकाल पड़ा है ऐसे गांवों के लिये आज भी फॉरेस्ट के अच्छे काम वहां हो सकते है। मास्टर प्लान में जो रोड्स पी. डब्ल्यू. डी. ने ले रखी हैं उन रोडों को अकाल राहत के तहत चालू करें, फॉरेस्ट का काम चालू करें बड़े-बड़े तालाबों का काम चालू करें ताकि प्लान का काम भी उनमें हो जायगा और वहां के लोगों को जीने का अवसर भी मिलेगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पश्चिमी जिले जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर इन जिलों की मवेशी बचाने के लिए 80% हिस्सा जैसलमेर जिला और 20% हिस्सा शिव तहसील के पश्चिम भाग में है। दुर्भाग्य से इस साल भी जैसलमेर और शिव तहसील में बरसात नहीं हुई है जिससे इस साल घास का वहां भारी अकाल है। जैसलमेर जिला और शिव तहसील ही एक ऐसी कुदरती जगह है जहां, श्रीमन्, घास पैदा होती है और जमीन है जिसके जरिये जोधपुर जिले वाले अपनी मवेशियों को हमेशा बचाते हैं। बाड़मेर जिले वाली तहसील चौहटन, धोरीमना और बाड़मेर के लोग भी जाकर के....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री अमीन खां)

इन शिव तहसील के गांव में मवेशियों को बचाते हैं। वह घासवाला एरिया इस साल सूखे की चपेट में आ गया है। गत वर्ष भी वहां बरसात आखिर में जाकर फसल के बाद में अच्छी हुई थी। श्रीमन्, घास बढ़िया था शिव तहसील और जैसलमेर जिले में बाहर के इलाकों की भी मवेशी वहां बच पायी थीं लेकिन इस साल उस घास वाले एरिये में बरसात के अभाव में वहां बाहर की तो क्या बचेगी स्थानीय लोगों की मवेशी का बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिये मेरा इसके तहत ये सुझाव है सरकार को कि अकाल के तहत ट्यूबवेल ऐसे घासवाले एरिये में और लगाये जायं जहां कि 10-10 हजार गैलन डिस्चार्ज का जैसलमेर जिले के और शिव तहसील के कई गांवों में पानी के सोर्सेज हैं और ग्राउंड वाटर बोर्ड के सर्वे की रिपोर्ट है, उन गांवों में ट्यूबवैल खुदाये जायं और उन ट्यूबवैल के जरिये आसपास घास को और मवेशी को पीने के पानी का इन्तजाम किया जाय। दूसरे नम्बर में जहां छठा और नवां जिन गांवों में अकाल है, इस साल भी पड़ चुके हैं, उस गांव की गिरदावरी रिपोर्ट का इन्तजाम न करके कलक्टर से स्पेशल रिपोर्ट मांगकर उन गांवों को घोषित किया जाय और जो जिले के मास्टर प्लान बने हुए मौजूद हैं रोडों के, उन रोडों को पक्का अकाल राहत कार्य में लेकर के अच्छा काम किया जाय जिससे कि लोगों को वक्त पर राहत भी मिल जाय और मास्टर प्लान के तहत जो काम हैं वे भी सम्पूर्ण हो जायेंगे। अकाल के लिये मैं पुनः मंत्री महोदय का ध्यान, सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 86 गांव जैसलमेर जिले के हैं जिसमें 79 गांव भयंकर अकाल में हैं। उनमें अधिकांश गांवों की आबादी इस वक्त खाली हो चुकी है और शिव तहसील के 95 गांवों में से 80 गांवों में अकाल है और बाड़मेर तहसील के 70 गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं उनमें से 10 गांवों में अकाल हैं। इनमें से ज्यादातर गांवों में फसल की बुवाई नहीं हुई है उनकी रिपोर्ट कलक्टर से स्पेशल मंगायी जाकर तत्काल ऐसे गांवों को घोषित किया जाय और प्लान के तहत फॉरेस्ट के, पी. डब्ल्यू. डी. के जो वर्क हैं उनको स्टार्ट किया जाय और अकाल के तहत जहां पानी ज्यादा है जिस जमीन में वहां ट्यूबवैल दिया जाय और पीने के पानी की योजनाओं का भी अकाल के तहत इमर्जेंसी तौर पर ज्यादा कार्यवाही की जाय ताकि वहां के लोगों को भारी मुसीबत का सामना न करना पड़े। सभापति जी, आपने समय दिया जिसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य सूर्य कुमार जी कह रहे थे कि विपक्ष हर किसी विकास की बात का, सरकार की हर योजना का, सरकार के हर कार्य-कलाप का मात्र राजनीतिक कारणों से विरोध करना चाहता है। सभापति महोदय, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, 1980 के चुनावों

(श्री यदुनाथ सिंह)

में श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या क्या वायदे करके चुनाव जीतकर आई थीं, पहला वायदा उन्होंने किया था, मैं राज्य को स्थिर सरकार देने का काम करूंगी । दूसरा वायदा उन्होंने किया था, प्याज, मिट्टी का तेल, इन चीजों के दाम बढ़ गये हैं अगर मुझे चुनेंगे तो मैं इन चीजों के दाम घटाने का काम करूंगी । तीसरा, उन्होंने कहा था, देश में कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है, देश विभाजित होने के कगार पर आ गया है अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इन चीजों को घटाने का काम करूंगी, इन चीजों में सुधार लाने का काम करूंगी । यह वह प्रमुख मुद्दे थे जिन पर उनकी सरकार पांच साल के लिए बनी थी, यही वह करार था । जनता से यही करार करके पांच साल के लिए जनता ने उनको राज सौंपा था । लेकिन, सभापति महोदय, आप एक-एक करके देखते जायें ।

जो स्थिर सरकार देने की बात उन्होंने कही थी, जो वायदा उन्होंने जनता से किया था, लोगों से किया था वह वायदा उन्होंने पूरी तरह से तोड़ा है । स्वयं की पार्टी की जहां सरकारें थीं वहां पर रोज मुख्य मंत्रियों को बदलने का काम किया है, रोज वहां पर पार्टी का ढांचा बदलने का काम किया है । जहां विरोधी दलों की सरकारें थीं उनको भी गिराने का षडयंत्र पूर्वक काम किया । स्वयं अपने मंत्रिमण्डल में समय समय पर, यहां तक कि 52 बार, उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल में फेरबदल किया है । पहला जो वायदा था, स्थिर सरकार देने का काम करूंगी वह वायदा उनका झूठा साबित हुआ है । दूसरा वायदा उनका महंगाई घटाने का था........

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : किस पर बोल रहे हो ?

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब यह होता है, सरकार जिस पार्टी की थी वही आज चल रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह : देखिये, रोज सरकारें बदलने से अस्थिरता पैदा होती है । आपके मानने से क्या होता है ?

दूसरा, सभापति महोदय, उन्होंने कहा था....।

(व्यवधान)

नहीं, कहा था । वह भी जनता पार्टी का आन्तरिक मामला था । क्यों, यह नारा तो उसी पर दिया था ?

एक माननीय सदस्य : वह तो 27 महीने में टूट गयी ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यह बात नहीं करना चाहता था, मैं बजट पर ही बोलना चाहता था, मैं एप्रोप्रिएशन पर ही बात करना चाहता था लेकिन चूंकि माननीय सूर्यकुमार जी ने बात कही इसलिए मुझे बात कहने का मौका मिला ।

दूसरा वायदा उन्होंने किया था, महंगाई घटाने का काम करूंगी अगर आप मुझे

(श्री यदुनाथ सिंह)

चुनकर मौका देंगे । तो, सभापति महोदय, आप जानते हैं, देश की जनता महंगाई से बुरी तरह ग्रस्त है । 10 पर्सेन्ट, 12 पर्सेन्ट, और पिछले वर्ष तो 13 पर्सेन्ट इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाने का काम इस देश में इन्दिरा गांधी की नीतियों ने किया है । दूसरा वायदा उन्होंने किया था वह भी उन्होंने भंग किया है, तोड़ा है । तीसरा वायदा जो सभापति महोदय, किया था कि देश में कानून-व्यवस्था खराब हो गयी है, देश के टुकड़े होने की नौबत आ गयी है । तो सभापति महोदय, आप देखेंगे कि इस सरकार ने टुकड़े करने के कगार पर लाकर आज देश को खड़ा कर दिया है । इसलिए, जहां तक राजनीतिक मुद्दों को उठाने की बात का सवाल है, हम भी राजनीतिक दल के सदस्य हैं । आपकी जो कमजोरियां हैं उनको उजागर करके हम उनका फायदा उठाने का प्रयास करते रहेंगे ।

इसलिए, सभापति महोदय, सूर्य कुमार जी का जो कहना है, विपक्ष का कार्य यह है कि सरकार की जो गलतियां हैं उनके ऊपर, सरकार की गलत नीतिया हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करें, सरकार पर अंकुश लगाने का काम करें ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी फिर से कुछ सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स, एक्सेस डिमाण्ड्स लेकर आये हैं । सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस देश में बजट को नॉन-सीरियस बना दिया गया है, बजट का कोई महत्व नहीं रहा बजट से पहले टैक्स लगाये जाते हैं, बजट के बाद टैक्स लगाये जाते हैं, बजट के सही अनुमान नहीं लगाये जाते हैं, बीच में एक्सेस डिमाण्ड्स ली जाती है, सरप्लस सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड्स ली जाती हैं । बजट को नॉन-सीरियस डॉक्यूमेण्ट बना दिया गया है और समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं । सभापति महोदय, वैसे भी अगर आप देखें तो बजट कोई बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेण्ट इस देश में नहीं रहा है क्योंकि वित्त मंत्री केवल 40 पर्सेन्ट वित्त मंत्री हैं । क्योंकि इस सरकार की जो नीतियां हैं, वह पार्टी की जो नीतियां हैं उनके रहते 60 प्रतिशत काला धन आज इस देश में होगा । इस देश की 60 प्रतिशत पूंजी पर, जो इस देश की इकॉनामी को हिलाने का काम कर रही हैं उस पूंजी पर वित्त मंत्री का अधिकार नहीं है । इस वर्ष भी इकॉनॉमी को कन्ट्रोल करने की बात सोचें तो वित्त मंत्री का सिर्फ 40 प्रतिशत देश की पूंजी पर कण्ट्रोल हो सकता है और 40 प्रतिशत वित्त मंत्री ही कहना चाहिए । 60 प्रतिशत वित्त मंत्री तो वह ब्लैक मार्केटर बैठा है, वह देश की इकॉनॉमी को बर्बाद करने का काम करता है । देश की इकॉनॉमी को बर्बाद करने का काम दूसरे देश भी करते हैं । कई बार तो यहां तक षडयंत्र होता है, सभापति महोदय, कि बाहर से नोट छापकर हमारे देश में भेज दिये जाते हैं । उसका नतीजा भी इकॉनॉमी को बर्बाद करने का होता है । जहां तक, सभापति महोदय,, हमारे राज्य के बजट का सवाल है, हमारे राज्य के बजट में इतना इनडिसिप्लिन इस वर्ष वर्ता गया है कि वह देश

(श्री यदुनाथ सिंह)

के किसी अन्य बजट में नहीं बर्ता गया। सभापति महोदय, दोनों अकाउण्ट्स में घाटा है। कैपिटल अकाउण्ट में तो घाटा है ही, इसके अलावा रेवेन्यू अकाउण्ट में भी घाटा है। उससे आप अंदाज लगायें, किस प्रकार की इकॉनॉमी इस राज्य में चलाने का काम करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आप देखिये, नॉन डवलपमेंट एक्सपेण्डिचर बढ़ता जा रहा है, डवलपमेण्ट एक्सपेण्डिचर घटता जा रहा है जो कि बजट का उद्देश्य होना चाहिए। बजट का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि जो उत्पादनकारक हैं, जो प्रोडेक्शन एलिमेण्ट्स हैं उनको मजबूत किया जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप किया जाय। तो इस तरह से जितने भी मुद्दे हैं, आप बिजली का मुद्दा देखें। आज पीने के पानी की चर्चा भी यहां बहुत से माननीय सदस्य कर रहे थे। उनकी चिन्ताओं से मैं भी सहमत होना चाहता हूं। लेकिन पीने के पानी के मद में कैपीटल एक्सपेण्डिचर भी घट रहा है। पीने के पानी के कुल मद में जो पैसा पिछले वर्ष दिया गया था उस से कम पैसा देने का काम इस वर्ष किया गया है। किस तरह से आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं? आपने बिजली में पैसा कम दिया, आप सिंचाई पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। आपका नॉन-डवलपमेण्ट खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।

गलती कहां से हुई, सभापति महोदय। माननीय बृज सुन्दर जी आपकी इकॉनॉमी को सुधारने का काम कर लें, यह सम्भव नहीं है। जब देश आजाद हुआ। तब देश में किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाना है, गलती वहीं से चालू रही है, वहीं से चली भी है। यहां इस देश में हम किस प्रकार का पूंजी-नियोजन करें, इसकी व्यवस्था जो की गयी वह सब पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर की गयी। बड़े को यहां पर बहुत महत्व दिया गया। यहां हिन्दुस्तान के ट्रेडीशनल काम धंधे थे उनको बर्बाद किया गया, सिंचाई के ट्रेडिशनल साधन थे, खेती के पुराने तरीके थे उनको यहां पर डैस्ट्राय किया गया, बर्बाद किया गया। नतीजा क्या हो रहा है, सभापति महोदय, जब देश की इकॉनॉमी की बात करते हैं तो मुख्यतः खेती पर हमारा ध्यान जाता है क्योंकि उद्योगों में तो पिछले 50-60 सालों से 10 परसेंट से ज्यादा आदमी लगे हुए नहीं हैं इसलिये उद्योगों में कोई रोजगार मिल जाय लोगों को, वही प्लानिंग, वही इकॉनॉमी सही मानी जा सकती है, वही स्ट्रेटेजिक इकॉनॉमी सही मानी जा सकती है जिसमें एम्प्लॉयमेण्ट को हाइयेस्ट प्रायोरिटी दी जाय। चाहे एक बार ग्रोथ रेट नीचे आ जाय लेकिन एम्पलायमेण्ट को हाइयेस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए लेकिन यहां पर बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एम्प्लायमेण्ट की कोई प्रायोरिटी नहीं है। जिस प्रकार का औद्योगिकरण यहां पर किया जा रहा है उस से रोजगार मिल नहीं रहा, बर्बाद हो रहा है। यानि गांव में जो छोटे-छोटे धन्धे करके हाउस होल्ड इन्डस्ट्रीज, कॉटेज इण्डस्ट्रीज लगाने का काम किया करते थे वे लघु इण्डस्ट्रीज बर्बाद हो गयीं। वह आज एक प्रकार से खेती पर

(श्री यदुनाथ सिंह)

आश्रित हो गये या भीख मांगने लगे या रोजगार की तलाश में शहरों में जाने लगे।

तो, सभापति महोदय, खेती के, उत्पादन के मुख्यत: तीन एलीमैण्ट होते हैं, 4 होते हैं लेकिन तीन मुख्य होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं। बात हो रही थी, भयंकर अकाल राजस्थान में है....

श्री सभापति : संक्षेप में समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : सिंचाई किस प्रकार से होती है। सभापति महोदय, अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे, यहां पर पानी नहीं है। तो पानी किस प्रकार आ सकता है? 3 हजार करोड़ रुपयों की एक भारी लिफ्ट योजना बनाने का काम कर लिया लेकिन, सभापति महोदय, दो हजार करोड़ रुपयों में धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर व बाड़मेर तक गंगा-यमुना का पानी लाने का काम हम कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है। एक-दूसरे राज्य आपस में इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह का राजनीतिक ढांचा यहां बनाया गया कि जिसके रहते एक राज्य दूसरे राज्य को दुश्मन समझता है। एक तरफ गंगा-यमुना का पानी बिहार, उत्तर प्रदेश में तबाही मचाता है लेकिन उस पानी को इस राज्य को देने का काम नहीं किया जाता है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार का समाज का ढांचा बना उसमें किस प्रकार की बुरी स्थिति पैदा होने वाली है। रोज कहते हैं, यहां पर विकास हो रहा है, हालत सुधर रही है लेकिन मेरी उम्र के जो लोग हैं मैं उन से पूछना चाहता हूँ, आप और हम जब बच्चे थे तो हमारी थाली में कितना मक्खन होता था, छाछ होती थी, सब्जी होती थी, घी होता था, और आज के बच्चे को क्या मिल रहा है। खुराक से आप नाप लीजिए, बहबूदी है या नहीं। ऊपरी चमक दमक से नापने का काम नहीं किया जा सकता। कृषि का उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा। यह ठीक है, जहां पर कृषि में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गये हों वहां जरूर खेती में बढ़ोतरी हुई है लेकिन जहां की 65-67 पर्सेन्ट जमीन सूखी खेती की है इस सूखी खेती में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ने का काम कभी शुरू नहीं किया गया, जहां पर सिंचाई हो गई खाद डाल दिया, जब कभी मौसम अच्छा हो गया उसका श्रेय सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है। इसलिये, सभापति महोदय, ये रोज-रोज जुलूस निकालने का, यहां पर रोज-रोज तमाशे करने का, अपनी तीन साल की उपलब्धियों को दिखाने के लिये ढिंढोरा पीटने से राज्य की जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। एक टी. वी. का तमाशा मच रहा है। जैसे राजीव गांधी जो हमारे वित्त मंत्री जी के और सारे कांग्रेसियों

(श्री यदुनाथ सिंह)

के आज × × × बने हुये हैं वह तो टी. वी. से ही देश का विकास मानते हैं। सभापति महोदय, इसलिये बहुत जरूरी है कि इस देश में प्राथमिकता तय की जाय कि कौन सी चीज प्राथमिक है, यह नहीं कि एशियाड़ का तमाशा हो रहा है, ऐसी चीजों का तमाशा हो रहा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिये, सभापति महोदय,....

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फिजुल खर्चों को रोककर सिंचाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिये राज्य में काम किया जाय ताकि यहां पर राजस्थान में जो हर साल अकाल आते हैं यहां की जो इकोनोमी आज बर्बादी की ओर नजर आ रही है, जो भूख-मरी और कंगाली के कगार पर राजस्थान खड़ा है उससे बचा जा सके। संक्षेप में मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में मांग संख्या 34 के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : मांग तो पारित हो चुकी....

श्री हंसराज शर्मा : इस पर जो कटौती प्रस्ताव मेरे हैं, उन पर मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, इस वर्ष जिला सवाई माधोपुर में भयंकर अकाल की स्थिति है। दुर्भाग्य जिले का यह है कि जिस समय सन् 1981 में सम्माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पधारे उस समय जिले को बाढ़ तबाही से सामना करना पड़ा और सन् 85 में उनका कार्यकाल समाप्त होकर जब वह पधार रहे हैं उस समय अकाल का सामना करना पड़ रहा है तो उनका आना और जाना दोनों ही जिले के लिये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सभापति महोदय, जिले में सारे जितने भी तालाब हैं वह सूखे पड़े हुये हैं आने वाली फसल में काश्तकारों को पिलाई के लिये तालाबों में एक बून्द पानी नहीं है और मौजूदा फसल में मूंगफली, ग्वार, बाजरा जितनी भी फसलें थीं वह एक-एक डेढ़-डेढ़ फुट की होकर सूख गईं, मूंगफली सारी सूख गई और इस समय सारे जिले में भयंकर अकाल है। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि जिलाधीश द्वारा अभी तक वहां की गिरदावरी नहीं कराई गई जिसके आधार पर सरकार से निवेदन किया जा सके। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हंसराज शर्मा)

कि वहां की गिरदावरी कराई जाय और गिरदावरी करके जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जाय। वहां के लोग भूखे हैं, प्यासे हैं और कुछ दिनों बाद जानवरों तक के लिये पीने के लिये पानी नहीं रहेगा, गरीब लोग इधर-उधर बाहर जाने की तैयारी में लग रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अविलम्ब अकाल घोषित किया जाय और जो गरीब लोग हैं उनके धन्धे के लिये कुछ कार्य प्रारम्भ किये जायं ताकि वह अपना निर्वाह कर सकें। वहां पर कई रोड्स अकाल के समय के अधूरे पड़े हुये हैं उनका काम चलाया जाय, बन्धों पर काम चलाया जाय, छोटे-छोटे जो भी बांध हैं उनका काम चलाया जाय तो वहां के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता है, वे वहां रुक सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि हमारे जिले में पानी का अभाव है लेकिन काश्तकारों के पास सिंचाई के लिये कुए बहुत हैं। लेकिन सरकार द्वारा काश्तकारों के पास जो बड़ी जोतें हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की समस्या के समाधान हेतु जितने भी काश्तकारों के कुओं पर कनेक्शन नहीं हैं, बिजली की मोटर नहीं हैं यदि वह डिमान्ड करते हैं तो उनको इस प्रकार के कनेक्शन्स दिये जायं ताकि वह सिंचाई कर सकें।

साथ ही साथ चराई के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, वन मंत्री जी यहां मौजूद हैं, 118 किलो मीटर का एरिया है आपके जंगलात में, काफी तादाद में घास है। जिन क्षेत्रों में पशुओं के चरने के लिये घास नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों को जानवरों के चरने के लिये कुछ क्षेत्र आप घोषित कर दें तो बहुत ही सुन्दर होगा। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो कम से कम उनको घास का परमिट जारी करें ताकि उस परमिट से वह अपने पशुओं को, जानवरों को चरा सकें।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूसरे विषय पर निवेदन करना चाहूंगा बाढ़ के सम्बन्ध में। बाढ़ के समय सन् 1981 में हमारे क्षेत्र में "हुडको योजना" के अन्तर्गत जिनके मकान बह गये थे उनको तीन-तीन हजार रुपये दिया था, किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस के लोगों ने, जो सरपंच है उन लोगों ने बड़ी बेइमानी की है, उन लोगों को तीन हजार रुपया नहीं दिया गया और अपने चहेते लोगों को पैसा दे दिया गया और उस पैसे से पट्टियां खरीद लाये और 1500-1500, 1600-1600 रुपयों की पट्टियां खरीद करके उनको बांट दी गई, उसका उनसे 3-3 हजार रुपया वसूल कर लिया गया, इस प्रकार से एक-एक व्यक्ति को तीन-तीन हजार रुपया मिलना था उसका हजार, बारह सौ, तेरह सौ रुपयों का गबन किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच कराई जाय।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके में बाढ़ के समय

216

(श्री हंसराज शर्मा)

जिन काश्तकारों के इंजिन बह गये थे, इंजिन खराब हो गये थे, कुए खराब हो गये थे, जमीनें खराब हो गई थीं, मकान समाप्त हो गये थे, हजारों मन गल्ला बह गया था लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी सरकार में या सरकार के वहां बैठे हुये प्रभारी मंत्रीजी ने उन काश्तकारों को मात्र 75 रुपया, सवा सौ रुपया, डेढ़ सौ रुपए की सहायता दिलाई। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जिन लोगों को हजारों रुपयों की प्रापर्टी समाप्त हो गई उनको 75 रुपये की सहायता आपने दिलाई वह पर्याप्त है क्या? आज की तारीख में जिनके खेत में पीने के पानी के कुए थे वह बाढ़ में समाप्त हो गये, जिनके इंजिन बह गये, जिनके इंजिन खराब हो गये उनके ऊपर बैंक का ऋण चल रहा है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, सोसाइटियां वाले उनके पीछे पड़ रहे हैं, उनके मकान कुर्क कर रहे हैं नीलाम कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार की सहायता उन लोगों को नहीं दी गई। इस प्रकार से सरकार को बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों को अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिये थी।

इसी प्रकार से मोरेल बान्ध के नीचे, मोरेल नदी पर पुलिया बन रही है वह बाढ़ के समय वह गई थी। उसके बाद में उसके लिये पैसा दिया गया उसमें लाखों रुपये लोग हड़प गये खा गये, बेईमानी कर गये। आज की तारीख तक एक भी पिल्लर उस पुलिया का नहीं बना है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम बाढ़ के अन्दर होने वाले काम और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सहायता जो हम देते है उसमें तो कम से कम इस प्रकार का दुरुपयोग न करें।

साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में सवाई माधोपुर में और टूंडेरा में बाढ़ के अन्तर्गत करीब साढ़े तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ। बाढ़ अकाल सहायता कोष से पैसा मिलना था लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वह निर्माण कार्य नहीं कराया गया और नहीं कराने का कारण हैं राजनैतिक आधार क्योंकि वहां के प्रभारी मन्त्रीजी इस बात को जानते हैं कि जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ है उस क्षेत्र में विरोधी दल का विधायक है इसलिये इस दृष्टिकोण से वहां पर काम नहीं करा रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों से दूर हट करके वहां पर ये काम कराये जायं।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सम्मानीय सदस्य, श्री सूर्यकुमार जी कह रहे थे कि हमारे बजट का इतना प्रयोग तो जरूर करना है कि जो विरोधी हमारा विरोध कर रहे हैं उससे उसका मुकाबला कर सकें। हम तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते और न मुकाबला करना चाहते हैं। यदि आप जायेंगे तो निश्चित रूप से जायेंगे क्योंकि आप अपने कुकर्मों से जायेंगे, आपके लिये पाप की खान है, मेरे लिये जीवन है, जिन्होंने डाके डाले

(श्री हंसराज शर्मा)

हैं भयंकर भ्रष्टाचार किया है × × × उन काले कारनामों से आप जायेंगे ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये ।

श्री हंसराज शर्मा : आपको कोई रोक नहीं सकता । इसके साथ एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । मेरे क्षेत्र में बाढ़, अकाल सहायता के नाम पर मुख्य मंत्री सहाया कोष के लिये लोगों से बिना रसीद दिये लाखों रुपयों का चन्दा ले लिया, वसूल कर लिया, उस पैसे को हड़प गये, आज दिन तक एक पैसे की रसीद नहीं दी और उसे जमा नहीं कराया । कोई जमा खर्च नहीं है । लाखों रुपये मुख्य मंत्रीजी के नाम पर अकाल राहत कोष में वसूल कर लिया । कई बार लिखा-पढ़ी भी की । मुख्य मंत्री जी के लिये एक कलंक का विषय है कि मुख्य मंत्री अकाल सहायता कोष के लिए, उनके नाम पर पैसा वसूल कर लिया गया, आपके प्रभारी मंत्री जी ने लाखों रुपया इकट्ठा किया बिना रसीद के और उसको हड़प गये । इस प्रकार से अकाल सहायता कोष में मिलने वाले पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद । आने वाले समय में जो यह कह रहे हैं कि हम बचेंगे । आप बिलकुल नहीं बचेंगे आप जायेंगे, निश्चित रूप से जायेंगे, आप अपने कुकर्मों से जायेंगे, आप इस गन्दगी से निकल जायेंगे तो पवित्र हो जायेंगे ।

श्री सभापति : श्री तावड़, आप अन्तिम वक्ता होंगे इसके बाद प्रभारी मन्त्री जी उत्तर देंगे ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा की जा रही है । इसलिए कुछ बात मैं अपनी भी कहना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, बजट सेशन में बजट जो हमने पास किया उसका तो उपयोग हम पूरी तरह से कर नहीं पाए और फिर हम राजस्थान की जनता के खजाने को खाली करने जा रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रोडवेज कार्पोरेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां पर आज 1200 कर्मचारी ऐसे बर्खास्त और निलम्बित हैं और बराबर कोर्ट से जीतते जा रहे हैं कोई उनकी गलती नहीं है परन्तु इसके बाद भी रोडवेज कारपोरेशन कह रहा है कि हम लोग डेफिशिट में जा रहे हैं, सभापति महोदय, डेफिशिट में जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ 1200 मजदूरों को बरखास्त किया है अलग अलग हाईकोर्ट से उनके फैसले हुए और बारह साल, आठ साल, दस साल के बाद नौकरी पर वापिस लिया जा रहा है । उनको भुगतान पूरा का पूरा करना पड़ेगा और उनको नौकरी पर लेना पड़ेगा । दूसरी तरफ कार्पोरेशन में डेली वेजेज पर 12 रुपया रोज पर कर्मचारियों को लगाया जा रहा है । इस तरह से डबल पेमेन्ट किया जा रहा है और राजस्थान के खजाने को लूटा जा रहा है । सभापति महोदय, इसी तरह से सिंचाई योजना के लिए जो पैसा यहां से पास किया गया सदन में वह पैसा तो पूरा लग नहीं पाया, ना उनके ऊपर कोई काम किया, मास्टर प्लान बना इसमें मन्जूरी दी

× × × अभिव्यक्तियां माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मेवराज तावड़)

गई कई तालावों की उनमें से कई तालाब आज अधूरे पड़े हैं उन पर काम कहीं शुरू नहीं किया है। सभापति महोदय, आपको मालूम होगा, पिछले अकाल के समय में जितने भी वर्क्स अधूरे पड़े हुए थे, इसी विधान सभा में यह बात उठी थी कि जितने भी अधूरे काम हैं उनको पूरे किये जायें लेकिन उन पर हाथ नहीं डाला गया। सभापति महोदय, आप ही यह अन्दाजा लगाइये कि जहां एक लाख का काम है और 15 हजार का काम और लगाने की आवश्यकता है तो 15 हजार नहीं लगा करके काम शुरू नहीं करवा करके। अकाल की राह देखते हुए 15 हजार नहीं लगा करके एक लाख के काम पर पानी फेर दिया। इसी तरह से जहां जहां जितने भी काम अधूरे पड़े हैं, करोड़ों रुपयों का घाटा राजस्थान को हो रहा है और जो काम लिये वो सब काम बेकार गये। सभापति महोदय, इसी तरह से आपको पता है कि अभी अभी यहां पंचायती राज सम्मेलन हुआ, एक तरफ तो हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पंचायत राज सम्मेलन में एक तरफ बारह करोड़ रुपये का जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने आरोप लगाया था और मैं भी मानता हूं कि 12 करोड़ रुपया आपने इसमें खर्चा किया अगर ये 12 करोड़ रुपये अच्छे कामों में लगाते, पंचायतों को देते, छोटे बांध बनाते, अकाल के काम में लगाते, और कामों में लगाते तो काम आता। आज केवल एक यह बहाना है, आज भी रीको के कर्मचारी जुलूस लेकर के आए थे, क्या विडम्बना है, सभापति महोदय, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि समाजवादी रास्ते पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो गवर्नमेन्ट की अण्डरटेकिंग थी उनको प्राइवेट कन्सर्न में सौंपने जा रहे हैं। यह सरकार ने डिसीजन लिया, वित्त मन्त्री जी यह बतायें कि आज रीको के कर्मचारी जो जुलूस लेकर के आए थे तो इस तरह से आप प्राइवेट कन्सर्न को बढ़ाना चाहते हैं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जहां पहले हुडको की बात कर रहे थे, वो मैं कल बताऊंगा लेकिन जहां कहीं भी चाहे वह हाउसिंग बोर्ड का मामला हो, चाहे हुडको की योजना हो, चाहे पंचायत में मकान बनाने की योजना हो, सभापति महोदय, आज इतने घोटाले है इन घोटालों के जरिये इस राजस्थान के खजाने को लूटा जा रहा है, और पूंजीवाद पनपाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, नैनवां से आने वाले सदस्य कह रहे थे विरोधियों का एक षडयंत्र है वोट लेने का, सभापति महोदय, हमारा षड्यन्त्र नहीं है उनका षड्यन्त्र है वे यह चाहते हैं कि जितना भी भ्रष्टाचार फैला सकें, वह पनपायें। मैंने पिछली विधान सभा में भी रखा कि आपके सरपंच, प्रधान हैं जो पंचायत समिति की जीप को डाके डालने के काम में लेता है और भी कई इस तरह के गबन के मामले करते हैं, सहकारिता मन्त्री अभी यहां है नहीं, केबिनेट के मन्त्री बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि शाहपुरा के प्रधान संपतसिंह क्योंकि ये राज्य सरकार ××× मुख्य मन्त्री जी और देवेन्द्रसिंह राज्य मन्त्री के....

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर, किसी पर आप आरोप नहीं लगावें।

श्री मेघराज तावड़ : ये दोनों के चहेते, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, अगर मैं यह कह दूं कि माननीय मुख्यमन्त्री जी के साथ घटना हुई, उसका नाम ले लूंगा, तो कोई आरोप नहीं लगता है यह जो सच्चाई है, जो सच्चाई ही रहेगी भले ही आप यहां नहीं लगाने दें, सभापति महोदय,

श्री सभापति : इस विषय पर आप पहले काफी बोल चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़ : लेकिन, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं डाका कौन डाल रहा है, षड़यन्त्र कौन कर रहा है, वोट लेने की राजनीति कौन खेल रहा है ? ये खेल रहे हैं या हम खेल रहे हैं ? इनको तो कुर्सी बचाये रखनी ही है, कुर्सी बचाये रखने के लिए चाहे जिस तरह के हथकण्डे अपनायें चाहे जैसे हथकण्डें करें। अगर हम इनके हथकण्डों की बात सदन में रखें, इनकी पोल खोलें, इनको जनता के सामने नंगा करें इनकी काली करतूतों से तो हम वोट लेने की बात करते हैं, सभापति महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है, प्रजातन्त्र का दुर्भाग्य है। हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं और अपनी बात नहीं कह सकते हैं और जिस तरह के आरोप लगाये जाते हैं विपक्ष के ऊपर, मैं कतई इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय, मैं अकाल के बारे में और कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, उदयपुर डिविजन में भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, बारिश भी अच्छी हुई लेकिन इसमें दो तरह की बातें हुई। सभापति महोदय, डूंगरपुर वगैरह गांव हैं, जहां पहले मक्की की फसल होती है या चावल होते हैं एक बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिससे मक्की की फसल नष्ट हो गई उसके बाद चावल की फसल हुई। तो कुछ इलाके में चावल की फसल है, बाकी नहीं है। पूरे उदयपुर डिविजन में भी यही स्थिति है। उसके पहले पिछले वाली फसल भी नहीं हुई थी। इसी विधान सभा में चर्चा उठाई गई थी कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी की रिपोर्ट लेकर के और फिर रिलीफ का काम शुरू किया जाय। सभापति महोदय, यहां से विधान सभा से जाने के बाद बीस दिन के अन्दर रिपोर्ट आ जानी चाहिये थी, आश्वासन दिया था सदन में लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट टाईम पर नहीं आई और रिपोर्ट नहीं आने का मतलब यह है कि हमारे इलाके में रिलीफ का काम नहीं खोला जा सका और सारा साल लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला है। लोग गांव छोड़ करके बाहर गये हैं, इसी स्थिति की आज भी आशंका है। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्रीजी आज जहां एक तरफ तो फसल नष्ट हुई, जल गई और दूसरी तरफ पानी नहीं रहा और पीने के पानी की व्यवस्था तो हर जगह नहीं है। सभापति महोदय, मेरा इलाका तो पहाड़ी इलाका है। विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं पहाड़ी इलाका है। वहां पर कोई इस तरह के बांध नहीं है, एकाध छोटे मोटे बांध हैं। बाकी जो बड़ी योजना हैं उनको कहीं लागू नहीं की गई उनके लिए

(श्री मेघराज तावड़)

सर्वे कराकर पटक रखा है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। तो, सभापति महोदय, पहाड़ी इलाका होने की वजह से, ऊपर होने की वजह से पठार की तरह से मेरा इलाका है, उसमें पानी जैसे ही आता है चला जाता है। इसलिए जब तक वहां पर कोई बांध नहीं बांधा जायेगा ढंग से तब तक कुएं में पानी नहीं आ सकता है सतह पर और जब तक कुओं की सतह पर पानी नहीं आएगा जनता को पीने का पानी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्रीजी इस पर भी हमारे इलाके में जहां सूखा पड़ा है पानी नहीं है और जहां पीने का पानी नहीं है पीने का पानी मुहैय्या करायें। माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी विराजे हुए हैं, उन्होंने जो सड़कें मन्जूर की लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। आपने मन्जूरी दी इसके लिए तो धन्यवाद देता हूं लेकिन आज तक पैसा नहीं आया और काम शुरू नहीं किया गया। सभापति महोदय, मैं यही कहता हुआ, एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां टीडी का तालाब है उसकी भी शायद सर्वे करवाई गई है लेकिन उस टीडी के तालाब में पहले जब बांध शुरू करवाया गया था उस समय सेन्टर गवर्नमेन्ट का जावर माइन्स, हिन्दुस्तान जिन्क का पैसा लगा था, राजस्थान की सरकार ने उस पर काम करवाया। उस समय हम लोगों ने मांग की थी कि हम लोगों को भी सिंचाई के लिये पानी दिया जाय। लेकिन, सभापति महोदय, हमारे घर के सामने होकर के पानी जावर माइन्स को जा रहा है, लेकिन हमारे खेत सूख रहे हैं, हमारी गायें, भैंसें और हमारे लोग प्यासे है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर जो सर्वे कराने की बात कर रही है उस पर सर्वे कराकर उसको और ऊंचा कराया जाय।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट सभापति महोदय, जिससे कि हम लोगों को जो बाहर जा रहे हैं उनको रोक सकें। यही कहते हुए, सभापति महोदय, जो यह सिंचाई में बहुत भ्रष्टाचार फैला है आज तक, पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में कोई मीटिंग नहीं होती। कांकरोली पंचायत समिति में उनको 6 लाख रुपया दिया गया और तीन लाख खर्च हुआ लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला।

इसी तरह, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार बहुत पैसा मांग कर रही है और भ्रष्टाचार पनपाने की बात करते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया जाय और सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसहाय।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय।

श्री सभापति : अब काफी हो चुका है। काफी अवसर दे दिया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जब आपके यहां पर सड़कें बननी शुरू ही नहीं हुई तो भ्रष्टाचार कहां से हो गया वहां पर।

श्री मेघराज तावड़ : पहले गये साल जो सड़कें बनीं उसमें हुआ था। अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ है। यह तो पहले का है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : तो गये साल में भ्रष्टाचार था।

श्री मेघराज तावड़ : भ्रष्टाचार तो कन्टीन्यू ही है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये बहुत समय हो गया है। श्री देवीदत्त तिवाड़ी।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): आदरणीय सभापति महोदय, जहां तक अकाल का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि जहां तक पश्चिमी राजस्थान का सवाल है उसका तो चोली दामन की तरह सम्बन्ध है। अकाल हमारे इलाके में तो करीब करीब पूरी तरह कभी मिटता ही नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद ही ऐसा कोई वर्ष रहा होगा कि जब हमारे जिले में एक अंश बिना अकाल के रहा हो। कोई न कोई अंश बकाया रह ही जाता है। अभी भी हमारे यहां पर 131 गांव अकाल से पीड़ित हैं। उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार का स्टैण्डर्ड, मापदण्ड या बेरोमीटर जो अकाल को घोषित करने का है उसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। वह संशोधन यह है कि जब की आप वर्षा होने पर किसी जगह को अकाल ग्रस्त न रखकर उसको अकाल ग्रस्त क्षेत्र से हटा लेते हैं तो हमारे यहां पर तो बरसात गांवों के अन्दर कई जगह पर होती ही नहीं है। फिर वहां पर जिन गांवों में बरसात हुई नहीं है तो आप उन गांवों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र से मुक्त क्यों कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अकाल ग्रस्त क्षेत्र में वर्षा होती है जब अकाल मिट जाता है यह बात हमारे यहां पर लागू नहीं होती है।

इसी तरह से जो दो साखिये गांव हैं, जहां पर कि दो फसलें होती है वहां पर बरसात नहीं होने पर भी या बरसात होने पर भी आप अकाल ग्रस्त डिक्लेअर कर देते हैं तो बात अलग है लेकिन हमारे यहां तो बात अलग है। हमारे यहां पर हमारे इलाके पर यह बात लागू नहीं होती है और इसमें आपको चाहिये कि उन इलाकों में जो स्टेण्डर्ड आप अपनाये, जहां पर, वर्षा कतई नहीं हो वहां पर पूरे साल अकालग्रस्त क्षेत्र रहना चाहिये। और वर्षा हो जाने पर होते ही एक दम आपको अकालग्रस्त क्षेत्र हटाना ठीक नहीं है। बरसात होते ही क्या बाजरा या अनाज बरस जाता है। बरसात होते ही किसान को और अधिक पहले खर्च करना पड़ता है, अपना धन खर्च करना पड़ता है। वहां पर फिर भी एक महीने तक अकाल को मान कर चलना चाहिये। वहां पर उस समय तक कोई अकाल समाप्त नहीं हो जाता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर अकाल ग्रस्त क्षेत्र हटाया नहीं जाना चाहिये।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

दूसरी एक बात और मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी जो हमारे यहां पर पानी की व्यवस्था सरकार ने की है उसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे यहां पर पहले कभी भी नहीं हुई थी। अभी जो राज्य सरकार ने व्यवस्था की है उससे जनता को बहुत राहत मिली है लेकिन उसके अन्दर एक दोष जरूर हो गया है कि जहां जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो गयी है वहां पर आबादी बहुत अधिक बढ़ गयी है। आप चाहें तो पहले की आबादी से इसका सर्वेक्षण करालें वहां पर कई लोग जगह जगह से आकर बस गये हैं क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था हो गयी है। जो पुराने साधन पानी के थे उनको छोड़कर नये जो साधन हो गये हैं उसके लोग आदी हो गये हैं। अब वहां पर कई बार तीन दिन, चार दिन, पांच दिन और कई बार सात-सात दिन तक पानी बन्द हो जाता है तो आप अन्दाजा लगाइये कि जहां पर 50 मील और 50 किलो मीटर तक पानी नहीं हो वहां पर जब नये आदमी बस गये हैं पानी की व्यवस्था नहीं हो तो उसके अन्दर जनता की क्या हालत होती है। सभापति महोदय, बाड़मेर के अन्दर पानी के सोर्सेज एक लाख गैलन के हैं और आप एक लाख गैलन पानी देते है यह बहुत ही अच्छी बात है परन्तु जो 60 हजार लोग आकर बाहर से बस गये हैं और वहां पर पांच पांच दिन तक पानी नहीं मिले तो एक लाख गैलन पानी से क्या होता है इस बात पर आप विचार करिये। पिछली दफा यह निर्णय लिया गया था कि जिस इलाके में ट्यूबवैल्स हैं वहां पर बिजली का कट कम से कम और जहां तक हो बिलकुल ही नहीं किया जाय। लेकिन अभी वहां हालत यह है कि बिजली चार चार पांच पांच घन्टे तक बन्द हो जाती है तो ऐसी हालत में वहां की हालत कितनी खराब हो जाती है आप अन्दाजा लगा कर देखिये। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि दूसरी जगह के लिये आप सीधी फीडर लाइन लगाते हैं उसी तरह आप बाड़मेर के लिये सीधी फीडर लाइन लगाइये और वहां पर बिजली का कट नहीं होने दें तो वहां पानी की हालत सुधर सकती है। तो यह दो बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी सरकार ने पैसा मांगा है वह पैसा अगर यह दो बातें होती है तो इसके अलावा भी पैसा अगर सरकार मांगती है तो वह देना चाहिये और मैं सरकार ने पैसा मांगा है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामसहाय सोनड़ : सभापति महोदय। दो मिनट के लिये मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अच्छा दो मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्री रामसहाय सोनड़ : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, और अकाल राहत मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मेरा यह निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान में तो नहीं पर पश्चिमी राजस्थान में तो हर साल अकाल की बात होती हैं लेकिन इस साल

(श्री रामसहाय सोनड़)

हमारे यहां पर पूर्वी राजस्थान में और खास तौर से लालसोट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां पर एक तरफ तो पत्थर की चट्टानें हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है, जहां पर पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब है वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोग पंचायत को छोड़ कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, वहां पर एक साइड में सन् 1981 में जो भारी बरसात हुई थी उसमें बाढ़ आई थी वहां पर पानी से जमीन का कटाव हो गया और पानी का लेवल नीचा चला गया वहां पर आज ऐसी स्थिति हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूरी तरह से अकाल हो गया है लेकिन अकाल ग्रस्त क्षेत्र में अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। जमीन का समतल ऐसा हो गया है कि कुओं में पानी नीचे चला गया, वहां पर सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिये और वहां पर अकाल राहत कार्य तत्काल खोले जाने चाहिये ताकि लोगों को काम मिले और वहां रहने वाले गरीब लोगों को पैसे मिलें ताकि वह अपना पेट पाल सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : सभापति महोदय, मैं तो सरकार को दो बात के लिये ही निवेदन करना चाहता हूं। एक तो जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां पर एक बून्द भी पानी नहीं पड़ा, जहां पर हल भी खड़े नहीं हुए, वहां पर गिरदावरी सरकार को करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को उन क्षेत्रों में राहत कार्य तत्काल खोल देने चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों से, एक गांव से दूसरे गांव में पानी दिया जा रहा है, वहां पर जल स्रोत है वहां पर बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिये, बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री चेतराम मीणा (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : सभापति महोदय, यहां पर सदन में जो डिबेट हुई है उसमें सदन के 12 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब मांग तो पारित हो चुकी है यह कैसे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्यों यह बोल नहीं सकते हैं क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्रीजी कैसे बोलेंगे।

(व्यवधान)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बहस में हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : यह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसमें आपको क्या एतराज है ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप इनको बैठा दें हम कोरम का सवाल नहीं उठायेंगे ।

श्री सभापति : वह सवाल जब उठेगा तब देखा जायेगा ।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, 12 माननीय सदस्यों ने डिबेट में भाग लिया जिनमें सभी माननीय सदस्यों ने अकाल की विभीषिका के बारे में अपने-अपने क्षेत्रों और राजस्थान के जिलों की स्थिति का वर्णन किया । सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल जो बरसात हुई है वह इस तरह ही हुई है कि जिसके बारे में पहले कभी ऐसा सोचा नहीं जा सकता था । कुछ जिलों में वर्षा हुई पहले और कुछ जिलो मे बाद में वर्षा हुई और कुछ जिलों में बरसात बहुत ही कम हुई हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमको सिंचाई विभाग देता है जोकि जिला कार्यालय से आते हैं वह आंकड़े जरूरी नही है कि मुख्यालयों पर अभी जो वर्षा हुई है वह सभी जगह पर हो, कई जिलों में बरसात हुई ही नहीं है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नैनवां में बरसात बहुत कम हुई । जिला मुख्यालय बूंदी में वहां का जो एवरेज रेनफाल है वह 758.6 मिलीमीटर है लेकिन वहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर जिला मुख्यालय पर रेकार्ड किया गया वह 953 मिली मीटर रिकार्ड किया गया । यानि औसत से 33 प्रतिशत अधिक लेकिन नैनवां में, माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में वहां वर्षा नहीं हुई है, मैं भी इस बात के लिए कह सकता हूं, मैं भी वहां गया था और वहां अकाल की जैसी स्थिति थी, वर्षा बहुत ही कम हुई । न्यूनतम वर्षा आंकड़ों के हिसाब से वर्षा हुई । इसलिए अब की जो वर्षा हुई है उसमें बड़ी भारी विभिन्नता है । एक तहसील के गांवों में विभिन्नता, जिलों की तहसीलों में विभिन्नता रही । इसलिए अब की बार जो राजस्थान में अकाल की स्थिति है वह वास्तव मे भयंकर है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे औसत से 60 प्रतिशत या उससे अधिक वर्षा होती है तो उसको हम अत्यधिक वर्षा कहते है और 20 प्रतिशत और 60 प्रतिशत अधिक के बीच में होती है उसको अधिक वर्षा कहते हैं और सामान्य हम उसको कहते हैं जो कि औसत से 20 प्रतिशत से नीचे या 20 प्रतिशत से अधिक हो । इस तरह का कहते हैं । और न्यून वर्षा उसको कहते हैं जो कि औसत 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कम हो और न्यूनतम जो कि औसत से भी 60 प्रतिशत कम हुई हो ।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान में सिर्फ गंगानगर जिला ही ऐसा था जो कि अत्यधिक वर्षा की श्रेणी में माना गया और 4 जिले अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी

(श्री चेतराम मीणा)

और डूंगरपुर ऐसे जिले हैं जिनमें कि अधिक वर्षा हुई और 10 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, झुन्झुनूं, कोटा, सिरोही और उदयपुर यह ऐसे जिले हैं कि जहां सामान्य वर्षा रेकार्ड की गयी। 12 जिले जो बाकी के रहते हैं वह न्यूनतम वर्षा में आते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े सिंचाई विभाग के जिला मुख्यालय के हैं लेकिन जिला मुख्यालय की वर्षा है वह सब जगह पूरे जिले में हुई ऐसी बात नहीं है।

अब माननीय सदस्यों ने अकाल के बारे में कहा, चिन्ता व्यक्त की और कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि तुरन्त ही राहत कार्य शुरू किये जायें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य खोलने के लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है, हमारे राजस्थान भू-राजस्व, (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में प्रावधान दिया हुआ है। कि खरीफ की गिरदावरी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हो लेकिन इस अकाल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह लिखा कि आप उस समय का इन्तजार मत कीजिए और बहुत ही शीघ्र गिरदावरी करके इसके बारे में रिपोर्ट बहुत जल्दी भेजो जिससे कि हम देखें कि स्थिति क्या है और उसके बाद काम करा सकें....

श्री महाराम चौधरी : यह कब लिखा है ?

श्री चेतराम मीणा : 18 सितम्बर को।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, अभी जो सदस्यों ने कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा और हल खड़े हुए नहीं। गिरदावरी तो काश्त की होती है। जब हल ही खड़े नहीं हुए, काश्त हुई ही नहीं तो उसकी फिर आप कैसे गिरदावरी करेंगे ? ऐसे स्थानों पर तो अपको थोड़ी सी रियायत करके राहत कार्य शुरू करने ही चाहियें।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा इससे पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और भी सदस्य कह चुके हैं। यह बात सही हो सकती है और होगी लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कार्य हम शुरू कराना चाहते हैं उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं उनके तहत ही हमको चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि गिरदावरी के आंकड़ों के लिए हमने सभी कलेक्टरों को लिख दिया कि वह शीघ्र ही आंकड़े भेजें और उसके बाद जो आंकड़े आ जायेंगे हम निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को जो फार्मूला फेमिन कोड में दिया हुआ है उसके हिसाब से सरकार जल्दी से जल्दी काम शुरू कराना चाहती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन आंकड़ों के साथ ही अभी जो सहायता कार्य राजस्थान में करना चाहते हैं हमने सभी जिलाधीशों को लिखा और सिर्फ एक जिलाधीश जयपुर ने ही हमें लिखकर भेजा है कि परीक्षण के रूप

(श्री चेतराम मीणा)

में राहत कार्यों की स्वीकृति दी जाये और किसी भी कलेक्टर ने आज तक हमें नहीं लिखा है जब कि राज्य सरकार ने सब के लिए कहा था। सिर्फ जयपुर जिलाधीश ने लिखा और किसी ने नहीं लिखा।

श्री महाराम चौधरी : इसके लिए दोष किस को देते हैं। कलेक्टर तो आपके हैं या हमारे हैं ?

श्री सभापति : आपकी भावनाओं को समझकर बता रहे हैं कि आपके जिलाधीशों ने लिखकर नहीं भेजा है।

श्री चेतराम मीणा : दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं चारे के बारे में। पश्चिमी राजस्थान के दस जिले और सीकर और झुंझुनूं के लिए हमको कहा तो अधिकतर उन्होंने यही कहा है कि चारे की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी और इसके बारे में हम कुछ डिटेल इन्फार्मेशन की इन्तजार कर रहे हैं।

मैं अब पेयजल की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जोधपुर कलेक्टर ने यह कहा कि हमें टैंकरों की व्यवस्था करनी चाहिए और हमने फलौदी के 8 गांवों में 4 टैंकरों के द्वारा और शेरगढ़ के 5 गांव जो उन्होंने बताये वहां टैंकरों की व्यवस्था कर दी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय 215 टैंकर्स हैं और राजस्थान के 11 जिलों में उनको दिया हुआ है और जो भी धनराशि आदि कलेक्टर ने हमसे मांगी है इन टैंकर्स से पानी से सुविधा के लिए और उसकी क्या रखरखाव और टूटफूट के लिए जरूरत है उतनी धनराशि हमसे मांग रहे हैं और हम स्वीकृति दे रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बहुत चिन्तित भी है और निश्चित रूप से प्रयत्नशील है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो जनरल बातें हुई। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि वसूली स्थगित की जाये और सबसीडी वगैरह दी जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि वसूली स्थगित करने का सवाल तो तभी आता है जब कि हम उस क्षेत्र में अकाल घोषित करते है। मैं निश्चित रूप से इसको जल्दी ही करना चाहूंगा और दूसरी बात है कि सवाई-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि 1981 की आई बाढ़ में मुख्य मन्त्री कोष के लिए चन्दा इक्ट्ठा किया गया और प्रभारी मन्त्री जिन्होंने मेरा नाम भी लिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में कि जब भी विधान सभा का सत्र होता है माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं और इसका जवाब भी कई बार उनको मिल चुका है। न मैंने एक नया पैसे का चन्दा किया और न मेरे हाथ से चन्दा हुआ। वहां पर स्थानीय लोगों ने चन्दा इक्ट्ठा किया था उसको ग्राम सभा में भी जिस जिस व्यक्ति ने चन्दा दिया सब के नाम सुना सुना करके मुख्य मंत्री जी को भेंट किया गया और जिन भी व्यक्तियों ने चन्दा दिया है चाहे व्यक्तिगत रूप से, सामुहिक रूप से याग्राम पंचायतों ने

(श्री चेतराम मीणा)

भी दिया उन सब की रसीदें दी गयी हैं और सब के रेकार्ड पंचायत समिति ताडोती में और टोडाभीम में हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य........

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज कृपया बिराजें। मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार इस प्रश्न को उठाते हैं तो जो भी रेकर्ड उनको देखना है: मुख्य मन्त्री सहायता कोष में वह पैसा जमा हुआ है और एक एक व्यक्ति और सामुहिक रूप से या पंचायतों ने पैसा दिया है सब के नाम रसीदें काटी गयी हैं और उसका पूरा रेकर्ड है और गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था........

श्री हंसराज शर्मा : एक प्रश्न मैं पूछ लूं।........

श्री सभापति : प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : इसी में ही। सन्देह हो गया। मुख्य मन्त्री सहायता कोष में आपने चन्दा वसूल किया........

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर यह कोई प्रश्न नहीं है। विराजें कृपया। ऐसे प्रश्न अलाऊ नहीं किया जायेगा।........आॅर्डर आर्डर....

श्री हंसराज शर्मा : मुख्य मन्त्री सहायता कोष में आपने चन्दा जमा किया और रसीदें भी दी हैं........

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर........

श्री हंसराज शर्मा : दूसरे जो कहते हैं कि आपने वसूल किया था वह व्यक्तिगत खाते में बैंक में जमा रहा और मेरे प्रश्न पूछने के बाद कुछ पैसा तो आपने दे दिया और कुछ को खा गये।........

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, इन्होंने जो आरोप लगाया वह × × असत्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने न एक नया पैसा इकट्ठा किया और जिन लोगों ने पैसा दिया था वह मुख्य मन्त्री सहायता कोष में जमा हुआ है और वहीं से रसीदें दी गयी हैं। इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं वह बिल्कुल असत्य भाषण कर रहे हैं। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़कें स्वीकार है लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सभी पूरे राजस्थान में जो ऐनुअल प्लान में सड़कें स्वीकृत हुई है, सब जगह निर्देश दे दिये हैं कि बहुत

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चेतराम मीणा)

जल्दी से जल्दी सड़कों का काम शुरू करवा दें ताकि अकाल के क्षेत्र में काम मिले, लोगों को काम मिले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में मैंने बता दिया है। धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, अगर सदन की इच्छा हो सुनने की।

श्री सभापति : सदन संतुष्ट है, संक्षेप में आप फरमा दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री कैलाश मेघवाल : विनियोग विधेयक पास किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक बात बता दूं कि यह आज की जो अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं करीब सात करोड़ की हैं। किसी जमाने में राजस्थान का बजट जैसे मैं पहले 1948-49 में फाईनेंस मिनिस्टर था तब 16 करोड़ का हुआ करता था और आज बाईस सौ करोड़ का बजट है। इस बाईस सौ करोड़ के बजट में यह अनुमान लगाना कि दस पांच करोड़ भी इधर उधर नहीं होगा, यह मैं समझता हूं........

श्री सभापति : सब जानते हैं इस बात को।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्योंकि सन् 1978 का बजट आज आपने पास किया तो सन् 78 में तो आपकी सरकार थी। तो यह क्यों हुआ? यह होता रहता है। यह फाईनेंशियल तरीके हैं। क्योंकि एक पैसा भी हम इस सदन के ग्राण्ट किए बिना खर्च नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इधर उधर करने की तो आपकी आदत है पंडितजी। पांच सात करोड़ का तो क्या मामला है।

श्री महाराम चौधरी : महंगाई के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां अकाल की स्थिति के बारे में बहुत चर्चा हुई। आपने जवाब दे दिया। पीने के पानी के बारे में चर्चा हुई उसका भी हो गया। माननीय परसरामजी बैठे हुए थे इस चीज के ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक पीने के पानी का ताल्लुक है इस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए काफी धन खर्च हुआ है।

श्री देवी सिंह भाटी : कब देंगे। मरने के बाद क्या खाक करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पानी नहीं है क्या? अभी पानी नहीं है? जहां जरूरत है

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

वहां पानी के लिए कार्य किये जायेंगे और पानी की जहां जरूरत होगी जहां टैंक्स मांगे जायेंगे वहां टैंक्स भेजे भी गए है, आगे भी भेजे जायेंगे। और उस बारे में मैं समझता हूं कि हम लोग इतने सुस्त नहीं है जितने आप समझते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके रहते हुए।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हां हमारे रहते हुए ही। और यहां हम ही रहेंगे, आप नहीं रह सकते हैं। हमने जो कुछ काम किए, इण्फा-स्ट्रक्चर तैयार किया है, वही तो चीज है कि 16 करोड़ से बाईस सौ करोड़ तक ले आए हैं। आप कहते हैं कि तीन हजार करोड़ की कोई योजना है। आने वाले जमाने में यह बड़ी योजनायें भी पूरी होंगी चाहे तीन हजार करोड़ की हों, चाहे पांच हजार करोड़ की योजनायें हों। राजस्थान आज के इन्फा-स्ट्रक्चर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान भी अपने एक अच्छे प्रदेशों में होगा जिसमें आप हम आने वाली पीढ़ियां बहुत सुख से रहेंगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 5, विधेयक, 1984 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि को 8-5 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 18 अक्टूबर, 1984, के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 142 का विवरण

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित नियन्त्रित राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों एवं संस्थानों में नियुक्त/निधी कर्मचारियों सेवा नियमों के वेतनमान

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतन शृंखला
1.	प्रभारी अधिकारी प्रथम श्रेणी	500-15-575-20-675
2.	रक्षक गार्ड अधिकारी (फो. आ.)	425-15-500-20-600
3.	प्रभारी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	200-10-250-15-400
4.	मैनेजर/प्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	175-8-215-10-315
5.	मैनेजर/प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	150-5-175-8-255
6.	वरिष्ठ लिपिक (नामदार, लेखाकार)	175-8-215-10-315
7.	वाहन चालक, मुख्यावास	175-8-215-10-315
8.	कनिष्ठ लिपिक	150-5-175-8-255
9.	हवलदार (फोर्स)	140-5-165-8-245
10.	जमादार	140-5-165-8-254
11.	रक्षक गार्ड (फोर्स)	130-5-155-8-235
12.	चौकीदार, सहायक-कर्मचारी, हरिजन, फर्राश आदि नियमित सेवागीर (पूर्ण कालिक)	100-5-125-8-205

ऋषभदेव मन्दिर में प्रतिनियुक्त राजकीय कर्मचारियों के वेतनमान

1.	कनिष्ठ लेखाकार	एक पद	625-15-640-20-900-25 1000-30-1120
2.	वरिष्ठ लिपिक	दो पद	520-10-550-15-640-20 900-25-925

231

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न सं. 146 का मानचित्र

वर्ष 1980 से 1984 तक वर्षवार सोफ्ट एवं बी. एच. हार्ड कोक का आवंटन एवं प्राप्ति का विवरण

(मात्रा वेगनों में)

वर्ष	सोफ्ट कोक		बी. एच. हार्ड कोक	
	आवंटन	उठाव	आवंटन	आवंटन
1980	3300	553.5	1200	19
1981	3300	562.5	1200	40.5
1982	3300	614.5	1200	186
1983	3300	75	1200	75
1984	1800	375	690	37

(हार्ड कोक उद्योग विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।)

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

1984-85 के बजट
घाटे की पूर्ति

147. **श्री कैलाश चन्द मेघवाल** (अजमेर पूर्व), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर), **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वर्ष 1984-85 के बजट में केन्द्र सरकार की विशेष सहायता एवं आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होने की आशा में अपूरित घाटा छोड़ा गया था ?

(2) यदि हां, तो इस आशा में कितना घाटा छोड़ा गया था और क्या उस घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सरकार की विशेष आर्थिक सहायता तथा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से हो पाई है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रान्त को इस वर्ष 1984-85 के बजट घाटा 175 करोड़ एवं 1983-84 के अपूरित घाटा को मिलाकर कुल 200 करोड़ का घाटा है ?

(4) क्या आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के फलस्वरूप राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना के आकार पर प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) वर्ष 1984-85 में आय के क्या स्रोत तजवीज किये गये हैं ?

(6) क्या वित्त आयोग ने 283 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट के कर्जे के पुर्ननिर्धारण की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या ?

(7) क्या राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशें एक अप्रेल, 1984 से लागू करने के लिए लिखा गया है ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के वर्ष 1984-85 के बजट में अपूरित घाटा इस आशा से छोड़ा गया था कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को केन्द्रीय करों में मिलने वाले अंश में वृद्धि होगी तथा ऋण अदायगी में राहत मिलेगी।

(2) इस आशा में वर्ष 1984-85 के बजट में 165.45 करोड़ रुपये तथा उक्त वर्ष के अन्त तक 175.52 करोड़ रुपये का अपूरित घाटा छोड़ा गया था। इस घाटे की पूर्ति हेतु अभी तक केन्द्रीय सरकार से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से इस वर्ष इसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है क्योंकि

(वित्त मन्त्री)

आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1985–86 से लागू होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984–85 के बजट में 165.45 करोड़ रु. का घाटा छोड़ा गया था । वर्ष 1983–84 के 10.07 करोड़ रु. के अनुमानित घाटे को मिलाकर वर्ष 1984–85 के अन्त में 175.52 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित था । वर्ष 1983–84 के अन्त में 10.07 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा है ।

(4) आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में होने वाले अन्तरण को योजना के साधनों में सम्मिलित किया जावेगा । सातवीं पंचवर्षीय योजना के साधनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । यह सही है कि वित्त आयोग यदि ओवर ड्राफ्ट, ऋणों, अल्प बचत ऋणों में आवश्यक राहत देता तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में साधनों की और अधिक उपलब्धि होती ।

(5) वर्ष 1984–85 में आय के साधनों का विवरण बजट के खण्ड 2 में पृष्ठ 1 से 49 तक दिया गया है ।

(6) वित्त आयोग ने 283 करोड़ रु. के ओवर ड्राफ्ट के कर्जे के पुनर्निर्धारण की सिफारिश नहीं की है ।

(7) 6 अगस्त, 84 को राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी को यह अनुरोध किया था कि वित्त आयोग की सिफारिशों को 1-4-84 से प्रभावित किया जावे । भारत सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है ।

बारां आवासीय योजना

148. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या आवासन मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मंडल द्वारा बारां नगर में प्रारम्भ आवासीय योजना में 36 मकान गिर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

(2) क्या आवासीय योजना के गिरे हुए मकानों के मैटेरियल को जांच के लिये भेजा है ? यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ? यदि नहीं, तो अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गयी ?

उत्तर

(1) जी हां, आवासन मण्डल द्वारा बारां नगर आवासीय योजना में वन रहे मकानों में से 45 मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं । संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को निलंबित कर जांच प्रारम्भ कर दी गई है । साथ ही सामग्री की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने भेज दिये गये हैं । जांच प्रतिवेदन एवं नमूने प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । संबंधित ठेकेदार के आगे के भुगतान

(आवासन मंत्री)

रोक दिये गये हैं और गिरे हुए मकानों को उसी की लागत पर सही करवाया जा रहा है।

(2) जी हां, नमूनों की जांच के निष्कर्ष अभी आने शेष हैं।

तहसील मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय

149. श्री मंगलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की हर तहसील मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की नीति है? यदि हां, तो इस नीति के अनुसार गत वर्ष कौन-कौन सी तहसील मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोले गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नीति के अनुसार आमेर तहसील मुख्यालय पर भी पशु चिकित्सालय केन्द्र खोला गया था? यदि हां, तो किस कारण से 3–4 माह पूर्व इसे अन्यत्र स्थानान्तरण कर, यहां केवल मात्र एक साधारण डिस्पेन्सरी ही रख दी है?

(3) क्या यह सच है कि आमेर नगर के एक शिष्ट मण्डल के मुख्य मन्त्रीजी से मिलने पर उन्होंने पशुपालन मन्त्री जी को आमेर में पशु चिकित्सालय को यथावत् जारी रखने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो इसके अभी तक यथावत् जारी रखने के आदेश जारी क्यों नहीं किये गये?

उत्तर

(1) जी नहीं। पशु चिकित्सा संस्था खोलने की नीति है।

(2) जी हां। प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(3) जी नहीं। शिष्ट मण्डल मिला था, लेकिन कोई निर्देश नहीं दिये गये।

कालूराम इमरती देवी धर्मशाला अलवर की व्यवस्था

151. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 18-3-83 को मन्त्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अलवर में कालूराम इमरती देवी ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला, जिसकी जमीन विभाग द्वारा सशर्त उपलब्ध कराई गई थी, की व्यवस्था समिति में स्थानीय विधायक एवं नगर परिषद् के अध्यक्ष/प्रशासक को सम्मिलित कर लिया जावेगा?

(2) क्या उक्त व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या ट्रस्टियों की नीयत को ध्यान

(श्री जीतमल जैन)

में रखते हुए धर्मशाला की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मुंसिफ कोर्ट अलवर द्वारा स्थानीय विधायक को व्यवस्था समिति में शामिल करने पर रोक लगाई हुई है।

(3) प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

152. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों एवं सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों के लिए 62,500 बीघा भूमि का आरक्षण किया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) इसके तहत कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और कितनों की जांच की जा चुकी है ? ज़िलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) भूमि आवंटन की क्या प्रक्रिया होगी तथा जिलेवार प्रार्थना पत्रों पर भूमि का आवंटन किस प्रकार किया जायेगा ?

(4) उक्त आवंटन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के क्षेत्र में राजस्थान राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं राजस्थान राज्य के सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मियों को आवंटन के लिए 40,000 एकड़ भूमि का विभिन्न नहर प्रणालियों पर आरक्षण करने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या प. 3 (46) राज./उप./81 दिनांक 16-7-84 से प्रदान की हैं।

(2) जिलाधीशों के यहां कुल 10654 प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुए थे, जिनमें से उपनिवेशन विभाग में 9530 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उपनिवेशन विभाग में जिलाधीशों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच करली गई हैं। जिलेवार आवेदन पत्रों की सूची "क" संलग्न हैं।

(3) राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12–ए में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लाटरी प्रणाली से भूमि पाने के पात्र व्यक्तियों को उनके जिलों, तहसीलों और क्षेत्रों के समूहों में आवंटन किया जावेगा।

(4) शेष प्रार्थना-पत्र जिलाधीशों से प्राप्त होने पर तथा सम्बन्धित चक प्लान्स राजस्थान नहर विभाग से प्राप्त होने पर शीघ्रताशीघ्र आवंटन कर दिया जावेगा।

राजस्थान सरकार
राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

क्रमांक/प.3(46)राज./उप./81 जयपुर, दिनांक 16 जुलाई, 1984

प्रेषिति :

आयुक्त उपनिवेशन, रा. न. प.,
बीकानेर।

विषय :–भूतपूर्व सैनिकों एवं सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को भूमि आवंटन।

सन्दर्भ :–आपका पत्र सं. एफ. 5 सी. (उपनि)/बी.–16194 दिनांक 1-5-84।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में भूतपूर्व सैनिकों एवं सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार किए जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने प्रदान की है :–

(अ) चारणवाला सिस्टम	17,500 एकड़
(ब) मिठड़िया सिस्टम	3,000 एकड़
(स) रेहरूड़ सिस्टम	4,000 एकड़
(द) दिग्गा (शहीद बीरबल) सिस्टम	5,000 एकड़
(ई) लीलवा सिस्टम (सागरमल गोपा)	5,000 एकड़
(एफ) दत्तोर	2,000 एकड़
(जी) भुट्टोवाली	500 एकड़
(एच) बरसलपुर	3,000 एकड़
कुल	40,000 एकड़

(चालीस हजार एकड़)

इस आरक्षण में से वास्तविक आवंटन पूर्व निर्धारित 62,500 बीघा तक ही सीमित रखा जावेगा। उक्त भूमि का आवंटन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि जिन वितरिका प्रणालियों पर भूमि आरक्षित की जावे जहां तक संभव हो उस प्रणाली के शेष आधे भाग में हर चक में जहां आवंटन किया जाना है लगभग 25% प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) फौजियों के लिए आरक्षित की जावे एवं ज्योंहि मुख्य सामरिक महत्व के स्थान पुल, सड़कों के मिलन स्थान आदि निश्चित हो वहां पर ऐसी भूमि का आरक्षण फौजियों हेतु किया जिसके लिए और अधिक विस्तार से निश्चित एवं स्पष्ट निर्देश ऐसे स्थलों के मालुम होने पर ही दिए जा सकेंगे।

भवदीय,
ह०
(सी. एल. जैन)
शासन उप सचिव

अनुसूची 'क'

भूतपूर्व सैनिकों एवं सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मियों के विभिन्न जिलाधीशों से प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

दिनांक 1 अक्टूबर, 1984 की स्थिति

क. सं.	नाम जिला	जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	इस कार्यालय में प्रमाणीकरण उपरान्त प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या			प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त होने शेष हैं।
			भूतपूर्व सैनिक	सीमा सुरक्षा बल के भू. पू. कर्मी	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	झुन्झुनूं	1972	1869	43	1912	60
2.	सीकर	1113	1113	10	1123	—
3.	नागौर	755	650	9	659	96
4.	चुरू	1701	1484	32	1516	185
5.	श्रीगंगानगर	1280	1160	4	1164	116
6.	बीकानेर	423	400	15	415	8
7.	बाड़मेर	61	54	7	61	—
8.	उदयपुर	16	16	—	16	—
9.	जालौर	8	7	—	7	1
10.	जैसलमेर	319	183	18	201	118
11.	कोटा	45	13	—	13	32
12.	भरतपुर	90	90	—	90	—
13.	धौलपुर	6	6	—	6	—
14.	जोधपुर	1035	916	36	952	83
15.	अलवर	909	889	—	889	20
16.	जयपुर	306	289	4	293	13

1	2	3	4	5	6	7
17.	सवाई माधोपुर	389	69	1	70	319
18.	पाली	33	33	—	33	—
19.	बून्दी	7	7	—	7	—
20.	अजमेर	139	87	—	87	52
21.	सिरोही	7	7	—	7	—
22.	भीलवाड़ा	20	—	—	—	20
23.	टोंक	4	4	—	4	—
24.	झालावाड़	6	5	—	5	1
25.	बांसवाड़ा	इन तीनों जिलों में कोई प्रार्थना पत्र नहीं लगे।				
26.	चित्तौड़गढ़					
27.	डूंगरपुर					
	कुल योग :—	10654	9351	179	9530	1124

पचपदरा पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक पाठशाला

153. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक पाठशाला है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या इस साल प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खोली जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

उदयपुर नगर में मण्डल के निर्मित भवनों का आवंटन

154. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर मे आवासन मन्डल ने 1 सितम्बर, 1984 तक कितने व्यक्तियों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को निर्मित भवन आवंटित कर दिये हैं एवं कितने आशार्थी आवंटन की प्रतीक्षा में हैं ?

(2) मण्डल का उदयपुर के आवंटियों से कितना रुपया 1 सितम्बर, 1984 तक लेना शेष है ? कृपया प्रत्येक आवंटी अनुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या आवासन मण्डल प्रतिवर्ष आवंटियों को उसके द्वारा जमा राशि का हिसाब देता है ? यदि हां, तो कब तक का हिसाब दे दिया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग की लापरवाही एवं अद्यतन लेखा जोखा नहीं रखने के कारण कई लोगों के मकान नीलामी हेतु विज्ञापित किये गये जिनमें भूल सुधार करनी पड़ी ? यदि हां तो ऐसे प्रकरणों की सूची सदन के पटल पर रखें। ऐसे मामलों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में आवासन मण्डल द्वारा 1 सितम्बर, 1984 तक 3114 मकानों का आवंटन किया जा चुका है तथा 2993 आवेदक आवंटन की प्रतिक्षा में हैं।

(2) उदयपुर के मछला मगरा, प्रताप नगर एवं हिरन मगरी के आवंटियों की तरफ 31-3.84 तक रु: 1,04,69,517.26 की राशि लेना शेष हैं प्रत्येक आवंटीनुसार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ', "ब" एवं 'स' पर उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। राजस्थान के सभी आवंन-टियों को वर्ष 1981-82 तक का हिसाब भेजा जा चुका हैं। बाद के वर्षों का हिसाब कम्प्यूटर के द्वारा बनवाया जा रहा हैं।

(4) लेखा जोखा के संधारण में पूरी सावधानी बरती जाती हैं। बकाया राशि को विज्ञापित करने के बाद बाकी दरों से लेखा जोखा का मिलान करने पर ही मकान निलामी पर चढ़ाये जाते हैं।

(विवरण 'अ', 'ब' एवं 'स' विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गए।)

तहसील नीमकाथाना में बुनकरों को अनुदान

155. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमका-थाना) : क्या ग्रामोद्योग राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील नीमकाथाना में बुन-करों को हाथ करघा उद्योग द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की नीमकाथाना की शाखा के मार्फत 600/–रुपये कर्ज व 600/–रुपये अनुदान दिला कर हाथ करघे दिलाये गये थे।

(2) क्या यह सही है कि यह हाथ करघे खराब होने के कारण आज तक चलाये नहीं जा सके ?

(श्री मोहनलाल मोदी)

(3) क्या यह सही है कि बुनकरों पर बैंक द्वारा डिग्रियां कर जबरन रुपया वसूल किया जा रहा है?

(4) क्या राज्य सरकार इन बुनकरों से हाथ करघे वापस लेकर इनको कर्ज मुक्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा बुनकरों को नियमानुसार अनुदान राशि मात्र ही दी जाती है। ऋण बैंक द्वारा दिया जाता है और सम्बन्धित बैंक अपने स्तर पर ऋण वसूली करता हैं। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

(4) जी नहीं।

तहसील टोड़ारायसिंह का सैटलमेन्ट

156. **श्री चतुर्भुज** (टोड़ारायसिंह): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील टोड़ारायसिंह में सैटलमेंट किस आधार पर किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र का पुराना सैटलमेन्ट शाहजहां जरीब की डोरी से किया गया था।

(3) क्या वर्तमान सेटलमेन्ट भी उसी आधार पर किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य की किसी भी तहसील का भू-प्रबन्ध कार्य उ.के गत भू-प्रबन्ध की तुलना में सिंचित क्षेत्र, रिवीजन के लिये ड्यू अवधि और तहसील का अभिलेख उपयोग के योग्य है या नहीं आदि बातों को ध्यान में रखते हुये कराया जाता है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुये ही तहसील टोड़ारायसिंह में भू-प्रबन्ध कराया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा निर्मित वेट्स एण्ड मेजर अधिनियम, 1958 के अनुसार पूरे राज्य में नाप व तोल में मैट्रिक प्रणाली अपनाई जाती है। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार इस तहसील में भी मैट्रिक प्रणाली की जरीब से भू-मापन कराया जा रहा है।

राजस्थान नहर परियोजना

157. **श्री सुरजाराम टांक** (नोखा): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर का अन्तिम चरण का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? और काश्तकारों को कृषि की सिंचाई हेतु कब तक वितरिकाओं से पानी दे दिया जावेगा?

(श्री सुरजाराम टांक)

(2) राजस्थान नहर परियोजना के सम्पूर्ण निर्माण हेतु प्रारम्भ में कितनी राशि आंकी गई थी व अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? क्या अनुमानित राशि से अधिक व्यय होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या लिफ्ट केनाल द्वारा कोलायत तहसील व नौखा तहसील को पानी पहुंचाने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया योजना रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मुख्य नहर को मार्च, 1985 तक पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है । वितरिकाओं से काश्तकारों को कृषि की सिचाई हेतु पानी देने का कार्य निरन्तर प्रगति पर है ।

(2) 1970 में 207.68 करोड़ रुपये राशि आंकी गई थी । मार्च, 1984 तक 405.04 करोड़ रुपये व्यय हो चुकी है । 5 लिफ्ट योजनाएं, गढरा रोड तक विस्तार, लघु जल धाराओं वाटर सप्लाई चेनल के नये प्रावधानों व मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण योजना की अनुमानित लागत अब 1085 करोड़ रुपया है ।

(3) गजनेर व कोलायत लिफ्ट योजनाओं में कोलायत तहसील का क्षेत्र शामिल है जिसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई आरम्भ करने की सम्भावना है । नौखा तहसील का क्षेत्र निर्धारित 60 मीटर लिफ्ट से ऊंचा है । दोनों योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

राजस्थान नहर परियोजना

गजनेर व कोलायत लिफ्ट योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	विवरण	गजनेर लिफ्ट योजना	कोलायत लिफ्ट योजना
1.	मुख्य नहर से निकलने की आर. डी.	749.60	958.50
2.	नहर प्रणाली की लम्बाई (कि. मी.)	269.10	374.90
3.	शीर्ष स्थल पर विसर्जन (डिस्चार्ज) (क्यूसेक्स)	12.66	19.80
4.	सिंचित योग्य क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	0.50	0.78
5.	कोलायत तहसील के अन्तर्गत क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	0.38	0.78
6.	**अनुमानित लागत** (1984 मूल्य स्तर पर)		
	(1) नहर प्रणाली (करोड़ रुपया)	36.92	56.59
	(2) लघु जल धाराओं के निर्माण की 25 प्रतिशत लागत (करोड़ रुपया)	4.65	7.32
	योग :	41.57	63.91

तहसील कामां (भरतपुर) के गांवों का विद्युतीकरण

158. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील कामां जिला भरतपुर में 1984-85 में किन-किन ग्रामों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील कामां में करीब 10 वर्षों से विद्युतीकरण का नया कार्य नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1.) तहसील कामां जिला भरतपुर में 1984-85 में फिलहाल किसी भी ग्राम को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम नहीं है।

(2.) जी नहीं, तहसील कामां के अन्तर्गत गत दस वर्षों में 23 नये ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

अजमेर में सैल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा दुकानदार के साथ अभद्र व्यवहार

159. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नया बाजार अजमेर में सैल्स टैक्स के अधिकारियों ने गत माह नया बाजार चौंपड़ अजमेर में किसी ईमानदार दुकानदार पर आक्रमण किया, सरे आम बाजार में बेइज्जती से पेश आये तथा दुकान में तोड़-फोड़ की जबकि बहियें व रेकार्ड नियमानुसार संधारित पाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दुकानदार की पूरे नगर में अच्छी ईमानदारी की साख है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु वाणिज्यिक कर निरीक्षक बिल्टी सत्यापन हेतु पहुंचे थे उसी वक्त एक ठेले से चार बर्तनों के बण्डल उतरे के उसकी जांच पड़ताल करनी चाही इस पर व्यापारी अपने साथियों सहित अकेले वाणिज्यिक कर निरीक्षक पर टूट पड़े, जिसकी एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

(2) जी नहीं, व्यापारी के विरुद्ध पूर्व में भी दिनांक 23-10-78, 3-8-79, 30-10-80 व 28-10-83 को विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज किये गये हैं और एक मामले में रु. 9492-60 की शास्ति आरोपित की गई है।

जन जाति उप योजना क्षेत्र सराड़ा, खेरवाड़ा व गिर्वा तहसीलों में निर्माण कार्य

160. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

(1) वर्ष 1980 से 1984 तक जनजाति उप योजना क्षेत्र सराड़ा, खेरवाड़ा व गिर्वा तहसीलों में कौन-कौन से कार्य हाथ में लिए गये हैं ?

(2) इनमें से सड़क निर्माण व सिंचाई के कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितनों पर कार्य चालू है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से 1984 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र की सराड़ा, खेरवाड़ा व गिर्वा तहसीलों में सड़कें भवन निर्माण, लघु सिंचाई योजनाएं, एनीकट निर्माण एवं जलोत्थान तथा व्यक्तिगत लाभ की योजना के विभिन्न कार्य हाथ में लिये गये हैं।

(2) इनमें से सड़क निर्माण के 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 5 पर कार्य चालू हैं, तथा 2 लघु सिंचाई परियोजना में से हिरनिया सिंचाई परियोजना पूर्ण हो चुकी है, एवं सागवाड़ा की पाल का कार्य प्रगति पर है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वर्ष 1980 से 1984 तक तहसील सराड़ा, खेरवाड़ा व गिर्वा में सड़क व लघु सिंचाई कार्यों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	तहसील	कार्य की स्थिति
1.	कल्याणपुर टोकर	सराड़ा	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	सेमारी कल्याणपुर	सराड़ा	,, ,,
3.	कुण्डाल खानबीन बलिया घोडी टपाणी मेटाली	खैरवाड़ा	,, ,,
4.	रिसबदेव चिकलांग भूदर	खैरवाड़ा	,, ,,
5.	रिमेनिंग कार्य कुण्डाल खानबीन घोडी टपाना (काजवे)	खैरवाड़ा	,, ,,
6.	कुराबड़ जगत	गिर्वा	,, ,,
7.	सम्पर्क सड़क सगतड़ी की पाल	सराड़ा	कार्य प्रगति पर है।
8.	केवड़ा बाबरमाल	सराड़ा	,, ,,
9.	रिमेनिंग कार्य कुण्डाल खानबीन वालिया घोडी (सड़क का कार्य)	खैरवाड़ा	,, ,,
10.	खैरवाड़ा रानी छाणी	खैरवाड़ा	,, ,,
11.	छाणी बलीचा	खैरवाड़ा	,, ,,
सिंचाई योजना का नाम :			
1.	हिरनिया	सराड़ा	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	सागवाड़ा की पाल	खैरवाड़ा	कार्य प्रगति पर है।

पशुपालन एवं भेड़, ऊन विभाग के कार्य

161. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुपालन विभाग से पृथक् कर भेड़ एवं ऊन विभाग कायम करने का क्या कारण रहा है ? इन विभागों में किस प्रकार कार्य विभाजन है ? क्या पृथक् विभाग बनाने से विभागों के कार्य में सुधार हुआ है ?

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भेड़ों के इलाज की किस स्थान पर किस प्रकार की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा, संकर प्रजनन कार्य, भेड़ परिवर्जन एवं भेड़ व ऊन विपणन कार्य सम्पादन अन्य जानवरों के उक्त कार्य के कार्य सम्पादन से भिन्न होने के कारण तथा उक्त कार्यों को विस्तृत स्तर से सघन रूप से करने हेतु भेड़ व ऊन विभाग कायम किया गया था।

(2) भेड़ व ऊन सम्बन्धित कार्य जैसे भेड़ों में प्रसार कार्य, बीमारियों की रोकथाम भेड़ों में चयनित प्रजनन एवं संकर प्रजनन, भेड़ पालकों का प्रशिक्षण एवं भेड़ व ऊन विपणन का कार्य सम्पादन भेड़ व ऊन विभाग द्वारा किया जाता है।

भेड़ों के अतिरिक्त समस्त पशुओं पक्षियों के स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्यक्रम व समस्त पशुओं की चिकित्सा कार्यक्रम पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां।

जिला बाड़मेर में शिव, शिवाना, बालोवा, सिणधरी, धोरीमाना चोहटन, बायतू व पचपदरा एवं जिला जैसलमेर में जैसलमेर, फलसूंड, मोहनगढ़, रामगढ़, देवीकोटा, लाठी, विनिपाना, पोकरण, देवा, भैसड़ा, एवं नाचना में स्थित भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्रों द्वारा भेड़ों का इलाज सूचना मिलने पर यथा स्थान पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा भेड़ों की भी चिकित्सा की जाती है।

भूतपूर्व राजपूत सरदार सभा को भूमि का आवंटन

162. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर), **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि भूतपूर्व राजपूत सरदार सभा को सन् 1942 में भूतपूर्व जयपुर, राज्य सरकार द्वारा आवंटित लगभग 500 बीघा भूमि का सन् 1982 में स्थायी आदेश संख्या 1 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आवंटन रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कृपया उस स्टैन्डिग ऑर्डर नं. 1 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह ऑर्डर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संख्या 1 भी निरस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । आवंटित भूमि में से जिस भूमि का उपयोग नहीं किया गया उसे पुनः राज्य सरकार के कब्जे में ले लिया गया ।

(2) जी नहीं । यह प्रश्न उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंशकालीन नियुक्ति

163. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिले के किस-किस उच्च प्राथमिक विद्यालय, सैकेन्ड्री व हायर सैकेन्ड्री विद्यालय में पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है ? यदि हां, तो कब से ? कृपया सूची सदन की मेज पर नाम पते सहित रखें ।

(2) इतमें अनुसूचित जाति जनजाति सदन अन्त्योदय परिवारों के कितने व्यक्ति हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन्हें 4-5 वर्ष नियुक्ति हुए होने पर भी स्थाई नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इन्हें कब तक स्थाई कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्त्योदय परिवारों के व्यक्ति निम्न प्रकार हैं :—

वर्ग	कोटा	बून्दी	झालावाड़
अनु. जाति	25	9	11
अ. जनजाति	4	5	11
अन्त्योदय	1	2	5

अनुसूचित जाति = 45
अनुसूचित जनजाति = 20
अन्त्योदय = 8

(3) जी हां । पार्ट टाईम (अंशकालीन एवं दैनिक भत्ते) के कर्मचारियों की किन्हीं नियमों के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति नहीं होती हैं अतः इनके स्थाई-करण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

246

वरीयता सूची

अंशकालीन कर्मचारी-कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) कोटा।

क्र. सं.	नाम अंशकालीन कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	कार्यरत स्थान का नाम
1	2	3	4
1.	श्री प्रहलाद	6-11-78	उ. प्रा. वि. किशनपुरा तकिया
2.	श्री अब्दुल मजीद	17-10-78	,, बालदड़ा
3.	श्री छीतरलाल	10-7-79	,, खोड़ली पुरा. कोटा
4.	श्री बंशीलाल गोस्वामी	18-8-79	,, गुमानपुरा
5.	श्री प्रभूलाल योगी	14-9-79	,, रंगतलाब
6.	श्री दौलतराम किराड़	1-1-79	,, भीममण्डी-I
7.	श्री जमनालाल	29-10-79	,, शाहपुरा-I
8.	श्री जानकी लाल माली	7-4-79	,, लाडपुरा-II
9.	श्री मोहन प्रसाद शर्मा	2-4-79	,, अर्जुनपुरा
10.	श्री जानकी लाल	20-7-79	,, भाखड़ोद
11.	श्री छीतरलाल राठौड़	24-8-79	,, बनेठिया
12.	श्री मेंडलाल	1-1-79	,, पारलिया
13.	श्री रामदयाल	1-1-79	,, कटापर
14.	श्री रंगलाल किराड़	13-12-79	,, मांडाहेड़ा
15.	श्री घासीलाल	15-10-79	,, कंकरावदा
16.	श्री गोविन्द लाल बैरागी	14-11-79	,, इटावा
17.	श्री रतन लाल	3-1-79	,, बागसी
18.	श्री दुर्गालाल	20-7-79	,, गणेशगंज
19.	श्री किस्तुरचन्द	21-4-79	,, बाबई
20.	श्री प्रभूलाल	29-12-79	,, अयानी
21.	श्री चौथमल	23-4-79	,, बैंगना

1	2	3		4
22.	श्री देवीलाल	1-1-79	,,	मिताई
23.	श्री नन्दलाल शर्मा	20-10-79	,,	बासथूनी
24.	श्री बृजमोहन	3-7-79	,,	बजरंगगढ़
25.	श्री जगदीश प्रसाद	14-4-79	,,	गणेशपुरा
26.	श्री मांगीलाल	9-1-79	,,	रातीड़या
27.	श्री सत्यनारायण सिंह	21-4-79	,,	पाटोदा
28.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	28-8-79	,,	उदयपुरिया
29.	श्री भैरू लाल शर्मा	1-1-79	,,	कुम्भकोट
30.	श्री बालचन्द्र बैरागी	24-4-79	,,	धरनावद
31.	श्री बंशीलाल सैन	29-10-79	,,	रींछड़िया
32.	श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता	8-10-79	,,	खामिच
33.	श्री रघुवीर प्रसाद जोशी	26-12-79	,,	बोरीना कलां
34.	श्री कन्हैया लाल	1-1-79	,,	गरड़ाना
35.	श्री रामभरोसा	7-2-79	,,	आमली
36.	श्री हरी प्रसाद	1-1-79	,,	देगनिया
37.	श्री मोहन लाल	1-1-79	प्रा. वि.	रामगंज मण्डी
38.	श्री विजय सिंह	5-7-79	उ. प्रा. वि.	निपानिया
39.	श्री देवलाल सैन	10-12-79	,,	मूलोन
40.	श्री मांगीलाल	1-1-79	,,	छबड़ा
41.	श्री नेमी चन्द्र	1-1-79	,,	छीपाबड़ोद
42.	श्री दुर्गाशंकर	2-7-79	,,	मगवाना
43.	श्री त्रिलोक चन्द्र वर्मा	1-1-79	,,	मलमनी
44.	श्री किसन लाल सोलंकी	26-4-79	,,	कुंडी
45.	श्री मांगीलाल	11-12-79	,,	सहरोद
46.	श्री भोजराज	7-3-80	,,	नान्ता
47.	श्री रामकिसन नागर	25-4-80	,,	देवली अरब

1	2	3		4
48.	श्री छोटू लाल	4-1-80	,,	पुलिस लाईन
49.	श्री जयशंकर शर्मा	28-3-80	,,	रायपुरा
50.	श्री बैंधनाथ	28-2-80	,,	ताथेड़
51.	श्री रामनिवास गौड़	8-1-80	,,	मानसगांव
52.	श्री बाबू लाल	10-1-80	प्रा. वि.	केवलनगर (प्र.नियु-प्रा. वि. कालूपुरा)
53.	श्री रामरतन खाती	20-3-80	उ. प्रा. वि.	तलावपाड़ा बारा
54.	श्री रामगोपाल मीणा	22-3-80	,,	ठूंसरा
55.	श्री हरलाल मीणा	21-3-80	,,	स्टेशन रोड़ बारां
56.	श्री मोहम्मद हुसैन	28-2-80	,,	मिसांणा
57.	श्री गोवरी लाल	19-3-80	,,	काकड़दा
58.	श्री मोहन लाल	19-3-80	,,	थट्टी
59.	श्री शंकर लाल	27-2-80	,,	रेलावन
60.	श्री राधेश्याम बैरवा	8-2-80	,,	बड़ा
61.	श्री सूरजमल बैंरवा	8-3-80	,,	झटवाड़ा
62.	श्री रमेश चन्द्र	5-4-80	,,	बोहत
63.	श्री रमेश चन्द्र पांचाल	1-1-80	,,	भरड़गांव
64.	श्री राधेश्याम	9-1-80	,,	अमरपुरा
65.	श्री फूलचन्द्र	18-1-80	,,	टाकरवाड़ा
66.	श्री सूरजमल	1-1-80	,,	पतहपुर (सुल्तानपुर)
67.	श्री मोहन लाल ढोली	18-2-80	,,	चौमा मालियान
68.	श्री बहादुर प्रसाद वर्मा	1-10-80	,,	नोनेरा
69.	श्री हेमराज	4-2-80	,,	बिनायका
70.	श्री घन्नालाल	26-2-80	,,	लक्ष्मीपुरा
71.	श्री कैलाश चन्द्र	17-4-80	,,	जोराबरपुरा
72.	श्री मांगीलाल	22-2-80	,,	गोयन्दा

1	2	3		4
73.	श्री रामकिशन	5-4-80	,,	अलोद
74.	श्री रमेश चन्द्र वैरागी	4-1-80	,,	उपाडवा
75.	श्री रामकल्याण	11-10-80	,,	श्यामपुरा
76.	श्री किसन गोपाल	5-4-80	,,	हिंगोनियां
77.	श्री कजोड़ीलाल	5-3-80	,,	लुन्दनपुर
78.	श्री मांगीलाल	21-4-80	,,	मंडीता
79.	श्री मांगीलाल	8-4-80	,,	बालूडेड़ा
80.	श्री बदरी लाल	21-4-80	प्रा. वि.	सांगोद
81.	श्री मुरारी लाल	9-10-80	उ. प्रा. वि.	दरहैया नोहर
82.	श्री सीताराम	1-2-80	,,	खोपर
83.	श्री रामदयाल शर्मा	21-2-80	,,	धांवोड़ा
84.	श्री भंवरसिंह	25-2-80	,,	ढोलम
85.	श्री मांगीलाल	10-10-80	,,	राई
86.	श्री नन्दकिशोर	11-1-80	,,	अजनावर
87.	श्री हीरालाल	31-8-80	प्रा. वि.	छीपाबड़ोद
88.	श्री रूपनारायण	1-2-80	उ. प्रा. वि.	पटना
89.	श्री प्रहलाद मीणा	15-3-80	,,	अन्ताना
90.	श्री रामचरण	12-1-80	,,	इन्द्रजीतसिंह
91.	श्री मोहन लाल	4-2-80	,,	खेड़लीगंज अटरू
92.	श्री बाबू लाल	26-2-80	,,	ननावता
93.	श्री भंवरलाल	11-2-81	,,	धानमण्डी
94.	श्री जमनालाल	16-4-81	,,	कोटड़ी
95.	श्री श्रीलाल	12-5-81	,,	विहाननगर
96.	श्री भीमसिंह	11-2-81	,,	कैसूवां
97	श्री रामदयाल सुमन	17-2-81	,,	पा. नगर
98.	श्री बालाराम	18-2-81	,,	भीम मण्डी-II

1	2	3		4
99.	सुश्री आशा कुमारी	9-2-81	,,	भोपाल इण्डस्ट्रीज
100.	श्री सोहन लाल नागर	5-2-81	,,	इन्द्रागांधी नगर
101.	श्री चिरंजी लाल	5-2-81	,,	स्था. कार्या.
102.	श्री सत्यनारायण	23-11-81	,,	गंदीफ्ली
103.	श्री गजेन्द्र सिंह	23-11-81	,,	सोगरिया
104.	श्री लक्ष्मीनारायण	28-11-81	,,	बाखोड़ा
105.	श्री नरेन्द्र कुमार	21-11-81	,,	गिरधरपुरा
106.	श्री जमनालाल नाई	23-11-81	,,	
107.	श्री बांबू लाल शर्मा	27-4-81	,,	माघंना
108.	श्री बाबू लाल	6-7-81	,,	पाठेड़ा
109.	श्री देवलाल मेघवाल	11-2-81	उ. मा. वि.	तुलतां
110.	श्री रामचन्द्र माली	30-11-81	उ. प्रा. वि.	बड़नी
111.	श्री चन्द्रप्रकाश	25-11-81	,,	परानीयां
112.	श्री सोलूराम	20-2-81	,,	रामगढ़
113.	श्री पूरण चन्द्र मेहर	4-12-81	,,	गरड़ा
114.	श्री हीरालाल	7-12-81	,,	ववंनगांव
115.	श्री गोविन्द लाल	15-12-81	,,	दिगोदपार
116.	श्री धन्नालाल	21-11-81	,,	वमूलिया
117.	श्री कालूलाल	26-12-81	,,	महू
118.	श्री पन्नालाल	21-11-81	,,	तोरसन
119.	श्री प्रेमलाल	21-11-81	,,	कोटड़ा
120.	श्री मांगीलाल	23-2-81	,,	डावर बमोरी
121.	श्री ओम प्रकाश	21-11-81	,,	कोल्सुवां
122.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	25-5-81	,,	नोताड़ा
123.	श्री रामराज	27-11-81	,,	बलवन
124.	श्री द्वारका लाल	27-4-81	,,	कंमलदा

1	2	3		4
125.	श्री राधेश्याम	23-11-81	,,	अघोरा
126.	,, गिरधारी लाल	15-12-81	,,	मोहनपुरा
127.	,, हरीबल्लभ मालव	29-5-81	,,	बढावदापार
128.	,, कैलाश चन्द्र	11-2-81	,,	बापवा
129.	,, कालूलाल मेघवाल	11-2-81	,,	पाली
130.	,, महावीर प्रसाद	5-12-81	,,	कोलखेड़ा
131.	,, ग्यारसी लाल	21-12-81	,,	कहेया नोहर
132.	,, बदरी लाल पोटर	27-4-81	,,	देवरी जोध
133.	,, सादूलाल बलवार	27-4-81	,,	बिलंडी
134.	,, देवी शंकर	18-2-81	,,	दीलोद हाथी
135.	,, जयनारायण शर्मा	13-9-81	,,	दिवाती
136.	,, गोपाल लाल	21-11-81	,,	काल्याखेड़ी
137.	श्रीमती भंवर बाई	20-2-81	,,	पीपलदा पेघट
138.	श्री त्रिलोक चन्द्र	20-11-81	,,	खेड़ली पेघट
139.	,, परमानन्द	28-11-81	,,	देवली पेघट
140.	,, लटूरलाल	7-2-81	,,	सांगोद
141.	,, दुर्गाशंकर	25-11-81	,,	सांवन भादों
142.	,, हीरा लाल	25-11-81	,,	वेटी
143.	,, छोटु सिंह	27-11-81	,,	हरीपुरा
144.	,, जुगल किशोर	24-11-81	,,	भतरी
145.	,, महावीर ब्राह्मण	18-12-81	,,	छुंदायता
146.	,, खेमचन्द	15-12-81	,,	हरीपुरा सांगोद
147.	श्रीमती रामस्वज्पी बाई	28-9-82	,,	वृजराजपुरा
148.	श्री सोहन लाल	5-5-82	,,	रटावढ़
149.	,, ओम प्रकाश	12-5-82	,,	मंडोला
150.	,, मोहन लाल सुमन	15-5-82	,,	छीनोद
151.	,, सिध्दीक अहम्मद	6-1-82	,,	तलाब
152.	,, ठाकुर लाल	13-5-82	,,	गोरधनपुरा
153.	,, फैयाब मोहम्मद			बंजारी

(२८०)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा संस्थाएं, कोटा

कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की सूची

252 जिला-कोटा

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	नाम विद्यालय		नियुक्ति तिथि
1.	श्रीमती रामकन्या बाई	बा. उ. प्रा. वि.	नाहरगढ़	7-12-78
2.	,, मांगी बाई	,,	सुकेत	8-12-78
3.	,, कस्तूरी बाई	,,	मोठपुर	1-2-80
4.	,, जगन्नाथा बाई	,,	खातौली	19-2-81
5.	,, कृष्णा बाई	,,	भीममंडी	21-2-81
6.	,, उमादेवी	,,	मोडक	26-2-81
7.	,, रुकमणी बाई	,,	यशाहबाद	16-3-81
8.	,, सोहन बाई	,,	कवाई	17-3-81
9.	,, लाडकुंवर बाई	,,	किशन गुंज	17-3-81
10.	,, कौशल्या बाई	,,	पलायथा	10-8-81
11.	श्री रामसिंह	,,	छावनी	8-5-82
12.	श्रीमती भंवर बाई	,,	कोयला	10-5-82
13.	श्री देवीशंकर	,,	कस्वा थाना	12-5-82
14.	श्रीमती प्रेमलता पारिक	,,	लाडपुरा	15-8-82
15.	श्री कजोडमल	,,	मण्डाना	5-11-82
16.	श्रीमती गीता बाई	,,	दीगोद	8-12-82
17.	श्री राजमल	,,	मोरपा	13-4-84
18.	,, लालचन्द शर्मा	,,	इटावा	13-4-84
19.	श्रीमती कौशल्या बाई	,,	गैंता	16-4-84
20.	श्री बद्रीलाल	,,	कैलवाड़ा	16-4-84
21.	श्रीमती लाड बाई	,,	खेडारसूलपुर	17-9-84
22.	,, छोटी बाई	,,	विज्ञाननगर	16-4-84

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	नाम विद्यालय	नियुक्ति तिथि
23.	श्री रमेशचन्द्र	बा. उ. प्रा. वि.पी पल्दा	16-4-84
24.	श्रीमती सरजू बाई	,, फतहपुर	18-4-84
25.	,, राधेश्याम मीणा	,, मावपुरा	18-4-84
26.	श्रीमती रामचन्दी बाई	,, अमृतकूवा	19-4-84
27.	श्री गोपाल लाल बैरवा	,, हरनावदा	28-5-84
28.	,, सलीम मोहम्मद	,, भंवरगढ़	15-7-84
29.	,, अशोक कुमार	,, बोरखेडा	26-11-81

बालिका प्राथमिक विद्यालय

1.	श्रीमती सन्तोष बाई	बा. प्रा. वि. सकर्तपुर	22-12-78
2.	,, कान्ता बाई	,, वल्लभनगर	25-1-80
3.	,, शोभना देवी	,, वल्लभगर	5-2-80
4.	,, नाथी बाई	,, गोरधनपुरा	8-2-80
5.	,, चन्द्रकला बाई	,, नयापुरा	1-1-81
6.	श्री बालचन्द	,, रेतवाली	16-4-84
7.	श्रीमती गुलाबदेवी	,, गोरधनपुरा	13-4-84

जिला-बून्दी

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	विद्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	श्री ख्वाजू खां	रा.उ.प्रा.वि. मोतीपुरा	2-9-78	
2.	,, वसन्ती लाल गोचर	,, चरडाना	24-4-79	
3.	श्रीमती कमला बाई	,, खोजागेट, बून्दी	7-1-80	
4.	श्री छीतरलाल गुप्ता	,, ओवरा	10-1-80	
5.	,, रघुवीर सिंह	,, माधोराजपुरा	16-1-80	
6.	,, प्रहलाद कुमार	,, रजलावता	9-1-80	

1	2	3		4	5
7.	श्री मदन लाल	रा. उ. प्रा. वि.	घानुगांव	4-1-80	
8.	,, पुरुषोत्तम सैनी	प्रा.वि.	मीरागेट बून्दी	4-1-80	
9.	,, प्रभूलाल बैरागी	उ.प्रा.वि	हिन्डौली	23-2-80	
10.	श्रीमती घासीबाई	प्रा.वि.	देईपोल, नेनवां	27-3-80	
11.	श्री रमेशचन्द शर्मा	उ.प्रा.वि.	भजनेरी	12-3-80	
12.	,, प्रभूलाल बैरागी	रा.उ.प्रा.वि.	जवाहर नगर	5 3-80	
13.	,, प्रभूदयाल	,,	देइखेड़ा	8-3-80	
14.	,, गोपी	,,	देवपुरा	13-3-80	
15.	श्रीमती प्रेमबाई	प्रा.वि.	ब्रह्मपुरी, लाखेरी	13-3-80	
16.	श्री नन्द किशोर	उ.प्रा.वि.	पगारा	22-3-80	
17.	,, लक्ष्मणलाल	रा.उ.प्रा.वि.	विजयगढ़	11-4-80	
18.	,, सोहनलाल	,,	पेच की बावड़ी	8-4-80	
19.	,, रामलाल योगी	,,	शिशोला	15-4-80	विकलांग
20.	,, पुरुषोत्तम	,,	गुढ़ादेवजी	15-4-80	
21.	,, केशरीलाल हरिजन	उ.मा.वि.	बून्दी	24-12-80	अ.जा.
22.	,, भगवानदत्त श्रृंगी	रा.उ.प्रा.वि.	सघूर	28-2-81	
23.	श्रीमती कमला बाई	,,	रामगंज, बून्दी	25-2-81	
24.	श्री जगदीश प्रसाद	,,	मीरागेट	27-2-81	
25.	,, गजराजसिंह	,,	गरड़दा	2-3-81	
26.	,, श्यामलाल कुम्हार	,,	तोपखाना	25-2-81	
27.	,, सत्यनारायण	,,	लाम्बाखोह	26-2-81	
28.	,, ग्यारसीलाल	,,	विजयगढ़	24-2-81	
29.	,, श्यामसुन्दर छीपा	रा.प्रा.वि.	कागजी देवरा	25-2-81	
30.	,, बद्रीलाल नागर	,,	लाइन पुलिस	28-2-81	
31.	,, दौलतराम	रा.उ.प्रा.वि.	बड़ोदिया	26-2-81	
32.	,, सूआलाल	,,	लीलेडाव्यासान	16-3-81	अ.ज.जा.

1	2	3	4	5
33.	श्री ओमप्रकाश	रा.उ.प्रा.वि. इ. लाखेरी	28-3-81	विकलांग
34.	,, मोड़ूलाल शर्मा	,, सुन्दरपुरा	24-3-81	
35.	,, जगदीश डौम	,, सारसला	16-3-81	अ.जा.
36.	श्रीमती मोहकंवर	,, नोताड़ाभोपत	28-3-81	
37.	श्रीमती लाडकंवर बाई	,, राप्टीपाठ	12-7-81	
38.	श्री पांचूलाल	,, सहण	14-7-81	विकलांग
39.	,, ब्रजमोहन	,, सूसा	14-7-81	
40.	,, श्याम विहारी	,, लाड़पुरा	18-7-81	
41.	,, चौथमल कुम्हार	,, राजघाट नेनवां	15-10-80	विकलांग
42.	,, बाबूलाल शर्मा	,, बोतराखेड़ा	7-11-81	
43.	,, मोहनलाल	,, कोथ्या	7-11-81	
44.	श्रीमती कलावती बाई	,, बगीची केशवापाटन	9-11-81	
45.	श्री विष्णुदत्त शर्मा	,, चतरगंज	7-11-81	
46.	,, अब्दुलहक	रा.उ.प्रा.वि. बासनी	11-1-82	
47.	,, लक्ष्मणसिंह	,, ई. के. पाटन	15-1-82	विकलांग
48.	,, छोटुलाल	,, ख्यावदा	7-1-82	अ. जा.
49.	,, प्रभूलाल	,, टोकड़ा	7-1-82	
50.	,, देवीलाल	,, पीपल्या	7-1-82	अ.जा.
51.	,, मोती रेगर	,, सांवतगढ़	3-8-84	अ.जा.
52.	,, दौलतसिंह	,, रायथल	27-7-84	
53.	,, पुंजीलाल पाटनी	,, जमीतपुरा	19-7-84	
54.	,, कालूलाल मीणा	,, रडी	30-7-84	अ.ज.जा.
55.	,, मोहनलाल शर्मा	,, जावटीकलां	1-8-84	
56.	,, दानमल शर्मा	,, सारसाला	1-8-84	
57.	,, शंकर मेघवंशी	,, खिचा	1-8-84	अ.जा.
58.	,, नवलकिशोर	,, गरड़दा	1-8-84	

1	2	3		4	5
59.	श्री सुरेशकुमार	रा.उ.प्रा.वि.	मो. घरावरा	1-8-84	
60.	" नाथूलाल	"	जलोदा	1-8-84	
61.	" शिवजीलाल	"	बम्बूली	2-8-84	
62.	" दुर्गाप्रसाद भील	"	जाखुन्ड	1-8-84	अ.ज.जा.
63.	" गोपाल लाल	"	गम्भीरा	1-8-84	
64.	" गोपीलाल	"	रानीपुरा	3-8-84	
65.	" श्यामसुन्दर	"	मंगाल	3-8-84	
66.	श्रीमती दुर्गादेवी	"	देहित		
67.	श्री ओमप्रकाश	"	गुमानपुरा	3-8-84	
68.	श्रीमती प्रेमलता शर्मा	"	सुनगर	4-8-84	
69.	श्री गोपाल लाल	"	बीसोला	4-8-84	
70.	" छीतरलाल रेगर	"	ढगारिया	4-8-84	अ.जा.
71.	" रामनारायण मीणा	"	हिंगोनियां	4-8-84	अ.ज.जा.
72.	श्रीमती पुष्प कंवर	"	फोलाई	4-8-84	
73.	श्रीमती कंचन बाई	रा.प्रा.वि.	नवीन लाखरी	4-8-84	
74.	श्री नाथूलाल	कार्या.उ.जि. शिव	नेनवां	6-8-84	अ.जा.
75.	" खलील अहमद	रा.उ.प्रा.वि	अघोरा		
76.	श्रीमती मधु शर्मा	"	गामच	6-8-84	
77.	श्री दुर्गालाल रेगर	"	वाछोला	6-8-84	अ.जा.
78.	" सत्यनारायण	"	चेता	4-8-84	
79.	" कस्तूरचन्द	"	बादई	21-4-79	अ.ज.जा.
80.	" रामराज	"	बलवन	27-11-81	

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) झालावाड़

कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम दैनिक वेतन भोगी	पदस्थापन स्थान		वि. वि.
1	2	3		4
1.	श्री देवी लाल माली	उ. प्रा. वि.	अकतासा	सामान्य
2.	,, बद्रीलाल	,,	मंगलपुरा	अ.ज.जा.
3.	श्रीमती विद्यादेवी शर्मा	,,	आँवलीकला	सामा.
4.	श्री कन्हैयालाल मीणा	,,	बेरागढ़	अ.ज.जा.
5.	,, रमेश चन्द्र शर्मा	,,	बढाये	सामा.
6.	,, भंवरलाल वर्मा	,,	बड़ोदिया	अ.ज.जा.
7.	,, रामलाल मील	,,	भंवरासा	,,
8.	,, परीलाल	,,	डूंगरगांव	सामा.
9.	,, मनोहर लाल शर्मा	,,	डोडा	,,
10.	,, रामदयाल	,,	दुर्गपुरा	,,
11.	श्रीमती शान्ती बाई	,,	गांधी झालरापटन	,,
12.	,, कौशल्या बाई	,,	गांधी पाटन	,,
13.	श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा	,,	गुराडियाजागा	,,
14.	,, कालू लाल मील	,,	गेहूखेडी	अ.ज.जा.
15.	,, बालचन्द्र शर्मा	,,	गरवाडा	सामा.
16.	,, भगवान सहाय	,,	झालावाड रोड़	,,
17.	,, मोहन लाल मीना	,,	जनाखेडा	अ.ज.जा.
18.	सुश्री कान्ती बाई	,,	लाल बाग पाटन	सामा.
19.	,, आनन्दी बाई	,,	मो. ने झालावाड़	अ.जा.
20.	श्री राजाराम शर्मा	,,	मिशोली	सामा.
21.	,, सत्यनारायण शर्मा	,,	माणकपुर	,,
22.	,, कालूराम राठौर	,,	मोगरा	,,

1	2	3		4
23.	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा	उ.प्रा.वि.	मोडी	सामा.
24.	" तुलसीराम शर्मा	"	भवानी मण्डी	"
25.	" नन्द किशोर	"	नशीराबाद	अ.जा.
26.	" मदन लाल वर्मा	"	पचौला	"
27.	" सत्यनारायण सोनी	"	पाटलिया कल्मी	सामा.
28.	" राडू लाल प्रजापत	"	राम, घटोंद	"
29.	" घीसा लाल भील	"	रींछवा	अ.ज.जा.
30.	" कन्हैयालाल	"	रीझोन	सामा. (अन्त्योदय)
31.	सुश्री निर्मला कुमारी	"	संगीत झालावाड़	"
32.	श्री राजेन्द्र कुमार व्यास	"	समराई	"
33.	" मांगीलाल मेहर	"	श्यामपुरा	अ.जा.
34.	" नरेन्द्र भटनागर	"	सिंघानिया	सामा.
35.	" पुष्प कान्त शर्मा	"	सलिया	"
36.	" कालूराम व्यास	"	बनी	"
37.	" राधेश्याम	"	बोलिया बुजुर्ग	"
38.	" राधेश्याम शर्मा	"	डोडी	"
39.	" राम लाल प्रजापत	"	डाबला खींची	"
40.	" निर्मलचन्द्र जैन	"	डाबला भोज	"
41.	" उदयराम राठोड़	"	दूबलिया	"
42.	" राधेश्याम भील	"	गादिया	अ.ज.जा.
43.	" चन्द्र शेखर सोनी	"	हरनावदा गजा	सामा.
44.	" प्रभूलाल शर्मा	"	करावन	"
45.	" भीम लाल माली	"	कुन्डला	"
46.	" बाबू लाल शर्मा	"	कडोदिया	"
47.	" बाबू लाल सोनी	"	खारपाकला	"

1	2	3		4
48.	श्री जगन्नाद भावसार	उ. प्रा. वि.	मंगीसपुर	सामा.
49.	" देवी लाल जोशी	"	मार्यनिया	"
50.	" गोनीशंकर	"	नन्दपुरा	"
51.	" मदन लाल वर्मा	"	नन्दपुर	अ.जा.
52.	" दुर्गा प्रसाद बैरागी	"	ओसाठ	सामा.
53.	" विष्णु प्रसाद व्यास	"	पगारिया	"
54.	" मांगसिंह	"	रामपुरा	"
55.	" शिव कुमार मीणा	"	रोझाना	अ.ज.जा.
56.	" रमेश चन्द्र बैरागी	"	रमायदलपत	सामा.
57.	" निर्मल चन्द्र	"	सुनेल	"
58.	" राजाराम शर्मा	"	सिलेहगढ़	"
59.	" श्याम लाल शर्मा	"	सांगरिया	"
60.	" आत्माराम शर्मा	"	स्वास	"
61.	" गजानन्द	"	सालरी	"
62.	" वृजमोहन जोशी	"	सिरपाई	"
63.	" प्रकाश चन्द्र	"	सामरिया	"
64.	" रतन लाल बरगी	"	तिलावली	"
65.	" रंगलाल प्रजापत	"	उन्हेल नागेश्वर	"
66.	" लक्ष्मीनारायण	"	उन्हेल सुनेल	(अन्त्योदय)
67.	" हरिराम मेहर	"	आंवल हेडा	अ.जा.
68.	श्रीमती कंवरी बाई	"	अकलेरा	अ.ज.जा.
69.	श्री छोटेलाल राठौर	"	आमेठा	सामा.
70.	" रामनारायण	"	आकोदिया	अ.जा.
71.	" गोकुल चन्द्र	"	बनेठ	सामा.
72.	" वजीरवक्ष	"	बॉसखेड़ी	"
73.	" रामनारायण	"	भगवानपुरा	"

1	2	3	4
74.	श्री राजेन्द्र कुमार व्यास	उ. प्रा. वि. बाघेरा	सामा.
75.	" नारायण प्रसाद राठोर	" बुधवाड़ा	"
76.	" बीरमचन्द्र	" बन्दीपुर	"
77.	" कैलाश चन्द्र साहू	" देवरीकलां	"
78.	" नन्दकिशोर रेगर	" धानोदाकलां	अ.जा.
79.	" बालचन्द्र माली	" जरगा	सामा.
80.	" देवी लाल हरिजन	" खाताखेड़ी	अ.जा.
81.	" बाबू लाल भील	" कौलूखेड़ी	अ.ज.जा.
82.	" धन्नालाल	" खडी	सामा.
83.	" नन्दलाल	" करणवास	अन्त्योदय
84.	" रामनारायण छीपा	" कंवरपुरा	सामा.
85.	" प्रभूलाल राव	" लास	"
86.	" मोहन लाल नाई	" लाईफल	"
87.	" राधेश्याम नामा	" लसूडियाशाह	"
88.	" लालचन्द्र कश्यप	" मूण्डला	"
89.	" अब्दुल रसीद	" मउबौदा	"
90.	" भंवर लाल बैरानी	" मालनवासा	" अन्त्योदय
91.	" केसरी लाल	" पिपजाज	अ.जा.
92.	" रामकिशन मेहता	" पखराना	सामा.
93.	" नारायण लाल	" सरेडी	"
94.	" धन्नालाल	" समर	" अन्त्योदय
95.	" भैरूलाल	" सेमलीहाट	सामा.
96.	" किशन लाल मेहर	" थरोल	अ.जा.
97.	" राधेश्याम मीणा	" अकावदखुर्द	अ.ज.जा.

जिला झालावाड़ में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	विद्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1.	श्रीमती तारा बाई	बा.उ.प्रा.वि. झालावाड़	26-3-81
2.	" सुन्दर बाई	" सारोला	2-4-81
3.	" सुशीला बाई	" सारोला	28-1-82
4.	" मांगी बाई	" रटलाई	8-2-82
5.	" सुमित्रा बाई	" पंचपहाड़	19-7-82
6.	" गीता बाई	" पंचपहाड़	1-1-83
7.	" सुमित्रा बाई	" खेमड़ा	16-11-83
8.	" लक्ष्मी बाई	" पनवाड़	3-4-84
9.	" मांगी बाई	" कोटड़ा	10-5-84
10.	" सुगना बाई	बा.प्रा.वि. इकलेरा	1-2-82
11.	" कृष्णा कुंवर	" भवानीमण्डी	2-7-84

जिला बून्दी में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	विद्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1.	श्रीमती कुन्ती बाई	बा.उ.प्रा.वि. लाखेरी	1-3-70
2.	" मनभर बाई	" अलौद	1-3-78
3.	श्री छीतरसिंह	" हिण्डोली	6-12-78
4.	" प्रभू लाल	" अरनेटा	6-12-78
5.	" मांगीलाल	" तालेड़ा	9-12-78
6.	श्रीमती प्रेम बाई	" नमाना	11-2-80
7.	श्री कमलेश	" करवर	25-7-81

1	2	3	4
8.	श्रीमती गीता देवी	बा.उ.प्रा.वि. दुगारी	15-4-82
9.	" कमला	" तलवास	24-4-82
10.	" पुष्पा बाई	" गोठड़ा	22-7-82
11.	" सीता देवी	" बांसी	3-7-84
12.	" भंवरी बाई	" सुवांसा	29-6-84
13.	श्री सत्यनारायण	" टहल	30-6-84
14.	श्रीमती मंगली बाई	बा.प्रा.वि. काप्रेन	24-7-81

नये जिलों के गठन के प्रस्ताव

164. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रान्त में नये जिले बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से व कहां-कहां ?

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(3) नये जिले बनाने की घोषणायें विधान सभा में किस-किस द्वारा की गई ?

(4) ये जिले अब कब तक बना दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य के बड़े जिलों के पुनर्गठन का प्रश्न वर्ष 1980 से विचाराधीन है ।

(2) इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-9 (3) राज/ग्रुप–1/80, दिनांक 12-4-82 द्वारा जिला भरतपुर को विभाजित कर धौलपुर एक नया जिला बनाया जा चुका है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा बड़े जिलों को पुनर्गठित कर नए जिले बनाने हेतु आदेश सं. एफ. 9 (3) राज/ग्रुप–1/80, दिनांक 8-12-81 द्वारा एक उपसमिति गठित की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1983 को प्रस्तुत की जो राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

नये जिले गठित करने की घोषणा विधान सभा में किसी के भी द्वारा नहीं की गई ।

(4) अभी प्रश्न विचाराधीन है ।

जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर का मुख्यालय

165. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय पर नहीं होने के कारण जनता को तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय जिला मुख्यालय पर खोलने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य में अन्य किन्हीं जिलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्योंकि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय सवाईमाधोपुर में विद्यमान है।

(2) जी नहीं।

भरतपुर की डालमिया डेयरी का श्रम विवाद

166. **श्री हरीसिंह** (कुम्हेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में स्थित डालमिया डेयरीज ने श्रम विवाद के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक संशोधन किया है और आदेशों की अवहेलना की जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(2) जांच पूरी होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

विद्यालयों की क्रमोन्नति एवं नवीन विषय

167. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) एवं **श्री सूरज पाल सिंह** (भीनमाल) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1984-85 में सरकार का राज्य में कितनी प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत करने, कितनी उच्च प्राथमिक पाठशालाओं का माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने व कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोलने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा सत्र जुलाई से प्रारम्भ होने के बावजूद भी अभी तक समय पर स्कूलें व विषय नहीं खोले जा सके हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ? क्या राज्य सरकार भविष्य में शिक्षा

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री)

सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही यह कार्यवाही करना उचित समझती है ताकि छात्रों को समय पर पढ़ाई का लाभ मिल सके ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में राज्य सरकार 2500 नई प्राथमिक शालायें खोल रही है। 1200 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में तथा 400 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है। 450 अतिरिक्त वर्ग एवं विषय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोला जाना प्रस्तावित है।

(2) अब तक 747 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है तथा अब तक 35 संस्कृत प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है शहरी क्षेत्र में 30 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। अब तक 220 नये विषय/वर्ग एवं विषय भी खोले जा चुके हैं। नये विद्यालय एवं विषय खोलने तथा विद्यालय क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया जारी है।

ग्राम लोरडिया (फलोदी) की गोचर भूमि

168. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लोरडिया, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर में खसरा नं. 193 रकबा 79311 बीघा गैर मुमकिन गोचर 196 रकबा 301 बीघा गैर मुमकिन कुल 82111 बीघा भूमि को भूमि बन्दोवस्त के माध्यम से गोचर भूमि घोषित की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के कुल मवेशियान की संख्या 12000 को दृष्टिगत रखते हुए गोचर भूमि कम होने के कारण और 150 बीघा अतिरिक्त भूमि गोचर घोषित की गई है जो अभी तक खसरा में तरमीम नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गोचर भूमि के गोपनीय ढंग से पट्टे दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त भूमि हेतु अब तक किस-किस को किस अधिकारी/सरपंच द्वारा कब-कब कितनी-कितनी भूमि के पट्टे दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया जा रहा है और मकान बनाने हेतु पत्थर बजरी आदि डाली जा रही है और दिनांक 6 मार्च, 1984 को इस बारे में कोई शिकायत जिलाधीश, जोधपुर को की गई और उस पर आदेश नं. 5585 दिनांक 6 मार्च, 1984 के जरिये तहसीलदार के पास भेजी गई किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं । जिलाधीश ने अपने आदेश संख्या 372 दिनांक 15.5.67 को ख. नं. 193 में से केवल 677 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोचर गैर मुमकिन घोषित की है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । परन्तु यह सही है जिलाधीश को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसकी जांच तहसीलदार, फलौदी से कराई गई । जांच रिपोर्ट अनुसार गोचर भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया ।

विद्युत कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन

169. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत कर्मचारियों की पूर्व में हुई हड़ताल के दिनों के वेतन का मुगतान करने का सरकार ने निर्णय लिया था ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने कर्मचारियों को मुगतान नहीं किया व किस वजह से ?

(2) भुंभुनू जिले एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, खेतड़ी में अब तक कितनों को मुगतान किया जाना शेष है, और अब कब तक इन्हें मुगतान कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) हड़ताल की अवधि के वेतन का मुगतान किसी को भी नहीं किया गया है । अतः जिला भुंभुनू एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खेतड़ी में किसी को भी मुगतान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

जिला जालोर में 11 के. वी. लाइनें खींचने की स्वीकृति

170. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालोर जिले में जनवरी, 1982 से अगस्त, 1984 तक कुल कितनी 11 के. वी. लाइनें खींचने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई एवं कितने ट्रांसफार्मर किस-किस क्षमता के लगाये गये ?

(2) उक्त अवधि में जो उपरोक्त कार्य किया गया उसके लिए क्या अधिशाषी अभियंता सक्षम अधिकारी थे ? यदि नहीं, तो क्या अधिशाषी अभियंता ने अधीक्षण अभियंता से जो इस कार्य हेतु सक्षम अधिकारी हैं, से स्वीकृति प्राप्त की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त अवधि में हुए उक्त कार्य के लिए तकनीकी मापदण्ड एवं प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस अनियमित कार्यवाही के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

(ऊर्जा मन्त्री) **266**

उत्तर

(1) जिला जालोर में माह अप्रेल, 82 से अगस्त, 84 तक कुल 566 कि. मी. की 11 के. वी. लाइन खींचने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई एवं 100 के.वी.ए. के 21, 63 के. वी. ए. के 63 एवं 25 के. वी. ए. के 169 ट्रांसफार्मर लगाये गये ।

(2) विद्युत मण्डल में वर्तमान "डेलिगेशन ऑफ पावर्स" के तहत अधिशाषी अभियन्ता एक लाख रुपये तक के तकमीने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम है एवं तदनुसार कार्य किया । इस राशि से अधिक राशि के कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर किये गये ।

(3) उक्त अवधि में हुए कार्य के लिए तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य किया गया ।

(4) चूंकि कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर किया गया है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

चम्बल की दांयीं मुख्य नहर पर विद्युत गृह

171. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले के मांगरोल नगर के पास चम्बल की दांई मुख्य नहर पर विद्युत गृह बनाने की योजना पर स्वीकृति से अब तक कुल कितनी रकम खर्च किये जाने का प्रावधान था तथा कितनी रकम खर्च की गई ? कृपया वर्ष 1984-85 तक वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या उक्त कार्य में शिथिलता बरती जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार जनहित को मध्यनजर रखते हुए उक्त कार्य को शीघ्र प्राथमिकता पर कराये जाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1.) कोटा जिले के मांगरोल नगर के पास चम्बल की दांई मुख्य नहर पर विद्युत गृह बनाने की योजना पर वर्ष 1984-85 में 30 लाख रुपये का प्रावधान है । इस पर अब तक 21,312/– रु. खर्च किये जा चुके हैं ।

(2) जी नहीं । योजना आयोग द्वारा इस योजना के लिये वित्तीय स्वीकृति हाल ही में 25 अगस्त, 1984 को दी गई है तथा इस कार्य में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है ।

(3) इस परियोजना पर अब योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा इस पर अब तीव्र गति से कार्य किया जायेगा ।

267

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न सं. 172 की सूची

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम
1.	श्री कजोड़ मल पुत्र श्री राम निवास
2.	श्री माधोसिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह
3.	श्री रतन सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह
4.	श्री माधोसिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह
5.	श्री बद्री केशरा, राम स्वरूप, शम्भू

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न सं. 174 की सूची

नागौर जिले के क्रियाशील उ. मा. वि./मा. विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति का नाम
1	2	3
1.	रा. उ. मा. वि. नागौर	नागौर
2.	,, चावड़िया	,,
3.	,, खींवसर	मूण्डवा
4.	,, कुचेरा	,,
5.	,, मूण्डवा	,,
6.	,, मेड़तासिटी	मेड़तासिटी
7.	,, रियांवड़ी	रियांवड़ी
8.	,, डेगाना जं.	डेगाना
9.	,, जावला	,,
10.	,, हरसोर	,,
11.	,, सांजू	,,
12.	,, परबतसर	परबतसर
13.	,, मनाना	,,
14.	,, मकराना	मकराना
15.	,, कुचामनसिटी	कुचामनसिटी
16.	,, नांवा	,,
17.	,, मारोठ	,,
18.	,, कुगनवाली	,,
19.	,, डीडवाना	डीडवाना
20.	,, मोलासर	,,
21.	,, छोटीखाटू	,,

1	2		3
22.	रा.उ.मा.वि.	जायल	जायल
23.	"	लाडनूं	लाडनूं
24.	"	निम्बीजोधा	"
25.	"	जसवन्तगढ़	"
26.	रा. मा. वि.	नागौर	नागौर
27.	"	मोगेलाव	"
28.	"	अलाय	"
29.	"	श्री बालाजी	"
30.	"	ताऊसर	"
31.	"	गुढ़ा भगवानदास	"
32.	"	जोधियासी	"
33.	"	वासनी	"
34.	"	खजवाना	मुण्डवा
35.	"	रूण	"
36.	"	पांचलासिद्धा	"
37.	"	संखवास	"
38.	"	डेह	जायल
39.	"	रौल	"
40.	"	कठौती	"
41.	"	बड़ीखाटू	"
42.	"	तरनाऊ	"
43.	"	खियाला	"
44.	"	मेड़तारोड	मेड़ता
45.	"	रेंण	"
46.	"	गोटन	"
47.	"	गगराना	"
48.	"	हरसोलाव	"

1	2		3
49.	रा. मा. वि.	डांगावास	मेड़ता
50.	,,	पावूकलां	रियांवड़ी
51.	,,	बग्गड़	,,
52.	,,	बसनगर	,,
53.	,,	आलनियावास	,,
54.	,,	थांवला	,,
55.	,,	ईडवा	डेगाना
56.	,,	जोखेड़ा	,,
57.	,,	बिखरनियाकलां	,,
58.	,,	जालसूनातक	,,
59.	,,	रिड	परबतसर
60.	,,	पीह	,,
61.	,,	बड़	,,
62.	,,	मखेरी	,,
63.	,,	गुलर	,,
64.	,,	गांगलवा	,,
65.	,,	गच्छीपुरा	मकराना
66.	,,	बोरावड़	,,
67.	,,	बडस	,,
68.	,,	रोनी गांव	,,
69.	,,	कुचामनसिटी	कुचामनसिटी
70.	,,	घाटवा	,,
71.	,,	मिण्डी	,,
72.	,,	अहम्सर	,,
73.	,,	लिचाना	,,
74.	,,	मिठडी(नांवा)	,,
75.	,,	पांचवा	,,

1	2		3
76.	रा.मा.वि.	लूणवा	कुचामनसिटी
77.	,,	जिलियां	,,
78.	,,	गुढ़ासाल्ट	,,
79.	,,	कौलिया	डीडवाना
80.	,,	तोषीना	,,
81.	,,	घनकोली	,,
82.	,,	बेरीजतनपुरा	,,
83.	,,	दयालपुरा	,,
84.	,,	श्यामसर	,,
85.	,,	लादडिया	,,
86.	,,	मिठडी(लाडनूं)	लाडनूं
87.	,,	रताऊ	,,
88.	,,	कसुम्बी	,,
89.	,,	रोहू	,,
90.	,,	लेडी	,,

उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	विद्यालय का नाम		तहसील	पंचायत समिति
1	2		3	4
1.	रा. उ. प्रा. वि.	नं.-2 नागौर	नागौर	नागौर
2.	,,	नं.-3 नागौर	,,	,,
3.	,,	नं.-4 नागौर	,,	,,
4.	,,	नं.-5 नागौर	,,	,,
5.	,,	बरणोगांव	,,	,,
6.	,,	मदवासी	,,	,,

1		2	3	4
7.	रा.उ.प्रा.वि.	चेनार	नागौर	नागौर
8.	"	चाऊ	"	"
9.	"	करनू	"	"
10.	"	कुमारी	"	"
11.	"	निम्बोला मण्डोल	"	"
12.	"	सकेरण	"	"
13.	"	साडोकण	"	"
14.	"	श्यामसर	"	"
15.	"	देऊ	"	"
16.	"	ऊटवालिया	"	"
17.	"	सिणोद	"	"
18.	"	नं.-2 गुढ़ा	"	"
19.	"	चेटीसरा	"	"
20.	"	असावरी	"	मूण्डवा
21.	"	बेराकल कलां	"	"
22.	"	बिरलोका	"	"
23.	"	मीवण्डा	"	"
24.	"	इनाणा	"	"
25.	"	मांकरोदा	"	"
26.	"	फिड़ोद	"	"
27.	"	गोवाबड़ी	"	"
28.	"	कड़लू	"	"
29.	"	कुड़च्छी	"	"
30	"	माहपुरा	"	"
31.	"	नाग्वाकलां	"	"
32.	"	पांचौड़ी	"	"

1	2		3	4
33.	रा.उ.प्रा.वि.	पालेड़ी जोध 7	नागौर	मूण्डवा
34.	,,	सेनणी	,,	,,
35.	,,	किरोद	,,	,,
36.	,,	कुचेंरा	,,	,,
37.	,,	गोदारी की ढाणी	,,	,,
38.	,,	कंकड़ाय	,,	,,
39.	,,	गवालू	,,	,,
40.	,,	बलाया	,,	,,
41.	,,	अड़वड़	जायल	जायल
42.	,,	बोड़या	,,	,,
43.	,,	दुगस्ताऊ	,,	,,
44.	,,	ढेहरी	,,	,,
45.	,,	गौराऊ	,,	,,
46.	,,	जोनेरा	,,	,,
47.	,,	झोड़ेली	,,	,,
48.	,,	लूणसरा	,,	,,
49.	,,	पिण्डिया	,,	,,
50.	,,	फरड़ोद	,,	,,
51.	,,	राजोद	,,	,,
52.	,,	रोटू	,,	,,
53.	,,	सोमणा	,,	,,
54.	,,	सुरपालिया	,,	,,
55.	,,	ओकोड़ा	,,	,,
56.	,,	रोहिणा	,,	,,
57.	,,	बुगरड़ा	,,	,,
58.	,,	दुगोली	,,	,,
59.	,,	छापड़ा	,,	,,

1		2	3	4
60.	रा.उ.प्रा.वि.	ग्रोचीणा	जायल	जायल
61.	,,	कमेडिया	,,	,,
62	,,	बुढाणी	डेगाना	डेगाना
63.	,,	चकढ़ाणी	,,	,,
64.	,,	चांदणी	,,	,,
65.	,,	चुई	,,	,,
66.	,,	डेगाना गांव	,,	,,
67.	,,	डेगाना जंक्शन	,,	,,
68.	,,	जालसू कलां	,,	,,
69.	,,	खुडीकलां	,,	,,
70.	,,	किरोदा	,,	,,
71.	,,	कीतलसर	,,	,,
72.	,,	मेवड़ा	,,	,,
73.	,,	निम्बड़ी कलां	,,	,,
74.	,,	निम्बोड़ा कलां	,,	,,
75.	,,	पून्दलाता	,,	,,
76.	,,	पालड़ी कलां	,,	,,
77.	,,	सिरासना	,,	,,
78.	,,	राजलाता	,,	,,
79.	,,	निम्बड़ी चान्दावता	,,	,,
80.	,,	हिरणी ढाणी	,,	,,
81.	,,	इग्यासनी	,,	,,
82.	,,	चान्दारण	,,	,,
83.	,,	डावोली मीणा	,,	,,
84.	,,	बंवरला	,,	,,
85.	,,	नं.-1 मेड़ता सिटी	मेड़ता सिटी	मेड़ता सिटी

1	2	3	4
86.	रा.उ.मा.वि. नं.-2 मेड़ता सिटी	मेड़ता सिटी	मेड़ता सिटी
87.	,, बड़गांव	,,	,,
88.	,, वासनीसेजा	,,	,,
89.	,, दताणी	,,	,,
90.	,, ढावा	,,	,,
91.	,, इन्दावड़	,,	,,
92.	,, जारोड़ा	,,	,,
93.	,, खेड़ली	,,	,,
94.	,, लूरडाया 9	,,	,,
95.	,, लाम्बाजाटान	,,	,,
96.	,, मेड़तारोड़	,,	,,
97.	,, माकाला	,,	,,
98.	,, लौखी चान्दावता	,,	,,
99.	,, पून्दलू	,,	,,
100.	,, टालनपुर	,,	,,
101	,, कात्यासनी	,,	,,
102.	,, रेणा	,,	,,
103.	,, छाबड़ली	,,	,,
104.	,, खूरवासनी	,,	,,
105.	,, आकेली "ऐ"	,,	रियाबड़ी
106.	,, बीजाकल	,,	,,
107.	,, चावण्डिया	,,	,,
108.	,, चुन्दिया	,,	,,
109.	,, डोडीयाना	,,	,,
110.	,, डाकया	,,	,,
111.	,, भोलेराव कलां	,,	,,

1		2	3	4
112.	रा. उ. प्रा. वि.	लाडवा	मेड़ता सिटी	रियाबड़ी
113.	,,	लाम्पोलाई	,,	,,
114.	,,	लिलिया	,,	,,
115.	,,	पादूखूज	,	,,
116.	,,	रोहिसा	,,	,,
117.	,,	बेसनेडिया	,,	,,
118.	,,	भेरून्दा	,,	,,
119.	,,	लाडपुरा	,,	,,
120.	,,	मोररा	,,	,,
121.	,,	ढाणीपुरा	,,	,,
122.	,,	परबतसर	परबतसर	परबतसर
123.	,,	बागोट	,,	,,
124.	,,	बाजवांस	,,	,,
125.	,,	बस्सी	,,	,,
126.	,,	मादवा	,,	,,
127.	,,	बिदियाद	,,	,,
128.	,,	हरनावा	,,	,,
129.	,,	जंजोला	,,	,,
130.	,,	कुराड़ा	,,	,,
131.	,,	मंगलाना	,,	,,
132.	,,	पीलवा	,,	,,
133.	,,	पीतलाद	,,	,,
134.	,,	रावड़ियाद	,,	,,
135.	,,	रोहिण्डा	,,	,,
136.	,,	मायापुर	,,	,,
137.	,,	कितसोरिया	,,	,,

1	2	3	4
138.	रा. उ. प्रा. वि. छिटरपुरा	परबतसर	परबतसर
139.	,, डोछर	,,	,,
140.	,, चिताई	,,	,,
141.	,, बासेड़	,,	,,
142.	,, मकराना न.-1	परबतसर	मकराना
143.	,, आसरवा	,,	,,
144.	,, बरवाली	,,	,,
145.	,, बाजोली	,,	,,
146.	,, खेतरोली	,,	,,
147.	,, बरवाला	,,	,,
148.	,, मिवावा	,,	,,
149.	,, भेड़सिया	,,	परबतसर
150.	,, देवरी	,,	मकराना
151.	,, गेलासर	,,	,,
152.	,, गेढ़ाकलां	,,	,,
153.	,, जसवन्तपुरा	,,	,,
154.	,, जूसरी	,,	,,
155.	,, ढालवा	,,	,,
156.	,, छोरड़िया	,,	,,
157.	,, मोरेड़	,,	,,
158.	,, रामतिया	,,	,,
159.	,, सबलपुर	,,	,,
160.	,, जाखली	,,	,,
161.	,, चावण्डिया	,,	,,
162.	,, इन्दौसा	,,	,,
163.	,, अलतवां	,,	,,

1		2	3	4
164.	रा. उ. प्रा. वि.	गिगालिया	परबतसर	मकराना
165.	"	मकराना नं. 2	"	"
166.	"	मामडोली	"	"
167.	"	डुडिया	"	"
168.	"	भयांकलां	"	"
169.	"	कुचामन सिटी	नांवा	कुचामन सिटी
170.	"	नांवा	"	"
171.	"	मांवता	"	"
172.	"	चितावा	"	"
173.	"	चौसला	"	"
174.	"	देवेलीकलां	"	"
175.	"	डूड़ील	"	"
176.	"	जाबदीनगर	"	"
177.	"	कांकरिया	"	"
178.	"	झारिया	"	"
179.	"	लाडास	"	"
180.	"	मुआना	"	"
181.	"	पलाड़ा	लांबा	परबतसर
182.	"	रसाल	"	"
183.	"	श्यामगढ़	"	"
184.	"	अबलपुरा	"	"
185.	"	करकेड़	"	"
186.	"	शिव	"	"
187.	"	कुचामन सिटी	"	"
188.	"	नमवाड़ा	"	"
189.	"	राजोतया	"	"

1	2		3	4
190.	रा. उ. प्रा. वि.	चावण्डिया	नांवा	परबतसर
191.	,,	जिजोट	,,	,,
192.	,,	खोखड़की	,,	,,
193.	,,	भगवानपुरा	,,	,,
194.	,,	पांचाला	,,	,,
195.	,,	नं. 1 डीडवाना	डीडवाना	डीडवाना
196.	,,	2 डीडवाना	,,	,,
197.	,,	3 डीडवाना	,,	,,
198.	,,	4 डीडवाना	,,	,,
199.	,,	आकोदा	,,	,,
200.	,,	बड़विरा	,,	,,
201.	,,	बरडवा	,,	,,
202.	,,	बरागना	,,	,,
203.	,,	बालिया	,,	,,
204.	,,	दान्ता	,,	,,
205.	,,	छोटी छापरी	,,	,,
206.	,,	छावड़ा	,,	,,
207.	,,	दाउदसर	,,	,,
208.	,,	करापा	,,	,,
209.	,,	दौलतपुरा	,,	,,
210.	,,	साखोती	,,	,,
211.	,,	खनखुना	,,	,,
212.	,,	लालासरी	,,	,,
213.	,,	मामडोदा	,,	,,
214.	,,	निगोदे	,,	,,
215.	,,	सागूबड़ी	,,	,,

1	2		3	4
216.	रा. उ. प्रा. वि.	सिंघाना	डीडवाना	डीडवाना
217.	,,	सूपका	,,	,,
218.	,,	पावा	,,	,,
219.	,,	मदोलिया नोसर	,,	,,
220.	,,	दूदोली	,,	,,
221.	,,	बेमोठकलां	,,	,,
222.	,,	मालासर	,,	,,
223.	,,	मोवा	,,	,,
224.	,,	पागड़ी	,,	,,
225.	,, नं. 1	लाडनूं	लाडनूं	लाडनूं
226.	,, 2	लाडनूं	,,	,,
227.	,,	बल्दू	,,	,,
228.	,,	वाकलिया	,,	,,
229.	,,	घोलिया	,,	,,
230.	,,	घिरडोदा मीसा	,,	,,
231.	,,	हड़ास	,,	,,
232.	,,	ध्यावा	,,	,,
233.	,,	ओडढ़	,,	,,
234.	,,	रिंगण	,,	,,
235.	,,	संवराद	,,	,,
236.	,,	सारड़ी	,,	,,
237.	,,	सिलनवाद	,,	,,
238.	,,	सुनारी	,,	,,
239.	,,	तंवरा	,,	,,
240.	,,	उदरासर	,,	,,
241.	,,	बालसमन्द	,,	,,
242.	,,	डाबड़ी	,,	,,

मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागौर ज़िला.

1. श्री फलौदी पार्श्वनाथ उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेड़तारोड़

जिला नागौर में क्रियाशील बालिका विद्यालयों की सूची सत्र 1984-85

बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय :

1. रा.बा.उ.मा.वि., नागौर (शहरी क्षेत्र)
2. रा.बा.उ.मा.वि., कुचामनसिटी

बालिका माध्यमिक विद्यालय :

1. रा.बा.मा.वि. लाडनूं
2. ,, नांवा
3. ,, डीडवाना
4. ,, परबतसर
5. ,, मकराना
6. ,, मेड़तासिटी
7. ,, मूण्डवा
8. ,, जसवन्तगढ़

बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय :

1. रा.बा.उ.प्रा.वि. कुचामनसिटी
2. ,, डीडवाना
3. ,, लाडनूं
4. ,, कुचेरा
5. ,, कोलिया
6. ,, मोलासर
7. ,, लादड़िया
8. ,, मण्डूकरा
9. ,, डेगाना
10. ,, हरसौर
11. ,, चांदारण
12. ,, सांजू
13. ,, बंवाल
14. ,, ढाढोता
15. ,, अलाय
16. रा.बा.उ.प्रा.वि. रोहिणी
17. ,, तांतवास
18. ,, बासनी
19. ,, बोरावड़
20. ,, मनाना
21. ,, झिलीया
22. ,, गच्छीपुरा
23. ,, जायल
24. ,, रोल
25. ,, छोटीखाटू
26. ,, तरनाऊ
27. ,, मारोठ
28. ,, मिठड़ी (नांवा)
29. ,, बूडसू
30. ,, टोडास
31. ,, देवली कलां
32. ,, मेड़तारोड़
33. ,, अरनियाला
34. ,, डांगावास
35. ,, निम्बीजोधा
36. ,, लेडी
37. ,, मिठड़ी (लाडनूं)
38. ,, जसवन्तगढ़
39. ,, रोडू
40. ,, रियांबड़ी
41. ,, थांवला
42. ,, गोटन

बालिका प्राथमिक विद्यालय :

1. रा.बा.प्रा.वि. नागौर
2. ,, नांवा
3. ,, मकराना
4. ,, परबतसर
5. ,, मेड़तासिटी
6. ,, मूण्डवा

30 अगस्त, 1984 तक निर्वाचन क्षेत्र नागौर में विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता (स्कूल)	द्वि. वे. शृं.	तृ. वे. शृं.
उच्च माध्यमिक/माध्यमिक :				
1.	रा.बा.उ.मा.वि. नागौर	एक (गृह विज्ञान)	—	—
2.	रा.मा.वि. जोधियासी	—	—	—
उच्च प्राथमिक/प्राथमिक :				
1.	रा.उ.प्रा.वि. धरणगांव	—	—	1
2.	,, भदवासी	—	—	1
3.	,, साडोकन	—	—	1
4.	,, ऊंटवालिया	—	—	1
5.	,, श्यामसर	—	—	1
6.	,, देऊ	—	—	1
7.	,, सिणोद	—	—	2
8.	,, चाऊ	—	—	1
9.	,, सपेरण	—	—	1
10.	,, पिडोद	—	—	1
11.	,, गोवाबड़ी	—	—	2
12.	,, भवन्डा	—	—	2
13.	,, सेनणी	—	—	1
14.	,, विरलोका	—	—	1
15.	,, बडलू	—	—	1
16.	,, इनाणा	—	—	1
17.	,, भांकरोद	—	—	1
18.	,, नारवा कलां	—	—	1
	योग :	—	—	21

283

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं. 175 की सूचियां

सूची अ–1

पंचायत समिति खारची में अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 1984 तक ग्रामवार दिये गये विद्युत कनेक्शन की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कृषि	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5
1.	घूंघला	8	4	2
2.	बिठौडा खुर्द	18	38	4
3.	वड़िया	—	16	1
4.	मान्डा	10	64	3
5.	हेमलियावास खुर्द	—	84	6
6.	गुढ़ा देकसरसिंह	7	87	—
7.	कारोलिया	1	31	1
8.	भिमलिया	12	101	1
9.	मलसा बवडी	5	39	4
10.	दान्टालिया	25	87	6
11.	दादिया	3	34	2
12.	राणावास	28	50	8
13.	पांचेटिया	2	2	4
14.	धामली	28	55	1
15.	मादाना	27	64	1
16.	वाता	28	97	5
17.	जैतपुरा	—	25	2
18.	जागिडावास	—	40	—
19.	गुढारामसिंह	12	47	—

1	2	3	4	5
20.	मुसालिया	24	71	5
21.	सींचाना	2	32	—
22.	अखांवास	—	75	—
23.	खिरयारी	19	41	—
24.	खुगालिया	—	5	—
25.	आंगदोज	3	7	—
26.	सारन	2	30	1
27.	इमलियावास कलां	8	5	—
28.	हिंगोला खुर्द	1	4	—
29.	बाजार खारची	1	41	1
30.	चेलावास	—	89	1
31.	बड़ी	2	19	—
32.	जाडन	—	23	—
33.	रेवडिया	2	—	—
34.	गुंडागिरी	7	—	—
35.	खरवाड़	2	54	3
36.	शेखावास	125	43	1
37.	दूदौड़	1	38	1
38.	राजदियावास खुर्द	—	15	—
39.	कराडी	—	67	—
40.	जाणदा	3	27	—
41.	आऊआ	5	48	1
42.	देवली आऊवा	1	4	—
43.	बेगारी	25	55	5
44.	राजदियावास कलां	—	40	2
45.	वीरनाड़ी	13	23	1

1	2	3	4	5
46.	मेलावास	24	30	2
47.	खारची	—	45	5
48.	ढढ्ढावास	19	55	—
49.	चिठोड़ा खुर्द	2	9	1
50.	बासनी जोजावर	—	10	1
51.	चिदपटिया	—	18	2
52.	गुढ़ा मेकरण	—	1	1
53.	रिसानिया	—	30	3
54.	बाडसा	5	21	—
55.	जोजावर	8	34	—
56.	राजीला खुर्द	13	1	2
57.	फुलाद	—	13	1
58.	सेवाज	25	33	2
59.	ठाकुरवास	5	37	2
60.	बीरीमादा	—	—	1
61.	सेंचियावास	—	—	1
62.	हिंगोला कलां	—	31	1
63.	नीमली मांडा	3	44	3
64.	चोवछिया	12	10	—
65.	गुढ़ा मूरसिंह	12	21	—
66.	मूरसिंहपुरा	1	38	1
67.	फूलियर	2	13	—
68.	खुशालपुरा	2	—	—
69.	गुढा नोवा	19	—	—
70.	मीवाली	2	—	—
71.	गोपावास	4	—	—

1	2	3	4	5
72.	गोदावास	5	—	1
73.	भीलावास	1	—	—
74.	नयागांव	3	—	—
75.	मेलाफ	1	—	—
76.	नाराना	—	6	—

सूची–व–1

कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम)

राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल – सारची

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने के क्रम में सूचना

क्र. सं.	ग्राम का नाम	हरिजन वस्ती/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति	विद्युतीकरण की तारीख
1	2	3	4
1.	जानूदा	मेघावालों का वास	जून, 1983
2.	,,	रेगरों का वास	जून, 1983

सूची अ–2

पंचायत समिति देसूरी में अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 1984 तक ग्रामवार दिये गये विद्युत कनेक्शन की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कृषि	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5
1.	लांपी	1	27	—
2.	सुमेर	6	1	—
3.	गांथी	1	37	2
4.	बगोल	14	173	1
5.	कोलार	11	39	1
6.	गुढ़ा आसकरण	2	6	2
7.	गुढ़ा देवरान मेड़तिया	2	—	1
8.	मगर तलाव	5	45	2
9.	कोटसोलंकिया	1	22	4
10.	कनोता	19	32	2
11.	आशापुरा	1	18	—
12.	मंढा दुर्जन	5	—	—
13.	गुढा गोपीनाथ	6	—	—
14.	सांसरी	7	21	2
15.	मेवीकलां	14	—	2
16.	अनेवा	2	—	—
17.	केसोली	—	31	3
18.	अठाठिया	2	10	1
19.	गुढा अखेराज	8	6	1
20.	मण्डपुर	1	—	—
21.	डालानां कलां	3	119	4

1	2	3	4	5
22.	गुढा जेलावतान	—	18	—
23.	डालाना खुर्द	—	—	1
24.	काना	—	—	—
25.	आना	5	79	2
26.	सोमावास	2	—	—
27.	करनावा	26	51	2
28.	घालोप	26	76	2
29.	कोटड़ी	10	62	1
30.	गुढा पृथ्वीराज	9	10	2
31.	सारंगवास	3	7	—
32.	सोनाना	—	33	1
33.	दुधापुरा	—	1	1
34.	सिदरली	8	52	—
35.	गिराली	—	33	1
36.	बड़ोद	19	16	1
37.	सरूतूर	29	35	1
38.	बारचा	2	2	—
39.	पदमपुरा	—	7	—
40.	उंदरथल	17	14	1
41.	मोरखा	17	70	—
42.	गुढा मांगलियान	13	23	4
43.	छौड़ा	3	6	2
44.	चूना	9	37	—
45.	गुढ़ा जाटान	6	48	2
46.	राजपुरा	8	23	2
47.	सुथारों का गुढ़ा	2	54	2

1	2	3	4	5
48.	मांडीगढ़	10	1	—
49.	जोव	3	—	—
50.	गुढ़ा पाटियान	5	1	—
51.	वाड़ा सोलंकियान	6	27	—
52.	बीरमपुरा	11	33	—
53.	नया मंडा	5	5	—
54.	गुढ़ा कलियान	1	—	—
55.	तीजी	2	—	—
56.	चक सूजपुरा	5	—	—
57.	अलसीपुरा	5	—	—
	योग :	371	1416	55

ओ. एण्ड एम. फालना से हस्तान्तरित किये गये गांवों की सूची

1.	घाणेराव	2	130	—
2.	दादाई	36	49	—
3.	सादड़ी	77	313	10
4.	मदा	12	135	—
5.	नाडोल	16	140	1
6.	मरलाई	1	29	—
7.	देसूरी	8	106	1
	योग :	152	902	12

290

सूची—ब—2

पंचायत समिति देसूरी के अधीनस्थ ग्रामों में 1 अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 1984 तक अनुसूचित बस्तियों एवं रोड़ लाइट को दिये गये विद्युतीकृत गावों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	रोड़ लाइट की सं.	वर्ष
1.	केसूली	1	1982-83
2.	सिंदरली	1	1980-81
3.	कोठसीलांकयान	1	1983-84
4.	नगोल	1	1980-81
5.	आयलाना कलां	1	1983-84
6.	रसा रंगवाल	1	1982-83
7.	ढालेप	1	1981-82

अनुसूचित बस्तियों के विद्युतिकृत किये गये गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	हरिजन बस्ति की संख्या	वर्ष
1.	मोरखा	1	1979-80
2.	ढालोप	2	1981-82
3.	केसूली	2	1982-83
4.	कोट सेलंकियान	1	1983-84
5.	करणापा	4	1984-85
6.	डायलाना खुर्द	1	1984-85
7.	गुडा पृथ्वीराज	4	1984-85
8.	कोलड़ी	1	1984-85

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल फालना (वरि. एवं संधा.) द्वारा चार वर्षों में अनुसूचित बस्तियों को विद्युतीकृत किये गये गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	वर्ष
1.	नारलाई	4	1981-82
2.	दलदई	1	1982-83
3.	घाणेराव	5	1980-81
4.	मादा	3	1980-81
5.	देसूरी	5	1980-81

सूची–अ–3

पंचायत समिति रानी में अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 1984 तक (आर. ई. सी.) के अधीन ग्रामवार दिये गये विद्युत कनेक्शनों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कृषि	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5
1.	बररी	9	—	—
2.	बोर्डी	17	4	1
3.	ऐलानी	1	—	—
4.	घेनड़ी	9	84	5
5.	गजनीपुरा	1	5	2
6.	गवाड़ा	1	25	1
7.	गुढ़ा ठाकुरजी	10	32	—
8.	गुढ़ा मााताजी	1	5	—
9.	गुढ़ा केसरसिंह	9	—	—
10.	गुढ़ा रूपसिंह	1	9	—

1	2	3	4	5
11.	गुढ़ा रामाजी	7	14	1
12.	गुढ़ा जेतसिंह	—	50	1
13.	इन्दरवाड़ा	34	9	1
14.	जीवन कलां	8	49	3
15.	जीवन खुर्द	16	4	—
16.	केरली	1	6	1
17.	निप्पल	9	79	3
18.	रायपुरिया	8	12	1
19.	सेपटावा	21	—	—
20.	टोकरला	12	3	—
21.	वण्डार	—	9	—
22.	प्रांकेड़ावास	4	11	1
23.	बिगरेला	3	21	—
24.	भगवानपुरा	8	24	1
25.	वोलाकुरा	6	2	1
26.	घारिया	13	7	2
27.	देवली	9	19	—
28.	गुढ़ा महराम	—	13	—
29.	गुढ़ा भीमसिंह	—	—	—
30.	गुढ़ा गंगा	—	—	—
31.	गुढ़ा दोलजी	1	—	—
32.	गुढ़ा मेघसिंह	—	—	—
33.	इतेन्द्रा मेड़तिया	4	54	2
34.	जवाली	2	173	3
35.	किशनपुरा	4	90	2
36.	खारड़ा	9	22	—

1	2	3	4	5
37.	नादाना जोधान	4	4	—
38.	ओडवाडिया	1	1	—
39.	रूंगड़ी	16	15	1
40.	रावडियावास	2	—	—
41.	मालरिया	2	23	2
42.	सावलता	1	18	—
43.	बालराई	5	69	2
44.	चाचोड़ी	14	51	—
45.	मांडल	28	60	3
46.	गुढ़ा सुनी	14	19	—
47.	गुढ़ा नवां	14	10	1
48.	गुढ़ा दुर्गादास	—	—	—
49.	हिरनकुढ़ी	2	—	—
50.	खेंटूट्र खेड़ा	3	20	—
51.	कल्योरणपुरा	—	—	—
52.	नादाना माटान	4	3	—
53.	प्रतापगढ़	—	24	1
54.	पादरली तुर्कान	2	—	—
55.	सेदरियां	11	16	—

परि. एवं संधारण फालना के अधीन रानी समिति के गांव :

1	2	3	4	5
1.	रानी स्टेशन	8	113	34
2.	रानी गांव	11	27	3
3.	दूदवर	—	16	—
4.	पादरली	—	—	—
5.	पुनाडिया	9	19	1
6.	इटन्द्रा चारनान	12	17	—
7.	बिजोवा	27	71	1
8.	बकांना	16	18	1
	कुल योग :	444	1399	82

सूची–ब–3

रानी पंचायत समिति में 1980 से सितम्बर, 1984 तक आर. ई. सी. रानी द्वारा निम्न गावों के आगे वर्णित मोहल्लों में विद्युतिकरण किया गया जिसमें रोड़ लाईट सुविधा उपलब्ध कराई गई

क्र. सं.	गांव का नाम	हरिजन मोहल्लों की संख्या	विद्युतिकरण का दिनांक
1.	वालराई	2 मोहल्ले	नवम्बर, 81
2.	गुड़ाखुनी	4 ,,	नवम्बर, 81
3.	गुड़ानंवा	4 ,,	नवम्बर, 81
4.	चाचोड़ी	3 ,,	नवम्बर, 81
5.	नाड़ान माटान	2 ,,	जनवरी, 84
6.	जवाली	4 ,,	अगस्त, 84
7.	जवाली	3 ,,	सितम्बर, 84

रानी पंचायत समिति में फालना (ओ. एण्ड एम.) उपखण्ड के अधीन गांवों में हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण एवं रोड़ लाईट कनेक्शन

1.	रानी	1 मोहल्ले	वर्ष 81–82
2.	वरकाणा	1 मोहल्ले	वर्ष 80–81
	कुल योग :	24	

24 मोहल्ले एवं 9 गांवों को रोड लाईट कनेक्शन दिये गये।

परिशिष्ट-70

295

अतारांकित प्रश्न सं. 176 की सूचियां

अप्रेल, 1980 से 11 सितम्बर, 1984 तक स्वीकृत ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	स्कीम	पंचायत समिति	ग्रामों की संख्या
1.	ए. पी. ए. स्कीम, खानपुर	खानपुर	25
2.	(आर. ई. सी.) ओ. बी., खानपुर	खानपुर	19
3.	एस. पी. ए. स्कीम, पिड़ावा	पिड़ावा	11
4.	एस. पी. ए., झालरापाटन	झालरापाटन	16
5.	(आर. ई. सी.) ओ. बी. स्कीम, मनोहरथाना	मनोहरथाना	60
6.	ओ. बी. स्कीम, बकानी	बकानी	56
7.	ओ. बी., डग	डग	71
8.	ओ. बी. स्कीम, पिड़ावा	पिड़ावा	28
		योग :	286

अप्रेल, 1980 से 11 सितम्बर, 1984 तक विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति	क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति
1	2	3	1	2	3
1.	बोरवंद	पिड़ावा	23.	माथनियां	पिड़ावा
2.	खेमलीमवानी	,,	24.	सैलानी	,,
3.	रावल	,,	25.	किसगोला	खानपुर
4.	डाबल	,,	26.	कालूखेडी	,,
5.	मन्दिरपुर	डग	27.	मोहनपुर	,,
6.	भारका	,,	28.	जेठादी	,,
7.	बानी	झालरा पाटन	29.	मेहंदरी	,,
8.	आडूखेड़ी	,,	30.	सुवालिया	,,
9.	सींगरिया	पिड़ावा	31.	गुलखेडी	,,
10.	सनेरिया	,,	32.	खूजा	,,
11.	कोटरा प्रताप	,,	33.	खाटाखेडी	,,
12.	बीलिया बुजुर्ग	,,	34.	श्रोघपुर	,,
13.	गोलाना	खानपुर	35.	सरकन्डिया	,,
14.	रनया खेडी	,,	36.	बांगदसी	,,
15.	ललावता	,,	37.	आलनपुर	,,
16.	रमरोला कलां	,,	38.	सांगाहेड़ा	,,
17.	दमदिया	,,	39.	ईरली	,,
18.	मालनवासा	,,	40.	चन्दलोया	,,
19.	लोमो	,,	41.	हटोला	,,
20.	सुनारिया	,,	42.	हटोली	,,
21.	काडीखेड़ा	,,	43.	सारोला खुर्द	,,
22.	सेमली कल्याण	पिड़ावा	44.	करखेड़ा	,,

1	2	3
45.	श्योनगर	खानपुर
46.	मूण्डी	,,
47.	मरतपुर	,,
48.	महुआ खेड़ा	,,
49.	कोडरयान	,,
50.	अकावद खुर्द	,,
51.	अकावद कलां	,,
52.	देवरी	,,
53.	करनवास	,,
54.	अम्बाला	,,
55.	मालूनी	,,
56.	खन्डी	,,
57.	छापन खुर्द	,,
58.	उमरिया	,,
59.	जोलपा	,,
60.	बोहरा	,,
61.	कुंजर	,,
62.	सरायता	,,
63.	चिटावा	,,
64.	डोंडा	,,
65.	हाली हेडा	,,
66.	गुरजानी	,,
67.	फंगाहेडी	,,
68.	सिमपुर	झालरा पाटन
69.	हरनी खेड़ी	डग
70.	मटखेड़ी	,,
71.	पीपाखेड़ी	डग
72.	बेरला	,,
73.	बरडिया	,,
74.	पदमा खेड़ी	,,
75.	कल्याणपुरा	,,
76.	हरिगढ	खानपुर
77.	काकरदा	,,
78.	चावपुरा	,,
79.	लडानियां	,,
80.	अतरवाडा	,,
81.	जामुनिया	डग
82.	बरडियाबीजी	,,
83.	पालिया खेड़ी	झालरापाटन
84.	खेरखेडा	,,
85.	मलसानी	,,
86.	निरधारी	,,
87.	जीतमपुरा	खानपुर
88.	वरड ग्वालिया	,,
89.	पदमिया	,,
90.	चमलासा	,,
91.	लायफल	,,
92.	बागोद	,,
93.	वासखेड़ी	,,
94.	बोरदा	,,
95.	वानोर	पिड़ावा
96.	रुपारेल	,,

1	2	3	1	2	3
97.	चावन्डिया	पिड़ावा	105.	रायपुरा	झालरापाटन
98.	रुपखेडी	,,	106.	फोजलपुरा	,,
99.	मन्डार	,,	107.	नाला	,,
100.	मटखेड़ा	,,	108.	लक्ष्मीपुरा	बकानी
101.	बींकरिया	,,	109.	टेकला	,,
102.	भींकरी	,,	110.	हरीपुरा(घन्टालिया)	,,
103.	कल्याणपुर	,,	111.	वेरागढ़	,,
104.	मोखमपुरा	झालरा पाटन	112.	झांझनी	डग

विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 1984 तक

क्र. सं.	ग्राम का नाम	बस्ती की संख्या	क्र. सं.	ग्राम का नाम	बस्ती की संख्या
1	2	3	1	2	3
	सन् 1980-81			**सन् 1982-83**	
1.	ल्हास	7	1.	किशनपुरा आंतरी	1
2.	गरवोलिया	7	2.	राजपुरा	2
3.	आँवली कलाँ	2	3.	गोपालपुरा	1
4.	बालदा	2	4.	भालता	3
5.	गंगधार	10	5.	हरीपुरा	2
6.	घरनावद	1	6.	देवर	3
7.	वागेर	2	7.	महेशपुरा	3
			8.	मायाखेड़ी	2
	योग :	31		योग :	17
	सन् 1981-82				
	निल	निल			

क्र. सं.	ग्राम का नाम	बस्ती की संख्या
1	2	3
	सन् 1983-84	
1.	काम खेड़ा	1
2.	मनोहरथाना	3
3.	खरेड़ी	1
4.	घरोल	1
5.	खन्ड़िया गांव	1
6.	देवडूंगरी	1
7.	दुधालिया	1
8.	रिजोन	3
9.	रातयाडूंगरी	1
10.	झालावाड़	7
11.	झालरापाटन	5
12.	मनोहरथाना	6
13.	पिड़ावा	2
14.	सुनेल	2
15.	भवानी मंडी	5
	योग :	40
	सन् 1984-85	
1.	रुण्डलाव	2
2.	लोवाखेड़ा	1
3.	करावन	3
4.	झांझनी	1
5.	खानपुर	8
	योग :	15

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न सं. 177 का विवरण व सूची)

पाठ्यक्रम समितियों की सदस्यता की पात्रता हेतु बोर्ड विनियम 3 एवं 3 (अअ)/ अध्याय–6 तथा विनियम 2 अध्याय–5 के विवरण

प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति में कम से कम तीन या अधिक से अधिक चार ऐसे सदस्य होंगे जो मान्यता प्राप्त सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी स्कूलों में समिति से सम्बद्ध विषय/विषयों का अध्यापन कराने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के कम से कम एक विषय विशेषज्ञ को सदस्य रखा जावे। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रध्यापक/प्राचार्य एवं अकादमिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी स्कूल साइड में मानते हुए आवश्यकतानुसार सदस्य चयनित किया जा सकता है। किन्तु संस्कृत परीक्षा समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

(1) प्रवेशिका परीक्षा के लिये मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्था का प्रधानाध्यापक – एक।

(2) उपाध्याय परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्था का प्राचार्य – एक।

(3) निदेशक (संचालक) संस्कृत शिक्षा।

(4) बोर्ड के द्वारा निर्वाचित अन्य विद्वान।

विनियम–2 अध्याय–5 :—

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो बोर्ड के द्वारा नियुक्ति किसी समिति की सदस्यता संख्या पांच से अधिक नहीं होगी परन्तु हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिकज्ञान, सामान्य विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्क्रम समितियों में प्रत्येक में छः वाणिज्य, कला एवं उद्योग पाठ्यक्रम समितियों में प्रत्येक में सदस्य संख्या सात, तथा संस्कृत परीक्षा एवं पाठ्यक्रम समिति में सदस्य संख्या नौ रहेगी।

विनियम–3 (अ) अध्याय–6 :—

प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा के लिए संस्कृत विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का पाठ्यक्रम व पुस्तकों का चयन सम्बन्धित विषय समिति से कराए जाने हेतु संस्कृत शिक्षा का एक प्रतिनिधि।

टिप्पणी :—बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 27 व 28 सितम्बर, 1979 में पाठ्यक्रम समितियों के गठन के समय निम्नलिखित निर्णय भी किये थे ।

(1) निम्नलिखित विषयों में प्रविष्ट होने वाले छात्र/छात्राओं की क्रम संख्या को दृष्टि में रखते हुए इन विषयों को पाठ्यक्रम समितियों में सदस्यों की संख्या तीन रखना पर्याप्त माना जावे । तदनुसार इन विषयों को पाठ्यक्रम समितियों के लिए विनियम–3 अध्याय–6 के अनुसार स्कूल साइड के कम से कम तीन एवं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कम से कम एक सदस्य रखने के प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे :—

(1) सिन्धी (2) पंजाबी (3) मलयालम
(4) तमिल (5) गुजराती (6) बंगाली ।

(2) राजस्थान साहित्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के विषयों के योग्य अध्यापकों की कमी को दृष्टि में रखते हुए इन विषयों को पाठ्यक्रम समितियों के लिए भी पूर्वानुसार विनिमय–3 अध्याय–6 के प्रतिबन्ध को नहीं रखा जाय । बोर्ड द्वारा अपनी त्रैवार्षिक चुनाव की बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1957 की धारा 22 (1) (क) में अंकित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम समितियों द्वारा समितियों की सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित किये जाते हैं और उसमें निर्धारित संख्या से अधिक के नाम से प्रस्तावित होने पर मतगणना द्वारा निर्वाचन होता है ।

(1) अंग्रेजी पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री सूरजमाल सिंह,
   प्रधानाचार्य,
   राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   बीकानेर ।
2. श्री अब्दुल हई कुरेशी, व्याख्याता,
   राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   जोधपुर ।
3. श्री सत्यनारायण दाधीच, प्रधानाध्यापक,
   राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   कुचामन सिटी (नागौर) ।
4. श्रीमती सरला रानी बढ़ेरा, प्राचार्या,
   सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय,
   भीलवाड़ा ।

5. श्री जी० एन० अरोड़ा, प्राचार्य,
एम० एस० जे० महाविद्यालय,
भरतपुर।

6. श्री माली राम शर्मा,
नन्द निकेतन, जेल का कुआं,
बीकानेर। (संयोजक)

7. श्री सागर मल दीक्षित, प्रधानाध्यापक,
राजकीय संस्कृत विद्यालय, शिवसिंहपुरा वाया – सामोद
जिला – जयपुर (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(2) हिन्दी पाठ्यक्रम समिति :

1. श्रीमती सुमन शर्मा, प्रधानाचार्या,
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महिला विद्यालय,
बून्दी।

2. श्री रामचन्द्र देवपुरा, प्रधानाध्यापक,
श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)।

3. श्री सन्तोष कुमार आत्रेय, प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
सुलताना (झुन्झुनू)।

4. डॉ० नरपत चन्द सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय,
जोधपुर।

5. श्री भंवर लाल शर्मा, निदेशक,
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उदयपुर। (संयोजक)

6. श्री रामपाल शर्मा, प्रधानाध्यापक,
राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय,
श्रीमाधोपुर (सीकर) (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(3) **संस्कृत पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री वासुदेव शास्त्री,
अनुसंधान सहायक,
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उदयपुर ।

2. श्री गदाधर भट्ट, प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
सुनेल (झालावाड़) ।

3. श्री चन्द्रशेखर तुलछिया,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
काकरवा (चित्तौड़गढ़)।

4. सुश्री यशोदा रानी सक्सेना,
शिक्षा उपनिदेशक (महिला),
उदयपुर ।

5. डॉ० प्रभाकर शास्त्री,
एसोसिएट प्रोफेसर एवं रीडर,
संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर । (संयोजक)

(4) **अरबी, फारसी एवं उर्दू पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री अब्दुल सलाम खां,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
मोती कटला, जयपुर ।

2. श्री मोहम्मद इकबाल शेख,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय कंवरपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय,
उदयपुर ।

3. श्री महमूदुल हसन रूमानी,
सहायक अध्यापक,
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जोधपुर ।

4. डॉ. मोहम्मद अली जैदी,
विभागाध्यक्ष उर्दू,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर। (संयोजक)

(5) **इतिहास पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्रीमती सन्तोष कुमारी,
प्रधानाध्यापिका,
महिला आश्रम उच्च माध्यमिक विद्यालय,
भीलवाड़ा।
2. श्री केशरी सिंह, प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
लूणकरणसर (बीकानेर)।
3. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय दरबार माध्यमिक विद्यालय,
बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, जयपुर।
4. डॉ० बी० एस० माथुर,
प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. श्रीमती कमला शास्त्री,
जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्रायें),
जयपुर। (संयोजक)
6. श्री नोरत मल टांक,
वरिष्ठ अध्यापक,
राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय,
नसीराबाद (अजमेर)। (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(6) **सामाजिक ज्ञान पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री खेम चन्द्र शर्मा,
उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र),
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय,
कोटा।

2. सुश्री रसीदा खातून,
प्रधानाध्यापिका,
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
नयापुरा बाग, कोटा।

3. श्री सूरज सिंह पंवार,
सहायक प्रधानाध्यापक,
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जोधपुर।

4. श्री जगदीश प्रसाद गंगल,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
जालसू-नानक (नागौर)।

5. डॉ० बी० एस० भार्गव, प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, टोंक।

6. श्री मानक चन्द महात्मा, प्रधानाध्यापक,
बापा सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय,
सरदारशहर (चूरू)। (संयोजक)

7. श्री भंवरी लाल मारवाड़ी, सहायक अध्यापक,
राजकीय संस्कृत विद्यालय,
नायक (जयपुर)। (संस्कृत शिक्षा का प्रतिनिधि)

(7) **नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री विद्यासागर राय,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
चाबा (जोधपुर)।

2. श्री एस० एन० कौशिक, प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
नदबई (भरतपुर)।

3. श्री राजकुमार तोतूका,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
श्री महावीर दिगम्बर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय,
सी-स्कीम, जयपुर–302001

(304)

4. श्री चतुर्भुज गौड़,
समन्वयक (विभागाध्यक्ष),
बी० एड० पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रम,
पत्राचार अध्ययन संस्थान,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

5. डॉ० बी० के० अरोड़ा,
प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एच. जी. एस.,
राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
जयपुर । (संयोजक)

6. श्री घीसालाल रावत, वरिष्ठ अध्यापक,
राजकीय संस्कृत कालेज,
दौसा–303303 (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(8) **भूगोल पाठ्यक्रम समिति** :

1. श्री जसवन्त सिंह पगारिया, प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बड़लियास वाया–बीगोद (भीलवाड़ा)

2. श्री सुरेश चन्द्र पुरोहित,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) भूगोल,
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जोधपुर ।

3. श्री बी० एस० मन्त्री, प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
वनकोड़ा (डूंगरपुर) ।

4. डॉ० के० के० शर्मा, प्रवक्ता,
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।

5. श्री दाऊ दयाल शर्मा, प्रधानाचार्य,
राष्ट्रीय उन्नति सैकण्डरी विद्यालय,
बीकानेर । (संयोजक)

(9) **अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति** :

1. श्री तारा चन्द जैन, व्याख्याता,
राजकीय मोईनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय,
अजमेर ।

2. श्री नन्दलाल शर्मा, सहायक प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बून्दी ।

3. श्री महेश चन्द्र दोसी, सहायक अध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बांसवाड़ा–327001

4. डॉ० गोपेश्वर दयाल माथुर,
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
अलवर ।

5. श्री एस० के० अग्रवाल, प्रधानाचार्य,
गिरदावतों की गली, भीमजी का मोहल्ला,
जोधपुर । (संयोजक)

6. श्री सागर मल जूनीवाल,
प्रधानाध्यापक,
संजय प्रवेशिका विद्यालय,
जयपुर । (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(10) **गणित पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री नारायण सिंह झाला,
प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
गुमानपुरा, कोटा ।

2. श्री बनमाली प्रसाद शर्मा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
कालवाड़ (जयपुर) ।

3. श्री छोटू लाल परिहार,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय,
पूगल मार्ग, बीकानेर ।

4. डॉ० डी० सी० गोखरू,
प्रवक्ता, गणित विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर।

5. श्री रामेश्वर प्रकाश गुप्ता,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
सोजपुर (झालावाड़)। (संयोजक)

6. श्री हेमाराम खाती,
सहायक अध्यापक,
राजकीय मानपुरिया संस्कृत विद्यालय,
श्रीमाधोपुर (सीकर)। (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(11) भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति ;

1. श्री सतीशचन्द्र बून्दीवाल,
व्याख्याता,
राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)।

2. श्री अनिल कुमार त्रिवेदी,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
खैरोदा (उदयपुर)।

3. श्री मोहन लाल शर्मा,
व्याख्याता, (स्कूल शिक्षा),
सेठ बंशीधर जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
रतनगढ़ (चूरू)।

4. डॉ० धनराज चौधरी,
थर्मल फिजिक्स ग्रुप, भौतिक शास्त्र विभाग,
विज्ञान भवन, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर–302004

5. श्री नेत्रपाल गुप्ता,
प्रधानाचार्य,
आर्य विद्यापीठ महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मुसावर (भरतपुर)। (संयोजक)

(12) रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम समिति :

1. सुश्री कमलबाई केसकर, प्रधानाचार्य,
कमला नेहरू स्मृति बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार,
जयपुर।

2. श्री शशी भूषण सूदन,
व्याख्याता,
राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बीकानेर।

3. श्री घनश्याम सुखवाल,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
देबाली (उदयपुर)।

4. श्री भोला शंकर त्रिपाठी,
व्याख्याता, (स्कूल शिक्षा),
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
कोटा।

5. डॉ० सी० एम० गुप्ता,
एसोसियेट प्रोफेसर,
रसायन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर। (संयोजक)

(13) जीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री सत्यप्रिय शर्मा,
व्याख्याता,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
पदमपुर, (श्रीगंगानगर)

2. श्री एस० एन० माथुर,
प्रधानाचार्य,
राजकीय टीकम चन्द जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय,
अजमेर ।

3. श्रीमती स्नेहलता शर्मा,
प्रधानाध्यापिका,
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जगदीश चौक, उदयपुर ।

4. प्रोफेसर एच० बी० तिवारी,
चेयरमैन विज्ञान संकाय,
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर ।

5. प्रोफेसर वाई० डी० त्यागी,
रीडर, प्राणीशास्त्र विभाग,
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर । (संयोजक)

(14) सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री नरपत चन्द सिंघवी,
व्याख्याता (रसायन विज्ञान),
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जोधपुर ।

2. श्री वीरेन्द्र कुमार हांड़ा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
बड़ोरा (कोटा) ।

3. श्री सुरेश चन्द्र सिन्हा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
श्री महावीरजी (सवाई माधोपुर) ।

4. श्री प्रकाश चन्द्र जैन, समन्वयक,
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मीरशाहअली, अजमेर ।

5. डॉ० टी० एन० भारद्वाज,
एसोसियेट प्रोफेसर,
वनस्पति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

6. श्री गोपाल स्वरूप माथुर,
प्राचार्य,
बाल मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय,
पाली। (संयोजक)

7. श्री कमल कुमार मिश्र,
सहायक अध्यापक,
राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय,
पावटा, (जयपुर)। (संस्कृत शिक्षा के प्रतिनिधि)

(15) **वाणिज्य पाठ्यक्रम समिति**

1. श्री देवकरण गग्गड़,
प्रधानाचार्य,
श्री महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय,
भीलवाड़ा।

2. श्री मदन लाल बाफना,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय टीकम चन्द जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय,
अजमेर।

3. श्री कानमल नाहर,
जिला शिक्षा अधिकारी,
बांसवाड़ा।

4. श्री हरिप्रसाद कल्ला,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
पिण्डवाड़ा (सिरोही)।

5. श्री राम लाल सिंह चौधरी,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
सालासर।

6. डॉ० एम० सी० खण्डेलवाल,
रीडर, अकाउन्टेंसी,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

7. श्री लाल चन्द डोसी,
उपनिदेशक,
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सहेली मार्ग, उदयपुर । (संयोजक)

(16) गृह विज्ञान पाठ्यक्रम समिति :

1. (श्रीमती) संतोष कंवर,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
महाराजा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जयपुर ।

2. (श्रीमती) सुशिला गुप्ता,
प्रधानाध्यापिका,
सावित्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
अजमेर ।

3. (श्रीमती) मधुर माथुर,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
राजकिय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
ब्यावर (अजमेर) ।

4. डा० (सुश्री) शान्ता कुमारी अग्रवाल,
उपाचार्या,
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
अजमेर ।

5. (श्रीमती) माया चौधरी,
एसोसिएट प्रोफेसर,
गृह विज्ञान महाविद्यालय,
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर । (संयोजक)

(17) **संगीत पाठ्यक्रम समिति :**

1. सुश्री सुमन मेहता,
   व्याख्याता संगीत,
   राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   श्रीपुरा, कोटा ।

2. श्रीमती सुशीला हर्डीकर,
   सहायक अध्यापिका,
   राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   झालावाड़ ।

3. डॉ० जयचन्द्र शर्मा,
   निदेशक,
   श्री संगीत भारती,
   बीकानेर ।

4. श्री अमृत कवीटकर,
   विभागाध्यक्ष, संगीत,
   राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,
   उदयपुर । (संयोजक)

5. डॉ० मानक चन्द शर्मा,
   व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
   राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   राजमहल, जोधपुर ।

(18) **चित्रकला पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री सत्यानन्द, प्रधानाध्यापक,
   राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
   मोराईपाल (उदयपुर) ।

2. श्री मुहम्मद शफी "सुहेल",
   व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
   महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
   रामपुरा बाजार, कोटा ।

(312)

3. कुमारी सुरेन्दर कौर,
प्रधानाध्यापिका,
राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय,
बम्वा (जोधपुर)।

4. श्री प्रहलाद सहाय जांगिड़,
व्याख्याता,
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मीरशाहग्रली, ग्रजमेर।

5. सुश्री विमल कुमारी कौल,
प्रवक्ता,
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,
उदयपुर। (संयोजक)

(19). कृषि पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री रामेश्वर दयाल शर्मा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
लालसोट, (जयपुर)।

2. श्री लक्ष्मी चन्द चौधरी,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्ययालय,
देवगड़, (उदयपुर)।

3. श्री राम चरन शर्मा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
हरियाढ़ाणा, (जोधपुर)।

4. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
मसूदा, (ग्रजमेर)।

5. डॉ० आर० एम० सिंह,
फॉर्म हाउस,
राजस्थान कृषि महाविद्यालय,
उदयपुर । (संयोजक)

(20) कला एवं उद्योग तथा समाजपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाजसेवा पाठ्य-क्रम समिति :

1. श्री वी० एम० दत्त,
प्रधानाचार्य,
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
अजमेर । (संयोजक)

2. श्री आर० सी भार्गव,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
खोहर बसई वाया—मण्डाल
(तहसील—बहरोड़) (जिला—अलवर) ।

3. श्री दीनदयाल शर्मा, पर्यवेक्षक,
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम,
ब्यावर, (अजमेर) ।

4. श्री बाबू लाल गुप्ता,
उद्योग अनुदेशक,
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
रामपुरा, कोटा ।

5. (श्रीमती) रूईसा जिलानी,
प्राधानाध्यापिका,
राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय,
भवानी मण्डी, (झालावाड़) ।

6. डॉ० दिनेश्वर नारायण मूथा,
प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
फलौदी (जोधपुर) ।

(314)

7. श्री हाथी राम मिश्रा,
जिला शिक्षा अधिकारी,
भीलवाड़ा ।

8. श्री दिलीप सिंह चौहान, प्राधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
साकरोदा–गिर्वा, (उदयपुर) ।

9. श्री राधेश्याम मेहता, प्रधानाध्यापक,
फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय,
उदयपुर ।

(21) संस्कृत परीक्षा एवं पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री ओम प्रकाश पाठक,
व्याख्याता,
राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज,
चिराणा, (झुंझुनू) ।

2. श्री चण्डी प्रसादाचार्य,
प्रिंसीपल,
महाराजा संस्कृत कॉलेज,
जयपुर ।

3. श्री द्वारिका नाथ शुक्ल,
व्याख्याता,
श्री गंगा शार्दूल राजकीय आचार्य संस्कृत कॉलेज,
बीकानेर ।

4. पंडित श्री धनेश झा,
श्री गोवर्धन संस्कृत महाविद्यालय,
मु० पो०–खड़गदा, (डूंगरपुर) ।

5. प्रो० मोती लाल जोशी,
साहित्य विभागाध्यक्ष,
महाराजा संस्कृत कॉलेज,
जयपुर ।

6. पंडित श्याम नन्दन मिश्र,
प्राचार्य,
श्री विट्ठलनाथाचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
कोटा ।

7. श्री मुरली मनोहर शरण,
प्रधानाचार्य,
माधव उच्च माध्यमिक विद्यालय,
सूरजपोल अन्दर, उदयपुर–313001

8. श्री रामजी लाल शास्त्री,
प्राचार्य,
राजस्थान संस्कृत कॉलेज,
जयपुर ।

9. डॉ० रामनारायण चतुर्वेदी,
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर । (संयोजक)

(22) **सिन्धी पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री चन्द्र रिजवानी,
व्याख्याता, (स्कूल शिक्षा),
नवभारत उच्च माध्यमिक विद्यालय,
उदयपुर ।

2. श्री तुलजा राम के. मथरानी,
सहायक अध्यापक,
एम. सी. सिन्धी पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जयपुर ।

3. श्री जे० जी० टिलवाणी,
प्रधानाचार्य,
आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय,
पड़ाव, अजमेर ।

(23) **पंजाबी पाठयक्रम समिति :**

1. श्रीमती इन्द्रजीत कोचर,
प्रधानाचार्या,
श्री गुरुनानक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
श्रीगंगानगर ।

2. श्रीमती कुलविन्दर कौर ढिल्लो,
प्रधानाध्यापिका,
श्री गुरुनानक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
श्रीगंगानगर।

3. सुश्री एम० के० ग्रेवाल,
223/2, क्रिश्चियन गंज,
अजमेर। (संयोजक)

(24) तमिल पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री रतन सिंह कानावत,
व्याख्याता (स्कूल शिक्षा),
श्री जवाहर लाल नेहरू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
भीमगण्डी, कोटा।

2. श्री देवी लाल भाटिया,
व्याख्याता, (स्कूल शिक्षा),
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
श्रीपुरा, कोटा।

3. श्री शुभराज भण्डारी,
सहायक अध्यापक,
राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जोधपुर। (संयोजक)

(25) मलयालम पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री महेश चन्द्र क्षीरसागर,
सहायक अध्यापक,
राजकीय कंवरपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय,
उदयपुर।

2. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा,
सहायक अध्यापक,
राजकीय गोविन्दसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय,
उदयपुर।

3. श्री जे० सी० अब्राहम,
सेवा निवृत्त उप निदेशक,
47, पोलो ग्राउन्ड,
उदयपुर । (संयोजक)

(26) **राजस्थानी साहित्य पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्रीमती कौशल्या अग्रवाल,
प्रधानाध्यापिका,
राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय,
पीपाड़ शहर, (जोधपुर) ।

2. श्री रघुराज सिंह हाड़ा,
प्रोजेक्ट ऑफिसर (प्रौढ़ शिक्षा),
कार्यालय प्रोजेक्ट ऑफिसर,
प्रौढ़ शिक्षा, झालावाड़ ।

3. श्री रामेश्वर दयाल श्रीमाली,
उप जिला शिक्षा अधिकारी,
सांचोर, (जालौर) ।

4. डॉ० हीरालाल माहेश्वरी, एसोसिएट प्रोफेसर,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

5. श्री चन्द्र दान चारण, प्रधानाचार्य,
भारतीय विद्या मन्दिर रात्रि उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बीकानेर । (संयोजक)

(27) **गुजराती पाठ्यक्रम समिति :**

1. श्री अम्बा लाल पटेल,
कनिष्ठ व्याख्याता,
रेलवे हायर सैकण्डरी स्कूल,
आबूरोड, (सिरोही) ।

2. प्रो० डॉ० धर्मेन्द्र मदन लाल मास्टर,
सा. वि. पटेल आर्ट्स कॉलेज,
नाडियाद, (गुजरात) ।

3. डॉ० चन्द्र कान्त त्रिवेदी,
वरिष्ठ अध्यापक,
डिमोन्स्ट्रेशन हायर सैकण्डरी स्कूल,
(रीजनल कॉलेज), अजमेर । (संयोजक)

(28) व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति :

1. श्री कैलाश चन्द्र पंवार,
क्राफ्ट टीचर,
राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जोधपुर ।

2. श्री रोशन लाल पायक,
सहायक अध्यापक,
राजकीय मोईनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय,
अजमेर ।

3. श्री विश्व मोहन दत्त,
प्राचार्य,
राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
अजमेर । (संयोजक)

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 180 का जांच प्रतिवेदन

मैजिस्ट्रीयल जांच प्रतिवेदन दुर्घटना दिनांक 20-7-1984 कस्तूरबा नारीशाला, प्राथमिक विद्यालय, आशा गंज, सिन्धुवाड़ी, अजमेर ।

द्वारा : के० एन० गुप्ता,
अतिरिक्त जिलाधीश एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर ।

दिनांक 20-7-1984 की सायंकाल जिला प्रशासन को टेलीफोन पर इस आशय की सूचना प्राप्ति होने पर कि कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय, आशागंज, सिंधुवाड़ी, अजमेर जिस भवन में चल रहा था उस भवन की छत गिर जाने से स्कूल के बच्चे मलवे के नीचे दब गये हैं, अत: शीघ्र बचाव कार्य किया जावे । सभी संबधित विभाग के अधिकारीगण इस सूचना पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा वहां बचाव कार्य आरम्भ किया गया । विभिन्न राजकीय विभागों के कर्मचारियों एवं जन सहयोग से मलवे से दबे हुए बच्चों को बाहर निकाल कर तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई । इस मार्मिक एवं दुखान्त घटना में कुल 14 छात्र-छात्राएँ तथा एक अध्यापिका की मृत्यु हुई । इस घटना की गहनता को देखते हुए जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, अजमेर के आदेश सं. क-अ/न्याय/निस/942, दिनांक 20-7-84 के द्वारा इस दुखान्त घटना की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को मैजिस्ट्रियल जांच हेतु नियुक्त करते हुये विभिन्न बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । आदेश अनुसार निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से जांच की जानी थी । संबंधित जांच आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है:–

1. कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय, अजमेर के संचालक मण्डल एवं सुधार सभा द्वारा शिक्षा विभाग की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना अनियमित एवं गैर कानूनी तरीके से शिक्षा भवन का दुखान्तकवास में परिर्वतन ।

2. कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय को अस्पताल भवन में पढ़ाई हेतु अनाधिकृत तरीके से चलाना ।

3. निर्माणाधीन भवन में बिना सुरक्षा का ध्यान रखे छात्र-छात्राओं को पढ़ाना।

4. संचालक संस्था सुधार सभा द्वारा नगर परिषद, अजमेर द्वारा अनुमोदित नक्शे के विपरीत बिना पोल्ट्री फार्म को गिराये तामिरात खड़ी करना एवं भवन निर्माण में परिवेक्षण के प्रति उदासीनता।

5. नगर परिषद्, अजमेर द्वारा अनुमोदित होने के बाद परिवेक्षण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता एवं नगर परिषद् द्वारा नक्शा स्वीकृत करते समय पोल्ट्री फार्म को गिराने के मामले को निश्चित नहीं कर निर्माण की स्वीकृति दिया जाना।

6. शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय परिवेक्षण में उदासीनता।

उक्त जांच आदेशों के अनुसार मेरे द्वारा जांच कार्य विभिन्न सम्बन्धित संस्थाओं के विभागीय अधिकारियों, आम जनता व सुधार सभा के पदाधिकारियों का ध्यान प्राप्त कर तथा सम्बन्धित रेकार्ड लेकर जांच पूर्ण की गई। जांच हेतु कुल 47 व्यक्तियों के बयान लिये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर है, तथा कुल 41 दस्तावेजात प्राप्त किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर है। जांच के तथ्यों पर विवेचन से पूर्व मैं कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय, अजमेर से सम्बन्धित संस्थान 'सुधार सभा' की ऐतिहासिक एवं अन्य सम्बन्धित पृष्ठ भूमि की विवेचना मामले को सुस्पष्ट करने हेतु आवश्यक समझता हूं।

सुधार सभा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय, आशा गंज, सिन्धुवाड़ी, अजमेर तथा निर्माणाधीन टी. जे. नयानी अस्पताल, अजमेर इन दोनों संस्थानों की मूल प्रशासनिक इकाई 'सुधार सभा' रही है। संस्थान के रिकार्ड व पदाधिकारियों के बयानात के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि 'सुधार सभा' नामक यह संस्थान सन् 1921 से स्थापित रजिस्टर्ड संस्थान है। पूर्व में यह संस्था हैदराबाद जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थापित थी परन्तु विभाजन के उपरान्त यह संस्था सन् 1948 से भारतवर्ष में आ गई तथा यहां अजमेर में तब से कार्य करती आ रही है। अजमेर (राजस्थान) में आने के पश्चात् इसका पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ जोइन्ट स्टोक कंपनीज के यहां उनके प्रमाण-पत्र संख्या 8/55-56, दिनांक 4-7-55 से दी सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत हुआ था, जो वर्तमान में राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 की धारा

21(2) के तहत अभी तक प्रभावशील है। 'सुधार सभा' का एक लिखित संविधान है जिसके अनुसार इसके मुख्य निम्न उद्देश्य बताये गये है:–

1. शिक्षा संस्थायें खोलना व गरीब बच्चों को छात्रवृतियां आदि देना,
2. पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा व्यवस्था अस्पताल खोलकर एवं अन्य प्रकार से मदद देकर करना,
3. जनता की भलाई के लिए वाचनालय खोलना,
4. सामाजिक कुरीतियों को दूर करना,
5. अपंगों की सहायता करना इत्यादि।

संविधान के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर करली हो तथा जो इसके उद्देश्य, लक्ष्य एवं संविधान को स्वीकार करते थे 'सुधार सभा' का सदस्य बन सकता है। संविधान के अनुसार इसके सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है—(1) पैट्रोन्स, (2) लाइफ मैम्बर, (3) ओडिनरी मैम्बर्स–ये सभी सदस्य सम्मिलित रूप से मिलकर 'सुधार सभा' की जनरल बोडी बनाते है। 'सुधार सभा' के कार्य के संचालन व निर्णय हेतु मैनेजिंग कमेटी का भी प्रावधान है जिसमें निम्न सदस्य होते हैं:—

1. सभा के आफिस बियरर,
2. विभिन्न एक्टीविटीज के निर्वाचित सचिव,
3. जनरल बोडी में उक्त (1) (2) के सदस्यों के योग का 1/3 सदस्य का निर्वाचन से आये सदस्य।

मैनेजिंग कमेटी समय समय पर बैठकें आयोजित कर सुधार सभा के लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयासों हेतु आवश्यक निर्णय करता है परन्तु ऐसे विषयों को क्रियान्विती का उत्तरदायित्व सभा के आफिस बियरर का होता है। सभा के वर्तमान आफिस बियरर निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	आफिस बियरर का पद	आफिस बियरर का नाम
1.	प्रेसीडेन्ट	श्री दीपचन्द बैलानी
2.	वरिष्ठ वाइस प्रेसीडेन्ट	श्री आसन दास बिजलानी

3. जूनियर वाइस प्रेसीडेन्ट	डॉ. चिमन लाल छबलानी
4. जनरल सेक्रेटरी	श्री ग्रायलदास रायसिंघानी
5. सेक्रेटरी	श्री नारायण दास ग्रायनानी
6. जोइन्ट सेक्रेटरी	श्री तुलसी मंचानी
7. ट्रेजरार	श्री भम्मूमल

कार्य के संचालन व संविधान प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'सुधार सभा' के ग्रन्तर्गत 27 विभिन्न प्रकार की एक्टीविटीज का संचालन होता है जो मुख्यत: 7 भागों में विभाजित है, विवरण निम्न प्रकार है :—

(ग्र) शिक्षा

1. हरि सुन्दर बालिका हायर सैकण्डरी स्कूल
2. कस्तूरबा नारी शाला प्राइमरी स्कूल
3. स्वामी सर्वानन्द विद्या मन्दिर
4. मीरा सैकेण्डरी स्कूल
5. स्वामी लीलाशाह विद्यार्थी सहायता फण्ड
6. परसराम वैलानी स्कोलरशिप फण्ड
7. श्रीमती कुन्दन बाई बासवानी सैकेण्ड्री स्कूल बुक बैंक
8. श्रीमती मोहनी वैलानी प्राइमरी बुक बैंक

(ब) चिकित्सा व स्वास्थ्य

9. ग्रार. एम. मूलचन्द्र भारानी डिस्पेन्सरी
10. श्रीमती भागीरथी देवी पेथोलोजिकल सेन्टर
11. माता लहरी बाई डायग्नोस्टिक सेन्टर
12. स्वामी टेंग्रोराम बीमार सहायता फण्ड
13. टी. जे. मयानी ग्रस्पताल (प्रस्तावित)

(स) ट्रेनिंग व वर्क सेन्टर

14. दादी ग्रामोली बाई नारीशाला
15. दादी ग्रामोली बाई हुनरी शाला

16. डॉ. चोइथ राम टाईपिंग ट्रेनिंग सेन्टर
17. किशन गुरमानी शोर्ट हैण्ड सेन्टर

(द) सहायता (असिस्टेन्स)

18. भगत स्वरूपचन्द्र मालमल सहायता फण्ड
19. भगत बादूराम अनाज क्षेत्र
20. साधु हीरानन्द कला क्षेत्र
21. साधु वासमानी गरीब मयानी शादी सहायता फण्ड

(ई) शेल्टर

22. स्वामी भोजराज नारी निवास प्रथम व द्वितीय

(उ) वाचनालय (लिटरेरी)

23. काबा त्रिलोकी चन्द्र वाचनालय
24. केरोमल सिंधी साहित्य मण्डल
25. सिंधी साहित्य समिति
26. सेवा मार्ग मन्थली मेगजीन

(ऊ) सत्संग

27. सत्संग कमेटी

दिनांक 20-7-84 की घटना के संबंध में कस्तूरबा नारी प्राथमिक शाला व टी. ने. मियानी अस्पताल (प्रस्तावित) का है जो क्रमशः शिक्षा व मेडिकल एक्टीविटिज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है अतः जांच कार्य के अन्तर्गत सुधार सभा की मैनेजिंग कमेटी को शामिल करने के साथ-साथ उक्त दोनों एक्टीविटिज के बोर्ड/समिति को भी सम्मिलित किया गया है। जांच कार्य हेतु अन्य एक्टीविटिज की परोक्ष अपरोक्ष रूप से कोई उपयोगिता न होने के कारण उन्हें जांच परीधि में सम्मिलित नहीं किया गया है।

'सुधार सभा' की प्रमुख अंग शिक्षा एक्टीविटिज का कार्य विद्या समिति के द्वारा देखा जाता है। इस विद्या समिति के वर्तमान पदाधिकारी व पद निम्नलिखित है :—

क्र. सं.	नाम पदाधिकारी	पद का नाम
1.	श्री मोहन दास मताई	अध्यक्ष
2.	श्रीमती इशु साहनी	सदस्य
3.	डॉ. चिमन दास	सदस्य
4.	श्री दीपचन्द्र बैलानी	एक्स आफिसो सदस्य प्रेसीडेन्ट जनरल बोडी
5.	श्री आयलदास रायसिंघानी	एक्ट आफिसो सदस्य जनरल सफेट्री, जनरल बोडी
6.	श्री ईश्वर थारानी	सचिव

(विद्या समिति में एक सदस्य का पद रिक्त है)

'सुधार सभा' के दूसरे मुख्य अंग चिकित्सा एवं स्वस्थ एक्टीविटिज़ का कार्य मेडिकल बोर्ड द्वारा देखा जाता है बोर्ड के अन्तर्गत वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, व उनके पद निम्न प्रकार है :--

क्र. सं.	नाम पदाधिकारी	पद का नाम
1.	डॉ. चिमन दास छबलानी	अध्यक्ष
2.	श्री आसन दास बिजलानी	सदस्य
3.	डॉ. रतना धारानी	सदस्य
4.	डा. एम. पी. चेतन	सदस्य
5.	श्री दीपचन्द बैलानी	एक्स आफिशिओ सदस्य, प्रेसिडेन्ट, जनरल बोडी
6.	श्री आयल दास रायसिंघानी	एक्स आफिशिओ सदस्य, जनरल सेक्रेट्री, जनरल बोडी
7.	श्री ईश्वर नारानी	सचिव

'सुधार सभा' संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार मैनेजिंग कमेटी व सभा की अन्य एक्टीविटिज के पदाधिकारियों का कार्य काल एक वर्ष या चुनाव होने तक माना गया है परन्तु शिक्षा समिति के पदाधिकारियो का कार्यकाल 3 वर्ष तक माना गया है। 'सुधार सभा' द्वारा व उसकी अन्य विभिन्न एक्टीविटिज द्वारा समय समय पर बैठक

बुलाई जाकर संबंधित एक्टीविटीज, के कार्यों के सम्बन्ध में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जाती है।

'सुधार सभा' की आय के मुख्य स्रोत एवं विभिन्न एक्टीविटीज हेतु व्यय व्यवस्था

रजिस्टर्ड संस्थान 'सुधार सभा' की आय के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं जिनकी सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने बयानों के बाद पुष्टि की गई है :—

1. विभिन्न सदस्यों के चन्दे से प्राप्ति
   (अ) पेट्रोन्स, (ब) आजीवन सदस्य (स) साधारण सदस्य
2. दानस्वरूप देश विदेश से प्राप्त राशि नकद व कपड़ों में
3. ब्याज
4. टाईपिंग व शोर्ट हैण्ड सेन्टर से आय
5. विद्या समिति से आय, छात्र छात्रा फीस व सरकारी अनुदान
6. अमोलीबाई नारीशाला से आय

व्यय मद में मुख्यतः खर्चों, वेतन, बिजली, पानी, फर्नीचर, मरम्मत बिल्डिंग, बिल्डिंग निर्माण व अन्य समितियों को (एक्टीविटीज) दिये गये अनुदान के रूप में होता है। मेरे द्वारा गत 10 वर्षों के आय व्यय के बाबत संस्थान द्वारा तैयार किये गये आय व व्यय का विवरण का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है:—

वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च	आय रुपयों में	व्यय रुपयों में
1973-74	43,851.37	43,794.50
1974-75	46,168.82	40,933.83
1975-76	84,692.31	43,340.75
1976-77	58,527.29	52,019.31
1977-78	86,823.36	52,591.94
1978-79	1,24,028.18	1,06,678.11
1979-80	2,13,451.41	2,71,281.60
1980-81	3,72,975.49	3,03,429.49
1981-82	10,45,279.13	2,28,421.58
1982-83	4,71,174.79	11,39,800.80

उक्त वर्षों के आय व्यय का मदवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट–इ. एक्स. पी 18 पर है। उक्त आय व्यय का परीक्षण मैसर्स हरीश चन्द्र एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, कचहरी रोड, अजमेर द्वारा किया गया है। आय व्यय का विवरण जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जांच किये गये है उससे यह पता नहीं चलता है कि सुधार समिति की कुल देनदारियां व सम्पित्तियों (बैलेन्स शीट) की स्थिति क्या है? संस्था द्वारा अपनी संस्थान के काफी खर्चों के उपरोक्त वर्ष 82–83 के अन्त में बैलेन्स शीट तैयार की गई है। इस प्रकार सुधार सभा द्वारा मात्र प्राप्ति व व्यय विवरण पत्र ही तैयार करना वित्तीय नियमों के विपरीत ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। ट्रेजरार श्री झम्मूमल ने अपने बयान पी. डब्लू-7 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि सुधार सभा द्वारा 82-83 से पहले बैलेन्स शीट तैयार नहीं की जाती रही है। मात्र प्रथम बार केवल वित्तीय वर्ष 82-83 के अन्त में बैलेन्स शीट तैयार की गई है। ट्रेजरार श्री झम्मूमल हमें यह भी बताने में असमर्थ रहे है कि वर्ष 82-83 में जो बैलेन्स शीट तैयार की गई है उसकी तैयारी का आधार क्या था? अर्थात् क्या उसमें सुधार सभा की स्थापना सन् 1921 से आज तक क्रय की गई विभिन्न सम्पत्तियों का विवरण विभिन्न खातों से लिया गया था या मात्र एक वर्ष 1982-83 के खर्चे के विवरण के आधार पर ही सम्पित्तियों का आंकलन किया गया है। 'सुधार सभा' सोसायटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के कारण आय कर अधिकारियों से भी आय कर अधिनियम के तहत अभी तक शत प्रतिशत आयकर की छूट प्राप्त करती आ रही है लेकिन आय कर विभाग द्वारा 'सुधार सभा' के अपूर्व लेखों के आधार पर ही (मात्र आय व व्यय विवरण बैलेन्स शीट नहीं) यह कर मुक्ति प्रदान की जाती रही है जो नियमों के विपरीत है व इससे सुधार सभा के लेखों की सही स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है।

जांच से एक तथ्य यह भी देखने में आया है कि 'सुधार सभा' के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत अध्यक्ष एवं सचिव को स्वयं अपने स्तर पर एक सीमा तक राशि के व्यय करने का अधिकार दिया गया है। इस सम्बन्ध में श्री ईश्वर धारानी पी. डब्लू. 37 जोकि विद्या समिति व मेडिकल बोर्ड के सचिव के बयान विशेष रूप से अवलोकन करने योग्य हैं जिसमें यह बताया है कि सचिव के नाते वे स्वयं समिति व बोर्ड के कार्यों के सम्बन्ध में व्यय कर सकते हैं। उन्होंने अपने बयानों में यह भी बताया है कि सामान क्रय करने से पूर्व चाहें वह किसी भी कीमत तक का हो किसी प्रकार के टैण्डर आदि आमंत्रित नहीं किये जाते है तथा क्रय स्थानीय व बाहर के बाजार के ही 3,4 व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन से सम्पर्क कर, कर लिया जाता है इन्होंने अपने बयानों में यह भी बताया कि जो माल खरीदा जाता है उसके बिलों की कीमत व माल की मात्रा के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण सम्बन्धित क्लर्क से करवाया जाता है तथा खरीद किये गये माल का भुगतान नगदी के रूप में क्लर्क के

माध्यम से ही करवाना बताया गया। श्री धारानी ने बयानों में यह भी स्पष्ट किया कि क्लर्क की गैर मौजूदगी में अगर किसी व्यापारी को जल्दी भुगतान करना होता तो उनके स्वयं के द्वारा सचिव की हैसियत से भुगतान कर दिया जाता हैं। बयानों के अनुसार जो सामान विद्या समिति या मेडिकल बोर्ड के लिए सचिव द्वारा खरीदा जाता है वह काम में लिया जाता है। उसके लिये किसी प्रकार की स्टाक पंजिका विधिवत् रूप से नहीं रखी जाती है जिससे कि यह पता चल सके कि विभिन्न प्रकार का कुल कितना माल आया व उसमें से कितने माल का उपयोग किस कार्य हेतु लिया गया। इस प्रकार इन बयानात से यह स्पष्ट है कि शिक्षा समिति तथा मेडिकल बोर्ड दोनों जो कि 'सुधार सभा' के महत्वपूर्ण अंग हैं तथा जिनके द्वारा 'सुधार सभा' की प्राप्त डोनेशन राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च किया जाता है द्वारा कोई सामान की खरीद व उसमें होने वाले व्यय के बावत सिद्धान्ततः उचित व्यवस्था नहीं की गई है। फलस्वरूप खर्चे का औचित्य व उसकी प्रोपराइटरी (Proprietory) संदिग्ध है। शिक्षा समिति व मेडिकल बोर्ड द्वारा इस प्रकार की राशि खर्च की जाती है। उनके लेखों का समावेश सुधार सभा के जनरल खातों में किया जाता है। इसके अलावा 'सुधार सभा' के सम्बन्ध में किये गये अन्य खर्चों तथा अन्य एक्टिविटीज के बिलों के सत्यापन व भुगतान के सम्बन्ध में श्री झम्मूमल ट्रेजरार पी. डब्लू. 7 के बयानों के दौरान यह जानकारी दी कि प्रेसीडेन्ट श्री दीपचन्द बेलानी तथा जनरल सैक्रेटरी श्री आयलदास रायसिंघानी दोनों अथवा दोनों में से कोई एक बिलों को पास करने का कार्य करते हैं। इन्हीं कथनों की ताईद जनरल सैकेटरी श्री आयलदास रायसिंघानी पी. डब्लू. डी. 38 ने अपने बयानों में यह कहकर कि 100/- रु. तक का खर्चा करने का अधिकार मुझे अर्थात् जनरल सैक्रेटरी को है तथा मेडिकल बोर्ड व विद्या समिति मैनेजमेन्ट को उनसे सम्बन्धित खर्चों के बिलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। इन दोनों समितियों के बिल मेरे अर्थात् जनरल सैकेटरी या प्रेसीडेन्ट के पास नहीं आते है। इस प्रकार 'सुधार सभा' के द्वारा भी जो राशि विभिन्न कार्यों पर व्यय की जाती है या जो खरीद की जाती है उसकी भी कोई सही मान्य व्यवस्था नहीं की हुई है।

लेखों के आडिट के सम्बन्ध में 'सुधार सभा' के संविधान के अनुच्छेद 14 में निम्न व्यवस्था है।

14. AUDITOR ;

(i) Auditor or Auditors will be appointed by the General Body at the time of annual elections at the annual General Meeting.

(ii) Auditor shall not be a member of the Managing

Committee or any other elected body of the Sabha, but he may or may not be a member of the General Body.

(iii) Account Books of the Sabha, all its Cemmittees shall remain open for inspection of the auditor at all reasonable times.

(iv) The auditor shall audit the accounts and see that all the expenditure incurred is in order and in accordance with the rules and regulation and resolutions passed by the Managing Committee and the General Body and send his observations to the General secretary for presentation before the General Body.

उक्त अनुच्छेद 14 के बिन्दु (4) द्वारा आडिटर को यह पाबन्द किया गया है कि वह प्रत्येक खर्चे के औचित्य की जांच करेगा कि प्रत्येक खर्चे, नियमों व प्रावधान के तथा मैनेजिंग कमेटी द्वारा लिये गये प्रस्तावों के अनुकूल हैं तथा इस सम्बन्ध में आडिट द्वारा अपनी राय स्पष्ट रूप से जनरल सैक्रेटरी को दी जावेगी, जो जनरल बोडी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। इस प्रावधान व व्यवस्था के अनुसार ही आडिटर को अपनी रिपोर्ट देना आवश्यक था परन्तु पिछले वर्षों के लेखों जिनका आडिट कार्य हरिशचन्द एण्ड कम्पनी द्वारा किया जाता रहा है के द्वारा मात्र लेखों पर निम्न रिपोर्ट की हैं :-

EXAMINED AND FOUND CORRECT

SD/-

(Harish Chandra)
Charted Accountant.

उक्त रिपोर्ट पूर्णतया अपूर्ण है तथा एक्जामिन्ड एण्ड फाउण्ड करेक्ट लिख देना सुधार सभा के संविधान के अनुच्छेद 14 (4) के अनुरूप नहीं है। लेखों के साथ आडिटर को यह रिपोर्ट भी देना आवश्यक है कि:-

"He has examined the accounts and accounts books and all income and Expenditures of the "Sudhar Sabha" and they are in order and in accordance with the Rules and Regulations and Resolutions passed by the Managing Committee and the General Body. and also the Accounts and the Balance-Sheet shows **True and Fair** picture of the 'Sudhar Sabha' as on a particular date

331

उक्त विवेचन अनुसार जांच के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 'सुधार-सभा' विद्या समिति/मेडिकल बोर्ड द्वारा खर्चा जो किया जाता था उसकी कोई लेखों की दृष्टि से मान्य व्यवस्था नहीं है तथा जो आडिट कार्य किया जाकर आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती रही है वह अपूर्ण है। अतः इस सम्बन्ध में लेखों के सम्बन्ध में वाद-जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'सुधार-सभा' व इसकी विभिन्न एक्टिविटीज़ द्वारा लेखों का संधारण सही प्रकार से नहीं किया जाता रहा है तथा वर्ष के अन्त में बैलेन्स शीट तैयार नहीं किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा बिना बैलेन्स शीट प्राप्त किये आय कर विभाग द्वारा 'सुधार-सभा' को जो आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्ति दी गई है वह उचित नहीं कही जा सकती। अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव निम्नलिखित है:–

1. जब से सुधार सभा की स्थापना हुई है तब से अब तक की बैलेन्स शीट वर्षवार संस्था से तैयार करवाई जाकर आयकर विभाग द्वारा प्राप्त की जावे।

2. संस्था के आडिटर द्वारा खर्चा का संस्थान के संविधान के अनुच्छेद सं. 14 (4) के अनुसार पुनः जांच की जायें तथा जांच रिपोर्ट (आडिट रिपोर्ट) में यह तथ्य अंकित किया जावे कि जो खर्चा किया गया है वह नियमों व विधान तथा मैनेजिंग कमेटी व जनरल बोडी में लिये गये प्रस्तावों के अनुरूप है।

3. संस्था के आडिटर से यह रिपोर्ट भी प्राप्त की जावे कि संस्थान द्वारा ऐसे रजिस्टर व अन्य अभिलेख संधारित किये जा रहे है जो कि संस्थान की अचल सम्पत्तियों का सही व उचित विवरण प्रस्तुत करें।

उक्त प्रकार से प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही आयकर विभाग द्वारा संस्थान को अब तक दी गई कर छूट के सम्बन्ध में आवश्यक पुनः निर्णय किया जाना उचित होगा, जिससे कि विभिन्न दान-दाताओं के द्वारा किये गये दान का संविधान के अनुसार तथा वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार भी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

"सुधार-सभा" की संस्थान मेडिकल बोर्ड द्वारा टी. जे. मयानी अस्पताल का निर्माण

1. अस्पताल के नक्शे के सम्बन्ध में विवरण; उत्तरदायित्व :—

'सुधार-सभा द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु टी. जे. मयानी अस्पताल निर्माण की योजना रूपरेखा तैयार करने हेतु सन् 1982 में सिन्धुघाटी में कुछ जमीन व

एक पोल्ट्री फार्म खरीदा गया। यह खरीद 'सुधार-सभा' व मेडीकल बोर्ड के लिए गये निर्णय के अनुसार सम्पादित की गई। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पोल्ट्री फार्म की बिल्डिंग जिसका क्रय सुधार-सभा द्वारा श्रीमती शुकुन्तला देवी गोयल धर्मपत्नी प्रभुदयाल, निवासी सीताराम बाजार, केसरगंज अजमेर तथा श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश गोयल, निवासी सीताराम बाजार, अजमेर के जरिये पृथक-पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13-7-82 से किया गया था। उस पर विक्रेतागण के क्रय करने से पूर्व इन प्रापर्टीज पर वैधानिक स्वामित्व किसका व किस हैसियत से था इस सम्बन्ध में यह एक विशेष जांच का बिन्दु बनता है कि आधा विक्रेताओं के पास यह भूमि कहां से प्राप्त हुई तथा उनके द्वारा पोल्ट्री फार्म का निर्माण किस स्वीकृति से करवाया गया। मेडिकल बोर्ड की बैठक दिनांक 31-12-82 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि पोल्ट्री फार्म बिल्डिंग को गिराकर सचिव श्री ईश्वर धारानी दिल्ली के किसी अनुभवी आरकिटैक्ट की मदद से अस्पताल का प्लान तैयार करवाकर उसका निर्माण कार्य कराये। यह निर्णय एक्जी. पी. 32-ए के पेज 10 पर उपलब्ध है। जिसकी सभी सम्बन्धित गवाहान से ताईद की है। इस आदेश क्रियान्वित में बिना आर्किटेक्ट की पूर्व नियुक्ति व बिना उससे नक्शा तैयार कराये सचिव श्री ईश्वर धारानी ने मात्र लोकल ड्राफ्टमैन से अस्पताल का नक्शा तैयार कराते हुए इस आशय के साथ परिषद् में प्रस्तुत किया कि विद्यमान पोल्ट्री फार्म की बिल्डिंग व मकान नम्बर 936-सी के भवन को गिराकर टी. जे. मयानी अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा। यह तथ्य स्वयं ईश्वर धारानी, सचिव पी. डब्लू. 37 ने अपने बयानों में स्वीकार किया है तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में नगर परिषद्, अजमेर में प्रस्तुत नक्शे एक्जी. पी. 2,3,33 व 34 के बाबत स्वीकारोक्ति बयानों में की है। यह पोल्ट्री फार्म अथवा वर्तमान टी. जे. मयानी हास्पीटल पुराने मकान नं. 936-सी में स्थित था जो वार्ड नम्बर 25 में आता था तथा इसके नये नंबर 1009 है जो वार्ड नं. 28 में आता है। नगर परिषद्, अजमेर द्वारा अस्पताल का नक्शा 10-6-83 को पास हुआ है। इस प्रकार नक्शे को नगर परिषद् द्वारा पास करने से पूर्व इस पर दिनांक 12-5-83 को श्री पी. आई. टोपानी तत्कालीन ओवरसियर ने मौके की रिपोर्ट की थी। तथा इस रिपोर्ट पर नगर परिषद् के तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री एम. मेघनानी ने निर्माण की स्वीकृति दी जाने की सिफारिश की थी। सम्बन्धित विवरण एक्जी. पी. 13 के अनुसार गवाहान ने स्वीकार किया है नक्शा जो एक्जी. पी. 2 है इसमें पीले रंग से दिखाया गया भाग डिस्मेन्टल करते हुए निर्माण कार्य कराया जाना था। नक्शे में पोल्ट्री फार्म के स्थान पर डिस्मेन्टल शब्द लिखे हुए तीर का निशान बनाया हुआ है इससे यह प्रमाणित है कि पूरे पोल्ट्री फार्म को ही डिस्मेन्टल कराया जाकर ही निर्माण कराया जाना था।

इस प्रकार उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि परिषद् अधिकारियों द्वारा एक ही नक्शा जिसमें पोल्ट्री फार्म गिराना तथा नवीन निर्माण की स्वीकृति एक साथ ही

प्रदान कर दी गई, यदि ऐसी स्वीकृति व सिफारिश से पूर्व सम्बन्धित अधिकारीगण पोल्ट्री फार्म को गिराने की प्रथम स्वीकृति देते व स्वीकृति की क्रियान्विति निश्चित करके बाद ही अस्पताल निर्माण स्वीकृति का नक्शा पारित किया जाता तो निश्चय ही मेडिकल बोर्ड ने जो पोल्ट्री फार्म पर रिपेयर आदि का कार्य कराते हुए अस्पताल निर्माण, का जो अविवेकपूर्ण निर्णय लिया उसे टाला जा सकता था। इस सम्बन्ध में पोलूमल टोपानी, चन्द्रशेखर आचेरसियर व युधिष्ठर आर्य के अभिकथनों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि टोपानी ने एक्जी. पी. 2 के पिलर्स एटू बी के द्वारा वहन किये जाने वाले परमिशेबिल लोड की जांच किये बिना ही नक्शे को पास कर दिया और यह अंकित नहीं किया गया कि कौन-कौन से पिलर्स आर-सी-सी के हैं व कौन-कौन से पिलर्स मेसनरी के बनाये जाने थे ? पिलर्स की मोटाई भी एक्जी. पी. 2 नक्शे में नहीं दर्शाई गई है जिस कारण श्री पी. आई. टोपानी तथा तत्कालीन सहायता अभियन्ता श्री एन. मेघवानी की गलत तरीके से नक्शे पास करने की जिम्मेदारी आती है। यदि वे दोनों अधिकारी पोल्ट्री फार्म की बिल्डिंग को गिराने की स्वीकृति की पालना कराने के उपरान्त ही अस्पताल का नक्शा पास कराने की कार्यवाही करते तो अब हुए भारी हादसे को होने से टाला जा सकता था। इस प्रकार चूंकि इन दोनों अधिकारियों द्वारा नक्शा पास करते वक्त पूर्ण विवेक से कार्य नहीं किया गया इससे जांच में दोषी पाये जाते हैं।

2. स्वीकृति नक्शे के विपरीत कार्य कराने का उत्तरदायित्व :—

सचिव, मेडिकल बोर्ड की नगर परिषद् से अस्पताल निर्माण की स्वीकृति, पोल्ट्री फार्म को गिराकर मिलने पर सचिव का यह उत्तरदायित्व रहता था कि वह इसी अनुसार निर्माण कार्य कराते, परन्तु उन्होंने बोर्ड की अगली बैठक दिनांक 1-6-83 में फण्ड की कमी के आधार पर पोल्ट्री फार्म बिल्डिंग की कमजोरी वाले पोइन्ट को रिपेयर आदि कराकर अस्पताल निर्माण का निर्णय प्राप्त किया गया जैसा कि उनके स्वयं के बयानात से विदित है। परन्तु इस परिवर्तन की कार्यवाही हेतु नगर परिषद् से उन्होंने दुबारा नक्शा पास नहीं कराया। इस प्रकार बोर्ड के सचिव श्री ईश्वर धरानी अनुमोदित नक्शे के विपरीत कार्य कराने तथा कार्य में परिवर्तन हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170 के अनुसार पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कार्य कराने के दोषी पाये जाते हैं। सचिव के नाते से वे इस सभी उत्तरदायित्व से इस आधार पर नहीं बच सकते कि इन प्रावधानों का उन्हें ज्ञान नहीं था कि श्री धारानी ने अपने बयानों में अवगत कराया है।

अनुमोदित नक्शे के विपरीत कार्य करने के बाबत गवाह श्री एम. एम. माथुर अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि., अजमेर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अपने बयान पी. डब्लू-1 में बताया कि एक्जी. पी.-2 में एम. एन. ओ. पी. दिखाया हुआ हिस्सा का अधिकांश भाग गिरा है। तथा पिलर्स गिरे हैं। उनका कथन है

कि मौके पर वास्तविक निर्माण कार्य नक्शे के मुताबिक नहीं हुआ है और घटना का कारण नींव की कमजोरी, भवन निर्माण में गलत डिजाइन रही है। उन्होंने आगे बताया कि नीचे के पिलर्स, ऊपर के पिलर्स एक दूसरे से नीचे बने हुए नहीं है उनमें भी अन्तर है। अपने कथन में उन्होंने बताया कि एक्जी. पी. 3 में ए से बी के बीच जो हिस्सा अभी मौजूद खड़ा है वह नक्शे के अनुसार नहीं बना है। केवल बरसात से मकान गिरा हो ऐसी सम्भावनाएं बहुत कम हैं गलत निर्माण पद्धति इसके गिरने का मुख्य कारण प्रतीत होती है। पुराने भवन की नींव, सुदृढ़ता, जांच बगैर उन्हीं दीवारों को काम में लेकर निर्माण कराना उचित नहीं था। एक अन्य विशेष गवाह श्री भगवान गिरयानी, अधिसाषी अभियन्ता, पी. डब्लू. 11, क्वालिटी कन्ट्रोल के कथनानुसार पास शुदा नक्शे के मुताबिक मौके पर भवन का निर्माण नहीं किया गया था। इनका कथन है कि मैंने एक्जी. पी. 2 में दर्शायें मकान का मौका देखा है। मौके पर बनाये मकान का हिस्सा नहीं हैं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जो मकान मौके पर वर्तमान स्थिति में खड़ा है वह एक्जी. पी. 2 के मुताबिक नहीं है। मैंने मौके पर खड़े भवन का नक्शा एक्जी. पी. 21 तैयार कराया है जिसमें लालरंग से दर्शायें मुताबिक भवन बना हुआ है। जबकि वास्तव में भवन नीली स्याही से दर्शाये अनुसार बनना चाहिये था। मेरे सामान्य निरीक्षण (ओबजरवेशन) पर पाया गया। जो चूने का मसाला छत पर काम में लिया गया है वह भूरा भूरा था एवं उसमें पकड़ शक्ति नहीं पाई गई। गवाह गिरयानी ने उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के एक्जी. पी. 2 के सम्बन्ध में यह जानकारी दी कि जो पिलर्स टूट गये हैं उनके बारे में तो वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पिलर्स आस–पास खड़े हुए मौजूद हैं वह एक दूसरे के ऊपर सही नहीं है। भवन में आर. सी. सी. का कोई काम नहीं होने के बाबत उन्होंने स्पष्ट स्वीकारोक्ति अपने बयानों में दी है। उन्होंने अपने बयान में आगे यह भी कहा कि मौके पर जो पिलर्स दुर्घटना के वक्त गिर गये हैं उनके ऊपर जो वजन रखा गया था इसके अनुसार वे सुरक्षित नहीं थे। प्रिमैसेनरी के जो पिलर्स बनाये गये थे वे भार को सहन करने में समर्थ नहीं थे, केवल बरसात के कारण मकान गिरा हो, इसकी सम्भावना बहुत कम है। गलत निर्माण पद्धति इसके गिरने का मुख्य कारण प्रतीत होता है, अपने बयानों में श्री गिरयानी द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त विवरण से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि बोर्ड के सचिव श्री ईश्वर धारानी ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत कार्य कराया जिसके वे दोषी है तथा अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण संस्था के निर्माण कार्य से पूर्व जो विवेक काम में लिया जाना चाहिये था वह विवेक श्री धारानी द्वारा काम में नहीं लिया गया। अतः इसके लिए श्री धारानी जांच से दोषी पाये जाते हैं।

3. अस्पताल के दौरान पर्यवेक्षण सम्बन्धी उत्तरदायित्वः—

जहां तक नगर परिषद् स्टाफ की निर्माण कार्य के दौरान पर्यवेक्षण व उनकी नक्शे के अनुसार क्रियान्वित कराने का प्रश्न है, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री एन. यू. सिद्दीकी,

पी. डब्लू. 12 के बयान अनुसार दिनांक 18-7-80 के आदेश एक्जी. पी. 24-ए के मुताबिक अजमेर शहर के लिए अवैध अतिक्रमण निर्माण को रोकने के लिए ओवरसियर के चार सर्किल बनाये गये थे जिन्हे आदेश दिनांक 22-10-83, क्रमांक 1366 के अनुसार श्री एस. एस. मांगचन्दानी ओवरसियर के सेवा निवृति होने के कारण श्री चन्द्रशेखर अधिदर्शक व श्री टोपानी अधिदर्शक के बीच उक्त कार्य हेतु वार्डो का पुनरीक्षण किया गया।

श्री चन्द्रशेखर अधिदर्शक को वार्ड नम्बर 25 लगायत-30 तथा श्री टोपानी को वार्ड नं. 31 लगायत 36 व वार्ड 45 दिये गये। आयुक्त के कथानुसार घटनाग्रस्त अस्पताल श्री चन्द्रशेखर अधिदर्शक के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक्जी. पी. 27 में ओवरसियरों द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण 1 से 13 तक बताया गया है। जिनमें अवैध निर्माणों, अतिक्रमण का पता लगाने, असुरक्षित भवनों का पता लगाने का दायित्व ओवरसियरों पर डाला गया है। एक्जी. पी. 27 व 29 के अनुसार बिल्डिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के कर्तव्य बताये गये हैं। जो 1 से 11 तक वर्णित है। इसके अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट को ओवरसिवर के कार्य का सुपरविजन करने के उदेश्य से शहर में घूमने व निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व डाला गया है। नगर परिषद्, अजमेर में पूर्व के स्वीकृत बिल्डिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर वर्तमान में सहायक अभियन्ता का पद सृजित किया गया है। फलस्वरूप वर्तमान सहायक अभियन्ता के कर्त्तव्य नही रहते हैं जो पूर्व में बिल्डिंग सुपरिटेन्डेन्ट के थे। सहायक अभियन्ता के इस पद पर घटना के दिन अर्थात् दिनांक 20-7-84 से पूर्व लगभग 6 माह से कार्यरत थे। यह तथ्य स्वयं सहायक अभियन्ता श्री युधिष्ठर आर्य ने अपने बयान पी. डब्लू. 5 में स्वीकार किया है। श्री चन्द्रशेखर ओवरसिवर ने वार्ड नम्बर 28 के क्षेत्र जिसमें मयानी अस्पताल स्थित है को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत होना अपने बयान पी. डब्लू. 3 में स्वीकारा है। इसके साथ ही नगर परिषद् आयुक्त श्री सिद्दीकी का भी यह उत्तर-दायित्व बनता था कि वे अपने परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणधीन चल रही ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान के कार्य पर निर्माण बाबत निगरानी रखते परन्तु वे भी अपने कर्त्तव्यों की पालना में सतर्क नहीं रहे है।

अतः श्री चन्द्रशेखर, ओवरसियर व युदिष्ठर आर्य, सहायक अभियन्ता तथा श्री सिद्दीकी आयुक्त, नगर परिषद् की यह जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के मुताबिक अपने क्षेत्रों में हो रहे मयानी अस्पताल के गलत निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण कर उचित कार्यवाही नहीं की, परिणामस्वरूप होने वाली घटना को नहीं टाला जासका। अतः अधिकारी पर्यवेक्षण सम्बन्धी उदासीनता के दोषी जांच से प्रमाणित पाये जाते हैं।

4. अस्पताल निर्माण में मिस्त्री व मेडिकल समिति का उत्तरदायित्व :–

मयानी अस्पताल निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण मिस्त्री श्री रामचन्द्र द्वारा किया जा रहा था, मिस्त्री श्री रामचन्द्र के बयान भी जांच के दौरान लिये गये। उन्होंने अपने बयान पी. डब्लू. 36 में यह स्वीकार किया है कि अस्पताल का निर्माण वह अपनी देखरेख में करवा रहा था। उसने बिल्डिंग नक्शा एक्जी. पी. 2 को भी देखना स्वीकार किया है जांच के दौरान विशेष गवाह पी. डब्लू. 1, एवं पी. डब्लू. 11 क्रमशः अधिक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह बताया गया है कि निर्माण कार्य आर. सी. सी. से नहीं हो रहा था जबकि नक्शे में आर. सी. सी. कार्य करने की शर्तें थीं। विशेषज्ञ गवाहों ने बयानों में यह भी बताया कि निर्माण सामग्री जो अस्पताल के निर्माण में प्रयोग में लायी जा रही थी वह उचित नहीं थी तथा बिना नींव की सुदृढता की जांच किये निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। इस प्रकार नक्शे के विपरीत कार्य करने, सही किस्म का सामान उपयोग में नहीं लाने तथा मिस्त्री श्री रामचन्द्र द्वारा बोर्ड के पदाधिकारियों को निर्माण सम्बन्धी सलाह मश्वरा न देने के कारण मैं जांच से श्री रामचन्द्र मिस्त्री को दोषी पाता हूं।

गवाह आयलदास रायसिघानी, जनरल सेक्रेट्री पी. डब्लू. 38 ने बयानों में यह बताया कि मेडिकल बोर्ड एवं विद्या समिति की समय-समय पर बैठकें की जाकर निर्णय लिये जाते है। परन्तु लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व समिति के सचिव का है। निर्णय के विपरीत कोई कार्य कराया जाता है तो मैं समझता हूं कि इसका पूरा उत्तरदायित्व पूरी कमेटी का है। गवाह तुलसी मेघानी, जोइन्ट सेक्रेट्री, पी. डब्लू. 42 ने भी अपने बयानों में उक्त कथन की पुष्टि की है। मेडिकल बोर्ड के चेयरमेन डॉ. चिमनदास को भी जांच के दौरान जांचा गया, उनके बयान पी. डब्लू. 39 के अनुसार उन्होंने यह स्वीकार किया है कि नक्शे में परिवर्तन की जिम्मेदारी यद्यपि समिति की है परन्तु कार्य सचिव श्री ईश्वर धारानी को सौंपा गया था, इसीलिए परिवर्तन संबंधी नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सचिव की ठहरती है। इन सभी बयानात से स्पष्ट है कि परिषद् से अनुमोदित नक्शों से विपरीत कार्य कराने का उत्तरदायित्व यद्यपि पूरे मेडिकल का बनता है परन्तु चूंकि उसके क्रियान्वन के अधिकार बोर्ड द्वारा सचिव श्री ईश्वर धारानी को दिये गये थे अतः मुख्य रूप से श्री ईश्वर धारानी दोषी होते हैं। लेकिन बोर्ड के चेयरमेन डॉ. चिमनदास का भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपनी समिति के निर्णयों की पालना सुनिश्चित कराते व अस्पताल का निर्माण सही ढंग से कराते, लेकिन इस ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, फलस्वरुप डा. चिमनदास जो कि मेडीकल बोर्ड के चेयरमेन हैं का उत्तरदायित्व अस्पताल के गलत निर्माण हेतु बनता है। जहां तक समिति के अन्य सदस्यों के उत्तरदायित्व का प्रश्न है सदस्य मात्र बैठक में निर्णय हेतु

उपस्थित रहते हैं। तथा उसके बाद निर्णय का क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष योगदान उनका नहीं होता है। अतः बोर्ड के अन्य सदस्यों का इस घटना के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं पाता हूं।

5. मयानी अस्पताल दुर्घटना के सम्बन्ध में जनसाधारण के विचार व उत्तरदायित्व :–

मेरे द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 23-7-84 के द्वारा इस दुखान्त घटना के बाबत सर्वसाधारण व्यक्ति जो घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी रखता हो, के मौके पर दिनांक 24-7-84 को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य लेकर भी जांच का कार्य पूर्ण किया गया। इस व्यवस्था के दौरान कुल 21 व्यक्तियों ने उपस्थित होकर मौखिक बयान दिये तथा 35 व्यक्तियों ने लिखित में अपना विचार प्रस्तुत किया। लिखित में प्राप्त पत्रों की सूची परिशिष्ट–4 पर है।

प्राप्त पत्रों में अधिकांशतः यह बताया गया है कि इस दुर्घटना में सुधार सभा समिति या सचिव ईश्वर धारानी की कोई गल्ती नहीं है तथा घटना को ईश्वरीय कृत्य बतलाया है। इन पत्रों के अवलोकन से प्राय यह बात दृष्टिगोचर होती है कि अधिकांश पत्र एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सहयोग लेते हुए सचिव श्री ईश्वर धारानी व सुधार-सभा के अन्य पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से बचाने के लिए रखे गये है।

गवाह रमेश पी. डब्लू. 13 का कहना है कि वह घटना स्थल पर मौके पर नहीं था परन्तु उसने अपने अनुमान के आधार पर बताया कि घटना का कारण सबसे ऊपर की किसी एक या दो पट्टी में वारिस की वजह से या टेम्परेचर वेरियेशन की वजह से हेयरलाइन क्रेक हो गया, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता था। जब पट्टियां ऊपर से गिरीं तो बीच वाला फ्लोर भी ढहना लाजमी था। एक अन्य गवाह श्री सेवक पी. डब्लू. 7 का कहना है कि यह दुर्घटना कन्सट्रक्शन में कमी के कारण हुई, कन्सट्रक्शन में कमी के दोषी को सख्त सजा दी जाये।

गवाह एन. एस. रामचन्दानी, पी. डब्लू. 25 का कथन है कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। घटनास्थल पर नहीं था। मैंने मेरे अपने अनुमान से यह महसूस किया कि पहले जो इतनी वारिश हुई इसीके कारण छत पर लोड बढ़ जाने से जो पत्थर के लिन्टर्स लगे हुये थे उनमें क्रेक्स आगये जिसकी वजह से छत गिर सकती है। बरसात के कारण यह पोरशन इसलिए गिरा कि उसका स्पान कुछ ज्यादा था इसीलिये लोड नहीं उठता था, अगर स्पान कम होता तो संभवतया नहीं गिरता।

गवाह राजेन्द्र प्रसाद जयसिंघानी, पी. डब्लू. 29 का यह कथन है कि जहां यह दुर्घटना हुई वह मेरे घर के सामने ही स्थित है। घटना जिस भवन में हुई है वह काफी जीर्णक्षीरण अवस्था में पोल्ट्री फार्म में था। सुधार सभा के सचिव को पोल्ट्री फार्म तोड़ कर अस्पताल बनवाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में सिंधुवाडी के कई व्यक्तियों द्वारा श्री ईश्वर धारानी को कहा भी गया था कि पोल्ट्री फार्म को तुड़वाया जाकर निर्माण कार्य कराया जावे ना कि उसी के ऊपर मरम्मत कार्य करवाया जावे।

गवाह श्री किशन, पी. डब्लू. 16 ने अपने बयानों में बताया कि निर्माणाधीन भवन अच्छा था। दुर्घटना मात्र प्राकृतिक घटना है जिसमें सचिव श्री धारानी का कोई दोष नहीं है। इस गवाह ने अपने बयानों में संस्था के आफिस वियरर डा. चिमनदास छबलानी को अपना पिता होना स्वीकार किया है।

एक अन्य गवाह परमानन्द, पी. डब्लू. 31 का कथन है कि यह भवन निर्माण का जो कार्य हुआ वो पुराने पोल्ट्री फार्म पर हुआ है। कन्सट्रक्शन के समय रिपेयर आदि का कार्य चल रहा था। उसमें बच्चों की कक्षायें गलत ले रहे थे।

मौके पर लिये गये कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटनाग्रस्त भवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। पूर्व में यह पोल्ट्री फार्म का भवन था जिसको गिराये बिना ही उसके ऊपर अस्पताल का निर्माण कार्य गलत तरीके से कराया गया जिसके फलस्वरूप पर्याप्त लोड नहीं ले सकने के कारण यह दुर्घटना हुई। गवाह रमेश ने अपने कथन में यह अवश्य कहा है कि पट्टियों में इस बारिश की वजह से या टेम्परेचर वेरियेशन की वजह से टेयर-क्रेक हो गया होगा परन्तु यह गवाह इस तथ्य को अपने अनुमान के आधार पर ही कह रहा है जो विश्वसनीय नहीं है। वैसे भी इस गवाह के बयान से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि निर्माण कार्य पुराने पोल्ट्री फार्म के ऊपर ही कराया जा रहा था। अस्पताल का नया निर्माण कार्य नहीं था। गवाह किशन ने घटना को मात्र प्राकृतिक घटना बताया है परन्तु जैसा उसने बयानों में स्वीकार किया है, श्री किशन मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष श्री चिमनदास छबलानी के पुत्र हैं, अतः इस गवाह द्वारा दिये गये बयान अपने पिता को बचाने के उद्देश्य से स्पष्ट प्रमाणित हैं, अतः अमान्य हैं।

उक्त प्रकार से गवाहान के बयानात पर ही सार्वजनिक जांच के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि संस्थान द्वारा पोल्ट्री फार्म के जीर्णक्षीर्ण भवन के ऊपर ही नगर परिषद् से अनुमोदित नक्शों की शर्तों के विपरीत निर्माण कार्य अविवेकपूर्ण तरीके से कराना प्रारम्भ किया गया तथा निर्माणाधीन कार्यवाही के दौरान ही कस्तूरबा नारी

शाला प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को इस निर्माणाधीन अस्पताल भवन में पढाई का कार्य प्रारम्भ किया गया। अतः इस कार्य हेतु मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव दोनों ही दोषी बनते हैं।

कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण व तत्सम्बन्धी दुर्घटना का विवरण :—

1. सुधार सभा द्वारा शिक्षा-संस्थाओं का संचालन के तत्सम्बन्धी निर्णय का निर्णयाधिकार :—

सुधार सभा की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा सम्बन्धी एक्टीवीटीज में से प्रथम बार एक्टीविटीज स्कूल संचालन बाबत है। ये चार स्कूल (1) हरिसुन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय, (2) कस्तूरबा नारी प्राथमिक शाला (3) स्वामी विद्या मन्दिर तथा (4) मीरा सैकेण्डरी स्कूल है।

इन स्कूलों के संचालन व तत् सम्बन्धी निर्णय का अधिकार विद्या समिति को है। सुधार सभा के संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार सुधार सभा विद्या समिति की विभिन्न शक्तियों व कार्यों के बाबत निम्न प्रकार विवेचना की गई है :—

POWERS AND FUNCTIONS OF SUDHAR SABHA VIDYA SAMITI

1. To run and manage the affairs of the School or Schools opened by Sabha according to the policy and resolution of the General Body.

2. To adopt the annual report of its work and accounts before Submitting the Same to the Managing Committee.

3 To appoint a Selection Committee for appointing members of the Staff.

4. To appoint, suspend and dismiss the school staff In case of dismissal of the Head of the School, the aggrieved party shall have right to appeal to the Managing Committee of the Sabha. rest of the staff members, if aggrieved by any decision, may put up their case for reconsideration to the Vidya Samiti.

5. To sanctioned expenditure for the School/Schools.

6. To put into action the General Policy laid down by the Sabha.
7. To appoint School Committee in accordance with the rules of the Education Department.

दुखान्तिका घटना कस्तूरबा नारी शाला से सम्बन्धित है अतः जांच कार्यवाही के दौरान इसी सन्दर्भित स्कूल के बाबत विवरण दिया जा रहा है। कस्तूरबा नारी शाला, भूतपूर्व अजमेर राज्य सरकार से दिनांक 6-3-1954 से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है तथा वर्तमान में इस शिक्षण संस्थान की कुल व्यय में से स्वीकृत व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है। स्थानीय शिक्षा विभाग के कार्यालय से जांच के दौरान ली गई सूचना अनुसार इस संस्थान को पिछले 11 वर्षों के दौरान जो अनुदान प्राप्त हुआ है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संस्था द्वारा बताया गया कुल खर्चा (रु. में)	स्वीकृत योग्य खर्चे (रु. में)	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान (रु. में)	विवरण
74–75	38650	28765	21979	70%
75–76	38613	35395	26950	70%
76–77	39141	38132	21100	70%
77–78	50809	47136	46746	90%
78–79	50342	50170	40855	90%
79–80	53031	52307	46711	90%
80–81	63299	62889	55596	90%
81–82	75858	75220	67621	90%
82–83	88721	87408	60503	90%
83–84	91569 (प्रोविजनल)	91559	76786	90%

"सुधार सभा द्वारा संचालित स्वामी सर्वानन्द विद्यालय के बाबत गवाह सुश्री कृष्णा, पी. डब्लू. 35, स्वमेव उपस्थित होकर जांच दौरान यह जानकारी दी कि उक्त संस्थान के पद धिकारी द्वारा माहवारी वेतन का चैक 660/रु. का दिया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते हैं परन्तु वास्तव में वेतन नगद में केवल 150 रु. प्रति माह ही दिया जाता है जिसमें से भी 2.00 डोनेशन के काट लिये जाते है। इस प्रकार गवाह का कथन है कि मैनेजमेन्ट द्वारा अनुचित कार्यवाही की जाती है। अतः इस बिन्दु पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा सर्वानन्द विद्यालय को अनुदान स्वीकृति से पूर्व विस्तृत जांच कराना मुनासिब होगा।

कस्तूरबा नारी शाला स्कूल ने नवोद्ग का वेड़ा, माली मौहल्ले में स्थित जो हरी सुन्दर बालिका उच्च मा. विद्यालय के भवन में संचालित होती थी, कस्तूरबा नारी प्राथमिक शाला के स्थान परिवर्तन का अधिकार केवल इस संबंध में बनी सुधार सभा की विद्या समिति को था, तथा यह अधिकार भी तभी क्रियान्वित किया जा सकता था जबकि मान्यता प्राप्त स्कूल होने के कारण राज्य सरकार से ऐसे परिवर्तन की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाती है, जैसा कि शिक्षा विभाग राज. सरकार की विभागीय संर्दातिका 1977 के अध्याय 9 के नियम 5 (ख) के अन्तर्गत इस तरह की व्यवस्था है।

2. कस्तूरबा नारी शाला का निर्माणधीन टी. जे. मयानी अस्पताल में स्थानान्तरण व उसका उत्तरदायित्व :—

इस विषय बिन्दु की जांच के दौरान गवाह, ईश्वर धारानी पी. डब्लू. 37 जो कि विद्या समिति के सचिव हैं, ने बताया कि कस्तूरबा प्राथमिक शाला जो पूर्व में हरी सुन्दर बालिका उच्च विद्यालय में चल रही थी, कुछ समय पश्चात्, हरी सुन्दर बालिका विद्यालय को सैकण्डरी स्तर से बढ़ा कर उच्च माध्यमिक तक लाया गया व उसमें कला वर्ग के अलावा वाणिज्य व विज्ञान वर्ग के विषय भी आरम्भ किये गये, जिसकी वजह से इसमें जगह प्रर्याप्त नहीं रहने के कारण ऐसा विचार किया गया कि कस्तूरबा नारी शाला प्राइमरी स्कूल के लिये दूसरी जगह लेने व बनवाये जाने का प्रयास किया जाय। श्री धारानी ने आगे बताया कि इसी कारण सुधार सभा द्वारा खरीदी हुई सिन्दुवाडी वाली जगह से स्वामी सर्वानन्द विद्या मन्दिर करीब दो साल पहले तथा कस्तूरबा नारी शाला प्राईमरी स्कूल के दो तीन सैक्सन को छोड़कर शेष सैक्शन एक साल पहले सिन्दुवाड़ी जगह (टी. जे. मायानी अस्पताल बिल्डिंग) में लाया गया। उन्होंने अपने कथनों में आगे यह बताया है कि सिन्दुबाड़ी जगह से मेरा तात्पर्य पोल्ट्री फार्म वाली जगह व उसके आस पास खरीदी हुई जगह से है। कस्तूरवा नारी शाला को स्थानान्तरित करने के लिये शिक्षा विभाग की अनुमति ली या नहीं मुझे पता नहीं। विद्या समिति की मिनिट बुक एवं एक्जीविट पी-39 को देखकर उन्होंने बताया कि इसमें कस्तूरवा नारी शाला स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। श्री धारानी ने आगे अपने बयानो में बताया कि सुधार सभा बुकिंग कमेटी के रजिस्ट्रर एग्जीविट पी 40 मैंने देखा। कस्तुरवा नारी शाला को टी. जे. मायानी अस्पताल में स्थान्तिरित करने का निर्णय इसमें नहीं है। उन्होने बताया कि बिना लिखित निर्णय से शिफ्ट किया गया है। गवाह पदमा, उत्तम चन्दानी, पी. डब्ल्यू 44 के कथनानुसार कस्तूरवा नारी शाला की कक्षा 3,4,5 गत वर्ष जुलाई, 1983 मियानी अस्पताल में शिफ्ट हुई थी तथा शेष कक्षाओं के. जी. लगायत 2, इसी वर्ष जुलाई माह में शिफ्ट हुई है। गवाह पी. डब्ल्यू 44 ने यह भी बयान किया कि मैनेजर श्री इम्वा धारानी ने कहा था कि

जगह की कमी है इसलिये कस्तूरबा नारी शाला की मयानी अस्पताल की बिल्डिंग में स्थानान्तरित कर दिया जाये। गवाह पी. डब्ल्यू 45 श्रीमती ललिता का कथन है कि इस कार्य को मैंने देखा कि कुछ मजदूर लगे हुये थे जो घिसाई का काम कर रहे थे। वे घिसाई का काम ग्राउन्ड फ्लोर जहां कक्षायें चल रही थीं उनके पिछली ओर कर रहे थे। गवाह पी. डब्ल्यू 6 सुश्री कला पी. सखरानी का कहना था कि जुलाई 83 से तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षायें मयानी अस्पताल में प्रथम मन्जिल पर चलने लगीं, तथा पहली तथा के. जी. से दूसरी तक की कक्षायें, हरी सुन्दर बालिका, उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवाब का बेड़ा में चल रही थी। इसी वर्ष 2-7-84 से के. जी. से दूसरी तक की कक्षायें भी मयानी अस्पताल में शुरू हो गईं। दोनों ही मन्जिल ग्राउन्ड फ्लोर थीं। प्रथम मन्जिल का काम हो रहा था, वह प्लास्टर वगैरह का था। पढ़ाई व मरम्मत का कार्य साथ-साथ चल रहा था, तथा स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 289 थी।

उक्त विवेचन के अनुसार सभी गवाहान के बयानात से स्पष्ट है कि कस्तूरबा नारी शाला प्राईमरी स्कूल को हरी सुन्दर बालिका विद्यालय भवन से स्थानान्तरित कर निर्माणाधीन टी. जे. मयानी अस्पताल में चलाने का निर्णय बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के सचिव, श्री ईश्वर धारानी द्वारा लिया गया जिसके कारण यह दुर्घटना घटित हुई। अतः जांच से हम ईश्वर धारानी को दोषी पाते हैं।

स्कूल के उचित संचालन व देखरेख का उत्तरदायित्व विद्या समिति के अध्यक्ष का भी बनता है। चूंकि समिति में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति सुनिश्चित करना उसका प्रथम कर्त्तव्य ठहराता है, प्रस्तुत प्रकरण में विद्या समिति के अध्यक्ष श्री एम. डी. मताई द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया या जानकारी प्राप्त नहीं की जिसके अनुसार कि कस्तूरबा स्कूल को बिना समिति व राज्य सरकार की अनुमति के अन्य भवन में स्थानान्तरण पर उनके द्वारा (अध्यक्ष श्री मताई को) यह आपत्ति की गई हो। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि कस्तूरबा शाला की इतनी बड़ी दुखान्तक घटना हो जाने व उसके विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद भी अध्यक्ष श्री मताई द्वारा इस बाबत आकर अभी तक घटना स्थल की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। इससे समिति के अध्यक्ष श्री मताई का व्यवहार लापरवाहीपूर्ण व आपत्तिजनक प्रमाणित है। उनके द्वारा अधिकांश विद्या समिति की बैठकों को प्रसाइड किया जाकर निर्णय लिये जाते रहे हैं। अतः अध्यक्ष श्री मताई भी स्कूल के बिना पूर्ण अनुमति के दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने के दोषी पाये जाते हैं।

3. कस्तूरबा नारी प्राथमिक शाला छात्र/छात्रा के दुर्घटना की विभीषिका :—

दिनांक 20-7-84 को करीबन 3.43 पी. एम. पर इस हृदय विदारक घटना के बाबत सभी स्थानीय, राज्य स्तरीय व देश के अखबारों में समाचार प्रकाशित हुये

है। घटना के समय के बावत विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न समय बताया है परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वसनीय गवाहों पी. डब्ल्यू. 43 श्रीमती बीना केशवानी हैं जो कि इस स्कूल में अध्यापिका हैं। उनके अनुसार लगभग 3-40, 3-42 का समय होगा। मैं कस्तूरबा की के. जी कक्षा में बैठी हुयी थी। मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप लोग बैठिये में बैल (घण्टा) बजा कर आती हूं। जैसे ही बरामदे से एक कदम दूर चली थी तो पीछे से ठर-ठर की आवाज आई और बैल ही नहीं बजा पायी, उसी समय एकदम चीख-चिल्लाहट शुरू हो गई। बीच में, बरामदे में जहां चौथी, पांचवीं कक्षायें भागेश्वरी देवी संयुक्त रूप से ले रही थीं, बच्चे मलवे के नीचे आगये। दुर्घटना में 14 (चौदह) बच्चे व एक टीचर की मृत्यु हो गई। गवाह पी. डब्ल्यू 44 पदमा, उत्तम चन्दानी तथा पी. डब्ल्यू. 37 श्री ईश्वर धारानी ने भी मलवे में बच्चों व अध्यापिका के दब जाने से मृत्यु हो जाने की बात स्वीकार की। घटना स्थल के सम्बन्ध में गवाह श्री ईश्वर धारानी, पी. डब्ल्यू. 37 ने घटना, स्तर के फोटो एक्जीबिट 35 से 38 को सही माना है।

इस दुखान्तक घटना में जिन छात्र/छात्राओं की मृत्यु हुई उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

मरने वाले सभी छात्र/छात्रायें कक्षा 4 व 5 में पढ़ रहे थे जिनमें एक अध्यापिका भी थी।

1. श्री किशन पुत्र नन्दलाल
2. श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्यामुमल
3. श्री धर्मदास पुत्र रूपचन्द
4. श्री प्रकाश पुत्र नन्दलाल
5. श्री देवानन्द पुत्र मोडूमल
6. श्री जेठा पुत्र किशन चन्द्र
7. श्री प्रदीप पुत्र नत्थूमल
8. श्री लक्ष्मण पुत्र टीकमदास
9. श्री मूलचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
10. श्री राकेश पुत्र दिनेश
11. कु. मुली पुत्री ठाकुर मल
12. कु. लीला पुत्री सोमराज
13. कु. नीलू पुत्री लक्ष्मण दास
14. कु. गीता पुत्री रामचन्द्र
15. सुश्री भागेश्वरी पुत्री श्री मोजूमल (अध्यापिका)

उक्त मृतक के अलावा निम्न उस घटना में बालक/बालिका के शारीरिक चोट आयी तथा घायल हुये :—

1. श्री हुसेन पुत्र हैदर
2. श्री टोपा पुत्र हैदर
3. श्री राधाकिशन पुत्र टेकचन्द
4. श्री केवल दास पुत्र इन्दर
5. कु. गोदावरी पुत्री आवरदास
6. कु. सीता पुत्री टोपनदास
7. कु. निर्मला पुत्री लालचन्द

घटना की विभीषिका को मध्य नजर रखते हुये घटना स्थल का निरीक्षण माननीय मुख्य मन्त्री महोदय व माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया। उनके द्वारा शोक संतप्त परिवारों को सान्त्वना दी गई तथा राज्य सरकार की ओर से मुख्य मंत्री सहायता कोष से कुल रुपये 85,000 की आर्थिक सहायता भी मृतक व घायल छात्र/छात्राओं के परिवार जनों को दी गई।

4. कस्तूरबा नारी प्राथमिक शाला की घटना के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उत्तरदायित्व:—

कस्तूरबा प्राथमिक शाला, नगर परिषद, अजमेर क्षेत्र में स्थित है। शिक्षा विभाग की संदर्शिका सन् 1977 के अध्याय 8 के अनुसार वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 25% तथा अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत प्रतिशत शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण करने का दायित्व है। ए. जी. पी. 11 विभागीय संदर्शिका में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षका आदि द्वारा केवल सरकारी स्कूलों का ही निरीक्षण किया जावेगा ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकारी प्राईवेट तथा सरकारी दोनों ही प्रकार के स्कूलों का निरीक्षण करने हेतु न केवल सक्षम है अपितु उत्तरदायी है व. उप. जिला शिक्षा अधिकारी एवं अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कस्तूरबा नारी शाला विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 25-11-83 को एक साथ किया गया था। उनका निरीक्षण प्रतिवेदन ए. जी. पी. 19 है। इस निरीक्षण में उन्होंने यह तो अंकित किया है कि विद्यालय को दो स्थानों पर चलाये जाने का कारण छात्र संख्या में वृद्धि के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु इसमें भवन के सम्बन्ध में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। दोनों ही अधिकारियों ने निरीक्षण के समय यह देखने का कतई प्रयास नहीं किया। कस्तूरबा नारी शाला का यह स्कूल टी. जे. मयानी अस्पताल जो कि निर्माण में क्यों स्थानान्तरित किया गया है ? क्या इस हेतु शिक्षा विभाग से अनुमति ली है ? इस प्रकार से यह दोनों अपने कार्य के प्रति उदासीन रही है। यदि यह दोनों निरीक्षका इस बिन्दु पर ध्यान देतीं तो यह सम्भव था कि यह दुखान्त घटना होने से टल सकती थी। इस प्रकार से इन दोनों का दायित्व इस दुखान्तक घटना के प्रति बनता है।

अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कमला दत्ता ने दो बार उपस्थित होकर पी. डब्ल्यू 10 व पी. डब्ल्यू 34 के रूप में बयान दिये हैं। उन्होंने अपने बयान में दिनांक 24-7-84 में अपने निरीक्षण का उत्तरदायित्व शत प्रतिशत प्राईमरी स्कूलों का माना है तथा कस्तूरबा नारी शाला का निरीक्षण दिनांक 25-11-83 को व. उप जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री कुसुम जोशी के साथ करना स्वीकार किया है। श्रीमती दत्ता

ने पी. डब्ल्यू. 34 के रूप में यह बताया है कि उनसे पूर्व के अधिकारी के अनुसार वे राजकीय स्कूलों का ही निरीक्षण करती रही हैं तथा इसी अनुसार भ्रमण कार्यक्रम का भी अनुमोदन होता रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सिन्धी भाषा के लिये एक एस. डी. आई., जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) के यहां नियुक्त है तथा इसी प्रकार के अन्य एस. डी. आई. का पद जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) के कार्यालय से है। अतः कस्तूरबा स्कूल का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व इन दोनों एस. डी. आई. का ही माना जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में श्रीमती दत्ता हमें ऐसा कोई अभिलेख या प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रही हैं जिससे कि यह ज्ञात होता हो कि परिसर क्षेत्र में निजी स्कूलों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व इनका न होकर किसी अन्य एस. डी. आई. का बनता हो। इसके विपरीत विभागीय संदर्शिका तथा दिनांक 25-11-83 को श्रीमती दत्ता द्वारा किये गये कस्तूरबा नारी शाला के सम्मिलित निरीक्षण के मुताबिक श्रीमती दत्ता की पर्यवेक्षक उदासीनता सुश्री कुसुम जोशी के साथ-साथ प्रमाणित है। अतः उक्त विवेचन अनुसार शिक्षा विभाग के प. उप जिला अधिकारी, सुश्री कुसुम जोशी एवं अवर. उप जिला अधिकारी श्रीमती कमला दत्ता निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक परिसर क्षेत्र के स्थित स्कूलों का निरीक्षण न करने तथा कस्तूरबा नारी शाला का दिनांक 25-11-83 को लिये गये अपूर्ण व अनुपयोगी निरीक्षण का उत्तरदायित्व प्रमाणित होता है।

जांच निष्कर्ष

दिनांक 20-7-84 को घटित सायं 3.45 बजे पर कस्तूरबा नारी शाला के छात्र छात्राओं की टी. जे. मयाना अस्पताल में दुर्घटना के सम्बन्ध में की गई जांच का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—

1. "यह सुधार सभा व इसकी अन्य एक्टिविटीज विशेषता विद्या समिति तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा वित्तीय लेखों का संधारण सही प्रकार से नहीं किया जाता है। ओडिटर रिपोर्ट अपूर्ण एवं संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार नहीं दी जाती है। आयकर विभाग द्वारा बिना संस्थान द्वारा बैलेन्स शीट प्रस्तुत किये आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्ति करना नियमों से विस्तृत प्रमाणित होता है। इस सम्बन्ध में आयकर विभाग इस संस्थान की स्थापना से अब तक के लेखों की पुनः जांच करने के बाद ही आयकर मुक्ति करता है तो ज्यादा विधिवत रहेगा।

2. सुधार सभा द्वारा पोल्ट्री फार्म बिल्डिंग की खरीद श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि श्री प्रभूदयाल गोयल, केसरगंज, अजमेर तथा श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश गोयल, केसरगंज, अजमेर में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

दिनांक 13-7-82 को की गई है। इस सम्पत्ति का मूल मालिक उक्त श्रीमती शकुन्तला देवी व श्रीमती बिमला देवी न होकर अन्य हैं। अतः यह एक विशेष जांच का विषय है कि उक्त सम्पत्ति का वैधानिक स्वामित्व किस का था तथा उसने पोल्ट्री फार्म निर्माण के बाबत किस विभाग से अनुमति प्राप्त की थी ? इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच उपेक्षित है।

3. सुधार सभा द्वारा एक वृहद् अस्पताल टी. जे. मयानी का निर्माण कराया जा रहा है। जांच से यह पाया गया कि इस निर्माण कार्य की योजना क्रियान्विति में राजकीय स्वास्थ्य विभाग का कोई सहयोग/मार्गदर्शन संस्थान द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। अतः यह स्वास्थ्य विभाग के लिए जांच का बिन्दु है कि इस तरह की सुधार सभा की कार्यवाही नियमों के विपरीत तो नहीं है।

4. टी. जे. मयानी अस्पताल के निर्माण से सम्बन्धित नक्शा बिना पोल्ट्री फार्म के डिसमेन्टल करने का सुनिश्चित किये बिना पास किया जाना गलत कार्यवाही है तथा जो नक्शा पास किया गया व तकनीकी दृष्टि से कई त्रुटियों का समावेश किये हुये था जैसे कि खम्भों पर परमिसेबल लोड वायरिंग केपिसिटी का ध्यान नहीं रखा गया। इस गलत कार्यवाही के लिये तत्कालीन अधिवक्ता श्री पोहूमल टोपानी एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री एम. के. मेघनानी दोषी पाये गये हैं।

5. टी. जे. मयानी अस्पताल की इमारत का निर्माण परिषद् द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार न कराने तथा पोल्ट्री फार्म पर भी निर्माण कराने के कार्य के लिये मेडिकल बोर्ड के सचिव श्री ईश्वर धारानी, मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. चिमन दास छबलानी, तथा मिस्त्री श्री रामचन्द्र दोषी प्रमाणित हैं। मिस्त्री का यह भी दोष प्रमाणित है कि उसने निर्माण कार्य में आवश्यक सावधानियां नहीं बरती हैं।

6. परिषद् द्वारा पारित अस्पताल भवन के नक्शे के अनुसार मौके पर कराये जा रहे निर्माण कार्य की जांच में परिषद् के सम्बन्धित अधिकारियों के पर्यवेक्षक की उदासीनता भी रही है इसके लिये श्री चन्द्र शेखर अधिदर्शक, श्री युधिष्टर आर्य, सहायक अभियन्ता एवं श्री एन. यू. सिद्दीकी, आयुक्त नगर परिषद् अजमेर जांच अनुसार दोषी बनते हैं।

7. बिना विद्या समिति अथवा सुधार सभा की जनरल बोडी के अनुमति के कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक स्कूल के निर्माणाधीन टी. जे. मयानी अस्पताल में स्थानान्तरण करने का निर्णय जो सचिव श्री ईश्वर धारानी ने लिया था

वह क्रियान्वित किया था। यह निर्णय विवेकपूर्ण व प्रावधानों के विपरीत होने के कारण श्री धारानी निसन्देह दोषी है। इस मामले में एम. सी. मलाणी जो कि विद्या समिति के अध्यक्ष हैं, भी इस कार्य के प्रति उदासीन रहने तथा उनके द्वारा कस्तूरबा प्राथमिक शाला के जुलाई, 1983 में मयानी अस्पताल में स्थानान्तरण कर देने के उपरान्त प्रसाइड की गई दिनांक 19-12-83 में इस बावत हुई कार्यवाही न करना अध्यक्ष श्री एम. सी. मलाणी का मामले में दोषी होना करार देता है।

8. शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, सुश्री कुसुम जोशी एवं अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कमला दत्ता निर्धारित नोर्म्स के मुताबिक परिसर क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने तथा 25-11-83 को कस्तूरबा नारी शाला में किये गये अपूर्ण निरीक्षण के कारण दोषी बनती हैं, साथ ही स्वामी सर्वानन्द विद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के स्तर पर यह जांच भी अपेक्षित है कि क्या स्कूल की शिक्षिकाओं को उतना ही वेतन दिया जाता है जितने का वास्तविक भुगतान बताया गया हो।

दिनांक 20-7-84 को हुई दुखान्त घटना जांच रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

(के० एन० गुप्ता)
अतिरिक्त जिलाधीश एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
जांच अधिकारी, अजमेर।
27-7-84

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, (राज.)

क्रमांक/कम्र/न्याय/नि./स./942/ अजमेर, जुलाई 20, 1984

आदेश

आज दिनांक 20-7-84 को आसागंज, सिन्धुवाडी में संस्था सुधार सभा द्वारा निर्माणाधीन 'टी. जे. मयानी अस्तपताल में संचलित कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय में हुई दुखान्तक घटना जिसमें 14 छात्र-छात्रायें एवं एक महिला अध्यापिका की अकाल मृत्यु हो गई, के बावत मैजेस्ट्रीयल जांच करवाना जन हित में आवश्यक एवं उचित

प्रतीत होता है। अतः इस दुखान्तक घटना की मैजेस्ट्रीयल जांच हेतु श्री के. एन. गुप्ता, अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अधिकारी नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जांच अधिकारी जांच में समस्त आवश्यक बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन शीघ्र निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करेंगे। निम्न बिन्दुओं पर विशेष रुप से सम्बन्धित संस्था सुधार सभा एवं प्रशासनिक विभाग यथा नगर परिषद् एवं शिक्षा विभाग आदि के बाबत जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया जावे :—

1. कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय, अजमेर के संचालक मंडल एवं सुधार सभा द्वारा शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अनियमित एवं गैर कानूनी तरीके से शिक्षा भवन का दुखान्तक स्थान में परिवर्तन।

2. कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय को अस्पताल भवन में पढाई हेतु अनाधिकृत तरीके से चलाना।

3. निर्माणाधीन भवन में बिना सुरक्षा का ध्यान रखे छात्र-छात्राओं को पढ़ाना।

4. संचालक संस्था सुधार सभा द्वारा नगर परिषद् द्वारा अनुमोदित नक्शे के विपरीत बिना पोल्ट्री फार्म को गिराये तामीरात खड़ी करना एवं भवन निर्माण में परिवेक्षण के प्रति उदासीनता।

5. नगर परिषद् द्वारा अनुमोदन होने के बाद पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता एवं नगर परिषद् द्वारा नक्शा स्वीकृत करते समय पोल्ट्री-फार्म गिराने के मामले को निश्चित न कर निर्माण की स्वीकृति दिया जाना।

6. शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय पर्यवेक्षण में उदासीनता

रहने बाबत नगर परिषद्, शिक्षा विभाग एवं तकनीकी पहलुओं पर आधारित भवन निर्माण एवं नक्शे में सम्बन्धित मामले में उपरोक्त विभागों के अलावा अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर, अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को आवश्यक सहयोग देंगे।

एस. डी./—

(टी. आर. वर्मा),

जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट,

अजमेर।

(547)

क्रमांक/क अ/न्याय/नि. सं./943-948/ अजमेर, जुलाई, 20, 1984

प्रतिलिपि :–

1. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
3. श्री के. एन. गुप्ता, अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
5. प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र एवं छात्राऐं, अजमेर।

को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

एस. डी./–

जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट,

अजमेर।

परिशिष्ट–2

सूची गवाहान

क्र. सं.	गवाह सं.	नाम गवाह	पृष्ठ सं.
1.	1	एस. एम. माथुर, अधी. अभि., (पी. डबल्यू. डी.)	1 से 2
2.	2	श्रीमती तारा सैठी, जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्रायें), अजमेर	3 से 4
3.	3	श्री पी. के. चन्द्रशेखर, ओवर सीयर, नगर परिषद्, अजमेर	5 से 7
4.	4	पोहूमल टोपानी, ओवरसीयर, नगर परिषद्, अजमेर	8 से 10
5.	5	श्री युधिष्टर आर्य, सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, अजमेर	11 से 13
6.	6	सुश्री कला पी. सबरानी, प्रधानाध्यापिका, नारी शाला, अजमेर	14 से 15
7.	7	श्री झम्मूमल, कोषाध्यक्ष, सुधार सभा	16 से 17
8.	8	श्री दीपचन्द्र वेलानी, अध्यक्ष, सुधार सभा	18 से 20

क्र. सं.	गवाह सं.	नाम गवाह	पृष्ठ सं.
9.	9	सुश्री कुसुम जोशी, वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	21 से 22
10.	10	श्रीमती कमला दत्त, अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	
11.	11	श्री भगवान गेरयानी, अधि. अभि. पी.डब्ल्यू.डी., अजमेर	23 से 24
12.	12	श्री एम. यू. सिद्दकी, आयुक्त नगर परिषद, अजमेर	25 से 26
13.	13	श्री राकेश भर्गव, कचहरी रोड, अजमेर	27 से 28
14.	14	श्री रमेश चन्द्र सिख, आशा गंज, अजमेर	29
15.	15	श्री कन्हैया लाल सेवक रमानी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	30
16.	16	श्री किशन छबलानी, अजमेर	31 से 32
17.	17	श्री सेवक पंजवानी, डिग्गी तालाब, अजमेर	33
18.	18	श्री भगवान दास मोटवानी, सब्जी मण्डी अजमेर,	34
19.	19	श्री डा. जे. एम. भाला, क्रिश्चियन गंज, अजमेर	35
20.	20	श्री गुलाम गुरुनानी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	36
21.	21	श्री राधा कृष्ण कोटनानी, पहाड़गंज, अजमेर	37
22.	22	श्री घनश्याम पंजानी, दिल्ली गेट, अजमेर	38
23.	23	श्री परसराम रामवानी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	39
24.	24	श्री गोवर्धन चौधरी, पाल बीछला, अजमेर	40
25.	25	श्री एन. एस. रामचन्दानी, आशा गंज, अजमेर	41
26.	26	श्री लक्ष्मण दास लुहाना, डिग्गी चौक, अजमेर	42
27.	27	श्री हितेश मेहता, ए. सी. बी., अजमेर	43
28.	28	श्री राज पंजाबी, आशा गंज, अजमेर	44
29.	29	श्री राजेन्द्र प्रसाद जयसिंघानी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	45
30.	30	श्री बीरूमल, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	46
31.	31	श्री परमानन्द सिन्धी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	47
32.	32	श्री अशोक मघलानी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर,	48
33.	33	श्री ढोलन राकी, नवाब का बेडा, अजमेर।	49

क. सं.	गवाह सं.	नाम गवाह	पृष्ठ सं.
34.	34	श्रीमती कमला दत्त, अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	50 से 51
35.	35	सुश्री कृष्णा, अध्यापिका, स्वामी सर्वानन्द विद्यालय, अजमेर	52
36.	36	श्री रामचन्द्र बेरवा, सब्जी मण्डी, अजमेर	53 से 54
37.	37	श्री ईश्वर थारानी, माल रोड, अजमेर	55 से 65
38.	38	श्री आयल दास रायसिंघानी, सुधार सभा, अजमेर	66 से 67
39.	39	श्री डा. चिमन दास, तिलक नगर, अजमेर	68 से 69
40.	40.	श्री कु. बिन्दरा कृपलानी, अध्यापक, खारीकुई	70
41.	41	श्री नारायण दास, रेवेन्यू निरी.	71 से 72
42.	42	श्रीमती तुलसी मूथानी, नवाब का बेडा, अजमेर	73 से 74
43.	43	श्रीमती वीना केसवानी टीचर, नारी शाला	75
44.	44	श्रीमती पदमा उत्तम चन्दानी, टीचर, नारी शाला	76
45.	45	श्रीमती ललिता, टीचर, नारी शाला	77
46.	46	श्रीमती रुकमणी, टीचर, नारी शाला	78
47.	47	श्रीमती देवी, टीचर, नारी शाला	79

परिशिष्ट–3

सूची प्रस्तुत प्रदर्श (एग्जीबिटस्) जो दौरान-ए-जांच रेकार्ड पर लिये गये

क. सं.	प्रदर्श एवं दिनांक	दस्तावेज का विवरण
1	2	3
ई.एक्स.पी. 1	दिनांक 23-7-84	पत्रांक 545-46 अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर
,, 2	,, 23-7-84	नक्शा टी. जे. मयानी अस्पताल
,, 3	,, 23-7-84	नक्शा टी. जे. मयानी, अस्पताल, I मंजिल

1	2	3
ई.एक्स.पी. 4	दिनांक 23-7-84	रिकागनेशन प्रमाण पत्र
,, 5	,, 23-7-84	छात्र संख्या की सूची
,, 6	,, 23-7-84	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सूची
,, 7	,, 23-7-84	अनुदान राशि का विवरण-पत्र
,, 8	,, 23-7-84	अनुदान प्रार्थना-पत्र (आवर्तक)
,, 9	,, 23-7-84	मान्यता नियम
,, 10	,, 23-7-84	प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की सूची
,, 11	,, 23-7-84	शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र की सूची
,, 12	,, 23-7-84	ओवरसीयर्स की ड्यूटी लिस्ट
,, 13	,, 23-7-84	ओवरसियर महा. अभि. की रिपोर्ट
,, 14	,, 24-7-84	रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
,, 15	,, 24-7-84	सुधार सभा की एक्टीविटीज का विवरण
,, 16	,, 24-7-84	सुधार सभा का संविधान
,, 17	,, 24-7-84	सेवा निवृत्ति प्रमाण-पत्र प्र. अध्यापक का
,, 18	,, 24-7-84	सुधार सभा के लेखे
,, 19	,, 24-7-84	निरीक्षण प्रतिवेदन
,, 20	,, 24-7-84	मान्यता निरस्त के आदेश
,, 21	,, 24-7-84	नक्शा टी. जे. मयानी अस्पताल
,, 22	,, 24-7-84	रिपोर्ट अधि. अभि. पी. डब्ल्यू. डी अजमेर
,, 23	,, 24-7-84	क्षतिग्रस्त हाल का नक्शा
,, 24	,, 24-7-84	आदेश संख्या 1366/दिनांक 22-10-83 आयुक्त, नगर परिषद्, अजमेर।
,, 24ए	,, 24-7-84	ओवरसियरों के बीच कार्य वितरण आदेश
,, 25	,, 24-7-84	गृहकर दस्तावेज
,, 26	,, 24-7-84	निलम्बित आदेश

1	2		3
,,	27	दिनांक 24-7-84	ओवरसियरों की ड्यूटी लिस्ट
,,	28	,, 24-7-84	आदेश कमांक/89, दिनांक 20-1-84
,,	29	,, 24-7-84	बिल्डिंग सुपरडेन्ट ड्यूटी लिस्ट
,,	30	,, 24-7-84	आदेश क्रमांक/142, दिनांक 22-7-83
,,	31ए	,, 25-7-84	हाजरी रजिस्टर की फोटो प्रति
,,	32ए	,, 26-7-84	मेडीकल बोर्ड की मिटिंग्स की कार्यवाही की फोटो प्रति
,,	33	,, 25-7-84	टी. जे. मयानी अस्पताल का प्रपोज्ड साईटप्लान
,,	34	,, 25-7-84	साईट एलीवेशन प्लान
,,	35 से 38	,, 25-7-84	फोटो ध्वस्त भवन हिस्से की
,,	39ऐ	,, 25-7-84	विद्या समिति की रजिस्टर की फोटो प्रति
,,	40ऐ	,, 25-7-84	वर्किंग कमेटी की मिनिट बुक की फोटो प्रति (उर्दू में)
,,	41ए	,, 25-7-84	हाजरी रजिस्टर जुलाई, 84 फोटो प्रति

नोट :—

उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त बेचाननामें की फोटो प्रति रुपये 85000/– एवं रुपये 70000/– की रजिस्ट्री (फोटो प्रति में) संलग्न है।

परिशिष्ट–4

सूची प्रार्थना-पत्र जो मौके पर की गई जांच के दौरान प्राप्त हुये :–

क. सं.	प्रार्थना-पत्र देने वाले का नाम	दिनांक
1	2	3
1.	श्री हीरानन्द अजमेर	23-7-84
2.	श्री राजेन्द्र जयसिंघानी, सिन्धुवाड़ी, अजमेर	—
3.	श्री हरिराम उधवानी, आशागंज, अजमेर	—
4.	श्री टीकमदास	24-7-84

1	2	3
5.	श्री भगवान टिलयानी, आशागंज, अजमेर	24-7-84
6.	श्री ऐ. पी. केवल रमानी, अजमेर	24-7-84
7.	श्री ढोलन राही, अजमेर	24-7-84
8.	श्री नवीनचन्द्र कासलीवाल, माकडवाली रोड, अजमेर	24-7-84
9.	श्री महबूबानी "भारती"	24-7-84
10.	श्री एन. डी. मोटवानी, अलवर गेट, अजमेर	24-7-84
11.	श्रीमती सुशीला मोटवानी, राजस्थान महाविद्यालय, अजमेर	24-7-84
12.	श्री राधाकृष्ण कोतवानी, आशागंज, अजमेर	24-7-84
13.	श्री गोर्धन चौधरी, अजमेर	24-7-84
14.	श्री शोभराज बालचन्द्र छतवानी, अजमेर	24-7-84
15.	श्री सुधार सभा, अजमेर	24-7-84
16.	श्री एन. के. इसरानी, कड़क्का चौक, अजमेर	24-7-84
17.	जे. एम. सोनी, अजमेर	24-7-84
18.	श्री राकेश भार्गव, अजमेर	—
19.	श्री के. एच. भूराने, जवाहर नगर, जयपुर	24-7-84
20.	श्री बी. मंभानी, डिग्गी चौक, अजमेर	24-7-84
21.	श्री जे. के. रेडीमेट सेन्टर, अजमेर	24-7-84
22.	श्री नानकदास हुन्दलदास, अजमेर	24-7-84
23.	श्री चन्द्रमल जैसाराम, अजमेर	24-7-84
24.	श्री आमनदास चाण्डूमल, अजमेर	24-7-84
25.	श्री एस. एम. शर्मा, बनीपार्क, जयपुर	24-7-84
26.	श्री श्याम समानी, अजमेर	—
27.	श्री प्रताप मेमोरियल (डॉक्टर यादव), अजमेर	24-7-84
28.	श्री डॉक्टर गिरीश निगम, अजमेर	24-7-84
29.	डॉक्टर, राजेन्द्र सैला, बी. सी. सौगानी, अजमेर	24-7-84
30.	श्री एस. सी. शिवहरे, आदर्श नगर, अजमेर	24-7-84

1	2	3
31.	श्री सुधीर शिवहरे, अजमेर	24-7-84
32.	श्री जे. जे. टिलवानी, अजमेर	24-7-84
33.	श्री रेल्वे मेन्स हाऊसिंग सोसाइटी, अजमेर	24-7-84
34.	श्री के. एल. गोयल, अजमेर	—
35.	श्रीमती कान्ता, मारवाड़, अजमेर	24-7-84

नोट :– उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों के अतिरिक्त श्रीमती कमला दत्ता, अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर ने दौरान-ऐ-बयान दो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं। जो कि 1 एवं 2 हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदन

मैं दिनांक 24-7-84 को कस्तूरबा नारी शाला, अजमेर की दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच हेतु पहुंचा। सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर के कार्यालय में पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। श्रीमती तारा सेठी ने मुझे बताया कि यह स्कूल 1949 से शिक्षा विभाग, अजमेर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और 1954 से इसे 90 प्रतिशत सहायता मिल रही है। जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई उसे सिन्धु बाड़ी कहा जाता है। लेकिन यह विद्यालय नवाब का बेड़ा में पहले स्थित था। गत वर्ष ही स्कूल नवाब का बेड़ा से सिन्धु बाड़ी में लाई गई।

इस दुर्घटना में जो 20-7-84 को करीब साय 4.30 बजे हुई, 14 बच्चों की जान गई और एक अध्यापिका भी मौके पर ही जान खो बैठी। उस दिन कुछ वर्षा हो रही थी और वर्षा के कारण उपेक्षाकृत बच्चे कम आये थे। जब मैं पूछताछ कर रहा था तो अरिरिक्त जिलाधीश, अजमेर भी आ गए। वे अलग से घटना के बारे में मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं।

यह स्कूल कस्तूरबा नारी शाला के नाम से चलाया जाता है—सिंधी सुधार सभा, अजमेर द्वारा चलाया जा रहा है। इस सुधार सभा के पास में सन् 78 में इस स्कूल का प्रबन्ध आया। पहले कोई दूसरा ही मैनेजमेंट था। श्रीमती तारा सेठी द्वारा मुझे यह भी बताया गया कि इस समय विद्यालय में 293 बच्चे हैं और 8 अध्यापिकायें हैं। पढ़ाने का माध्यम सिंधी भाषा है। उनका यह कहना था कि चूंकि मौके पर मान्नतीय शिक्षा मन्त्री महोदय द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि मान्यता तुरन्त समाप्त कर दी जाय इसलिए स्कूल की मान्यता भी उन्होंने समाप्त कर दी है।

मेरे द्वारा दुर्घटना का मौका भी देखा गया और नारीशाला का जो नया भवन बन रहा है उसे भी देखा गया। दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं यह तो तकनीकी विषय है लेकिन मौके पर पूछने पर यह मालूम पड़ा कि जिस इमारत पर यह दो मंजिल बनाई गई है वह किसी समय में मुर्गीखाना था और यह सम्भव हो सकता है कि मुर्गीखाना की नींव पर इस इमारत को बना दिया गया हो जिससे नींव कमजोर होने से पहली मंजिल गिरी और उसके दबाव के कारण निचली मंजिल की पट्टियां टूटकर बच्चे व अध्यापिका मृत्यु के ग्रास बने। मलबा काफी हटाया जा चुका था। लोगों ने बताया कि तुरन्त प्रशासन, पड़ौसियों व पुलिस की मदद से लाशों को निकाला गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैनेजमेंट खराब है या मैनेजमेंट के झगड़े के कारण स्कूल की देख-रेख नहीं हो रही बल्कि सभी व्यक्तियों ने यह कहा कि यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है। मैनेजमेंट का इसमें कोई दोष नहीं है।

मान्यता समाप्त करने के पश्चात् अब अनुदान दी जानी सम्भव नहीं होगी। शिक्षा विभाग के सामने दो अहम् पहलू आयेंगे :

1. प्रथम 300 बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया जाय जिसका शिक्षा माध्यम सिंधी भाषा है।

2. उन 8 अध्यापिकाओं को रोजगार कैसे दिया जाय जो स्कूल मान्यता समाप्त होने पर सीधी प्रभावित होती हैं।

क्योंकि अंशदान की राशि 90 प्रतिशत है इसलिए हमें इन दोनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अभी से विचार कर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि ज्योंही दुर्घटना की शोक अवधि समाप्त हुई तो यह सम्भव है कि सुधारसभा नोटिस देकर मुकदमा कर दे अथवा जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) के कार्यालय में यह मांग की जाय कि जो अध्यापक स्कूल में कार्यरत थे उन्हें अन्यत्र लगाया जाय और यह भी मांग की जायेगी कि 300 छात्रों को अन्यत्र भर्ती करवाया जाय। जिन स्कूलों में सिंधी विषय है—मैंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि अजमेर के विद्यालयों में बच्चे अधिक संख्या में अध्ययनरत है और यह सम्भव नहीं होगा कि 300 बच्चों व बच्चियों को भर्ती करवाया जा सके, इसलिए इस बारे में भी विचार किया जाना आवश्यक है। मैंने 25.7.84 को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) से भी इस सम्बन्ध में बात की। उनका भी इस सम्बन्ध में विचार था कि स्कूल को जारी रखना आवश्यक है क्योंकि अजमेर में अधिकांश स्कूलों की इमारतें किराये पर चल रही हैं जो खस्ता हालत में हैं। किराये की राशि कम होने के कारण मकान मालिक उन इमारतों की मरम्मत नहीं करवा सकते क्योंकि उनको किराया

कम मिलता है। मरम्मत पर कोई राशि खर्च नहीं करती। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना था कि सभी स्कूलों की इमारतें असुरक्षित हैं और वे इस बारे में रिपोर्ट दे देंगे।

मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधीश, अजमेर से भी वार्ता की और उन्हें अवगत कराया। उनका भी यह मत था कि जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है अन्य स्कूलों में समायोजन किये जा सकते हैं लेकिन अध्यापिकाओं के लिए शिक्षा विभाग को हल निकालना पड़ेगा। जिलाधीश महोदय ने यह भी बताया कि समाज सुधार सभा भारत के बाहर प्रवासियों से चंदा इकट्ठा करती है और उनसे संस्था चलती है। यह सम्भव है कि इसके लेखा-व्यय में घोटाला हो। मैंने जिलाधीश महोदय से केवल इतना ही कहा कि जहां तक लेखा-व्यय का प्रश्न है—हमारा परिक्षेत्र केवल अनुदान तक ही सीमित है बाकी संस्था रु. कहां से लाती है और क्या करती है यह शिक्षा विभाग की परिधि में नहीं आता।

जो बालक व अध्यापिका इस दुर्घटना में मरे उनकी सूची संलग्न हैं।

ह०/–
(दक्षपालसिंह धारीवाल)
अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)।

दिनांक 20-7-84 को कस्तूरबा नारीशाला, सिंध बाड़ी, अजमेर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों एवं अध्यापकों के नाम :

(1) श्रीमती भाग्येश्वरी	सहायक अध्यापक
(2) पुरुषोत्तम	पुत्र श्री श्यामदास
(3) प्रदीप	पुत्र श्री नथ्थूमल
(4) धर्मदास	पुत्र श्री रूपचन्द
(5) सोनी उर्फ मूला	पुत्र श्री रामचन्द्र
(6) राकेश	पुत्र श्री दिनेशचन्द्र
(7) प्रकाश	पुत्र श्री नन्दलाल
(8) जेठा	पुत्र श्री किशनचन्द
(9) किशन	पुत्र श्री नन्दलाल
(10) देवानन्द	पुत्र श्री मोटूमल
(11) लक्ष्मणदास	पुत्र श्री टीकादास

(12) मूली पुत्री श्री ठाकुरमल
(13) नीलू पुत्री श्री लक्ष्मणदास
(14) गीता पुत्री श्री रामचन्द्र
(15) लीला पुत्री श्री शोभराज

घायल हुए छात्र

(1) रोमी
(2) राधा
(3) किशन
(4) निर्मला
(5) दीपा
(6) केवलदास
(7) गोदावरी
(8) सीता
(9) हासन

कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 25-11-83 को कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय, अजमेर का सूचित निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर के आदेश क्रमांक जिशिअ/छात्रा/अज/अनु/82-83 दिनांक 20-8-1983 के अनुपालन में किया गया। निरीक्षण पर स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई:—

(1) पंजीकरण :—सुधार सभा सोशल एसोसिएशन, अजमेर का पंजीकरण रजिस्ट्रार कम्पनी के द्वारा दिनांक 4-7-55 को किया गया। पंजीकरण आदेश के प्रति जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर को अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

(2) मान्यता :—इस विद्यालय को पत्र दिनांक 6-3-54 के द्वारा निदेशक शिक्षा, भूतपूर्व अजमेर राज्य ने कक्षा 1 से 5 तक स्थाई मान्यता प्रदान की।

(3) स्वीकृत पदों का विवरण :—निदेशक, प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र क्रमांक शिविरा/अनु/मा/16199/41/80-81 दिनांक 6-4-83 के द्वारा इस विद्यालय के लिए तृतीय वेतन श्रृंखला के 8 पद यथावत स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इन सभी पदों पर अध्यापिकायें सेवारत हैं। अध्यापिकाओं की योग्यता, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि का सेवा विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

(4) **वेतन भुगतान प्रक्रिया** :—सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान यूनाईटेड कार्मशियल बैंक के माध्यम से चैक द्वारा किया जा रहा है। माह अक्टूबर, 83 का वेतन दिनांक 2-11-83 को किया गया। अध्यापिकाओं से जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि सभी को पूरा-पूरा भुगतान किया जाता है।

(5) **भविष्य निधि** :—विद्यालय में कार्यरत सभी आठ अध्यापिकाओं को भविष्य निधि की सुविधा प्रदान कर रखी है। माह अक्टूबर, 83 की भविष्य निधि की राशि 205) व 746) दिनांक 9-11-83 को कोषालय, अजमेर ने व्यक्तिगत निक्षेप खाते संख्या 80 में जमा करायी है नियमित रूप से लेजर का संधारण किया जा रहा है तथा भविष्य निधि की राशि उक्त खाते में जमा हो रही है।

(6) **प्रबन्ध समिति** :—प्रवन्ध समिति के सदस्यों की सूची इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। प्रबन्ध समिति में विभागीय प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया है।

(7) **रोकड़ की स्थिति**:—रोकड़ प्रतिदिन नहीं भरी जाकर प्रतिमाह के अन्तिम कार्य दिवस को भरी जाती है। प्रधानाध्यापिका ने यह बतलाया कि छात्राओं से केवल परीक्षा शुल्क 1.50 वसूल किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रा कोष में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है क्योंकि शाला में अधिकांश वच्चे गरीब वर्ग के हैं। यदि इनसे शुल्क लिया जाता है तो शाला छोड़ देते हैं। परीक्षा शुल्क से भी कुछ छात्राओं को आधी छूट दी गई है ताकि छात्राओं की उपस्थिति नियमित बनी रहे। वर्तमान में छात्रा कोष की रोकड़ का संधारण विधिवत रूप से नहीं कर रखा है। केवल एक कापी में परीक्षा शुल्क का हिसाब है। छात्रा कोष की रोकड़ प्रारम्भ करने हेतु प्रधानाध्यापिका को नियमों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी मौके पर ही कराते हुए रोकड़ प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

(8) **विद्यालय भवन** :—कक्षा 3 से 5 सर्वानन्द सिन्धुवाड़ी में चलती है तथा शिशु प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष कस्तूरबा नारी शाला, हरिसुन्दर बालिका विद्यालय, नवाब का वेड़ा में चलती है। दोनों भवन विद्यालय प्रवन्ध समिति के है। शाला को भिन्न-2 स्थानों पर चलाने में प्रधानाध्यापिका को परिवीक्षण कार्य करने में असुविधा अवश्य होती होगी। अतः जिस क्षेत्र में वच्चे अधिक हों तथा छात्रा संख्या में न्यूनता न आवे, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि एक ही भवन में कक्षा 1 से 5 चलाई जायें तो उपयुक्त रहेगा। शैक्षिक कार्य हेतु छः कक्षा कक्ष एवं एक प्रधानाध्यापिका कक्ष वर्तमान में उपलब्ध है। विद्यालय भवन साफ-सुथरा पाया गया।

(9) **पुस्तकालय** :—विद्यालय में 400 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय प्रभारी श्रीमती ललिता तोलानी है। सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा में छात्राओं को पुस्तकें वितरित करने का प्रावधान है। योजना अनुसार पुस्तकें दी जा रही हैं। विद्यालय में हिन्दी भाषी सिन्धी वीकली अखबार भी मंगाये जाते हैं।

(10) **विद्यालय योजना** :—विद्यालय योजना निर्मित हैं तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। योजना को सफल क्रियान्विति हेतु प्रधानाध्यापिका और प्रयास करें।

(11) **डायरी** :—अध्यापिका डायरी नियमित रूप से भरी जा रही है। विभाग द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं की अनुपालना की जाती है। वार्षिक कार्य विभाजन योजना बनी हुई है। सामान्य परिवर्तन के अतिरिक्त योजनानुसार कार्य सम्पादित किया जाता है। यद्यपि प्रधानाध्यापिका द्वारा डायरी का अवलोकन किया जाकर आवश्यक परामर्श दिया जाता है तथापि अपेक्षा की जाती है कि प्रधानाध्यापिका प्रविष्टियों की जांच सतर्कता से करें।

(12) **परिवीक्षण कार्य** :—परिवीक्षण योजना बनी हुई है तथा पर्याप्त मात्रा में परिवीक्षण कार्य प्रधानाध्यापिका द्वारा किया गया है तथा समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी अध्यापिकाओं को दिये गये हैं।

(13) **छात्रा संख्या** :—निरीक्षण तिथि को छात्रा संख्या निम्न प्रकार से पाई गई :—

कक्षा	छात्रा संख्या			उपस्थिति		
	छात्र	छात्रायें	योग	छात्र	छात्रायें	योग
5	9	23	32	9	21	30
4	18	20	38	17	15	32
3ए	15	16	31	14	13	27
3बी	1	9	10	1	9	10
2ए	30	16	46	29	16	45
2बी	13	10	23	13	10	23
1ए	16	18	34	13	17	30
1बी	4	7	11	4	7	11
शिशु 1	25	28	53	19	24	43
शिशु 2	20	7	27	20	7	27
योग	151	154	305	139	139	278

शैक्षणिक कार्य :—

(1) **कुमारी पारवती** :—कक्षा पहली–अ प्रधानाध्यापिका ने श्याम पट्ट पर गिनती लिख कर छात्राओं को अंकों का ज्ञान करवाया, छात्राओं द्वारा किया गया कार्य सन्तोषजनक पाया गया। अध्यापिका द्वारा प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है।

(2) **श्रीमती रुकमणी नारायणदास** :—कक्षा दूसरी—व विषय :—सिन्धी अध्यापिका ने छात्राओं को कविता कर आदर्श वाचन सिखाया, तथा कविता के कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाया। प्रश्नोत्तर प्रणाली से कविता का आशय समझाया गया।

(3) **नागेश्वरी** :—कक्षा 5 विषय : हिन्दी उप विषय—न्याय का देवता अध्यापिका द्वारा आदर्श वाचन करने के पश्चात् शब्दार्थ की सहायता से पाठ्य वस्तु समझाई गई। छात्राओं द्वारा किया गया लिखित कार्य सन्तोषजनक पाया गया है।

(4) **श्रीमती देवी** :—दूसरी—व विषय :—गणित अध्यापिकायें छात्राओं को इकाई, दहाई व सैंकड़ों की संख्या का ज्ञान श्याम पट्ट पर संख्या लिखकर-समझाया गया। अध्यापन प्रणाली प्रभावशाली पाई गई। छात्राओं द्वारा श्रुतिलेख का कार्य पूर्ण रुचि से किया गया। छात्राओं को शब्द का वाचन ध्यान से सुनने का अभ्यास अधिक कराने की आवश्यकता है।

सभी अध्यापिकाओं का लिखित कार्य देखा गया। लिखित कार्य पर्याप्त मात्रा में करवाया गया है व समय-समय पर वांचा गया है। प्रधानाध्यापिका ने भी लिखित कार्य का परिवेक्षण किया है तथा आवश्यक सुझाव भी दिये गये हैं।

सामान्य टिप्पणी

शाला व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। विद्यालय के दो स्थानों पर चलाये जाने के कारण छात्रा संख्या में वृद्धि के स्थान पर छात्राओं की नियमित संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस महत्वपूर्ण विन्दु को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को एक स्थान पर जहां छात्रा संख्या में वृद्धि होने की पूर्ण सम्भावना हों, चलाया जाना उपयुक्त रहेगा। निरीक्षण के समय छात्रा कोष की रोकड़ के संधारण के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का पालन किया जावे।

ह०/–
वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्रा संस्थायें), अजमेर।

क्रमांक वरि. उपजिशिअ/छात्रा/निरी/अनु/811-12/83 दिनांक 2-12-83

प्रतिलिपि :—प्रधानाध्यापिका, कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय, अजमेर

ह०/–
वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्रा संस्थाये), अजमेर।

362

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न सं. 187 की सूची)

अनुसूचित जन जाति के कृषकों की सूची जिन्हें वर्ष 1981–82 में कृषि कूप निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	तहसील	स्वीकृत राशि
1.	रामकरण/जुतरा	मीणा	सोहेला	टोंक	450.59
2.	सालगा/गोपी	,,	अहमदगंज	,,	144.07
3.	अम्बालाल/जुवारा	,,	किशनपुरा	,,	45.15
4.	गंगाराम/चन्द्र	,,	निवारिया	देवली	206.11
5.	किशनलाल/सुखदे	,,	बाससोखिया	,,	321.18
6.	गोपाल/पन्ना	,,	सोदड़ावास	,,	252.00
7.	नानगा/रघुनाथ	,,	बोलपुरा	,,	418.00
8.	नाना/भीवा	,,	आमली	,,	256.00
9.	कल्याण/काना	,,	आमली	,,	365.00
10.	रामकिशन/भूरा	,,	राजकोट	,,	993.75
11.	रामदेव/पोलू	भील	दतोब	टोडारायसिंह	378.00
12.	सोजी/जगन्नाथ	मीणा	बाटून्दा	देवली	356.25
13.	चतुर्भुज/हरपाल/सुखदेव	,,	बिलोता	उनियारा	377.19
14.	बजरंगलाल/सुन्दरा	,,	ककोड़	,,	261.50
15.	भूरा/कल्याण	,,	निवाई	निवाई	443.28
16.	कल्याण/भोलू	,,	भावती	,,	377.28
17.	गणेश/सूज्या	,,	सुनारा	,,	449.14
18.	मोरू/मुकना	,,	जुगलपुरा	,,	697.60
19.	गोपाल/बद्री	,,	गोपालपुरा	,,	569.62
20.	भागीरथ/चन्द्रा	,,	जुगलपुरा	,,	262.50
21.	बिरदा/भोलू	,,	भावती	,,	526.44
22.	मांगीलाल/रोडू	,,	प्रतापुरा	,,	634.02
23.	मांगीलाल/सुखदेवा	,,	खेड़ा मीरसागर	टोंक	228.00
24.	रामनारायण/भोलू	,,	सनान	,,	171.00
				योग :	9,183.67

अनुसूचित जाति के कृषकों की सूची जिन्हें 1981–82 में कृषि कूप निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	तहसील	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6
1.	मोती/विरदा	रेगर	सोड़ावावड़ी	टोंक	918.75
2.	नाथू/कान्या	हरिजन	नानेर	,,	791.05
3.	छीतर/विरदा	चमार	सन्देड़ा	,,	325.76
4.	मूल्या/लक्ष्मण	बैरवा	सोहेला	,,	237.50
5.	रामचन्द्र/माधो	,,	सोहेला	,,	213.75
6.	काना/डूंगा	,,	रानोली	,,	270.75
7.	रामकरण/हरदेव	,,	रानोली	,,	264.69
8.	नारायण/लाला	खटीक	रानोली	,,	250.80
9.	जगन्नाथ/गंगाराम	चमार	खरेड़ाखुर्द	,,	270.72
10.	कुरिया/हरला	चमार	घास	,,	197.49
11.	प्रमुदयाल/मांगीलाल	बैरवा	टोंक	,,	237.50
12.	मोतीलाल/चन्द्रा	बैरवा	ऊंटीटाणा	,,	340.83
13.	लादू/शिवरान	बलाई	लोहरवाड़ा	,,	24.50
14.	भैरू/नाथू	खटीक	अमीनपुरा	,,	200.11
15.	मांग्या/वालू	वलाई	हतोना	,,	217.92
16.	बालशा/गोविन्दा	बैरवा	दादिया	,,	237.50
				योग :	4,999.62

अनुसूचित जाति के कृषकों की सूची जिन्हें 1982–83 में कृषि कूप निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	तहसील	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	मूल्या/लक्ष्मण	बैरवा	सोहेला	टोंक	142.50
2.	रामचन्द्र/माधो	,,	,,	,,	128.25
3.	काना/दुगा	,,	सानोली	,,	88.45
4.	रामकरण/हरदेवा	,,	,,	,,	86.40
5.	नारायण/लाला	खटीक	,,	,,	83.70
6.	जगन्नाथ/खंगाराम	चमार	सरदापुरा	,,	88.80
7.	सुरज/बालू	रैगर	घास	,,	85.50
8.	मोतीलाल/चन्द्र	बैरवा	ऊंटीटाणा	,,	124.50
9.	मागया/बालू	बलाई	हतौना	,,	130.75
10.	लाला/गोविन्दा	बैरवा	दादिया	,,	142.50
11.	चतुर्भुज/श्योरामा	,,	सीसोला	,,	187.65
12.	घासी/धन्ना	,,	मुरावली	,,	168.00
13.	जंगल्या उर्फ जंगलीराम/भीता	चमार	इस्लामपुरा	,,	207.45
14.	पूरण/मोतीलाल	बैरवा	चन्दलाई	,,	104.00
15.	मांगीलाल/कालू	कोली	सन्देड़ा	,,	208.65
16.	छीतर/भूरा	बैरवा	गफूरपुरा	,,	147.00
17.	रन्दा/मन्ना	कोली	सन्देड़ा	,,	260.80
18.	रामनारायण/श्रीराम	बैरवा	सोहेला	,,	262.50
19.	लाला/हरदेवा	,,	रहीमपुरा	,,	25.05
20.	चन्दालाल/गणपता	रैगर	सोढ़ाबावड़ी	,,	132.35
21.	छोटू/हरला	बैरवा	बगड़वा	,,	260.95
22.	माधो/नाथू	,,	ब्यावड़ी	,,	114.15

1	2	3	4	5	6
23.	श्योरामा/चन्द्रा	बैरवा	मोहम्मदपुरा	टोंक	375.05
24.	ग्यारसा/नानगा	,,	प्यावड़ी	,,	389.50
25.	मांगीलाल/रामनाथ	,,	वगडवा	,,	486.90
26.	छीतर/चन्द्रा	चमार	सोनवा	,,	486.65
27.	बन्शी/रामू	ढोली	करासिया	,,	483.10
28.	कल्या/बलदेवा	बैरवा	नयाटीला	,,	486.85
29.	हरनाथ/हरदेवा	बैरवा	सीसोला	,,	506.90
30.	मोती/बिरदा	रैगर	सोडाबावड़ी	,,	380.16
31.	नाथू/काना	हरिजन	नानेर	टोंक	506.50
32.	छीतर/लक्ष्मण	रैगर	ढाणी नया गांव राजमहल	देवली	139.45
33.	पांच्या/रूघा	खटीक	बाड़	,,	57.10
34.	काना/हरला	बलाई	दूनी	,,	85.25
35.	दाब्या/किशना	रैगर	देवड़ावास	,,	47.10
36.	किशना/लादू	,,	देवली	,,	113.10
37.	चतुर्भुज/देवीलाल	बलाई	सांवतगढ़	,,	143.40
38.	किस्तूरा/छगना	खटीक	पनवाड़	,,	145.50
39.	श्रीकिशन/गोदू	चमार	घान्धोली	,,	135.00
40.	सुखा/छोगा	रैगर	देवड़ावास	,,	154.40
41.	छीतर/नानगा	रैगर	देवड़ावास	,,	169.35
42.	लादू/रामू	बलाई	रावता	,,	45.15
43.	जमना/डग्या	हरिजन	देवड़ावास	,,	177.90
44.	ओंकार/मंगल्या	रैगर	देवड़ावास	,,	464.75
45.	कालू/छोटू	बैरवा	सरसड़ी रामपुरा	निवाई	361.77
46.	दुल्या/शंकर	मेहतर	रजवास	,,	318.36
47.	हरनाथ/मांगीलाल	बैरवा	दामोदरपुरा	,,	382.23

1	2	3	4	5	6
48.	जगन्नाथ/गोदू	नायक	नाहरवाड़ी	निवाई	245.74
49.	रामनाथ/गंगाराम	बागरिया	हमीदपुरा	,,	406.03
50.	रामलाल/कल्याण	रैगर	रजवास	,,	456.30
51.	केसरा/रोडू	बैरवा	पुराणा	,,	451.94
52.	नाथू/रूघा	बैरवा	पुराणा	,,	480.82
53.	दोलूराम/देवाराम	बैरवा	निवाई	,,	418.85
54.	नवलकिशोर/चन्दालाल	रैगर	निवाई	,,	481.35
55.	राजेन्द्र कुमार/नोरंगालाल	खंगार	निवाई	,,	361.75
56.	रामचन्द्रा/किशना	बैरवा	रजवास	,,	348.55
57.	मोती लाल/काना रैगर	रैगर	निवाई	,,	481.35
58.	गोपीलाल/काना	,,	उजरपुरा	,,	348.85
59.	लालचन्द्र/गणपत	,,	निवाई	,,	365.44
60.	श्योनाथ/रामदेवा	बैरवा	आकोडिया	,,	486.86
61.	सुखा/छोटू	,,	आकोडिया	,,	430.00
62.	कल्याण/दब्या	खटीक	सुमरा	,,	486.86
63.	पांचूराम/लादू	बैरवा	आकोडिया	,,	428.44
64.	मांगीलाल/गिरधारी	,,	रजवास	,,	486.86
65.	हरिशंकर/ग्यारसा	,,	आकोडिया	,,	486.86
66.	रामनाथ/बजरंगा	भोम्या	हिगोंनिया	,,	453.14
67.	गंगल्या/छोटू	बैरवा	राहोली	,,	486.86
68.	चन्द्रा/मांगीलाल	,,	राहोली	,,	286.20
69.	भागीरथ/जयराम	,,	जोधपुरा	,,	457.42
70.	भैरू/भूरा	,,	बड़ागांव	,,	174.17
71.	मोहन/जीवन	,,	नटवाड़ा	,,	219.97
72.	बद्री/तुलसा	,,	बीडोली	,,	78.43

अनुसूचित जन-जाति के कृषकों की सूची जिन्हें 1982–83 में कृषि कूप निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	तहसील	स्वीकृत ब्याज
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नारायण/जुतारा	मीना	सोंहेला	टोंक	147.75
2.	श्री मांगीलाल/सुखदेवा	,,	खेडामीरसमाज	,,	136.80
3.	रामनारायण/मोलू	,,	,,	,,	114.00
4.	लाला/मीवा	,,	ग्रामली	देवली	88.90
5.	गोपाल/पन्ना	,,	संदियावास	,,	190.00
6.	रामकिशन/मूरा	,,	राजकोट	,,	464.75
7.	कल्याण/गोलू	,,	भगवती	निवाई	337.00
8.	मेरु/रामचन्द्र	,,	शोभागपुरा	,,	409.96
9.	गोदू/मुकना	,,	जुगलपुरा	,,	486.86
10.	गोपाल/बद्री	,,	प्रतापपुरा	,,	482.66
11.	कल्याण/कालू	,,	सुनारा	,,	426.00
12.	विरधा/मोलू	,,	मांवती	,,	486.86
13.	जगदीश/श्योनारायण	,,	पलई	,,	216.77
14.	मांगीलाल/रोडू	,,	प्रतावपुरा	,,	428.44
15.	जगनाथ/हरनारायण	,,	चकविजयपुरा	,,	219.92
16.	वजरंग/हरदेवा	,,	पागडी	उनियारा	184.24
17.	मांगीलाल/हरजी	,,	अनवारनगर	,,	204.64
18.	चतुर्भुज/सुखदेवा	,,	विलोता	,,	338.26
19.	वजरंगा/सुन्दरा	,,	ककोड़	,,	198.33
				योग :	5562.14

अनुसूचित जाति के कृषकों की सूची जिन्हें 1983–84 में कृषि कूप निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर व्याज स्वीकृत किया गया

क. सं.	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	तहसील	स्वीकृत व्याज
1	2	3	4	5	6
1.	रामनारायण/धन्ना	भोग्या	श्रीपुरा	अलीगढ़	219.00
2.	गोपाल/मन्ना	बैरवा	अमीरपुरा	,,	264.25
3.	धन्ना/ओंकार	,,	शोद	,,	40.00
4.	गोपाल/सुखा	,,	बोर्जालिया	,,	87.50
5.	रामनारायण/हीरा	,,	देवरी	,,	232.25
6.	काथू/काना	चमार	बगड़ी	टोडारायसिंह	125.40
7.	कल्याण	,,	बांसू	,,	458.60
8.	रामचन्द्र/बक्तावरा	,,	वाहेडा	,,	438.00
9.	कल्याण/बीजा	,,	उनियारा खुर्द	,,	210.25
10.	भैरू/काना	बलाई	मान्दोलाई	,,	199.50
11.	काना/नानगा	रैंगर	मान्दोलाई	,,	192.65
12.	माधो/सुखदेवा	चमार	दहाड़	देवली	59.50
13.	देवया/बिशना	रैंगर	देवड़ावास	,,	33.50
14.	बिशनया/लादू	,,	देवली	,,	90.45
15.	चतुर्भुज/देवीलाल	बलाई	सांवतगढ़	,,	119.00
16.	कस्तूरा/छगना	खटीक	पनवाड़	,,	37.90
17.	किशन/गोदू	चमार	धांधोली	,,	112.50
18.	मांगया/कृष्णा	रैंगर	देवली	,,	126.00
19.	सोखा/छोगा	,,	देवड़ावास	,,	148.80
20.	छीतर/नानगा	,,	देवड़ावास	,,	154.40
21.	जमना/उगया	मेहतर	देवड़ावास	,,	150.95
22.	ओंकार/मंगलाया	रैंगर	देवड़ावास	,,	140.00

1	2	3	4	5	6
23.	कालू/छोटू	बैरवा	सरसड़ी	निवाई	322.35
24.	धूल्या/शंकर	मेहतर	रामपुरा रजवास	,,	285.95
25.	हरनाथ/मांगीलाल	बैरवा	दामोदरपुरा	,,	354.90
26.	जगन्नाथ/गोदू	नायक	नाहरवाड़ी	,,	230.80
27.	केसरा/गोडू	बैरवा	चराड़ा	,,	428.40
28.	नाथू/रूंखा	,,	चराड़ा	,,	455.00
29.	दोलूराम/देवाराम	,,	निवाई	,,	193.00
30.	नवलकिशोर/चन्दालाल	रेगरे	निवाई	,,	455.95
31.	राजेन्द्र/नवरंगलाल	खागर	निवाई	,,	299.75
32.	रामचन्द्र/किशनलाल	बैरवा	रंजवास	,,	330.00
33.	मोतीलाल/काना	रेगर	निवाई	,,	455.75
34.	लालचन्द/गणपतलाल	,,	निवाई	,,	348.25
35.	श्योनाथ/रामदेवा	बैरवा	अकोडिया	,,	464.30
36.	सूखा/छोटू	,,	अकोडिया	,,	374.00
37.	कल्याण/बेजया	,,	सुनारा	,,	459.85
38.	पांचूराम/लादू	चमार	अकोडिया	,,	408.55
39.	मांगीलाल/गिरधारी	बैरवा	रजवास	,,	464.30
40.	हरिशंकर/ग्यारसा	,,	अकोडिया	,,	464.30
41.	रामनाथ/बजरंगा	मोग्या	हिंगोटिया	,,	445.80
42.	धूल्या/धन्ना	मेहतर	गहलोत	,,	267.80
43.	श्योकंरण/गंगाराम	बैरवा	मेदरकला	,,	323.00
44.	घनश्याम/मूलचन्द	मेहतर	रजवास	,,	385.20
45.	लाल/रोड	बैरवा	रजवास	,,	440.50
46.	राधाकिशन/रामसुख	,,	राहोली	,,	375.00
47.	गांगलाया/छोटू	,,	राहोली	,,	460.40
48.	चन्दा/मांगीलाल	,,	राहोली	,,	271.25

1	2	3	4	5	6
49.	भागीरथा/जयराम	बैरवा	जोतपुरा	निवाई	437.80
50.	मोहन/जीवन	,,	नटवाड़ा	,,	163.95
51.	मोती/रोड़ू	,,	कररिया	,,	152.40
52.	कालू/चिमना	,,	बिडोली	,,	143.80
53.	बदरी/तुलसया	,,	बिडोली	,,	58.45
54.	नारायण/कालू	,,	कररिया	,,	140.85
55.	कल्याण/मंगलया	,,	कररिया	,,	151.90
56.	भैरू/श्रवण	,,	सजिया	,,	152.70
57.	छोटू/सुन्दरा	मेहतर	बिडोली	,,	211.00
58.	भैरू/श्री किशन	बैरवा	बिडोली	,,	144.80
59.	नाथूलाल/लक्ष्मण	,,	दामोदरपुरा	,,	187.75
60.	पन्ना/गोबिन्दा	,,	श्रीविजयपुर	,,	440.50
61.	भूरा/लखमा	,,	लोदेड़ा	,,	158.50
62.	भैरू/भुरा	,,	बड़ागांव	,,	405.25
63.	मूडया/लक्ष्मण	,,	सोहेला	टोंक	95.00
64.	रामचन्द्रा/माधो	,,	सोहेला	,,	85.50
65.	नारायण/लाला	खटीक	रानोली	,,	55.80
66.	सूरजया/कालू	रेगर	धौंस	,,	57.00
67.	मोतीलाल/चन्द्रा	बैरवा	ऊंटियाना	,,	94.50
68.	लादू/श्योरामा	बलाई	लोहरवाड़ा	,,	69.00
69.	मांगया/बालू	,,	हथेना	,,	37.00
70.	काना/गोविन्दा	बैरवा	दादिया	,,	95.00
71.	चतुर्भुज/श्योरामा	,,	शिशोलाल	,,	142.50
72.	घासी/धन्ना	,,	भूरावली	,,	124.00
73.	जगलया उर्फ जंगली/सीता	,,	इसलामपुरा	,,	157.50
74.	पूरणमल/मोतीलाल	,,	चन्दलाई	,,	83.45

1	2	3	4	5	6
75.	नन्दा/मन्ना	कोली	सन्देड़ा	टोंक	208.65
76.	रामनारायण/श्रीराम	बैरवा	सोहेला	,,	210.00
77.	चन्दालाल/गणपता	रेगर	तोड़ाबावड़ी	,,	107.00
78.	छोटू/हरला	बैरवा	वगड़वा	,,	210.00
79.	माधू/नाथू	बैरवा	पिपावड़ी	,,	262.50
80.	नारायण/बालू	चमार	पीपलू	,,	210.00
81.	रतना/गोदया	बैरवा	छापड़ी	,,	893.80
82.	श्योरामा/चन्दा	,,	मो. पुरा	,,	300.60
83.	ग्यारसा/नानगा	,,	पिपावडी	,,	371.80
84.	मांगीलाल/रुघनाथ	,,	बगडवा	,,	464.65
85.	रामदेव/देवीराम	चमार	ऊम	,,	466.45
86.	छीतर/चन्दा	,,	सोनवा	,,	466.75
87.	बन्सी/रामू	ढोल	गरासिया	,,	232.75
88.	कल्या/बल्देवा	बैरवा	नया टीला	,,	465.75
89.	हरनाथ/हरदेवा	,,	सिसोला	,,	486.85
90.	मोती/बिरदा	रेगर	सोडा बावड़ी	,,	323.60
91.	नाथू/काना	मेहतर	नानेरा	,,	476.60
92.	जुआरीलाल/सुआलाल	,,	बलगांव	मालपुरा	46.70
93.	श्रीमती धापूदेवी/ग्यारसी	रेगर	बृजलालनगर	,,	89.40
94.	रामदेव/कजोड़	चमार	लावा हरिसिंह	,,	53.00
95.	गंगल्या/श्रवण	बैरवा	पूरथल	,,	295.00
96.	गंगाराम/नाथू	नायक	मालपुरा	,,	202.90
97.	गोरधन/कल्याण	बैरवा	देववास	,,	485.50
98.	पन्ना/किशोर	मेहतर	टोरडी	,,	350.50
				योग :	26230.40

अनुसूचित जन जाति के कृषकों की सूची जिन्हें 1983-84 में कृषि कूप निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	तहसील	स्वीकृत ब्याज
1	2	3	4	5	6
1.	बजरंगा/हरदेवा	मीणा	बगड़ी	अलीगढ़	153.70
2.	चतुर्भुज/सुखदेवा	,,	बिलोला	,,	301.30
3.	नारायण/नानू	,,	मोपड़िया बोटून्दा	टोडारायसिंह	63.50
4.	घीस्या/मुकना	भील	सवांरिया	,,	151.70
5.	रामदेवा/भीलू	,,	दतीव	,,	322.40
6.	श्योजी/भेरू	मीणा	संवारिया	,,	350.40
7.	श्योजी/जगन्नाथ	,,	मोपडिया बोटून्दा	,,	324.00
8.	धन्ना/सुखा	,,	रघुनाथपुरा	देवली	223.00
9.	गोपाल/पन	,,	सेदियावाल	,,	126.00
10.	रामकिशन/भूरा	,,	राजकोट	,,	409.00
11.	भूरा/कल्याण मीणा	,,	निवाई	निवाई	323.90
12.	कल्याण/भोलू	,,	भावती	,,	311.60
13.	भेरू/रामचन्द्र	,,	शोभागपुरा	,,	384.75
14.	गोदू/मुकना	,,	जुगलपुरा	,,	401.75
15.	गोपाल/बिरधा	,,	प्रतापपुरा	,,	400.95
16.	कल्याण/कालू	,,	सुनारी	,,	406.25
17.	बिरदा/भोलू	,,	भावता	,,	408.75
18.	जगदीश/शिवनारायण	,,	पलई	,,	196.25
19.	मांगीलाल/रोडू	,,	प्रतापपुरा	,,	406.45
20.	जगन्नाथ/हरनारायण	,,	चक विजयपुरा	,,	200.35

1	2	3	4	5	6
21.	रामनारायण/जुवारा	मीणा	लोहेला	टौंक	100.00
22.	रामनारायण/मोलू	,,	खेड़ा मीर सामाक	,,	85.00
23.	श्रीबक्षा/जुवारा	,,	लावा	मालपुरा	93.00
24.	सरिया/मांगू	भील	लाम्बा हरिसिंह	,,	67.00
25.	शोकरण, शेतान/राधाकिशन	मीणा	सीतारामपुरा	,,	337.00
26.	शैतान/माधू	मीणा	घोसला	,,	153.00
				योग :	6,701.00

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न सं. 191 का ज्ञापन)

सेवामें,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– टाटगढ़ के ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्वशील कर्नल टाड के बंगले को सुरक्षित रखने हेतु।

मान्यवर,

हम टाटगढ़ जनता श्रीमान् से निम्नांकित सादर निवेदन करते हैं कि :–

(1) यह कि अजमेर जिले के ग्राम टाटगढ़ को कर्नल टाड साहब ने करीब 200 वर्ष पहले बसाया था और उसी की याद में यह बंगला निवास बनाया गया है। इसके साथ कम्पाउण्ड जमीन करीब 15 बीघा और है।

(2) यह कि कर्नल टाड, इतिहास लेखक व टाटगढ़ के बसाता होने से सार्वजनिक नेता व अधिकारी रहे हैं। मगर क्रिश्चियन होने के नाते उन के देहावसान के बाद उनकी जायदाद, इस बंगले व जमीन की देख-रेख मिशन कमेटी करती आई है। जिस गलती से सरकारी रिकार्ड में **मिशन कमेटी बअहतमाम पादी फ्रेडरिक डी० लाल** दर्ज कर दी गई है जो बिल्कुल गलत व अनुचित है जबकि कर्नल टाड की जमीन जायदाद ऐतिहासिक और यादगार होने से सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी संस्था या व्यक्ति की मिलकियत नहीं हो सकती है।

(3) यह कि कर्नल टाड का बंगला व साथ की जमीन ऐतिहासिक और आबादी में राष्ट्रीय महत्व की दर्शनीय है। जनता टाटगढ़ को इस की विशेष स्थिति, जलवायु व मन मोहक सुरम्य सौन्दर्यता के कारण पर्यटन केन्द्र बनवाना चाहती है। इसकी काफी विद्यमानता और संभावनाएं हैं। इस विषय में राज्य सरकार से अनुरोध चल रहा है। आशा है शीघ्र स्वीकृति मिलेगी।

(4) इस महत्वपूर्ण बंगले व जायदाद को (जो लाखों रुपयों की है) कुछ स्वार्थी लोगों ने हड़प करने का सुनियोजित षड़यंत्र रच कर पादरी फ्रेडरिक डी.

लाल (जो करीब 10-12 वर्ष से एक्सपायर्ड है और उनकी कोई सन्तान मुन्तजिम नहीं है, न कोई टाटगढ़ रहता ही है) के दो पुत्र व एक बेवा जीवित में से केवल एक पुत्र विलसेन्ट फ्रेडरिक अध्यापक मीम को झूठा मालिक बनाकर, उसे लालच व मुगालता देकर अनाधिकृत गलत और अवैध बयनामा टाटगढ़ उप पंजीयक केन्द्र, उप तहसील टाटगढ़ में रजिस्टर्ड मिशन कमेटी के पास्टर व अधिकारियों से गुप्त रखते हुए लाखों की सम्पत्ति का केवल 10,000/- दस हजार में तारिख 20-6-84, रजिस्ट्री न. 16 करवाया जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है।

(5) यह कि इस गाडयंत्र में उप पंजीयक, नायब तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण शामिल हैं जिन्होंने जान बूझकर 10042 की 13410 आवादी भूमि को गैर मुमकिन दर्ज करवाया। गांव से दूर आबादी और कृषि हीन बताया जबकि यह तामीर शुदा आवादी भूमि है और आबादी टाटगढ़ में स्थित है। ऐसा अवैध कार्य कर सहायता पहुंचाई और राज्य सरकार को हजारों रुपये की रसूम की हानि पहुंचा कर चपेट लगा दी। कर्तव्यहीन राष्ट्र द्रोह का कार्य किया। पर्यटन केन्द्र की एक कड़ी व आकर्षण को नष्ट करने का दुःसाहस किया है।

(6) यह कि टाटगढ़ की जनता को उपरोक्त षडयंत्र की विक्रय की जानकारी होने पर बड़ा खेद व क्षोभ हुआ। जनता टाटगढ़ को पर्यटन केन्द्र बनवाकर इस क्षेत्र की अनुपम स्वास्थ्यवर्धक जलवायु का व मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ सारे राष्ट्र को देना चाहती है। जिसमें यह बाधक स्वार्थी आचरण असहाय है।

(7) यह कि टाटगढ़ की समग्र जनता एक मत से इस षड़यंत्र भरे राष्ट्र द्रोह पूर्ण विक्रय का पुरजोर विरोध करती हुई निम्नांकित मांगें स्वीकार करने का निवेदन करती है।

(अ) कर्नल टाड बंगले व उसके साथ की जमीन को ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित करते हुए इसका प्रबंध राज्य सरकार अपने हाथ में ले और इस की सुरक्षा का प्रबंध करे।

(ब) यदि इसे मिशन कमेटी की सम्पत्ति मानी जाय तो मिशन कमेटी से राज्य सरकार अधिग्रहण करे या फिर टाटगढ़वासी इस जायदाद को खरीद कर पर्यटन केन्द्र के लिए सुरक्षित करने को तैयार हैं।

(स) इस राष्ट्रद्रोहपूर्ण विक्रयनामे को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय। और क्रेताओं को आधिपत्य से रोका जाय।

(द) इस राष्ट्रद्रोहपूर्ण व सरकार को हानि पहुंचाने के दुष्कार्य में शामिल व लिप्त व्यक्तियों व अधिकारियों के विरूद्ध जांच करा कर वैधानिक व विभागीय कार्यवाही अविलम्ब की जावे।

अन्त में फिर से श्रीमान् को अविलम्ब कार्यवाही करने का स्मरण दिलाते हुए शीघ्र कार्यवाही व सूचना की आशा में:—

हम हैं
आपकी टाटगढ़ निवासी जनता
टाटगढ़–अजमेर।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न सं. 193 की सूचनाएं)

भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं का आवंटन एवं उठाव की सूचना
जनवरी, 1984 से सितम्बर, 1984 तक

मात्रा मै. टनों में

क्रम सं.	नाम वस्तु	आवंटित मात्रा	उठाव की मात्रा
1.	गेहूं	252000	2174
2.	चीनी	141491.7	175445.3
3.	चावल	9000	3097
4.	मिट्टी का तेल	159606 कि. लीटर	127310.5 कि. लीटर
5.	खाद्य तेल	8600	7324.871
6.	सीमेन्ट	194400	46805
7.	नियंत्रित कपड़ा	6447 गांठें	4524 गांठें

नोट :—

1. गेहूं एवं चावल के बाजार भाव नियन्त्रित मूल्य से कम होने के कारण इनके उठाव में कमी रही है।
2. सीमेन्ट के उठाव की सूचना केवल पब्लिक सेल कांटे की ही दिखाई गई है, शेष आर. सी. एवं ओ. आर. सी. पार्टीज का जो आवंटन किया जाता है उसके उठाव की सूचना नही दर्शाई गई है बल्कि विभाग ने यह मान लिया है कि उन्होंने आवंटित कांटे की पूरी मात्रा उठाली है।
3. चीनी में जो आवंटन से अधिक उठाव की मात्रा आई है उसमें गत वर्ष का बेकलॉग भी शामिल है।
4. नियन्त्रित मूल्य के कपड़े में अधिक अन्तर नहीं होने के कारण उठाव कम रहता है।
5. खाद्य तेल का वर्ष अक्टूबर से नवम्बर होता है अतः इसका बेकलॉग उठता रहता है।
6. कैरोसीन तेल में उनके उठाव की सूचना शामिल नहीं की गई है।

विषय :–चीनी के आवंटन उठाव की सूचना (मात्रा टनों में)

1–1–84 से 30–9–84

क. सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	6049.8	4691.85
2.	अलवर	7348.5	6569.7
3.	बाड़मेर	4665.5	3216.7
4.	बांसवाड़ा	3692.7	2606.8
5.	भरतपुर	5383.8	4972.1
6.	भीलवाड़ा	5441.4	2994.1
7.	बीकानेर	3567.7	3682.6
8.	बूंदी	2454.3	2654.3
9.	चित्तौड़गढ़	5137.2	3938.7
10.	चूरू	4906.8	4623.5
11.	धौलपुर	2456.1	2188.8
12.	डूंगरपुर	2846.7	2041.2
13.	गंगानगर	8450.1	5515.2
14.	जयपुर	14269.5	10833.5
15.	जैसलमेर	1037.7	1048.0
16.	जालौर	3752.1	2947.22
17.	झालावाड़	3269.7	3308.1
18.	झुन्झुनू	5001.3	4380.8
19.	जोधपुर	6933.6	5025.16
20.	कोटा	6445.6	4242.7
21.	नागौर	6770.7	5890.98
22.	पाली	5313.6	2670.5
23.	सवाई माधोपुर	6387.3	6689.9
24.	सीकर	5728.5	3120.5
25.	सिरोही	2278.8	1101.3
26.	टोंक	3297.6	2194.7
27.	उदयपुर	9846.9	7461.0

विषय :–चावल के आवंटन उठाव की सूचना 1-1-84 से 30-9-84

(मात्रा मैं. टनों में)

क्र.सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	450	—
2.	अलवर	140	45
3.	बाड़मेर	580	396
4.	बून्दी	190	—
5.	बांसवाड़ा	540	226.1
6.	भरतपुर	220	—
7.	भीलवाड़ा	225	50
8.	बीकानेर	520	140
9.	चूरू	535	421.6
10.	चित्तौड़गढ़	110	—
11.	डूंगरपुर	660	365
12.	गंगानगर	—	—
13.	जयपुर	730	—
14.	जोधपुर	240	—
15.	जैसलमेर	780	445.5
16.	जालौर	175	100
17.	झुन्झुनूं	230	—
18.	झालावाड़	—	—
19.	कोटा	300	72.4
20.	नागौर	310	127
21.	पाली	280	50
22.	सीकर	120	40
23.	सवाई माधोपुर	120	—
24.	सिरोही	585	492
25.	टोंक	240	55
26.	उदयपुर	510	390
27.	धौलपुर	210	50

जनवरी, 84 से सितम्बर, 84 तक गेहूं के आवंटन उठाव की सूची

(मात्रा मैट्रिक टनों में)

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	13500	3
2.	अलवर	4000	3
3.	बाड़मेर	18000	214
4.	बून्दी	2700	–
5.	बांसवाड़ा	4000	–
6.	भरतपुर	4298	–
7.	भीलवाड़ा	9000	64
8.	बीकानेर	9000	126
9.	चूरू	4500	–
10.	चित्तौड़गढ़	7200	–
11.	डूंगरपुर	4500	75
12.	गंगानगर	2700	–
13.	जयपुर	33300	–
14.	जोधपुर	27000	80.5
15.	जैसलमेर	18000	1440.7
16.	जालौर	7200	110
17.	झुन्झुनू	4500	–
18.	झालावाड़	4500	–
19.	कोटा	7200	–
20.	नागौर	4500	–
21.	पाली	9000	–
22.	सीकर	6300	–
23.	सवाई माधोपुर	3600	–
24.	सिरोही	9000	34
25.	टोंक	5400	–
26.	उदयपुर	22500	–
27.	धौलपुर	5400	27.5

(379)

विषय :–खाद्य तेल के आवंटन—उठाव की सूचना

(दिनांक 1-1-84 से 30-9-84)

(मात्रा टनों में)

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	640	919
2.	अलवर	250	71.4
3.	बाड़मेर	200	15.5
4.	बून्दी	90	10
5.	बांसवाड़ा	180	62
6.	भरतपुर	330	292.55
7.	भीलवाड़ा	250	118.90
8.	बीकानेर	520	444
9.	चूरू	340	420.5
10.	चित्तौड़गढ़	90	80
11.	डूंगरपुर	180	10
12.	गंगानगर	360	310
13.	जयपुर	1290	1096.3
14.	जोधपुर	360	265.38
15.	जैसलमेर	320	204.600
16.	जालौर	190	20.46
17.	झुन्झुनूं	350	160
18.	झालावाड़	190	50.30
19.	कोटा	420	282.5
20.	नागौर	290	147.075
21.	पाली	220	85.5
22.	सीकर	200	215
23.	सवाईमाधोपुर	280	177.3
24.	सिरोही	100	64
25.	टोंक	310	149
26.	उदयपुर	590	367
27.	धौलपुर	90	13

(389)

382

नियन्त्रित कपड़ा

जनवरी 84 से सितम्बर 84 (मात्रा गांठों में)

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	333	123
2.	अलवर	387	329
3.	बाड़मेर	216	137
4.	बांसवाड़ा	180	29
5.	भरतपुर	288	258
6.	भीलवाड़ा	297	37
7.	बीकानेर	162	75
8.	बून्दी	126	72
9.	चित्तौड़गढ़	270	123
10.	चूरू	243	178
11.	धौलपुर	126	54
12.	डूंगरपुर	144	26
13.	गंगानगर	387	577
14.	जयपुर	693	576
15.	जैसलमेर	54	93
16.	जालौर	189	140
17.	झालावाड़	180	5
18.	झुन्झुनू	270	72
19.	जोधपुर	306	157
20.	कोटा	288	16
21.	नागौर	351	325
22.	पाली	270	105
23.	सवाई माधोपुर	333	203
24.	सीकर	288	123
25.	सिरोही	126	140
26.	टोंक	180	27
27.	उदयपुर	504	427
	योग	7191	4524

त्रैमासिक जिले-वार सीमेन्ट के आवंटन-उठाव की सूचना
जनवरी, 84 से सितम्बर, 84

(मात्रा टनों में)

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	4600	2811
2.	अलवर	3600	2653
3.	बाड़मेर	1900	1937
4.	बांसवाड़ा	2050	1398
5.	भरतपुर	2550	1252
6.	भीलवाड़ा	2100	2531
7.	बीकानेर	2050	441
8.	बून्दी	1100	987
9.	चित्तौड़गढ़	2200	1675
10.	चूरू	1950	1271
11.	धौलपुर	1300	814
12.	डूंगरपुर	1750	606
13.	गंगानगर	4000	2847
14.	जयपुर	13700	5986
15.	जैसलमेर	1350	440
16.	जालौर	2050	1162
17.	झालावाड़	1400	775
18.	झुन्झुनू	1900	1550
19.	जोधपुर	6400	2323
20.	कोटा	3100	2100
21.	नागौर	2500	1745
22.	पाली	3250	315
23.	सवाई माधोपुर	2800	1872
24.	सीकर	1900	1263
25.	सिरोही	1600	847
26.	टोंक	2800	1302
27.	उदयपुर	7700	5812

नोट :— (1) द्वितीय तिमाही, 1984 के लिये आवंटित सीमेन्ट के लदान की अन्तिम तिथि 14-10-84 है।

(2) तृतीय तिमाही, 1984 के सीमेन्ट के लदान की अन्तिम तिथि 8-11-84 है।

(3) यह केवल पब्लिक सेल के कोटे की सीमेन्ट की ही है।

विषय ;—केरोसिन के आवंटन वितरण की सूचना
1–1–84 से 30–9–84

(मात्रा किलोलीटर मे)

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	11500	11313
2.	अलवर	6900	6948
3.	बाड़मेर	2800	2478.2
4.	बांसवाड़ा	2490	2146
5.	भरतपुर	5900	5820
6.	भीलवाड़ा	5220	5240
7.	बीकानेर	4510	4396
8.	बून्दी	1780	200
9.	चित्तौड़गढ़	3950	3822
10.	चूरू	3020	2958
11.	धौलपुर	2290	2230
12.	डूंगरपुर	1830	1428
13.	गंगानगर	9050	9254
14.	जयपुर	24850	21989
15.	जैसलमेर	650	539
16.	जालोर	2920	3017
17.	झालावाड़	3220	2589
18.	झुन्झुनू	3350	3284
19.	जोधपुर	11210	1719.9
20.	कोटा	10750	10752
21.	नागौर	5220	5257
22.	पाली	7140	6929.8
23.	सवाई माधोपुर	5270	5126
24.	सीकर	4820	4820
25.	सिरोही	2950	25[illegible]3
26.	टोंक	2680	2531
27.	उदयपुर	9720	9726

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न सं. 194 की सूचियां)

परिशिष्ट (अ)

तालिका कृषकवार जिनके एवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं परन्तु धनाभाव के कारण चुकारा नहीं हो सका है–उप खण्ड अन्ता

क्र.सं.	नाम कृषक	रकवा	नाम ड्रेन/ नहर	पत्रावली भेजने की तारीख	रकम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रभुलाल ग्रा. बद्री लाल	0.03	नवलपुरा कैरियरड्रेन–9	7-2-78	225.00	
2.	घासी बाई वेवा जगनाथ	0.03	,,	,,	225.00	
3.	राम कल्याण ग्रा. मन्ना	0.04	,,	,,	300.00	
4.	धन्ना ग्रा. ओंकार	0.07	,,	,,	525.00	
5.	गुलाबचन्द ग्रा. रामनाथ	0.07	,,	,,	525.00	
6.	रामा ग्रा. नाथू	0.01	,,	,,	75.00	
7.	कल्याण ग्रा. हरदेव	0.03	,,	,,	225.00	
8.	काना ग्रा. गणेश	0.01	,,	,,	75.00	
9.	भेरू ग्रा. धन्ना	0.01	,,	,,	25.00	
10.	,, ,,	0.03	,,	,,	225.00	
11.	मोला ग्रा. धोला	0.02	,,	,,	150.00	
12.	लक्ष्मण ग्रा. धूल्या	0.03	,,	,,	255.00	
13.	धोल्या ग्रा. बिरधा	0.05	,,	,,	375.00	
14.	हीरा ग्रा. भैरू	0.03	,,	,,	225.00	
15.	धन्ना ग्रा. भंवरलाल	0.02	,,	,,	150.00	

1	2	3	4	5	6	7
16.	गुलाब बाई बेवा राम गोपाल	6.04	तपाया मैन पब. ड्रेन–4	7-2-88 16-5-79	10540.00	
17.	भैरूलाल ग्रा. मुखलाल	1.09	,,	,,	2465.00	
18.	गोपी ग्रा. गुरू	1.03	,,	,,	2465.00	
19.	रतनलाल ग्रा. ग्रोंकार	0.12	,,	,,	1020.00	
20.	भैरया ग्रा. कन्हीराम	0.03	,,	,	255.00	
21.	कालू ग्रा. पांची	3.18	,,	,,	6630.00	
22.	भैरूलाल ग्रा. मुखलाल	3.02	,,	,,	5270.00	
23.	तुलसी बेवा बाघो	0.11	बिशनखेड़ी ड्रेन	30-3-78	550.00	
24.	परमानन्द ग्रा. नाथूलाल	1.08	,,	,,	1900.00	
25.	ग्रर्जुनलाल ग्रा. नन्दीलाल	2.15	,,	,,	2750.00	
26.	रामकिशन ग्रा. रत्ना	1.18	,,	,,	836.00	
27.	सुखराम ग्रा. जगन्नाथ	0.18	रूपपरा केरियर ड्रेन–5	26.2.80	100.00	
28.	रामनाथ ग्रा. नारायण	0.01	,,	,,	137.00	
29.	तहसीलदार मांगरोल	2.01	,,	,,	5610.90	
30.	,, ,,	0.04	भोजाखेड़ी कैरियर ड्रेन–6	2.8.78	660.00	
31.	,, ,,	0.02	नवलपुरा मेन ड्रेन	16.1.78	220.00	
32.	जगन्नाथ ग्रा. धन्ना	0.01	बमूलिया मैन पेब ड्रेन–2	8.8.78	962.00	
33.	भैरू ग्रा. वाला	8.04	रूपपुरा केरियर ड्रेन	26.2.80	550.00	

1	2	3	4	5	6	7
34.	ग्यारसा ग्रा. रामा	0.01	डिगोद ड्रेन	8.2.78	137.50	
35.	लक्ष्मी नारायण ग्रा. बजरंगलाल	0.02	बमूलिया ड्रेन नं. 4	16.12.78	275.00	
36.	राम कल्याण ग्रा. मांगीलाल	0.10	,,	,,	1100.00	
37.	मथुरालाल ग्रा. मोतीलाल	0.17	,,	,,	1870.00	
38.	मन्ना ग्रा. तेजिया	0.16	बमूलिया कैरियर ड्रेन–7	5.12.78	1210.00	
39.	प्रेमचन्द ग्रा. गणेश	0.11	,,	,,	1760.00	
40.	तहसीलदार, मांगरोल	2.08	,,	,,	5280.00	
41.	,, ,,	1.00	,,	,,	2310.00	
42.	,, ,,	0.06	ठीकरिया कैरियर ड्रेन–5	16.1.76	660.00	
43.	,, ,,	2.04	बिशनखेड़ी मेन ड्रेन	16.2.78	2640.00	
44.	,, ,,	1.17	ठीकरिया ड्रेन	6.6.78	4078.00	
45.	,, ,,	6.18	केरियर–4	30.3.78	13800.00	
46.	,, ,,	3.05	ठीकरिया एम. एस. डी.–3	28.12.76	6500.00	
47.	वीर खां ग्रा. कालू खां	1.12	रूपपुरा एम. एस. बी–1	24.3.79	2960.00	
48.	मांगीलाल ग्रा. राम नारायण	0.02	बालाखेड़ा आर.डी.–4	8.5.79	200.00	
49.	वन्सी बेवा छपना	0.18	बूढांमंद एस. डी.–3	16.1.78	1665.00	

1	2	3	4	5	6	7
50.	बन्नो बेवा छीतर	1.03	बूढ़ामद एस.डी.-3	16.1.78	2127.50	
51.	शंकर आ. मांगीलाल	2.12	,, एस. डी. 2	,,	5200.00	
52.	राम नामी बेवा गोपाल	0.16	,,	,,	1600.00	
53.	चतुर्भुज आ. बजरंगलाल	6.05	,,	,,	12500.00	
54.	मुख्यालय पलायथा कल्याण आ. देवा	0.15	,,	,,	1500.00	
55.	काल्या आ. किशना	3.15	बमूलिया एस.डी.–2	,,	7500.00	
56.	गुलाब बेवा गोपाल	0.02	,,	,,	200.00	
57.	घासी आ. माधो	0.19	,,	,,	1900.00	
58.	अंकुल रहमान आ. गुलाब खां	0.05	रूपपुरा	26.2.80	687.50	
59.	मांगीलाल आ. ओमप्रकाश वगैरह	0.06	रूपपुरा पी.डी.–3	,,	825.00	
60.	मदनलाल आ. आनन्दीलाल	0.08	बड़गांव एस.डी.–2	28.2.78	1100.00	
61.	राम गोपाल आ. मथुरालाल	0.14	,,	,,	1925.00	
62.	बिरघ आ. किशना	0.02	,,	,,	275.00	
63.	छोटू आ. बिरधा	1.05	,,	,,	3437.00	
64.	गोपाल आ. सरायण	0.06	,,	,,	3575.00	
65.	मोडू आ. ग्यारसमा	1.16	,,	,,	4650.00	
66.	तहसीलदार मांगरोल	5.12	,,	,,	9240.00	
67.	मोहनलाल आ. माधो	0.06	,,	,,	825.00	
68.	काली बेवा ग्यारस्या	0.10	बड़गांव डी–9	3.7.79	1000.00	
69.	तहसीलदार मांगरोल	0.09	,,	,,	900.00	
70.	तहसीलदार मांगरोल	,,	,,	,,		
71.	पुल्या आ. पन्ना तेली	0.04	नवलपुरा डी–9	7.2.78	300.00	

1	2	3	4	5	6	7
72.	सुरेश कुमार गुलाबचन्द	0.06	नवलपुरा डी–9	7.2.78	450.00	
73.	मोतीलाल श्रा. शंकर	1.11	बड़गांव एसडी–5	16.1.78	2811.50	
74.	किशोर श्रा. कुजा	0.10	ठीकरिया डी–3	26.12.76	1000.00	
75.	मोहन श्रा. गोपाल	0.17	बिशनखेड़ी सी–4	30.3.78	1700.00	
76.	श्रमरा श्रा. श्रोंकार	0.02	रूपपुरा डी–4	26.4.80	250.00	
77.	मोहन लाल श्रा. माधोलाल	0.04	,,	,,	500.00	
78.	छीतरलाल श्रा. श्रमरलाल	0.06	,,	,,	750.00	
79.	भैरू श्रा. श्रावा	0.06	रूपपुरा सीडी–6	28.1.80	600.00	
80.	प्रभु श्रा. घासी	0.04	,, डी–9	24.3.78	370.00	
81.	छीतरलाल श्रा. गणेश	1.07	रूपपुरा एमडी	,,	2490.50	
82.	रामचन्द्र श्रा. चतुर्भुज	1.15	,,	9.3.79	2625.00	
83.	शंकरलाल श्रा. जानकीलाल	0.07	,,	,,	525.00	
84.	जगदीश श्रा. मथुरालाल	2.00	,,	,,	3000.00	
85.	हीरा श्रा. सोलाम	1.17	,,	,,	2775.00	
86.	शंकर श्रा. कन्हैयालाल	0.11	,,	,,	825.00	
87.	देवालाल श्रा. श्रानन्दी लाल	0.08	,, ड्रेन–7	,,	600.00	
88.	राधाकिशन श्रा. रामरतन	0.04		28.4.80	400.00	
		101.04				

परिशिष्ट (ब)

तालिका कृषकवार जिनके एवार्ड भूमि आवंटित अधिकारी से प्राप्त नहीं हुए—उपखंड अन्ता, जिला कोटा

क्र. सं.	नाम कृषक	रकबा	नाम ड्रेन/नहर	पत्रावली भेजने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	सरकारी भूमि	0.05	तपाया मैन ड्रेन डी-3	3-7-79
2.	मन्ना लाल वगैरह	0.17	,,	,,
3.	सरकारी भूमि	3.00	,,	,,
4.	कन्हीराम आ. सुखलाल	0.02	,,	,,
5.	गौरिया, गोबरिया आ. चैन्या	0.04	,,	,,
6.	पन्ना, धन्ना आ. देवलाल	0.08	,,	,,
7.	गोपाल आ. देवा	0.19	,,	,,
8.	देवा आ. घारिया	0.01	,,	,,
9.	बरघा आ. मोडू	1.19	,,	,,
10.	देवा. मरिया	0.19	,,	,,
11.	नारायण आ. दूलिया	0.16	,,	,,
12.	रामकिशन आ. कालू	0.15	,,	,,
13.	गणेश आ. कन्ही राम	0.13	,,	,,
14.	मंगला आ. घासी	0.14	,,	,,
15.	नगिनाथ वगैरह	1.11	,,	,,
16.	गणेश आ. कन्ही राम	1.15	,,	,,
17.	सरकारी भूमि	3.02	,,	,,
18.	गोबरिया, चतरा वगैरह	0.06	,,	,,
19.	नाथ्या आ. राम बक्स	0.05	,,	,,
20.	सरकारी भूमि	0.15	,,	,,
21.	भैरूलाल आ. मथुरालाल	0.01	,,	,,

1	2	3	4	5
22.	सरकारी भूमि	0.02	तपाया मेन ड्रेन–डी 3	3-7-79
23.	छीतरलाल ग्रा. रामगोपाल	0.02	,,	,,
24.	छोडू ग्रा. रामा	0.05	,,	,,
25.	सरकारी भूमि	0.08	,,	,,
26.	गोपाल ग्रा. लक्ष्मीनारायण	0.05	,,	,,
27.	सरकारी भूमि	0.14	,,	,,
28.	गोपाल वगैरह	0.03	,,	,,
29.	सरकारी भूमि	0.03	,,	,,
30.	रामचन्द्र ग्रा. कालू	0.10	,,	,,
31.	मथुरालाल ग्रा. जयलाल	0.15	,,	,,
32.	लटूर ग्रा. माधो	3.05	,,	,,
33.	लटूर ग्रा. मांगीलाल	0.07	,,	,,
34.	चरागाह	5.00	,,	,,
35.	सरकारी भूमि	0.17	,,	,,
37.	सरकारी भूमि	0.16	,,	,,
38.	मूल्या ग्रा. पन्ना देवी	0 03	,,	,,
39.	सरकारी भूमि	0.09	,,	,,
40.	सुरेश ग्रा. गुलाब चन्द	0.03	,,	,,
41.	प्रभूलाल ग्रा. बद्रीलाल	0.03	,,	,,
42.	धापी बाई पत्नी जगन्नाथ ब्रा.	0.02	,,	,,
43.	रामकल्याण वगैरह	0.01	,,	,,
44.	धन्ना कल्याण ग्रा. ओंकार	0.07	,,	,,
45.	सरकारी भूमि	0.01	,,	,,
46.	सुरेश कुमार ग्रा. गुलाब चन्द्र	0.03	,,	,,
47.	सीलिंग अधिग्रहण सहकारी	0.01	,,	,,

1	2	3	4	5
48.	गुलाब चन्द ग्रा. रामनाम	0.01	तपाया मेन ड्रेन डी–3	3-7-79
49.	मोत्या ग्रा. रघुनाथ वगैरहा	0.03	,,	,,
50.	सत्यपाल ग्रा. मदन मोहन	0.03	,,	,,
51.	भोली बाई पत्नी जगन्नाथ	0.01	,,	,,
52.	रामा ग्रा. नाथू माली	0.01	,,	,,
53.	सीलिंग अधिग्रहण सरकारी	0.04	,,	,,
54.	सरकारी भूमि	0.03	,,	,,
55.	धन्ना ग्रा. भंवर लाल	0.02	,,	,,
56.	सरकारी भूमि	0.13	तसियायामेन ड्रेन	,,
57.	कान्हा ग्रा. गणेश	0.01	,	,,
58.	भैरुलाल ग्रा. धन्ना वगैरह	0.01	,,	,
59.	कल्याण ग्रा. हरदेव	0.03	,,	,,
60.	भैरुलाल ग्रा. धन्ना वगैरह	0.03	,,	,,
61.	बद्री ग्रा. नाथू माली	0.03	,,	,,
62.	सीलिंग अधिग्रहण	0.02	,,	,,
63.	राम कृष्ण गोपाल वगैरह	0.03	,,	,,
64.	भोला ग्रा. दौला माली	0.02	,,	,,
65.	सरकारी भूमि	0.05	,,	,,
66.	लक्ष्मण, धन्ना, सुखवा वगैरह	0.03	,,	,,
67.	छोट्या ग्रा. विरधा माली	0.05	,,	,,
68.	श्योजी, मन्ना ग्रा. गोमदा	0.02	बड़गांव मेन सब ड्रेन–6	28-4-80
69.	रोड़ू ग्रा. किशना माली	0.05	,,	,,
70.	श्योजी, मन्ना ग्रा. गोमदा	1.02	,,	,,
71.	सरकारी भूमि	0.06	,,	,,
72.	श्योजी ग्रा. चतुर्भज	1.12	,,	,,

393

1	2	3	4	5
73.	धन्ना आ. माधो	1.05	बड़गांव मेन सब ड्रेन–6	28.4.80
74.	हरिशंकर आ. भागीरथ छीपा	0.19	,,	,,
75.	नाथ्या आ. ओंकार	0.11	,,	,,
76.	सरकारी भूमि	0.15	,,	,,
77.	कंवर आ. बिसना	0.01	,,	,,
78.	माधो आ. धुली लाल	1.07	,,	,,
79.	सुखदेव गोपाल	1.11	,,	,,
80.	श्योजी आ. चतुर्भुज	3.06	,,	,,
81.	राम प्रसाद फुदी लाला	3.06	,,	,,
82.	बद्रीलाल मांगी लाल	0.12	,,	,,
83.	रामेश्वर बिसना	0.01	,,	,,
84.	बद्री आ. मांगीलाल	0.03	,,	,,
85.	मांगिया आ. रामनाथ	1.02	,,	,,
86.	बिरधा आ. नोला	3.04	,,	,,
87.	किशना माधो	1.06	,,	,,
88.	कांवड़	0.03	,,	,,
89.	भंवरिया माधो	0.17	,,	,,
90.	देवदत्त आ. श्री किसन	0.09	,,	,,
91.	बिसना माधो	0.05	,,	,,
92.	भंवरिया माधो	1.18	,,	,,
93.	नन्द किशोर फूंदी लाल	1.07	,,	,,
94.	काना गोरधन	1.05	,,	,,
95.	सिंचाई विभाग	0.04	बड़गांव मेन सब ड्रेन–4	26-12-78
96.	बूचीलाल हीरालाल	0.15	,,	,,
97.	केसरा आ. ओंकार भील	0.08	,,	,,

1	2	3	4	5
98.	सिवाय चक	2.15	बड़गाँव मेन सब ड्रेन4	26.12.78
99.	केसरा ग्रा. ग्रौंकार भील	0.07	,,	,,
100.	ग्रौंकार ग्रा. माधो मीना	0.18	,,	,,
101.	मन्ना ग्रा. हीरा भील	5.07	,,	,,
102.	किसना ग्रा. धासी भील	0.17	,,	,,
103.	सिवाय चक	1.11	,,	,,
104.	गोपाल ग्रा. नारायण	0.05	,,	,,
105.	सिवाय चक	8.03	,,	,,
106.	ग्यारसा ग्रा. बाला	0.01	,,	,,
107.	सिवाय चक	0.01	,,	,,
108.	रमेश चन्द ग्रा. रामधन	0.01	,,	,,
109.	बिलानाभ बिलेकाश	9.12	12 ठिकरिया गोपालपुरा मेन ड्रेन	26-2-80
110.	भैरुलाल ग्रा. गोरधन	0.15	,,	,,
111.	पडला सरकार	0.08	,,	,,
112.	नन्दू बेवा मनका चमार	3.00	,,	,,
113.	सरकारी भूमि	0.07	,,	,,
114.	धापी लाल ग्रा. राम नाथ	0.18	,,	,,
115.	नाथी बेवा नन्द किशोर	0.16	,,	,,
116.	घासी ग्रा. राम नाथ	1.02	,,	,,
117.	मुन्ना ग्रा. लोडू माली	0.07	,,	,,
118.	भैरू लाल ग्रा. गोरधन	0.15	,,	,,
119.	ग्रौंकार माधो	5.08	बड़गांव मेन सब ड्रेन–4	26-12-78
120.	गोपाल ग्रा. गोपीलाल नाई	0.10	ठीकरिया गोपालपुरा मेन ड्रेन	26-2-80

1	2	3	4	5
121.	सरकारी भूमि	4.07	ठीकरिया गोपालपुरा मेन ड्रेन	26-2-80
122.	अर्जुन सिंह आ. भैरू सिंह	1.15	,,	,,
123.	रामनारायण आ. माधो	1.08	,,	,,
124.	धन्ना आ. नाथू चमार	0.01	,,	,,
125.	गौरिया, बिरधा आ. कजोड़	0.01	,,	,,
126.	अर्जुन सिंह आ. हरि सिंह	0.01	,,	,,
127.	राधाकिशन आ. भैरू	0.01	,,	,,
128.	सीताराम, परमानन्द आ. गोविन्द	0.01	,,	,,
129.	ओंकार आ. नैनाराम	0.01	,,	,,
130.	मुन्ना आ. मोडू माली	0.01	,,	,,
131.	रामरतन आ. शोर लाल राठी	0.01	,,	,,
132.	मदन मोहन आ. भीमराव	0.04	,,	,,
133.	राम लाल आ. मोहन लाल	0.03	,,	,,
134.	सीताराम आ. गोविन्दा	0.02	,,	,,
135.	सरकारी भूमि	0.14	,,	,,
136.	नाथी पत्नी सूरदास	0.03	,,	,,
137.	कजोड़ आ. भैरव चमार	0.04	,,	,,
138.	रामरतन आ. भैरवलाल	0.10	,,	,
139.	सरकारी धूमि	0.04	,,	,,
140.	मदन मोहन आ. भीमराज	0.02	,,	,,
141.	भैरु लाल आ. गोरधन	0.08	,,	,,
142.	मुकना आ. लोडूवाली	0.18	,,	,
143.	बैजनाथ आ. जगन्नाथ	0.06	,,	,,
144.	चन्दा आ. नारायण चमार	0.01	,,	,,

1	2	3	4	5
145.	गोपाल श्रा. गोपीलाल	3.07	ठीकरिया गोपालपुरा मेन ड्रेन	26-2-80
146.	घासीलाल श्रा. भैरुलाल	1.02	,,	,,
147.	माग्या, भरिया, नैनगा	0.15	,,	,
148.	सरकारी भूमि	2.16	,,	,,
149.	गौप्या, बिरधा श्रा. कजोड़	0.12	,,	,,
150.	मंगला, भैरया श्रा. नैनगा	0.05	,,	,,
151.	लाला श्रा. किशना	0.05	,,	,,
152.	सरकारी भूमि	0.07	,,	,,
153.	सरकारी भूमि	0.02	,,	,,
154.	मांग्या, वाध्या, मोधो, कालू	0.04	,,	,,
155.	सरकारी भूमि नांका विकलास्त	2.10	,,	,,
156.	मंगना श्रा. हीरालाल	0.01	,,	,,
157.	मंगना श्रा. हीरालाल	0.18	,,	,,
158.	सरकारी भूमि	1.01	,,	,,
159.	उमरा श्रा. मन्नालाल	3.10	,,	,,
160.	सिवाय चक	0.17	,,	,,
161.	बजरंगा श्रा. भंवरिया कुमावत	2.12	,,	,,
162.	मन्ना श्रा. गोधा माली	2.18	,,	,,
163.	धन्ना, विहारी श्रा. चतुर्भुज	0.15	,,	,,
164.	मन्ना श्रा. जोधा	0.02	,,	,,
165.	गंगा विशन श्रा. घासी धाकड़	0.03	,,	,,
166.	नारायण श्रा. हीरा माली	1.02	,,	,,
167.	छीतर कृष्ण वगैरा	0.05	,,	,,
168.	सिवाय चक	1.16	,,	,,

1	2	3	4	5
169.	प्रभू ग्रा. कजोड़	0.01	ठीकरिया	26-2-80
			गोपालपुरा मेन ड्रेन	
170.	ओंकार ग्रा. गौरधन माली	0.02	,,	,,
171.	नर्वदा बेवा माली	0.02	,,	,,
172.	सिवाय चक	3.02	,,	,,
173.	ग्राम पंचायत	0.18	,,	,,
174.	नर्वदा वगैरह माली	0.01	,,	,,
175.	प्रभू ग्रा. धन्ना	0.12	,,	,,
176.	ग्राम पंचायत	4.13	,,	,,
177.	सिवाय चक	2.10	,,	,,
178.	ग्राम पंचायत	0.04	,,	,,
179.	मन्ना छोगा माली	0.11	,,	,,
180.	मदन ग्रा. माधो सिंह	0.06	,,	,,
181.	ग्राम पंचायत	0.07	,,	,,
182.	सिवाय चक	1.12	,,	,,
183.	कजोड़ माली	0.01	,,	,,
184.	मोती ग्रा. चतरा	0.01	,,	,,
185.	नरेन्द्र ग्रा. चतुर्भुज	0.03	,,	,,
186.	सरकारी भूमि	2.13	,,	,,
187.	धन्ना हाली धाकड़	0.02	,,	,,
188.	प्रभू ग्रा. धन्ना	0.01	,,	,,
189.	ग्राम पंचायत	0.06	,,	,,
190.	जानकी लाल वगैरह	0.06	,,	,,
191.	सरकारी भूमि	2.05	,,	,,
192.	लट्टूर, जीवन ग्रा. रामा	0.02	,,	,,
193.	अमरा ग्रा. माधो चमार	0.01	,,	,,

1	2	3	4	5
194.	जानकी लाल आदि	0.10	ठीकरिया गोपालपुरा मेनड्रेन	26-2-80
195.	लट्टूर आ. ओंकार	0.01	,,	,,
196.	ग्राम पंचायत	0.02	,,	,,
197.	किशनलाल घन्ना जाट	0.15	,,	,,
198.	ग्राम पंचायत	0.06	,,	,,
199.	देव लाल आ. रघुनाथ	0.06	,,	,,
200.	सरकारी पड़त	4.00	,,	,,
201.	दशरथराम आ. रघुनाथ	0.02	,,	,,
202.	सरकारी पड़त	0.09	,,	,,
203.	कन्हैयालाल आ. रामगोपाल	0.04	,,	,,
204.	सिवाय चक	1.01	,,	,,
205.	विरधा आ. नन्दा	2.09	,,	,,
206.	सरकारी पड़त	7.10	,,	,,
207.	किशन लाल आ. घन्ना	10.02	,,	,,
208.	पड़त	1.05	आखेड़ी नाला	23-12-78
209.	सरकारी भूमि	0.15	,,	,,
210.	माधोलाल आ. गोमदा	0.04	,,	,,
211.	सरकारी पड़त	0.10	,,	,,
212.	सरकारी भूमि	1.15	,,	,,
213.	बिलानाम सरकारी	6.16	,,	,,
214.	सरकारी भूमि	0.10	रूपपुरा कैरियर ड्रेन-6	28-11-80
215.	वाटया आ. सालगराम	0.02	,,	,,
216.	पुखराज आ. रामस्वरूप नन्दवाना	0.05	,,	,,

1	2	3	4	5
217.	रामनारायण महा कोटा	0.03	रूपपुरा कैरियर ड्रेन—6	28-11-80
218.	मकबूजा सरकार	10.06	,,	,,
219.	रास्ता	0.04	बड़गांव कैरियर ड्रेन—3	30-1-80
220.	मूलचन्द मन्नालाल महा.	0.03	,,	,,
221.	बाला गणेश बनजारा	0.19	,,	,,
222.	पड़त सरकार	1.06	,,	,,
223.	मेदिया लक्ष्मीनारायण	1.07	,,	,,
224.	बाला गणेश बंजारा	0.02	,,	,,
225.	ग्रमरा रामनाथ माली	0.01	,,	,,
226.	मैंदिया धन्ना	0.02	,,	,,
227.	छीता ग्रा. कान्तराम	0.17	बमूलियाडी—10	17.5.79
228.	गोपीलाल ग्रा. भैरु	0.10	कैरियर ड्रेन—6	,,
229.	हंसू बैवा गणपत	1.00	,,	,,
230.	रघुनन्दन ग्रा. नन्दलाल	0.01	,,	,,
231.	पान्ता ग्रा. घूमिया कलाल	0.08	,,	,,
232.	देवीलाल ग्रा. केसरा	0.03	,,	,,
233.	मूलीबाई पाली नवलकिशोर	1.12	बालटखेड़ा कैरियर ड्रेन—8	31.1.81
234.	सरकारी भूमि ग्राम पंचायत	2.17	,,	,,
235.	सिवाय चक रास्ता	0.01	,,	,,
236.	चारागाह	1.03	,,	,,
237.	माफी मास्टर मतारेवली		रूपपुरा कैरियर	
238.	रिममान भंडार बड़ोद पुरानी	0.04	ड्रेन—1	28.1.80
239.	नाथलाल ग्रा. मांगीलाल	0.08	,,	,,

1	2	3	4	5
240.	गरणपत लाल श्रा. टूलीलाल	0.09	रूपपुरा कैरियर ड्रेन-1	28-1-80
241.	मावो श्रा. धूलीलाल मताजा	0.01	,,	,,
242.	सरकारी भूमि	1.03	,,	,,
243.	अब्दुल रहमान वगैरह	0.01	,,	,,
244.	मवाबूजा सरकार	0.05	,,	,,
245.	सरकारी भूमि	1.17	रूपपुरा कैरियर ड्रेन-4	,,
246.	सांगीलाल श्रा. केसरीलाल नन्दवाना	0.03	,,	,,
247.	अब्दुल रहमान श्रा. लाल खां	0.07	,,	,,
248.	मोहनलाल नन्दवाना	0.10	,,	,,
249.	प्रमूलाल पंडित पाटीनन्दा	0.06	,,	20.4.80
250.	श्रोमप्रकाश श्रा.मूलचन्द महा.	0.05	,,	,,
251.	बदरी लाल श्रा. पांचू गूजर	0.06	,,	,,
252.	नन्दा धन्या धाकड़	0.08	,,	,,
253.	भैरुलाल श्रा. मांगीलाल	1.10	रूपपुरा कैरियर ड्रेन-3	
254.	केसरीलाल श्रा. जगनाथ	0.06	,,	,,
255.	श्रयोध्या बाई पत्नी श्रीलाल	0.02	,,	,,
256.	सुबैया मोधा श्रा. भंवरलाल	0.03	,,	,,
257.	सरकारी भूमि	3.11	,,	,,
258.	अमरा श्रा. श्रोंकार धाकड़	0.01	,,	,,
259.	सरकारी भूमि	3.11	,,	,,
260.	बदरीलाल श्रा. श्रोंकार	3.00	बड़गांव के. डी.-7	31-1-80

1	2	3	4	5
261.	गोपाल बलाई	0.10	बड़गांव के. डी.–7	31-1-80
262.	सिवाय चक	0.02	,,	,,
263.	रामा ग्रा. गेदेवा	0.07	रूपपुरा	30-4-80
	,,	0.03	के. डी.–7	,,
264.	मूलचंद ग्रा. बाला महन्त	0.16	,,	,,
265.	सिवाय चक	0.16	,,	,,
266.	वाजीम खां ग्रा. बुरुमा खां	0.03	,,	,,
267.	गंगा किरन ग्रा. बाला महाजन	0.04	,,	,,
268.	मूलचन्द ग्रा. बाला महाजन	0.04	,,	,,
269.	महेन्द्र व हरिशचन्द्र नन्दवाना	1.06	,,	,,
270.	सिवाय चक	1.14	बड़गांव मैन सं.–1	31-1-81
271.	नाला जैर मुमकिन	10.00	,,	,,
272.	सिवाय चक	4.05	,,	,,
273.	मौल्या ग्रा. महादेव	1.19	,,	,,
274.	सिवय चक	0.17	,,	,,
275.	रामनारायण धाकड़	0.11	उदपुरा के. डी.–3	16-5-70
276.	मोत्या ग्रा. कंलवा धाकड़	0.09	ट्रेड नं.–3	,,
277.	फतेसिंह ग्रा. मोतीसिंह	1.09	,,	,,
278.	सिवाय चक	0.03	उदपुरा के. डी.–7	16-5-79
279.	नाथ ग्रा. नरसिंहलाल	0.12	,,	,,
280.	प्रभूलाल ग्रा. गिरधारीलाल	2.05	डी.–11	26-2-80

1	2	3	4	5
281.	धन्नी वेवा गिरधारी	4.10	डी.-11	26-2-80
282.	चतुर्भुज	1.10	,,	,,
283.	किशनलाल ग्रा. डूगां जाट	1.10	,,	,,
284.	बद्रीलाल ग्रा. मथुरालाल	0.04	,,	,,
285.	काला बेटा घुलिया नाई	0.18	वमोलिया के. डी.-12	5-12-78
286.	रामनारायण ग्रा. धनपत	0.10	,,	,,
287.	देवीलाल ग्रा. केसरा माली	1.00	,,	,,
288.	पुष्पदया ग्रा. कनायत	0.06	,,	,,
289.	छीतराम ग्रा. कान्हाराम	0.06	,,	,,
290.	मूलचन्द ग्रा. श्री कृष्ण महाजन	0.16	,,	,,
291.	पड़त सरकार	0.03	,,	,,
292.	सीताराम ग्रा. कान्हाराम	0.04	,,	,,
293.	मथुरालाल ग्रा. रघुनाथ	0.16	,,	,,
294.	मूलचन्द ग्रा. श्रीकृष्ण महाजन	0.03	,,	,,
295.	पड़त सरकार	0.04	,,	,,
296.	रामप्रताप ग्रा. हरवलभ	0.10	,,	,,
297.	पड़त सरकार	0.09	बमू. डी-13	8-12-79
298.	मूलचन्द ग्रा. श्रीकृष्ण	0.04	,,	,,
299.	शान्ति पुत्री किशना धाकड़	1.00	,,	,,
300.	सरकारी भूमि	0.04	,,	,,
301.	सिबाय चक नाला	0.08	,,	,,
302.	देवी शंकर ग्रा. जुबातिलाल	0.01	,,	,,
303.	रामदेवा ग्रा. गोदिया चमार	0.07	,,	,,
304.	भंवरिया ग्रा. भूठिया माया	0.12	,,	,,

1	2	3	4	5
305.	सिवाय चक	0.14	वमू. डी–13	8-12-79
306.	गेंदा ग्रा. उदा	0.10	उदपुरा को. डी.–11	30-4-81
307.	रामप्रताप ग्रा. नरसिंह धाकड़	0.11	,,	,,
308.	गोपाल नैगरा ग्रा. कजोड़ गूजर	0.08	,,	,,
309.	श्रीनाथ ग्रा. नृसिंह	0.03	,,	,,
310.	कल्याण ग्रा. मथुरालाल गूजर आदि	0.01	,,	,,
311.	सिवाय चक	0.09	,,	,,
312.	दारया ग्रा. बिरधा	0.16	उदपुरा को डे–9	30-4-80
313.	श्रीनाथ ग्रा. नरसिंह महाजन	0.09	,,	,,
314.	श्योजीनाथ ग्रा. गौरा	2.09	,,	,,
315.	सिवाय चक	0.09	,,	,,
316.	मथुरालाल ग्रा. चौमा चमार	0.07	,,	,,
317.	सिवाय चक	0.04	बड़गांव डी-4	24-7-79
318.	पन्ना ग्रा. देवीलाल	0.09	,,	,,
319.	जैल्या ग्रा. ओंकार धोबी	1.10	,,	,,
320.	बद्रीलाल ग्रा. नारायण	0.02	,,	,,
321.	बाबूसिंह ग्रा. बलवंतसिंह	0.04	,,	,,
322.	जयशंकर ग्रा. लक्ष्मीनारायण	1.01	ठीकरिया गो.डी	1-12-83
323.	किशोरीसिंह ग्रा. रामचन्द्र	0.01	सेपेज डी–5 रूपपुरा	26-2-80
324.	केसरीलाल ग्रा. रामलाल	0.06	,,	,,
325.	अब्दुल रहमान ग्रा. कालूखां	0.05	,,	,,

1	2	3	4	5
326.	रामकल्याण रामनरायण मोहन	0.14	सेपेज डी-5 रूपपुरा	26-2-80
327.	भैरूलाला, शमनाथ, काली, केसरा	0.15	,,	,,
328.	बजरंग ग्रा. सालग्राम	0.04	,,	,,
329.	सिवाय चक	1.01	मोत्या खेड़ी-1	23-6-77
330.	गणेशी बेबा कालू गूजर	9.10	,,	,,
331.	सिवाय चक	0.06	,,	,,
332.	सिवाय चक	1.00	मोत्या डी-3	,,
333.	विलानास	1.00	,,	,,
334.	रामनाथ ग्रा. माधोलाल बलाई	0.03	,, केडी--4	,,
335.	घोरवा, शकुंरिया ग्रा. वजीरशाह	0.02	,,	,,
336.	प्रा. मु.	0.01	,,	,,
337.	रामगोपाल ग्रा. रघुनाथ	0.01	मोत्या खेड़ी डी--6	2-8-78
338.	सिवायचक	0.02	एम. डी.	23-6-77
339.	वेला बाई ग्रा. गोपाली/ रघुनाथ	0.01	,,	,,
340.	सिवाय चक	0.01	,,	,,
341.	प्रभू चतुर्भुज	0.12	,,	,,
342.	रामगोपाल ग्रा. रघुनाथ महा.	0.05	,,	,,
343.	रास्ता सरकार	0.02	,,	,,
344.	छीतर गोपाल ग्रादि	0.02	,,	,,
345.	ग्रनूठीलाल हीरा ग्रा. बिरधा	0.03	,,	,,
346.	,,	0.05	,,	,,
347.	सिवाय चक	1.18	,,	,,

1	2	3	4	5
348.	बशीरखां ग्रा. ग्रमीरखां	1.15	मोत्या खेड़ी डी–6	23-6-77
349.	सिवाय चक	2.04	एम. डी. ,,	,,
350.	ग्राम पंचायन चरागाह	0.10	,,	,,
351.	सिवाय चक	1.17	,,	,,
352.	रयजामी ग्रा. वजीर मो. सिवाय चक	0.15	बालखेड़ा मैंनसब ड्रेन नं. 1	16-5-79
353.	पूरणलाल मीणा	0.01	तसांया के.डी.–5	16-2-80
354.	शंकर ग्रा. माती मातली	0.01	,,	,,
355.	मांगीलाल ग्रा. मोतीलाल	0.09	,,	,,
356.	प्रहलाद ग्रा. मीना	0.05	,,	,,
357.	वाला ग्रा. धन्ना	0.02	,,	,,
358.	गोपाली बेवा रामनाथ	0.02	,,	,,
359.	शंकर ग्रा. भूरा	0.02	,,	,,
360.	धूलिया ग्रा. श्रवण	0.04	,,	,,
361.	भंवरलाल/घासी	3.08	,,	,,
362.	चंदन ग्रा. मांगीलाल	3.07	,,	,,
363.	सोभागमल ग्रा. राम कल्याण	0.15	,,	,,
364.	पन्ना ग्रा. मोतीलाल	1.15	,,	,,
365.	बाकर ग्रा. लक्ष्मी नारायण	3.02	,,	,,
366.	बजरंगलाल ग्रा. मांगीलाल	2.05	,,	,,
367.	भवरलाल ग्रा. मोती	1.13	,,	,,
368.	सोभागमल ग्रा. रामगोपाल	1.13	,,	,,
369.	कजोड़ ग्रा. ग्रौंकार	3.01	,,	,,
370.	कल्याण ग्रा. पन्ना	1.02	,,	,,
371.	चतुर्भुज ग्रा. नेमी चंद धाकड़	0.13	रूपपुरा केडी–9	28-4-84
372.	मोत्यारामचंद धाकड़	0.02	,,	,,

1	2	3	4	5
373.	मोहनलाल ग्रा. नन्दलाल	0.14	रूपपुरा केडी—9	28-4-84
374.	हीरू ग्रा. रोड़ू	0.05	,,	,,
375.	मोहनलाल ग्रा. पन्नालाल	0.08	,,	,,
376.	करीमखां ग्रा. रोशनखां	0.02	,,	,,
377.	बद्रीलाल ग्रा. ओंकार	3.00	बड़गांव केडी—29	28-4-80
378.	गोपाल बलाई	0.10	,, एस	,,
379.	रामकंवरी ग्रा. रंगलाल	0.09	बड़गांव/डी—3	28-2-79
380.	सावंलया गोरधन	0.07	,,	,,
381.	गोरल्या ग्रा. माग्या	0.01	,,	,,
382.	बद्री ग्रा. छगन	0.11	,,	,,
383.	नारायण ग्रा. धूलिया	0.01	,,	,,
384.	लटूर ग्रा. नेवगां	0.01	,,	,,
385.	ग्यारसी राम ग्रा. बल्देव	0.03	,,	,,
386.	छीतर ग्रा. नामत्र धाकड़	1.11	बमूलिया माताजी एम डी—2	16-1-78
387.	मांगीलाल ग्रा. भूंवर लाल	2.45	,,	,,
388.	हीरालाल, पन्ना लाल	1.17	,,	,,
389.	रामनारायण ग्रा. श्री नाथू	0.05	बालखेड़ा डी—1	16-5-79
390.	कालु ग्रा. सूर्य भान	0.11	,,	,,
391.	पुष्पा बाई बेवा धन्ना लाल	1.17	,,	,,
392.	रामचन्द ग्रा. मोत्या	1.10	,,	,,
393.	सिंचाई विभाग	0.12	,,	,,
394.	बिरधा ग्रा. नन्दा	0.07	,,	,,
395.	केशना ग्रा. शंकर	0.01	,,	,,

1	2	3	4	5
396.	चरागाह	1.00	बालखेड़ा डी–1	16-5-79
397.	सिवाय चक	20.09	,,	,,
398.	रामेश्वरी बेवा पाथ्यां	0.05	कालाखेडी मेन डी–4	17-2-78
399.	माधो आ. धन्ना	1.15	,,	,,
400.	सिवाय चक	8.17	,,	,,
401.	पी. डब्ल्यू. डी.	1.10	,,	,,
402.	सिवाय चक	2.06	,,	,,
403.	सिवाय चक	1.14	लसाया मेन सब.डी.–4	16-5-79
404.	रामनारायण आ. शंकर	0.16	,,	,,
405.	डाबू आ. गोविन्दा मीणा	0.05	,,	,,
406.	कल्याण आ. भैरा	0.09	,,	,,
407.	सिवाय चक	0.08	,,	,,
408.	सीलिंग अधिग्रहण	0.02	उदपुरा के.डी–6	16-5-79
409.	किशनलाल आ. मथुरा	0.04	,,	,,
410.	मोत्या आ. शुक्खा	0.05	,,	,,
411.	भागीरथ आ. मोतीलाल	0.04	,,	,,
412.	सिवाय चक	3.01	नं. 1	,,
413.	कस्तूरचंद आ. ओंकार	2.12	,,	,,
414.	सिवाय चक	1.19	उदपुरा एम. एस. डी–2	16-2-79
415.	सिवाय चक	3.11	तसाया डीके–5	3-7-79
416.	चन्द्रप्रकाश लक्ष्मी नारायण	0.01	,,	,,
417.	भंवरलाल आ. माधो माली	0.01	,,	,,
418.	रामकुमार, बृजमोहन आ. गुलाबचन्द	1.19	,,	,,

1	2	3	4	5
419.	माधो, नन्दा	0.01	तसाया डीके-5	3-7-79
420.	भैरू, सुखदेव	0.05	,,	,,
421.	भैरू, किशनलाल मीणा	0.05	,,	,,
422.	रामचंद धाकड़	1.05	,,	,,
423.	पुनेलाल मीणा	0.13	,,	,,
424.	पन्नालाल ग्रा. मोतीलाल	0.16	,,	,,
425.	कन्हैयालाल ग्रा. माधो	0.05	,,	,,
426.	देव्या चमार	0.02	,,	,,
427.	हंसराज ग्रा. किशनलाल	0.09	,,	,,
428.	राधा ग्रा. रतन	1.00	,,	,,
429.	किशोरीलाल ग्रा. थूलीलाल	2.15	बड़गांव केडी-16	16.2.80
430.	श्योजी ग्रा. चतुर्भुज	2.00	,,	,,
431.	सुखदेव ग्रा. गोपाल	2.02	,,	,,
432.	नाथ्या ग्रा. ग्रौंकार	0.06	,,	,
433.	धन्ना ग्रा. माधो	1.04	,,	,,
434.	रामनारायण ग्रा. रोडू	0.15	,,	,,
435.	श्योजी ग्रा. गोमदा	1.02	,,	,,
436.	कान्हा, गोरधन	1.00	,,	,,
437.	केसरी लाल सेविग लाल	2.00	ठीकरिया गोपालपुरा सीडी-5	7.2.79
438.	भाग्य, पाथ्या जाट	0.17	,,	,,
439.	वेजनाथा, भागी लाल जाट	0.09	,,	,,
440.	ग्रमरा ग्रा. मन्ना	0.16	बमूलिया सीडी-5	16.2.80
441.	मोहन लाल ग्रा. नरसिंह	1.10	,,	,,
442.	नरेन्द्र सिंह, चतुर्भुज	0.07	,,	,,

1	2	3	4	5
443.	राम चन्द ग्रा. गिरधारी	1.06	सोनवा माइनर	16-2-80
444.	चर्तु मुज ग्रा. शंकर	2.10	,,	,,
445.	पिरथा ग्रा. बाला	3.09	,,	,,
446.	गोरन ग्रा. माधो	2.00	,,	,,
447.	जगनाथ ग्रा. पाथ्या	1.10	,,	,,
448.	कल्याण ग्रा. गाडया	0.05	,,	,,
449.	जगन्नाथ ग्रा. रंगलाल	3.15	,,	,,
450.	पांचू लाल ग्रा. लक्ष्मी नारायण	1.10	,,	,,
451.	श्रीनाथ ग्रा. नरसिंह लाल	2.00	,,	,,
452.	नारायण ग्रा. पाथू गूजर	2.10	,,	,,
453.	हीरा ग्रा. गोविन्दा	0.10	,,	,,
454.	रामनाथ ग्रा. धूल्या	0.15	,,	,,
455.	द्वारका ग्रा. बिरधा	0.10	,,	,,
456.	चतरा ग्रा. गजानन्दा	1.10	,,	,,
457.	चतरा ग्रा. देवा	2.00	,,	,,
458.	मथरी ग्रा. कान्हा	5.10	,,	,,
459.	वेरी लाल ग्रा. धासी	2.15	,,	,,
460.	मदनलाल ग्रा. देवलाल	3.10	,,	,,
	योग	477.05		

अतारांकित प्रश्न सं. 198 की सूचियां

सूची "अ"

ग्राम सरनाऊ में गोचर भूमि पर कब्जों का विवरण

क्र. सं.	मु. नं.	नाम अतिक्रमी	अतिक्रमण वर्ष	ख. नं.	रकबा	किस्म भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1.	297/84	श्री गोविन्दा पुत्र रूपा विश्नोई	1984	152	1)))4	गै.मु.गोचर
2.	298/84	,, गोविन्दा पुत्र रूपा विश्नोई	,,	153	1)))	,,
3.	303/84	,, सोनाराम पुत्र गोविन्दा	,,	160	1))	,,
4.	305/84	,, गोविन्दा पुत्र रूपा विश्नोई	,,	160	))))3	,,
5.	316/84	,, रूपा पुत्र रूपा गांधी	,,	320	1))3	,,
6.	317/84	,, सरला पुत्र सोनी गांधी	,,	330	1))4	,,
7.	320/84	,, ओखा पुत्र रूखा बागरी	,,	492/3	1)))1	,,
8.	321/84	,, सचीक पुत्र करीम मोवला	,,	492/3	0)3	,,
9.	324/84	,, जूजा पुत्र करीम रेबारी	,,	492/3	))1	,,
10.	325/84	,, मदू पुत्र मगा लवार	,,	492/3	0)2	,,
11.	326/84	,, बादू पुत्र केसा दर्जी	,,	492/3	0)1	,,
12.	327/84	,, काना पुत्र रामजी कुम्हार	,,	492/3	0)3	,,
13.	328/84	,, वीरा पुत्र रामजी कुम्हार	,,	492/3	0)3	,,
14.	333/84	,, लाखा पुत्र रिड़मत सोनार	,,	76	0)4	,,
15.	336/84	,, कृष्ण पुत्र वीरा भाट	,,	76	0)1	,,
16.	338/84	,, रूपचन्द पुत्र सरेमल महाजन	,,	76	0)1	,,
17.	341/84	,, मफतलाल पुत्र छोगाराम	,,	76	0)1	,,
18.	342/84	,, वरदाराम पुत्र मगदाराम	,,	76	0)1	,,

411

1	2	3	4	5	6	7
19.	349/84	श्री क. अ. रा. उ. मा. विद्यालय	1984	98	2)	गै.मु. गोचर
20.	363/84	,, सुखराम पुत्र डूंगरा विश्नोई	,,	98	0)3	,,
21.	365/84	,, छोगा पुत्र रामचन्द्र	,,	98	1)	,,
22.	366/84	,, काबू पुत्र कोसा विश्नोई	,,	78	।)	,,
23.	367/84	,, राजू पुत्र भूरा रामलाल पुत्र लेखा विश्नोई	,,	492/3	॥)	,,
24.	368/84	,, प्रहलाद पुत्र काना	,,	417/1	॥)	,,
25.	371/84	,, लाखा, उमरा पिता जैस्या रेवारी	,,	320	।)1	,,
26.	372/84	,, जंसामती पुत्र दूमा रेवारी	,,	306	0)4	,,
27.	374/84	,, जोगा पुत्र नानजी रेवारी	,,	320	।)1	,,
28.	375/84	,, नेकी पुत्र जूंजा रेवारी	,,	320	0)3	,,
29.	376/84	,, प्रहलाद पुत्र काना	,,	76	।)	,,
30.	377/84	,, रतना पुत्र जौधा विश्नोई	,,	76	।॥)4	,,
31.	381/84	,, श्यामला पुत्र दलू विश्नोई	,,	492/3	0)3	,,
32.	382/84	,, ठाकरा पुत्र वना	,,	492/3	।)	,,
33.	383/84	,, लाखा, मन्छा पिता सोना विश्नोई	,,	492/3	॥)	,,
34.	384/84	,, लाखन पुत्र मोती विश्नोई	,,	492/3	।॥)1	,,
35.	392/84	,, ग्रा. से. स. समिति, सरनाऊ	,,	76	।)	,,
				योग	18 बीघा 11 विस्वा	

ह०/–
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालोर।

412

सूची "ब"

मामा सांकड़ के गोचर भूमि पर किये गये कब्जे की सूची

क्र. सं.	म. नं.	नाम अतिक्रमी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	अतिक्रमण वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	390/84	ओला पुत्र नागजी भील	284	0)3	गै. मु. गोचर	1984
2.	391/84	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, उपखण्ड सांकड़	418	1।।)	,,	,,
3.	392/84	रामजी पुत्र मंगला, घीसा पुत्र रठकोडा गांधी	180	।।)2	,,	,,
4.	393/84	हरजी पुत्र रखबचन्द जैन	553	।)	,,	,,
5.	394/84	भोपाराम पुत्र लालाराम विश्नोई	553	1।।)	,,	,,
6.	395/84	प्र. अ. रा. मा. वि. साकड़	553	4।।)4	,,	,,
7.	396/84	सरपंच ग्रा. पं. साकड़	553	0)2	,,	,,
8.	397/84	प्र. अ. रा. मा. वि. साकड़	284	4।)3	,,	,,
9.	398/84	सरपंच ग्रा. पं. सांकड़	180			
			553	।)3	,,	,,
10.	399/84	नाराण पुत्र डामरा रेवारी	180	।।)1	,,	,,
11.	400/84	टीकमा रणछोड़ा वोरा पिता डामरा रेवा.	180	।।)2	,,	,,
12.	401/84	उंदा पुत्र सबा भील	287	।।)4	,,	,,
13.	402/84	सवा पुत्र भूरा लुहार	553	।।)1	,,	,,
14.	403/84	हमीरा पुत्र साबुका लुहार	553	।।।)2	,,	,,
15.	404/84	वांधा व मोरा हरिजन	553	।)2	,,	,,
16.	405/84	गेंदा पुत्र सूज्या धोबी	553	।)4	,,	,,
17.	406/84	हीरा पुत्र पीरा धोबी	553	।)	,,	,,
18.	407/84	पेमा पुत्र गोवा धोबी	553	0)3	,,	,,
19.	408/84	देवा पुत्र धन्ना धोबी	553	।)1	,,	,,
20.	409/84	हिन्दू पुत्र हुम्बा धोबी	553	।)	,,	,,
21.	410/84	कालू पुत्र याता विश्नोई	418	0)2	,,	,,
22.	411/84	चोखा पुत्र भीमा विश्नोई	353	0)3	,,	,,

५११

1	2	3	4	5	6	7
23.	412/84	रोवता पुत्र उमा रेवारी	180	1।।।)	,,	,,
24.	413/84	बीरा पुत्र खंगरा कुम्हार	180	।।)3	,,	,,
25.	414/84	सोना पुत्र डूंगरा रेवारी	180	।)	,,	,,
26.	415/84	होती पुत्र सोना रेवारी	553	।)	,,	,,
27.	416/84	मोला पुत्र माला धोबी	287	।)1	,,	,,
28.	417/84	पीताम्बरदास पुत्र मूलाराम	552	।)2	,,	,,

योग—22 बीघा 14 बिस्वा

ह०/-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालौर (राजस्थान)

सूची "स"

ग्राम पुर

क्र. सं.	नाम अतिक्रमणकारी	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म भूमि	अतिक्रमण वर्ष
1.	श्री महादेवा, काला पि. धर्मा, राजपूत, सा. पुर	763	2 बीघा	मै. मु. गोचर	1984
2.	श्री मंगला पुत्र हरचन्द विश्नोई, सा. पुर	216	5 बिस्वा	मै. मु. बिना कब्जा घेरा	,,
3.	श्री सूज्या पुत्र हरचन्द विश्नोई, सा. पुर	216	11 बिस्वा	,,	,,
4.	श्री काना पुत्र नरसींग कलडी, (किरूपिया)	742	14 बिस्वा	मै. मु. नाडी	,,
5.	श्री भगवाना पुत्र थूकला विश्नोई, सा. पुर	228	14 बिस्वा	,,	,,

योग : 4 बीघा 4 बिस्वा

ह०/-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालौर (राजस्थान)

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न सं. 200 का विवरण एवं सूची

विवरण

क्र. सं.	मि. नं.	तारीख दायर	नाम अतिक्रमी मय वल्दियत नाम ग्राम	नाम ग्राम जिसमें भूमि स्थित है	खसरा नं.	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1.	529/84	12-3-83	अमरा आ. पांचू, धन्ना, किशना आ. हीरा, निवासी फतहपुर खुश्त, प. स. लाखमनीजा	फतहपुर खुश्क	184	10) बि.
2.	163/83	25-6-83	बजरंगदास आ. मांगीदास, नि. मण्डावरा	पीपल्दासाँड	445	5)
3.	722/84	1-5-84	बूचीलाल आ. धूलीलाल मीणा, नि. झाड़गांव	झाड़गांव	105	)2
4.	561/84	23-5-84	कन्हैयालाल आ. नाथूलाल अहीर, नि. अमरपुरा	अमरपुरा	153	3)
5.	577/84	23-5-84	रामनारायण, रामपाल पि. बिशनलाल मीणा, नि. चावण्डहेड़ी	मुरेल	391, 445 | 451, 453 |	49.1 बि.

1	2	3	4	5	6	7
6.	323/84	4-1-84	रामकल्याण आ. धन्ना मीणा, नि. नापाहेड़ा	नापाहेड़ा	349, 392	10.12 बि.
7.	450/84	21-2-84	मंवरदीन आ. ख्वाजू मुसलमान, नि. मोरपा, प. म. मोरपा	मोरपा	301	3)
8.	520/84	5-3-84	राधाबाई आ. रामकिशन बोहरा, नि. वगतरी, प. म. तोरणा	वगतरी	137	3)
9.	377/84	14-2-84	दुर्गालाल आ. ओंकारलाल ब्राह्मण, नि. सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	250	11) बि.
10.	393/84	14-2-84	अब्दुल रजाक आ. फजल इलाही, नि. सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	122	6)
11.	376/84	14-2-84	प्रभूलाल आ. रामनाथ गूजर, नि. सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	442	2)4 बि.
12.	383/84	14-2-84	मोतीलाल आ. जमना माली, नि. सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	1486	1)4 बि.
13.	743/84	1-6-84	बजरंगा आ. रामगोपाल धाकड़, नि. देवपुरा	देवपुरा	335	1.14 बि.
14.	781/84	4-7-84	ग्यारसीलाल आ. रामचन्द्र कुम्हार, साकिन ग्राम नीमोदा	नीमोदा	912, 913	पत्थर डालकर कब्जा

415

(413)

1	2	3	4	5	6	7
15.	169/84	3-1-84	दामोदर आ. देवीलाल ब्राह्मण, नि. नीमोदा	नीमोदा	810	गै. मु. मकान
16.	153/84	3-1-84	हेमराज आ. नेमलाल महा., हाल मु. विज्ञाननगर, कोटा		641 638	1.1 बि. 7 बि.
17.	369/84	14-2-84	रामगोपाल आ. कान्हा मीणा नि. हरिपुरा	हरिपुरा	143, 162 159	30.9 बि.
18.	714/84	1-5-84	रतनलाल आ. पन्नालाल, बद्रीलाल आ. नारायण, श्रीकृष्ण आ. गोपाल खाती, नि. किशोरपुरा	किशोरपुरा	149	19.11 बि.
19.	712/84	1-5-84	ओंकार आ. गेंदीलाल धाकड़, नि. किशोरपुरा	किशोरपुरा	130 58 62	10,18 बि. 6,8 बि. 10) बीघा
20.	718/84	1-5-84	बद्रीलाल आ. गोबरी लाल कुम्हार, नि. ग्राम किशोरपुरा	किशोरपुरा	44 233	4,9 बि.
21.	717/84	1-5-84	मगना आ. ओंकार धाकड़, नि. किशोरपुरा, प. म. जाखडोद	किशोरपुरा	154	19,13 बि.
22.	715/84	1-5-84	रामचन्द्र आ. गोपाल खाती नि. किशोरपुरा, प. म. जाखडोद	किशोरपुरा	58	6,7 बि.
23.	713/84	1-5-84	ग्यारस्या आ. ऊदा गूजर, नि. चावया	किशोरपुरा	995	17.11

1	2	3	4	5	6	7
24.	594/83	25-7-83	देवलाल भ्रा. जगन्नाथ धाकड़, सीमल्या	सीमल्या	194	2021 व. फुट
25.	292/84	21-1-84	बाबूलाल भ्रा. गोविन्दलाल, माली	सीमल्या	598	375 व. फुट
26.	816/84	1-5-84	प्रितमसिंह भ्रा. मोहरसिंह सरदार, शोली	कोडपुवा	739	6 वि.
27.	837/84	1-3-84	हरनेकसिंह भ्रा. जगरसिंह सरदार, सा. शोली	मण्डावरी	279	24/15 वि. स्टे प्राप्त होने से कब्जे में
28.	142/84	2-1-84	रामदयाल भ्रा. हीरालाल माली, सा. ग्राम बमोरी	बमोरी	348	22)4 बि. स्टे. प्राप्त
29.	258/84	7-1-84	रामेश्वर, मोहनलाल, कुन्जविहारी भ्रा. जगन्नाथ माली, नि. बमोरी	बमोरी	346	10)4 बि. स्टे. प्राप्त
30.	255/84	7-1-84	उमरावसिंह, किशनसिंह भ्रा. गुलाबसिंह, हिम्मतसिंह भ्रा. मंवरसिंह राजपूत, नि. बमोरी	बमोरी	360/2	72)10 बि. स्टे. प्राप्त
31.	256/84	7-1-84	हीरालाल भ्रा. रामलाल माली, साकिन बमोरी	बमोरी	1063 1071	9)। स्टे. 5 वि. 13, 15 वि.
32.	257/84	7-1-84	आनन्दीलाल भ्रा. मदनलाल माली, साकिन बमोरी	बमोरी	346 360	10)3 स्टे. प्राप्त 10)15 बि.
33.	205/84	7-1-84	शंकरीबाई, रामप्यारी बाई पुत्रीयां भैरूलाल धाकड़, नि. बमोरी	बमोरी	348	22)4 बि. राजस्व मण्डल राज. है।

1	2	3	4	5	6	7
34.	834/84	1-5-84	सूरजकुंवरबाई पत्नि मुकटबिहारी लाल महाजन, नि. बमोरी	बमोरी	1065	6)15 बि.
35.	831/84	1-5-84	छीतरलाल ग्रा. गेंदीलाल बलाई, खेड़ली महरात	ग्रामोरा	58/1	8 बी.
36.	728/84	1-5-84	धूल्या ग्रा. भूरा गूजर, मोतीकुआ	कचनॉवदा	353	8 बी.
37.	722/84	1-5-84	प्रमूलाल ग्रा. गोपाल कहेर	कचनावदा	221	12 बी.
38.	716/84	1-5-84	रामनाथ ग्रा. कामड़ा हरिजन	कचनावदा	217, 528 505, 521	28.18 बि.
39.	199/84	21-1-84	दलेलसिंह ग्रा. इन्द्रसिंह राजपूत, सा. ग्राम रामड़ी	रामड़ी	28 174	8) बी. 3) बी.
40.	153/84	1-5-84	लाडू पुत्र कालू राव, डगावद	डगावद	83	3)
41.	126/84	2-1-84	द्वारकीलाल ग्रा. भंवरलाल मीणा, गिरधरपुरा	गिरधरपुरा	135	3)
42.	135/84	2-1-84	बजरंगलाल ग्रा. हीरा तेली, नि. दीगोद	दीगोद	1653/1	3)
43.	321/84	17-2-84	नन्दा ग्रा. भंवरलाल माली, नि. दीगोद	दीगोद	1195, 1529	5.5) बि.
44.	295/84	7-1-84	गोपाल ग्रा. रामा मीणा, पोलाई खुर्द	पोलाई खुर्द	46	39.14) बि.
45.	281/84	7-1-84	रतना ग्रा. ओंकार मीणा, सा. ग्राम पाड़ल्या	पाडल्या	125	3 बी.) 10 बि.

1	2	3	4	5	6	7
46.	808/84	1-5-85	जालोरसिंह सरदार, मूण्डला	पाड़ल्या	232	5 बी.) 6 वि.
47.	791/84	1-5-84	सीताराम, रामधन आ. गनपतदास बेरागी, नि. ढगारिया	ढगारिया	158	4)
48.	656/84	1-5-84	धन्ना आ. अमरा गुसाई, नि. उदपुरा	भगवानपुरा	82	1.10) बि.
49.	610/84	1-5-84	प्रभू आ. चतरभुज ब्राह्मण, उदपुरया	चन्द्रावला	316	11 बि.
					315	12 बि.
50.	626/84	1-5-84	मोहनलाल आ. मगनलाल धाकड़, चन्द्रावला	चन्द्रावला	311	15 बि.
51.	3088/84	17-2-84	कान्हा आ. मन्ना, गोपाल आ. रामनाथ धाकड़, माण्डाहेड़ा	माण्डाहेड़ा	825	25) 15 बि. स्थगन आदेश है।
52.	538/84	1-5-84	ओंकार आ. कजोड़ धाकड़, राजपुरा	कुराड़ी	176	5 बि.
53.	531/84	1-5-84	रामप्रसाद आ. नन्दा राव, वरगू	बृजराजपुरा	101	3)
54.	157/84	1-5-84	मूलचन्द आ. धन्ना लुहार, माण्डाहेड़ा	मुहाणा	62	6)
55.	158/85	1-9-84	मोहनलाल आ. रामकिशन अहीर, मुहाणा	मुहाणा	106	4 बी.) 10 बि.
56.	858/84	1-9-84	गणेश आ. शंकर धोबी, वांक्या	वांक्या	106	10 बि.
57.	859/84	1-9-84	छीतर आ. रतनसिंह, मोहनसिंह आत्मज	खेड़ली	278	31 बी.) 17 बि.
			मदनसिंह राजपूत, निवासी खेड़ली तंवरान	तंवरान	360	14 बी.

सूची

नाम अधिकारी	क्र. सं.	मि० नं०	नाम अतिक्रमी मय वल्दियत व ग्राम	ग्राम जहाँ पर भूमि स्थिति है	खसरा नम्बर मय रकबा	निर्णय दिनांक	निर्णय का विवरण — सजा	निर्णय का विवरण — तावास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्री अमरसिंह नायब तहसीलदार दीगोद	1.	431/83	प्रहलाद आ. केसरा चमार, नि. कमला जागीर	कमला जागीर	33/8-बी.	23-12-83	3 माह	224/–
	2.	435/83	माधो आ. बूल्या मीणा, नि. नीमोदा उजाड़	नीमोदा उजाड़	612 4 बी. 3 वि 621/1)18 वि. 622/3)9 वि.	,,	3 माह	278/–
	3.	66/84	गोपाल आ. हीरा मीणा, नि. कोटड़ापुरा	कोटड़ा पुरा	301/7बी.	18-1-84		199.80
श्री रामकिशन आर्य, नायब तहसीलदार दीगोद	4.	132/84	गोपाल, कान्हा, माग्या, आत्मज ग्यारस्या गूजर, नि. कमला जागीर		1/2बी.10वि.	4-7-84	15 दिन	187.50

421

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.	255/84	लाल्या ग्रा. मोहना मीणा, नि. जालिमपुरा	जालिमपुरा	110/बी.	17-5-84	2 माह	188/–
	6.	256/84	लदूर ग्रा. कालू मीणा नि. जालिमपुरा	,,	110/1बी.	,,	2 माह	91/–
	7.	261/84	वंशीलाल ग्रा. बुद्धालाल बौहरा, जालिमपुरा	,,	24/1बी.	,,	3 माह	91/–
	8.	266/84	छोटू ग्रा. घासी पाली, नि. वगतरी	,,	24/1बी.	,,	2 माह	45/–
	9.	479/84	किशना ग्रा. हीरावलाहि नि. जालिमपुरा	,,	1बी./14बि.	18-7-84	1 माह	260.40
	10.	487/84	रामप्रताप ग्रा. रामचन्द्र मीणा, नि. जालिमपुरा	,,	108/3बी.	17-5-84	3 माह	267/–
	11.	26/84	चतरा ग्रा. मंगल्या वलाई, सा. जालिमपुरा	,,	277/2बी.	,,	2 माह	102/–
	12.	492/84	शंकर ग्रा. बाल्या कन्डारा सा. प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	33/3बी.13वि. 288/3बी.	18-5-84 ,,	2 माह	242/–
	13.	496	शंकर ग्रा. पांचा	—	132,133 6बी6वि.	,,	2 माह	220/–

419

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14.	501/84	देवीलाल ग्रा. माधोलाल खारवाल, नि. दीगोद	प्रेमपुरा	48/2बी. 50/4)9वि.	18-5-84	2 माह	220/–
	15.	502/84	रमेश ग्रा. किशोर मीणा, बगतरी	बगतरी	238,247, 190)8बी.	,,	3 माह	312/–
	16.	508/84	रघुनाथ ग्रा. हरबख्श माली, बगतरी	,,	252/1)11वि. 75/4)	,,	2 माह	227/–
	17.	516/84	बिरधा ग्रा. घासी मीणा, बगतरी	,,	72/4बी.	18-7-84	1 माह	156/–
	18.	18/84	राममुख ग्रा. धापी माली	,,	75/5 जी.	1-7-84	1 माह	195/–
	19.	521/84	छोटू ग्रा. गणपत गूजर, नि. बगतरी	,,	194/5	25-7-84	1 माह	195/–
	20.	522/84	घासी ग्रा. छोटू गूजर, बगतरी	,,	197/5	,,	15 दिन	195/–
	21.	523/84	मदनलाल ग्रा. गोबरी लाल खाती, नि. बगतरी	,,	205/5	30-6-84	1माह 20 दिन	195/–
	22.	524/84	सूरजमल ग्रा. गोबरी लाल खाती, बगतरी	,,	197/4)10वि.	18-5-84	2 माह	370.50

423

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23.	525/84	गणेश ग्रा. नन्दा मीणा, दरबीजी	दरबीजी	2/3) बी. 36/3) बी.	18-5-84	$2\frac{1}{3}$ माह	306/-
	24.	771/84	कल्याण, किशनगोपाल, कन्हैयालाल ग्रा. पुरुषोत्तम, नन्दवाना नि. नींगोदा	नीमोदा	724/1 बी. 15वि.	25-7-84		48.00
	25.	575/84	घनश्याम ग्रा. फुन्दीलाल मीणा, नि. सुरेल	सुरेल	46/4 बी.	23-5-84	2 माह	188/-
	26.	579/84	देवा ग्रा. नारायण माली	सुरेला	44/8, 6) बी.	,,	3 माह	231.50
	27.	595/84	रामरतन ग्रा. धूल्या माली, रीझाहेड़ी	,,	355/4, बी. 10वि.	,,	3 माह	211.50
	28.	48/84	मांगीलाल ग्रा. तेजपाल चमार, सुरेला	,,	83/2बी. 13वि. 214/3	,,	2 माह	138/-
	29.	574/84	रामलाल ग्रा. रामप्रताप मीणा, चौवडहेड़ी	चावड़ हेड़	203/15वि.	,,	2 माह	36.00
	30.	55/84	रामपाल ग्रा. पन्ना लाल अहीर	नयागांव उर्फ रामपुरिया	343/2 बी. 3वि.	25-5-84	1 माह	101/-
	31.	59/84	धन्नालाल ग्रा. भैरूलाल मीणा, रीछाहेड़ी	रीछाहेड़ी	168/1बी.	18-7-84	1 माह	58.50

(421)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32.	60/84	छोटू ग्रा. देवा गूजर, नि. मोराना	चोपडखेड़ी	148/1बी.	17-7-84		25/–
	33.	736/84	रामचन्द्र ग्रा. ग्यारस्या माली, चोपड़खेड़ी	,,	149/1बी.15वि.	,,	15 दिन	45/–
	34.	727/84	बजरंगा ग्रा. भूरा मीणा, मा. झाँडगाँव	झाडगाँव	56/1बी.16वि.	,,	15 दिन	45/–
	35	716/84	बंशीलाल ग्रा. विरधा धाकड़	किशोरपुरा	219, 6बी.	28-5-84	3 माह	609/–
	36.	738/84	रामनारायण, रामकरण, ग्रा. गोपाल मीणा	खेड़ा मोपाल	148/3	17-7-84	1 माह	34/
	37.	411/84	जगन्नाथ ग्रा. नन्दा गूजर, मोराना	मोराना	502,112	18-7-84	1 माह	34/–
श्री अमरसिंह — नायब तहसीलदार	38.	421/84	जगन्नाथ, नन्दा छगना मीणा, झोपड़िया	पीपल्दा मॉड़	486/10)बी.	8-3-84	2 माह	280/–
श्री रामकिशन आर्य नायब तहसीलदार	39.	447/84	रामरतन ग्रा. रघुनाथ महा. मोरपा	मोरपा	194/11वि.	29-5-84	3 माह	45/–
,,	40.	451/84	अमरा चमार, मोरपा	शाहपुरा	41/10बी. 10वि.	27-10-84 42/3बीघा		842.50

425

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41.	373/84	मांगीलाल आ. कालू फकीर, सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	250/1बी.	31-5-84	3 माह	58.50
	42.	374/84	रामप्रसाद आ. नाथू तेली, सुल्तानपुर	,,	250/1बी.10वि	,,	3 माह	87.50
	43.	378/84	मदनमोहन आ. रामनारायण	,,	250/15वि.	,,	3 माह	45.00
श्री रामकिशन आर्य, नायब तहसीलदार	44.	385/84	बलवेन्द्रसिंह, बगतरसिंह	,,	616/10वि.	31-5-84	1 माह	17.50
	45.	386/84	रामकिशन आ. बिरधी लाल अहीर	,,	789/10वि.	,,	2 माह	68.50
	46.	388/84	मकबूलशाह आ. जहूंदशाह मुस., सुल्तानपुर	,,	616/10वि.	,,	3 माह	17.50
	47.	394/84	भैरूलाल आ. हीरालाल मधवाल, सुल्तानपुर	,,	122/3बी.5वि.	,,	3 माह	141.00
श्री ताराशंकर शर्मा, तहसीलदार	48.	149/83	श्री छोटूनाथ आ. जगन्नाथ, मु. जमना व पति छोटूनाथ, रामजीवन आ. छोटू, नाथू, जम्मूली	बसूली	28/4बी.5वि.	9-1-84	3 माह	147.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	49.	101/83	जकन्नाथ ग्रा. भैरूलाल पाली, सा. रेल	रेल	328/15बी16वि.	,,	1 माह	530.00
	50.	202/83	जमनालाल कराडिया	कराडिया	294/3बी15वि.	,,	1 माह	178.50
	51.	75/84	सीताराम ग्रा. भैरू मंदेड़ी	मंदेड़ी	121/10बी.	28-2-84	1 माह	210.00
	52.	392/84	छोटू, चतरभुज ग्रा. रघुनाथ मीणा, बालापुरा	बालापुरा	44/1बी16वि. 66/3बी.	,,		226.00
	53.	216/84	रामनारायण ग्रा. रोडू मेहर चोमा माली.	चोपा	97/2 बी. 100/2बी.6वि.	22-5-84	1 माह	239-50
	54.	179/84	छीतरसिंह, परबतसिंह ग्रा. रूपसिंह, रामडी	भटखेड़ी	23,24/3बी.	,,	15 दिन	136/–

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची

बारां, जिला कोटा के न्यायालयों में भूमि रहन सम्बन्धी विचाराधीन मामलों की सूची

उपखण्ड बांरा के न्यायालय में विचाराधीन मामले:–

क्र. सं.	मि. नं.	दायर दिनांक	उनवान	वास्ते	आगामी तारीख पेशी
1	2	3	4	5	6
1.	149/81	30-9-81	उम्मेदमल बनाम शंकरलाल	निर्णय	9-10-84
2.	65/82	7-6-82	धन्नालाल बनाम मूलीलाल	सबूत वादी	18-10-84
3.	145/82	20-10-82	मु. दक्खो बनाम भगवानलाल	तलबी	20-10-84
4.	20/83	27-1-83	गोवरीला बनाम बद्रीलाल	,,	18-10-84
5.	187/83	24-12-83	छीतरलाल बनाम राजेन्द्र कुमार	,,	18-10-84
6.	162/83	17-3-83	भंवरलाल बनाम अमीन	,,	18-10-84
7.	98/83	8-5-83	छीतर बनाम चतर	,,	18-10-84
8.	63/83	28-2-83	मोड़ बनाम विरधीलाल	सबूत वादी	18-10-84
9.	149/83	17-2-83	पांचू बनाम किशनलाल	तलबी	18-10-84
10.	161/83	6-11-83	मु. किशनी बनाम कल्याणी	सबूत वादी	20-10-84

1	2	3	4	5	6
11.	137/83	13:9-83	खेमचन्द बनाम कनोड	तलबी	20-10-84
12.	369/83	8-12-83	कल्याणी बनाम जगन्नाथ	बहस	20-10-84
13.	30/83	7-2-83	खेडीलाल बनाम लालजी	सबूत वादी	20-10-84
14.	42/83	2-2-83	कन्हैयालाल बनाम मजीदखाँ	तलबी	18-10-84
15.	24/83	19-1-83	छीतर बनाम छगनसिंह	तलबी	18-10-84
16.	30/83	21-2-83	उद्दा बनाम गोविन्दसिंह	,,	20-10-84
17.	38/84	9-5-84	मथुरा बनाम रसूल	निर्णय	9-10-84

सहायक जिलाधीश (प्रथम) बारां के न्यायालय में विचाराधीन मामले :—

1.	121/81	20-6-81	केलाश बनाम धन्नालाल	सबूतवादी नियम 183-क	17-11-84
2.	5/84	7-8-84	माधोलाल, गणेशराम माली बनाम हीरालाल अमरलाल मेघवाल		20-10-84

सहायक जिलाधीश (द्वितीय) बारां के न्यायालव में विचाराधीन मामले :—

1	2	3	4	5	6
1.	50/82	—	रतनलाल बनाम कान्दा	सबूत	1-10-84
2.	134/82	—	मदनलाल बनाम रामेश्वर	जवाव	6-11-84
3.	58/83	—	छीतरलाल बनाम मदनलाल	सबूत	1-10-84
4.	50/83	—	छीतरलाल बनाम बलराम नारायण	जबाव	22-10 84
5.	81/82	—	गोपी, दयाराम बनाम लतीफ	तलबी	7-11-84

1	2	3	4	5	6
6.	41/85	—	मथुरालाल बनाम नाथूलाल	राजीनामा	1-10-84
7.	62/83	—	मांगीलाल बनाम रतनलाल	जवाब	7-11-84
8.	78/83	—	नारायण, गुलाब बनाम गोविन्दा	बहस	16-10-83
9.	56/83	—	चतरा बनाम बद्री	जबाव	7-11-84
10.	66/83	—	मोहनलाल बनाम कालूलाल	सबूत	13-11-84
11.	171/83	—	दयाराम बनाम बिरधा, नारायण मीणा	जवाव	5-11-84
12.	121/83	—	मदनलाल बनाम मांगीलाल	सबूत	5-11-84
13.	90/84	—	मथुरालाल बनाम गंगाधर	जवाव	1-12-84
14.	91/84	—	गोवरीलाल बनाम शम्भू	बहस	24-11-84
15.	105/84	—	भूरा बनाम धन्ना, किशनचन्द	बहस	30-11-84
16.	108/84	—	रसूल बनाम मांगीलाल, हीरा	बहस	30-11-84
17.	128/84	—	भवानीशंकर बनाम मन्ना	जवाब	24-11-84

———

430

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न सं. 202 के आदेश

राजस्थान सरकार

ओर से, को,

जिलाधीश, तहसीलदार, मावली

उदयपुर ।

क्रमांक ;–12/3/81(राजस्व)/81 दिनांक 1-10-81

विषय :–प्रार्थना पत्र श्री मोतीलाल पिता लालचंद महाजन, निवासी मावली बाबत मकबुआ भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने ।

संदर्भ :–आपका पत्र क्रमांक राजस्व/1463 दिनांक 18-7-81

प्रार्थना-पत्र श्री मोतीलाल महाजन से सम्बन्धित आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उप जिलाधीश वल्लभनगर से जांच कराई जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित मौजा मावली के ग्रा. नं. 1601 पर प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया । क्योंकि प्रार्थी का उक्त अनाधिकृत कार्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए का उल्लंघन करने से प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है, खातेदार (प्रार्थी) के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए–91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है । आपके कार्यालय की पत्रावली संख्या 21/80 इसके साथ भेजी जा रही है ।

ह०/–

जिलाधीश, उदयपुर ।

प्रतिलिपि **431** न्यायालय तहसीलदार, मावली

मुकदमा नंबर 21/80 मुतफरकान दिनांक 14-9-83

निर्णय द्वारा श्री पृथ्वीराज आर्य

श्री मोतीलाल पिता लालचन्द वनाम सरकार
वरवड़, निवासी मावली

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी वावजूद सूचना के अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में मामला यह है कि अप्रार्थी श्री मोतीलाल पिता लालचन्द वरवड़ निवासी मावली ने आराजी नं. 1601 रकवा 10 बिस्वा (आधा बीघा) को आवादी भूमि में परिर्वतन बावत प्रस्ताव जिलाधीश महोदय, उदयपुर को भिजवाया था।

जिस पर श्रीमान् जिलाधीश महोदय, उदयपुर के आदेश दिनांक 12-3-81 राजस्व 81, दिनांक 1-10-81 द्वारा यह आदेश हुआ कि प्रकरण में उपजिलाधीश, वल्लभनगर से जांच कराने पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित मौजा मावली के आ. नं. 1601 पर अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति ही निर्माण कार्य किया गया।

अतः अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के तहत कार्यवाही की जावे। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मोतीलाल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए सहपठित धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी ने कोई जवाबदावा-वगैरह प्रस्तुत नहीं किया।

तहसीदार चैनदास जी ने उक्त विवादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण किया जिसमें एक ऑयल मिल्स लगाने का एक कमरा 32×36 का बनाकर उसमें ऑयल मिल्स लगाया जो वर्तमान में बंद है।

इसी प्रकार 60×30 फिट का आ. नं. 1601 एवं 1603 में वनाया गया मील एवं उक्त गोदाम की स्वीकृति पूर्व में प्राप्त करना अप्रार्थी ने स्वयं ने जाहिर नहीं किया जो ई. एक्स. पी. है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी मोतीलाल वरवड द्वारा बिना स्वीकृति के कृषि भूमि का रूपान्तरण किये वगैर ही आ. नं. 1601 रकवा 10 विस्वा पर कारतामीर कर ऑयल मील एवं गोदाम वनाया जो अनाधिकृत है।

श्री मोतीलाल अप्रार्थी को दिनांक 20-8-83 के जरिये सूचना-पत्र जारी 14-9-83 को सलब किया गया था परन्तु मोतीलाल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया।

अप्रार्थी श्री मोतीलाल बरबड़ द्वारा बिना स्वीकृति ही आराजी नं. 1601 रकवा 10 बिस्वा (आधा बीघा) में बिना स्वीकृति ही ऑयल मिल्स एवं गोदाम क्षेत्रफल 32 × 36 एवं 60 × 30 फीट से बेदखल किया जाकर ध्वस्त करने का आदेश दिया जाता है एवं शास्ती स्वरूप लगान 1.75 का पचास गुना 87.50 (सत्यासी रुपये पचास पैसे) वसूल हो। आ. नं. 1603 पर अलग से कार्यवाही हेतु पं. स. को लिखा जावे।

ऑयल एवं गोदाम को ध्वस्त करने के लिए पटवारी हल्का मावली को लिखा जावे एवं मांग कायमी हेतु प. स. लेखाकार को लिखा जाकर बाद तजवीज पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह०/–
तहसीलदार, मावली
14-9-83

433

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न सं. 210 की सूची)

क्र. सं.	प्रकरण संख्या व दिनांक	कम्पाउण्ड प्रार्थना का दिनांक	कम्पाउण्ड करने की दिनांक
1. 43	1-8-82	28-3-83	19-4-83
2. 44	1-8-82	,,	,,
3. 47	12-8-82	,,	,,
4. 48	12-8-82	,,	,,
5. 49	12-8-84	,,	,,
6. 50	12-8-82	,,	,,
7. 52	12-8-82	,,	,,
8. 54	12-8-82	,,	,,
9. 55	12-8-82	,,	,,
10. 69	12-8-84	,,	,,
11. 78	29-9-82	,,	,,
12. 79	29-9-82	,,	,,
13. 80	29-9-82	,,	,,
14. 81	29-9-82	,,	,,
15. 24	15-9-82	,,	,,
16. 25	15-8-82	,,	,,
17. 26	15-8-82	,,	13-5-83
18. 27	15-8-82	,,	19-4-83
19. 36	29-9-82	,,	,,
20. 37	29-9-82	,,	,,
21. 38	29-9-82	,,	,,
22. 44	2-10-82	,,	,,
23. 45	19-10-82	,,	,,
24. 39	24-7-82	,,	,,
25. 47	3-8-82	18-3-83	24-3-83
26. 67	18-10-82	,,	21-3-83

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 212 का विवरण

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार पर किये गये वार्षिक व्यय का विवरण

वर्ष 1981–82

क्र. सं.	पार्टी का नाम	राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4
1.	अक्षरा एडवर्टाईजिंग कम्पनी नई दिल्ली 1 (विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को भुगतान हेतु)	31,344.76	16-2-82
		28,959.76	30-3-82
		69,622.68	"
		9,195.95	"
		59,715.44	31-3-82
	योग	1,98,838.59	
2.	इण्डियन रेल्वे	2,42,500.00 (पहियों पर राजमहल निगम द्वारा रेल्वे को अन्शदान)	27-3-82
	योग	2,42,500.00	
3.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	969.15	13-5-81
		218.40	2-6-81
		1,228.50	3-6-81

1	2		3	4
			68.25	22-6-81
			1,760.85	7-8-81
			764.40	15-9-81
			390.95	23-9-81
			668.85	13-10-81
			1,528.80	24-11-81
			669.30	31-12-81
			2,102.35	22-1-82
			758.45	24-2-82
		योग	11,128.25	
	दैनिक नवज्योति		85.05	29-5-81
			3,310.92	22-6-81
			1,863.54	25-6-81
			3,037.76	5-8-81
			881.28	25-8-81
			312.12	15-9-81
			414.12	23-9-81
			265.20	13-10-81
			3,981.08	20-11-81
			1,385.57	31-12-81
			3,297.45	22-1-82
			1,750.85	24-2-82
		योग	20,584.94	

1	2		3	4
	राष्ट्रदूत		457.20	2-6-81
			2,631.15	22-6-81
			546.55	21-9-81
			165.10	24-11-81
			9,810.10	31-12-81
			488.95	22-1-82
			247.65	24-2-82
		योग	14,346.70	
1.	कान्टीनेण्टल एडवर्टाइजिंग		3,940,00	5-5-81
	प्राइवेट लि., नई दिल्ली		8,612,00	9-9-81
			2,536,00	13-10-81
		योग	15,088.00	
2.	ओ. पी. शर्मा चित्र कृतियां		3,600.00	13-5-81
			3,600.00	
3.	नियोजन कार्यालय, जयपुर		720.00	13-8-81
			360.00	9-9-81
		योग	1,080.00	

1	2	3	4
4.	इण्डिया वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, नई दिल्ली ।	6,500.00	25-8-81
	जलते दीप, जोधपुर	165.10	2-6-81
		495.25	22-1-82
	योग	660.35	
	भारत कलर लेव	875.00	27-6-81
		875.00	
	राजस्थान लेखा सेवा संघ	500.00	9-7-81
		500.00	2-3-82
	योग	1,000.00	
	सी इण्डिया	450.00	27-7-81
	राजस्थान इंको	150.00	27-7-81
	दैनिक अणिमा, जयपुर	150.00	18-9-81
	लोक जीवन साप्ताहिक, जयपुर	500.00	25-8-81
	सीता वर्ल्ड ट्रेवल, जयपुर	3,500.00	8-9-81
	ब्लेज एडवरटाईजिंग, जयपुर	651.50	8-9-81
	जेनेट कालीमन एण्ड कं., नई दिल्ली	800.00	15-9-81
	अमर उजाला, आगरा	183.60	15-9-81

1	2	3	4
	जयपुर विजन	395.00	18-9-81
		375.00	21-10-81
		375.00	27-11-81
		750.00	27-2-82
	योग	1,895.00	
	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	720.00	13-10-81
	युगदूत	230.00	13-10-81
		230.00	5-12-81
		460.00	
	ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ	150.00	24-11-81
	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग	100.00	27-11-81
	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	230.00	5-12-81
	राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ	350.00	5-12-81
	श्रमिक विकास	150.00	9-12-81
	सचिवालय संदेश	500.00	9-12-81
	माणक प्रकाशन	800.00	31-12-81
	मोबायल सर्जीकल यूनिट	300.00	4-1-82
	नाट्य निकेतन	1,300.00	4-1-82
	अरनाद	654.75	22-1-82
	जय राजस्थान	144.00	22-1-82
	”	144.00	24-2-82
		288.00	

1	2	3	4
	सुदामा आर्ट एम्पोरियम	7,811.00	15-2-82
	शोधक	500.00	24-2-82
	इण्डियन एक्सप्रेस	420.00	25-2-82
	राजस्थान विश्वविद्यालय सोविनियर	750.00	26-2-82
	सर्व भारतीय माथुर नाट्य समारोह	600.00	26-2-82
	रविन्द्र मंच	500.00	27-2-82
	जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेन्स	1,000.00	27-2-82
	ऑल इण्डिया हॉम्योपेथिक कांग्रेस	1,100.00	2-3-82
	हिन्दुस्तान पब्लिसिटी कॉरपोरेशन	10,400.00	3-3-82
	राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन	50,000.00	11-9-81
		25,000.00	18-11-81
	वर्ष 1981-82 का योग	6,28,565.68	

440

वर्ष 1982–83

क्र. सं.	पार्टी का नाम	राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4
1.	अक्षरा एडवरटाईजिंग ऐजेन्सी,	48609.22	12-11-83
	नई दिल्ली ।	23949.00	22-11-83
	विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को	24220.00	24-1-83
	भुगतान हेतु ।	08943.06	23-2-83
		61802.38	26-4-83
		(गत वर्ष का भुगतान)	
		4657.89	31-3-83
		62887.89	31-3-83
	योग	315069.44	
2.	राष्ट्रदूत	790.00	22-5-82
		1179.65	3-8-82
		734.80	17-12-82
		400.80	4-2-83
		300.60	31-3-83
		1123.87	7-10-82
		651.30	15-2-82
	योग	5181.02	

1	2	3	4
3.	नवज्योति	1286.25	22-5-82
		2690.10	3-8-82
		416.50	1-9-82
		428.75	1-12-82
		980.00	17-11-82
		931.00	4-2-83
		2996.33	4-1-83
		1300.93	15-2-83
	योग	11029.90	
	आकाशवाणी जयपुर स्टॉफ ऑफिस	300.00	10-2-83
	योग	300.00	
	न्याय, अजमेर	243.60	8-9-82
		174.00	7-10-82
	योग	417.60	
	राजस्थान पत्रिका	832.00	10-5-82
		112.00	25-5-82
		1518.00	3-8-82
		648.80	17-12-82
		791.20	29-1-83
		826.20	9-2-83

1	2	3	4
	राजस्थान पत्रिका	166.40	8-3-83
		97.20	31-3-83
		4243.20	31-3-83
		1344.60	7-10-82
		1263.60	6-12-82
		3076.25	24-3-82
		453.60	17-1-83
		4004.00	15-2:83
		267.20	26-2-83
	योग	20021.35	
	इण्डियन टूरिज्म डवलमेंट कॉरपोरेशन ।	2000.00	23-2-83
	क्रॉस सैक्शन पब्लिसिटी	9500.00	24-3-83
	ब्लेज एडवरटाइजिंग, जयपुर	3076.00	31-3-83
	राजस्थान वूमेन हॉकी एसोसियेशन	300.00	31-3-83
	रस्तोगी प्रिन्टर्स प्रोडेक्ट्स	1360.80	31-3-83
	लोक शिक्षक, जयपुर	250.00	8-4-82
		200.00	31-8-82
		250.00	31-2-83
	योग	700.00	

1	2	3	4
	टाईम्स ऑफ इण्डिया, अहमदाबाद	270.00	12-4-82
		97.50	10-2-83
	योग	367.50	
	रंगला	200.00	12-5-82
	जयपुर विजन	375.00	12-5-82
		375.00	9-6-82
		375.00	9-6-82
		875.00	21-2-83
		875.00	31-3-83
		1125.00	7-10-82
		375.00	14-10-82
		2250.00	27-6-83
	योग	6625.00	
	राज न्यूज	500.00	13-9-82
	एडमिनिस्टेटिव चेन्ज	400.00	7-10-82
	इण्डियन होटल्स एण्ड बैटरर्स	1500.00	7-10-82
	आधुनिक राजस्थान	121.80	7-10-82
	अधिकार	110.00	7-10-82
	लोक जीवन	300.00	7-10-82
	पार्श्वनाथ युवक मण्डल	150.00	5-10-82
	आर. टी. आई प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसिटी	4000.00	5-10-82

1	2	3	4
	राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ	350.00	7-10-82
	राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा संघ	300.00	5-10-82
	नवयुग	872.20	7-10-82
	राजस्थान एम्पलॉयमेंट	560.00	6-12-82
	कलचरल सोसायटी ऑफ राजस्थान	500.00	27-7-83
	जलते दीप	387.60	17-1-83
		364.00	25-2-83
	योग	752.40	
	राजस्थान चैप्टर	600.00	17-12-82
	मिडटर्म सिम्पोजियम	300.00	16-9-82
	नेशनल एडवरटाईजिंग कम्पनी	1265.00	17-12-82
	रामकृष्ण विवेकानन्द सोसायटी	400.00	17-12-82
	रामा एन्टरप्राईजेज, जयपुर	2510.00	23-2-83
	करन्ट पब्लिकेशन	1500.00	22-2-83
	ऑल इण्डिया ज्यूडिशयल ऑफीसर्स	600.00	22-2-83
	त्रिलोक आर्ट सर्विस	1206.00	12-5-82
	अमर उजाला	294.00	3-8-82

1	2	3	4
	यंग लीडर	301.60	17-12-72
		191.40	6-12-82
		197.20	31-3-83
		348.00	4-1-73
		365.40	3-3-83
	योग	1403.60	
	ऑल इण्डिया ओरियन्टल कॉन्फ्रेन्स	500.00	10-2-83
	योग	3,91,143.61	

वर्ष 1983–84

	पार्टी का नाम	राशि	मुगतान तिथि
1	2	3	4
	राष्ट्रदूत	244.80	5-9-83
		438.15	3-12-83
		2500.00	14-12-83
		1220.50	27-12-83
		244.80	11-1-84
		3136.50	11-1-84
		330.85	13-1-84
		1185.60	17-1-84
		244.80	20-1-84
		1147-50	7-3-84
		91.26	20-3-84
		688.50	31-3-84
	योग	11481.26	

1	2	3	4
	राजस्थान पत्रिका	4322.00	14-4-83
		3099.60	22-6-83
		2153.50	5-9-83
		946.20	20-9-83
		65.60	3-10-83
		1590.20	13-10-83
		1250.00	31-10-83
		147.60	7-12-83
		1098.80	13-12-83
		116.00	13-12-83
		730.00	22-2-84
		820.00	28-3-84
		754.40	29-3-84
		4034.40	25-2-84
		योग 21076.30	
	दैनिक नवज्योति	1065.75	20-9-83
		747.25	22-6-83
		952.00	3-10-83
		1384.25	13-10-83
		220.50	25-10-83
		771.75	1-11-83
		490.00	13-12-83
		313.37	28-2-84
		918.75	7-3-84
		955.00	20-3-84
		योग 7818.62	

1	2	3	4
	हिन्दुस्तानी टाइम्स	560.00	13-12-83
		8000.00	29-3-84
		योग 8560.00	
	इन्डियन एक्सप्रेस	420.00	13-12-83
		304.00	
		योग 924.00	
	अमर उजाला	245.00	13-12-83
	दैनिक अधिकार	200.00	22-6-83
		291.00	20-3-84
		योग 499.80	
	जलते दीप	319.20	4-4-83
		121.60	20-3-84
		775.20	29-3-84
		योग 1216.00	

1	2	3	4
	नवजीवन, जयपुर	332.00	31-3-84
	सूर्योदय	1332.00	3-10-83
		6393.50	26-10-83
		1000.00	5-12-83
		490.00	30-1-84
		490.00	24-3-84
	योग	10521.50	
	दैनिक अणिमा	1193.60	31-10-83
		603.00	27-12-83
		765.00	21-3-84
		382.90	31-3-84
	योग	3142.50	
	जय राजस्थान, उदयपुर	100.60	31-3-84
		295.80	31-3-84
	योग	416.40	
	श्रमिक विकास	249.00	16-5-83
	जयपुर यूथ क्लब, स्मारिका	200.00	1-7-83
	राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पो. स्मारिका	250.00	1-7-83

1	2	3	4
	भारतीय वर्क्स, न्यू देहली	600.00	9-8-83
		450.00	31-3-84
	योग	1050.00	
	नार्दन रेल्वे स्मारिका	3475.00	9-8-83
	युनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया	2000.00	9-8-83
	राजस्थान जैन सभा स्मारिका	300.00	2-8-83
	श्री शारदा उद्योग, जयपुर	300.00	12-8-83
	शोधक	300.00	24-5-83
		300.00	31-3-84
	योग	600.00	
	राजस्थान युनिवर्सिटी स्मारिका	1000.00	25-4-83
	मापक मण्डल	500.00	5-9-83
		500.00	11-1-83
	योग	1000.00	
	कार्डियल केयर रिसर्च सेन्टर स्मारिका	500.00	5-9-83
	मानव हितकारी संघ स्मारिका	500.00	5-9-83
	लोक शिक्षक	300.00	21-9-83

1	2	3	4
	राजस्थान सचिवालय संघ स्मारिका	350.00	24-10-83
	जयपुर ब्लूज क्लब स्मारिका	500.00	20-10-83
	इण्डियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, जयपुर स्मारिका	1000.00	14-12-83
	रोज सोसायटी ऑफ राजस्थान स्मारिका	1250.00	22-2-84
	इण्डियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक सर्जन्स स्मारिका	600.00	25-2-84
	कांसिस्ट एम्लाईन स्मारिका	800.00	7-3-84
	पेरामाउन्ट एडवटाईजिंग सोसायटी	2500.00	3-3-84
	ब्लिट्स पब्लिकेशन प्रा. लि.	3200.00	7-3-84
	ऑल इण्डिया नेशनल इंटिग्रेशन स्मारिका	2000.00	7-3-84
	फर्स्ट नेशनल जूनियर गेम्स ऑफ डेफ स्मारिका	300.00	26-3-84
	राजा इन्कम टेक्स स्पोर्ट्स काउन्सिल स्मारिका	800.00	26-3-84
	जयपुर विजन	4500.00	29-3-84
	ऑल इण्डिया सिविल सर्विसेज ड्रामा स्मारिका	2000.00	29-4-84
	लोकजीवन साप्ताहिक	1000.00	27-3-84
	देहली प्रेस पत्र प्रकाशन	1600.00	31-3-84

1	2	3	4
	दैनिक न्याय, अजमेर	341.70	9-8-83
		261.00	10-6-83
		824.10	14-9-83
		147.40	31-10-83
		147.40	2-12-83
		494.70	3-12-83
		267.75	29-3-84
		522.75	31-3-84
	योग	3006.00	
	यग लीडर	730.00	14-4-83
		783.00	52-6-83
		817.80	20-9-83
		556.80	1-11-83
		1183.20	27-12-85
		1826.60	29-3-84
	योग	5098.20	
	मै. एम. डी. शर्मा, फोटोग्राफर	1000.00	26-8-83
		840.00	1-11-83
	योग	1840.00	

1	2	3	4
	पैलेस ऑन व्हील्स के विदेशों में प्रचार हेतु रेल्वे को दिया गया योगदान	3,11,698.00	17-11-83
	मैं एस. के भट्टी, जयपुर	88.00	28-7-83
	रंगीन पारदर्शिया	30.00	28-7-83
		1358.20	6-8-83
		276.00	5-1-83
	योग	1752.20	
	मै. रेखा पब्लिसिटी	4784.00	23-12-83
	मेहता ऑफसेट वर्क्स	23005.00	28-1-84
	वर्ष 1983-84 का कुल योग	4,51,563.00	

वर्ष 1984-85

पार्टी का नाम		राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4
	राष्ट्रदूत	1147.50	29-8-84
		3186.90	30-8-84
		370.80	10-9-84
	योग	4705.20	

451

1	2	3	4
	यंग लीडर	382.80	28-6-84
	दैनिक न्याय	637.50	28-6-84
	जलते दीप	1573.20	10-7-84
	दैनिक नवज्योति	269.50	12-6-84
		110.50	15-6-84
		796.00	30-6-84
		1115.82	29-8-84
		5947.37	30-8-84
		1503.13	19-9-84
	योग	9742.32	
	सूर्योदय	2604	3-9-84
	राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, स्मारिका	300.00	7-5-84
	राजस्थान अधीनस्थ लोक संघ, स्मारिका	200.00	7-5-84
	फेडरेशन का कबड्डी, स्मारिका	500.00	27-4-84
	इन्डो कन्या फ्रेन्डशिप, स्मारिका	500.00	31-5-84
	मैसर्स अक्षरा एडरटाईजिंग एजेन्सी	10000.00	23-5-84
		8450.00	23-5-84
		11189.00	30-7-84
		18481.27	80-8-84
	योग	48890.27	

1	2	3	4
	राजस्थान पत्रिका	787.20	27-4-84
		1800.00	7-5-84
		3600.00	19-8-84
		2400.00	10-9-84
	योग	8587.20	
	रेल्वेज वीमेन सोसल सर्विस कमेटी, बम्बई, स्मारिका	1000.00	30-7-84
	राजस्थान वीमेन हॉकी एसोसिएशन, स्मारिका	300.00	14-4-84
	मै. एन. के भट्टी	400.00	17-4-84
	देहली प्रेस पत्र प्रकाशन	2100.00	14-8-84
	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	500.00	14-8-84
	आर्थिक घोष	665.00	14-8-84
	दैनिक समाचार जगत	2827.00	14-8-84
		1827.00	30-8-84
	योग	4654.00	
	लोकजीवन साप्ताहिक	500.00	18-9-84
	ट्रेड विंग्स, देहली	40000.00	15-6-84
	लोक शिक्षक	250.00	18-9-84
	कुल योग	1,28,091.49	

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न सं. 214 के भाग (1) की सूची)

बांसवाड़ा जिले की परिवहन योजना में प्रस्तावित 7 नये मार्गों की सूची
मार्गों के नाम जो खोले जा चुके हैं

1. घाटोल से परतापुर वाया पडोली, गोरधन, पोडा बस्सी, मीमसुर, ग्रासन, सरेडी, मीमसोरा
2. नरवाली से ग्ररथूना वाया मोटागांव, गनोडा, मीमपुर सरेडी मीमासोर, रेवडा, सांकेरियागढा, नया तालाब, भगोडा, परतापुर जौलाना ।
3. बांसवाडा से ग्ररथूना वाया छींछ, बोडीगांवा, जोलाना, रैयाना, ग्रोडवाडिया, हड्सलिया ।
4. दानपुर गढी वाया छोटी सरवा, कुटुम्बी, बांसवाडा ववलियां, देवलिया, तलवाडा, सांमागढा, कुशालपुरा, परतापुर ।

मार्गों के नाम जिन्हें खोले जाने की कार्यवाही चालू है

5. दानपुर से वागीदोरा, वाया छोटी सरवन कुटुम्बी, बांसवाडा, मासोर, मीमयात्र, सुखानिया, पाडी, बडोदिया ।
6. बांसवाडा से लीलवानी डेम ।
7. बांसवाडा से चीकली ।

परिशिष्ट-21

456

अतारांकित प्रश्न संख्या 217 की सूची
सूची–"अ"

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 84-85 के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.		विवरण
1.	द्वारापुर	5/7/41	प.स. थानागाजी	11/5/84 विद्युतिकृत
2.	अमरकावास	52	,,	—
3.	लाहाकावास	53	,,	विद्युतिकृत
4.	बागडोली	55	,,	विद्युतिकृत
5.	धैयथल	56	,,	विद्युतिकृत
6.	बन्दरोल	29	,,	—
7.	मालूताना	28	,,	—
8.	रूपकावास	57	,,	—
9.	गुढ़ाचुरानी	63	,,	—
10.	गौरधनपुरा	5/8/25	राजगढ़, प. स.	—
11.	मालाना	22	,,	—
12.	कांकराली रामपुरा	10	,,	—